अष्टम माला, खंड 16, अंक 40

शुक्रवार, 25 अप्रैल, 1986
5 वैशाख, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 16 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 16, पांचवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 40, शुक्रवार, 25 अप्रैल, 1986/5 वैशाख, 1908 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		2—26
*तारांकित प्रश्न संख्या :	803, 805, 807, 808 और 810 से 813	
प्रश्नों के लिखित उत्तर		27—254
तारांकित प्रश्न संख्या :	804, 806, 809, और 814 से 825	
अतारांकित प्रश्न संख्या :	7676 से 7686, 7688 से 7760, 7762 से 7800, 7802 से 7837, 7839 से 7895 और 7897 से 7913	
सभा पटल पर रखे गये पत्र		254—258
प्राक्कलन समिति		258—259
विवरण—सभा पटल पर रखा गया		

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति ... ... 259—260

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति ... 260

ग्यारहवां प्रतिवेदन

सदन का कार्य ... ... 260—265

रेल विधेयक, 1986—पुरःस्थापित ... ... 265—266

वित्त विधेयक, 1986 ... ... 266—319

विचार करने के लिये प्रस्ताव

श्री इन्द्रजीत गुप्त 267
श्री विपिन पाल दास 275
श्रीमती ऊषा वर्मा 279
श्री शान्ति धारीवाल 281
श्री मनोज पांडे 285
श्री भद्रेश्वर तांती 288
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही 290
श्री दिलीप सिंह भूरिया 293
श्री राम प्यारे पनिका 296
श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव 301
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी 304
श्री गिरधारी लाल व्यास 307
श्री के० एस० राव 310
श्री मानवेन्द्र सिंह 313
श्री राजकुमार राय 315
श्रीमती ऊषा चौधरी 317

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति ... ... 319—320

18वां प्रतिवेदन

चुनाव सुधारों संबंधी संकल्प—अस्वीकृत हुआ ... ... 320—351

श्री एस० जयपाल रेड्डी 320

विषय पृष्ठ

श्री बालासाहेब विखे पाटिल 324
कुमारी ममता बनर्जी 326
श्री शान्ता राम नायक 328
श्री जी० एम० बनातवाला 330
श्री ए० चार्ल्स 332
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी 334
श्री टी० बशीर 336
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया 338
श्री एच० आर० भारद्वाज 338
डा० डी० एन० रेड्डी 345
श्री एच० के० एल० भगत 349

विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के निवासियों को भारतीय नागरिकों द्वारा उपभोग्य सभी अधिकार प्रदान करने के बारे में संकल्प ... ... 352—363

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया 352
श्री विजय एन० पाटिल 355
सैयद शाहबुद्दीन 359
श्री हरीश रावत 363

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ... 362—363

कार्य मंत्रणा समिति 363

लोक सभा

शुक्रवार, 25 अप्रैल, 1986/5 वैशाख, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं बड़े खेद के साथ आपको श्री प्रफुल्ल चन्द्र बरुआ, जो 1957-67 के दौरान दूसरी और तीसरी लोक सभा के सदस्य थे और असम में शिवसागर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, के निधन की सूचना देता हूं।

वे एक योग्य संसद विद् थे वे सदन की कार्यवाही में अत्यधिक रुचि लेते थे। श्री बरुआ वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी थे और उन्होंने बहुत ही कम आयु में स्वतन्त्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था और जेल गए थे।

वे एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और उन्होंने छुआछूत को दूर करने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया था। वे एक बहुत ही सक्रिय ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ता थे। वे अनेक श्रमिक यूनियनों, शैक्षिक सांस्कृतिक संगठनों से सम्बद्ध रहे हैं।

श्री बरुआ का 86 वर्ष की आयु में 28 फरवरी, 1986 को शिवसागर में निधन हुआ है।

अपने इस मित्र के निधन पर हम गहरा शोक प्रकट करते हैं और मुझे आशा है कि शोकग्रस्त परिवार को अपनी संवेदना भेजने के लिए यह सदन मेरे साथ है।

श्री बरुआ को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अब हम सभी खड़े होकर थोड़ी देर मौन रखेंगे।

(तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की ओर राष्ट्रीय कपड़ा निगम की बकाया धनराशि

*803. डा० वी० वकटेश†
श्री अतीश चन्द्र सिन्हा } : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ तथा इसकी एक सहायक कम्पनी की ओर राष्ट्रीय कपड़ा निगम की बहुत बड़ी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके सम्बन्ध में बातचीत के माध्यम से कोई समझौता कराने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) 28.2.1986 की स्थिति के अनुसार एन० टी० सी० के विभिन्न सहायक निगमों की एन० सी० सी० एफ० द्वारा कुल बकाया देय राशियां लगभग 14.66 करोड़ रु० की थी।

(ग) और (घ) एन० टी० सी० के सहायक निगमों को सप्लाई किए गए माल के लिए एन० सी० सी० एफ० द्वारा राशियों के भुगतान पर समय-समय पर विचार विमर्श होता है तथा उसकी समीक्षा की जाती है। तथापि एन० टी० सी० (डब्ल्यू बी ए० बी० ओ०) ने एन० सी० सी० एफ०/आदर्श बाजार थोक व फुटकर उपभोक्ता सहकारी स्टोर लि०, पटना तथा अन्यों के विरुद्ध एक सिविल याचिका दायर की है क्योंकि बातचीत के जरिए बकाया राशियां वसूल नहीं की जा सकीं।

डा० वी० वेंकटेश : महोदय, एन० सी० सी० एफ० की ओर लगभग 14 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया है। वास्तव में एन०सी०सी०एफ०भी भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में है परन्तु मंत्री महोदय ने कहा है कि एन०टी०सी०, पश्चिम बंगाल ने न्यायालय में मामला दायर किया है। वास्तव में, एन०टी०सी०, कलकत्ता के प्रमुख प्रबन्ध निदेशक और एन०टी०सी० पश्चिम बंगाल के वाणिज्यिक प्रबन्धक तथा कुछ निहित स्वार्थों के बीच सांठ-गांठ है और इसीलिए मामले को लटकाने के लिए वे न्यायालय में गए हैं। यद्यपि एन० सी० सी० एफ० और एन०टी०सी० भात सरकार के नियन्त्रणाधीन हैं, फिर भी यह समझ में नहीं आता कि वे क्यों एन०सी० सी० एफ० को गैर सरकारी एजेंसी की तरह मान रहे हैं और न्यायालय में मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि विलम्ब करने के हथकंडे, विशेषकर एन० टी० सी०, पश्चिमी बंगाल के प्रमुख प्रबन्ध निदेशक और वाणिज्यिक निदेशक द्वारा क्यों अपनाए जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा क्या कार्यवाही विशेषकर इन व्यक्तियों के विरुद्ध किए जाने का विचार है।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, सबसे पहले मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि 14.66 रुपये की धनराशि नियंत्रित कपड़े का मूल्य है जो कि नियंत्रित कपड़े की 4-5 सप्ताह की सामान्य सप्लाई है। एक अन्य मामला जिसके लिए पश्चिम बंगाल की सहायक कम्पनी न्यायालय में गई है वह 2 करोड़ रुपये की धनराशि के बारे में है जो गैर नियंत्रित कपड़े का मूल्य है जो एन०सी०सी० एफ० से सम्बद्ध आदर्श बाजार को सप्लाई किया गया था। आपसी बातचीत के जरिये मामले को निबटाने के सभी सम्भव प्रयास किए गए परन्तु दुर्भाग्यवश एन० सी० सी० एफ० किसी भी अदायगी के लिए सहमत नहीं हुआ। अतः न्यायालय में जाने के सिवाय कोई रास्ता बाकी नहीं रह गया था क्योंकि मामला कालातीत होने वाला था।

डा० वी० वेंकटेश : महोदय, मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। परन्तु मैं उनसे एक सुस्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस देश में एन० टी०सी० सभी प्रकार के भ्रष्टाचार का अड्डा है और जनता के धन का अपव्यय किया जा रहा है। अतः मैं मंत्री महोदय से एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या देश में इस भ्रष्टाचार के अड्डे को नया रूप देने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम है··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही भ्रष्टाचार का अड्डा है···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आप इसे भ्रष्टाचार का अड्डा कहते हैं।

डा० वी० वेंकटेश : मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। मैं इसे भ्रष्टाचार का अड्डा ही कहना चाहता हूं।

श्री सुरेश कुरूप : आजकल मन्दिर भी भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं माननीय सदस्य की इस बात से बिल्कुल इत्तफाक रखता हूं कि एन०टी०सी० में भ्रष्टाचार समाप्त करने की आवश्यकता है। इस दिशा में हम सभी संभव प्रयास कर रहे हैं और माननीय सदस्य के सूचनार्थ मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह में ही पश्चिम बंगाल की सहायक कम्पनी के दो निदेशकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। (**व्यवधान**) मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस कार्यवाही के तुरन्त बाद ही कुछ संसद सदस्यों से मुझे पत्र प्राप्त हुए जिनमें पूछा गया था कि इनकी सेवाएं क्यों समाप्त की गई हैं।

एक माननीय सदस्य : वे सदस्य कौन हैं।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि वे भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने यह भी कहा है कि दो डायरेक्टर्स को इन्होंने निलम्बित किया है, बड़ी खुशी की बात है। मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहती हूं कि एन० टी० सी० ने जो आदर्श बाजार को कपड़ा सप्लाई किया है, वह सरेआम कलकत्ता के बाजार में बेचा गया है और करीब करोड़ों रुपये का घपला इसमें हुआ है, क्यों और कैसे कपड़ा दिया गया है, यह तो ये ही जाने, लेकिन क्या यह सही है कि जिस पदाधिकारी ने इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, जिस पदाधिकारी ने करोड़ो रुपये के गबन का आरोप प्रमाणित किया और आदर्श बाजार को जिसने ब्लैक लिस्ट किया है, उसी को निलम्बित किया गया है। जिसने भ्रष्टाचार का काम किया है और जिसने गबन किया है, वह बिल्कुल वहां पर बरकरार है। जब अखबारों में आया तो दो-तीन एम० पीज० ने पत्र भी लिखें, लेकिन इनकी ओर से अभी तक कोई उत्तर नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या ख्याल है कि ऐसे शभ काम करने वालों को···

···(**व्यवधान**)

श्री खुर्शीद आलम खां : मान्यवर, जब किसी को निकालते हैं तो ऐसा नहीं कि बगैर समझबूझ के ऐसा कर देते हैं। आदर्श बाजार को जिन लोगो ने कपड़ा सप्लाई किया था, उसमें तीन आदमी इंक्वायरी के तहत पकड़े गए हैं, उनको संस्पेंड किया गया है, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। इस काम की वजह से उन्हें जो भी सजा मिलनी चाहिए, उससे वे बच नहीं सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि जिनको पकड़ा गया है, उनको छोड़ दिया और जिसने पकड़ा उसको निलम्बित कर दिया गया है।

श्री खुर्शीद आलम खां : जो निलंबित किया गया, वह इसमें नहीं था बल्कि और दूसरा करप्शन

का केस था जिसमें एक करोड़ रुपये के माल का इन्वालन्मेंट था।

श्रीमती कृष्णा साही : जिन्होंने करप्शन किया है, उनके विरुद्ध कोई भी एविडेंस इनको नहीं मिला। नीचे से जैसा बताया जाता है, वही इनको मालूम है।

[अनुवाद]

श्री थम्पन थामस : नियंत्रित कपड़े के बारे में मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से प्रतीत होता है कि एन० सी० सी० एफ० ने एन० टी० सी० को 14 करोड़ रुपये की धनराशि देनी है। क्या यह हाल ही में नीति में किए गए परिवर्तन के कारण हुआ है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बगैर देखे हो 14 करोड़ रुपये दे दिये जाते हैं, यह तो बड़ी अन्धेरगर्दी है।

[अनुवाद]

श्री थम्पन थामस : हुआ यह है। मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि नियंत्रित कपड़े के वितरण सम्बन्धी नीति में हाल ही में परिवर्तन किया गया है। एन०सी०सी०एफ० के माध्यम से दी जाने वाली राज सहायता अब एन०टी०सी० के माध्यम से कर दी गई है। एन० टी० सी० द्वारा राज सहायता की अनदेखी करके बाजार भाव की दर से नियंत्रित कपड़े का मूल्य निर्धारित किया जा रहा है। अत: यह बिक नहीं रहा है, क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि एन० टी० सी० द्वारा दोषपूर्ण उत्पादन और नीति में परिवर्तन के कारण राज्य स्तर के विभिन्न गोदामों में कितने नियंत्रित कपड़े का ढेर लग गया है? क्या एन० टी० सी० द्वारा इसे वापस लिया जाएगा और लेखों का समायोजन किया जाएगा और सहकारी समितियों को स्टाक के उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाएगा।

श्री खुर्शीद आलम खां : क्या मैं आपके द्वारा किए गए प्रश्न का या इसका उत्तर दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आप कृपया इसकी जांच करें क्योंकि अनेक सदस्यों ने इसके बारे में पूछा है।

(व्यवधान)

श्री खुर्शीद आलम खां : सहायक कम्पनी के पूरे बोर्ड ने पूरे मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि यह सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी थी अत: उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि लोग हमेशा कोई न कोई बहाना ढूंढ़ लेते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, आधे घंटे की चर्चा अलाऊ कर दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री थम्पन थामस : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री खुर्शीद आलम खां : जहां तक 14.66 करोड़ रुपए के बारे में आपका प्रश्न है, मैंने पहले ही कहा है कि यह राशि 4 से 5 सप्ताह की अवधि के लिए नियंत्रित कपड़े की सप्लाई को दर्शाती है। नियमित राशि प्राप्त की गई है और कपड़े की सप्लाई की गई है। इसमें कोई असामान्य बात नहीं है।

जहां तक नियंत्रित कपड़े की सप्लाई और वितरण का प्रश्न है, तो माननीय सदस्य जानते हैं कि राज्यों में वितरण का कार्य एन० सी० सी० एफ० और पूर्ति विभाग द्वारा किया जाता है। यदि किसी डिपो पर खराब कपड़े के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से यह हमें बताई जानी चाहिए और हम यह मामला सम्बन्धित सहायक उद्योग के साथ उठाएंगे और इस बात का प्रयास करेंगे कि इसे ठीक किया जाए।

हथकरघा क्षेत्र में बनाई जाने वाली वस्तुएं

*805. श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा क्षेत्र में बनाई जाने वाली वस्तुओं की सूची का विस्तार करने और कड़ाई से उसका पालन सुनिश्चित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारत सरकार ने एक ऐसी अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है जिसके अनुसार नए "हथकरघा (उत्पादन हेतु वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985" के अन्तर्गत हथकरघा क्षेत्र में 22 मदें अनन्य तौर पर उत्पादन हेतु आरक्षित की गई हैं। अधिक सख्त प्रवर्तन के उद्देश्य से विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय के अधीन दिल्ली, पुणे तथा कोयम्बटूर में पहले ही तीन क्षेत्रीय कार्यालय खोल दिए गए हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया और वैसे भी नई टैक्सटाइल अधिनियम जो 1986 में निर्धारित किया उसमें परम्परागत करोड़ों लोगों को रोजी-रोटी

देने वाले बुनकरों के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कोशिश की है। लेकिन मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती थी कि आज बुनकरों की और हैण्डलूम की जो व्यवस्था है, क्या उनको नई साधन सामग्री और टेक्नोलोजी दिलाने के लिए कोई सबसिडी देने की व्यवस्था सरकार कर रही है।

श्री खुर्शीद आलम खां : मान्यवर, जहां तक सबसिडी देने की बात है वह व्यवस्था नहीं की जा रही है, लेकिन ऐसा इन्तजाम जरूर किया जा रहा है कि वह अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनायें ताकि उनको ज्यादा पैसा मिल सके। इसलिए उनको पालिएस्टर कपड़ा बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है और उनको ड्यूटी फ्री पालिएस्टर सप्लाई किया जा रहा है।

प्रोफेसर मधु दण्डवते : सवाल टेक्नोलोजी का है···

श्री खुर्शीद आलम खां : हमारे 24 ऐसे वीवर्स सेंटर हैं जहां उनको बुलाकर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है।

श्रीमती ऊषा चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं बहस नहीं करना चाहती, लेकिन आपने जो व्यवस्था की है···

अध्यक्ष महोदय : कर लो, कर लो।

श्रीमती ऊषा चौधरी : जो आज बुनकरों के उत्पादन केन्द्र हैं वहां तक नहीं पहुंची है, धागे के बिना उनका व्यवसाय कई दिनों तक बन्द रहता है। मैं इसके बारे में अधिक नहीं बोलना चाहती, लेकिन आपने व्यवस्था की थी कि वह धोती और साड़ी बनाकर बेचें। लेकिन हम देखते हैं पावरलूम और मिलों से उसी तरह का कपड़ा बनाकर वह हैण्डलूम का लेबल लगाकर मार्केट में बेचते हैं। इस व्यवस्था को भी बन्द करना होगा।

इसके साथ-साथ मैं आपसे व्यावहारिक सवाल पूछना चाहती हूं। उनको हम प्रोत्साहित करेंगे अलग-अलग किस्म का कपड़ा बनाने के लिए, लेकिन उस कपड़े को बेचने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। जैसे एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम के अन्तर्गत हम मजदूरों को अनाज देते हैं उसी तरह से गरीब मजदूरों को हैण्डलूम से बना कपड़ा देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री खुर्शीद आलम खां : बहस करने का मेरा भी इरादा नहीं है···

अध्यक्ष महोदय : बन रहा है या नहीं बना।

श्री खुर्शीद आलम खां : लेकिन मैं कहूंगा इस दफा हमने जो पहले रिजर्वेशन के लिए कुल 11 आइटम थे वह इस बार से 22 आइटम कर दिये हैं जिसमें धोती और साड़ी भी एक है। मुझे यकीन है हमारे मोहतरिम दण्डवते जी मेरी बात पर टोकेंगे···

प्रोफेसर मधु दण्डवते : मैंने आपसे इतना ही कहा है कि आपने पावरलूम वालों की धोती और

साड़ी भी उतार ली है।

श्री खुर्शीद आलम खां : अब मैं यह चाहता हूं कि वे पाजामा पहनना शुरू कर दें।

जहां तक माननीय सदस्या ने कहा, खरीदने के बारे में कहा, हमने प्रान्तीय सरकारों को लिखा है कि उनके यहां जितने भी बुनकर हैं उनको कोआपरेटिव में लाया जाए। कोआपरेटिव में आने के बाद उनको क्रेडिट फेसिलिटीज अच्छी मिल जाएंगी, दूसरे कोआप्रेटिव्ज के जरिए से उनको मार्किटिंग फेसिलिटीज भी हो जाएंगी। यह काम केन्द्रीय सरकार को नहीं करना है और प्रान्तीय सरकारों के ध्यान में हम यह चीज लाते रहते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती शीला दीक्षित : अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय से ऐसे क्षेत्रों के उन हथकरघा बुनकरों के भविष्य के बारे में जानना चाहूंगी जहां मिलों द्वारा कुछ रोकादेश आदेश लिए गए हैं। उनकी क्या स्थिति होगी ? क्या उन्हें उन 22 वस्तुओं का उत्पादन करने से रोका जाएगा जिन्हें हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है ? क्या सरकार हथकरघा और मिल क्षेत्रों द्वारा लिए गए रोकादेशों को रद्द कराने के लिए कोई कार्रवाई करेगी। इस रोकादेश के परिणामस्वरूप इन गरीब लोगों के पास कोई आरक्षित वस्तु नहीं बची है।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, यह एक बहुत आसान प्रश्न है। आरक्षण का तात्पर्य है कि कुछ वस्तुएं हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित की गई हैं और इसलिए हथकरघा क्षेत्र उन वस्तुओं का उत्पादन करेगा। प्रवर्तन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित इन वस्तुओं का अतिक्रमण अथवा उल्लंघन न होने पाए।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने स्टे का सवाल उठाया है।

[अनुवाद]

श्री खुर्शीद आलम खां : एक अथवा दो राज्यों में उन्होंने रोकादेश लिया है। हम इस पर कार्रवाई करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि रोकादेश रद्द कर दिए जाएं।

श्री पी० कुलनदईवेलु : प्रस्तावित सूची में वास्तव में वस्तुओं की संख्या 11 से बढ़ाकर 22 कर दी गई है। परन्तु दुर्भाग्यवश आपने मुख्य वस्तु अर्थात मद्रास का रूमाल तो जोड़ा ही नहीं। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं।

वर्ष 1954-55 में नाईजीरिया तथा अन्य देशों को मद्रास के रूमालों का निर्यात किया गया था जिससे 18 करोड़ रुपए से भी अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई थी। परन्तु दुर्भाग्यवश आपने इसे

रोक दिया और आपने इसे सूची में भी शामिल नहीं किया है। यहां तक कि हमारे तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री ने भी इसे प्रस्तावित सूची में शामिल करने के लिए आपको पत्र लिखा है। परन्तु गत दो वर्षों से आपने इसे शामिल नहीं किया है। मैं मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में सकारात्मक उत्तर देने का अनुरोध करता हूं कि क्या वे रूमाल को जिससे 20 करोड़ रुपए से भी अधिक की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, प्रस्तावित सूची में शामिल करेंगे अथवा नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : चलो एक सैक्शन महिला रूमालों से शुरू किया जाए।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, इस सूची को इस बारे में विस्तृत विचार करने के लिए नियुक्त की गई विशेष समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार और स्वीकृत किया गया है और समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। मैं माननीय सदस्य से केवल इतना कहूंगा कि हम यह देखें कि इस सूची के अनुसार किस प्रकार कार्य चलता है और फिर हम देखेंगे कि बाद में क्या किया जा सकता है, क्योंकि इसमें समय-समय पर संशोधन और फेर-बदल की जा सकती है।

सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी सरकार के हथकरघा क्षेत्र के लिए अधिक वस्तुएं आरक्षित करने के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। वस्तुओं की संख्या को 11 से बढ़ाकर 22 कर दिया गया है।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उत्पादन क्षमता की दृष्टि से इसका क्या तात्पर्य है। कहने का मतलब यह है कि यदि उन 11 वस्तुओं की मांग पूरा करने के लिए एक मात्रा में उत्पादन किया गया और फिर इन्हें बढ़ाकर 22 कर देने पर आपने इनकी उत्पादन क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है ? और यदि क्षमता में वृद्धि की है तो क्या आज हथकरघा क्षेत्र उत्पादन की मांग को पूरा करने में समर्थ है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, इस पूरे प्रश्न पर विचार करने वाली समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि हथकरघा क्षेत्र अपने लिए आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम है। परन्तु इसके साथ-साथ हमने यह सुनिश्चित करने के लिए तीन महीने का समय दिया है कि इन 22 वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए हथकरघा क्षेत्र की क्षमता और योग्यता का पूरा उपयोग किया जाए।

सैयद शाहबुद्दीन : उत्पादन क्षमता बढ़ाने के परिपेक्ष्य में इसका क्या तात्पर्य है। क्या इसका तात्पर्य 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करने से है अथवा वर्ग मीटर के रूप में इसका क्या तात्पर्य है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : इसका तात्पर्य है लगभग दुगना उत्पादन करना।

रुग्ण चीनी मिलों का प्रबन्ध-ग्रहण करना

*807. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक विशेष कानून के अधिनियमन द्वारा रुग्ण चीनी मिलों का प्रबंध सरकार द्वारा अपने हाथों में लिये जाने के लिये उपबंध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी चीनी मिलों को "रुग्ण" पाया गया है;

(ग) इनमें से कितनी मिलों का प्रबंध सरकार द्वारा अपने हाथों में लिया गया है;

(घ) इनमें सहकारी और गैर सहकारी क्षेत्र की मिलें कितनी-कितनी हैं; और

(ङ) क्या शेष रुग्ण चीनी मिलों का प्रबंध भी सरकार द्वारा अपने हाथों में लिये जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) से (ङ) रुग्ण औद्योगिक यूनिटों के बारे में एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) रुग्ण औद्योगिक यूनिटों का अधिग्रहण करने से संबंधित विषय-वस्तु इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आती है। तथापि, रुग्ण औद्योगिक समवाय (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985, जो कि 8.1.1986 को प्रभावी हुआ था, मैं साथ-साथ रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के प्रबंध में परिवर्तन कर अथवा उसका अधिग्रहण कर रुग्ण औद्योगिक कम्पनी का उचित ढंग से प्रबंध करने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने की व्यवस्था है। इस बोर्ड का अभी गठन नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने सभा पटल पर इतने अधिक पत्र रख दिए हैं कि अब सभा पटल पर कोई स्थान नहीं है।

सर्वप्रथम, प्रश्न के पहले भाग का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि "रुग्ण औद्योगिक यूनिटों का अधिग्रहण करने से संबंधित विषय इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।" सामान्यतः जब हम आपके कार्यालय में प्रश्न भेजते हैं, तो यदि संबंधित मंत्रालय महसूस करता है कि यह प्रश्न उनके मंत्रालय से बिल्कुल संबंधित नहीं है तो मेरा विचार है, कि उस मंत्रालय का यह पहला कर्त्तव्य है कि वह माननीय अध्यक्ष महोदय को सूचित करे कि वह इस प्रश्न को किसी अन्य मंत्रालय को हस्तांतरित करें। प्रश्न के अधिकार क्षेत्र की लड़ाई में प्रश्नकर्त्ता अनावश्यक रूप से क्यों कष्ट पाए ? मैं तो यह सिफारिश करता कि दोनों मंत्रालयों को एक साथ मिला दिया जाए। खैर छोड़िए···

अध्यक्ष महोदय : यह अन्तिम उपाय हो सकता है।

प्रो० मधु दंडवते : यह उद्देश्य हो सकता है यह अप्रत्यक्ष बात है। यद्यपि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि यह प्रश्न उनके मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है, उन्होंने यह भी कहा है तथापि, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 में, जो कि 8.1.1986 को प्रभावी हुआ था, अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड द्वारा रुग्ण औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने की व्यवस्था है···। इस बोर्ड का अभी गठन नहीं किया गया है।" इसलिए कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। इतना बड़ा विवेकाधिकार देने के बाद कि क्या किया जा रहा है और क्या किया जाना है, यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो मैं क्या कर सकता हूं? इसके बावजूद बोर्ड का गठन नहीं किया जा रहा है ··

अध्यक्ष महोदय : आप अभी भी उनसे पूछना चाहते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने इस प्रकार से प्रश्न पूछा है कि माननीय मन्त्री को इसका उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए, मैं उनसे पूछता हूं कि यद्यपि बोर्ड का गठन नहीं किया गया, क्या माननीय मंत्री महोदय अपनी सामान्य जानकारी और बुद्धि से हमें बता सकते हैं कि विभिन्न राज्यों विशेषतया महाराष्ट्र राज्य में कितनी रुग्ण मिलें हैं और उन मिलों के रुग्ण होने के क्या कारण हैं और क्या यह सच है कि इनमें से कुछ मिलों को सरकार ने पहले ही अपने हाथ में ले लिया है परन्तु बाद में कुछ प्रतिद्वन्द्वी फैक्टरियों के दबाव से ··

एक माननीय सदस्य : चीनी मिलें।

प्रो० मधु दंडवते : मैं चीनी मिलों का उल्लेख कर रहा हूं। मेरा प्रश्न चीनी मिलों के बारे में है।

श्री ए० के० पांजा : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न कपड़ा मिलों के बारे में नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : नहीं, मैं कपड़ा मिलों के बारे में बात करूंगा। अतः क्या आप मुझे जानकारी प्रदान कर सकते हैं? इसके बाद मैं कपड़ा मिलों के प्रश्न पर कहूंगा क्योंकि मैंने इनसे पहले मंत्री के साथ पत्राचार द्वारा बात की है। कठिनाई यह है कि जब भी हम पत्र भेजते हैं तो मन्त्री महोदय बदल जाते हैं। इसलिए पहले दिए गए उत्तर अप्रासंगिक हो जाते हैं।

इसलिए, क्या मंत्री महोदय हमें बता सकते हैं कि उनकी जानकारी के अनुसार, कितनी मिलें रुग्ण मिलें बन गई हैं, और सरकार ने उन मिलों की प्रबन्ध व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है और फिर बाद में प्रतिद्वन्द्वी मिलों के दबाव के कारण उन मिलों का अधिग्रहण सरकार ने छोड़ दिया है? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री ए० के० पांजा : जहां तक पहले भाग का सम्बन्ध है, यदि माननीय सदस्य विभाग विशेष के पते पर प्रश्न भेजते हैं तो सामान्यतः संसद के प्रश्न तथा उत्तर विभाग से यह प्रश्न सीधे उस विभाग के पास भेज दिए जाते हैं। फिर जब हम देखते हैं कि यह प्रश्न हमारे विभाग से सम्बन्धित नहीं है तो

हम संसद अनुभाग से बातचीत करते हैं और उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर दिए जाने के लिए संबंधित विभाग को हम यह प्रश्न भेज देते हैं। परन्तु यदि वह विभाग इससे सहमत नहीं होता, तो हमें उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। मुझे यही बताया है कि ऐसी प्रक्रिया है। अत: माननीय सदस्य को अपने दीर्घ अनुभव से ···(व्यवधान) यह पता लगाना चाहिए कि यह प्रश्न रुग्ण औद्योगिक यूनिटों से सम्बन्धित है न कि रुग्ण चीनी उद्योग से सम्बद्ध है। अत: स्वाभाविक रूप से वित्त विभाग रुग्ण औद्योगिक यूनिटों से सम्बद्ध है।

दूसरे, जहां तक रुग्ण चीनी मिलों के अध्ययन का सम्बन्ध हैं, इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है। परन्तु हमें अपने रिकार्ड से पता चला है कि जिन मिलों में 1,250 टी० सी० डी० क्षमता से कम के संयंत्र हैं, उन्हें आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं समझा जाता। इस प्रकार यह एक प्रकार का मानदण्ड है।

दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे देश में चीनी उद्योग बहुत पुराना है, कुछ चीनी मिलें बहुत पुरानी हैं जैसे 172 चीनी मिलें 25 अथवा इससे भी अधिक वर्ष पुरानी हैं। इसलिए, न केवल उनके इतनी अधिक पुरानी होने के कारण अपितु उनके आर्थिक दृष्टि से सक्षम न होने के कारण, यदि मशीनरी पुरानी हो जाती है, तो कई बार यह मिलें अक्षम हो जाती है, हम उनके उत्पादन के बारे में उन्हें अक्षम कहते हैं। यह मिलें अक्षम इसलिए हो जाती हैं कि देश अथवा उनके कमान क्षेत्र में कम गन्ना पैदा होता है।

जहां तक कुछ चीनी मिलों को, जिन्हें 1978 के अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था, सरकार के अधिकार क्षेत्र में लेने के प्रश्न का सम्बन्ध है, इस प्रकार की 8 चीनी मिलों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। 1978 के अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने इन मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है। इनका ब्यौरा यहां प्रस्तुत है, परन्तु इन मिलों को काफी पहले सरकार ने अपने हाथ में लिया था और बाद में अवधि समाप्त होने पर मुक्त कर दिया गया और सरकार ने महसूस किया कि इस अवधि को बढ़ाने का कोई लाभ नहीं है। किसी भी मिल को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के लिए तीन शर्तें लगाई गई हैं अर्थात्, क्या मिल में घाटा हो रहा है, क्या वे गन्ना उत्पादकों को भुगतान नहीं कर सकते हैं और क्या गन्ना उत्पादकों को किया जाने वाला भुगतान बकाया है। फिर उस मिल को सरकार अपने अधिकार में ले लेती है। सरकार का कार्य पूर्ण होने के बाद, सरकार उस मिल को अपने अधिकार क्षेत्र से छोड़ देती है। 8 मिलों में से, प्रत्येक मिल को सरकार के अधिकार क्षेत्र में देने के लिए कहा था। 5 मिलों को स्वेच्छा से सरकार के अधिकार क्षेत्र में दिया गया था। जहां तक तीन चीनी मिलों अर्थात् दियोरिया चीनी मिल, यू० पी०, सीताराम चीनी मिल, यू० पी०, और सेकसेरिया चीनी मिल का सम्बन्ध है, प्रारम्भ में इन तीनों मिलों ने इसे वापिस लेने के लिए मना कर दिया था। सेकसरिया चीनी मिल ने सहमति व्यक्त की कि वह इसे वापिस लेने के बारे में विचार कर रही है और इस बारे में बातचीत चल रही है। अन्य दो मिलें इस बारे में सहमत नहीं हुई। इसलिए भूतपूर्व अभिभावक को उस संपत्ति की सुरक्षा के लिए कहा गया है।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा दूसरा प्रश्न आपके भूतपूर्व मंत्री श्री सिंह देव के साथ पत्राचार द्वारा उत्पन्न हुआ था, परन्तु दुर्भाग्यवश, श्री राम स्वरूप इस बीच आ गए। इसलिए, मुझे आपसे वह प्रश्न पूछना है।

क्या हुआ— मैं अपने प्रश्न को सही रूप से रखूंगा। महाराष्ट्र में कुछ गैर सरकारी चीनी मिलों को अपनी मिलों के लिए गन्ना प्राप्त हो जाता था परन्तु बाद में यह गन्ना कुछ अन्य सहकारी मिलों को दिया जाने लगा। मैं इस बारे में यह नहीं जानना चाहता कि राजनीति क्या है। परन्तु गन्ना और कहीं दिया गया और इन लोगों को गन्ने का कोटा नहीं मिला था और इसके परिणामस्वरूप इन लोगों ने सरकार के समक्ष अपना ठोस प्रस्ताव रखा और मैं उस प्रस्ताव के बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूं।

प्रस्ताव यह है कि यदि इन गैर सरकारी मिलों को गन्ने का कोटा देने में हम समर्थ नहीं हैं, जो बन्द पड़ी हैं, तो इस स्थिति में क्या आप उन्हें साफ करने के लिए अपरिष्कृत चीनी का आयात करने की अनुमति प्रदान करेंगे ताकि वे इसे साफ करने के कार्य में समर्थ हों और अपने कारखानों को चालू रख सकें ताकि हजारों श्रमिकों को अपनी रोजी से वंचित न होना पड़े? श्रमिक संघों और प्रबन्धको द्वारा संयुक्त रूप से वह प्रस्ताव दिया गया और मेरे पास यह उत्तर था कि मामला विचाराधीन है।' अब आप बताइए कि जहां तक इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने का सम्बन्ध है, आप किन विशेष शब्दों का इस बारे में प्रयोग करेंगे?

उन्हें या तो गन्ने का कोटा दीजिए या कच्ची खांड आयात करने की उनकी मांग मान लीजिए जिसे परिष्कृत और पुनःसंसाधित किया जा सकता है ताकि कार्य चालू रखा जा सके और श्रमिकों को अपनी नौकरियों से हाथ न धोना पड़े।

श्री० ए० के० पांजा : मुझे उम्मीद है इस दौरान हमारे बीच कोई दूसरा रामस्वरूप इस समय हस्तक्षेप नहीं करेगा।

जहां तक इस पर विचार किए जाने अथवा सक्रिय रूप से विचार किए जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मैंने सामान्य वाक्य "जांच-पड़ताल की जा रही है" का प्रयोग किया है, किन्तु माननीय सदस्य एक वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिए मैं इन शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहता।

जहां तक कच्ची खांड का आयात करने की मांग का संबंध है, सरकार ने इसका आयात न करने का फैसला किया है। इसका कारण यह है कि, हालांकि न केवल महाराष्ट्र के बल्कि अन्य राज्यों की अनेक चीनी मिलों ने भी अभ्यावेदन दिया था, हमने हिसाब लगाया था कि यदि आयात किया जाता है तो उसकी क्या लागत होगी और उसकी क्या कीमत रखी जाएगी, इसके बाद उसका अंतिम उपभोक्ता मूल्य क्या रखा जाएगा। जहां तक इसके अंतिम प्रयोक्ताओं का संबंध है, हमने पाया है कि कच्ची खांड का आयात सुविधाजनक नहीं रहेगा। आयात शुरू करते ही किसानों के दिमाग में यह विचार आ जाएगा कि अब गन्ने का उत्पादन न किया जाए। आपको पी० एल०-480 के बारे में याद होगा। पी० एल०-480 को बंद करते ही कार्य शुरू हो गया। अतः आयात का मतलब यह हो जाता

है कि मस्तिष्क से यह विचार निकल जाता है कि उन्हें आवश्यक रूप से पैदावार करनी चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इसीलिए इस स्थिति में हमने यह निर्णय किया है कि कच्ची खांड का आयात बिल्कुल न किया जाए।

जहां तक गन्ने की पैदावार का सम्बन्ध है, यह जिम्मेदारी राज्य की है और इसीलिए चाहे वह महाराष्ट्र हो अथवा कोई दूसरा राज्य हो। इस बात का ध्यान रखना उन्हीं का काम है कि किसी चीनी-कारखाने विशेष के पूरे सीमा क्षेत्र को पेराई के लिए पर्याप्त मात्रा में गन्ना मिल रहा है या नहीं। जहां तक सहकारी समितियों का संबंध है, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया जाता। इस संसद में हमने बताया है कि इस संबंध में स्पष्ट नीति यह है कि चीनी उत्पादन के मामले में सबसे पहले सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाए इसके बाद सरकारी क्षेत्र को और अन्त में गैर सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाए।

प्रो० मधु दंडवते : आप महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के साथ अपने अच्छे संबंधों का लाभ क्यों नहीं उठाते ? वे अभी-अभी यहां से गए हैं। आप अपने अच्छे सम्बन्धों का इस्तेमाल करने का प्रयत्न कीजिए ताकि गन्ना उपलब्ध हो सके और श्रमिकों को अपनी नौकरियां न गंवानी पड़ें।

श्री ए० के० पांजा : महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को जितना मैं जानता हूं प्रो० मधु दंडवते उससे भी ज्यादा जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी मित्रता का लाभ उठा सकते हैं।

श्री आशुतोष लाहा : महोदय, चूंकि चीनी एक आवश्यक वस्तु है, अतः स्पष्टतः इसकी काफी मांग है। किन्तु दुर्भाग्य से हम चीनी का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रहे हैं जिससे हमारी मांग पूरी हो सके। हम बाहर से चीनी का आयात कर रहे हैं और अपनी विदेशी मुद्रा बर्बाद कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने हमें बताया है कि ये रुग्ण मिलें हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि भारत में कुल कितनी चीनी मिलें हैं और इनमें से कितनी सहकारी क्षेत्र में हैं और कितनी सरकारी क्षेत्र में हैं और कितनी गैर सरकारी क्षेत्र में हैं तथा इन चीनी मिलों में से इस समय कितनी मिलें रुग्ण हैं जो ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारों ने ऐसी मिलों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कार्यवाही की है और अंत में यह जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में दो चीनी मिलों की क्या स्थिति है।

श्री ए० के० पांजा : माननीय सदस्य ने वस्तुतः चार प्रश्न किए हैं जबकि आपने इसके लिए संबंधित मामलों में ही अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : आप अच्छा सा कोई प्रश्न चुन लीजिए। आपको छूट दी गई है।

श्री ए० के० पांजा : जहां तक चीनी मिलों की संख्या के बारे में पहले प्रश्न का संबंध है, हमें अपने रिकार्ड से पता लगता है कि सहकारी क्षेत्र में—पूरे भारत में—193 चीनी मिलें हैं; सरकारी

क्षेत्र में 43 मिलें और गैर सरकारी क्षेत्र में 130 मिलें हैं। कुल मिलाकर इस समय 336 मिलें हैं। जैसा मैंने कहा है, इनमें से कौन सी रुग्ण है, इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। किन्तु हमने कुछ मिलों को बताते हुए श्रेणीबद्ध किया है कि वे कुशलता से कार्य नहीं कर रही हैं। उनमें से, हम देखते हैं कि कुछ कारखाने 25 वर्ष अथवा इससे भी अधिक पुराने हैं और 75 कारखानों की उत्पादन क्षमता 1250 टी० सी० डी० से भी कम है। इन 75 कारखानों में से 6 सहकारी क्षेत्र में हैं, 30 सरकारी क्षेत्र में है और 39 गैर सरकारी क्षेत्र में हैं। इस संबंध में अनेक कदम उठाए गए हैं। मैं पूरा ब्यौरा नहीं दे सकता। इसमें समय लग जाएगा। किन्तु बात यह है कि इसके लिए उदार शर्तों पर ऋण देने की योजना है। योजना में गन्ने की पेराई क्षमता को 1500 टी० सी० डी० तक बढ़ाने के अतिरिक्त ताप विद्युत क्षमता में सुधार करने, भाप बचत यंत्र लगाने पर विचार किया गया है और इसके अलावा चीनी विकास निधि है जिसमें से आवेदकों को, यदि वे अपने कारखाने के आधुनिकीकरण के उद्देश्य की शर्तें पूरी करने के साथ-साथ गन्ने की पैदावार करते हैं, सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश वी० पाटिल : महाराष्ट्र में जो शुगर मिल प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनके पास प्रोड्यूसर मेम्बर्स न होने के कारण वह उत्पादन नहीं कर सकते हैं। उन्हें चलाने के लिए को-आपरेटिव सेक्टर ने उनकी मांग की है। इस बारे में गवर्नमेंट की क्या राय है?

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : महोदय, कारखानों का अधिग्रहण करने से समस्या हल नहीं हो जाती और इसीलिए वर्ष 1985 के दौरान नया अधिनियम पारित किया है और यह 8 जनवरी, 1986 को लागू किया गया, जिसके द्वारा चीनी कारखानों की कार्यकुशलता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रबंध का अधिग्रहण किए जाने की मांग की गई अर्थात् चीनी के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाले लोगों में पुराना खून निकालकर नया खून चढ़ा दिया जाता है। अतः, कारखानों का अधिग्रहण करने से समस्या का समाधान नहीं होता।

[हिन्दी]

व्यय कर लगाने हेतु नियुक्त समिति का प्रतिवेदन

*808. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को व्यय के आधार पर कर लगाने के प्रश्न पर विचार करने हेतु नियुक्त समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस समिति का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) समिति ने अपने कार्य में अब तक कितनी प्रगति की है ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) रिपोर्ट के 31 दिसम्बर, 1986 तक मिलने की संभावना है।

(घ) अध्ययन-दल ने गठन के बाद बहुत-सी बैठकें की हैं। इसके निर्देश-पदों से उठने वाले मुद्दों पर विभिन्न समूहों की राय जानने के उद्देश्य से अध्ययन-दल ने कारबार, उद्योग, व्यापार और व्यवसाय के महत्वपूर्ण संगठनों तथा प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों, व्यावसायिक विशेषज्ञों और देश के भीतर तथा बाहर अकादमी सदस्यों को भी प्रश्नावली भेजी है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री जगदीश अवस्थी : मान्यवर, जैसाकि मंत्री महोदय ने बताया कि 31 दिसम्बर, 1986 तक रिपोर्ट मिलने की सम्भावना है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस अध्ययन दल में कौन-कौन से माननीय सदस्य हैं और अभी तक जो आपने प्रश्नावली भेजी है, वह कितने लोगों के पास भेजी है और उनमें से कितने लोगों के उत्तर प्राप्त हुए हैं ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : अध्ययन दल के निम्नलिखित सदस्य हैं :—(1) डा० राजा जे० चेलैय्या, सदस्य, योजना आयोग—चेयरमैन; (2) डा० अमरेश बागची निदेशक, लोक वित्त तथा नीति का राष्ट्रीय संस्थान— सदस्य; (3) श्री सी० के० टिक्कू, सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग—सदस्य; (4) प्रो० पुलिस नायक, रीडर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकनामिक्स – सदस्य; (5) श्री पी० ए० नय्यर, प्रेजीडेन्ट भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान—सदस्य; (6) डा० सी० रंगाराजन—सदस्य; (7) श्री कंवरजीत सिंह—सदस्य—सचिव। जहां तक प्रश्नावली का उत्तर भेजने वाले व्यक्तियों की संख्या का सम्बन्ध है, हमारे पास इसके आंकड़े नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री जगदीश अवस्थी : मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि इस समिति ने अभी तक कितनी बैठकें की हैं और कहां-कहां पर की हैं ? साथ ही साथ क्या वही प्रश्नावली संसद सदस्यों और विधायकों के पास भी भेजी है ? यदि नहीं तो क्या उनको भी वह प्रश्नावली भेजने पर विचार कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : अनेक बैठकें हुई हैं। इनके विस्तृत ब्यौरे के बारे में मैं माननीय सदस्य को लिखूंगा। जहां तक संसद सदस्यों को प्रश्नावली भेजने का सम्बन्ध है, मैं उनका भेजा जाना सुनिश्चित करूंगा।

डा० गौरी शंकर राजहंस : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, क्या माननीय मंत्री महोदय इस प्रश्नावली को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आम जनता की राय जानने पर विचार करेंगे ?

श्री जनार्दन पुजारी : यह एक अच्छा सुझाव है। मैं इसका समाचार पत्रों में प्रकाशन भी सुनिश्चित करूंगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कमेटी बनाये कितना अर्सा हो गया है और इस कमेटी ने इस संबंध में कितना काम किया है ? साथ ही साथ इस कमेटी में जो रिप्रेजेंटेशन है, वह कौन-कौन से लोगों का है ? क्या आप एम० पीज०, एम० एल० ए० और लोअर क्लास के लोगों को इस कमेटी में रखने पर विचार कर रहे हैं ? यह एक ऐसा मामला है जिससे बड़े लोगों पर असर होगा। इस मसले को हल करने के लिए ऐसे लोगों को भेज दिया गया है जो कि रिपोर्ट के आने में देरी कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह इस संबंध में जल्दी से जल्दी क्या स्टैप लेंगे जिससे जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट मंगायी जा सके।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : यह समिति भारत सरकार के दिनांक 13-12-1985 के संकल्प के बाद गठित की गई है। काफी समय नहीं बीता है और वे अपना कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए तो हम इस बात की जांच करेंगे। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि यदि उन्हें कोई अभ्यावेदन भेजना है तो वे वह अभ्यावेदन डा० चेलैय्या अथवा समिति को भेज सकते हैं और वे इन सभी पहलुओं की जांच करेंगे।

भारतीय पटसन निगम का खरीद कार्यक्रम

*810. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि भारतीय पटसन निगम का खरीद कार्यक्रम विलम्ब से शुरू होता है और वह अक्तूबर से पहले ही खरीद बन्द कर देता है, जिसके कारण

किसानों को अपना पटसन व्यापारियों को कम मूल्य पर बेचना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या धनराशि की कमी के कारण निगम को पटसन उत्पादकों को राहत देने की अपनी पूरी भूमिका निभाने में बाधा अनुभव हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय पटसन निगम के कार्यचालन, विशेषकर इसके खरीद कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) और (ग) कीमत समर्थन कार्य के अन्तर्गत कच्चे पटसन/मेस्टा की खरीद के लिए निधि संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय पटसन निगम को "आवश्यकतानुसार" आधार पर आवश्यक निधियां उपलब्ध करा दी है।

विवरण

पटसन उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा कच्चे पटसन की कीमतों में गिरावट को रोकने के उद्देश्य से भारतीय पटसन निगम (जे०सी०आई०) ने अगस्त, 1985 के आरम्भ से कच्चे पटसन की वाणिज्यिक खरीददारियां शुरू कीं। जुलाई, 1985 में कोई खरीददारी नहीं की जानी थी क्योंकि कच्चे पटसन की कीमतें संचालन स्तर से काफी ऊंची रहीं। सितम्बर, 1985 के मध्य कीमतें सब समर्थन स्तर से नीचे गिर गई तो जे०सी०आई० ने कीमत समर्थन कार्य शुरू किया। सफेद तथा तोसा पटसन के लिए कीमत समर्थन कार्य मार्च, 1986 के अन्त तक जारी रहा तथा मेस्टा, जो बाजार में देर से आता है, के संबंध में यह कार्य अभी भी जारी है। जे०सी०आई० ने चालू पटसन मौसम (1985-86) में लगभग 27.92 लाख गांठों की एक रिकार्ड खरीद करके पिछले सभी रिकार्ड पार कर लिए।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश वी० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष बीटिबल बैग का दाम 8 रुपये से बढ़कर 16 रुपये हो गया। पर इस का लाभ किसानों को नहीं मिला, इसका लाभ व्यापारियों को मिला। इसके साथ ही उपभोक्ता को इसका नुकसान पहुंचा क्योंकि उसको अधिक प्राइस देना पड़ा। इससे अन्य चीजों के दाम पर भी असर परोक्ष रूप से पड़ा। इसके सुधार के लिए सरकार क्या कदम उठाने वाली है और कब ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मान्यवर हमारी यह कोशिश रही है कि जूट कारपोरेशन आफ इंडिया सिर्फ उन लोगों का जूट खरीदे जो उसकी पैदावार करते हैं और यह प्रस्ताव हमने वहां की प्रान्त सरकार को दिया था कि जितने जूट बोने वाले हैं उनको अपने यहां से वह सर्टिफिकेट दे दें ताकि उसकी

बेसिस पर हम जूट खरीदें और कोई दूसरा उस माल को न ला सके।

जहां तक खरीदारी का ताल्लुक है उस खरीदारी को हम बराबर जारी रखे हैं और इस साल हमने सबसे ज्यादा जूट खरीदा है, तकरीबन 28 लाख बेल्स के जूट खरीदा जा चुका है। इसके अलावा पहली मर्तबा हमने 6 लाख बेल्स का बफर स्टाक भी बनाया है जिससे प्राइस स्टेबिलाइज हो सके।

श्री प्रकाश वी० पाटिल : इसका रा मैटीरियल एक अच्छा पैकेजिंग मैटीरियल है। तो उसका कन्जम्पशन ज्यादा हो, उसके लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : सरकार तो सब कदम उठा रही है। मगर मुश्किल यह है कि सिंथेटिक जूट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। हम इस मामले को इण्डस्ट्री मिनिस्टर की नोटिस में लाए हैं और अब यह तय हुआ है कि इण्डस्ट्री मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के एक-एक रिप्रेजेन्टेटिव मिलकर बैठेंगे और सोचेंगे कि इन दोनों चीजों के बीच बेलैंस कायम किया जा सके ताकि जूट को नुकसान न पहुंचे और सिंथेटिक भी चलता रहे।

[हिन्दी]

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : महोदय, मैं देश के एक ऐसे भाग का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां "मेस्टा" न केवल भारी मात्रा में उगाया जाता है बल्कि यह एक मुख्य फसल है क्योंकि यह उन किसानों द्वारा, जिनके पास तीन से चार एकड़ जमीन है, सूखी भूमि में उगाया जाता है। मंत्री महोदय ने सभा-पटल पर रखे गए विवरण में बताया है कि मार्च, 1986 के अन्त तक तथा उसके बाद भी "मेस्टा" की खरीद की गई है और उन्होंने यह भी कहा है कि इसकी रिकार्ड खरीद की गई है। यह रिकार्ड खरीद कतिपय परिस्थितियों में कोई महत्व नहीं रखती क्योंकि अकेले आंध्र प्रदेश के तीन उत्तरी जिलों में इस वर्ष अनुमानित उत्पादन 16 लाख क्विंटल था। मैं नहीं जानता कि जहां तक "मेस्टा" का संबंध है, अकेले आंध्र प्रदेश के तीन उत्तरी जिलों से कितनी खरीद की गई है। खरीद क्यों नहीं की गई है इसके लिए भारतीय पटसन निगम द्वारा यह कारण दिया गया है कि उनके पास गोदाम की सुविधाएं नहीं हैं। गोदामों के लिए आप 25 पैसे अथवा 30 पैसे किराया देते हैं जो 15 वर्ष पहले निर्धारित किया गया था। इसलिए, जब तक आप दरों में संशोधन नहीं करेंगे तब तक गोदाम मिलना संभव नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप गोदामों के लिए जो किराया देते हैं उसकी दरों में कोई वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ताकि आप उनको स्टाक कर सकें। यदि नहीं तो कम से कम आप खुले कृषि बाजार यार्डों का उपयोग कर सकते हैं और "मेस्टा" को वहां स्टाक कर सकते हैं। वे कहते हैं कि हमें खुले बाजार में "मेस्टा" स्टाक करने की अनुमति नहीं है। अतः, यदि आप केन्द्र से अनुमति प्राप्त कर लें तो हमें खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः, या तो आपको किराया बढ़ाना पड़ेगा या उन्हें इसे खुले यार्ड में स्टाक करने की अनुमति देनी पड़ेगी। आपको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि किसानों की स्थिति अभी भी बहुत खराब है। यदि आपने तुरन्त कोई उपाय नहीं किए तो अगले वर्ष उनके पास रोजी-रोटी के लिए कुछ भी नहीं होगा।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैंने पहले भी बताया है कि इस वर्ष रिकार्ड खरीद की गई है। इस

वर्ष पटसन का उत्पादन भी लगभग 100 लाख गांठें हुआ है। परन्तु इसके साथ ही यह बात भी है कि जब हमने सुरक्षित भंडार बनाना शुरू किया है तो भविष्य में मूल्य को स्थिर रखने में भी सहायता मिलेगी।

गोदामों के बारे में दूसरी समस्या यह है कि पटसन का उत्पादन अनिश्चित होता है। कई बार यह 100 लाख गांठें होता है तो कई बार इससे बहुत कम होता है। अतः प्रत्येक वर्ष की आवश्यकतानुसार हमें गोदाम बनाने पड़ते हैं। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक गोदामों की आवश्यकता का संबंध है हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो पटसन की जितनी मात्रा हम खरीदते हैं उसके लिए पर्याप्त गोदाम उपलब्ध हों।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि यह एक अच्छी बात है कि भारतीय पटसन निगम द्वारा किसानों से अधिक पटसन खरीदने के प्रयास किए जा रहे हैं, मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि उड़ीसा में पटसन उत्पादकों को अपने उत्पाद बहुत ही कम मूल्य पर बेचने पड़े थे। विधान सभा में इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी और राज्य सरकार ने यह बात केन्द्रीय सरकार के नोटिस में भी लाने का प्रयास किया था। परन्तु भारतीय पटसन निगम उड़ीसा के पटसन उत्पादकों से पर्याप्त पटसन खरीदने में समर्थ नहीं था। अतः, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। क्या मन्त्री महोदय भारतीय पटसन निगम का एक पृथक मुख्यालय उड़ीसा में खोलने पर विचार करेंगे ताकि वे सीधे किसानों के पास जा सकें और उन्हें बिचौलियों, जो किसानों का शोषण करते हैं, पर निर्भर न करना पड़े।

श्री खुर्शीद आलम खां : मुख्यालय खोलने की बात नहीं है। वहां क्रय केन्द्र खोलने की बात है। सभी राज्यों में क्रय केन्द्र खोले गए हैं। हम दूरदर्शन, रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम से यह विज्ञापित कर रहे हैं कि लोगों को अपना पटसन बहुत कम दामों पर नहीं बेचना चाहिए क्योंकि उनका पटसन खरीदने के लिए भारतीय पटसन निगम है और वे बाजार में आने वाले पटसन को धीरे-धीरे खरीदना शुरू कर देंगे।

चीनी का आयात

*811. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष सितम्बर, 1986 तक छः लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने के लिए राज्य व्यापार निगम को आदेश दिया है;

(ख) चीनी विदेशी बाजारों से किस मूल्य पर खरीदी जा रही है; और

(ग) आयातित चीनी के मूल्य अधिक होने और देश में उसे कम मूल्य पर बेचने के कारण कुल कितनी हानि होगी ?

वाणिज्य और खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) चीनी के आयात की मात्रा और समय-तालिका चीनी के घरेलू स्टाक, उत्पादन और खपत, वर्तमान कीमत और घरेलू बाजार में इसके संचलन के संभावित रुख तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत पर विचार करने के बाद यह तय की जाती है। चीनी के प्रस्तावित आयातों की वास्तविक मात्रा और समय-तालिका बताना लोकहित में नहीं होगा।

(ख) चीनी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कीमत पर खरीदी जाती है और 1985-86 के दौरान लागत, बीमा और भाड़ा आधार पर इसकी औसत लागत 222 रु० प्रति मे०टन (अनन्तिम) थी।

(ग) चीनी के आयात घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जाते हैं और इन आयातों पर कुल लाभ अथवा हानि का कोई हिसाब नहीं लगाया गया है।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : महोदय, आपने बड़ा ही अनोखा उत्तर दिया है। यह ऐसा उत्तर है जिसमें किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया गया है। अपने प्रश्न के भाग (क) में मैंने पूछा था कि क्या केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष सितम्बर, 1986 तक छः लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने के लिए राज्य व्यापार निगम को आदेश दिया है। इसका उत्तर यह दिया गया है कि चीनी की वास्तविक मात्रा और पस्तावित आयात समय-तालिका बताना लोकहित में नहीं होगा। मेरी समझ में यह नहीं आता कि सरकार इसे गुप्त क्यों रखना चाहती है और तथ्यों के बारे में सदन को जानकारी क्यों नहीं देना चाहती जबकि पूरे विश्व को समाचार पत्रों के जरिए इस बात की जानकारी है कि कितनी चीनी का आयात किया जा रहा है। यह कहा जाता है कि पत्नी द्वारा विश्वासघात की जानकारी पति को सबसे बाद में ही मिलेगी। इसी प्रकार सरकार भी आयात की जाने वाली चीनी की मात्रा की जानकारी सदन को नहीं देना चाहती।

महोदय, अनुमानित मांग 82 लाख टन है और अनुमानित उत्पादन 68 लाख टन है। अतः मांग और उत्पादन में 14 लाख टन का अन्तर है। फरवरी, 1986 के अन्त में इतिशेष 40 लाख टन था। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे पास 26 लाख टन चीनी फालतू है। यदि हां, तो चीनी का आयात करने की क्या जरूरत है? क्या यह जान-बूझकर चीनी का मूल्य कम करने और किसानों की कमर तोड़ने, जो पहले ही बहुत टूट चुकी है, के लिए किया गया है।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, जहां तक पहले भाग का संबंध है मैं स्थिति स्पष्ट करता हूं। यह सच है कि लोकहित में ही हमने चीनी की वास्तविक मात्रा नहीं बताई है परन्तु इस मुद्दे पर मैं स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, जनवरी, 1986 तक चीनी का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 198 डालर प्रति टन था और

जैसे ही सोवियत संघ ने चीनी की एक विशिष्ट मात्रा खरीदने की अपनी इच्छा प्रकट की स्थिति यह हो गई है कि आज यह मूल्य 198 डालर से बढ़कर 252 डालर प्रति टन हो गया है। मुझे केवल यही चिन्ता है कि यदि सरकार ने चीनी की एक विशिष्ट मात्रा खरीदने का आश्वासन दे दिया तो चीनी के मूल्य बढ़ जाएंगे क्योंकि भारत चीन का आयात करने वाले प्रमुख देशों में से एक है। अत: इस आशंका से हमने मात्रा नहीं बताई है कि कहीं मूल्य और न बढ़ जाएं और यह मात्रा जान लेने में कुछ भी नहीं रखा है।

दूसरे भाग में सदस्य ने कुछ आवश्यकता और उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। स्थिति यह होगी कि कुल मांग 85.38 लाख मीट्रिक टन होगी, तथा 1985-86 के दौरान इसकी कुल उपलब्धता 98.34 लाख मीट्रिक टन होने की सम्भावना है। इस प्रकार स्थिति यह होगी कि 1-10-86 को हमारे पास 12.96 लाख मीट्रिक टन का भंडार होगा। वास्तव में मुझे जो नवीनतम रिपोर्ट मिल रही है वह यह है कि 65 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित उत्पादन की बजाए यह 68 लाख मीट्रिक टन होने की सम्भावना है जिससे 1-10-1985 को हमारा भंडार बढ़कर 15 लाख मीट्रिक टन हो जाएगा। यह स्थिति होगी। इसलिए इसके बारे में किसी को भी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : उन्होंने चीनी की लागत 2222 रुपये प्रति टन बताई है। मैं जानना चाहूंगा कि आयातित चीनी के निर्गम मूल्य की स्थिति क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि चीनी का आयात करने से सरकार को लाभ हो रहा है अथवा हानि। निर्गम मूल्य 5 अथवा 6 रुपये प्रति कि०ग्रा० है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर अनेक बार दिया जा चुका है।

श्री पी० शिव शंकर : यह सच है कि मैंने उत्तर में ही यह बता दिया है कि 1985-86 में चीनी की औसत सी० आई० एफ० लागत 2222 रुपये है। परन्तु सीमा शुल्क, पत्तन शुल्क, लगाई गई पूंजी का ब्याज तथा अन्य विविध शुल्कों को जोड़कर यह राशि 4079 रुपये प्रति मीट्रिक टन बैठती है। राज्य व्यापार निगम इसे भारतीय खाद्य निगम को 3900 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर पर उपलब्ध कराता है तथा राज्य सरकारों को 520 रुपये प्रति क्विंटल के निर्गम मूल्य पर देता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 4.80 प्रति कि० ग्रा० की दर पर उपलब्ध कराया जाता है। अब स्थिति यह है कि यह तब सम्भव है कि लाभ अथवा हानि आदि के आंकड़े तैयार नहीं किए जाते, क्योंकि जितना भी आयात किया जा रहा है वह देश में घरेलू मांग के अनुसार किया जा रहा है। मैं स्वयं इसे देख रहा हूं। यह सम्भव है कि थोड़े से अधिक धन से इसे इस मूल्य पर प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु मुद्दा यह है कि यदि हम इसे कम मूल्य पर बेचते हैं तो स्वदेश में निर्मित चीनी का मूल्य भी कम हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप अन्ततः इसका प्रभाव उत्पादकों पर पड़ेगा और यदि उत्पादक प्रभावित होगा तो अगले वर्ष कम भूमि पर इसकी खेती की जाएगी और इसलिए मूल्य की स्थिरता बनाए रखने रखने के प्रयोजन से ये मूल्य निर्धारित किए गए हैं और इन मूल्यों पर चीनी सप्लाई की गई है।

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते ही हैं कि देश में चीनी का उत्पादन बहुत अनिश्चित रहा है। जब गन्ने का अधिक उत्पादन होता है तो किसान को अपने उत्पाद का पर्याप्त मूल्य प्राप्त नहीं होता और इसीलिए अगले वर्ष उत्पादन कम हो जाता है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सुरक्षित भंडार बनाना सम्भव नहीं है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को अपने उत्पाद का पर्याप्त लाभकारी मूल्य प्राप्त हो जाए और देश में चीनी का पर्याप्त भंडार भी रहे जिससे हमें इसका आयात न करना पड़े।

श्री पी० शिव शंकर : वास्तव में माननीय सदस्य ने जिन दो बातों पर बल दिया है, सरकार उनका पालन कर रही है। इसीलिए मैंने यह आंकड़े दिए हैं कि आरम्भिक भंडार कितना है और 1-10-1986 को इसके कितना होने की सम्भावना है। हमने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि लगभग 98 लाख मीट्रिक टन का भंडार है, 1-10-1985 को उपलब्ध आरम्भिक भंडार को ध्यान में रखा है।

श्री दिनेश सिंह : परन्तु क्या इसकी स्थायी कमी रहेगी ?···

श्री पी० शिव शंकर : इस स्थायी कमी के संबंध में इसे भंडार के अनुसार संतुलित किया जाना चाहिए उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री आनन्द गजपति राजू : महोदय, मूलत: भारत गत चार अथवा पांच वर्षों से चीनी का निर्यातक रहा है और चीनी उद्योग को मारा जा रहा है क्योंकि चीनी की कीमतें कम हो रही हैं और इसलिए बिना किसी आधार के अनेक समयों पर चीनी का तदर्थ आयात किया गया है। किसानों पर प्रभाव पड़ रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्र शहरों में खाद्य उत्पाद, चीनी और अन्य उत्पादों को सस्ती दरों पर बेचकर शहरी क्षेत्र को आर्थिक सहायता पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र को विकास कार्यों के लिए दिया जाने वाला धन नहीं मिलता और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र को आर्थिक सहायता पहुंचा रहा है। क्या मन्त्री महोदय वस्तुओं के आयात करने की इस अविवेकी स्थिति को जिसका ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा, सही करेंगे ?

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, वास्तव में स्थिति यह है कि केवल चार वर्ष पहले ही गन्ने का भारी उत्पादन हुआ था। बाद में स्थिति यह रही कि 1983 और 1984 के दौरान कोई आयात नहीं किया गया। परन्तु बाद में, गन्ने का भारी उत्पादन होने के कारण कीमतों में कमी हो गई। क्योंकि कीमतें कम हो गईं इसलिए उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो सका और चूंकि उन्हें लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हुआ इसलिए उन्होंने आगे गन्ने की खेती नहीं की। इससे समस्या पैदा हो गई और इसीलिए किसानों को अधिक भूमि पर गन्ने की खेती करने के लिए प्रेरित किया गया और अभी भी किया जा रहा है। मुद्दा यह है कि यह अविवेकपूर्ण आयात का मामला नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि यह केवल घरेलू मांग और पूर्ति पर आधारित है और जैसा कि एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, समय पर काम आने के लिए थोड़ा सुरक्षित स्टाक रखने हेतु शेष मांग को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है।

कुमारी ममता बनर्जी : इस बारे में कुछ प्रचार हो रहा है। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि आयातित चीनी मीठी नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्वयं यह प्रश्न ही बहुत मीठा है।

श्री पी० शिव शंकर : माननीय सदस्य ने प्रचार का उल्लेख किया है। वास्तव में इसमें कोई सच्चाई नहीं है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कहते हैं कि यह प्रचार है।

[हिन्दी]

डा० प्रभात कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, गन्ने और शुगर की बहुत बात यहां पर हुई हुई लेकिन मिठास अभी तक नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : कुछ बोरियां भिजवा दो।

डा० प्रभात कुमार मिश्र : इस संदर्भ में यह भी बात दें कि शुगर के कितने मरीज इस देश में हैं।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 812.

विदर्भ में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में वित्तीय संकट

*812. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विदर्भ में राष्ट्रीय कपड़ा निगम (महाराष्ट्र उत्तर) द्वारा संचालित पांच कपड़ा मिलों की धनराशि दूसरे कार्य में लगाने के संदर्भ में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबन्ध व्यवस्थापकों के निर्णय के कारण इन मिलों को गम्भीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) इस संबंध में सरकार का क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी नहीं। यह कहना सच नहीं है कि विदर्भ में राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा चलाई जा

रही पांच वस्त्र मिलें धनराशि दूसरे कार्य में लगाए जाने की वजह से गम्भीर वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं।

(ख) तथापि, ये मिलें मंदी को बाजार स्थितियों की वजह से वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नोक्त कदम उठाये जा रहे हैं :—

(i) स्टाक समाप्त करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं;

(ii) बैंकों से वित्तीय सीमाएं बढ़ाने का अनुरोध किया गया है;

(iii) अनुषंगी निगम को ऋण आधार पर पहले ही रुई उपलब्ध कराई गई है; तथा

(iv) बकाया देय राशियों की वसूलियां की जा रही हैं जिससे कि एकक अपनी नकदी की समस्याओं को दूर कर सकें।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने पांचों टैक्सटाइल मिलों को कितना रुपया दिया है और जितना दिया गया था, उसमें से क्या आपने ट्रान्सफर नहीं किया। इसका जरा जवाब दीजिए।

श्री खुर्शीद आलम खां : मान्यवर, रुपया ट्रांसफर करने की बात ही नहीं है लेकिन यह जरूर है कि इनकी जो क्रेडिट की लिमिट थी, वह कम थी। उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी बढ़ाई भी है लेकिन अभी इतनी नहीं है जितनी की जरूरत है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : उधार मे जो आप रुई और दूसरा माल खरीद रहे हैं, उसमें निश्चय ही आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है और उसमें घाटा होता है। क्या आप यह महसूस करते हैं कि क्रेडिट में न लेने की बजाए कैश में माल खरीदें, जिससे मिलों की हालत भी ठीक रहे और आपको भी ज्यादा पैसा न देना पड़े।

श्री खुर्शीद आलम खां : मेरा विचार आपसे बिल्कुल मिलता है। हमारे पास ज्यादा क्रेडिट हो, तो हम खुद खरीदें।

अध्यक्ष महोदय : दोनों की बड़ी मिली-भगत है।

[अनुवाद]

ब्याज की ऊंची दर लेने वाली गैर-सरकारी पूंजी निवेश कम्पनियों पर नियन्त्रण

*813. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में अनेक गैर-सरकारी पूंजी निवेश कम्पनियां, जो "ब्लेड कम्पनियों" के नाम से जानी जाती हैं, स्थापित हो रही हैं, जो जमाकर्ताओं को ब्याज की ऊंची प्रतिशतता वाली दर देती हैं तथा ऋण लेने वाले व्यक्तियों से अधिक ऊंची दर पर ब्याज वसूल करती हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन कम्पनियों पर नियंत्रण रखने के लिए कोई कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि केरल के कुछ भागों में "ब्लेड कम्पनियों" के नाम से कुछ अनिगमित कम्पनियों के कार्यकरण के बारे में अखबारों में खबरें छपी हैं। आरोप लगाए गए हैं कि ये कम्पनियां जनता से ब्याज की बहुत ऊंची दरों पर जमाराशियां स्वीकार कर रही हैं और ऊंची ब्याज दरों पर ऋण दे रही हैं।

"ब्लेड कम्पनियां" अनिगमित कम्पनियां हैं। जहां तक अनिगमित कम्पनियों का सम्बन्ध है, उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अध्याय III (ग) में निर्धारित संख्या से अधिक जमाकर्ताओं से जमा राशियां स्वीकार करने की मनाही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में कानून के उपबन्धों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रवर्तन तंत्र का निर्माण करने के लिए कहा है। बताया गया है कि केरल सरकार ने अपने अधिकारियों को इन अधिनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है।

जहां तक इन "ब्लेड कम्पनियों" की साहूकारी विषयक गतिविधियों का संबंध है, यह मामला राज्य सरकारों के लिए आरक्षित विषय से संबंधित है। केरल सरकार ने "केरल साहूकार अधिनियम, 1958" अधिनियमित किया है जिसके द्वारा इन निकायों की साहूकारी विषयक गतिविधियों का विनियमन किया जाता है।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : केरल में 'मटका' की तरह "ब्लेड कम्पनीज" के नाम से अनेक गैर-सरकारी निवेश कम्पनियां बन रही हैं। ये कम्पनियां काफी ऊंची दरों पर ब्याज देती हैं और अनेक मामलों में यह दर 35 प्रतिशत तक है। और जो ब्याज वह लेती है वह और भी अधिक है। बड़ी संख्या में धनराशि एकत्र करने के बाद उनमें से अधिकतर लुप्त हो जाती हैं और उनका पता लगाना असम्भव है। क्या सरकार इन कम्पनियों को रोकने अथवा इन बैंकों में जनता द्वारा जमा कराये गए धन का बीमा करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी ?

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड का देना बैंक के साथ प्रस्तावित विलय

*804. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड का विलय देना बैंक के साथ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह विलय कब किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

शहतूत के बागानों वाली भूमि

*806. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शहतूत के बागान कितनी भूमि पर हैं;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहतूत के बागानों के क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो शहतूत के बागानों के लिए कितने हेक्टेयर क्षेत्र भूमि का प्रयोग किया जाएगा; और

(घ) क्या शहतूत के पेड़ उगाने के लिए किसानों को कोई प्रोत्साहन दिया जाएगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) छठी योजना के अन्त में शहतूत की खेती के अन्तर्गत लगभग 2,14,838 हैक्टेयर भूमि थी। सातवीं योजना के दौरान विकसित किए जाने वाले अतिरिक्त क्षेत्र का लक्ष्य अस्थाई तौर पर 64,200 हैक्टेयर निर्धारित किया गया है।

(घ) किसानों को नए क्षेत्रों में शहतूत की कलमों की निःशुल्क सप्लाई तथा उचित कीमतों पर बेहतर रोग मुक्त रेशम कीट बीजों की सप्लाई के रूप में सहायता देकर शहतूत उगाने को प्रोत्सा-

हन देना जारी रखा जाएगा । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किसानों को तकनीकी मार्ग-दर्शन तथा प्रशिक्षण देना जारी रहेगा ।

प्लास्टिक एककों का बन्द होना

*809. श्री जयप्रकाश अग्रवाल
श्री आर० एस० माने } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट (आय-व्यय) में सीमा-शुल्क तथा उत्पाद- शुल्क में वृद्धि किए जाने के कारण पूरे देश के प्लास्टिक एककों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी सरकार को है;

(ख) क्या शुल्क में वृद्धि के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में ऐसे एकक बन्द होने की स्थिति में आ गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन एककों की सहायता करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (ग) सरकार को, सीमा-शुल्क और उत्पादन शुल्कों के संबंध में 1986 के बजट प्रस्तावों के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं के बारे में विभिन्न प्लास्टिक निर्माता संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । तथापि, यह कहना ठीक नहीं होगा कि सीमा-शल्क और उत्पादन शुल्कों में वृद्धि के कारण बहुत सारे एकक बन्द होने वाले हैं । वास्तव में कतिपय मदों के सम्बन्ध में शुल्क कम कर दिए गए हैं । कम घनत्व वाले पोलिएथिलीन और उच्च घनत्व वाले पोलिए-थिलीन के बारे में उत्पादन शुल्क को क्रमश: 31.5% और 36.75% के पूर्ववर्ती स्तरों से कम करके 30% कर दिया गया है । कतिपय इंजीनियरिंग प्लास्टिकों के सम्बन्ध में सीमाशुल्कों को भी कम कर दिया गया है ।

2. वर्ष 1986 के बजट से पहले, लघु उद्योग को दी जाने वाली छूट पूर्ववर्ती उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 15-क की उप-मद (1) के तहत आने वाली प्लास्टिक की कच्ची सामग्रियों के बारे में ही उपलब्ध थी । वर्ष 1986 के बजट में, कुछ अपवादों को छोड़ कर, प्लास्टिक की सभी मदों को लघु उद्योग को दी जाने वाली छूटों की सामान्य योजना के अन्तर्गत दिया गया है और उन्हें निविष्ट शुल्क राहत का लाभ उठाने में प्रयोजनार्थ मॉडवेट योजना के अन्तर्गत भी ला दिया गया है ।

3. कतिपय मामलों में, जिनमें अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, सरकार ने प्लास्टिक एककों की मद 3 के लिए आवश्यक उपाय किए हैं । वर्ष 1986 के बजट में घोषित सामान्य लघु उद्योग छूट योजना को और उदार बना दिया गया है । पिछले वित्तीय वर्ष में जिन लघु एककों का कुल व्यापार 1.5 करोड़ रुपये से अनधिक था वे किसी एकल टैरिफ शीर्ष के अन्तर्गत आने वाली मदों के सम्बन्ध में 15 लाख रुपये की निकासी-सीमा तक उत्पादन शुल्क से पूर्ण छूट प्राप्त करने के पात्र हैं । एक टैरिफ शीर्ष के

अन्तर्गत आने वाली एक से अधिक मदों का उत्पादन करने वाले लघु एककों के मामलों में, उत्पादन शुल्क से पूरी छूट की सीमा को बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है लेकिन शर्त यह है कि एकल टैरिफ शीर्ष के बारे में उत्पादन शुल्क से पूरी छूट की सीमा 15 लाख से अधिक नहीं होगी। एच०डी० पी०ई० बुनी हुई बोरियां, प्लास्टिक केन जैसी वस्तुओं तथा शुल्क प्रदत्त प्लास्टिक की वस्तुओं के अपशिष्ट और स्क्रैप को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से पूर्णतः छूट दे दी गई है।

चावल का निर्यात

*314. श्री मोहन भाई पटेल
श्री चिन्ता मणि जेना } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किस्मों के चावल का निर्यात किया जा रहा है और प्रत्येक किस्म के चावल का निर्यात मूल्य क्या है;

(ख) चावल का निर्यात किस अभिकरण के माध्यम से किया जा रहा है और वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान ऐसी प्रत्येक किस्म के कितने-कितने चावल का निर्यात किया गया तथा उन देशों के नाम क्या है जिनको चावल का निर्यात किया गया;

(ग) क्या कुछ देशों को एक विशेष आई० आर०8 किस्म के चावल का निर्यात उसके निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर किया गया; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसके लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस सौदे में कितना घाटा हुआ है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी०शिव शंकर) : (क) बासमती चावल के निर्यात की अनुमति 7500/— रु० प्रति मे०टन एफ०ओ बी० की न्यूनतम निर्यात कीमत की शर्त पर दी जाती है। 18.2.1986 से गैर-बासमती चावल के निर्धारित सीमा में निर्यात की अनुमति 4000/— रुपये प्रति मे०टन एफ०ओ०बी० की न्यूनतम निर्यात कीमत की शर्त पर दी गई है।

(ख) सभी श्रेणियों के निर्यातकों को निर्यात करने की अनुमति है। 1984-85 तथा अप्रैल दिसम्बर, 1985 के दौरान बासमती चावल का निर्यात क्रमशः 2.42 लाख मे० टन तथा 1.84 लाख मे० टन आंका गया है। अधिकांश निर्यात सोवियत संघ, मध्य-पूर्व तथा ब्रिटेन को किए गए। गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति 1984-85 में तथा 17 फरवरी, 1986 तक नहीं दी गई। 18.2.1986 से 31.3.1986 तक की अवधि के लिए निर्यात आंकड़े अभी संकलित किए जाने हैं।

(ग) 1984-85 के दौरान तथा 17.2.86 तक गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति

नहीं दी गई। सरकार को न्यूनतम निर्यात कीमत से कम कीमत पर किसी भी गैर-बासमती चावल के निर्यात की जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

तमिलनाडु में विकास खंड, जहां बैंक की शाखा नहीं

*815. श्री एन०डेनिस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु में कितने विकास खंड ऐसे हैं जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों की कोई शाखा नहीं है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तमिलनाडु के प्रत्येक विकास खंड में बैंक कार्यालय है। ऐसे खण्डों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी जहां सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की एक भी शाखा नहीं है।

काली नदी पन-बिजली परियोजना (कर्नाटक) के लिए कुवैत से ऋण

*816. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कर्नाटक में काली नदी पन-बिजली परियोजना के चरण—II को पूरा करने के लिए कुवैत ऋण, अर्थात कुवैत फंड फार अरब इकनामिक डेवलपमेंट" से प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया है।

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु "कुवैत फण्ड फार अरब इकनामिक डेवलपमेंट" के साथ कोई करार किया गया है;

(ग) "कुवैत फण्ड फार अरब इकनामिक डेवलपमेंट" द्वारा कितनी राशि का ऋण दिया जाएगा; और

(घ) उसकी अदायगी की शर्तें क्या होंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारत सरकार और अरब आर्थिक विकास की कुवैत निधि के बीच हुए एक समझौते के अन्तर्गत, जिस पर 12 फरवरी, 1986 को हस्ताक्षर किए गए थे, कुवैत निधि ने काली नदी पन-बिजली परियोजना के दूसरे चरण के आंशिक वित्तपोषण हेतु 70 लाख कुवैती दीनार (29.5 करोड़ रुपये) का ऋण दिया है। इस ऋण की वापसी अदायगी 15 फरवरी, 1992 से आरम्भ करके अर्द्धवार्षिक किस्तों में 15 वर्षों में की जानी है और इस पर 4½ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज तथा समय-समय पर निकाली गई तथा शेष बकाया धनराशि पर ½ प्रतिशत वार्षिक की दरसे सेवा प्रभार लगेगा जिसकी अदायगी हर छः महीने के पश्चात की जाती है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम का प्रबन्धकीय संवर्ग

*817. श्री जी० एस० बसवराजु : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सहायक कम्पनियां सिद्धहस्त प्रबन्धकीय संवर्ग की कमी होने के कारण गम्भीर संकट का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसके सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के सहायक निगमों ने उच्च स्तरीय प्रबन्ध में अध्यक्ष सहप्रबन्ध निदेशक तथा कार्य निदेशक होते हैं। इस समय, राष्ट्रीय वस्त्र निगम के तीन सहायक निगम अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेश के बिना कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इन सहायक निगमों में वित्त, कार्मिक तथा तकनीकी के क्षेत्रों में कार्य निदेशकों के आठ पद खाली हैं। खाली पदों को भरने के लिए उपयुक्त प्रत्याशियों का चुनाव करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

उद्योग की समस्यायें

*818. श्री कृष्ण सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इस वर्ष मार्च में नई दिल्ली में हुए भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल महासंघ के वार्षिक अधिवेशन में पूंजी निवेश की कमी सहित उद्योग की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने का आश्वासन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी नहीं। यद्यपि औद्योगिक निवेश और विकास की लगातार जांच की जाती रहती है तथापि इस प्रकार का अध्ययन शुरू करने के लिए कोई वचनबद्धता नहीं है।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों को खाद्यान्न जारी किया जाना

*819. श्री राजकुमार राय : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर और दिसम्बर, 1985 के दौरान दिल्ली में उचित दर की दुकानों को दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम के माध्यम से कई करोड़ रुपये के मूल्य के खाद्यान्न, खाद्यान्नों की

कीमत वसूल किए बिना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग के सक्षम प्राधिकार के बिना जारी किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा किए जाने के क्या कारण थे ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) नवम्बर, 1985 के मध्य में, भारतीय खाद्य निगम के दिल्ली क्षेत्र के कर्मचारियों ने साप्ताहिक छुट्टी तथा समयोपरि भत्ते के मामले पर "नियम के अनुसार काम करने" तथा "धीरे काम करो" की युक्ति अपनाई। यह आशंका हुई थी कि कर्मचारियों के इस आंदोलनात्मक रवैये से संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की आपूर्ति के सामान्य कार्यक्रम में बाधा पड़ सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की आपूर्ति में कोई व्यवधान न पड़े, भारतीय खाद्य निगम ने दिल्ली में विभिन्न उचित दर की दुकानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पड़ौसी राज्यों से खाद्यान्नों की आपूर्ति करने की व्यवस्था की। भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस प्रकार स्टाक की जो व्यवस्था की गई उसे उन्होंने तदर्थ आधार पर दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम को सौंप दिया। खाद्यान्न दिल्ली राज्य नागरिक, पूर्ति निगम, जो सरकारी उपक्रम है, को सौंप दिये गये थे, क्योंकि उस समय चल रही स्थिति में, उचित दर की दुकानों से ड्राफ्ट जमा करवाने की सामान्य प्रक्रिया तथा दिल्ली प्रशासन के खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग से प्राधिकार लेने की औपचारिकता का पालन करना संभव नहीं था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम को तदर्थ आधार पर सप्लाई किए गए खाद्यान्नों का कुल मूल्य 87.28 लाख रुपये था, जो भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम से पूरा वसूल कर लिया गया है। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इस अवधि के दौरान, उचित दर की दुकान के मालिकों को गेहूं तथा चावल की कुछ अधिक मात्रा भी दे दी गई थी : तथापि, उसके लिए भी दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम को रकम का भुगतान कर दिया गया है। अतः यह कहना सही नहीं है कि नवम्बर तथा दिसम्बर, 1985 के दौरान दिल्ली में उचित दर की दुकानों को दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम के माध्यम से कई करोड़ रुपये के मूल्य के खाद्यान्न, खाद्यान्नों की कीमत वसूल किए बिना तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग से सक्षम प्राधिकार के बिना दिए गये थे।

सामान्य बीमा निगम के पास लंबित पड़े बीमा संबंधी दावे

*820. श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा निगम के पास लंबित पड़े बीमा संबंधी दावों की संख्या वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है, जो एक से तीन वर्ष, तीन से पांच वर्ष और पांच से दस वर्ष की अवधि से लंबित पड़े हैं;

(ग) ऐसे मामले जमा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) 31 दिसम्बर, 1984 को लंबित पड़े दावों की संख्या का अवधि-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

अवधि	लंबित दावों की संख्या
1 से 3 वर्ष तक	1,09,629
3 से 5 वर्ष तक	26,382
5 वर्ष से अधिक	15,185

(ग) दावे आमतौर पर इन कारणों से जमा होते हैं, पुलिस जांच की अंतिम रिपोर्टों का प्राप्त न होना, बीमित व्यक्तियों द्वारा सर्वेक्षकों को अपने दावों के सत्यापन संबंधी अपेक्षित सूचना/कागजात प्रस्तुत न किया जाना, हानि के कारणों अथवा उसकी राशि के संबंध में दावों पर विवाद उत्पन्न होना, अदालतों अथवा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों आदि में मामलों के विचाराधीन पड़े रहना।

(घ) भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा उपरोक्त के संबंध में किये गये उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) व्यक्तिगत बीमा दावों के निपटान संबंधी फार्मों एवं प्रक्रियाओं को आसान बनाना।

(2) क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यकारी दलों का गठन करना जो दावों को तेजी से निपटाने में सहायता देने के लिए नियमित रूप से मंडलीय कार्यालयों का दौरा करते हैं।

(3) अन्य पक्षों से संबंधित दावों पर अदालतों से बाहर समझौता करवाने का प्रयास करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष कक्षों की स्थापना करना।

(4) सभी श्रेणियों के दावों का निपटान करने के मामले में वित्तीय प्राधिकार के क्षेत्र को बढ़ाना।

(5) लोक अदालतों के मंच के माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के पास अनिर्णीत पड़े दावों का निपटान करना।

(6) सभी प्रधान कार्यालयों, कंपनियों के क्षेत्रीय, मंडलीय और शाखा कार्यालयों में तथा

बंबई और नई दिल्ली स्थित साधारण बीमा निगम के कार्यालयों में शिकायत कक्षों की स्थापना करना।

(7) सर्वेक्षकों की नियुक्ति करने, सर्वेक्षण रिपोर्टों और दावों के निपटान संबंधी अन्य प्रक्रियाओं को प्रस्तुत करने के संबंध में समय, सीमा निर्धारित करना।

राज्य व्यापार निगम द्वारा थोक में औषधी का आयात और निर्यात

*821. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 नवम्बर, 1985 के "फाइनेंशनल एक्सप्रेस" में "एस० टी० सी० स्कीम फॉर बल्क ड्रग्स सप्लाई" (रा० व्या० नि० की थोक में औषधि सम्भरण योजना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान थोक में आयात की गई औषधियों का ब्यौरा क्या है, और उन औषधियों के नाम तथा उनके निर्यातक देशों के नाम क्या है और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है; और

(ग) थोक में औषध का निपटान किस प्रकार किया गया और उन देशों के नाम क्या हैं, जिन्हें इनका निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) योजना अक्तूबर 1985 में आरम्भ हुई तथा इस योजना के अन्तर्गत अब तक कोई आयात अथवा निर्यात नहीं किए गए हैं।

धान की आर्द्रता

*822. **श्री चरनजीत सिंह वालिया** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान की आर्द्रता संबंधी वर्तमान विशिष्टि 18 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो क्या अक्टूबर में काटी जाने वाली धान की फसल में लगभग 20 प्रतिशत आर्द्रता होती है;

(ग) क्या सरकार का मौसम के प्रारम्भ में काटी जाने वाली धान की फसल में आर्द्रता की प्रतिशतता बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो किसानों का शोषण रोकने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) धान का शुष्कीकरण किए बिना तत्काल कटाई के बाद किसानों द्वारा पेश किए गए धान के ऐसे ढेरों में 18 प्रतिशत से भी अधिक नमी पायी गई है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) समाचार पत्रों और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन जैसे अन्य प्रचार संसाधनों में प्रचार के जरिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे उपयुक्त ढंग से शुष्कीकरण करने के बाद ही धान के स्टाक को लाएं ताकि वह विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो।

परिसम्पत्तियों का स्वैच्छिक प्रकटन

*823. श्री एन० वेंकट रत्नम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छिपाई हुई परिसम्पत्तियां घोषित करने हेतु सरकार की पेशकश के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों ने वर्ष 1985-86 के दौरान अपनी छिपाई हुई परिसम्पत्तियां घोषित की हैं;

(ख) उन्हें अतिरिक्त रियायतें क्या दी गई हैं; और

(ग) स्वैच्छिक रूप से छिपाई हुई परिसम्पत्तियों के प्रकटन के द्वारा सरकार को कितनी राशि कर के रूप में प्राप्त होनी है और वास्तव में कितनी कर राशि वसूल की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यह दर्शाने के लिए सरकार कोई आंकड़े नहीं रख रही है कि सरकार की पेशकश के उत्तर में वर्ष 1985-86 के दौरान कितने व्यक्तियों ने अपनी गुप्त सम्पत्तियों को प्रकट किया है तथा कितने लोगों को रियायतें दी गई हैं ।

(ग) छिपाई गई परिसम्पत्तियों के स्वेच्छया प्रकटन से प्राप्य करों की राशि और वस्तुतः वसूली गई राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता तथापि, वर्ष 1985-86 में धनकर की वसूलियों में 110 00 करोड़ रुपए के संशोधित बजट अनुमानों के मुकाबले 146.75 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है ।

बम्बई में बैंक डकैतियां

*824 श्री शरद दिघे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई में हाल ही में एक के शीघ्र बाद एक, इस प्रकार पड़ी चार बैंक डकैतियां तथा डकैतों द्वारा बैंक के स्ट्रांग रूम (सुरक्षित कक्ष) को तोड़ कर उसमें घुस जाने के कारणों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने हाल में हुई बम्बई में हुई बैंक डकैती की चार घटनाओं की जांच की थी। ये वारदातें पंजाब एण्ड सिंध बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा बैंक आफ महाराष्ट्र की शाखाओं में क्रमश: दिनांक 13 फरवरी, 1986; 24 फरवरी, 1986; 4 मार्च, 1986 तथा 20 मार्च, 1986 को हुई थीं। आवश्यक शिकायतें पुलिस प्राधिकारियों के पास दर्ज करा दी गई हैं और पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है।

(ग) बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था की पहले जांच की गई थी और बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मार्गनिर्देश मौजूद हैं। सरकार ने बैंकों की सुरक्षा के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया था, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ अचानक निरीक्षण करने, नकद राशि कम करने, टाइम-लॉक लगाने, शाखाओं में प्रवेश द्वार और निर्गम-द्वार पर नियंत्रण रखने आदि सुझाव दिए थे। दल की रिपोर्ट राज्य सरकारों और बैंकों को भेज दी गई है। बैंक इन सिफारिशों पर विभिन्न चरणबद्ध चरणों में अमल कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इस काम की निगरानी कर रहा है। इसके अलावा, बैंकों को शाखा की अवस्थिति, शाखा द्वारा किया जाने वाला नकदी लेन-देन, क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति आदि जैसे विभिन्न तथ्यों के आधार पर उनमें अंतर्ग्रस्त जोखिम के अनुसार वर्गीकृत करने और पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है।

पीतल के बर्तनों के निर्माण और उनके निर्यात में कमी

*825. श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीतल के बर्तनों के निर्माण और निर्यात में काफी कमी हुई है और रोजगार के अवसर भी कम हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पीतल के बर्तनों के निर्माण और उनका निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या प्रशिक्षण कार्यक्रम, आदानों की सप्लाई, बेहतर विपणन व्यवस्था के माध्यम से

शिल्पकारों की आय में वृद्धि के बारे में सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई बल दिया गया है; और

(घ) निर्यात तथा डिजाइन संवर्धन के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) चूंकि हस्तशिल्प एक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र है, इसलिए पीतल के कलात्मक बर्तनों के उद्योग में उत्पादन एवं रोजगार के पक्के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान धातु की कलात्मक वस्तुओं के निर्यात के मूल्य का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	करोड़ रु० (अनन्तिम)
1983-84	67.23
1984-85	83.11
1984-85 (अप्रैल-नव०)	53.56
1985-86 (अप्रैल-नव०)	57.35

उपर्युक्त आंकड़ों से देश से पीतल के बर्तनों के निर्यात में किसी गिरावट का पता नहीं चलता।

मुरादाबाद के धातु के कलात्मक बर्तनों के निर्यात और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(1) धातु के कलात्मक बर्तनों की क्वालिटी और फिनिश में सुधार लाने के लिए धातु/हस्तशिल्प सेवा केन्द्रों की स्थापना करना;

(2) धातु के कलात्मक बर्तनों के उत्पादन के लिए व्यापक प्रशिक्षण;

(3) डिपो खोलकर शिल्पकारों को कच्चे माल की सप्लाई;

(4) आस्ट्रेलिया तथा सऊदी अरब को दो बिक्री-सह-अध्ययन-दल भेजने के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(5) धातु के कलात्मक वस्तुओं के उत्पादन के लिए दक्षिण कोरिया द्वारा अपनायी गयी प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने के लिए वहां एक दल भेजने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां।

(घ) निर्यात तथा डिजाइनों के संवर्धन के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) हस्तशिल्प के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई है;

(2) धातु के कलात्मक बर्तनों के आधार पर एफ० ओ० बी० मूल्य के 10% की दर से नकद मुआवजा सहायता की अनुमति दी गयी है।

(3) धातु के कलात्मक बर्तनों के निर्यात के आधार पर शुल्क वापसी की दर 15.80 रु० से बढ़ाकर 19.50 रु० प्रति कि०ग्रा० कर दी गयी है।

(4) पीतल के कलात्मक बर्तनों के डिजाइन में सुधार लाने के लिए विदेशी डिजाइनर भी बुलाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

दालों की खरीद के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम के विनिर्देश

7676. **श्री कल्याण सिंह सोलंकी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दालों को स्वीकार करके उसे सेना खरीद संगठन को आगे सप्लाई करने के संबंध में भारतीय खाद्य निगम के विनिर्देश सेना सप्लाई कोर के विनिर्देशों की अपेक्षा अधिक सख्त हैं;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने पार्टियों से सीधे अथवा एन०सी०सी०एफ० के द्वारा दालों के विनिर्दिष्ट किस्म से घटिया किस्म की दालें स्वीकार की थी, और उन्हें सेना खरीद संगठन को सप्लाई किया था, जिसने इन दाल भंडारों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था और अन्ततः उन्हें नीलामी द्वारा बेचा गया जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये की हानि हुई; और

(ग) यदि हां, तो (एक) सेना द्वारा घटिया किस्म के कारण दालों की कितनी मात्रा को अस्वीकार किया गया था और अन्ततः उसकी नीलामी करनी पड़ी थी (दो) निगम को इस सौदे में कितना घाटा हुआ था (तीन) उन अधिकारियों, जिन्होंने घटिया दाल के भंडारों को स्वीकार किया था और/अथवा जिन्होने दाल में उचित रसायन मिलाए बिना भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खराब होने दिया, के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई/करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) दली हुई दालों के संबंध में भारतीय खाद्य निगम की विनिर्दिष्टियां सेना सप्लाई कोर की विनिर्दिष्टियों से अधिक सख्त हैं। तथापि, सेना क्रय संगठन को सप्लाई के लिए साबुत और दली हुई दालों की खरीद सेना सप्लाई कोर की विनिर्दिष्टियों के आधार पर खुले टेंडर जांच पड़ताल के

माध्यम से की जाती है।

(ख) 1983-84 और 1984-85 के दौरान एन० सी० सी० एफ० द्वारा खरीदे गए स्टाक में से सेना क्रय संगठन द्वारा 1984-85 में केवल बहुत ही मामूली स्टाक को अस्वीकार किया गया था।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने 519.356 मीटरी टन की मात्रा, जिसे पहले तो स्वीकार कर लिया गया था परन्तु बाद में पुन: सैम्पल लेने पर अस्वीकार कर दिया गया था, की नीलामी की थी। 8.19 लाख रुपये की हानि होने का अनन्तिम रूप से अनुमान लगाया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जो इस मामले की जांच कर रहा है, के निष्कर्ष प्राप्त होने पर अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

टी० जी० एल० इन्टरनेशनल लिमिटेड द्वारा वनस्पति उत्पादन एककों पर नियंत्रण

7677. श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टी०जी०एल० इन्टरनेशनल लिमिटेड और उसकी कम्पनियों के समूह एक बड़ी वनस्पति उत्पादन एकक पर नियंत्रण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ग) क्या उक्त कम्पनी ने वनस्पति की समुचित गुणवत्ता बनाये रखे बिना अपनी लाइसेंस शुदा क्षमता से बढ़कर वनस्पति के उत्पादन में वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) इस कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) टी० जी०एल० इन्टरनेशनल लिमिटेड के नियंत्रण में 15000 मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता का एक लघु वनस्पति एकक है।

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में कपड़ा मिलें

7678. **श्री सी० सम्बु :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक बड़ी कपड़ा मिल स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश में, विशेषकर प्रकाशम जिले में, इस समय कुल कितनी कताई मिलें हैं; और

(घ) प्रकाशम जिले में कितनी नई कताई मिलों के लिए आशय पत्र जारी किए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में प्रकाशम जिले में नई सूती कताई मिल स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति के लिए कोई आवेदन पत्र सरकार के पास लम्बित नहीं है ।

(ग) 31 मार्च, 1986 को विद्यमान स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में 51 कताई मिलें थीं, जिसमें से दो कताई मिलें प्रकाशम जिले में स्थित थीं।

(घ) विगत हाल में प्रकाशम जिले में नई कताई मिलें स्थापित करने के लिए कोई आशय पत्र जारी नहीं किये गये हैं।

वनस्पति उद्योग को खाद्य तेल की सप्लाई में कटौती

7679. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनस्पति उद्योग को खाद्य तेल की सप्लाई में कटौती कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने खाद्य तेल की मांग पूरी करने हेतु वनस्पति एककों को स्वदेशी खाद्य तेल की सप्लाई बढ़ाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) और (ख) चालू तेल वर्ष के दौरान वनस्पति उद्योग को आयातित खाद्य तेलों के आवंटन में इस बात को ध्यान में रखते हुए कमी की गई है कि आयात में कमी की जा सके और देश में तिलहनों/खाद्य तेलों के अधिक उत्पादन को और अधिक प्रोत्साहन मिल सके।

(ग) सरकार ने वनस्पति उद्योग की खाद्य तेलों की मांग को पूरा करने के लिए 10% देशी विलायक निष्कर्षित और 30% एक्सपेलर सरसों/रेपसीड तेल का समावेश करने की अनुमति दी है। बिनौले और चावल की भूसी के तेल के इस्तेमाल पर उत्पादन शुल्क में रियायत देने की व्यवस्था भी की गई है, ताकि इनके अधिक उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहन मिले।

वाणिज्य बैंक द्वारा विकलांगों को सहायता

7680. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वाणिज्य बैंकों ने कितने अन्धे तथा अन्य विकलांग व्यक्तियों को सहायता दी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान सूचना पद्धति के अन्तर्गत बैंकों से अन्धों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को दी गई वित्तीय सहायता से संबंधित आंकड़े प्राप्त नहीं किए जाते।

[हिन्दी]

पटसन मिलों की क्षमता और उत्पादन

7681. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 69 पटसन मिलों की उत्पादन क्षमता 15.8 लाख टन है जबकि कुछ कारणों से इसका उत्पादन कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में रुकावट संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) उपलब्ध क्षमता और चालू उत्पाद मिश्रण पैटर्न के आधार पर, देश में पटसन मिलों की प्राप्त की जा सकने वाली उत्पादन क्षमता 15.40 लाख मे०टन प्रति वर्ष होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) स्थापित क्षमता के अनुकूलतम प्रयोग में रुकावट डालने वाली बातों में शामिल है :—

(1) मुख्य रूप से संश्लिष्ट प्रतिस्थापन वस्तुओं और बंगलादेश से कड़ी प्रतियोगिता के

कारण देश और विदेश दोनों में पटसन माल के लिए मांग संभाव्यताओं में अनिश्चितता।

(2) कच्चे पटसन की, विशेष रूप से कम फ़सल वाले वर्षों में, अपर्याप्त उपलब्धता।

(3) उत्पादन बाधाएं जैसे :

—बार-बार बिजली कटौती और बिजली की खपत पर लगाई गई पाबंदियां।

– संयंत्रों तथा उपस्करों की खस्ता हालत जिसके परिणामस्वरूप कम उत्पादकता।

-- औद्योगिक संबंध अच्छे न होने के कारण पटसन मिलों में तालाबंदी और हड़तालों की वजह से कार्य में बार-बार रुकावटें।

(ग) सरकार विभिन्न उपायों द्वारा घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पटसन उद्योग की बराबर सहायता कर रही है, जिनमें शामिल है :—

(1) सरकार, (डी०जी०एस० एण्ड डी०) द्वारा पटसन उद्योग से लागत और नियत लाभ के आधार पर पटसन वस्तुओं की खरीद;

(2) सीमेंट उद्योग द्वारा 100 प्रतिशत नये पटसन थलों का अनिवार्य इस्तेमाल;

(3) राजकोषीय एवं आर एण्ड डी प्रयासों के द्वारा संश्लिष्ट प्रतिस्थापन वस्तुओं की तुलना में पटसन माल की प्रतियोगिता क्षमता में सुधार करना;

(4) पटसन वस्तुओं के गतिशील क्षेत्रों के संबंध में उच्च नकद मुआवजा सहायता (सी०सी०एस०) को प्रदान कराना;

(5) 50:50 के अनुपात में हानि बांटने के आधार पर एस०टी०सी० पटसन उद्योग संघ बनाकर कालीन अस्तर के निर्यात में सहायता करने के लिए एस०टी०सी० को शामिल करना।

(6) अनुसंधान तथा विकास प्रयासों और निर्यात संवर्धन आदि को बढ़ावा देने के लिए एक नई पटसन विनिर्माण विकास परिषद गठित करना।

(7) कच्चे पटसन का बफर स्टाक करने की योजना आरम्भ करना ताकि मिलों को उचित कीमतों पर कच्चे पटसन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

[अनुवाद]

भारत संतुलन भुगतान समस्या पर कम दबाव के लिए उपाय

7682. **श्री के० प्रधानी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात की सही दिशा में वृद्धि करके और बल्क आयात पर रोक लगाकर देश के भुगतान संतुलन पर दबाव कम करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या निर्यात यूनिटों के लिए प्रोत्साहन योजना के परिणामस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान शेष की समस्या पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) व्यापार घाटा कम करने की दृष्टि से विगत हाल में प्रभावशाली संवर्धनात्मक उपाय किए गए हैं। इनमें शामिल हैं : हमारे निर्यातों को बढ़ाना, हमारे उत्पादकता आधार में विविधता लाना तथा हमारे उत्पादकता साधन को आधुनिक बनाना, हमारी औद्योगिक तथा राजकोषीय नीतियों में समय-समय पर आशोधन तथा संशोधन, आदि। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, विशेष रूप से बल्क आयातों के क्षेत्र में आयात योग्य वस्तुओं के हमारे स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) भुगतान संतुलन की स्थिति कई बातों पर निर्भर करती है, जिसमें आयातों तथा निर्यातों का निष्पादन शामिल है। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 1986-87 के दौरान सम्भावित भुगतान संतुलन की स्थिति इतनी जल्दी नहीं बताई जा सकती।

[हिन्दी]

बिहार काटन मिल का बन्द किया जाना

7683. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार काटन मिल्स लिमिटेड, फुलवारी शरीफ जुलाई, 1982 से बन्द पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वहां पर काम करने वाले छः सौ मजदूर और उनके हजारों आश्रित इस भारी मंहगाई के समय भुखमरी का सामना कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे पुनः खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) बन्द होने के समय मिल के उपस्थित रजिस्टर में लगभग 500 कामगार थे।

(ग) और (घ) बिहार राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि यदि सम्भव हो तो एकक को खरीदने के लिए किसी उपयुक्त-प्रवर्तक का पता लगाकर एकक को पुनर्जीवित करने के प्रयत्न किये जायें। तथापि, इन प्रयासों का अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है।

[अनुवाद]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लाभार्थियों को सहायता

7684. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक अधिकारी गरीब लाभार्थियों को लाभ से वंचित रख रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लागू करने में आ रही विभिन्न असमानताओं को दूर करने और इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहायक बैंकों द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में ऐसे क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे बैंक अधिकारी गरीब लाभार्थियों को लाभ से वंचित न रख सकें ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एकत्रित सूचना के अनुसार, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन 165.6 लाख हिताधिकारियों को 3101.61 करोड़ रुपये के सावधि ऋण और 1661.17 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। ग्रामीण विकास विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर कड़ी नजर रखते हैं और उन प्रक्रियाओं को दोष-रहित तथा सरल बनाने के लिए आवश्यकतानुसार उपाय करते हैं जो हिताधिकारियों को सहज रूप से ऋण प्राप्त करने के रास्ते में बाधक होती हैं। ऐसे अनुदेश पहले से ही दिए जा चुके है कि बैंक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विचाराधीन आवेदनपत्रों को एक पखवाड़े के अन्दर-अन्दर निपटा लें और बैंक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 5,000/- रुपये तक के छोटे ऋण के लिए निर्मित परिसम्पत्ति के दृष्टिबंधन के सिवाय कोई और जमानत की मांग न करें। आवेदनपत्र केवल वैध आधार पर ही रद्द किए जा सकते हैं और रद्द किए गए आवेदनों की जांच उच्च स्तरीय पदाधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। यह आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि प्रत्येक ग्रामीण शाखा महीने की दो निर्धारित तारीखों को

ही ऋणों का भुगतान करें। सभी बैंकों को यह भी अनुदेश दे दिए गए हैं कि क्षेत्रीय प्रबन्धक/मण्डल प्रबन्धक एक जांच सूची के आधार पर तीन महीने में कम से कम एक बार प्रत्येक ग्रामीण शाखा का निरीक्षण करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शाखा स्तरीय अधिकारी सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को वास्तव में कार्यान्वित कर रहे हैं।

इंजीनियर निर्यात संवर्धन परिषद (ई०ई०पी०सी०) के अधिकारियों का विदेशों में रुके रहना

7685. **डा० बी० एल० शंलेश** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 20 मार्च, 1986 के 'इकानामिक टाइम्स' में 'ई०ई०पी०सी० मैन प्रीफर टू स्टे एब्रोड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ई०ई०पी०सी०) के अधिकारियों की विदेशों में नियुक्ति से स्वदेश वापस आने में अनिच्छा से क्या सबक मिला है; और

(घ) ऐसे अधिकारियों द्वारा स्वदेश वापस बुलाये अथवा विदेशों में नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर वापस आने से इन्कार करने और अपनी नियुक्ति वाले देश में बस जाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ई०ई०पी०सी० के विदेशी कार्यालयों में अधिकारियों की तैनाती स्वयं परिषद द्वारा की जाती है। ई०ई०पी०सी० के कुछ अधिकारियों ने, जिन्हें विदेशों में तैनात किया गया था, त्यागपत्र दे दिए हैं। मामला सरकार के विचाराधीन है।

"फेरा" के उल्लंघन का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा मारे गये छापे

7686. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए कितने छापे मारे गए है;

(ख) क्या ये छापे बड़े व्यापारिक घरानों के विरुद्ध प्रथम-दृष्टया मामले स्थापित हो जाने के बाद मारे गए थे;

(ग) छापे मारने के बाद ऐसे कितने मामलों में कार्यवाही शुरू की गई है;

(घ) क्या इन छापों से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि कुछ मामलों में न्यायालयों ने फेरा के उल्लंघन के लिये बड़े व्यापारिक घरानों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू करने से पहले उपयुक्त सावधानियां न बरतने पर सरकार की आलोचना की है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रकार के मामलों में कानूनी कार्यवाही शुरू करने से पहले कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार के मामलों की छानबीन करने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) प्रवर्त्तन निदेशालय (फेरा) ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के उल्लंघन के सिलसिले में वर्ष 1985 के दौरान 4919 तलाशियां लीं।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष, 1985 के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के उल्लंघन के सिलसिले में अधिक-से-अधिक 310 मामलों में अभियोजन की कार्यवाही शुरू की गई।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, नहीं।

(च) अभियोजन सम्बन्धी कार्यवाही शुरू किये जाने से पहले, वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर मामलों की छानबीन की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण प्राधिकरण योजना की पुनरीक्षा

7688. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने विश्व बैंक के परामर्श पर उद्योगपतियों के लिए ऋण प्राधिकरण योजना की पुनरीक्षा करने का निर्णय किया है;

(ख) रिजर्व बैंक के गवर्नर अथवा केन्द्रीय सरकार को यह परामर्श कब प्राप्त हुआ था और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे कार्यान्वित कराने का सरकार ने कब निर्णय किया था; और

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के सरकारी एकको के लिए भी इसी प्रकार की शर्तें निर्धारित करेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हाल में 3 अप्रैल, 1986 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण नीति सम्बन्धी जिन उपायों की घोषणा की गई है, वे केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों के सरकारी क्षेत्र के एककों और गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों पर समान रूप से लागू होंगे।

विदेशों में भारतीय बैंकों की तुलना में भारत में विदेशी बैंकों की शाखाएं खोलने सम्बन्धी नीति

7689. श्री सैयद शाहबुद्दीन
कुमारी पुष्पा देवी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चल रहे विदेशी बैंकों के नाम क्या हैं और प्रत्येक की कितनी शाखाएं हैं और वे किन-किन देशों के हैं;

(ख) उन देशों में चल रहे भारतीय बैंकों के नाम क्या हैं और प्रत्येक की कितनी शाखाएं हैं; और

(ग) भारत में विदेशी बैंकों की शाखाएं खोलने और विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाएं खोलने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत विदेशी बैंक सहित भारत में शाखा खोलने और किसी भारतीय बैंक को विदेश में कार्यालय खोलने के लिए लाइसेंस मंजूर करने की शक्तियां भारतीय रिजर्व बैंक में निहित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक अनुरोध पर गुण-दोषों के आधार पर विचार करता है। भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चयनात्मक नीति अपनाई जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अलग-अलग मामले के आधार पर और सामान्यतया राष्ट्रीय हित, आवेदक बैंकों की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति, भारतीय अर्थ-व्यवस्था के सम्भावित लाभ, भारत तथा आवेदक बैंक के मूल देश के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों, विदेशी बैंक के मूल देश के कानून में वहां किसी भारतीय बैंक को शाखा खोलने की अनुमति देने के प्रावधान या किसी भी प्रकार इसके भेदभाव आदि को ध्यान में रखते हुए अनुमति प्रदान की जाती है।

भारतीय बैंकों को विदेशों में शाखाएं खोलने के वास्ते लाइसेंस मंजूर करने के मामले में भी भारतीय रिजर्व बैंक की नीति चयनात्मक है। रिजर्व बैंक ऐसा करते समय आवेदक बैंक की वित्तीय और प्रबन्धन क्षमता, अतिरिक्त कारोबार की सम्भावना, अतिरिक्त शाखा की आवश्यकता आदि को ध्यान में रखता है।

विवरण

क्रम सं०	देश का नाम	विदेशी बैंकों के नाम	कार्य कर रही शाखाओं की संख्या	उन भारतीय बैंकों के नाम जिनकी कालम (2) के देशों में शाखाएं हैं	कार्य कर रही शाखाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	यूनाइटेड किंगडम (यू० के०)	ग्रिंडलेज बैंक पी० एल० सी०	56	बैंक आफ बड़ौदा	15
		स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	24	बैंक आफ इंडिया	12
		ब्रिटिश बैंक आफ द मिडल ईस्ट	1	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	3
				केनरा बैंक	1
				पंजाब नेशनल बैंक	4
				पंजाब एंड सिंध बैंक	1
				भारतीय स्टेट बैंक	5
				सिंडीकेट बैंक	1
				यूको बैंक	2
				यूनियन बैंक आफ इंडिया	1
			81		45
2.	संयुक्त राज्य अमेरिका (यू०एस०ए०)	सिटी बैंक एन०ए०	6	बैंक आफ बड़ौदा	1
		बैंक आफ अमेरिका एन०टी० एंड एस०ए०	4	बैंक आफ इंडिया	2
		अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि०	3	भारतीय स्टेट बैंक	4
			13		7

1	2	3	4	5	6
3.	फ्रांस	बैंक नेशनल द पेरिस	5	बैंक आफ इंडिया	1
		बैंक इंडो-स्वेज	1	भारतीय स्टेट बैंक	1
		सोशिएट जनरल	1		
			7		2
4.	जापान	बैंक आफ टोक्यो लि०	3	बैंक आफ इंडिया	2
		मितसूई बैंक	1	भारतीय स्टेट बैंक	2
			4		4
5.	हांगकांग	हांगकांग एण्ड संघाई बैंकिंग कार्पोरेशन	20	बैंक आफ इंड़िया	2
				इंडियन ओवरसीज बैंक	7
				भारतीय स्टेट बैंक	1
				यूको बैंक	2
			20		12
6.	नीदरलैंड	एल्गेमेन बैंकनीदरलैंड एन० वी०	3	शून्य	—
			3		
7.	बंगलादेश	सोनाली बैंक	1	भारतीय स्टेट बैंक	1
			1		1

1	2	3	4	5	6
8.	संयुक्त अरब अमीरात (यू०ए०ई०)	बैंक आफ ओमान लि०	1	बैंक आफ बड़ौदा	8
		अबू धाबी कमर्शियल बैंक	1		
			2		8
9.	ओमान	ओमान इंटर नेशनल बैंक एस०ए०ओ०	1	बैंक आफ बड़ौदा	3
			1		3
10.	केमैन द्वीप-समूह	बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इंटरनेशनल (ओवरसीज) लि०	1	बैंक आफ इंडिया	1
				भारतीय स्टेट बैंक	1
			1		2
11.	कनाडा	बैंक आफ नोवा सोशिया	1	शून्य	
			1		
12.	पश्चिम जर्मन संघीय गणराज्य (एफ०आर०जी०)	यूरोपियन एशियन बैंक	1	भारतीय स्टेट बैंक	1
			1		1
		कुल जोड़ :	135		85

टिप्पणी : इसमें प्रतिनिधि कार्यालय शामिल नहीं हैं। उपर्युक्त विवरण में विदेशों में कार्यरत संयुक्त क्षेत्र के बैंकों और उनके अनुषंगी बैंकों की शाखाएं शामिल नहीं हैं।

खाद्य तेलों के स्थान पर तिलहनों का आयात

7690. श्री विनेश सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने खाद्य तेलों के स्थान पर तिलहनों का आयात करने की सम्भावनाओं पर विचार किया है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : जी, हां। खाद्य तेल के स्थान पर तिलहनों का आयात करने का प्रस्ताव आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

स्विटजरलैंड को निर्यात

7691. श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्विटजरलैंड को किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(ग) स्विटजरलैंड को निर्यात की वस्तुओं की संख्या बढ़ाने और उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) हाथ से गुंथे हुए कालीन, परिधान, यात्रा के सामान, बहुमूल्य रत्न, चाय, कॉफी कुछ प्रमुख मदें हैं जो भारत से स्विटजरलैंड को निर्यात की जाती हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्विटजरलैंड को हुए भारत के निर्यात निम्नलिखित नुअसार थे :—

		(मूल्य करोड़ रु० में)
1982-83		100.23
1983-84		121.09
1984-85	अनन्तिम	118.74
1985-86 (अप्रैल-सितम्बर)		30.72

(ग) स्विटजरलैंड को भारतीय निर्यातों के लिए रुचि वाले क्षेत्रों को अभिज्ञात करने हेतु प्रतिनिधि दलों के आदान-प्रदान, संगोष्ठियों, बाजार सर्वेक्षणों के माध्यम से और उत्पादन विकास और अनुवर्ती कार्यवाही के माध्यम से निर्यात बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में नागरिक पूर्ति निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव

7692. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में एक नागरिक पूर्ति निगम की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम खाड़ी के द्वीप समूह में अपना कार्यकलाप बढ़ाएगा और खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए उनका भंडार अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में रखेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के०पांजा) : (क) और (ख) जी हां। अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में नागरिक पूर्ति निगम स्थापित करने के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम का पोर्ट ब्लेयर में एक गोदाम का निर्माण करने का प्रस्ताव है। निगम ने इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त भूमि आवंटित करने हेतु अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन से पहले ही प्रस्ताव किया हुआ है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा नेशनल जूट मिल्स कारपोरेशन को होने वाला लाभ तथा हानि

7693. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा राष्ट्रीय जूट मिल निगम के अन्तर्गत सभी मिलों को क्रमश: होने वाले लाभ तथा हानि और उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन वर्षों के दौरान इन एककों में कितने श्रमिक काम करते थे; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) विवरण-I संलग्न है जिसमें राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा तथा राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम के अन्तर्गत मिलों के सम्बन्ध में वर्ष-

वार लाभ/हानि की स्थिति तथा उत्पादन दर्शाया गया है।

(ख) विवरण-II संलग्न है जिसमें राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम के अन्तर्गत मिलों में कथित अवधि के दौरान कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शाई गई है।

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम के कार्य निष्पादन की निरंतर समीक्षा की जाती है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत मिलों के कार्यचालन में सुधार लाने के लिए सीमित संसाधनों के भीतर उठाए गए/उठाए जा रहे कतिपय कदम निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) विभिन्न उपलब्ध माध्यमों से रुई की समय पर अधिप्राप्ति करने के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं;

(2) नकद घाटों को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी की प्रतिपूर्ति की गई है;

(3) बिजली की कमी पर काबू पाने के लिए स्वजनित्र क्षमता की व्यवस्था की गई है;

(4) परिणाम अभिमुख लाभों के लिए, सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए चयनात्मक आधुनिकीकरण कार्यक्रम अपनाए गए हैं;

(5) सभी स्तरों पर उत्पादन लागत कम करने के लिए लागत नियन्त्रण पद्धतियां आरम्भ की गई हैं;

(6) गैर-प्रचालन प्रशासनिक खर्चों को कम करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं;

(7) अधिक उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध में कामगारों की सहभागिता योजना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम के कार्यचालन में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) क्षमता के उपयोग में सुधार लाने के लिए, आधुनिकीकरण नवीकरण की एक योजना आरम्भ की गई है जिसमें 28 34 करोड़ रुपये का परिव्यय निहित है;

(2) आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में समेकित दृष्टिकोण तैयार करने के लिए उच्चकोटि के विशेषज्ञों सहित एक समिति गठित की गई है;

(3) मानव मशीन अनुपात को बनाए रखने के लिए जरूरत आधारित आवश्यकताओं को छोड़कर आगे भर्ती करने के लिए पूरी रोक लगा दी गई है;

(4) क्षमता के उपयोग, उत्पादन तथा उत्पादन क्षमता में सुधार लाने के लिए ब्यौरेवार पूर्वानुमान तैयार किए गए हैं।

विवरण-I

लाभ/हानि की स्थिति (करोड़ रुपये में)

वर्ष	राष्ट्रीयकृत मिलें (103)	प्रबन्धित मिलें (22)
1983-84	(—) 137.36	(—) 34.11
1984-85	(—) 172.36	(—) 50.10
1985-86 (जनवरी, 86 तक) (अनन्तिम)	(—) 105.68	(—) 44.43

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मिलों का उत्पादन कुल मिलाकर

	बजार धागा (मिलियन कि० ग्रा०)	वस्त्र (मिलियन मीटर)
1983-84	69.90	902.00
1984-85	74.00	920.00
1985-86 (दिसम्बर 85 तक)	60.70	749.00

राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम की कुल मिलाकर मिलें

	1983-84	1984-85	1985-86 (अनन्तिम)
लाभ/हानि स्थिति (करोड़ रुपये में)	(—) 32.13	(—) 85.75	(—) 60.71
उत्पादन (एम० मे० टन में)	106147	131709	132686

विवरण-II

वर्ष	राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मिलों के कामगारों की सं०	राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम के मिलों में कामगारों की सं०
1983-84	244,280	34,555
1984-85	235,183	32,745
1985-86 (दिसम्बर, 85 तक)	232,257	32,896

उत्पाद शुल्क विभाग की भूमिका न्यूनतम करना

7694. **श्री आर० एम० भोये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पाद शुल्क विभाग की भूमिका न्यूनतम करने की प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पर सामान्य तौर पर कुछ चिंता व्यक्त की गई है;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के चैकों के माध्यम से तिमाही आधार पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने से भुगतान की समस्या का काफी सीमा तक समाधान हो जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या सुझाव दिए गए हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग का मुख्य कार्य केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों की वसूली करना है। ऐसी प्रणाली, जिससे यह भूमिका कम-से-कम हो जाए, तैयार करने की जरूरत के बारे में किसी भी तरह से कोई चिन्ता व्याप्त नहीं की गई है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों का भुगतान कारखाने अथवा भाण्डागार से माल की निकासी के समय किया जाता है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों के सिलसिले में अग्रिम जमा का भुगतान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से किया जा सकता है। यह सुझाव स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया है कि निर्माताओं को उत्पादन शुल्क का भुगतान माल की निकासी के समय करने की बजाए, त्रैमासिक आधार पर करने की अनुमति दी जाए।

सातवीं योजना अवधि के दौरान पर्वतीय राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा

7695. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन बंगले/होटल/सराय/अवकाश गृह का निर्माण करके ठहरने की सुविधाएं तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करके जिला मुख्यालयों को केन्द्रीय स्थान बनाकर पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के कार्य को कोई प्राथमिकता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों में चयन किए गए उन जिला मुख्यालयों के नाम क्या हैं जिनमें अब तक पर्यटन सुविधा की व्यवस्था नहीं है; और

(ग) पर्यटन विभाग/भारत पर्यटन विकास निगम ने राज्य सरकार/राज्य पर्यटन निगम ने एक साथ परामर्श करके सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन सुविधाओं की व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग पहाड़ी राज्यों/क्षेत्रों में पर्यटन के संवर्धन को प्रत्येक ऐसे क्षेत्र की पर्यटक संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए महत्व देता है न कि अनिवार्यतः जिला मुख्यालय को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पहाड़ी राज्यों में अवस्थित अनेक स्थानों पर उपयुक्त आधार-संरचना का सृजन करने के लिए उन स्थानों की पर्यटन संभाव्यता, परस्पर-प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए कदम उठाए गए हैं। जम्मू और कश्मीर में हेमिस गोनया और लामायूरू में मार्गस्थ सुविधाओं का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में चामुण्डा देवी पर सराय, सरहान में ट्रेकर्स हट्स और रिवालसर में पर्यटक सराय के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सिक्किम में ट्रेकर्स हट्स और ट्रेकिंग उपकरण की मंजूरी दे दी गई है। भारतीय यात्री आवास विकास समिति नामक एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के पास निधियों की उपलब्धता और राज्य सरकारों से भूमि की प्राप्ति पर निर्भर रहते हुए निम्नलिखित स्थानों पर यात्रिकाओं के निर्माण करने के प्रस्ताव हैं :—

हिमाचल प्रदेश में—नैना देवी, शिमला और कांगड़ा

जम्मू और कश्मीर में—श्रीनगर, चंदनबाड़ी, कटरा और वैष्णों देवी

उत्तर प्रदेश में—बदरीनाथ, ऋषिकेश, केदारनाथ और गंगोत्री

पर्यटन विभाग द्वारा शीत ऋतु के दौरान स्कीइंग तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करने के लिए गुलमर्ग में 175.30 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक हिम क्रीड़ा परियोजना संस्थान की स्थापना की गई है। विभाग ने नारकण्डा (हिमाचल प्रदेश) और उत्तर प्रदेश में औली (जोशी-मठ) में विहार-स्थल के लिए स्कीइंग उपकरण की स्वीकृति प्रदान की है।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की खुदरा दुकानें खोलने का प्रस्ताव

7696. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की खुदरा दुकानों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में रायचोटी, राजमपेट कुडप्पा मदनापल्लि और कोडुर में खुदरा दुकानें खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो ये खुदरा दुकानें कब से कार्य करना शुरू कर देंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इस समय आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के 28 शो रूम हैं।

(ख) इस समय रायचोटी, राजमपेट, मदनापल्लि और कोडुर में खुदरा दुकानें खोलने के लिए एन०टी०सी० के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है। कुडप्पा में एक शो रूम पहले ही कार्य कर रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और अधिक शो रूम खोलने पर विचार मांग और पहले से कार्य कर रहे शो रूमों के निष्पादन की समीक्षा को आंकने के बाद ही किया जाता है।

आंध्र प्रदेश में खाद्यान्नों, चीनी, खाद्य तेलों के सार्वजनिक वितरण के लिए राजसहायता

7697. श्री टी० बाल गौड़ : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 के दौरान आंध्र प्रदेश में चीनी और खाद्य तेलों सहित खाद्यान्नों के सार्वजनिक वितरण के लिए कितनी राजसहायता दी गई है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा): आंध्र प्रदेश में 1985-86 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जारी किए गए गेहूं और चावल पर 102.75 करोड़ रुपये की केन्द्रीय राजसहायता होने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश को 1985-86 के दौरान सार्वजनिक वितरण हेतु खाद्य तेलों और चीनी के लिए कोई केन्द्रीय राज-सहायता नहीं दी गई है।

बैंकों में पदोन्नति नीति

7698. श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए एक समान पदोन्नति नीति अपनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और भारतीय रिजर्व बैंक में अपनाई जाने वाली पदोन्नति नीति के साथ इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की एक समान पदोन्नति नीति नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधीनस्थ संवर्ग से लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति नीति सामान्यतया सम्बन्धित बैंक के प्रबन्धकों के कर्मचारी संघों के साथ सम्पन्न समझौतों के अनुसार होती है और इन समझौतों की शर्तें अलग-अलग बैंकों के लिए अलग-अलग होती हैं।

शत्रु सम्पत्ति के सम्बन्ध में अनुग्रह राशि के लम्बित दावे

7699. श्री भोला राउत : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलादेश में शत्रु सम्पत्ति के सम्बन्ध में लोगों द्वारा दाखिल किए गए अनुग्रह राशि के दावों के भुगतान की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) दाखिल किए गए दावों पर अनुग्रह राशि के आंकलन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निपटाए जाने के लिए अभी तक लम्बित पड़े दावों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक के पास 57,493 दावे पंजीकृत कराये गए थे जिनमें से अभी तक 19,798 दावा मामलों को निपटा दिया गया है और 58.32 करोड़ रु० की राशि का वितरण किया गया है।

(ख) दावों का सत्यापन दस्तावेजों से की जाती है और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया द्वारा फार्मूले के आधार पर, जिसे सरकार द्वारा अपना लिया गया है, हिसाब लगा लिए जाने के बाद मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

(ग) 21,820 दावेदारों ने अधूरे दावा आवेदन प्रस्तुत किए हैं और 2839 मामलों में दावेदारों ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे। 14,036 दावा मामले शेष हैं जिन पर कार्यवाही की जानी है।

सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये हैं भुगतान के लिए अनुग्रह राशि के वितरण का कार्य बम्बई से कलकत्ता को स्थानान्तरित करना क्योंकि अधिकांश दावेदार प० बंगाल के हैं, सत्यापन पैनलों को भुगतान के स्तर में वृद्धि और सत्यापन पैनलों की संख्या में वृद्धि।

कृषि पर आधारित उत्पादों को पैक करने के लिए लचीले पैकिंग के सामान पर आयात शुल्क

7700. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि पर आधारित उत्पादों को पैक करने की थैलियों के लिए आवश्यक लचीले पैकिंग के सामान पर किस दर पर आयात शुल्क लगता है; और

(ख) क्या कृषि उत्पादों को प्रोत्साहन देने और लाभप्रद रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से आयात शुल्क घटाकर बीस प्रतिशत करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) चूंकि थैलियों के लिए लचीली पैकिंग सामग्री प्लास्टिक, कागज आदि से बनाई जा सकती है, इसलिए माल की संरचना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के अभाव में, आयात शुल्क को दर्शाया नहीं जा सकता।

(ख) "थैलियों के लिए लचीली पैकिंग सामग्री" पर आयात शुल्क में कमी किए जाने के सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, अंगूरों को पैक करने के लिए "ग्रेप गार्ड" नाम के विशेष कागज को सीमा शुल्क से छूट दिए जाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और दिनांक 3-4-1986 को दो अधिसूचनाएं, संख्या 234—सीमाशुल्क और 235—सीमाशुल्क जारी करके "ग्रेप गार्ड" को सीमाशुल्क से पूर्ण छूट दे दी गई है। ये अधिसूचनाएं सदन-पटल पर भी रखी जा चुकी हैं।

बागवानी उत्पादनों के लिए पैकिंग सामग्री का निर्माण करने के लिए क्राफ्ट लाइनर पेपर "फ्लुटिंग मीडिया" और पालीप्रोपाइलीन को कोपोलीमर पर सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दिए जाने के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा इस मामले को संबंधित प्रशासनिक मन्त्रालयों के साथ उठाया गया है।

काली मिर्च के निर्यात के लिए अमरीका के साथ करार

7701. **श्री टी० बशीर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने अमरीका के साथ चालू वर्ष के दौरान बड़ी मात्रा में काली मिर्च का निर्यात करने के लिए कोई करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका को भारत से काली मिर्च का निर्यात अलग-अलग निर्यातकों द्वारा किया जाता है। प्राथमिक अनुमानों के अनुसार, 1985-86 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका को 55.68 करोड़ रु० मूल्य की 13122 मे० टन काली मिर्च की मात्रा निर्यात की गई है।

जम्मू और काश्मीर में अशांति के कारण पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव

7702. श्री जनक राज गुप्ता : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर के अधिकांश लोगों की आय का साधन पर्यटन है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब, जम्मू और काश्मीर में अशांति के कारण जम्मू और काश्मीर राज्य में पर्यटन उद्योग पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) राज्य में पर्यटन संवर्धन के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) पर्यटन जम्मू और काश्मीर के लोगों की आय का एक प्रमुख स्रोत है।

(ख) जी, हां।

(ग) जम्मू और काश्मीर सहित भारत का संवर्धन तथा प्रचार करना पर्यटन विभाग का सतत कार्यकलाप है। इस राज्य की ओर यात्रा को तेजी प्रदान करने के लिए, विभाग द्वारा विगत समय में विभिन्न कदम उठाए जा रहे थे। जम्मू तथा काश्मीर राज्य की ओर पर्यटक यातायात में गिरावट आने के कारण, संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री ने इस राज्य के लिए यात्रा का संवर्धन करने हेतु कार्रवाई करने संबंधी एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए, 10 अप्रैल, 1986 को एक अन्तर-मंत्रालय बैठक बुलाई थी। अनेक अल्पावधि और/दीर्घावधि उपायों का निर्धारण किया गया जिनकी रेलवे, इंडियन एयरलाइंस, राज्य सरकार और पर्यटन विभाग जांच करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) कुछ चुनिंदा स्थानों से जम्मू के लिए विशेष आरक्षण सुविधाएं और आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान यात्रियों के लिए अतिरिक्त कोचों की व्यवस्था। रेल मंत्रालय द्वारा किरायों पर पर्वतीय यात्रा फिर से चालू करना।

(ii) जरूरत के समय जम्मू और काश्मीर के लिए अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था और श्रीनगर के लिए उड़ानों के समय में परिवर्तन। मौजूदा हवाई किरायों में कमी।

(iii) जम्मू तथा काश्मीर सरकार को कुछ उपाय करने हैं जिनसे विदेशी तथा साथ ही साथ विदेशी पर्यटकों द्वारा इस राज्य की यात्रा सुविधाजनक हो सकेगी।

(iv) दूरदर्शन, आकाशवाणी और भारत पर्यटन विकास निगम के सहयोजन से पर्यटन विभाग एक विशेष संवर्धन व पुनअविश्वास अभियान चलायेगा ताकि सभी आशंकाओं को दूर किया जा सके और शांति तथा सुरक्षा की एक घाटी के रूप में काश्मीर की छवि पुनः प्रस्तुत की जा सके।

(v) कुछ अन्य उपाय भी विचाराधीन हैं।

पति और पत्नी की एक ही शहर में तैनाती

7703. **श्री लाला राम केन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अप्रैल, 1986 के "इन्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित "गवर्नमेंट्स पोस्टिंग रूल्स टु कीप स्पाउवसेज टुगैदर" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उनके मंत्रालय के अन्तर्गत अपवंचन-निरोधी निदेशालय में दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किए गए आसूचना अधिकारियों की पत्नियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार पति पत्नी को साथ-साथ रहने की दृष्टि से एक ही शहर में नियुक्त करने के सरकार के नियमों के अन्तर्गत उन अनुरोधों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिनांक 9 अप्रैल, 1986 के इंडियन एक्सप्रैस में "पति-पत्नी को एक साथ रखने के लिए सरकार के तैनाती के नियम" शीर्षक से समाचार छपा था।

(ख) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3 अप्रैल, 1986 के कार्यालय ज्ञापन सं० 28034/7/86-स्था० (क) की एक प्रति संलग्न की गई है जिसमें अपेक्षित मार्गदर्शी सिद्धांत निहित हैं। [पंचालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०--2605/86]

(ग) अपवंचन-निवारण निदेशालय के कुछ आसूचना अधिकारियों की, जिन्हें दिल्ली से बाहर तैनात किया गया है, कामकाजी पत्नियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) अपवंचन-निवारण निदेशालय के आसूचना अधिकारियों को, विशेषकर उन्हें विविध अनुभव प्रदान करने तथा अत्यधिक नाजुक स्वरूप की कार्यचालनात्मक आवश्यकताओं को तथा अन्य प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात किया जा सकता

है। इन अधिकारियों की पुनः तैनाती किये जाने के मामले पर रिक्तियों की उपलब्धता तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं के अध्यधीन उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

चीनी का आयात और चीनी उद्योग द्वारा चुकन्दर का प्रयोग करना

7704. डा० टी० कल्पना देवी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत 1986-87 के दौरान लगभग 14 करोड़ रुपये के मूल्य की चीनी आयात करेगा जैसा कि 11 अप्रैल, 1986 के 'इकनामिक टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या हरित क्रांति के सफल होने और आयातित उर्वरकों और कीटनाशियों के प्रयोग सहित आदानों में वृद्धि करने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है;

(ग) उत्तर भारत जो कि गन्ने के लिये उपयुक्त नहीं है क्या वहां के चीनी उद्योग में धीरे-धीरे चुकन्दरों के प्रयोग से चीनी का उत्पादन किया जाने लगेगा;

(घ) क्या अब तक चीनी के स्रोत के रूप में चुकन्दर और गन्ने का कोई आर्थिक अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो चुकन्दर उत्पादक देशों के आंकड़ों सहित तत्सम्बन्धी परिणाम क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) चीनी के आयात की मात्रा और समय-तालिका चीनी के घरेलू स्टाक, उत्पादन और खपत, वर्तमान कीमत और घरेलू बाजार में इसके संचलन के सम्भावित रुख तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत पर विचार करने के बाद तय की जाती है। चीनी के प्रस्तावित आयातों की वास्तविक मात्रा और समय-तालिका बताना लोकहित में नहीं होगा।

(ख) हालांकि उर्वरकों और कीटनाशी दवाओं जैसे अन्तर्निविष्ट साधनों के अधिक प्रयोग के कारण गन्ने के उत्पादन में वृद्धि हुई है, परन्तु अधिकांश गन्ने के गुड और खाण्डसारी एककों में चले जाने के कारण इससे चीनी के उत्पादन में ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, हां।

(ङ) 1970-71 से 1978-79 तक श्रीगंगा नगर शुगर मिल में किए गए अध्ययन से पता चला है कि यदि गन्ने की तुलना में चुकंदर के आर्थिक पहलुओं पर विचार किया जाए तो श्रीगंगा नगर क्षेत्र में चुकंदर उगाना आर्थिक रूप से अर्थक्षम नहीं होगा। तथापि चिली जैसे कुछ देशों में चुकंदर की खेती लाभप्रद पाई है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से भारत को ऋण

7705. डा० जी० विजयरामाराव
श्री अख्तर हसन } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व के सबसे गरीब देशों के लिए तीन बिलियन डालर की निधि का सृजन किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत सबसे गरीब देशों में से एक देश होने के बावजूद इस ऋण को प्राप्त करने का उपयोग क्यों नहीं कर रहा है;

(ग) क्या भारत को अपनी गरीबी निवारक योजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त होने की आशा है; और

(घ) पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे बंगलादेश, जाम्बिया, बर्मा आदि जैसे विश्व के गरीब देशों की तुलना में भारत की क्या स्थिति है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संरचनात्मक समायोजन सुविधा नामक एक नई सुविधा स्थापित की है जो न्यास निधि से लिए गये ऋण की वापसी अदायगी करने के फलस्वरूप प्राप्त संसाधनों के उपयोग के लिए है 2.7 अरब एस० डी० आर० के इन साधनों का उपयोग जिनमें अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशियों को मिलाकर वृद्धि की जा सकती है, निम्न आय वाले उन देशों को रियायती शर्तों पर भुगतान शेष की अतिरिक्त सहायता देने के लिए किया जाएगा जो कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से साधन प्राप्त करने के पात्र हैं और भुगतान शेष की दीर्घकालिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

भारत ने स्वेच्छा पूर्वक, 5 वर्षों की अवधि के लिए इस सुविधा का उपयोग न करने का निर्णय किया है। इस प्रकार का निर्णय लिए जाने के पीछे मुख्य कारण यह था कि ऐसे कई निम्न आय वाले देश हैं जो कि बड़ी कठिन और भयंकर आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं और इसलिए ऐसे देशों की मदद करने के लिए जो कुछ भी संभव हो, वह करना आवश्यक है। यह निर्णय इस आश्वासन पर लिया गया था कि इससे न्यास निधि का उपयोग न करने वाले निम्न आय वाले अन्य देशों (जैसे भारत) के लिए रियायती दरों पर प्राप्त होने वाली विकास संबंधी वित्तीय सहायता की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से लिए जाने वाले वाणिज्यिक उधार उन विशिष्ट उत्पादक परियोजनाओं/आयोजनाओं के लिए लिए जाते हैं जो कि वाणिज्यिक रूप से जीवनक्षम होती हैं, न कि उनके लिए जो कि सीधे गरीबी हटाओ कार्यक्रम से संबंधित होती हैं।

(घ) 800 संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर से कम प्रति व्यक्ति आय वाले गरीब राष्ट्रों के बीच

भारत की स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में विश्व के गरीब राष्ट्रों के बीच भारत की स्थिति दर्शाने वाली सारणी

(1984 के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद द्वारा वर्गीकृत)

(संयुक्त राज्य अमेरिकी डालरों में)

आय समूह और देश	1984 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद	आय समूह और देश	1984 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद
1	2	3	4
II (401 से 790 डालर)		I (400 डालर या उससे कम)	
नाइजीरिया	770	पाकिस्तान	380
पपुआ न्यू गिनीया	760	सेनेगल	380
जिम्बाब्वे	740	श्रीलंका	360
इजिप्ट	720	घाना	350
इल सल्वाडोर	710	सूडान	340
हैंड्रस	700	केप वर्दा	320
मोरक्को	670	हाइटी	320
फिलीपीन्स	660	सास टेम एण्ड प्रिंसिपी	320
ऐवेरी कोस्ट	610	चीन	310
गुयाना	580	गिनीया	300
यमन पी० डी० आर०	560	केन्या	300
इंडोनेशिया	540	सेयरा लोन्स	300
लेसोथ	530	बिनिन	270

1	2	3	4
II (401 से 790 डालर)		I (400 डालर या उससे कम)	
यमन ए० आर०	510	सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक	270
साइबेरिया	470	मेडागास्कर	270
जाम्बिया	470	रवांडा	270
मारुतानिया	450	गाम्बिया	260
बेलीविया	410	भारत	260
डिजीबिटी	उ० नहीं	सिमालिया	260
मालदीव	,,	टैगो	250
सुलेमान द्वीप समूह	,,	युगांडा	230
वेस्टर्न सेमिया	,,	बुंडी	220
		मालवी	210
		तंजानिया	210
		नाइगर	190
		बर्मा	180
		गिनिया विसाऊ	180
		बुकिना	160
		नेपाल	160
		माली	140
		जायरे	140
		बंगलादेश	130
		इथोपिया	110
		अफगानिस्तान	उ० नहीं
		भूटान	,,
		चाड	,,

1	2	3	4
II (401 से 790 डालर)		I (400 डालर या उससे कम)	
		कोमरेस	उ० नहीं
		इक्वेटेरियल गिनिया	,,
		कम्पूचिया	,,
		लीओस	,,
		मोजाम्बिक	,,
		बेनेत्यु	,,
		वियतनाम	,,

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पांच वर्ष के लिए निर्धारित करना

7706. श्री गुरुदास कामत : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पांच वर्ष तक के लिए निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई जा रही कपड़ा मिलें

7707. श्री मुरलीधर माने : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा कुल कितनी कपड़ा मिलें चलाई जा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मिलें घाटे में चल रही हैं;

(ग) उक्त घाटे के क्या कारण हैं और घाटा किस सीमा तक है; और

(घ) उक्त घाटे को पूरा करने और इन मिलों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इस समय, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा चलाई जा रही 22 राष्ट्रीयकृत वस्त्र मिलें तथा 13 प्रबन्धित वस्त्र मिलें हैं।

(ख) विगत 3 वर्षों के दौरान घाटे में चल रही मिलों की स्थिति निम्नोक्त प्रकार है :—

	1983-84	1984-85	1985-86 (अप्रैल, 85 जनवरी, 86)
राष्ट्रीयकृत	19	20	17
प्रबन्धित	12	12	12
योग :	31	32	29

(ग) इन मिलों के निरन्तर घाटों संबंधी प्रमुख कारण निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) पुरानी तथा अप्रचलित मशीनरी ;

(2) रुई कीमतों में विशेषतया 1980-81 के मध्य से 1984-85 तक असाधारण वृद्धि;

(3) विद्युत, कोयला, रंजक तथा रसायनों, भण्डारों तथा अतिरिक्त पुर्जों आदि की लागत में वृद्धि;

(4) महंगाई भत्ते/अन्तरिम राहत में वृद्धि के कारण मजदूरियों/वेतनों में वृद्धि;

(5) वस्त्र उद्योग में मन्द बाजार दशाएं; और

(6) अत्यधिक श्रमिक बल।

1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 (अप्रैल, 85 से जनवरी, 1986 तक) राष्ट्रीयकृत मिलों के घाटे क्रमश: 31.98 करोड़ रु०, 42.91 करोड़ रु० तथा 23.68 करोड़ रु० थे। उक्त अवधि में प्रबन्धित मिलों के घाटे क्रमश: 6.92 करोड़ रु०, 12.86 करोड़ रु० तथा 14.69 करोड़ रु० थे।

(घ) एन० टी० सी० के अधीन मिलों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए सीमित संसाधनों

के भीतर किए गए/किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) नकद हानियों की पूर्ति के लिए कार्य-पूंजी की प्रतिपूर्ति कर दी गई है;

(2) परिणाम अभिमुख लाभ प्राप्त करने के लिए सीमित संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए चयनात्मक आधुनिकीकरण कार्यक्रम अपनाए गए हैं;

(3) सभी स्तरों पर उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए लागत नियंत्रण पद्धतियां आरम्भ की गई हैं;

(4) गैर-प्रचालन प्रशासनिक खर्चे कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं;

(5) उच्चतर उत्पादकता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध मण्डल में कामगार सहभागिता योजना प्रोत्साहित की जा रही है;

(6) लागतें कम करने, कार्यकुशलता तथा क्वालिटी में सुधार लाने के उद्देश्य से एन०टी०सी० का निष्पादन ध्यान से मानिटर किया जा रहा है।

सिगरेट के नए ब्रांडों की मंजूरी

7708. *चौधरी सुन्दर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार की मंजूरी प्राप्त किए बिना सिगरेटों के कई ब्रांड बाजार में आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन ब्रांडों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि हैदराबाद, मेरठ और मद्रास में संबंधित कलक्टरों ने सिगरेट निर्माताओं से सांठ-गांठ कर इन ब्रांडों को अस्थायी मंजूरी दे दी थी; और

(घ) यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मंत्रालय की जानकारी में कोई ऐसा मामला नहीं आया है जिससे पता चले कि ऐसे सिगरेट ब्रांडों को जिनके बाहरी भाग का डिजाइन निरीक्षण और लेखा परीक्षा निदेशालय (केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क), नई दिल्ली में निदेशक (लेखा परीक्षा) द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए हैं, बाजार में बेचा जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक में कथित कदाचार

7709. **श्री सुभाष यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब एण्ड सिंध बैंक, नई दिल्ली के अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग द्वारा गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) की कुछ फर्मों को अप्रैल, 1982 में प्रत्यय पत्र स्थापित करने में कई लाख रुपये की अनियमितताएं और कदाचारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ग) क्या मामले की जांच की गई है और यदि हां, तो दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या अन्य कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने बताया है कि 5 अप्रैल, 1982 को उसके नयी दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग ने दो फर्मों के संबंध में 5-5 लाख अमरीकी डालर के 4 प्रत्यय पत्र खोले थे। इनमें से दो प्रत्यय पत्र आक्सी टेट्रासाइक्लीन एच० सी० एल० का आयात करने के लिए थे जबकि अन्य दो पी० वी० सी० रेसिन के आयात के लिए थे। चूंकि ऐसे आरोप लगाए गए थे कि ये प्रत्यय पत्र 19 अप्रैल, 1982 के बाद खोले गये थे जब आक्सी टेट्रासाइक्लीन एच० सी० एल० के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और ऐसा करते समय रिकार्डों में हेराफेरी की गई है इसलिए शुरू में बैंक ने अपने आप मामले की जांच की और बाद में अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के द्वारा जांच करवाई गई। चूंकि सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट से यह पता चला कि इन प्रत्यय पत्रों के खोलने में प्रक्रिया संबंधी कुछ अनियमितताएं की गई हैं और यह सिद्ध करने के लिए कि प्रत्यय पत्र पूर्व दिनांकित किए गए थे, काफी दस्तावेज और पारिस्थितिक सबूत भी मौजूद हैं, बैंक ने इन प्रत्यय पत्रों के खोलने में अनियमितताएं करने के लिए दोषी अधिकारियों को चार्ज शीट किया है। जांच ब्यूरो ने भी जांच के लिए इसे नियमित मामले के रूप में रजिस्टर कर लिया है।

पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक के अधिकारियों के लिए फ्लैटों का निर्माण

7710. **श्री पी० ए० एंटनी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक ने बैंक के अधिकारियों के लिए फ्लैटों के निर्माण हेतु बम्बई की एक गैर-सरकारी फर्म के साथ समझौता किया था;

(ख) क्या उक्त बैंक ने फ्लैटों के निर्माण के लिए निर्माताओं को 30 लाख रुपये दिये थे;

(ग) क्या बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम उनमें से तीन फ्लैट खरीदे थे और क्या इस कारण अथवा अन्य कारणों से उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित है; और

(घ) क्या उपरोक्त निर्माता के विरुद्ध किसी बकाया धनराशि को संदेहास्पद अथवा अशोध्य ऋण घोषित किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जी, हां। अलबत्ता, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक ने बताया है कि अग्रिम की राशि 25.60 लाख रुपए है।

(घ) पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक ने यह भी बताया है कि वसूली की दृष्टि से फिलहाल इसमें से कोई भी रकम अशोध्य अथवा संदिग्ध नहीं समझी गई है।

स्वयंसेवी उपभोक्ता संरक्षण संगठनों को सांविधिक शक्तियां

7711. **श्री शांता राम नायक** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की जानकारी में कितने स्वयंसेवी उपभोक्ता संरक्षण संगठन हैं;

(ख) उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार नाम क्या हैं;

(ग) क्या इन संगठनों को सांविधिक शक्तियां प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार को एक सौ इक्यासी स्वैच्छिक उपभोक्ता संरक्षण संगठनों की जानकारी है। इन संगठनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) प्रयोग के तौर पर, दिल्ली प्रशासन ने कुछ स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों को निरीक्षण करने, शिकायतें प्राप्त करने आदि की कुछ कानूनी शक्तियां दी हैं। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे इसी प्रकार की कार्यवाही करने पर विचार करें।

विवरण

अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह

1. सिटीजन्स एलाईंस काउंसिल,
फार पी एम्स० 20-प्वाइंट प्रोग्रेम,
राजेन्द्र भवन, पो० ओ०—जंगलीघाट,
पोर्ट ब्लेयर।

2. प्रदेश कंज्यूमर काउंसिल,
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह,
पोर्ट ब्लेयर।

3. दि यूथ को-आर्डिनेटर,
नेहरू युवक केन्द्र,
पोर्ट ब्लेयर।

आंध्र प्रदेश

4. विशाखा कंज्यूमर्स काउंसिल,
16-3-5, आफिसियल कालोनी,
महारानी पेट,
विशाखापटनम-530002

5. दि विजयनगरम कंज्यूमर काउंसिल,
19-5-13, कानुकुर्ती स्ट्रीट,
विजयनगरम-531202

6. कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेंटर,
26-13-37, सानयासी राय रोड,
गांधीनगर,
विजयवाड़ा-520003

7. विजयवाड़ा कंज्यूमर्स काउंसिल,
27.18.6, कांग्रेस आफिस रोड,
विजयवाड़ा-520002

8. आंध्र प्रदेश कंज्यूमर्स काउंसिल,
एक्जीबिशन ग्राउंड्स,
हैदराबाद।

9. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
5-1-563, जामबाग रोड,
नवरंग सिनेमा ग्राउंड,
हैदराबाद-500001

10. फैडरेशल आफ आंध्र प्रदेश कंज्यूमर आर्गेनाइजेशन्स
नं० 4, शेषविलास,
3-6-293, हैदरगोडा,
हैदराबाद-500029.

11. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कंज्यूमर स्टडीज,
सिविल सप्लाइज भवन, सोमीगोडा,
हैदराबाद-500004.

12. कंज्यूमर एजूकेशन सेंटर,
नं० 3, शेषाविलास,
3-6-293, फस्ट फ्लोर, हैदरगोडा,
हैदराबाद-500029.

13. कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी आफ इंडिया, हैदराबाद ब्रांच,
7-1-644/37, सुन्दर नगर,
हैदराबाद-500001

14. कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल,
607. छठी मंजिल,
श्रीनीवास टावर्स,
बेगमपेट,
हैदराबाद-500038.

15. सन्तनगर रेजीडेंट्स कंज्यूमर एसोसिएशन,
एस० आर० टी० 484, संतनगर,
हैदराबाद-500018.

16. कंज्यूमर गाइडेंस सोसायटी, आफ
इंडिया (हैदराबाद),
डी/9, विक्रमपुरी,
सिकन्दराबाद-500 003.

17. कंज्यूमर फोरम,
लौरडू निवास,
नार्थ लालगौडा,
सिकन्दराबाद-500 017.

18. काकिनाडा कंज्यूमर काउंसिल,
59-19-17, शांति-सदन,
फास्टरपेट, काकिनाडा-533 002.

19. राजामुन्दरी कंज्यूमर काउंसिल,
विक्राना हाल, परेड ग्राउंड,
राजामुन्दरी-533 001.

20. श्रीकाकुलम कंज्यूमर्स काउंसिल,
3-8-75, इप्पीलि स्ट्रीट,
श्रीकाकुलम-532 001

21. कंज्यूमर्स एसोसिएशन, भीमवरम,
श्री मावुलामा टेम्पल स्ट्रीट,
भीमवरम-534 201.

22. कंज्यूमर काउंसिल,
थर्ड लाइन, भारतपेट,
गुंटूर-522 002.

23. गुंटूर-कंज्यूमर्स काउंसिल,
पी०एल०पी० पार्क के नजदीक,
ओल्ड गुंटूर, गुंटूर-5 2 01/0.

24. वारागंल कंज्यूमर्स काउंसिल,
2-6-44, "श्वासलेशा" नाकालगंटा,
हनम कोंडा,
वारांगल-506 010

25. कंज्यूमर्स काउंसिल,
निवादवे ले,
वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट,
आंध्र प्रदेश।

26. सिटी कंज्यूमर काउंसिल, फस्ट लेन,
मारुति नगर, विजयवाडा-520004.

बिहार

27. कंज्यूमर गाइडेंस सोसायटी आफ
जमशेदपुर, अवतार बिल्डिंग,
पिस्तुपुर,
जमशेदपुर-831 001.

28. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
जमशेदपुर,
एम/31/5, टेल्को कालोनी,
जमशेदपुर-831 02.0

29. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
सिंहभूम जिला, रोड नं०1,
क्वाटर नं०एल4/2,
फार्म एरिया, काडमा,
जमशेदपुर-831 005.

30. नेशनल कंज्यूमर्स यूनियन फार
लीगल एसिसटेंस,
लक्ष्मी मेंशन, बिस्तरपुर,
जमशेदपुर-831 001.

31. बिहार प्रदेश उपभोक्ता सेवा संघ,
थिलींग त्रिशूल टेम्पल लेन,
पुरेन्स बाजार,
मुजफ्फर पुर 842 001.

32. बिहार स्टेट कंज्यूमर फैडरेशन,
छत्तर भवन, साउथ मांदिवी,
पटना-800 001.

33. बिहार राज्य उपभोक्ता संघ,
241 सी ककड़ बाग कालोनी,
पटना-800 020.

34. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
बिहार, न्यू एरिया,
कदम कुंआ,
पटना-800 003.

35. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
111 ए-7 16, बोकारो स्टील सिटी,
धनबाद-827 003.

36. नेशनल कंज्यूमर्स यूनियन फार लीगल
एसिसटेंस, बिमला भवन,
वेस्ट लोहनीपुर,
पटना-800 003.

37. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
जिला-सिंहभूम,
एफ/10, तायो कालोनी,
पो० ओ० गामहारिया,
सिंहभूम (बिहार)

38. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
माउभंडार,
एन एफ3/6, माउभंडार,
सिंहभूम (बिहार)-832 303.

चंडीगढ़

39. कंज्यूर्स फोरम,
कोठी नं०99, सेक्टर 8-ए,
चंडीगढ़ 160 008.

40. कंज्यूमर्स काउंटर चंडीगढ़,
721, सेक्टर, 7,
चंडीगढ़ 160 007.

दिल्ली

41. सिटिजंस एक्शन (रजि०),
5 ओडियन बिल्डिंग,
कनाट प्लेस,
नई दिल्ली-110 001.

42. कंज्यूमर सर्विस सोसायटी,
231, जोरबाग,
नई दिल्ली-110 003.

43. महिला दक्षता समिति,
2 टेलीग्राफ लेन,
नई दिल्ली-110 001.

44. नेशनल कंज्यूमर्स फ्रंट,
डी-11/345, पण्डारा रोड,
नई दिल्ली-110 011.

45. कंज्यूमर्स फोरम (रजि०),
बी-24, महारानी बाग,
नई दिल्ली-110 065.

46. इंडियन फैडरेशन आफ कंज्यूमर
आर्गेनाइजेशन्स,
231, जोरबाग,
नई दिल्ली-110 003.

47. कामन कॉज,
32, आनन्द लोक,
नई दिल्ली-110 049.

48. कंज्यूमर प्रोटेक्शन आर्गेनाइजेशन,
ए-16, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया,
नई दिल्ली।

49. वाल्यून्ट्री आर्गेनाइजेशन इन दि
इंट्रेस्ट आफ कंज्यूमर एजूकेशन
(वायस)
108, गोल्फ लिंक,
नई दिल्ली-110 003.

50. नेशनल कंज्यूमर्स यूनियन फार लीगल असिसटेंस,
803, नेशनल पार्क, लाजपत नगर, 4,
नई दिल्ली-110 024.

51. सोसायटी फार सिविक राइट्स,
जे-13, प्रसाद नगर, नई दिल्ली-5

52. आल इंडिया कंज्यूमर्स फोरम,
151, आफिस काम्पलेक्स,
साइकिल मार्केट, फेस I,
स्वामी राम तीर्थ नगर,
नई दिल्ली-110 055.

53. सेंट्रल कंज्यूमर्स काउंसिल,
सी-2/35 माडल टाउन,
दिल्ली 110 009.

गोवा दमण व द्वीव

54. हाउसवाइव्स कंज्यूमर आर्गेनाइजेशन,
वास्को-डि-गामा,
गोवा ।

गुजरात

55. ज्योतिसंघ ग्राहक सुरक्षा मंडल,
श्री किवकोरेबेन मफतलाल महिला मंदिर, रिलीफ रोड,
अहमदाबाद-380 001.

56. मानेकचौक ग्राहक सुरक्षा मंडल,
मंदाविनी पोले सेवा संघ,
मंदाविनी पोले,
अहमदाबाद-380 001.

57. कंज्यूमर एजूकेशन एंड रिसर्च सेंटर,
ठाकरेभाई देसाई स्मारक भवन,
नियर लॉ कालेज, एलिसब्रिज,
अहमदाबाद-380 006.

58. वोमैन इकवल, राइट ग्रुप,
3, आकाशदीप अपार्टमेंट,
नजदीक टेलीफोन एक्सचेंज,
नवरंगपुरा,
अहमदाबाद-380 001.

59. अहमदाबाद युवक समाज,
सत्कार होटल के पीछे,
जामशाहेबनी गली,
रिलीफ रोड, दालदरवाजा,
अहमदाबाद-380 001.

60. भारत सेवक समाज ग्राहक सुरक्षा मंडल,
मार्फत भारत सेवक समाज,
नगरसेठस वांदा,
पनकोरनाका,
अहमदाबाद-380 001.

61. शहर मध्यस्थ ग्राहक सुरक्षा मंडल,
9/ए, परमातम सोसायटी,
नारानपुरा, नजदीक पोस्ट आफिस,
अहमदाबाद-380 013.

62. सिन्धी सेवा समाज,
149, गजेन्द्र सोसायटी,
गजराज वी-2,
चन्दोलोदिया,
अहमदाबाद ।

63. कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन काउंसिल,
31, सुरभ सोसायटी,
नवरंगपुरा,
अहमदाबाद-380 001.

64. कंज्यूमर प्रोटेक्सन काउसिल,
"आशीष",
25, वउनधरा कालोनी,
गुलाबी टेकरा,
अहमदाबाद-380 006.

65. बड़ोदरा शहर ग्राहक सुरक्षा मंडल,
पुलिस ग्राउंड के सामने,
श्रम सदन, रावपुरा,
बड़ोदरा-390 001.

66. अहमदाबाद वोमेन्स एसोसिएशन ग्रुप,
5, प्रोफेसर्स कालोनी, नवरंगपुरा,
अहमदाबाद-380 009.

67. राजकोट शहर ग्राहक सुरक्षा मंडल,
"शिवकरपा",
7, भक्तिनगर सोसायटी,
राजकोट-360 002.

68. राजकोट शहर ग्राहक सुरक्षा समिति,
20, न्यू जयन्त प्लाट,
राजकोट-360 002.

69. दोरजी शहर एण्ड ताल्लुका
ग्राहक सुरक्षा मंडल,
नजदीक दरबारगढ़,
दोरजी डिस्ट्रिक्ट,
राजकोट।

70. राजकोट सिटी कंज्यूमर एसोसिएशन,
11, रमणिक हाउस,
दूसरा तल, जुबली चौक,
राजकोट—350001.

71. ग्राहक हित सुरक्षा मण्डल,
जरोला बागो,
पटवानी खाड़की,
जभोई डिस्ट्रिक्ट,
बड़ोदरा।

72. सूरत ग्राहक मण्डल,
दलाल सदन, घी कांता,
हरीपुरा,
सूरत— 395 001.

73. भावनगर ग्राहक सुरक्षा मण्डल,
मार्फत ज्योतिष संघवी,
नजदीक आगदीश मन्दिर,
करगटे,
भावनगर-364 001

74. कंज्यूमर प्रोटेक्सन एजूकेशन एण्ड
रिसर्च सेंटर,
16, बैबुबाग,
भावनगर—364 002.

75. जामनगर ग्राहक सुरक्षा मण्डल,
न्यू सेंट्रल बैंक बिल्डिंग,
सरदार पटेल रोड,
जामनगर।

76. गांधीनगर शहर ग्राहक सुरक्षा मंडल,
314/बी, "अनन्त",
सेक्टर—20,
गांधीनगर।

77. कंज्यूमर प्रोटेक्सन एसोसिएशन,
एफ० एन० इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल
साइंस कम्पाउण्ड,
हिम्मतनगर—383 001.
डिस्ट्रिक्ट साबरकंठा (गुजरात)

78. बड़ौच शहर ग्राहक सुरक्षा मंडल,
दांदिया बाजार,
बड़ौच।

79. पालनपुर शहर ग्राहक सुरक्षा मंडल,
पालनपुर नगर पालिका,
पालनपुर,
डिस्ट्रिक्ट बी० के० ।

80. नवोदित ग्राहक सुरक्षा मंडल,
नगरवाडा, नडियाद,
डिस्ट्रिक्ट—खेड़ा ।

81. आनन्द ताल्लुका युवक मंडल,
एसोसिएशन, ग्राहक सुरक्षा मंडल,
लक्ष्मी निवास,
25, अजन्ता सोसायटी,
आनन्द,
जिला—खेड़ा ।

82. भुज शहर ग्राहक सुरक्षा मण्डल,
संतोष सोसायटी, भुज,
जिला—कच्छ ।

83. अंजर ग्राहक सुरक्षा मण्डल,
अंजर,
जिला—कच्छ ।

84. गांधीधाम कंज्यूमर्स प्रोटेक्सन
काउंसिल,
डी०बी०जेड०-एन —168/ए,
आर्य समाज रोड,
गांधीधाम—370 201,
जिला—कच्छ ।

85. अमरेली ग्राहक सुरक्षा मण्डल,
डा० जिवराज मेहता रोड,
अमरेली ।

86. ग्राहक हित सुरक्षा मण्डल,
काचोरी दरवाजा के नजदीक,
कोडिनार,
जिला—अमरेली ।

87. ग्राहक हित सुरक्षा मण्डल,
पानी दरवाजा,
कोडिनार,
जिला—अमरेली ।

88. जाग्रत ग्राहक सुरक्षा मण्डल,
अमिन बिल्डिंग, गेंडी गेट,
बड़ौदा—390 017.

89. मेहसाबा ग्राहक सुरक्षा मंडल,
मार्फत महिला मण्डल मेहसाणा,
टी० जी० हाई स्कूल के नजदीक,
मेहसाणा

90. सुरेन्द्रनगर ग्राहक सुरक्षा समिति,
40, नूतननगर सोसायटी,
सुरेन्द्रनगर ।

91. गोधरा शहर ग्राहक सुरक्षा मंडल,
गोधरा मध्यस्थ सहकारी भंडार,
गोधरा,
जिला—पंचमहल ।

92, वलसाड ग्राहक सुरक्षा मण्डल,
कमला निवास,
भूटिया मेटा शेरी,
वलसाड ।

93. श्री ग्राहक सुरक्षा मण्डल,
वापी,
जिला—वलसाड ।

94. जूनागढ़ ग्राहक सुरक्षा मंडल,
3 सोलंकी चैम्बर,
बहाडिंग कालेज के सामने,
जूनागढ़ ।

95. बिलिमोरा ग्राहक सुरक्षा मंडल,
बिलिमोरा,
जिला—वलसाड।

96. डांग्स जिला ग्राहक सुरक्षा मंडल,
आह्वा,
जिला—डांग्स।

97. भाचाऊ ग्राहक सुरक्षा मंडल,
भाचाऊ,
जिला—कच्छ।

98. मोरबी विभागीय ग्राहक
सुरक्षा समिति,
डा० अम्बेडकर रोड,
पेट्रोल पम्प के सामने,
जनाना हास्पिटल के नजदीक,
मोरबी।

99. ग्राहक सुरक्षा मण्डल,
स्टेशन रोड,
केशोद,
जिला—जूनागढ़-362 220.

हिमाचल प्रदेश

100. हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता समिति,
शिमला।

कर्नाटक

101. कर्नाटक कंज्यूमर्स फोरम,
नं० 9, कानिक स्ट्रीट,
बंगलौर—560 075.

102. कर्नाटक कंज्यूमर सर्विस सोसायटी,
32-ए, बेंसन क्रास,
बेंसन टाउन,
बंगलौर—560 046.

103. ग्राहक जाग्रति,
20, मार्केट रोड,
बासवानगुडी,
बंगलौर—560 004.

104. जाग्रत मण्डली,
947, 12वां क्रास,
जे० पी० नगर,
फर्स्ट स्टेज,
बंगलौर—560 078.

105. कंज्यूमर एजूकेशन ट्रस्ट आफ
मंगलौर,
माइक्रोवेव स्टेशन रोड,
मंगलौर—575 006.

106. दि सिटिजन्स फोरम,
"नयन",
नं० 2, अशोकानगर रोड,
हुबली—580 029.

107. कंज्यूमर गाइडेंस सोसायटी आफ
इंडिया (दंदेली ब्रांच),
एच टाइप 10/56,
बंगूरनगर,
दंदेली—581 362.

108. कंज्यूमर्स फोरम,
उपेन्द्रबाग,
कल्पना टाकीज के नजदीक,
उदिपि—576 101.

109. सिटिजन्स फोरम,
मराठी विद्यालय के नजदीक,
बीजापुर—586 101.

110. सिटिजंस फोरम,
एस० टी० वी० मंदिर के नजदीक,
बसरकोर—576 211.

111. कंज्यूमर्स फोरम,
श्री कुदेश्वर रोड,
कुन्दनपुर—576 201.

112. कंज्यूमर्स फोरम,
नयना बिल्डिंग,
शिरया—574 116.

113. गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर्स फोरम,
ई-1-1534, सहकारी पंत हाउस,
वेंकटेश नगर,
गुलबर्गा—585 102.

114. कंज्यूमर्स फोरम, बालयांगडी,
मार्फत डा० डी० सी० देवधर,
एस० डी० एम० कालेज, उजारे,
कर्नाटक।

115. कंज्यूमर्स फोरम,
मार्फत गायत्री नर्सिंग होम,
सूलिया—574 239.

116. जन जागृति ट्रस्ट,
सी० ए० बैंक के नजदीक,
सूलिया—574 239.

117. नागरिकश्रा वेदिका,
कोट्टा पोस्ट,
उदिपि,
कर्नाटक।

118. बालकेंद्रवा वेदिका,
अनन्था शयान रोड,
कारकाला,
साउथ कैनरा—574 014.

119. बालकेंद्रा बेलगा,
मार्फत महिला केन्द्र साउटंकल,
सौराटकल, कर्नाटक।

120. बालकेदार वेदिका,
पुट्टूर, साउथ केनरा,
कर्नाटक।

121. बालकेदार वेदिका,
सूरतकल, मंगलौर ताल्लुका,
कर्नाटक।

122. बालकेदार वेदिका,
जैन मंदिर रोड,
मुदुबिदारे, साउथ केनरा,
कर्नाटक।

123. नागरिक समिति,
पारक ला,
उदिपि, कर्नाटक।

124. प्रजा जागृति संघ, बालेरी,
कर्नाटक।

125. कंज्यूमर वैलफेयर काउंसिल,
डूअर नं० 7/471 सी,
साउथ एक्सटेंशन,
कोलीगल—571 440.

126. जागृति बालकेदार वेदिका,
संजीवमा कम्पाउण्ड,
वरथूर, बंगलौर।

127. दि सिटीजन फोरम,
होटल धारवाड़,
धारवाड़ (कर्नाटक)।

केरल

128. कंज्यूमर गाइडेंस सेंटर,
कोचीन।

129. कंज्यूमर प्रोटेक्शन विंग,
सेंटर फार लीगल रिसर्च,
कंज्यूमर प्रोटेक्सन एण्ड नान-फारमल
लीगल एजूकेशन,
47/20, एस० आर० एम० रोड,
कोचीन—682018.

130. केरल स्टेट कंज्यूमर काउंसिल,
चिरक्काल पोस्ट आफिस,
कुन्नूर—670 011.

131. कंज्यूमर्स गाइडेंस फोरम,
मेनान्थावेडी,
विनाद—670 645.

132. कंज्यूमर गाइडेंस सोसायटी आफ
इंडिया (त्रिचूर ब्रांच),
म्यूनिसपिल स्टेडियम,
रूम नं० 63, पैलेस रोड,
त्रिचूर—680 020.

133. कंज्यूमर गाइडेंस सोसायटी आफ
इंडिया (केरल ब्रांच),
पूनिथरा पुथाननगेडी,
कोट्टयाम 686 001.

134. कोचीन महिला कंज्यूमर विज्ञान केन्द्र
प्रतिभा,
47/855, अशोक रोड,
कोचीन—682 017.

135. केरल कंज्यूमर सर्विस सोसायटी,
47/855, प्रतिभा, अशोक
रोड, कोचीन—682 017.

136. सेंटर फार लीगल रिसर्च,
कंज्यूमर प्रोटेक्सन एंड नान-
फारमल लीगल एजूकेशन,
एन० आई० एम० एम० आई० काटेज,
मुलासेरी केनाल रोड,
कोचीन 682 011.

मध्य प्रदेश

137. कंज्यूमर काउंसिल आफ
मध्य प्रदेश,
डी-23/74, बंगला,
टी० टी० नगर,
भोपाल

138. मध्य प्रदेश कंज्यूमर काउंसिल,
8, गोराकुण्ड,
इन्दौरा 452 001.

महाराष्ट्र

139. कंज्यूमर गाइडेंस सोसायटी आफ
इंडिया,
हटमैंट-जे, महापालिका मार्ग,
कामा हास्पिटल के सामने,
बम्बई—400 001.

140. सिटिजंस एक्सन ग्रुप,
चिखल हाउस, फस्ट फ्लोर,
453/57, कालबा देवी रोड,
बम्बई—400 002.

141. काउंसिल फार फेयर बिजनेस
प्रैक्टिसेंज,
ग्रेट वेस्टर्न बिल्डिंग,
130/133 अपोलो स्ट्रीट,
फोर्ट, बम्बई—400 023.

142. लास प्रिवेंशन एसोसियेशन आफ
इंडिया, वार्डन हाउस,
सर फिरोजशाह मेहता रोड,
बम्बई—400 001.

143. मुम्बई ग्राहक पंचायत,
42, कोकन नगर, लेफ्टीनेंट
कोटनीस मार्ग,
माहिम,
बम्बई— 400 016.

144. कंज्यूमर काउंसिल आफ इंडिया,
मार्फत श्रीमती कमला रमन,
307, नवकेतन सेंट्रल एवेन्यू रोड,
चेम्बूर,
बम्बई—400 071.

145. मुम्बई ग्राहक संस्था,
12, सहवास काशीनाथ
धारू रोड, दादर,
बम्बई—400 028.

146. कंज्यूमर प्रोटेक्सन काउंसिल,
14, प्रताप नगर,
जिला पेठ,
जलगांव—425 001.

147. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
ग्राहक भवन,
तिलक मार्ग,
पुणे —411 030.

148. कंज्यूमर गाइडेंस सोसायटी
आफ इंडिया (पूना ब्रांच),
मार्फत श्रीमती विमला मूर्ति,
7 पालवी सोसायटी,
सेनापति बापत मार्ग,
पुणे—411 015.

149. महिला औद्योगिक सहकारी
सोसायटी लिमिटेड,
करड,
जिला सतारा,

महाराष्ट्र।

150. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
विदर्भ प्रदेश,
मार्फत एस० वी० पाध्ये,
एडवोकेट रुहकर रोड,
महल,
नागपुर —440 002.

151. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
महाराष्ट्र प्रदेश,
मार्फत श्री राजे भाउ पोफली,
जर्नलिस्ट, गरुड़ खम्ब रोड,
नियर भोंसला वेछा-शास्त्र
महाविद्यालय, महल,
नागपुर—440 002.

पंजाब

152. सरहिन्द कंज्यूमर्स प्रोटेक्सन फोरम,
मार्फत श्री नरेन्द्र मोदी,
मोहल्ला मोदियान,
सरहिन्द सिटी—140 407.

राजस्थान

153. राजस्थान स्टेट कंज्यूमर काउंसिल
ब्रिज निकुंज, सिविल लाइंस,
जयपुर—302 006.

154. कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट
सोसायटी,
8, महावीर मार्ग,
जयपुर—302 001.

तमिलनाडु

155. कंज्यूमर काउंसिल आफ इंडिया
(रजि०)
मद्रास सिटी सेंट्रल यूनिट,
मीनाक्षी कला निलायम,
34 (27), थर्ड स्ट्रीट,
रोयापेट्टाह,
मद्रास -- 600 014.

156. इंस्टीट्यूट आफ कंज्यूमर प्रोटेक्सन स्टडीज,
4, वैंकटेश नाइकेन स्ट्रीट
मद्रास-600 001.

157. मद्रास प्रोवेंमियल कंज्यूमर्स एसोसिएशन,
89, बिग स्ट्रीट,
मद्रास-600 005.

158. दि काउंसिल आफ पब्लिक अफियर्स,
2-बी, फस्ट मेन रोड,
शास्त्री नगर,
मद्रास-600 020

159. कंज्यूमर काउंसिल आफ इंडिया,
14, चन्द्राबाग एवेन्यू,
डा० बुद्धकृष्णन सलाइ,
मद्रास-600 004

160. कंज्यूमर काउंसिल आफ इण्डिया
98, लेक व्यू रोड,
वेस्ट माम्बलम,
मद्रास।

161. कंज्यूमर काउंसिल,
मार्फत इन्टरनेशनल स्कूल,
एल०बी० रोड,
मद्रास-600 041.

162. कंज्यूमर काउंसिल आफ इण्डिया
नं० 1, नतेशन कालोनी,
सी०वी० रमन रोड,
मद्रास-600 018.

163. कंज्यूमर काउसिल आफ इण्डिया,
8, अजागप्पा छेतियर रोड,
मद्रास-600 010.

164. वर्किंग वोमेंस फोरम आफ तमिलनाडु,
55, भीमसेन गार्डर रोड,
मिलापुर,
मद्रास-600 004.

165. त्रिचि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर्स काउंसिल,
नं० 4, श्रीनिवास नगर,
वायलूर रोड,
त्रिचि-620 017.

166. कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल,
बी-11, शास्त्री रोड,
थिलाइनगर,
त्रिचिरापल्ली-620 018.

167. गोल्डन राक कंज्यूमर्स काउंसिल,
पोस्ट बाक्स नं० 876,
त्रिचिरापल्ली-620 020.

168. पदनथुरई कंज्यूमर्स एसोसिएशन,
नं० 5/46, पदनथुरई,
गुडालूर (तमिलनाडु)

169. मुराने कंज्यूमर्स एसोसिएशन,
थलवा,
गुडालूर (तमिलनाडु)

170. कंज्यूमर्स एसोसिएशन,
9/155, थेवला बाजार स्ट्रीट,
गुडालूर (तमिलनाडु)

171. सिटिजंस फोरम,
6-ए, बागयाकारालू रोड ईस्ट,
आर०एस० पुरम,
कोयम्बटूर-641 002.

172. कंज्यूमर्स एवरनेस आफ अनफेयर ट्रेड,
इण्डस्ट्रीज एण्ड आर्गेनाइजेशन
(कासन),
5, नेहरू स्टेडियम,
कोयम्बटूर-641 018.

173. कंज्यूमर्स काउंसिल,
2, शेषापुरम,
टेन्यूर,
त्रिचिरापल्ली।

त्रिपुरा

174. कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन,
29, सेन्ट्रल रोड,
अगरतल्ला-799001.

उत्तर प्रदेश

175. कंज्यूमर्स एजूकेशन एण्ड प्रोटेक्शन सेंटर,
326, पटेल पुरी, सदर बाजार,
मेरठ-250 001.

176. दक्षिणांचल कंज्यूमर काउंसिल,
रोबर्टगंज,
मिर्जापुर-231 216.

177. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत,
87-बी/5, सर्वोदय नगर,
इलाहाबाद।

पश्चिम बंगाल

178. कंज्यूमर्स एक्सन फोरम,
5/1, रेड क्रास प्लेस,
कलकत्ता-700 001.

179. कंज्यूमर्स फोरम,
31-ए, भुवन बनर्जी लेन,
कलकत्ता-700 007

180. कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेन्टर,
24-बी, डा० राजेन्द्र रोड,
कलकत्ता-700 020.

पांडिचेरी

181. आल इण्डिया कंज्यूमर काउंसिल,
81-ईश्वरन कोल स्ट्रीट,
पांडिचेरी-605 001.

भारतीय मेला प्राधिकरण द्वारा सेवा निवृत्त अधिकारियों को विदेशों में भेजा जाना

7712. **प्रो० वाई० एस० महाजन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय मेला प्राधिकरण के कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों को विदेशों में लगे व्यापार मेलों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा रहा है;

(ख) क्या भारतीय मेला प्राधिकरण के अधिकारियों को ऐसी प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या ऐसा सुअवसर सामान्यत: सेवारत अधिकारियों को ही दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो किन कारणों वश भारतीय मेला प्राधिकरण द्वारा सेवारत अधिकारियों को

अपेक्षा सेवानिवृत्त अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजना आवश्यक समझा गया ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने एक अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर विदेश भेजा है, जिनके सम्बन्ध में सेवा-निवृत्ति के बाद "पुनः रोजगार आधार" पर सेवाएं जारी रखने के लिए मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) अधिकारी की प्रतिनियुक्ति लोक हित में थी।

अमरीका को काली मिर्च के निर्यात में कदाचार

7713. श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले वर्ष अमरीका ने भारतीय काली मिर्च को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह पाया गया कि इस पर निर्यात से पूर्व खनिज तेल का छिड़काव किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) खनिज तेल के अंश का पता लगाने के लिए उसके द्वारा आयात की गई मशीनों से काली मिर्च के जांच न किए जाने तथा निर्यातकों द्वारा इस प्रकार की जांच का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं या उठाये गये हैं ताकि इस कारण से काली मिर्च के निर्यात को नुकसान न पहुंचे ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 1984 तथा 1985 के दौरान सं० रा० अमरीका को निर्यातित काली मिर्च की खेपों में खनिज तेल मिलने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) से (घ) इस प्रकार की शिकायतों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि काली मिर्च के निर्यातों पर प्रभाव न पड़े, उठाए गए कदमों में से कुछ ये हैं :—

(1) विवाद वाले नमूनों के लिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेस्ट निर्धारित किया गया है।

(2) प्राधिकृत पैकरों को एक लिखित वचन देना आवश्यक होता है कि काली मिर्च की खेपें केवल जल-प्रक्षालित हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के बस्ती, गोरखपुर और जौनपुर जिलों में चीनी मिलें

7714. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बस्ती, गोरखपुर, गोंडा और जौनपुर जिलों में कुल कितनी चीनी मिलें हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मात्रा में गन्ने का रस निकाला गया;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान कुल कितने दिन चीनी मिलों में काम हुआ; और

(घ) कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन किया गया ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (घ) सूचना निम्नानुसार है :—

	चीनी वर्ष	1982-83	1983-84	1984-85
1.	उत्तर प्रदेश के बस्ती, गोरखपुर, गोंडा और जौनपुर जिलों में जितनी फैक्ट्रियों ने कार्य किया, उनकी संख्या	14	13	13
2.	उपर्युक्त मिलों द्वारा पेरे गये गन्ने की मात्रा (लाख मीटरी टन)	22.95	16.07	8.05
3.	जितने दिनों उपर्युक्त फैक्ट्रियों ने कार्य किया उनकी संख्या	96-191	81-131	41-76
4.	उपर्युक्त फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित चीनी की मात्रा (लाख मीटरी टन)	2.11	1.57	0.77

[अनुवाद]

कच्चे रेशम के लिए बैंकों की स्थापना का प्रस्ताव

7715. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम के मूल्यों में स्थिरता लाने और कच्चे रेशम के भण्डारण हेतु देश में कच्चे रेशम के लिए बैंकों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) कच्चे रेशम के लिए ऐसे बैंकों की स्थापना किन-किन स्थानों पर की जायेगी; और

(ग) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड इन बैंकों की स्थापना के लिए सहमत हो गया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड का विचार है कि देश में क्रमबद्ध रूप में प्रमुख खपत (बुनाई) क्षेत्रों में कच्चे रेशम के बैंक स्थापित किए जाएं। ऐसे एक कच्चे रेशम बैंक ने वाराणसी में 4-2-1986 से पहले ही कार्य करना आरम्भ कर दिया है। जिन अन्य स्थानों पर ऐसे रेशम बैंक स्थापित किए जाएंगे, उनका अभी बोर्ड द्वारा निश्चय किया जाना है।

स्टाम्प शुल्क समाप्त करना

7716. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाम्प शुल्क समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की 91वीं प्रविष्टि के साथ पठित, संविधान के अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत, दस दस्तावेजों अर्थात् विनियम बिलों, चैकों, प्रोमिसरी नोटों, अवतरण बिलों, साख-पत्रों, बीमा पालिसियों, शेयरों के अंतरणों, ऋणपत्रों, प्राक्सियों और प्राप्तियों के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क की दरें संघ का विषय है। इस समय चैकों पर कोई स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया जा रहा है। जहां तक अन्य नौ दस्तावेजों का सम्बन्ध है, उन पर स्टाम्प शुल्क को समाप्त किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पंजाब में चीनी मिलों की स्थापना

7717. **श्री सरनजीत सिंह वालिया**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी चीनी मिलें हैं;

(ख) उनमें से कितनी मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं;

(ग) पंजाब को चीनी मिलों के कितने लाइसेंस (योजनावार) दिये गये हैं;

(घ) क्या हाल ही में किये गये अध्ययन से यह पता लगा है कि पंजाब में चीनी मिलों की स्थापना की काफी गुंजाइश है; और

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश में कितनी और पंजाब में कितनी चीनी मिलों के लिए लाइसेंस देने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) देश में 366 स्थापित चीनी मिलें हैं, जिनमें से 193 सहकारी क्षेत्र में हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें पंजाब में योजनावार नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए लाइसेंसों/आशय पत्रों की संख्या दी गई है। तथापि, एक चीनी फैक्ट्री पहली पंचवर्षीय योजना से पूर्व स्थापित की गई थी।

(घ) यह पंजाब सरकार पर निर्भर करता है कि वे गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर अपने राज्य में और अधिक चीनी मिलें स्थापित करने की गुंजाइश की जांच करें।

(ङ) केन्द्रीय सरकार चीनी मिलें स्थापित करने के लिए क्षेत्रों अथवा राज्यों के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं देती है। राज्य सरकारों के माध्यम से उनकी सिफारिशों के साथ नये लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों पर अनुकूल कृषि-मौसमी परिस्थितियों और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है। पंजाब में नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए अक्तूबर, 1985 से कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

पंजाब में योजना-वार चीनी मिलों को दिए गए लाइसेंसों/आशय पत्रों की संख्या बताने वाला विवरण

योजना	संख्या
पहली योजना (1951-56)	2
दूसरी योजना (1956-61)	2
तीसरी योजना (1961-66)	1
चौथी योजना (1969-74)	शून्य
पांचवीं योजना (1974-79)	2
छठी योजना (1980-85)	6

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना

7718. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 200 करोड़ रुपये कम हो जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस कमी को पूरा करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठनों से कम ब्याज दर पर ऋण तथा अनुदान प्राप्त करने के लिए बातचीत कर रही है अथवा सरकार ने उनके साथ कोई करार किया है; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं। सातवीं पंचवर्षीय आयोजना की अवधि के दौरान हमारे विदेशी मुद्रा भण्डार में 200 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जाने का अनुमान है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए राज्यों के लिए अपर्याप्त धनराशि

7719. **श्री बी० के० गढ़वी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को यह जानकारी है कि समुद्री तूफान, बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण पाने के लिए योजना आयोग द्वारा राज्यों को दी जाने वाली धनराशि इतनी कम है कि राज्यों की वित्तीय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या नियमित आयोजना के लिए राज्यों को अपने संसाधन जुटाने में समर्थ बनाने का कोई रास्ता निकाल कर स्थिति को सरल बनाने हेतु कोई कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार अतिरिक्त धनराशि जुटाने का है ताकि सूखा, अकाल, बाढ़, समुद्री तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए राज्यों को अनुदान तथा अग्रिम धनराशि दी जा सके ताकि राज्यों को नियमित आयोजनाओं के लिए नियमित संसाधन जुटाने में राज्यों की वित्त व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या पद्धतियां तथा निदेश तैयार किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सूखे के संबंध में आठवें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि सम्बन्धित राज्य अपनी योजना में से वार्षिक योजना परिव्यय का 5 प्रतिशत तक का अंशदान दें और यह उस वर्ष में राज्य के योजना परिव्यय के अतिरिक्त माना जाएगा। राज्यों को यह अंशदान करने योग्य बनाने के लिए केन्द्र सहायता प्रदान करता है जो अग्रिम योजनागत सहायता के रूप में माना जाता है। तथापि, यदि अपेक्षित व्यय योजना परिव्यय के 5 प्रतिशत के अन्दर नहीं हो सकता है तो फालतू व्यय आधा अनुदान और आधा ऋण के रूप में केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान किया जायेगा और उसका समायोजन राज्य की योजनागत सहायता में नहीं किया जाएगा।

बाढ़, चक्रवात और अन्य आकस्मिक आपदाओं के कारण राहत तथा मरम्मत और सार्वजनिक कार्यों के जीर्णोद्धार के लिए आठवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि सीमांत धन से अधिक किए गए कुल व्यय के 75 प्रतिशत तक योजना-भिन्न अनुदान के रूप में सहायता दी जाए। शेष 25 प्रतिशत राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। इनके लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का समायोजन राज्य की योजना में या योजना के लिए केन्द्रीय सहायता में नहीं किया जाएगा।

इस व्यवस्था के लिए यह देखा जाएगा कि प्रदान की गई अग्रिम योजनागत सहायता का राज्य की वित्त व्यवस्था पर दबाव तो नहीं पड़ता।

(ख) वार्षिक योजना बनाते समय, योजना परिव्यय का वित्त-पोषण करते हुए सूखा राहत के लिए दिए गए इस प्रकार के अग्रिमों का समायोजन कर दिया जाता है और योजना का पूरी तरह वित्त पोषण हो जाता है।

(ग) और (घ) पृथक निधियां स्थापित करने सम्बन्धी विषय पर छठे वित्त आयोग द्वारा पहले विचार किया जा चुका है और यह पाया गया है कि इस प्रकार की पृथक निधियों की स्थापना करना न तो व्यवहार्य है और न वांछनीय। तथापि, वित्त आयोग ने प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राहत की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य में "सीमान्त धन" के रूप में कुछ राशि अलग रखने की सिफारिश की है। आठवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि सभी राज्य मिलकर अपने सीमान्त धन के हिस्से के रूप में अपने-अपने बजटों में 120.375 करोड़ रुपये की व्यवस्था करें और उसके बराबर की राशि केन्द्र प्रदान करे।

नशीली औषधों के व्यापार से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए कार्यकारी दल

7720. डा० गौरी शंकर राजहंस
श्री बनवारी लाल पुरोहित } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नशीली औषधों के व्यापार से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए अमरीका के साथ संयुक्त रूप से एक कार्यकारी दल का गठन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

जैसाकि 25 मार्च, 1986 के "इंडियन एक्सप्रैस" में छपा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यकारी दल के कब तक गठन किए जाने और देश में कार्य करना आरम्भ कर देने की सम्भावना है; और

(ग) देश में नशीली औषधों के व्यापार से उत्पन्न खतरा, विशेषकर युवाओं में, किस सीमा तक समाप्त हो जाएगा।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) फरवरी, 1986 में, भारत और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारें इस बात पर सहमत हुई थीं कि नार्कोटिक्स नियन्त्रण के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग स्थापित करने के लिए भारत-अमरीका संयुक्त आयोग के अंग रूप में एक नार्कोटिक्स कार्यकारी दल का गठन किया जाए।

(ख) नार्कोटिक्स कार्यकारी दल की स्थापना इसके गठन, रीतियों और विचारणीय विषयों की निश्चित सूची के तैयार होने के बाद की जाएगी।

(ग) यह आशा है कि इस दल के गठन से औषध-द्रव्यों की गैर-कानूनी धन्धा करने संबंधी अभिशाप का डटकर मुकाबला करने के लिए दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग बढ़ेगा।

नागरिक पूर्ति गोदामों का निर्माण

7721. **श्री ए० जे० वी० डी० महेश्वर राव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भांडागार निगम का आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में कोनसेम क्षेत्र में नागरिक पूर्ति गोदामों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) और (ख) सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित प्रत्येक राजामुंद्री और अम्लापुरम में 5000 मीटरी टन और आंध्र प्रदेश में स्थित पश्चिमी गोदावरी जिले में टाडेपल्लागुडम में 3,500 मीटरी टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है। यह क्षमता खाद्यान्नों तथा अन्य जिन्सों का भंडारण करने के प्रयोजन हेतु है।

चूहों की संख्या में वृद्धि होने के कारण खाद्यान्नों का नष्ट होना

7722. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम**
श्रीमती डी० के० भंडारी } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चूहों (रोडेन्ट) की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिससे खेतों में, घरों में और खाद्यान्नों के भंडारों तथा अन्य खाद्य फसलों और पैकिंग के सामान को भारी नुकसान हो रहा है; और

(ख) वर्ष 1984, 1985 और 1986 के अन्त तक चूहों (रोडेन्ट) की अनुमानित संख्या क्या थी और उनसे कितना नुकसान होने का अनुमान है तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांडा): (क) और (ख) चूहों की संख्या और उनके द्वारा पहुंचाए गए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए कोई व्यवस्थित/व्यापक अध्ययन नहीं किए गए हैं।

चूहों की संख्या पर नियन्त्रण रखने और भंडारित खाद्यान्नों को उनके द्वारा पहुंचाए गए नुकसान को कम करने के लिए मंत्रालय का भारतीय अनाज संचयन संस्थान विभिन्न कृन्तकनाशी दवाइयों और तरजीही चारे का उनकी प्रभावकारिता की दृष्टि से परीक्षण कर रहा है। संस्थान ने कुछेक कृन्तकनाशी मिश्रणों का भी विकास किया है। इसके अलावा, मन्त्रालय के 17 केन्द्रीय अन्न सुरक्षा दल विभिन्न राज्यों में चुनींदा गांवों में प्रदर्शन और प्रशिक्षण आयोजित करते हैं ताकि चूहों को पकड़ने, चूहों के बिलों को नष्ट करने और कृन्तकनाशी दवाइयों और प्रधूमकों जैसे मूषक नियन्त्रण उपायों का प्रचार किया जा सके। भारतीय खाद्य निगम और सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, जहां कहीं आवश्यक होता है, वहां मूषक नियन्त्रण उपायों का भी इस्तेमाल करते हैं। सातवीं योजनावधि के दौरान इन उपायों को जारी रखा जाएगा।

केरल में एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत खराब चावल की बजाए उबले हुए चावल की सप्लाई

7723. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी शिकायत है कि केरल में एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम के लिए सप्लाई किया गया चावल "सख्त चावल" (आयरन राइस) और खराब चावल है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केरल को उबले चावल सप्लाई करने का है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांडा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात

7724. कुमारी डी० के० तारा देवी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात किया गया; और

(ख) समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) पिछले तीन वर्षों में निर्यातित समुद्री खाद्य की मात्रा निम्नलिखित थी :—

1983-84	—	92691 टन
1984-85	—	86187 टन
1985-86 (अप्रैल, 85 से जनवरी, 86 तक)	—	65409 टन

(स्रोत : समुद्री उत्पाद निर्यात-विकास प्राधिकरण)

(ख) समुद्री खाद्य के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाये गये कदम हैं :—

कल्चर्ड श्रिम्पस का उत्पादन, श्रिम्प संसाधन संयंत्रों का आधुनिकीकरण आई०क्यू०एफ० जैसी मूल्य वर्धित मदों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, उत्पादों की क्वालिटी को बेहतर बनाना और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों का लाभ उठाने के उपाय ।

खाद्यान्न सहायता प्राप्त योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन

7725. डा० जी० विजय रामाराव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी सहायता से तथा विश्व बैंक की सहायता से क्षेत्र के एककों द्वारा आरम्भ की गई योजनाओं के लिए, जिनमें विदेशी मुद्रा व्यय होती है नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक सहित उनके मन्त्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा मध्यावधि उपचारात्मक कार्रवाई हेतु कतिपय निगरानी तथा मूल्यांकन किये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वित्त मन्त्रालय के अधिकारी

विदेशी तथा विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर किए जाने वाले व्यय का परिवीक्षण करते हैं।

(ख) मध्यावधि उपचारात्मक कार्रवाई करने की दृष्टि से विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के मूल्यांकन और मानीटरिंग की मुख्य जिम्मेदारी प्रशासनिक मन्त्रालयों/राज्य सरकारों की है। इन परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेने के लिए की जाने वाली बैठकों में वित्त मन्त्रालय का भी सहयोग लिया जाता है। नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय लेखा परीक्षा का कार्य करता है।

वारंगल में अजमजाही मिल्स का घाटे में चलना

7726. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की वारंगल स्थित अजमजाही मिल्स घाटे में चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मिल को बन्द होने से बचाने के लिए सरकार का क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। वर्ष 1974-75 से जनवरी, 1986 तक अजमजाही मिल्स को हुई संचित हानियां लगभग 17.47 करोड़ रु० की थीं।

(ख) वस्त्र नीति में यह व्यवस्था है कि जहां एकक अर्थक्षम हो सकते हैं, वहां चयनात्मक आधुनिकीकरण किया जाएगा। तथापि, जो एकक अर्थक्षम बनने के योग्य नहीं है, उन एककों को बार-बार कार्यरत रखने का तात्पर्य होगा दुर्लभ संसाधनों को निरन्तर नष्ट करना और ऐसे एकक अथवा उनके भागों को बन्द करना पड़ेगा ताकि कोई और नुकसान न हो। तथापि, किसी मिल के बन्द होने के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

तकुओं की कुल क्षमता की अधिकतम सीमा

7727. **श्री बी० एस० विजयराघवन**
प्रो० पी० जे० कुरियन } : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए देश में तकुओं की कुल क्षमता की अधिकतम सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कुल क्षमता कितनी है;

(ग) अधिकतम सीमा किस आधार पर निर्धारित की गई है;

(घ) क्या योजना आयोग की यह धारणा है कि समस्त क्षमता का उपयोग किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो अधिकतम सीमा निर्धारित करने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सातवीं योजना अवधि (1985—90) के अन्त तक कुल 24.36 मिलियन सूती तकुओं और 1.04 मिलियन ऊनी तकुओं, जिनमे विद्यमान तकुए शामिल हैं, की आवश्यकता होगी।

(ख) 31-3-1985 को सूती वस्त्र मिलों, जिनमें कृत्रिम रेशम एकक शामिल हैं, में संस्थापित तकुओं की संख्या 29.42 मिलियन तकुए थी। 31-3-1986 को संस्थापित ऊनी तकुओं की संख्या .32 मिलियन वर्स्टेड और .21 मिलियन गैर-वर्स्टेड तकुए थी।

(ग) से (ङ) सातवीं योजना अवधि के लिए तकुओं की कुल आवश्यकता का हिसाब लगाने में क्षमता उपयोग, सूती यार्न के औसत काउन्ट, ब्लैन्डेड यार्न का विनिर्माण, कताई मिलों के आधुनिकीकरण, स्पन यार्न की आवश्यकता आदि जैसी बातों को ध्यान में रखा गया है और विद्यमान क्षमता के उपयोग को शत प्रतिशत रूप में नहीं माना गया है।

सोवियत रूस को प्याज का निर्यात

7728. श्री पी० एम० सईद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) ने प्याज के भारतीय ताजा प्याज के निर्यात के लिए सोवियत रूस की एक फर्म के साथ एक करार किया है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात किए जाने वाले प्याज की मात्रा तथा मूल्य कितना है;

(ग) क्या यह निर्यात सम्बन्धी करार समयबद्ध है; और

(घ) भारत से विदेशों को निर्यात किये जाने वाले अन्य ताजा कृषि उत्पादों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) नेफेड ए उसके सहयोगी लदानकर्ताओं ने 3250 रु० पी०एम०टी०, सी०आई०एफ० ब्लैक-सी-पोर्ट की दर से 25,000 एम०टी० प्याज के निर्यात के लिए संविदा पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ग) जी, हां। संविदा में रखी गई लदान अवधि अप्रैल-मई, 1986 है।

(घ) भारत से निर्यात की जाने वाली अन्य ताजा कृषि मदों में शामिल हैं : ताजे फल जैसे आम, चीकू, अनन्नास, अमरूद, सब्जियां जैसे भिंडी, फ्रैंचबीन, करेला, ओवरजिन्स, टिन्डा और आलू।

नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा सरकारी क्षेत्र के सभी एककों के लेखाओं की लेखा-परीक्षा

7729. डा० डी० एन० रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियन्त्रक और महालेखा-परीक्षक के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी एककों के लेखाओं की लेखापरीक्षा एक निश्चित समय-सीमा के भीतर करना अनिवार्य है;

(ख) क्या कोई ऐसे मामले हुए हैं, जिनमें नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा भारत की संचित निधि से धन के व्यय से सम्बन्धित ऐसे लेखाओं की लेखापरीक्षा किन्हीं कारणों से नहीं की गई;

(ग) क्या नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक के लिए लेखापरीक्षा न किये जाने की सूचना संसद को देना अनिवार्य है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के किन्हीं एककों के बारे में लगातार दो वर्षों तक ऐसा नहीं किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी एककों के लेखाओं की लेखापरीक्षा किसी विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर करना अनिवार्य नहीं है, सिवाय कुछ सांविधिक निगमों के मामले में, जिनमें उसके लिए सांविधिक उपबन्धों के अनुसार लेखाओं की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट एक निश्चित समय-सीमा के भीतर करना जरूरी होता है।

(ख) से (घ) जी, नहीं।

उपभोक्ताओं पर थोक मूल्य सूचकांक की वृद्धि का प्रभाव

7730. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
श्री सी० सम्बु } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 मार्च, 1986 को समाप्त हुए दूसरे सप्ताह में भी थोक मूल्य सूचकांक में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सप्ताह के दौरान सभी वस्तुओं के लिए सूचकांक (आधार 1970-71=100) 359.6 रहा जबकि यह पिछले सप्ताह में 358.2 था और उसमें 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या वित्तीय वर्ष 1985-86 के 49 सप्ताहों के दौरान 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि 5.9 प्रतिशत थी;

(घ) यदि हां, तो क्या इस अवधि के दौरान देश में थोक मूल्य सूचकांक का उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ा था;

(ङ) यदि हां, तो उसका प्रभाव किस सीमा तक था;

(च) चालू वित्तीय वर्ष में इस सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) और (ङ) थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि का प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ता है। तथापि, यह किसी दी हुई अवधि के दौरान वस्तु विशेष के मूल्यों में परिवर्तन तथा उपभोक्ताओं में उसके सापेक्ष महत्व पर निर्भर करता है।

(च) और (छ) सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए उच्च प्राथमिकता देती है और उभरती हुई प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य मे उपचारात्मक कदम उठा रही है। सरकार की मुद्रास्फीति विरोधी नीति में पूर्ति और मांग के प्रभावी प्रबन्ध पर जोर दिया जाना जारी है जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाना, राजकोषीय अनुशासन लागू करना और अर्थव्यवस्था में कुल नकदी को नियंत्रण में रखना शामिल है।

उड़ीसा में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कम पूंजी निवेश

7731. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क करके यह सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कम पूंजी निवेश किए जाने से विद्युत, सिंचाई, कृषि, उद्योग, परिवहन और संचार सम्बन्धी राज्य की प्रमुख विकास परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मार्च 1985 के अन्त में उड़ीसा में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात समूचे देश के 69.7 प्रतिशत के मुकाबले 89.5 प्रतिशत था। राज्य में ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त बैंक उड़ीसा राज्य सरकार और/या राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा जारी किए गए ऋणों में भी निवेश करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों ने 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य तथा उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा जारी किए गए कुल ऋणों में औसतन लगभग 83 प्रतिशत अंशदान किया है।

कैप्रो ग्रुप आफ कम्पनीज द्वारा शेयरों की खरीद के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच

7732. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन की कैप्रो ग्रुप आफ कम्पनी द्वारा एस्कोर्ट्स शेयरों की खरीद के लिए प्रेषित रकम के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) सरकार का विचार इस पर क्या कार्रवाई करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि विषयास्पद शेयर कैप्रो ग्रुप आफ कम्पनीज द्वारा विदेशों से भेजी गई निधियों से वैध रूप से खरीदे गए थे और इसी कारण भारतीय रिजर्व बैंक उसके द्वारा पहले दिए गए अनुमोदन में संशोधन करने के लिए कोई औचित्य नहीं पाता।

(घ) इस अवस्था में इस मामले में सरकार को कोई कार्यवाही नहीं करनी है।

भारतीय कपास निगम द्वारा "काटन लिन्ट" का निर्यात

7733. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कपास निगम द्वारा इस वर्ष आज तक कर्नाटक में कुल कितनी कॉटन डी० सी० एच० 32 और कॉटन की खरीद की गई है;

(ख) कर्नाटक में भारतीय कपास निगम द्वारा कुल कितनी "काटन लिन्ट" की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ग) प्रत्येक केन्द्र में खरीद का ब्यौरा क्या है;

(घ) भारतीय कपास निगम द्वारा आज तक कुल कितना लिन्ट निर्यात किया गया है; और

(ङ) किन-किन देशों को इसका निर्यात किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इस मौसम के दौरान

12-4-86 तक कर्नाटक में भारतीय रुई निगम ने कपास की 527598 क्विन्टल की कुल मात्रा (लगभग 98: 00 रुई की गांठों की खरीद की । इसमें से 97945 गांठें डी० सी० एच० 32 किस्म की हैं।

(ख) कर्नाटक में लिंट की खरीद के लिए भारतीय रुई निगम द्वारा कोई सीमा निर्धारित नहीं की है।

(ग) कर्नाटक में भारतीय रुई निगम की केन्द्र-वार खरीद के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :—

केन्द्र	क्विन्टल में खरीद
हवेरी	3531
रेजीवेननूर	2140
दवागेरी	1890
चित्रदुर्ग	3033
कितूर	48
हुबली	2862
भारवाड	1448
बेल्हेंगल	16949
दवाग	5486
सौंदत्ती	34115
नारगंग	29280
नवलगंद	5130
हारीकेरर	2001
अनीगेरी	1289
राईकुरई	131656
बालेरी	127750
सिन्दनूर	54840
बीजापुर	70

(घ) इस मौसम के दौरान 12-4-86 तक भारतीय रुई निगम द्वारा निर्यात के लिए रुई की 1,71,818 गांठों की कुल मात्रा के लिए संविदा की गई।

(ङ) उन देशों के नाम, जिन्हें भारतीय रुई निगम द्वारा रुई पर निर्यात किया जा रहा है, निम्नोक्त प्रकार हैं :—

जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, तईवान, थाईलैंड, हांगकांग, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, स्विटजरलैंड, बल्गारिया, इंगलैंड और रूमानिया।

खाद्यान्नों का बफर भंडार

7734. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बफर भंडारों में उपलब्ध खाद्यान्नों की मात्रा कितनी है; और

(ख) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए हर महीने खाद्यान्नों की कितनी मात्रा जारी की जाती है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) सरकारी एजेंसियों के पास पहली अप्रैल, 1986 को कुल 212.2 लाख मीटरी टन खाद्यान्न होने का अनुमान था।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें पिछले छः महीनों में केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के किए गए राज्यवार मासिक आवंटनों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

अक्तूबर, 1985 से मार्च, 1986 के दौरान सार्वजनिक वितरण* के लिए प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के मासवार आवंटनों को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	अक्तूबर 85		नवम्बर, 85		दिसम्बर, 85		जनवरी, 86		फरवरी, 86		मार्च, 86	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आन्ध्र प्रदेश	120.00	60.00	115.00	68.40	60.00	69.14	45.00	69.15	50.00	93.08	50.00	93.08
असम	40.00	72.60	40.00	80.00	40.00	80.00	40.00	80.75	40.00	95.43	40.00	95.43
बिहार	25.00	125.68	25.00	125.68	25.00	126.43	25.00	126.43	25.00	153.65	25.00	153.65
गुजरात	20.00	61.14	20.00	71.14	20.00	71.14	20 00	71.14	20.00	77.36	20.00	77.36

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
हरियाणा	3.50	52.23	3.50	52.23	3.50	57.23	3.50	57.23	3.50	72.85	3.50	70.35
हिमाचल प्रदेश	6.50	7.44	6.50	7.44	6.50	7.44	6.50	7.44	6.50	9.05	6.50	9.05
जम्मू तथा कश्मीर	16.00	36.60	16.00	36.60	16.00	36.60	16.00	36.60	16.00	48.90	16.00	48.90
कर्नाटक	35.00	61.29	70.00	61.29	45.00	62.79	45.00	72.79	45.00	96.69	45.00	96.69
केरल	125.00	48.77	150.00	48.77	125.00	48.77	125.00	48.77	125.00	55.66	125.00	55.66
मध्य प्रदेश	25.00	48.07	30.00	48.07	25.00	48.07	25.00	63.07	25.00	69.61	25.00	69.61
महाराष्ट्र	40.00	131.82	40.00	131.82	40.00	131.82	40.00	129.80	40.00	164.71	40.00	164.71
मणिपुर	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00
मेघालय	8.50	3.60	8.50	3.60	8.50	3.60	8.50	3.60	8.50	4.35	8.50	4.35
नागालैण्ड	5.00	5.56	5.00	5.56	5.00	5.56	5.00	5.56	5.00	6.38	5.00	6.38
उड़ीसा	20.00	52.56	20.00	52.56	20.00	52.56	20.00	52.56	8.00	58.47	10.00	59.59
पंजाब	1.70	47.70	1.70	47.70	1.70	54.70	1.70	53.95	1.70	73.43	1.70	73.43

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
राजस्थान	2.00	33.75	2.00	56.50	2.00	56.50	2.00	56.50	2.00	59.75	2.00	59.75
सिक्किम	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00	1.00	4.00	1.38	4.00	1.38
तमिलनाडु	40.00	124.35	90.00	124.35	90.00	124.35	65.00	124.35	40.00	143.22	40.00	143.22
त्रिपुरा	10.00	6.55	10.00	6.56	10.00	6.56	10.00	6.56	10.00	7.37	10.00	7.37
उत्तर प्रदेश	50.00	153.41	50.00	153.41	50.00	153.41	50.00	157.81	50.00	215.33	50.00	219.08
पश्चिमी बंगाल	125.00	201.64	125.00	201.64	125.00	201.64	125.00	197.94	125.00	233.13	125.00	233.13
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	5.50	2.10	—	—	—	—	3.00	2.10	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	3.60	1.85	7.20	1,85	3.60	1.85	4.00	1.85	4.00	1.85	4.00	1.85
चण्डीगढ़	0.25	6.68	0.25	6.68	0.25	6.68	0.25	6.68	0.25	7.65	0.25	7.65
दादर तथा नगर हवेली	0.10	0.02	0.10	0.02	0 10	0.02	0.10	0.025	0.10	0.025	0.10	0.025
दिल्ली	25.00	88.00	25.00	88.00	25.00	88.00	25.00	88.00	25.00	96.40	25.00	96.40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
गोआ, दमन और दीव	4.50	4.55	4.50	4.55	4.50	4.55	4.50	4.55	4.50	5.67	450	5.67
मिजोरम	8.00	1.50	8.00	1.50	8.00	1.50	8.00	1.50	8.00	1.50	6.00	1.50
पांडिचेरी	2.00	1.16	2.00	2.10	2.50	2.10	3.00	2.10	2.50	2.47	2.50	2.47
लक्षद्वीप	5.50	0.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जोड़	780.65	1445.05	883.25	1492.02	770.15	1507.01	734.05	1532.80	698.55	1858.365	698.55	1861.235

*इसमें रोलर फ्लोर मिलों के लिए गेहूं के आवंटन भी शामिल हैं।

समुद्री उत्पादों का आयात और निर्यात

7735. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात किए जाने वाले मुख्य समुद्री उत्पाद कौन से हैं;

(ख) आयात किए जाने वाले मुख्य समुद्री उत्पाद कौन से हैं;

(ग) वर्ष 1983-84 से 1985-86 की अवधि में कुल कितने मूल्य का निर्यात और आयात किया गया और;

(घ) देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की स्थिति क्या है और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाएं प्राप्त करने में कोई कठिनाई है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) निर्यात होने वाले प्रमुख समुद्री उत्पाद हैं—झींगा की प्रशीतित मदें, समुद्री झींगा की पूंछ, कटल फिश/टुकड़े, स्क्विड, मछली एवं मेंढक की टांगें, सुखाई गई मछलियां, डिब्बाबंद झींगा मछली, सुखाई गई झींगा तथा शार्क फिश/मछलियों का पोटा।

(ख) वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस के अधीन विदेशी मुद्रा के आधार पर छोटी मात्र में आयात की अनुमति को छोड़कर भारत में समुद्री उत्पादों का आयात नहीं किया जाता है।

(ग) 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 (अप्रैल, 85 से जनवरी, 86 तक) के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात क्रमश: 92691 मे० टन (मूल्य—373.02 करोड़ रु०), 86187 मे० टन (मूल्य—384.29 करोड़ रु०) तथा 65409 मे० टन (मूल्य—314.63 करोड़ रु०) हुए।

(स्रोत: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन)।

(घ) इस समय, देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का कार्य यंत्रचालित नावों, बड़े पोतों तथा चार्टर पर चल रहे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोतों द्वारा किया जा रहा है। सरकार की ऐसी योजना है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का उपयोग निर्यात के लिए पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया जाए। निर्यात अभिमुख एककों को पोत प्राप्त करने में किसी कठिनाई की संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

दक्षिणी क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों द्वारा चन्दे के रूप में बड़ी धनराशि लिए जाने के आरोप

7736. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया**
श्री तेजा सिंह बर्दी } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को दक्षिणी क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों द्वारा चन्दे के रूप बड़ी धनराशि लिए जाने के आरोपों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मद्रास सर्किल अधिकारी संघ के पदाधिकारी संघ द्वारा बनाए गए शैक्षिक ट्रस्ट के लिए बैंक के ग्राहकों और जनता से चन्दा एकत्र कर रहे थे। बैंक के मद्रास सर्किल प्राधिकारियों द्वारा की गई जांच से पता चला है कि चन्दा एकत्र करने के अलावा कुछ अधिकारी लाटरियां चला रहे थे और बैंक के ग्राहकों और जनता को टिकटें बेच रहे थे। चन्दा एकत्र करने वाले अधिकारियों को इस संबंध में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने और चन्दा एकत्र करने से रोकने के सरकार के निदेशों के अनुसार लिखित रूप से चेतावनी दी गई थी। जब मामले में कोई सुधार नहीं हुआ और संघ ने अपना जिद्दी रवैया अपनाए रखा तो भारतीय स्टेट बैंक के मद्रास सर्किल प्राधिकारियों ने चन्दा एकत्र करने वाले एक अधिकारी को निलम्बित कर दिया है तथा 5 पदाधिकारियों को चार्जशीट कर दिया है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में खजुराहो आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी

7737. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली और बम्बई से यातायात के सुविधाजनक साधन उपलब्ध न होने के कारण मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र खजुराहो की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में प्रति वर्ष कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) वहां विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों के लिए बेहतर यातायात और आवास सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार, गत 3 वर्षों के दौरान खजुराहो की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ए) अब खजुराहो में विभिन्न श्रेणियों का पर्याप्त आवास उपलब्ध है। जहां तक परिवहन

सुविधाओं का सम्बन्ध है, खजुराहो वायु मार्ग द्वारा दिल्ली, आगरा और वाराणसी से सीधा जुड़ा हुआ है। सतना से, खजुराहो के समीप रेलवे स्टेशन स्थल परिवर्तन भी उपलब्ध है। खजुराहो जैसे पर्यटक केन्द्रों पर आधार संरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। 1985-86 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने खजुराहो की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं पर स्वीकृति प्रदान की है :—

(I) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 3 पर लगभग 13.71 लाख रु० की लागत से मार्गस्थ सुविधाएं 2 लाख रु० की एक राशि राज्य सरकार को रिलीज कर दी गई है जिस पर इस परियोजना के कार्यान्वयन का दायित्व है।

(II) खजुराहो में लगभग 1.5 लाख रु० की लागत से टायलेट और पीने के पानी की व्यवस्था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को, जिन्हें यह कार्य एक वर्ष के अन्दर-अन्दर पूरा करने को कहा गया है, आवश्यक अग्रिम-राशि रिलीज़ कर दी गई है।

(III) खजुराहो में लगभग 22 लाख रु० की लागत से चंदेला सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण इस परियोजना का कार्यान्वयन भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ज़रिए कराया जा रहा है और उन्हें इसके प्रयोजनार्थ 5.00 लाख रु० की अग्रिम राशि दी गई है।

औषधियों की तस्करी से निपटने के लिए अमरीका में अपनाए जा रहे उपाय लागू करना

7738. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में अमरीका में नशीली औषधि नियंत्रण व्यवस्था करने वाले अमरीकी दल ने दिल्ली का दौरा किया था;

(ख) क्या चर्चा के दौरान अमरीका में औषधियों की तस्करी से निपटने के लिए इस समय अपनाये जा रहे कुछ उपायों को हमारे देश में भी अपनाया जाना लाभदायक पाया गया क्योंकि नशीली दवाओं की तस्करी में भारी वृद्धि होने से यह देश इन दवाओं को लाने ले जाने का केन्द्र बन गया है; और

(ग) यदि हां, तो वे नये तरीके क्या हैं जिन्हें लागू करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चूंकि वार्तालाप सामान्य प्रकार का था, इसलिए औषधियों के गैर-कानूनी धन्धे को रोकने के लिए किन्हीं ऐसे उपायों की देश में लागू करने के लिए जैसे कि अमरीका में प्रचलित हैं, पता नहीं लगाया गया था।

दक्षिण एशियाई देशों में यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना

7739. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण एशियाई देशों में यात्रा और पर्यटन को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यात्रा और निवास के संबंध में घरेलू पर्यटकों को कोई प्रोत्साहन देने [illegible]चार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) प्रशांत क्षेत्र यात्रा संघ के तत्वावधान में पाटा के अन्तर्गत भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और बंगला देश जैसे दक्षिण एशियाई देशों ने यू० के० में इस क्षेत्र का एक पर्यटक गंतव्य के रूप में संवर्धन करने के लिए और फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी से दक्षिण एशियाई देशों के लिए प्रोत्साहन यात्राओं का संवर्धन करने के लिए एक सहभागिता विपणन कार्यक्रम तैयार किया है जिसके लिए सभी देशों द्वारा संयुक्त रूप से और पाटा मुख्यालय वित्त-पोषण करेंगे। इस सहभागी विपणन प्रयास के ब्यौरों को अब तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा, कुछ समय पूर्व भारत सरकार पाकिस्तान सरकार के साथ दोनों देशों के बीच पर्यटक समूहों के आदान-प्रदान के लिए एक पर्यटन प्रोतोकोल में सम्मिलित हुआ है। भारत की ओर से भारत पर्यटन विकास निगम और पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान पर्यटन विकास निगम द्वारा स्कीम परिचालित की जायेगी। ऐसा समझा जाता है कि दक्षिण एशियाई देशों की एयरलाइनें भी विश्व के किसी भी स्थान से दक्षिण एशियाई देशों की यात्रा करने पर, वायु किराया कम करने की एक स्कीम पर कार्य कर रही हैं; बशर्ते यात्री एक से अधिक देश की यात्रा करे।

स्वदेशी पर्यटकों की यात्रा सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से पर्यटन विभाग राज्य सरकारों के घनिष्ठ सहयोग से स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के पर्यटकों की अभिरुचि के स्थानों पर बजट पर्यटकों के लिए मितव्ययी आवास, तीर्थयात्रियों के लिए सस्ता आवास, आदि जैसी आधार-संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने की कोशिश कर रहा है। दम्पत्तियों, विद्यार्थियों और 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं सहित स्वदेशी पर्यटकों के लिए भारत पर्यटन विकास निगम, वायुदूत तथा राज्य पर्यटन विकास निगम बहुत सी एक-मुश्त यात्राओं की पेशकश कर रहे हैं।

नकली करेंसी का पकड़ा जाना

7740. **श्री पी० कुलन्दईवेलु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नकली भारतीय करेंसी की कुल कितनी राशि पकड़ी गई है;

(ख) इस बारे में कितने आपराधिक मामले लम्बित हैं और कितने लोगों को सजा हो चुकी है;

(ग) क्या वर्ष 1984-85 की तुलना में नकली नोटों की छपाई में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसे अपराध न होने देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जैसाकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सूचित किया गया है, पिछले तीन वर्षों के दौरान पकड़ी गई नकली भारतीय करेंसी का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1984	800,792 रुपये
1985	15,10,389 रुपये
1986 (मार्च तक)	5,55,711 रुपये

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सूचित किया गया है कि 1984 के दौरान नकली करेन्सी पकड़े जाने से संबंधित 201 मामले लम्बित पड़े थे जिनमें से 16 मामलों में दोष सिद्ध हो गया। 1985 के दौरान 13 मामले लम्बित पड़े थे और उसमें से किसी भी मामले में दोष सिद्ध नहीं हुआ।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान पकड़े गए नकली करेन्सी नोटों का तुलनात्मक ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	करेन्सी नोटों की संख्या
1984-85	12,877
1985-86	31,607

(घ) नकली नोट बनाया जाना रोकने के लिए, भारतीय करेन्सी और बैंक नोटों को विशेष मोल्ड के कागज पर विशेष सुरक्षा स्याही से छापा जाता है और इसमें निम्नलिखित सुरक्षा तत्व समाविष्ट किए जाते हैं :—

(1) अशोक स्तम्भ के डिजाइन का जलांक (वाटर मार्क)।

(2) बहुरंगी आफ-सेट प्रिंटिंग।

(3) 5 रुपये और उससे ऊपर के मूल्यवर्ग के नोटों के मामले में सुरक्षा धागा लगाना।

(4) 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों पर इन्टैग्लियो प्रिंटिंग (10 रु०, 5 रु०, 2 रु० और 1 रु० के नोटों पर कोई इन्टैग्लियो प्रिंटिंग नहीं की जाती)।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को नकली करेंसी नोटों का पता लगाने में सहायता प्रदान करने के लिए जाली करेंसी से संबंधित सूचना भी संकलित और परिचालित करता है।

एजेण्ट नियम, 1972 में संशोधन करने का प्रस्ताव

7741. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम से कम पालिसियों को व्यपगत होने देने तथा नए कारोबार की किस्म तथा उत्पादन में सुधार करने और भर्ती किए गए एजेंटों की गुणवत्ता में भी सुधार करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एजेंटों के लिए प्रशिक्षण तथा परीक्षा पास करना समाप्त कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप एजेण्टों की कार्य-कुशलता घटी तथा वर्तमान स्थिति पैदा हुई है;

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भर्ती प्रक्रिया में सुधार करने तथा एजेन्टों के कुशल कार्यकरण, उनके प्रशिक्षण तथा जांच परीक्षा के लिए एजेन्ट नियम, 1972 में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम व्यपगत पालिसियों संबंधी अपने अनुभव का समय-समय पर विश्लेषण करता है।

(ख) जीवन बीमा निगम द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार व्यपगत पालिसियों से कारबार में होने वाली कमी के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं :—

1. ग्रामीण कारबार का बढ़ता हुआ प्रतिशत;

2. नए एजेंटों की बड़े पैमाने पर भर्ती;

3. एजेंटों द्वारा तेजी से अधिक कारबार प्राप्त करना; और

4. नये कारबार में उत्तरोत्तर वृद्धि।

जीवन बीमा निगम एजेंसियों के व्यवसायीकरण द्वारा नये कारबार की किस्म में सुधार करके कारबार में व्यपगमन को कम से कम करने का प्रयास कर रहा है।

(ग) जी, नहीं। 1972 के एजेंट नियमों के अनुसार जीवन बीमा निगम ने एजेंटों को स्थायी करने से पूर्व उनके प्रशिक्षण और परीक्षा पास करने को समाप्त नहीं किया है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) अभी सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता

7742. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक में पिछड़े क्षेत्रों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा की गई सहायता में वर्ष 1984-85 में उससे पिछले वर्ष की तुलना में स्पष्ट कमी हुई;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान कर्नाटक में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कितनी सहायता राशि वितरित की गई थी; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कर्नाटक के पिछड़े क्षेत्रों में 1984-85 में संवितरित 71.67 करोड़ रुपये के मुकाबले 1984-85 में 71.05 करोड़ रुपये की सहायता संवितरित की गई थी। इस प्रकार सहायता में थोड़ी सी ही कमी हुई है।

प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कर्नाटक में जुलाई-दिसम्बर, 1985 की अवधि के दौरान 93.16 करोड़ रुपये की सहायता संवितरित की गई थी।

[हिन्दी]

सातवीं योजनावधि के दौरान उत्तर प्रदेश में पर्यटक केन्द्रों का विकास

7743. श्री हरीश रावत : क्या संसदीय कार्य तथा पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में उन पर्यटक स्थलों के नाम क्या हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के अन्तर्गत आ गए हैं;

(ख) क्या वर्तमान योजनावधि के दौरान पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने और इन स्थानों के विकास के लिए कुछ प्रबंध किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) पर्यटन विभाग "दि राइट प्लेस टूरिस्ट मैप आफ इंडिया" शीर्षक से मानचित्र का प्रकाशन करता है जिसमें उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के नाम शामिल किए गए हैं। ये संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) और (ग) सातवीं योजना के दौरान विभाग ने उत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें प्रारम्भ की हैं :—

	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
	(लाख रुपयों में)	
(i) गोमती, लखनऊ में जल-क्रीड़ाएं	3.10	1.55
(ii) अयोध्या में ओपन एयर थिएटर के लिए मंच का निर्माण और मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	26.80	13.40
(iii) हरिद्वार में कुम्भ मेले के लिए 150 स्विस कुटीरों की खरीद	17.48	15.73
(iv) मथुरा में एक पर्यटक बंगले का निर्माण	27.64	5.00
(v) श्रावस्ती में पर्यटक काम्पलैक्स	63.00	20.00

निम्नलिखित स्कीमें/परियोजनाएं छठी योजना से चली आ रही स्कीमें हैं :—

(i) फतेहपुर सीकरी में ट्यूब-वैलों की बोरिंग	10.15	9.07
(ii) फतेहपुर सीकरी पर्यटक काम्पलैक्स	69.17	20.00
(iii) एक रासलीला मंच (मथुरा) का निर्माण	1.15	1.00
(iv) वाराणसी घाटों का विकास/सुधार	64.50	43·00

विवरण

उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थल

1. केदारनाथ
2. बदरीनाथ
3. मसूरी
4. देहरादून
5. ऋषिकेश
6. हरिद्वार
7. अलमोड़ा
8. रानीखेत
9. कारबेट नेशनल पार्क
10. नैनीताल
11. दुधवा नेशनल पार्क
12. श्रावस्ती
13. सारनाथ
14. वाराणसी
15. इलाहाबाद
16. अयोध्या

17. लखनऊ

18. फतेहगढ़

19. आगरा

20. मथुरा

[अनुवाद]

आर्थिक दृष्टि से कमजोर बैंकों की स्थिति सुधारना

7744. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर कुछ बैंकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए इनकी सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ बैंकों के कार्य-निष्पादन में हुए सुधार को ध्यान में रखते हुए इन बैंकों का नाम सूची में से काट देने के लिए पुनरीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की पुनरीक्षा का क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों से है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक को, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों समेत सभी वाणिज्यिक बैंकों का सांविधिक निरीक्षण करने का अधिकार है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक, आवश्यकतानुसार कुछ बैंकों की स्थिति की समय समय पर विशेष जांच भी करता है। यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनरुद्धार के प्रयोजन से गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कोई सूची नहीं बनाई है, लेकिन रिजर्व बैंक उन बैंकों के परिचालनों पर बारीकी से नजर रखता है जिनके लक्षण उसके विचार से असंतोषजनक दिखाई देते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इनमें से कुछ बैंकों के प्रबन्ध को मजबूत बनाने के लिये कदम उठाये हैं। रिजर्व बैंक ने सेवा-निवृत्त बैंकरों, अर्थ-शास्त्रियों, चार्टर्ड लेखाकारों आदि में से एक या अधिक निदेशक नियुक्त करके इनके निदेशक-मण्डलों को मजबूत बना दिया है। बैंकों को अपने पूंजी आधार को बढ़ाने के लिये भी कहा गया है।

मूंगफली के निर्यात में कमी

7745. **प्रो० रामकृष्ण मोरे**
श्री श्रीकांत वत्त नरसिंहराज वाडियर } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या मूंगफली के निर्यात में लगातार कमी हो रही है और क्या इसका निर्यात जो एक दशक पहले 2 लाख टन था वर्ष 1985-86 में घटकर केवल 10,000 टन रह गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मद के निर्यात में घटती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिये निर्यातकों की सहायता के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) भारत से एच० पी० एस० मूंगफली के निर्यातों में 1975-76 से उतार-चढ़ाव आता रहा है। निर्यातों की मात्रा और मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) एच० पी० एस० मूंगफली के निर्यातों पर प्रभाव डालने वाले मुख्य कारण है—विश्व-व्यापी बाजार में मंदी, घरेलू बाजार में मूंगफली सहित तिलहनों की कीमतों में वृद्धि का रुख, घरेलू मूंगफली फसल में एफ्लाआक्सीन की समस्या जो कि ऊंची क्वालिटी की मांग करने वाले जागरूक यूरोपीय बाजारों में स्वीकार्य नहीं है और साथ ही विश्वव्यापी तिलहन बाजारों में सुलभ प्रवृत्तियां जिनके परिणामस्वरूप चल रही घरेलू कीमतों की तुलना में कम अंतर्राष्ट्रीय कीमतें मिलती हैं।

(ग) नई नकद मुआवजा सहायता व्यवस्था में, जो कि 10 जुलाई, 1986 से प्रभावी होगी, निर्यातों पर नकद मुआवजा सहायता के लिये पात्र मदों की सूची में एच० पी० एस० मूंगफली को शामिल करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

विवरण

मात्रा : मे० टन

मूल्य : लाख रु० में

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1	2	3
1975-76	107096	4772
1976-77	122806	5940
1977-78	—	—
1978-79	4400	281
1979-80	22422	1374
1980-81	58880	6282

1	2	3
1981-82	23966	2768
1982-83	28343	2709
1983-84	24702	2208
1984-85	36869	3153
1985-86	8991	759.5

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राज्य वित्त निगमों को सहायता

7746. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राज्य वित्त निगमों को पर्याप्त सहायता नहीं दे रहा है जिसके कारण निगम की अनुवर्ती क्रियाकलापों पर खर्च करने में क्षमता घट रही है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अन्य वित्तीय एजेन्सियों की तरह कार्य न करने और राज्य वित्त निगमों को दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर कम न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपनी पुनर्वित्त योजना तथा संबंधित राज्य सरकारों के साथ बराबरी के आधार पर राज्य वित्तीय निगमों की शेयर पूंजी में अंशदान करके उन निगमों की पर्याप्त सहायता प्रदान करता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राज्य वित्तीय निगमों के लिए बांडों का कोटा भी निर्धारित करने की व्यवस्था करता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राज्य वित्तीय निगमों को दिये जाने वाले ऋणों के ब्याज दर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जुटाई गई लागत के अनुरूप होती हैं। अलबत्ता, संयुक्त ऋण योजना के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को राज्य वित्तीय निगमों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों जैसे कुछ मामलों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित्त दर विकास बैंक की लागत से कम होती है। राज्य वित्तीय निगमों के लिए लाभ की जितनी रकम तय की जाती है, वह उन ऋणों का सुचारू रूप से प्रबन्ध करने के लिए काफी होती है।

केरल के पर्यटक केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास

7747. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल के पर्यटक केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने

पर गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान आधार-संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करने के लिए केरल सरकार को निम्नलिखित परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है :—

(लाख रुपयों में)

स्कीम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1. अल्लेप्पी में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	10.28	4.00
2. कोट्टाराक्कारा में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	10.28	4.00
3. कन्नानोर में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	10.28	4.00
4. पालघाट में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	10.28	4.00
5. वाईनाड में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	10.28	4.00
6. कोचीन, कुमारकोम, क्विलोन और थेक्कड़ी में नौकाओं की व्यवस्था	50.78	25.00
7. केरल में मेले और पर्वों का संवर्धन	2.56	2.56
	104.74	47.56

भारत पर्यटन विकास निगम ने भी कोवलम होटल के नवीकरण और त्रिवेन्द्रम में शुल्क-मुक्त दुकान के लिए 17.06 लाख रुपये खर्च किए हैं।

आयात लाइसेंसों में लघु उद्योगों का हिस्सा

7748. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में कितने मूल्य के कुल कितने आयात लाइसेंस जारी किये गये;

(ख) उक्त वर्षों के दौरान लघु उद्योग एककों को कितने और कितने मूल्य के लाइसेंस जारी किए गये और पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता क्या है;

(ग) कुल लाइसेंसों की संख्या और उनके मूल्यों की तुलना में लघु उद्योगों को जारी किए गये लाइसेंसों की प्रतिशतता क्या है; और

(घ) इस तरह जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या और मूल्यों का राज्यवार विवरण संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 (जून, 85 तक) के लिए जानकारी विवरण I तथा II में दी गई है ।

विवरण-I

कुल आयात लाइसेंस			छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को जारी आयात लाइसेंस		पिछले वर्ष की तुलना में छोटे पैमाने के औद्योगिक लाइसेंसिग में प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (-)		कुल आयात लाइसेंसिग छोटे पैमाने के औद्योगिक लाइसेंसिग का प्रतिशत	
वर्ष	सं०	मूल्य (करोड़ रु०)	सं०	मूल्य (करोड़ रु०)	सं०	मूल्य (कराड़ रु०)	सं०	मूल्य (करोड़ रु०)
1983-84	81496	7030.27	4909	215.69	(—)2 .8	(—) 14.4	6.0	3.1
1984-85	83222	8255.47	5980	457.98	(+)21.8	(+) 112.3	7.2	5.5
1985-86 (जून, 85 तक)	13784	1634.93	685	29.48	×	×	5.0	1.8

× जून, 85 के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-II

छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को जारी किये गये आयात लाइसेंसों की संख्या तथा मूल्य का राज्य-वार वितरण

मूल्य : करोड़ रु०
संख्या : वास्तविक

	1983-84		1984-85		1985-86 (जून, 85 तक)	
	सं०	मूल्य	सं०	मूल्य	सं०	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
"क" राज्य						
आन्ध्र प्रदेश	190	9.30	222	16.73	22	0.61
अरुणाचल प्रदेश	—	—	3	0.47	—	—
असम	26	2.78	52	3.54	—	—
बिहार	19	0.39	26	0.73	3	0.05
गुजरात	814	31.20	760	53.27	16	0.57
हरियाणा	117	6.15	82	7.27	32	3.98
हिमाचल प्रदेश	—	—	27	1.57	13	0.43
जम्मू तथा कश्मीर	17	0.48	24	1.63	—	—
कर्नाटक	313	11.98	408	48.94	6	0.10
केरल	30	0.87	69	1.99	10	0.07
मध्य प्रदेश	76	4.46	126	5.30	6	0.31
महाराष्ट्र	1458	65.33	1879	175.29	163	5.59
नागालैंड	—	—	2	0.13	—	—
उड़ीसा	67	4.48	23	2.91	4	0.11
पंजाब	131	5.54	209	8.18	14	0.24
राजस्थान	108	4.21	128	5.55	13	0.47

1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु	325	11.15	541	21.50	7	0.20
उत्तर प्रदेश	185	7.61	193	21.62	80	3.91
पश्चिम बंगाल	267	7.88	304	15.10	61	2.57
अन्य	5	0.39	5	0.30	—	—
कुल "क"	4148	174.20	5083	387.11	450	19.21
"ख" संघ राज्य क्षेत्र						
चण्डीगढ़	18	3.73	22	1.97	—	—
दिल्ली	694	35.52	812	63.77	231	10.13
गोआ, दमन तथा दीव	42	1.97	41	4.40	3	0.10
पांडिचेरी	7	0.27	21	0.68	1	0.04
त्रिपुरा	--	—	1	0.05	—	—
अन्य	—	—	—	--	—	—
कुल "ख"	761	41.49	897	70.87	235	10.27
कुल योग (क+ख)	4909	215.69	5980	457.98	685	29.48

निर्यात बढ़ाना

7749. श्री राम स्वरूप राम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के लिए निर्यात सम्बन्धी विकास दर का लक्ष्य कितना था;

(ख) क्या उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है;

(ग) क्या यदि नहीं, तो क्या उन कारणों का पता लगाया गया है;

(घ) क्या राज्यों को भी निर्यात संवर्धन अभियान में पूर्ण सहयोग देने के लिए कहा जा रहा है; और

(ङ) क्या देश में विभिन्न एजेंसियों को निर्यात संवर्धन गतिविधियों के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए लिए विदेश व्यापार सम्बन्धी कुल उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन का भी विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी०शिव शंकर) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 1985-86 के लिए 11736 करोड़ रु० का केवल सकल निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है तथा वर्तमान संकेतों से यह मालूम होता है कि यह लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है।

(ग) कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मन्दी और विकसित देशों द्वारा संरक्षणवादी कार्यवाहियों में वृद्धि किए जाने के कारण वातावरण में हमारी बहुत सी वस्तुओं तथा विनिर्मित वस्तुओं के लिए व्यापार का अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण अनिश्चित बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, हालांकि हमारी बहुत सी वस्तुओं के संबंध में वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है किन्तु इकाई मूल्य प्राप्ति में गिरावट आई है।

(घ) जी हां।

(ङ) जी नहीं।

काजू की गिरी का निर्यात

7750. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैलेंडर वर्ष 1985 में कितनी काजू-गिरी का निर्यात किया गया और इस अवधि में इससे कितनी धनराशि अर्जित की गई;

(ख) काजू-गिरी निर्यातकों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) सरकार का विचार काजू-गिरी के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी०शिव शंकर) : (क) कैलेण्डर वर्ष 1985 के दौरान 223.76 करोड़ रुपये मूल्य के 38,123 मे०टन काजू गिरी का निर्यात हुआ।

(ख) काजू-गिरी के निर्यातकों के सामने इस समय जो मुख्य समस्या है, वह कच्चे काजू की कमी की है।

(ग) कच्चे काजू का पर्याप्त मात्राएं प्राप्त करने में काजू उत्पादकों की सहायतार्थ कच्चे

काजू के आयात की मुक्त रूप से अनुमति दी गई है। काजू उत्पादक राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित काजू विकास योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। इसके अलावा काजू फसल के अधीन क्षेत्र विस्तार तथा साथ ही वर्तमान क्षेत्र के सुधार के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक बहु-राज्य परियोजना केरल, कर्नाटक, आंध्र-प्रदेश तथा उड़ीसा में चलाई जा रही है। काजू निर्यात संवर्धन परिषद भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काजू गिरियों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार तथा प्रोपेगन्डा करके और मेलों में भाग लेकर निर्यातकों की सहायता करती है।

[हिन्दी]

तीन तारा/पांच तारा होटलों का कार्यचालन

7751. **श्री एम० एल० भिकराम** : क्या संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर्यटन विभाग द्वारा इस समय तीन तारा और पांच तारा होटल चलाये जा रहे हैं;

(ख) उनसे वर्ष 1985-86 के दौरान हुई आय का ब्यौरा क्या है और उन पर कितना धन खर्च किया गया है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान किन-किन स्थानों पर ऐसे होटल खोलने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम का राज्य सरकारों के सहयोग से गुवाहाटी, पुरी, रांची और भोपाल में 3-स्टार संयुक्त उद्यम होटलों को आरम्भ करने का प्रस्ताव है जो फिलहाल निर्माणाधीन हैं।

इसके अतिरिक्त बोध गया में विद्यमान यात्री गृह का विस्तार किया जा रहा है जिसे एक 3-स्टार होटल में परिवर्तित किया जाएगा।

विवरण

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा देश में चलाये जा रहे 5-स्टार और 3-स्टार होटलों के नाम तथा अवस्थिति और 1985-86 के दौरान इन होटलों की आय और व्यय के ब्यौरे (अनन्तिम)

दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	होटल का नाम और अवस्थिति	1985 के लिए वित्तीय परिणाम (अनन्तिम)	
		आय	व्यय
1	2	3	4
			(लाख रुपयों में)
क	5-स्टार होटल		
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	1197.52	1123.11
2.	अकबर होटल, नई दिल्ली*	303.30	346.60
3.	होटल सम्राट, नई दिल्ली	435.37	479.21
4.	कुतुब होटल, नई दिल्ली	156.00	141.94
5.	होटल अशोक, बंगलौर	280.47	330.26
6.	होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	399.85	353.49
7.	कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट कोवलम, त्रिवेन्द्रम	165.93	161.39
8.	ललित महल पैलेस होटल मैसूर	64.82	58.97
ख	3-स्टार होटल		
1.	रणजीत होटल, नई दिल्ली	117.00	133.71
2.	लोधी होटल, नई दिल्ली	200.26	176.25
3.	होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना	37.69	42.34

1	2	3	4
			(लाख रुपयों में)
4.	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	34.21	33.60
5.	होटल खजुराहो अशोक, खजुराहो	19.37	23.85
6.	टैम्पल-बे-अशोक बीच रिसोर्ट माम्मलापुरम	21.03	22.09
7.	होटल मदुरै अशोक मदुरै	34.28	37.85

*अकबर होटल को दिनांक 7.4.1986 से बन्द कर दिया गया।

[अनुवाद]

उड़ीसा में उद्योगों के विकास के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया गया पूंजी निवेश

7752. श्री राधाकांत डिगाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों के विकास के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कितनी पूंजी निवेश किया गया है;

(ख) क्या वर्ष 1986-87 में उद्योगों के विकास के लिए बैंकों द्वारा की जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि करने सम्बन्धी सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वर्ष 1986-87 में इस सम्बन्ध में कितना राशि निवेश करने का विचार है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) उड़ीसा में भारतीय स्टेट बैंक सहित कई वाणिज्यिक बैंक कार्य कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उड़ीसा में लघु एककों मध्यम दर्जे के एककों तथा बड़े एककों को मंजूर की गई कुल वित्तीय सहायता की राशि 1983 में 51.60 करोड़ रुपये, 1984 में 68.19 करोड़ रुपये और 1985 में 95.66 करोड़ रुपये थी। भारतीय स्टेट बैंक ने 1986 में उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 42 करोड़ रुपये की अनन्तिम व्यवस्था की है जिसमें से 12 करोड़ रुपये लघु उद्योगों के लिए और 30 करोड़ रुपये मध्यम दर्जे के और बड़े उद्योगों के लिए होंगे। बैंक औद्योगिक एककों को वित्तीय सहायता गुणदोषों के आधार पर मंजूर करते हैं और इस उद्देश्य के लिए की जाने वाली व्यवस्था प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर समय-समय पर की गई समीक्षा पर निर्भर करती है।

वर्ष 1985 में निगमित क्षेत्र का कार्य निष्पादन

7753. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985 में गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र का कार्य-निष्पादन अच्छा रहा है जैसा कि एक अप्रैल, 1986 के "इकोनामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो बड़े तथा मध्यम क्षेत्र में प्रतिनिधि कम्पनियों के तुलनात्मक कार्य निष्पादन परिणाम क्या हैं; और

(ग) क्या ये लाभकारी कार्य निष्पादन परिणाम केवल मात्र करों में रियायत दिये जाने के कारण हुये हैं अथवा सम्पूर्ण कार्य निष्पादन में सुधार के कारण हुए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य दिनांक पहली अप्रैल, 1986 के इकोनामिक टाइम्स में प्रकाशित लेख का उल्लेख कर रहे हैं। यह लेख गैर-सरकारी क्षेत्र के 51 मध्यम और बड़े पैमाने के बहुत छोटे से नमूने पर आधारित है। इस रिपोर्ट के आधार पर इन कम्पनियों के प्रचालन परिणामों पर विभिन्न तत्वों के योगदान का विशेष रूप से पता लगाना सम्भव नहीं है।

लघु उद्योगों से राजस्व की वसूली

7754. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने नवीनतम प्रस्तावों के आधार पर 1 मार्च, 1986 से अब तक लघु उद्योगों से कितना राजस्व वसूल किया तथा, मार्च, 1985 में लघु उद्योगों से कितना राजस्व वसूला गया।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : 1985 में मार्च के महीने में तथा 1 मार्च, 1986 से लघु उद्योगों से वसूल किये गये राजस्व का कोई अलग संकलन मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

विदेशी मुद्रा वाले ठेकों के लिए विनियमन दर

7755 श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विभिन्न विभागों ने उनके मंत्रालय से उन ठेकों के मामले में जिनमें विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त होती है, विनिमय दर और उसके प्रभावी होने की तारीख के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो कोई स्पष्टीकरण जारी किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा क्या है और क्या भारत द्वारा इसका अनुसरण किया जाता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार सरकारी संगठनों/अभिकरणों को बोलियों के मूल्यांकन के लिए जिस दिन बोलियां खोली जाती हैं उस दिन की भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रकाशित विदेशी मुद्रा की बिक्री दर को अपनाना होता है। फिर भी, यदि संविदा करने की वास्तविक तारीख तक विदेशी मुद्रा दर में कोई परिवर्तन होता है तो उसे हिसाब में लिया जा सकता है।

विश्व बैंक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक उधारों तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों के सम्बन्ध में अधिसूचित की गई अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक बोली की प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न करेंसियों का, जिनमें बोलियां प्राप्त होती हैं, निर्दिष्ट करेंसी में रूपांतरण संविदा करने के निर्णय की तारीख को अथवा बोली की विधिमान्यता की तारीख की समाप्ति से सम्बन्धित बोली सम्बन्धी कागजात में निर्धारित मूल तारीख को, इनमें जो भी तारीख पहले पड़ती हो, अथवा बोली सम्बन्धी कागजात में विनिर्दिष्ट किसी अन्य तारीख को, बशर्ते कि यह तारीख बोली खोलने की तारीख से 30 दिन से पहले की तारीख न हो, उन करेंसियों के सम्बन्ध में लागू बिक्री की विनिमय दरों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार भाव रूप में, सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सामान्यतः विश्व बैंक की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक बोली पद्धति के अन्तर्गत निर्धारित रीति के समनुरूप है।

लद्दाख में पर्यटन स्थलों के बारे में पुस्तिका प्रकाशित करना

7756. **श्री पी० नामग्याल** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम ने सभी राज्यों के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में पुस्तिकाएं मुद्रित तथा प्रकाशित की हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में लद्दाख के बारे में जो विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का महत्वपूर्ण स्थल बन गया है ऐसी कोई पुस्तिका प्रकाशित नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लद्दाख के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में पुस्तिकाएं प्रकाशित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम ने, केन्द्रीय पर्यटन विभाग और राज्य सरकारों, दोनों के लिए, सभी राज्यों को समाहित करते हुए महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर ब्रोशरों का मुद्रण और प्रकाशन करवाया है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा लद्दाख पर एक विशिष्ट ब्रोशर निकाला गया है और एक नया ब्रोशर प्रकाशनाधीन है। जम्मू व कश्मीर राज्य पर प्रकाशित ब्रोशरों/फोल्डरों में लद्दाख को भी चित्रित किया गया है।

मलयेशिया को निर्यात की जाने वाली नई मदें

7757. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया व्यापार असंतुलन को समाप्त करने हेतु भारत से आयात के लिए नई-नई मदों का पता लगाने पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो आयात के लिए सुझायी गई मदों का स्वरूप तथा ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) भारत से आयातों के लिए प्रस्तावित मदें : लोह अयस्क गुटिकाएं, ढेलेदार अयस्क, कोयला, रासायनिक पदार्थ, गेहूं, मक्का, सोयायाधीन, कृषि सम्बन्धी मशीनें, वाणिज्यिक वाहन, चमड़े का सामान, खेल-कूद का सामान, नमक, मूल्यवान रत्न तथा इंजीनियरी मदें। बिजली पैदा करने, रेलवे, छोटे उद्योगों के विकास तथा सड़कें और पुल बनाने से सम्बन्धित क्षेत्रों में परियोजनाओं के आयातों का भी सुझाव दिया गया।

अखिल भारतीय पर्यटन सेवा के सम्बन्ध में सुझाव

7758. **श्री के० वी० शंकर गौडा** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन नीति में व्यावसायिकता और निरंतरता लाने के लिए एक अखिल भारतीय पर्यटन सेवा का गठन करना "ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन आफ इंडिया" द्वारा की गई सिफारिशों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो अन्य क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) मार्च के अन्तिम सप्ताह में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय यात्रा अभिकर्ता संघ के 35वें वार्षिक समागम में विभिन्न विषयों पर जो बड़ी संख्या में सिफारिशें की गईं वे इस विभाग में प्राप्त हो गई हैं जिनमें से एक में अखिल भारतीय पर्यटन सेवा स्थापित करने का सुझाव दिया गया है।

(ग) 1982 में सरकार ने ऐसे ही एक प्रस्ताव पर संघ लोक सेवा आयोग और कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से विचार किया था और इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

सीमा-शुल्क जहाजी बेड़ा विभाग में कार्य कर रहे नौ सेना के भूतपूर्व अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करना

7759. **डा० ए० के० पटेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए वर्ष 1974 के लगभग एक सीमा शुल्क जहाजी बेड़ा विभाग स्थापित किया गया था और इस कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली अत्याधुनिक नौकाओं को चलाने के लिए नौसेना के भूतपूर्व कर्मचारियों को भर्ती किया गया था;

(ख) क्या ये व्यक्ति अब भी अस्थायी हैं, तथा यह आशंका है कि यदि उन्हें स्थायी नहीं किया गया, तो उन्हें सेवा-निवृत्ति लाभ नहीं मिलेंगे;

(ग) क्या केरल उच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का उन आदेशों को किस प्रकार क्रियान्वित करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) समुद्री सीमा शुल्क संगठन की स्थापना 1974 में की गई थी तथा पदों को मुख्यतया भूतपूर्व सेवा कार्मिकों से भरा गया था।

(ख) सरकार ने वर्ष 1977 में समुद्री सीमा शुल्क संगठन को तट रक्षक संगठन के साथ मिलाने का निर्णय लिया था। किन्तु समुद्री सीमा शुल्क संगठन के कर्मचारियों ने उक्त समामेलन के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर कर दी थीं तथा न्यायालयों ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है। इन परिस्थितियों में उक्त पदों को अस्थायी आधार पर जारी रखा गया था।

(ग) और (घ) केरल उच्च न्यायालय ने, समुद्री सीमा शुल्क विभाग के 34 अधिकारियों द्वारा दायर 1983-एल० के० ओ० पी० सं० 7960 के सिलसिले में, दिनांक 31-10-1985 के अपने निर्णय में यह आदेश दिया है कि कोचीन समाहर्तालय के समुद्री सीमा शुल्क अधिकारी एसोसिएशन द्वारा अपनी नियुक्तियों को नियमित किये जाने के लिये दिये गये अभ्यावेदन पर भारत संघ को एक समुचित आदेश पारित करना चाहिए। समुद्री सीमा शुल्क संगठन के कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी लाभों के लिए हकदार बनाने के लिए उन्हें स्थायी बनाये जाने पर विचार करने के बारे में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

अधिक लागत के चीनी एककों के लिए सहकारी क्षेत्र में प्रोत्साहन योजना

7760. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेवी और खुली बिक्री की चीनी के 55:45 संशोधित औसत से सहकारी क्षेत्र में ऊंची लागत के नए और विस्तार एककों की व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार ने अधिक लागत के एककों के लिए प्रोत्साहन योजना की जांच करने और इसमें संशोधन करने हेतु सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो समिति के निदेश पद क्या हैं; और

(घ) यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। एक अन्तर मंत्रालयीय ग्रुप का गठन किया गया है।

(ग) अन्तर मंत्रालयीय ग्रुप प्रोत्साहनों के लिए मूल पैरामीटरों में आवश्यक समझे गए परिवर्तनों की दृष्टि में वर्तमान प्रोत्साहन योजना की समीक्षा करेगा।

(घ) इस रिपोर्ट के छः महीने की अवधि में तैयार हो जाने की सम्भावना है।

वस्त्र उत्पादन की पूर्ण क्षमता का उपयोग

7762. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 में 69.5 प्रतिशत वस्त्र उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में क्षमता में कुल कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में प्रत्येक वर्ष के दौरान क्षमता में कितनी वृद्धि की जाएगी; और

(घ) पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) अप्रैल-सितम्बर, 1985 की अवधि के दौरान सूती वस्त्र उद्योग के कताई तथा बुनाई क्षेत्र में क्षमता का उपयोग क्रमशः 73 प्रतिशत और 62 प्रतिशत था।

(ख) दो क्षेत्रों में स्थापित क्षमता निम्नोक्त प्रकार थी :—

	कताई (मिलियन तकुए)	बुनाई (हजार करघे)
1984-85	24.42	210
1985-86 (अप्रैल-सितम्बर)	29.73	210

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-90) के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि 0.934 मिलियन अतिरिक्त तकुओं और 3681 अतिरिक्त शटल रहित करघों की आवश्यकता होगी।

(घ) जून, 1985 में घोषित वस्त्र नीति में वस्त्र उद्योग का एक एकीकृत दृष्टिकोण लिया गया है और उद्योग के क्षमता उपयोग में सुधार के लिए अनेक उपायों का सुझाव दिया गया है। इन उपायों में शामिल है : पूर्ण रेशा लोचशीलता, मानव-निर्मित रेशे पर राजकोषीय लेवियों का सुव्यवस्थीकरण, ऐसी अत्याधुनिक वस्त्र मशीनें जिसमें कोई स्वदेशी पहलू न हो अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर अथवा उसके लगभग कीमतों पर उपलब्ध कराना।

केरल हथकरघा विकास निगम को वित्तीय आबंटन

7763. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1986-87 के दौरान केरल हथकरघा विकास निगम को कोई वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह राशि 1985-86 के लिए आबंटित की गई राशि से अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी अधिक है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सिक्किम में इलायची की उत्पादन और खरीद प्रणाली को सुचारू बनाना

7764. श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची की उत्पादन योजनाओं और खरीद प्रणाली को सुचारू बनाया गया है;

(ख) क्या इलायची बोर्ड, जिनका इलायची की सप्लाई पर एकाधिकार है, द्वारा विशेषरूप से सिक्किम में किसानों को पर्याप्त लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है;

(ग) क्या सिक्किम में डी किस्म की इलायची के अतिरिक्त इलायची की छोटी किस्मों की खेती आरम्भ कर इलायची के उत्पादन में परिवर्तन किया जाएगा; और

(घ) क्या इलायची का उपयोग बढ़ाने के साथ इसकी आन्तरिक खपत के निर्यात के लिए आकर्षक कन्ज्यूमर पैकेजिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) इलायची बोर्ड इलायची के उत्पादन एवं विपणन को बेहतर बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है। उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए नई विकास योजनाएं आरम्भ की गई हैं। विपणन के विनियमन से तथा गंगटोक में एक नीलामी केन्द्र खोलने से निर्यातकों तथा व्यापारियों द्वारा उपजकर्ताओं का शोषण कम हो गया है, जिससे वे बेहतर कीमतें प्राप्त कर सकते हैं। तथापि और अधिक सुधार की गुंजाइश है।

(ग) सिक्किम में छोटी इलायची के आरम्भिक परीक्षणों से उत्साहजनक परिणाम नहीं निकले हैं।

(घ) उपभोक्ता पैकेजिंग संयंत्र के लिए अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, घरेलू बाजार के लिए इलायची बोर्ड, विधियों सहित उपयुक्त उपभोग पैक बना रहा है।

रबड़ बोर्ड के अधिकारियों की विदेश यात्राएं

7765. श्री के० राममूर्ति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रबड़ बोर्ड के अधिकारियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी विदेश यात्राएं की और उनके पदनाम क्या हैं तथा किन-किन प्रयोजनों से किन-किन देशों की यात्रा की ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

रबड़ बोर्ड के उन अधिकारियों का ब्यौरा जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों की यात्रा की

क्र० सं०	नाम तथा पद नाम	यात्रा का उद्देश्य	देश जिनकी यात्रा की गई
1	2	3	4
1.	श्री पी०जे० थामस, अध्यक्ष	आई० आर० आर० डी० बी० बैठक	चीन
	—वही—	आई० आर० एस० जी० की 95वीं बैठक	लन्दन
	—वही—	आर० आर० आई० एम० के० के० रोपणकर्ताओं का सम्मेलन।	क्वालालम्पुर
	—वही—	ए० एन० आर० पी० सी० की 10वीं सभा	जकार्ता
	—वही—	आई० आर० एस० जी० बैठक	लन्दन
	—वही—	अन्तर्राष्ट्रीय रबड़ सम्मेलन तथा आई० आर० आर० डी० बी० बैठक	कोलम्बो, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया।
	—वही—	ए० एन० आर० पी० सी० की 9वीं बैठक	थाइलैंड
2.	श्री पी०सी० सीरियक, अध्यक्ष	आई० आर० एस० जी० की 9वीं बैठक	आबिदजम
3.	श्री सेथूराज, अनुसंधान के निदेशक	आई० आर० आर० डी० बी० तथा वैज्ञानिक सिम्पोजियम एवं अध्ययन दौरा	चीन
	—वही—	आई० आर० आर० डी० बी० बैठक	पेरिस, मलयेशिया
	—वही—	अन्तर्राष्ट्रीय रबड़ सम्मेलन	कोलम्बो

1	2	3	4
	श्री सेथूराज, अनुसंधान के निदेशक	रबड़ अनुसंधान में भारत और चीन के बीच सहयोग के सम्बन्ध में बैठक	कोलम्बो, चीन
	—वही—	अन्तर्राष्ट्रीय रबड़ सम्मेलन, 1985 तथा अन्तर्राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान बोर्ड के निदेशकों एवं मुख्य कार्यकारियों की बैठक।	क्वालालम्पुर, मलयेशिया, मेडान, इंडोनेशिया
4.	श्री पी० मुकुन्द मेनन, रबड़ उत्पादन आयुक्त	रबड़ बागान विकास अध्ययन	थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलयेशिया, सिंगापुर।
	—वही—	चीन में अनुसंधान एवं अध्ययन के विकास की कार्यप्रणालियां	चीन
5.	श्री ए० ओ० एन० पानीकर, उप-निदेशक (वनस्पति शास्त्र)	आई० आर० आर० डी० बी० की बैठक।	पेरिस, एवं मलयेशिया
6.	श्री राघारमन सिन्हा, पौधा प्रजनक	रबड़ अनुसंधान में भारत और चीन के बीच सहयोग के संबंध में बैठक।	चीन
7.	श्री थामसन टी० एडेथिल, रोग विज्ञानी	छठी ए०एन०आर० पी० सी० बैठक	कोलम्बो
8.	श्री एस० जे० ज्योर्ज, पर्यावरण मनोविज्ञानी	अन्तर्राष्ट्रीय रबड़ सम्मेलन	कोलम्बो
9.	श्री एम० जी० कुमारन, रबड़ विशेषज्ञ	ईसो टी० सी० 45 की 31वीं बैठक	इटली, मिलान
10.	श्री ए० एस० राघवेन्द्र, उप-निदेशक (पौध मनोविज्ञान)	फोटोसिंथेसिस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं फोटोसिंथेसिस ढांचे पर कांग्रेस बैठक।	बेल्जियम

1	2	3	4
11.	श्री एस० एन० पोट्टी, उप-निदेशक (कृषि विज्ञान)	अन्तर्राष्ट्रीय रबड़ सम्मेलन	कोलम्बो
12.	श्री बेबी कुरियाकोस, विनिर्देशन अधिकारी	द्रव रबड़ पर कार्यशाला	आबिदजन

[हिन्दी]

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की कोटा (राजस्थान) शाखा में कदाचार

7766. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के एक दल को यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की कोटा (राजस्थान) शाखा में किये गये कथित कतिपय कदाचारों के सबूत मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कौन-कौन व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बताया है कि उसने 14 मार्च, 1986 को यूको बैंक, शापिंग सेंटर शाखा, कोटा के शाखा प्रबन्धक को रिश्वत मांगते तथा लेते समय रंगे हाथों पकड़ा था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आगे बताया है कि उसने जांच के लिए एक नियमित मामला दर्ज कर लिया है। यूको बैंक ने बताया है कि उसने सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक के निलम्बन के आदेश जारी कर दिए हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बैंक द्वारा यथोचित अगली कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

भारत की सातवीं योजना के बारे में विश्व बैंक की रिपोर्ट

7767. **श्री नारायण चौबे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने भारत की सातवीं पंचवर्षीय योजना कार्यक्रमों और अनुमानों के बारे में व्यापक समीक्षा रिपोर्ट उनके मंत्रालय को प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) माननीय सदस्य ने

जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है वह विश्व बैंक द्वारा तैयार की जाती है और उसे भारत सहायता संघ की वार्षिक बैठक से पहले, हर वर्ष, दाता देशों/अभिकरणों का भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य-मुख्य पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए परिचालन किया जाता है ताकि वह बातचीत के दौरान पृष्ठभूमि पेपर के रूप में काम आ सके।

तथापि यह रिपोर्ट विश्व बैंक का आन्तरिक दस्तावेज है। यह रिपोर्ट छापी नहीं जाती। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत दृष्टिकोण और सुझाव विश्व बैंक के होते हैं। बैंक द्वारा इस रिपोर्ट का वितरण सीमित रूप से किया जाता है। इस रिपोर्ट को प्राप्त करने वालों को इसकी विषय-सूची के बारे में कुछ भी बताने का अधिकार नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक गारन्टी कमीशन वसूल करना

7768. **श्री के० मोहनदास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आवासीय बोर्डों को गारन्टी देने के लिए वसूल किया जा रहा कमीशन बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में केरल आवासीय बोर्ड से कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो मामले में क्या कदम कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह आवास बोर्डों को कोई गारन्टी नहीं देता। ऐसी स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गारन्टी कमीशन लिए जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन वाणिज्यिक बैंक आवास बोर्डों की ओर से उनके द्वारा आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) से प्राप्त ऋणों के सम्बन्ध में निगम के पक्ष में गारन्टी देते हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि इस सम्बन्ध में उसे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वर्ण व्यवसायिकों को नए लाइसेंस जारी करने के लिए शुल्क लगाने का प्रस्ताव

7769. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्ण व्यवसायियों को नए लाइसेंस जारी करने के लिए

लाइसेंस शुल्क लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो न्यूनतम कितना लाइसेंस शुल्क लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का तीन वर्षों में एक बार नवीकरण शुल्क लेने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कितना नवीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) स्वर्ण नियंत्रण (फार्म, फीस तथा विविध मामले) नियम 1968 के नियम 5(2) के अनुसार स्वर्ण का व्यापार करने के लिए एक नए लाइसेंस के जारी किए जाने के लिए 100/-रु० की फीस ली जाती है तथा ऐसे लाइसेंस के नवीकरण किए जाने के लिए 25/-रु० की फीस ली जाती है। इस प्रकार जारी किया गया अथवा नवीकृत किया गया व्यापारी का लाइसेंस 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वैध नहीं होता है और यह अपनी वैधता-अवधि के समाप्त होने वाले खण्ड-वर्ष की 31 दिसम्बर को समाप्त हो जाता है।

चूंकि नए लाइसेंस के जारी किए जाने के लिए तथा लाइसेंस के नवीकरण किए जाने के लिए पहले से ही एक फीस विद्यमान है, इसलिए अब सरकार द्वारा लाइसेंस के जारी किए जाने अथवा उसके नवीकरण किए जाने के लिए कोई फीस निर्धारित किये जाने के किसी प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

धार्मिक/पर्यटक महत्व के घाटों के विकास/सुधार की योजना

7770. श्री अनादि चरण दास : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में धार्मिक/पर्यटक महत्व के घाटों के विकास/सुधार की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) अतीत में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में कितनी परियोजनाएं आरम्भ की गई और भविष्य में कितनी परियोजनाएं आरम्भ करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का उड़ीसा के कटक जिले में जाजपुर पर्यटक स्थल जो पहले से माना हुआ पर्यटन केन्द्र है तथा एक हिन्दू तीर्थ स्थान है जहां देश के विभिन्न भागों से लाखों तीर्थ यात्री समय-समय पर धार्मिक स्नान के लिए आते हैं; बसैनी (जाजपुर) घाट (दशअमेघ घाट) के सुधार/विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और/अथवा सरकार का कोई वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) पर्यटन

विभाग ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी घाटों और राजस्थान में पुष्कर घाटों के विकास/सुधार के लिए क्रमश: 64.50 लाख रुपये और 13.14 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर दो स्कीमें प्रारम्भ की हैं।

(ग) और (घ) उड़ीसा (कटक जिले) के आजपुर में घाटों का विकास करने के लिए विभाग को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। पर्यटन विभाग राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों/स्कीमों की, स्थान की सम्भाव्यता, पर्यटक यातायात, परस्पर प्राथमिकताओं और धनराशियों की उपलब्धता के आधार पर जांच करता है।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा राज्यों को सहायता

7771. **श्री डी० बी० पाटिल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों ने भारतीय विदेश व्यापार निर्यात सम्भाव्यता सर्वेक्षण के बारे में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने ऐसी सहायता मांगी है और कब मांगी है; और

(ग) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा विगत तरह की सहायता दी गई है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) कतिपय राज्यों द्वारा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से मांगी गई सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य का नाम	वर्ष	परियोजना
1	2	3
मध्य प्रदेश	1974	पांचवीं योजनावधि के दौरान मध्य प्रदेश का निर्यात विकास।
उड़ीसा	1976	उड़ीसा का निर्यात विकास कार्यक्रम।
	1983	उड़ीसा के निर्यात विकास निगम की स्थापना के सम्बन्ध में अध्ययन।
बिहार	1976	बिहार के निर्यात विकास कार्यक्रम सम्बन्धी रिपोर्ट।

1	2	3
महाराष्ट्र	1980	महाराष्ट्र में निर्यात निगम की स्थापना के सम्बन्ध में अध्ययन।
	1981	महाराष्ट्र में चुनिन्दा उत्पादों का निर्यात सम्भावना सर्वेक्षण।
आंध्र प्रदेश	1983	विशाखापटनम में मुक्त व्यापार क्षेत्र का एक मामला।

(ग) संस्थान द्वारा मोटे तौर पर दी गई सहायता निम्नोक्त प्रकार है :—

सहायता :

(1) राज्य निर्यात निगमों का गठन—उनका गठन/उद्देश्य, कार्य क्षेत्र आदि।

(2) अलग-अलग राज्यों द्वारा अपने निर्यात विकास के लिए गठित किए गए कार्य दलों का प्रभावी रूप से कार्यचालन।

(3) अलग-अलग राज्यों के लिए विशेषीकृत उत्पादों/उत्पाद समूहों के सम्बन्ध में निर्यात विकास/विपणन योजनाएं तैयार करना।

(4) राज्य सरकारों के निर्यात संवर्धन तथा कार्य चालन से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कार्य पालकों के लाभ के लिए निर्यात संवर्धन, क्रियाविधि तथा प्रलेखन, निर्यात के सम्बन्ध में लागत निर्धारण तथा कीमत निर्धारण तथा विदेशों में विपणन अनुसंधान की तकनीकों के क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम।

केरल में गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन सम्बन्धी शिकायतें

7772. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल से बैंक अधिकारियों के विरुद्ध इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उनमें पर्याप्त सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि ऋणकर्ताओं को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में

शिकायतें प्राय: प्राप्त होती रहती हैं। ऐसी शिकायतों को सम्बन्धित बैंकों तथा दूसरी एजेंसियों के साथ तुरन्त उठाया जाता है ताकि शिकायतों को दूर किया जा सके। चूंकि ऐसी शिकायतें विभिन्न अधिकारियों के नाम भेजी जाती हैं, इसलिए इनकी संख्या और उन पर की गई कार्रवाई की सूचना नहीं रखी जाती।

बम्बई मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा के जारी करने में त्रुटियां

7773. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत बम्बई मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा जारी करने के मामले में की गई गम्भीर त्रुटियों का पता चला है;

(ख) क्या उक्त गलतियों के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है/करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुसार बम्बई मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बम्बई का काम संतोषजनक है। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि कुछ निर्यात-बिल दो वर्ष से अधिक समय से बकाया पड़े हैं और रिजर्व बैंक इस मामले की जांच करेगा।

विदेशी मुद्रा, आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कानूनों का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

7774. **श्री हरूभाई मेहता** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा, आय कर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क सम्बन्धी कानूनों का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में 1 अप्रैल, 1985 से अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये;

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उल्लिखित व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ दिया गया है; और

(ग) कराधान कानूनों के उपबंधों को और अधिक कठोर और भयोत्पादक बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन, आयकर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क से सम्बन्धित कानूनों के उल्लंघन के

सिलसिले में गिरफ्तार किये गये तथा जमानत पर छोड़े गये व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	जमानत पर छोड़े गये व्यक्तियों की संख्या
विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (1-4-85 से 31-3-86 तक)	333	333
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (1-4-85 से 31-3-86 तक)	38	38
सीमा शुल्क (1-4-85 से 28-2-86 तक)	2718	ऐसे कोई आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।
आयकर	आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत गिरफ्तारी करने सम्बन्धी कोई उपबन्ध मौजूद नहीं है। 1-4-85 से 27-3-86 तक की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष करों के विभिन्न अधिनियमों के उल्लंघन के सिलसिले में 3625 कर निर्धारितियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही की गई थी।	

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, सीमा शुल्क, आयकर अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के मौजूदा उपबन्ध काफी कठोर एवं निवारक हैं।

भारतीय खाद्य वैज्ञानिक और शिल्प विज्ञानी परिषद की सिफारिशें

7775. **डा० के० जी० आदियोडी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985 में भारतीय खाद्य वैज्ञानिक और शिल्प विज्ञानी परिषद ने क्या सिफारिशें की थीं; और

(ख) सरकार का इन सिफारिशों का बेहतर निर्यातोन्मुखी कार्यक्रम के लिए किस प्रकार इस्तेमाल करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार खाद्य वैज्ञानिक तथा शिल्प विज्ञानी संघ ने 1985 में, विशेष रूप से संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्यातों के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की। तथापि, सरकार ने संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्यात बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं :— नकद

मुआवजा सहायता, पंजीकृत निर्यातकों को आयात प्रतिपूर्ति, शुल्क-वापसी की सुविधा, बाजार विकास के लिए सहायता। इसके अतिरिक्त, ऐसे निर्यातकों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए०पी०डी०) की स्थापना की गई है।

रुई का आयात

7776. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशों में रुई की छोटे रेशे वाली, मध्यम रेशे वाली, लम्बे और अत्यधिक लम्बे रेशे वाली किस्मों के भण्डार की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पाकिस्तान से वर्ष 1985-86 के दौरान छोटे रेशे वाली रुई की किस्म की कितनी गांठों का आयात किया गया;

(ग) उक्त वर्ष में मध्य श्रेणी के रेशे वाली, लम्बे और अत्यधिक लम्बे रेशे वाली रुई की किस्म की कितनी गांठों का आयात और निर्यात किया गया; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) चालू रुई वर्ष के शुरू में प्रारम्भिक स्टाक 24.40 लाख गांठें था। चालू रुई मौसम के दौरान 107 लाख गांठों की फसल का अनुमान लगाया है।

(ख) 1985-86 रुई वर्ष के दौरान पाकिस्तान से अभी तक छोटे रेशे वाली रुई का आयात नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) जुलाई, 1985 में पाकिस्तान से 1357 करोड़ रु० मूल्य की मध्यम रेशे वाली रुई की 75000 गांठों की मात्रा के आयात की संविदा की गई थी। लम्बे रेशे वाली अथवा अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली रुई का कोई आयात नहीं किया गया है। दूसरी ओर, चालू रुई वर्ष अर्थात् 1985-86 के दौरान लम्बे तथा अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली रुई की 10.00 लाख गांठों, बंगाल देशी की 52,000 गांठों तथा येलो पिकिंग्स की 25,000 गांठों की मात्रा को निर्यात के लिए रिलीज किया गया है। इनमे से अप्रैल, 1986 के प्रथम सप्ताह तक स्टेपल काटन की 1,30,793 गांठों, बंगाल देशी की 2),497 गांठों तथा येलो पिकिंग्स की 10,961 गांठों की मात्रा निर्यात के लिए पंजीकृत की गई।

बैंक आफ इंडिया की नवरंगपुरा अहमदाबाद स्थित शाखा का लूटा जाना

7777. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में बैंक आफ इंडिया की नवरंगपुरा अहमदाबाद स्थित शाखा में दिन-दहाड़े डाका पड़ा था जिसमें बन्दूक की नोक पर डेढ़ लाख रुपये से अधिक की राशि लूट ली गई थी;

(ख) क्या डकैती में शामिल डाकुओं को पकड़ लिया गया था;

(ग) क्या इस डकैती का दो महीने पहले इंडियन ओवरसीज बैंक की अहमदाबाद के निकट वात्वा शाखा में पड़ी इसी प्रकार की डकैती के साथ कोई संबंध है; और

(घ) बैंक डकैतियों की पुनरावृत्ति को ध्यान में रखते हुए बैंक कर्मियों और जनता के पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि बैंक आफ इंडिया की नवरंगपुरा (अहमदाबाद) शाखा में दिनांक 19 फरवरी, 1986 को लगभग पौने दो बजे एक डकैती हुई थी जिसमें पिस्तौलों/रिवाल्वरों से लैस चार-पांच व्यक्ति 1,30,594 रुपये की रकम लेकर भाग गए थे ।

(ख) बैंक आफ इंडिया ने बताया है कि हालांकि नवरंगपुरा में हुई डकैती के सम्बन्ध में कोई डकैत गिरफ्तार नहीं किया गया है, फिर भी इस घटना से सम्बन्धित टैक्सी-चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

(ग) इण्डियन ओवरसीज बैंक ने बताया है कि बैंक की वात्वा (अहमदाबाद) में कोई शाखा नहीं है ।

(घ) मुख्य रूप से राज्य सरकारें कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती हैं और राज्य सरकारों से बैंक डकैतियों/लूटपाटों की घटनाओं को रोकने के लिए उपयुक्त निवारक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है। बैंकों की सुरक्षा-व्यवस्था की बारीकी से जांच करने और उसमें सुधार करने के लिए अपने सुझाव देने के वास्ते सरकार द्वारा पहले एक उच्च शक्ति प्राप्त कार्यकारी दल का गठन किया गया था। कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, बैंकों ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रबन्धकों को सुरक्षा-उपायों पर सलाह देने के लिए मुख्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किये हैं। मुख्य सुरक्षा अधिकारियों की सलाह पर बैंकों ने असुरक्षित शाखाओं का पता लगा लिया है और परिसरों की सुरक्षा को मजबूत बनाने और सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति के लिए अलग-अलग चरणों में कार्रवाई की है। सरकार ने, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य सुरक्षा अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें बैंक परिसर के अन्दर अनेक सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर फिर से जोर दिया गया था। इस बैठक में, बैंकों को, अपनी शाखाओं को जोखिम के अनुसार वर्गों में बांटने और अधिक जोखिम वाली शाखाओं में उन्नत सुरक्षा-प्रबन्ध करने की सलाह दी गयी।

दिल्ली में आवश्यक वस्तुएं लाने वाले ट्रक मालिकों द्वारा हड़ताल का आह्वान

7778. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में आवश्यक वस्तुएं लाने वाले सभी ट्रक मालिकों द्वारा की गई हड़ताल के आह्वान की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आम आदमी के लिए आवश्यक वस्तुओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) क्या सरकार और हड़ताली ट्रक मालिकों के बीच कोई समझौता हुआ है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली के ट्रक चालकों ने 31 मार्च, 1986 की मध्य रात्रि से, सभी राज्यों में चुंगी समाप्त करने, डीजल के मूल्यों में 30% कटौती करने, देश भर में डीजल के एक समान मूल्य लागू करने, सभी मौजूदा राजमार्गों को सड़कों की सतह को सुधारने, ट्रकों और बसों की बॉडी पर उत्पादन शुल्क में कमी करने आदि सम्बन्धी अपनी मांगों के समर्थन में अपना कार्य बन्द किया था। उन्होंने 3 अप्रैल, 1986 को प्रातः से अपना कार्य पुनः आरम्भ किया।

(ग) दिल्ली में आम लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(घ) जी नहीं।

पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीय कपड़ा निगम से गैर सरकारी बिक्री एजेंटों को सूची से हटाने का निर्णय

7779. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) ने पूर्वी क्षेत्र में सभी गैर-सरकारी बिक्री एजेंटों को सूची से हटाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के उत्पादों के विपणन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय

किए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी नहीं। एन० टी० सी० (डब्ल्यू० एन० बी० ओ० कपड़ा इंडैंटिंग एजेंटों की मार्फत तथा यार्न को स्थानीय डीलरों की मार्फत बेचता है। कपड़े को सीधे बेचने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, स्टाक के इकट्ठा हो जाने के मामले में विगत कुछ अवसरों पर सीधे बिक्री का सहारा लिया गया है। हाल ही में, सहायक निगम द्वारा जमा स्टाक उन सीधे खरीदारों के प्रयासों के साथ समय-समय पर अनुषंगी बिक्री समिति द्वारा निर्धारित कीमतों पर जो निम्नतम कीमत से कम न हों, पर एजेन्टों तथा डीलरों के प्रयासों द्वारा समाप्त करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया।

(ग) एन० टी० सी० मिलों के उत्पाद विपणन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) स्थानीय/देहातों में सक्रिय विपणन और थोक विक्रेताओं/अर्ध-थोक विक्रेताओं को विचारित लक्ष्य/प्रोत्साहन योजना।

(ii) उपभोक्ता केन्द्रों में यार्न डिपो खोलना।

(iii) डी० जी० एस० एण्ड डी०, रक्षा और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को संस्थागत बिक्रियां बढ़ाकर और बढ़े हुए निर्यात प्रयासों के द्वारा बाजारों का विविधीकरण।

(iv) समकेन्द्रित उत्पाद प्रचार; और

(v) खुदरा शो रूमों आदि की सजावट/प्रदर्शन में सुधार और उन्हें सुसज्जित रखना।

[हिन्दी]

सरकारी खजाने में सोना

7780. श्री मोहम्मद महफूज अली खां: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी खजाने में क्रमशः 1 अप्रैल, 1977, 1 जनवरी, 1980, 1 जनवरी, 1985 और 1 मार्च, 1986 को कुल कितना सोना था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नोटों के आधार पर प्रारक्षित भण्डार के रूप में रखे गए सोने की कुल मात्रा और भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सरकार की ओर से सुरक्षित रखे गए सोने की मात्रा तथा [illegible]

रक्षा स्वर्ण बांडों के आधार पर रखे गए सोने सहित टकसालों में सोने की कुल मात्रा नीचे सूचित की गई है :—

निम्न तारीखों को	शुद्ध किलोग्राम में
1.4.1977	304688
1.1.1980	344323
1.1.1985	343535
1.3.1986	346541

[अनुवाद]

अतिरिक्त महंगाई भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते पर कर देनदारी

7781. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिरिक्त महंगाई भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता दोनों ही न तो "वेतन" शीर्ष के अन्तर्गत और न ही "अन्य स्रोत" शीर्ष के अन्तर्गत कर लगने योग्य है;

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त महंगाई भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्तों पर फिर भी कर लगाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले में स्थिति को स्पष्ट करने और आवश्यक अनुदेश जारी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) अतिरिक्त महंगाई भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता आयकर अधिनियम, 1961 के विद्यमान उपबंधों के अन्तर्गत कर योग्य हैं। चूंकि अधिनियम के संगत उपबंध इस सम्बन्ध में स्पष्ट हैं, इसलिए इस मामले में कोई अनुदेश जारी करने का प्रस्ताव नहीं है।

प्रतिबंधित अवधि के दौरान स्थापित की गई आटा मिलें

7782. **श्री हरिहर सोरन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने देश में आटा मिलों की स्थापना पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों में प्रतिबंधित अवधि के दौरान अवैध तरीकों से स्थापित की गई आटा मिलों को नियमित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो प्रतिबंधित अवधि के दौरान उड़ीसा के क्योंझर जिले में ऐसी कितनी आटा मिलें/तेल मिलें स्थापित की गई हैं; और

(ङ) प्रतिबंधित अवधि के दौरान ऐसी मिलें स्थापित करने वाले लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) और (ख) रोलर फ्लोर मिलिंग उद्योग में कम क्षमता के उपयोग और गेहूं के उत्पादन और वसूली के बारे में तत्कालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया था कि 24.5.1980 से कोई नयी रोलर फ्लोर मिल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देश में गेहूं की वर्तमान सुगम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 30 मी० टन० प्रतिदिन तक की क्षमता के सीमित संख्या में नये यूनिट लगाने के लिए अनुमति देने का फैसला किया गया है। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे इस सम्बन्ध में अनुमति प्रदान करने के लिए उद्यमियों से आवंटन पत्र प्राप्त करें और उन्हें 30 अप्रैल, 1986 से पूर्व केन्द्रीय सरकार को भेज दें ताकि उन पर आगे विचार किया जा सके।

(ग) इस अवधि के दौरान 24.5.1980 के बाद राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना स्थापित किए गए किसी यूनिट को नियमित नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा के क्योंझर जिले में स्थापित किए गए ऐसे किसी यूनिट के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

दिल्ली में जाली करेंसी नोटों का पकड़ा जाना

7783. **श्री कमल नाथ**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पिछले महीने 25 लाख रुपए के जाली करेंसी नोट पकड़े गए थे;

(ख) यदि हां, तो जाली नोट बनाने वाले गिरोहों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जाली करेंसी नोटों का पता लगाने में जनता को जानकारी देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि मार्च, 1986 के दौरान उनके द्वारा 100/-रुपए और 50/-रुपए मूल्य वर्ग के 25.00 लाख रुपए मूल्य के बराबर जाली करेंसी नोट पकड़े गए। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कुछ गिरफ्तारियां भी की गई और जांच की जा रही है।

(ग) जालसाजी के अधिकांश मामलों में जनता द्वारा जाली नोटों की पहचान जलांक (वाटरमार्क) न होने अथवा जलांक के स्थान पर उत्कीर्णन किये जाने या कागज की किस्म घटिया होने, घटिया किस्म की छपाई सुरक्षा धागे आदि के अभाव अथवा उसके नकली होने आदि के आधार पर की जा सकती है। इस सम्बन्ध में जनता को प्रशिक्षित करने के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाए गए हैं क्योंकि यह प्रति-उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं और जाली नोट बनाने वाले जनता की अपेक्षा इसका अधिक लाभ उठा सकते हैं।

पूंजी निवेश करने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिये सांविधिक आयोग

7784. श्री एन० डेनिस
श्री पी० आर० कुमारमंगलम } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भौतिक के स्थान पर वित्तीय नियंत्रण सम्बन्धी उच्च-अधिकार प्राप्त नरसिम्हन समिति ने पूंजीनिवेश करने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के "सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज कमीशन" की तरह का एक सांविधिक आयोग बनाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वस्तुपरक नियंत्रणों के स्थान पर संभाव्य रूप से वित्तीय नियंत्रण प्रतिस्थापित करने के सिद्धान्तों की जांच करने के लिए श्री एम० नरसिंहम् की अध्यक्षता में जो समिति नियुक्त की गई थी, उसने सिफारिश की है, कि पूंजी निवेश करने वाली जनता के हितों का संरक्षण करने के लिए एक स्वायत्त, सांविधिक नियंत्रणकारी निकाय की स्थापना करना वांछनीय होगा, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के "प्रतिभूति तथा विनिमय आयोग" जैसे व्यापक आधार के पर्याप्त अधिकार भी दिए जाने चाहिए।

(ख) समिति के विचारानुसार, प्रस्तावित आयोग का मुख्य कार्य, स्टाक एक्सचेंजों का विनियमन करना, विलय सम्बन्धी व्यवस्था और प्रबन्ध संभालने की कार्रवाई करना तथा शेयरों के पंजीयन की व्यवस्था करना होगा और यह आयोग इन समग्र क्षेत्रों में पूंजी बाजार के कार्यचालन पर विनियमन रखने के लिए एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करेगा।

महाराष्ट्र में सहकारी चीनी कारखानों के तीन जोन बनाने की मांग

7785. श्री आर० एस० माने : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार और राज्य की जनता महाराष्ट्र में चीनी कारखानों के तीन जोन बनाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के मत क्या हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब लिए जाने की संभावना है; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) लेवी मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु राज्य को तीन जोनों में बांटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अभ्यावेदन दिया है।

(ख) और (ग) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा जोन बनाने विषयक प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों, जिनमें मौजूदा महाराष्ट्र जोन से सम्बन्धित कुछ सिफारिशें भी शामिल हैं, की ब्यूरो से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात जांच की गई थी और मौजूदा जोनिंग पद्धति को 1986-87 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हीरों का उत्पादन

7786. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक देशों में भारतीय हीरों की भारी मांग है;

(ख) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने मूल्य के हीरों का उत्पादन हुआ तथा हीरों के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है;

(ग) क्या विदेशों में हीरों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए देश में हीरों का उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) गत तीनों वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में पन्ना में उत्पादित हीरों का मूल्य था :—

वर्ष	मूल्य
1983	1,42,96,000 रु०
1984	2,08,53,000 रु०
1985	2,26,56,000 रु०

(ग) और (घ) हीरों के उत्पादन के लिए नयी खाने विकसित करने के लिए सरकार ने अग्रणी अभिकरण के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक के साथ तथा सहयोगियों के रूप में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम तथा खनिज खोज निगम के साथ हीरों के नए स्रोतों का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रीय हीरा खोज योजना आरम्भ की है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटल के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

7787. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम (आई० टी० डी० सी०) के होटल के कर्मचारियों को बोनस अथवा अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए क्या नियम बनाया गया है;

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम में बोनस का भुगतान कब से किया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष आज तक कितना भुगतान किया गया है;

(ग) राजधानी में आई० टी० डी० सी० के उन होटलों के नाम क्या हैं जिनमें कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है और कब से दिया जाता है; और

(घ) क्या सरकार का कनिष्क होटल के कर्मचारियों को उनके कार्य और होटल की वार्षिक आय में हुई वृद्धि को देखते हुए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बोनस देने का विचार है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम के प्रत्येक एकक/होटल के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान बोनस संदाय अधिनियम 1965 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है। भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों

को पिछले 5 वर्षों के दौरान स्वीकृत किया गया कुल बोनस इस प्रकार है :—

वर्ष	लाख रुपयों में
1980-81	58 64
1981-82	69.02
1982-83	79.41
1983-84	85.63
1984-85	76.13

(ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

राजधानी में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के नाम जो अपने कर्मचारियों को बोनस दे रहे हैं	किस लेखा वर्ष से
अशोक होटल	1970-71 ×
जनपथ होटल	1970-71 ×
लोधी होटल	1970-71 ×
रणजीत होटल	1970-71 ×
अकबर होटल	1974-75
कुतुब होटल	1979-80

(इन एककों का 28.3.1970 से भारत पर्यटन विकास निगम में विलय हो गया था)

(घ) कनिष्क होटल के कर्मचारियों के बोनस के भुगतान को बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

भारत को विश्व बैंक से ऋण

7788. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने हाल में भारत को आसान उधार शर्तों पर कुल 331 मिलियन डालर के दो ऋण मंजूर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तों सहित इसके आवंटन के बारे में ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) विश्व बैंक द्वारा अपने मौजूदा राजकोषीय वर्ष (पहली जुलाई, 1985 से 30 जून, 1986 तक) के दौरान अब तक अनुमोदित की गई परियोजनाओं तथा उनकी शर्तों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विश्व बैंक समूह (अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ) अपने राजकोषीय वर्ष 1986 (पहली जुलाई 1985 से 30 जून, 1986 तक) के दौरान अब तक निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए उधारों/ऋणों का अनुमोदन कर चुका है।

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	उधार/ऋण की राशि लाख अमेरिकी डालर में	
		अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ
1.	जनसंख्या परियोजना IV	...	510
2.	केरल जल पूर्ति	...	410
3.	पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई	...	990
4.	महाराष्ट्र सिंचाई III	...	1600
5.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना II	...	721
6.	औद्योगिक निर्यात (इंजीनियरी)	2500*	...
7.	गुजरात नगर विकास		620
8.	राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक-I	3750	...
9.	सीमेंट ऊर्जा बचत	2000	...
10.	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई	1310	1400
11.	संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना	4850	...
	जोड़	14410	6251

*भारत सरकार को 900 लाख अमेरिकी डालर का ऋण और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को 1600 लाख डालर का ऋण जो भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा है।

अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ऋणों की वापसी 5 वर्ष की रियायती अवधि सहित 20 वर्षों में की जाती है। इन ऋणों पर पूल पर आधारित परिवर्तनीय ऋण दर पद्धति के आधार पर ब्याज लगता है जो हर छः महीने में संशोधित होता रहता है। पहली जनवरी, 1986 से लागू ब्याज की दर 8.50 प्रतिशत है। ऋण के संवितरित न किए गए भाग पर 0.75 प्रतिशत के हिसाब से वचनबद्धता प्रभार पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋणों पर कोई ब्याज प्रभार नहीं पड़ता है। किन्तु, ऋण के संवितरित भाग पर 0.75 प्रतिशत के हिसाब से सेवा प्रभार और असंवितरित भाग पर 0.5 प्रतिशत के हिसाब से वचनबद्धता प्रभार पड़ता है। इन ऋणों की वापसी दस वर्ष की रियायती अवधि समेत 50 वर्ष में की जाती है।

डी० जी० एस० एण्ड डी० का आदेशों पर पटसन मिलों द्वारा लाभ कमाना

7789. **श्री के० प्रधानी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन मिलें इस समय "काफी सस्ती दरों" पर खुले बाजार से पटसन की वस्तुएं खरीदकर पूर्ति और निपटान महानिदेशालय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पटसन आयुक्त के अनिवार्य निर्माण आदेशों के अन्तर्गत उनको सप्लाई करके अत्यधिक लाभ कमा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे मामलों में निर्यात पर कोई नकद राज सहायता दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कार्य-विधि क्या है और व्यापारियों द्वारा इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) पटसन मिलों द्वारा पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को की जाने वाली सप्लाई में लाभ कमाने इस अहितकारी प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अधिकांश जूट मिलें डी०जी०एस० एण्ड डी० खाते पर बी-ट्विल थैलों की सप्लाई उन्हें अपनी मिलों में निर्मित करके करती है। तथापि, कुछ मामलों में मिलों ने इन थैलों की सप्लाई अपनी मिलों में उनका उत्पाद करने की बजाए खुले बाजार से कुछ सप्लाई कवर करके की है। उन्होंने ऐसा विशेष उत्पादन समस्याओं अथवा स्वदेश तथा विदेशों में अत्यावश्यक बिक्री दायित्वों अथवा निर्धारित सुपुर्दगीस मय के भीतर पिछली बकाया सप्लाइयों के परिसमापन की वजह से किया। डी० जी०एस० एण्ड डी० खाते पर सप्लाइयों के लिए देय अधिसूचित कीमतें पालेकर फार्मूले के अनुसार लागत जमा आधार पर निर्धारित की जा रही हैं। इस पर भी, अधिसूचित कीमतें इस समय चालू बाजार दरों की अपेक्षा अधिक हैं। इसका कारण है : मांग तथा सप्लाई के मध्यम उल्लेखनीय असन्तुलन है और यह पाया गया है कि हानि तथा लाभ कई वर्षों से अधिकांशतः एक दूसरे को प्रतिसन्तुलित करता है।

ऐसे भी मामले हैं जिनमें मिलों ने संचित बकाया क्लियर करने के लिए माल की अधिसूचित कीमतों की अपेक्षा अधिक ऊंची दरों पर खुले बाजार से की है। ऐसी व्यवस्था की अनुमति मुख्यत: माल की सप्लाई समय से सुनिश्चित करने के लिए दी जाती है।

कुछ मिलों द्वारा खुले बाजार से माल खरीद जाने के बाद जूट माल के निर्यात के लिए नकद मुआवजा सहायता (सी० सी० एस०) राशि के भुगतान तथा डी० जी० एस० एण्ड डी० खाते पर बीट्विल थैलों की सप्लाई के बीच कोई संयोजन स्थापित नहीं किया गया है। सी०सी०एस० देने संबंधी मानदण्ड अन्तर्निविष्ट साधनों के लिए मुआवजा देने तथा अन्य अयोग्यताओं को निष्प्रभावित करने का है।

डी०जी०एस० एण्ड डी० खाते में जूट थैलों की सप्लाइयों पर अवांछित व्यापार लाभ कमाने सम्बन्धी अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य से जूट मिलों को जूट आयुक्त द्वारा किया गया आर्डर हड़ताल अथवा तालाबन्दी की वजह से मिल के कार्यचालन की गति कम करने के तत्काल बाद रद्द कर दिया जाता है और सप्लाई हेतु मात्रा सामान्यतया राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम (एन०जे०एम०सी०) के एककों को पुन:आबंटित की जाती है।

चाय उद्योग में मंदी की आशंका

7790. **श्री के० प्रधानी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे चाय उद्योग में वर्ष 1979-81 के बीच आई जैसी मंदी आने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

व्यापार विकास प्राधिकरण, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान और भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के कार्यकरण की समीक्षा

7791. **श्री के० प्रधानी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापार विकास प्राधिकरण, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान और भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के वर्तमान संगठनात्मक ढांचे की जांच करने और यह पता लगाने के लिए कि इनमें कहां-कहां मितव्ययिता की जा सकती है और खर्चे कम किए जा सकते हैं, उनके कार्यकरण की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर): (क) फरवरी 1986 में, सरकार ने व्यापार विकास प्राधिकरण, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान और भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण की भूमिका, क्रियाकलापों तथा निष्पादन का गहराई से अध्ययन करने के लिए एक समूह का गठन किया है।

(ख) और (ग) समूह ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

पूर्ति और निपटान के महानिदेशालय द्वारा की गई खरीद और विदेशों में उसके सप्लाई कार्यालयों का गठन

7792. **श्री के० प्रधानी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पूर्ति और निपटान के महानिदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष औसतन कितने मूल्य की खरीद और निपटान किया जाता है; और

(ख) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के नियन्त्रणाधीन विदेशों में उसके सप्लाई कार्यालयों का गठन क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक तीन वर्षों के दौरान खरीदे और निपटान किये गये सामान का मूल्य निम्नलिखित है :—

वर्ष	दिये गये खरीद आदेशों का मूल्य	निपटान किये गये अधिकांश सामान का अंकित मूल्य
	(करोड़ रु० में)	
1982-83	1872	83.92
1983-84	2294	70.43
1984-85	2497	61.53

(ख) विदेशों में केवल दो सप्लाई मिशन हैं—सप्लाई विंग, भारतीय उच्चायोग, लन्दन तथा सप्लाई विंग, भारतीय दूतावास, वाशिंगटन। ये विदेश मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन हैं, न कि पूर्ति विभाग के नियन्त्रण के अधीन।

[हिन्दी]

राज्यों को आवश्यक वस्तुओं का आवंटन

7793. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार प्रत्येक राज्य को प्रति मास गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल, डालडा आदि का आवंटन करती है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों की उक्त वस्तुओं की मासिक मांग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जनवरी, 1985 से मार्च, 1986 तक विभिन्न राज्यों को प्रति मास की गई उक्त वस्तुओं की सप्लाई का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सात आवश्यक वस्तुओं अर्थात गेहूं, चावल, खाद्य तेल, लेवी चीनी, मिट्टी का तेल और साथ ही साफ्ट कोक व कंट्रोल के कपड़े की सप्लाई करने की जिम्मेदारी ले रखी है। केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए डालडा सप्लाई नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) गेहूं, चावल, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल तथा मिट्टी के तेल की मांग व उनके आवंटन का ब्यौरा क्रमशः अनुबन्ध 1, 2, 3, 4 तथा 5 में दिया गया।
[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०—2606/86]

[अनुवाद]

वर्ष 1985 में भारतीय प्रतिनिधि व्यापार मंडल का विदेशों का दौरा

7794. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान सरकारी और व्यापारिक समुदाय के कितने प्रतिनिधिमंडल विदेशों के दौरों पर गए;

(ख) इन प्रतिनिधिमंडलों ने किन-किन देशों का दौरा किया; और

(ग) इन दौरों से उन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने में कितनी सहायता मिली ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख)

भारतीय निर्यातकों द्वारा सामान्य व्यवसाय के सामान्य क्रम में की गई विदेश यात्राओं के अतिरिक्त, सरकार/व्यापारी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडलों ने उन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए 1985 के दौरान अन्य देशों के साथ-साथ सं० रा० अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मन संघीय गणराज्य, इटली, बेल्जियम, स्विटरजरलैंड, स्पेन, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नार्वे, टर्की, नीदरलैंड, पनामा, ट्रिनिडाड तथा टोबागों, इथोपिया, मिस्र, कुवैत, सऊदी अरब, यू०ए०ई०, अल्जीरिया, तंजानिया, मोरक्को, सिरालिओन, जिम्बाम्बे, जाइरे, कीनिया, तेहरान, आयवरी कोस्ट, साइबेरिया, सिनेगल, मारिशस, सिचल्स, बेहरीन, मस्कत, कतर, ओमन, नेपाल, ईरान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य, फिलिपाइन, चीन जनवादी गणराज्य, वीयतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, हंगरी, बल्गारिया, सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड तथा रोमानिया का दौरा किया है।

(ग) भारत तथा इन देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की सम्भाव्यता, संगठन उद्योगों में आपसी सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाना, प्रौद्योगिकी के अन्तरण से सम्बन्धित बहुपक्षीय मामलों तथा विषयों पर चर्चा की गई। ये बैठकें जानकारी के आदान-प्रदान तथा व्यापार सम्भाव्यताओं सम्बन्धी विचारों एवं उन प्रतिबन्धों को हटाने, जिनको व्यापार तथा वाणिज्य को आगे बढ़ाने के लिए हटाना आवश्यक है, के रूप में महत्वपूर्ण रही।

गैर-परम्परागत तेलों की बिक्री बढ़ाने की योजना

7795. डा० बी० एल० शैलेश : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सीधे मानव उपभोग के लिए गैर-परम्परागत तेलों की बिक्री बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि उपभोक्ता ऐसे तेलों का अधिक उपयोग करें ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) सरकार ने गैर-पारम्परिक तेलों का प्रयोग सीधे मानव उपभोग के लिए करने हेतु विभिन्न उपाय किये हैं।

(ख) गैर-पारम्परिक तेलों में वृक्ष तथा वनमूल के तेलों के अलावा, सोयाबीन के तेल और चावल की भूसी के तेल को अब सीधे मानव उपभोग के लिए स्वीकार किया जा रहा है और ये लोकप्रिय हो रहे हैं। सोयाबीन के तेल के परिशोधन की नवीनतम प्रौद्योगिकी, सोयाबीन के तेल की

अनुरक्षण किस्म में सुधार ला देती है। चावल की भूसी के स्थिरीकरण की प्रौद्योगिकी का उपयोग खाद्य ग्रेड के चावल की भूसी के तेल की उपलभ्यता को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। गैर-पारम्परिक तेलों को अन्य पसन्दीदा तेलों के साथ मिलाकर उनकी विपण्यता को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

(ग) उपभोक्ता द्वारा मिश्रित तेलों के स्वीकार किये जाने के बारे में अध्ययन किये जा रहे हैं। सोयाबीन—मूंगफली के तेल के मिश्रण को सरकार द्वारा पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। मिश्रित तेलों को, उनके घटकों को प्रदर्शित करके पैकजों में बेचा जाएगा।

बम्बई में हड़ताल के कारण कपड़ा मिलों का बन्द होना

7796. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में कपड़ा मिलों के कर्मचारियों की हाल ही में हुई लम्बी हड़ताल से कितनी कपड़ा मिलें बन्द की गईं;

(ख) इनमें से कितनी कपड़ा मिलें राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अधिग्रहित की; और

(ग) बन्द हुई मिलों के कर्मचारियों को कठिनाइयों से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) बम्बई में उक्त वस्त्र हड़ताल से बम्बई की सभी 60 वस्त्र मिलें प्रभावित हुईं।

(ख) सरकार द्वारा 13 वस्त्र उपक्रमों का प्रबन्ध 18 अक्तूबर, 1983 को अपने हाथ में लिया गया है।

(ग) इन बन्द पड़ी मिलों में से सम्भाव्य अर्थक्षम एककों की पुनर्स्थापना के लिए उपयुक्त वित्तीय पैकेज तैयार करने और उसका प्रबन्ध करने के लिए एक नोडीय अभिकरण स्थापित किया गया है।

भारत युगोस्लाविया संयुक्त व्यापार परिषद की स्थापना

7797. **श्री एन० डेनिस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-युगोस्लाविया संयुक्त व्यापार परिषद की स्थापना की गई है और दोनों देशों ने 1986 के लिए 200 करोड़ रुपये और 1990 तक इससे दुगना व्यापार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच हुए करार का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) एक भारत-युगोस्लाव संयुक्त व्यवसाय परिषद है जो भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ (फिक्की) और युगोस्लाव चैम्बर आफ इकोनामी, बेलग्रेड के बीच सितम्बर, 1977 में स्थापित की गई थी। परिषद जोकि एक गैर-सरकारी निकाय है, की बैठक दोनों देशों के बीच व्यवसाय स्तर पर सहयोग पर विचार करने के लिए समय-समय पर होती रहती है और पिछली बैठक 31-3-86 और 1-4-1986 को नई दिल्ली में हुई थी। फिक्की ने सूचित किया है कि संयुक्त व्यवसाय परिषद ने बैठक के अन्त में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जिसमें व्यवसाय सम्भाव्यताओं का जिक्र था और उसमें सुझाव दिया गया था कि 1986-87 में 200 मिलियन अमरीकी डालर के व्यापार कारोबार का उद्देश्य होना चाहिये और यह कि इस लक्ष्य को और बढ़ाया जाना चाहिए।

छोटे कर्जदारों को ऋण देने के लिए नई व्यवस्था लागू करना

7798. श्री एन० डेनिस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे कर्जदारों को ऋण देने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने देश के कुछ चुने हुए खण्डों में, प्रयोग के तौर पर, 1 अप्रैल, 1986 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋणकर्ताओं को ऋण और वित्तीय सहायता की नकद अदायगी करने की योजना शुरू की है। नकद भुगतान निम्नलिखित प्रकार के मामलों में किया जाएगा: —

(I) जब परिसम्पत्ति मानक किस्म की हो या किन्हीं प्रसिद्ध पूर्तिकर्ताओं द्वारा बेची गई हो;

(II) आई०एस०बी० (उद्योग, सेवा और व्यापार) क्षेत्र के अन्तर्गत जब कई वस्तुएं खरीदी जाती हैं तब 3,000 रुपये तक अपेक्षित भुगतान किया जाता है; और

(III) पशुपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत।

बैंकों से अपनी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं में किसानों और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्य ऋणकर्ताओं को महीने में निर्धारित दो दिन ऋण संवितरित करने के लिए भी कहा गया है।

वर्ष 1985 के दौरान विदेश व्यापार शिष्ट मंडल की भारत यात्रा

7799. श्री मोहन भाई पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशों की सरकारों और व्यापारिक समुदायों के शिष्टमंडलों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए भारत की यात्रा की थी;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके व्यापार शिष्टमंडलों ने भारत की यात्रा की थी; और

(ग) व्यापार बढ़ाने के लिए उनकी यात्रा कहां तक सहायक हुई है और वर्ष 1985 के दौरान किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) विदेशी व्यापारियों द्वारा व्यवसाय के सामान्य क्रम में की गई यात्राओं के अतिरिक्त, बताया जाता है कि सरकार/व्यापारी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडल व्यापार बढ़ाने की संभावना का पता लगाने के लिए 1985 के दौरान अन्य देशों के साथ-साथ सं०रा० अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, इटली, ट्यूनिशिया, मारीशिया, आगवरी कोस्ट, नाइजीरिया, कतर मेडागास्कर, बेहरीन, अर्जेंटिना, मैक्सिको, क्यूबा, ट्रिनीडाड तथा टोबागो, पेरु, मंगोलिया, थाइलैंड, आस्ट्रेलिया, वियतनाम, चीन जनवादी गणराज्य, मलयेशिया, सिंगापुर, कोरिया गणराज्य, जापान, लाओग; कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य, ईरान, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, सोवियत संघ, रूमानिया, बल्गारिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, पोलैंड तथा यूगोस्लाविया से भारत आए।

(ग) भारत तथा इन देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की सम्भावना, संयुक्त उद्यमों में आपसी सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाना, प्रोद्योगिकी के अन्तरण से सम्बन्धित बहुपक्षीय मसलों तथा विषयों पर चर्चा की गई। ये बैठकें जानकारी के आदान-प्रदान तथा व्यापार सम्भाव्यताओं सम्बन्धी विचारों एवं उन प्रतिबन्धों को हटाने, जिनको व्यापार तथा वाणिज्य को आगे बढ़ाने के लिए हटाना आवश्यक है, के रूप में महत्वपूर्ण रहीं। भारत ने 1985 86 के दौरान सोवियत संघ, पोलैंड, जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य तथा रोमानिया के साथ हुए करारों को नवीकृत किया।

[हिन्दी]

पटसन का निर्यात

7800. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 और 1983-84 में अलग-अलग कितने लाख मीटरी टन जूट उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या वर्ष 1983-84 के दौरान किया गया निर्यात वर्ष 1966-67 के दौरान किए गए निर्यात की तुलना में कम था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे और क्या हमारे प्रयासों में कुछ भारी कमियां थीं;

(घ) क्या इन कमियों को दूर करने के लिए प्रयास किया किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1966-67 तथा 1983-84 में पटसन माल के निर्यात की मात्रा नीचे दी गई है:—

वर्ष	मात्रा (लाख मे०टन में)
1966-67	7.34
1983-84	2.34

(ख) जी हां।

(ग) वर्ष 1983-84 में पटसन माल का निर्यात 1966-67 में पटसन माल के निर्यात से कम था जिसके कारण निम्नलिखित हैं :—

(I) संश्लिष्ट स्थानापन्न वस्तुओं तथा अन्य उत्पादक/निर्यातक देशों से कड़ी प्रतियोगिता;

(II) पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों की 84 दिन की लम्बी हड़ताल।

(घ) सरकार ने पटसन माल के निर्यात को बढ़ाने के लिए नीचे लिखे कदम उठाये हैं:—

(I) उत्तरी अमेरिका को कालीन, अस्तर कपड़े का निर्यात करने के लिए 50:50 के आधार पर नुकसान बांटकर एस०टी०सी० पटसन उद्योग कन्सर्शियम का बनाया जाना;

(II) अनुसंधान एवं विकास प्रयासों द्वारा निर्यात योग्य वस्तुओं के विकास को प्रोत्साहन देना;

(III) पटसन माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेषीकृत व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा विदेशों में अभिज्ञात बाजारों में सरकारी उद्योग प्रतिनिधिमंडलों को भेजना; और

(IV) अनुसंधान तथा विकास एवं निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए पटसन उपकर से प्राप्त आय में से नई पटसन विनिर्माण विकास परिषद और पटसन निधि का बनाया जाना।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

गेहूं निकटवर्ती क्षेत्रों में आटा मिलों को दिए जाने से रोकने के उपाय

7802. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आटा मिलों के लिए गेहूं के मूल्य बढ़ाने के बारे में सरकार के फैसले से भारतीय खाद्य निगम को उनके लिए गेहूं का भंडार रखने और इससे होने वाले नुकसान और इस काम में भारी धनराशि के अवरुद्ध हो जाने की स्थिति में सुधार होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या खुले बाजार से मिलों की खरीद में वृद्धि होने की सम्भावना है; और यदि हां, तो कितनी है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है कि आदिवासियों के लिए इस समय 1.75 रु० प्रति किलो की दर से दिया जाने वाला गेहूं निकटवर्ती क्षेत्रों की आटा मिलों को न पहुंचे ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के०पांजा): (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान मूल्य समर्थन के अधीन वसूल किए जाने वाले गेहूं की मात्रा फसल की मात्रा, बाजार-मूल्यों और निश्चित क्रय केन्द्रों पर किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिये पेश की गई मात्रा पर निर्भर करेगी। यदि गेहूं के बाजार भाव रोलर फ्लोर मिलों के लिए गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य से कम होते हैं तो मिलों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी आवश्यकताओं को खुले बाजार से खरीदारी कर पूरी करें। मिलों द्वारा खुले बाजार से खरीदी जाने वाली गेहूं की मात्रा अथवा भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल की जाने वाली मात्रा के बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(ग) समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 1.50 रुपये प्रति किलो की दर पर गेहूं दिया जा रहा है।

केन्द्रीय पूल के गेहूं का वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों की होती है और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उनकी है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं किया जाता है।

बैंकों का अचानक निरीक्षण

7803. **श्री आर० एस० माने :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न बैंकों का इस बात के लिए अचानक निरीक्षण करने के लिए कि वहां उप-

भोक्ता-सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं अथवा नहीं, कोई निगरानी निकाय स्थापित किया गया है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस सम्बन्ध में अनेक सुझावों को राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कार्यान्वित नहीं किया है;

(ग) बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बैंकों की कार्य अवधि के दौरान समय-समय पर और निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उपभोक्ता सेवा सुधार योजनाओं के कार्यान्वयन की जांच करने के वर्तमान उपाय क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) यद्यपि विभिन्न बैंकों का इस आशय से अचानक निरीक्षण करने के लिए कि वहां पर ग्राहकों को सुविधाएं दी जा रही हैं अथवा नहीं, अलग से कोई निगरानी तंत्र नहीं है, लेकिन बैंकों के वरिष्ठ कार्यपालकों को शाखाओं का नियमित तथा अचानक निरीक्षण करने के लिए कहा गया है ताकि शाखाओं द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी का जायजा लिया जा सके और सभी स्तरों पर उपयुक्त निगरानी और नियन्त्रण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। बैंकों के मुख्य कार्यपालकों और क्षेत्रस्तरीय अधिकारियों को प्रत्येक महीने की 15 तारीख को ग्राहकों से मिलने के लिए कहा गया है ताकि बैंकों द्वारा लोगों को दी जाने वाली सेवाओं में जो कमियां हो, उनकी उन्हें बेहतर जानकारी मिल सके।

राष्ट्रीय अनुप्रयोग आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा हाल ही में अहमदाबाद, जयपुर, पटना, बंगलौर, गुवाहाटी और लखनऊ के चुने हुए केन्द्रों में बैंकों की ग्राहक सेवा में सुधार का एक सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण से यह पता चला है कि अधिकांश बैंकों ने सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कुछ उपायों जैसे रुटिन काम को निपटाने में लगने वाले समय के मानदण्डों को प्रदर्शित करने, बड़ी शाखाओं में "क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं" डेस्क शुरू करने, शिकायत निवारण तंत्र का गठन करने आदि पर अमल किया है।

लोहे का आयात और निर्यात तथा स्क्रैप का आयात

7804. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात की जा रही लोहे और इस्पात की मदों का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने मूल्य की इन मदों का निर्यात किया गया;

(ख) आयात की जा रही लोहे और इस्पात की मदों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने मूल्य की इन मदों का आयात किया गया;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार स्क्रैप की कितनी मात्रा का और किन-किन देशों से आयात किया गया;

(घ) क्या सरकार ने 1986-87 के दौरान स्क्रैप का अधिक आयात करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी मात्रा का आयात किए जाने की सम्भावना है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी०शिव शंकर) : (क) से (ग) विभिन्न मदों के निर्यात/आयात की देश-वार मात्रा तथा मूल्य से सम्बन्धित आंकड़े 1982-83 तक संकलित किए गए हैं। 1983-84 से 1985-86 के दौरान लोहा तथा इस्पात मदों तथा स्क्रैप के निर्यात/आयात से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) 1986-87 के लिए आयात योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

आर्थिक अपराधों के लिए प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मारे गए छापे

7805. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1983-84 और 1985 की कुल अवधि में आर्थिक अपराधों के लिए विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कुल कितने छापे मारे गए तथा उक्त अवधि के दौरान कितनी राशि का सामान बरामद हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पकड़े गए सामानों का मद ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(घ) इसमें कितने सरकारी कर्मचारी संलग्न है तथा कितने सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना यथा सम्भव सीमा तक एकत्र की जा रही है और उसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

तटवर्ती क्षेत्रों में तस्करी

7806. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विशेषकर, तटवर्ती क्षेत्रों में तस्करी को रोकने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : तटीय क्षेत्रों सहित, पूरे देश में तस्करी-रोधी अभियान तेज कर दिया गया है। तस्करी के लिए सुगम्य क्षेत्रों में सीमा शुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तंत्र में और कर्मचारी और उपस्कर, बढ़ा करके उसे सुदृढ़ कर दिया गया है। मुखबरों और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरस्कार स्कीम को उदार बना दिया गया है।

"स्वापक औषध द्रव्य तथा मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985" नामक के एक नये अधिनियम को दिनांक 14 नवम्बर, 1985 से लागू कर दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ औषध-द्रव्यों के गैर-कानूनी अपराधों के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था है।

सीमा शुल्क विभाग का निवारक और आसूचना तंत्र तस्करी के लिए सुगम्य क्षेत्रों और तस्करी के लिए आकर्षण की जिन्सों के प्रति सतर्क रहता है। सम्बन्धित केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के प्राधिकारियों के घनिष्ठ तालमेल से अंशकालिक और दीर्घकालिक दोनों ही प्रकार के उपयुक्त तस्करी-रोधी उपाय किए जाते हैं। तस्करी की प्रवृत्तियों और किये गये अभिगृहणों की सतत् समीक्षा की जाती है ताकि उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों में ग्रस्त पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय रूप से तथा न्यायालयों में मुकदमें दायर करके कठोर कार्रवाई की जाती है। तस्करी के माल जो जब्त करन तथा व्यक्तिगत अर्थ-दण्ड लगाए जाने के अलावा, उपयुक्त मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारक अधिनियम के अधीन निवारक नजरबन्दी भी की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अभिगृहीत किए गए माल का मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	अभिगृहीत किए गए माल का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1983	89.92
1984	101.09
1985	186.47 जमा 365 कि०ग्रा० हीरोइन

बैंक सेवा आयोग की स्थापना

7807. श्री जी० एस० बसवराजू : क्या वित्त मन्त्री बैंक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में 19 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3770 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए क्रमश: व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आयोग राष्ट्रीयकृत बैंकों में शीर्ष पदों पर कार्मिकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय स्तर के अन्य उच्च सेवा आयोगों की तरह कार्य करेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रशासनिक और भर्ती दोनों का अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को अध्यक्ष आदि के पदों पर नियुक्त करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और विलम्ब के क्या कारण हैं जबकि आयोग की स्थापना के लिए अधिनियम 1984 के मध्य में पारित कर दिया गया था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) बैंकिंग सेवा आयोग की स्थापना सम्बन्धी औपचारिकताएं बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम 1984 की धारा 4 (2) में परिकल्पित उचित हैसियत, अनुभव, दृष्टिकोण आदि वाले उपयुक्त व्यक्तियों की चयन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही आयोग की स्थापना हो जाएगी वह बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम, 1984 की धारा 10 के उपबन्धों के अनुसार अपना काम शुरू कर देगा।

पर्वतीय क्षेत्रों और पूर्वी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भण्डार रखने की आवश्यकता

7808. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में और विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भण्डार रखने की आवश्यकता अनुभव की है;

(ख) यदि हां, तो क्या दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों और पूर्वी क्षेत्रों में विशेषकर बरसात के मौसम से पूर्व आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भण्डार रखने के लिए राज्य सरकारों, सम्बद्ध मंत्रालयों, रेल विभाग और अन्य संगठनों के साथ मिलकर समन्वित प्रयास किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भण्डार बनाने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) सरकार ने राज्यों में तथा विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के पर्याप्त भण्डार रखने की आवश्यकता अनुभव कर ली है। कमी वाले क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई के लिए ढुलाई योजनाएं रेलवे के परामर्श से हर महीने तैयार की जाती हैं। बरसात का मौसम आरम्भ होने से पहले, पूर्वी क्षेत्र के

दुर्गम तथा पहाड़ी इलाकों में आवश्यक वस्तुओं का भण्डार बनाने के लिए ध्यान दिया जाता है। आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई के लिये रेलवे तथा सम्बन्धित सरकारी अभिकरणों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जाता है।

कटक (उड़ीसा) में बनने वाले चांदी की तारकशी के आभूषणों का निर्यात

7809. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कटक में बनने वाले चांदी की तारकशी के आभूषणों के निर्यात की व्यापक सम्भावनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो कटक में बनने वाले चांदी की तारकशी के आभूषणों के निर्यात में वृद्धि की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) ऐसा अनुभव किया जाता है कि कटक के बने चांदी की तारकशी सहित चांदी के आभूषणों के निर्यात की अच्छी गुंजाइश है।

(ख) चांदी की तारकशी के निर्यात की अनुमति पहले ही इस शर्त पर है कि उत्पाद का एफ० ओ० बी० मूल्य भारतीय कीमत अथवा उत्पाद में चांदी के अंश की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत से जो भी अधिक हो, कम से कम 33.1/3 प्रतिशत अधिक हो।

हिमाचल प्रदेश में श्री नैना देवी में "यात्रिका" का निर्माण

7810. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में श्री नैना देवी में भारतीय यात्री आवास विकास समिति द्वारा "यात्रिका" के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) निर्माण कार्य किस तारीख से शुरू किये जाने की सम्भावना है और वह कब तक पूरा होगा तथा उसकी अनुमानित लागत कितनी होगी; और

(ग) यह परियोजना किस तारीख को मंजूर की गई थी और उसकी मूल अनुमानित लागत कितनी थी तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) नैना देवी में यात्रिका के निर्माण के लिए भारतीय यात्री आवास विकास समिति द्वारा दो-तीन बार निविदाएं

आमन्त्रित की गई थीं जिनके जवाब कम मिले। बाद में इंजीनियरों द्वारा भूमि की जांच पड़ताल करने पर यह बात नोट की गई कि यह भूमि भू-स्खलन क्षेत्र के अन्तर्गत है और इसलिए अनुपयुक्त है। इसके बाद समिति के प्रतिनिधियों और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जांच-पड़ताल करके एक अन्य भू-खंड का चयन किया गया था। यह भूमि राज्य सरकार द्वारा अभी तक समिति को आबंटित नहीं की गई है। एक यात्रिका का निर्माण-कार्य सामान्यतौर पर 1½-2 वर्ष के अन्दर पूरा हो जाता है। परियोजना की अनुमानित लागत 10.00 लाख रुपये है।

अनधिसूचित चीनी मिलें

7811. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री अनधिसूचित चीनी मिलों को दिये गये ऋण की वसूली के बारे में 14 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2755 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनधिसूचित चीनी मिलों ने उनके अधिसूचित किये जाने के बाद भी गन्ने की पेराई जारी रखी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उन मिलों के मामले में जिनका कब्जा मालिकों द्वारा नहीं लिया गया है, कर्मचारियों को वेतन का पूरा भुगतान और किसानों को गन्ने के मूल्य का पूरा भुगतान किया जाये ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) चीनी की बिक्री आदि से प्राप्त की गई राशि का गन्ने के मूल्य और वेतन का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि किसानों को गन्ने के मूल्यों का भुगतान किया जाता है और कर्मचारियों को उनका वेतन अदा कर दिया जाता है।

अनधिसूचित चीनी कारखानों को बकाया गन्ने का मूल्य

7812. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री चीनी उपक्रम अधिनियम 1978 के अन्तर्गत अधिगृहित चीनी कारखानों की बकाया गन्ने का मूल्य के बारे में 14 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2844 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किन परिस्थितियों में (एक) देवरिया चीनी मिलों, (दो) श्री सीता राम चीनी मिल, बैतालपुर और (तीन) सकसेरिया चीनी मिल, बभनान (उत्तर प्रदेश) की इन चीनी मिलों की गन्ने के मूल्य की बकाया राशि प्रबन्ध ग्रहण करने के समय की तुलना में अनधिसूचित करते समय अधिक थी ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : जैसा कि 14-3-86 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 2844 के दिये गये उत्तर में पहले ही उल्लेख किया गया है, अननुसूचित करने या उसके आस-पास की तारीख को गन्ने की बकाया राशि पेराई मौसम के व्यस्ततम समय से सम्बन्धित थी, जबकि गन्ने की बकाया राशि अधिक होती है, लेकिन मौसम की समाप्ति तक उसका भुगतान कर दिया जाता है।

जहां तक मकसे रिया शुगर मिल्स का सम्बन्ध है, उपर्युक्त के अलावा, जिस मौसम के दौरान उक्त मिल को अपने अधिकार में लिया गया था, उस मौसम में खरीदे गए गन्ने की मात्रा जिस मौसम में उसे अननुसूचित किया गया है, उस मौसम की तुलना में काफी कमी थी। इसके अलावा इस मिल को हाल ही में नकद ऋण सीमा का सामना भी करना पड़ा।

पर्यटन उद्योग को लाभ पहुंचाने और प्रोत्साहन देने सम्बन्धी कार्य दल का प्रतिवेदन

7813. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के पर्यटन सचिवों और राज्य पर्यटन विकास निगमों के प्रबन्ध निदेशकों की बैठक के परिणामस्वरूप पर्यटन को बढ़ावा देने और इसे एक उद्योग के रूप में मान्यता देने के लिए एक कार्य दल गठित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य दल ने क्या सिफारिशें की हैं और पर्यटन उद्योग को क्या विशिष्ट लाभ, प्रोत्साहन और रियायतें दी हैं; और

(ग) उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने पर्यटन को उद्योग के रूप में घोषित किया है और अन्य राज्यों को ऐसा कहने के लिए राजी करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यटन सम्बन्धी कार्यकलापों को मिलने वाले प्रोत्साहनों तथा रियायतों का निर्धारण करने सम्बन्धी कार्य दल की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय राज्यों और संघ शासित क्षेत्र अरूणाचल प्रदेश ने पर्यटन को एक उद्योग के रूप में घोषित किया है जबकि उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों ने होटलों को उद्योग के रूप में घोषित किया है। शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से भी ऐसी ही कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

कार्य दल ने पर्यटन सम्बन्धी कार्यकलापों को मिल सकने वाली निम्नलिखित रियायतों/

प्रोत्साहनों का निर्धारण किया है :—

I केन्द्रीय सेक्टर

(क) होटलों, रेस्तराओं, यात्रा प्रचालकों और पर्यटन से सम्बद्ध अन्य उद्योगों द्वारा विदेशी मुद्रा आय के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम की धारा 80 एच० एच० सी० के अधीन रियायतें उपलब्ध होनी चाहिएं।

(ख) पूंजीगत सामान और पर्यटन सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए उपकरणों का आयात करने के लिए सीमा-शुल्क को कम करना और इसे अन्य उद्योगों के बराबर लाना।

(ग) होटलों और यात्रा प्रचालकों द्वारा नियुक्त विदेशी तकनीशियनों और शेष को अन्य औद्योगिक उपक्रमों द्वारा नियोजित विदेशी तकनीशियनों की भांति आय-कर की अदायगी से छूट दी जानी चाहिए।

(घ) चूंकि होटल 24 घंटे काम करते हैं, उन्हें यंत्र तथा संयंत्र पर तिगुनी शिफ्ट में कार्य करने वाली उत्पादक संस्थाओं की ही भांति सामान्य भत्ते के बराबर अतिरिक्त मूल्यह्रास भत्ते की अनुमति होनी चाहिए। फिलहाल, अनुमोदित होटल यंत्र तथा संयंत्र पर सामान्य मूल्यह्रास भत्ते के आधे के बराबर अतिरिक्त मूल्य ह्रास भत्ते के हकदार हैं।

(ङ) कतिपय प्राथमिकता वाले सेक्टरों में कार्यरत अथवा सरकार जिन कार्यकलापों को सामाजिक रूप से वांछनीय समझती है उन्हें चलाने वाले सेक्टरों में लघी कम्पनियों में कुछ नये शेयरों में पूंजी-निवेश के मामले में आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 88-सी सी के अधीन कटौती की अनुमति है। यह रियायत होटल कम्पनियों द्वारा जारी शेयरों पर लागू की जानी चाहिए।

(च) आय-कर अधिनियम की धारा 184 के अधीन अल्प-जनधारित कम्पनियों के अवितरित लाभों पर अतिरिक्त कर लगता है। होटलों का स्वामित्व रखने वाली अथवा उन्हें चलाने वाली कंपनियों को आय-कर अधिनियम की धारा 104 के प्रावधान की परिधि से अलग रखा जाना चाहिए।

(छ) कर सम्बन्धी जो रियायतें इस समय उपलब्ध हैं तथा जिन्हें भविष्य में उपलब्ध कराया जाएगा, वे रेस्तरां, यात्रा अभिकर्ता, यात्रा प्रचालक, आदि जैसे पर्यटन उद्योग के अन्य घटकों पर भी अनुमेय होनी चाहिएं।

(ज) आसान शोधन अवधि सहित 12 प्रतिशत की अधिकतम ब्याज दर पर निधियों की उपलब्धता और मूल राशि के शोधन के लिए प्रथम 3 से 5 वर्षों में विलम्बन।

(झ) (विशेषकर होटलों के लिए) 3:1 का एक उच्चतर ऋण इक्विटी अनुपात जो इस समय 2:1 है।

(ञ) अचल परिसम्पत्तियों की कुल लागत के 2/3 के बराबर ऋण सहायता की वर्तमान मात्रा को बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जाए।

(ट) एम० आर० टी० पी० एक्ट के अधीन जिन उद्योगों को छूट दी जाती है उनमें होटलों को शामिल किया जाए।

(ठ) राज्य पर्यटन विकास निगमों, जो हालांकि विदेशी मुद्रा के प्रमुख अर्जक नहीं हैं फिर भी पर्यटक आधार-संरचना की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, के पक्ष में उदार आयात नीति।

(ड) गैर-निवासी भारतीयों द्वारा पर्यटन सम्बन्धी कार्यकलापों में पूंजी-निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, गैर-निवासी भारतीयों द्वारा इन सेक्टरों के लिए पूंजीगत सामान के आयात को इस वर्ष अप्रैल में भारत सरकार द्वारा घोषित आयात नीति की धारा 47 और 48 के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए। यह समझा गया कि इस छूट से गैर-निवासी भारतीयों द्वारा इन सेक्टरों के लिए पूंजी-निवेश को आकर्षित करने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी और परिणामस्वरूप देश में उपलब्ध आधार-संरचना की क्वालिटी में ठोस सुधार आयेगा।

II राज्य सेक्टर

(1) व्यवहार्यता/परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए इमदाद।

(2) स्थानीय जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए प्रोत्साहन।

(3) राज्य वित्तीय निगमों से धनराशि की उपलब्धता में वृद्धि।

(4) कम से कम पांच वर्षों की एक अवधि के लिए बिक्री कर/चुंगी से राहत।

(5) लिकर और अन्य मादक पेयों पर उत्पादन-शुल्क में राहत। शुल्क की वर्तमान संरचना इन मदों को अत्यधिक महंगा बना देती है।

(6) प्रतिभूति के रूप में सम्पत्ति का कानूनी बन्धक करने और साम्यिक बन्धक पर समर्थक ऋणाधार स्वीकार करने सम्बन्धी कानूनी दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क न लेना।

(7) पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाओं में संयुक्त उद्यमों अथवा सहायता प्राप्त उद्योगों के रूप में राज्य सरकार द्वारा भागीदारी।

(8) राज्य पर्यटन निगमों को चुने हुए स्थानों पर रेस्तराओं और दुकानों की स्थापना करनी चाहिए जहां चुनिंदा विदेशी सामान और लिकर की बिक्री की जाती हो। अधिकांश पूर्वी यूरोपियन देशों की भांति इन मदों को विदेशी मुद्रा के बदले बेचा जा सकता है। इसके अलावा, सीमा-शुल्क

विभाग को कस्टम में पकड़े गये सामान की राज्य पर्यटन निगमों को उनके आउटलेट्स के जरिये बिक्री हेतु पेशकश की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

मकानों के निर्माण के लिए भारतीय स्टेट बैंक और बैंक आफ इंडिया द्वारा खर्च की गई धनराशि

7814. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक और बैंक आफ इंडिया द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान इन पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष समस्या के हल के लिये अमरीका द्वारा किये जाने वाले उपाय

7815. **श्री एन० वेंकटरत्नम**
डा० जी० विजय रामाराव } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के प्रबन्ध निदेशक, श्री डे० लरोसियर ने हाल ही में बैंकर्स क्लब, लंदन के समक्ष कहा कि अमरीका ने विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष आने वाली जटिल समस्याओं का हल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है;

(ख) उल्लिखित उपाय का ब्यौरा क्या है और विश्व की आर्थिक समस्याओं पर इसका क्या प्रभाव है; और

(ग) भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत पर 3000 करोड़ रुपये के अन्तर्राष्ट्रीय ऋण की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक श्री जे० डे० लरोसियर ने 3 फरवरी, 1986 को लन्दन में ओवरसीज बैंकर्स क्लब

के समक्ष अपने भाषण में यह कहा बताते हैं कि बेंकर की पहल का उद्देश्य विकासशील देशों में विकास की गति को पुन: स्थापित करना और ऋणकर्ता और ऋणदाता के संबंधों को पुन: सामान्य बनाने के लिए आधार तैयार करना था।

बेंकर योजना के प्रमुख तत्वों में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं :

(i) विकास और भुगतान शेष के संवर्धन और मुद्रास्फीति में कमी करने के लिए मुख्य ऋणकर्ता देशों द्वारा विस्तृत वृहत-आर्थिक और संरचनात्मक नीतियां अपनाना।

(ii) बहुपक्षीय विकास बैंकों, मुख्यता अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्तर-अमरीकी विकास बैंक द्वारा अधिक हुई मात्रा में और अधिक प्रभावी ऋण के संयोजन से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए लगातार जारी रखने वाली केन्द्रीय भूमिका।

(iii) विस्तृत समायोजन कार्यक्रमों के समर्थन में गैर-सरकारी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बढ़े हुए ऋण।

बेंकर की योजना का प्रमुख उद्देश्य काफी अधिक ऋण-ग्रस्त देशों को ऋण संकट से उबारना है और इस योजना का भारतीय अर्थव्यवस्था अथवा भारत की अन्तर्राष्ट्रीय ऋण स्थिति पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ता।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में बैंक कर्मचारियों आदि को विशेष भत्ते तथा प्रति पूर्ति भत्ते की स्वीकृति

7816. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों को विशेष भत्ता तथा प्रतिपूर्ति भत्ता मिलता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को उक्त भत्ता देने पर प्रतिबन्ध लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस श्रेणी के कर्मचारियों को ये भत्ता न दिए जाने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह में संघशासित क्षेत्र प्रशासन तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी विशेष भत्ता और प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिन्होंने प्रतिपूर्ति भत्ते और विशेष भत्ते के एवज में अण्डमान विशेष वेतन के लिए विकल्प दिया था, कुल प्रतिपूर्ति भत्ता और विशेष भत्ता, उनके द्वारा पहले से प्राप्त किए जा रहे अण्डमान विशेष वेतन/व्यक्तिगत वेतन की राशि तक घटा दिया जाएगा।

अवार्ड कर्मचारियों (अर्थात लिपिकीय तथा अधीनस्थ कर्मचारी) तथा अण्डमान और निकोबार में तैनात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों को विशेष क्षेत्र भत्ता अदा किया जाता है। जीवन बीमा निगम के श्रेणी I अधिकारियों को प्रतिपूर्ति तथा विशेष वेतन अदा किया जाता है। जीवन बीमा निगम के स्थानीय भर्ती किए व्यक्तियों सहित सभी श्रेणी III और IV के कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ता अदा किया जाता है। मुख्य भूमि में भर्ती किए गए और पोर्ट ब्लेअर में तैनात जीवन बीमा निगम के श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों को विशेष भत्ता अदा किया जाता है। जहां तक उद्योग मंत्रालय (सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो) का सम्बन्ध है, पोर्ट ब्लेअर में अण्डमान तथा निकोबार वन तथा बागवानी विकास निगम के नाम से केवल एक सार्वजनिक उद्यम है। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने इस के अलावा किसी अन्य ऐसे संगठन के कर्मचारियों को जिसके अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कार्यालय हैं, विशेष भत्ते तथा प्रतिपूर्ति भत्ते की मंजूरी को स्वीकार नहीं किया है। सरकार का यह विचार है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को स्वीकृत भत्ते और प्रतिपूर्ति भत्ता सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों पर समान सिद्धांत से लागू नहीं होता है। चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम औद्योगिक महंगाई भत्ता प्रणाली और इस से सम्बन्धित वेतनमानों को अपनाते हैं। इसलिए किसी भत्ते की स्वीकार्यता अथवा किसी अन्य बात के सम्बन्ध में कोई भी विशिष्ट निर्णय वेतन पैकेट की सम्पूर्ण राशि को दृष्टि में रखकर किया जाना ही अपेक्षित होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उद्यमों को जो केन्द्रीय महंगाई भत्ते के ढांचे को अपनाते हैं, को यह सूचित करते हुए कि वे किसी भत्ते या परिलब्धियों में अथवा वेतन मानों में उस समय तक संशोधन नहीं करेंगे, जब तक उसे सरकार द्वारा स्वीकृत न कर दिया गया हो, राष्ट्रपति का एक निदेश पत्र भी जारी किया गया है। संशोधन तभी सम्भव हो सकता है यदि कर्मचारी औद्योगिक महंगाई भत्ते की पद्धति को स्वीकार कर लें। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने अण्डमान तथा निकोबार वन और बागवानी विकास निगम, जो कि केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों तथा महंगाई पद्धति को अपनाते रहे हैं, को परामर्श दिया है कि वे औद्योगिक महंगाई भत्ते की पद्धति तथा सम्बद्ध वेतन मानों को अपना लें। कम्पनी के कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समतुल्य माने जाने के लिए यथा स्थिति बनाए रखने के लिए रिट याचिका दायर की है। उच्चतम न्यायालय ने 14 मार्च, 1986 के अपने आदेश में सरकार को वेतन मानों, भत्तों तथा अन्य सेवा सम्बन्धी मामलों के संशोधन से सम्बन्धित इन मामलों की जांच करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करने का निदेश दिया है। तदनुसार केन्द्रीय सरकार ने 7 अप्रैल, 1986 के अपने संकल्प द्वारा एक वेतन समिति की नियुक्ति की है। समिति अपना कार्य आरम्भ करने की तारीख से 4 महीने की अवधि के अन्दर अपनी सिफारिशें दे देगी।

महाराष्ट्र में चीनी कारखानों का विस्तार करने हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन

7817. **श्री आर० एस० माने :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र, विशेषतया कोल्हापुर से चीनी के कारखानों के विस्तार के लिए लाइसेंस

जारी करने के लिए कितनी संख्या में प्रार्थना-पत्र केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ग) इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित वर्तमान सहकारी चीनी फैक्ट्री में विस्तार करने के लिए 24-3-1986 को एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु अपनाए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों को दर्शाने वाली लाइसेंसिंग नीति तैयार की जा रही है। मार्गदर्शी सिद्धांतों को मूर्त रूप देने और उनकी घोषणा करने और आवेदनकर्ता द्वारा नये सिरे से आवेदन करने के बाद ही इस आवेदन पत्र के बारे में कोई फैसला किया जा सकता है।

राज्य सरकारों द्वारा धनराशि का जुटाया जाना

7818. श्री शरद दिघे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य में वर्ष 1986-87 के लिए अब तक प्रस्तुत किए गए बजटों से यह पता लगता है कि योजना आवंटन में अत्याधिक वृद्धि किए जाने के बावजूद भी वे अपनी तरफ से आवश्यक धनराशि जुटाने के मामले में अधिक गम्भीर नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारत सरकार को जिन बीस राज्यों से 1986-87 के बजट प्राप्त हुए हैं उन में से सोलह राज्यों ने घाटे के बजट प्रस्तुत किए हैं।

(ख) राज्य के बजट में दिखाये गए मुनाफे/घाटे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारत सरकार शीघ्र ही इस मामले को सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ उठाएगी।

विवरण

राज्य के 1986-87 के बजट में मुनाफा (+) घाटा (—) दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र० सं०	राज्य	1986-87 के बजट में कुल मुनाफा (+) घाटा (—) (करोड़ रुपये)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	—137.71
2.	असम	— 38.25
3.	बिहार	+ 87.84
4.	गुजरात	— 31.21
5.	हरियाणा	— 26.74
6.	हिमाचल प्रदेश	— 0.57
7.	कर्नाटक	— 43.55
8.	केरल	— 59.40
9.	मध्य प्रदेश	— 12.30
10.	महाराष्ट्र	— 36.21
11.	मेघालय	— 0.07
12.	नागालैंड	+ 8.00
13.	उड़ीसा	— 16.35
14.	पंजाब	—
15.	राजस्थान	— 77.41
16.	सिक्किम	— 1.10
17.	तमिलनाडु	— 4.79

1	2		3
18.	त्रिपुरा		— 5.35
19.	उत्तर प्रदेश		— 88.84
20.	पश्चिम बंगाल		+ 21.95
		जोड़	—462.36
			—580.15
			+117.79

कृषि उत्पाद निर्यात निगम की स्थापना का प्रस्ताव

7819. **श्री सुभाष यादव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पाद निर्यात निगम की स्थापना अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार औद्योगिक क्षेत्रों को निर्यात के लिए दी जाने वाली पैकेज राज सहायता की तरह कृषि क्षेत्रों को निर्यात राज-सहायता देने का है;

(ग) क्या कृषि उत्पाद निर्यात निगम की स्थापना का विचार है; और

(घ) तत्सम्बन्धी वित्तीय पहलू क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) चूंकि संसद के एक अधिनियम के अधीन हाल ही में कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया है, अतः कृषि निर्यात निगम स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) नकद मुआवजा सहायता की नयी योजना को जुलाई 1986 से आरम्भ करने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत अन्य के साथ साथ कृषि क्षेत्र भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कृषि-उत्पादों का निर्यात

7820. **श्री सुभाष यादव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल निर्यात की तुलना में कृषि उत्पादों का कितना

निर्यात किया गया;

(ख) इस समय कृषि उत्पादों के निर्यात के संबंध में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है; और

(ग) क्या सरकार का विदेशी मुद्रा प्राप्त करने तथा कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत को प्रथम स्थान पर लाने के लिए कोई विशेष योजना तैयार करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत से कृषि मदों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार थे :

1982-83	1286.71 करोड़ रु०
1983-84	1305.75 करोड़ रु०
1984-85	1355.83 करोड़ रु०

(ख) एफ० ए० ओ० ट्रेड इयर बुक 1984 के अनुसार कृषि उत्पादों के निर्यातों में विश्व के देशों में भारत का स्थान 19वां है।

(ग) कृषि-निर्यातों को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। निर्यातों में स्थिरता लाने के लिए अप्रैल, 85 में तीन वर्षीय निर्यात नीति घोषित की गई है। 1985-86 में पहली बार गेहूं निर्यात करने की अनुमति दी गई है। हमारे निर्यातों को और अधिक प्रतियोगी बनाने के तम्बाकू पर से निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया है। ताजे फलों तथा सब्जियों के निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं साधित खाद्य उत्पादों के मूल्य वर्धित रूप में निर्यात पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए अपूर्तित पैकेजिंग प्रणाली कर आयात शुल्क कम कर दिया गया है। कृषि तथा साधित खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना करके संस्थागत ढांचे को भी मजबूत बनाया गया है। नकद मुआवजा सहायता की नई योजना में, जोकि 1 जुलाई, 1986 से प्रभावी होगी, फलों और सब्जियों, जोकि स्वरूप से शीघ्र नष्ट होने वाली हैं जैसी कृषि मदों के लिए देश में निर्यात मदों की ढुलाई की ऊंची लागत को कवर करते हुए विशेष उपायों की व्यवस्था है।

साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सहकारी बैंकों में धन जमा कराया जाना

7821. श्री सुभाष यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम अपना धन राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखते रहे हैं;

(ख) क्या भारत के कुछ राज्य सहकारी बैंकों ने हाल ही में साधारण बीमा निगम और

जीवन बीमा निगम से अपना कुछ धन राज्य-सहकारी बैंकों में जमा कराने का अनुरोध किया है ताकि फसल ऋण बीमा योजना को बढ़ावा दिया जा सके;

(ग) क्या सरकार का विचार साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम को अपना कुछ धन राज्य-सहकारी बैंकों में जमा कराने के लिए कहने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क), (ग) और (घ) साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम द्वारा किए जाने वाले निवेश, उन पर लागू होने वाले बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27 क और धारा 27 ख के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। वैसे, वे थोड़े समय के लिए, अन्य के साथ-साथ, राष्ट्रीयकृत बैंकों और कुछ राज्य सहकारी बैंकों के पास अपना धन जमा रखते रहे हैं।

(ङ) जी, नहीं।

राज्य सहकारी बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए आवेदन पत्रों का निपटान

7822. श्री सुभाष यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सहकारी बैंकों के लिए अपनी नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सहकारी बैंकों द्वारा नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस हेतु ऐसे आवेदन पत्र पहले राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के पास भेजे जाते हैं और फिर उसके माध्यम से उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजा जाता है;

(ग) ऐसे आवेदन पत्रों पर उनके प्रस्तुत करने से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तिम निर्णय लिए जाने तक कितना समय लगता है;

(घ) क्या यह भी सच है कि अनेक आवेदन-पत्र या तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के पास अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के पास एक वर्ष से अधिक अवधि से विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार सभी आवेदनपत्रों को तुरन्त निपटाने हेतु सम्बन्धित प्राधिकारियों को निदेश देने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राज्य सहकारी बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए आवेदन दो प्रतियों में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किए जाते हैं और एक अतिरिक्त प्रति भारतीय रिजर्व बैंक के सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाती है। राष्ट्रीय बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय राज्य सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में विस्तृत जांच करने के बाद इन आवेदनों को भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय को भेजे जाने के लिए अपने निरीक्षण विभाग को अग्रेषित कर देते हैं। इसके साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय नकद प्रारक्षित निधि अनुपात/सांविधिक नकदी अनुपात रखने और अन्य विभिन्न अनुदेशों के अनुपालन के संदर्भ में बैंक के काम की जांच करते हैं और अपनी टिप्पणियां भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय को भेज देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का केन्द्रीय कार्यालय इन आवेदनों पर राष्ट्रीय बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक की क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर और साथ ही बैंक कार्यालय खोलने के लिए सामान्य नीति मार्ग-निर्देशों और उससे सम्बद्ध अन्य मामलों के संदर्भ में विचार करता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि शाखाएं खोलने के लिए राज्य सहकारी बैंकों के आवेदनों पर प्राय: 8 से 10 सप्ताह के अन्दर-अन्दर मंजूरी दे दी जाती है, यदि आवेदन सभी प्रकार से पूरे हों।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने बताया है कि उसके पास 17 अगस्त, 1984 को प्राप्त एक आवेदन पत्र विचाराधीन है क्योंकि सम्बद्ध बैंक से कुछ स्पष्टीकरण/सूचना प्राप्त होनी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसके पास आज की तारीख तक राज्य सहकारी बैंकों के कार्य क्षेत्र के अन्दर शाखाएं खोलने के लिए कोई आवेदन विचाराधीन नहीं है। अलबत्ता, आज की तारीख को, दो राज्य सहकारी बैंकों से उनके सामान्य कार्य क्षेत्र से बाहर 6 शाखाएं खोलने के आवेदन विचाराधीन हैं। इन आवेदनों में से सबसे पहला आवेदन दिनांक 10 फरवरी, 1984 का और अन्तिम आवेदन दिनांक 21-11-1984 का है।

(च) और (छ) चूंकि सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदन पत्र और राज्य सहकारी बैंकों के निर्धारित कार्य क्षेत्र में शाखाएं खोलने के लिए प्राप्त आवेदन पत्र प्राय: 8 से 10 सप्ताह के अन्दर-अन्दर पास कर दिए जाते हैं, इसलिए राज्य सहकारी बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने के लिए आवेदनों को जल्दी निपटाने के वास्ते अनुदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

ग्रामीण बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

7823. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में इस समय कुल कितने बैंक कार्यरत हैं;

(ख) क्या उक्त में से अधिकांश ग्रामीण बैंकों द्वारा वर्ष 1984-85 में दी गयी वित्तीय

सहायता वर्ष 1983-84 में दी गई वित्तीय सहायता की तुलना में बढ़ने के बजाय घटी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने और अपने दायित्व का समुचित रूप से निर्वाह न करने वाले व्यक्तियों को दंड देने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है कि वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान बस्ती जिले में तिलौली ग्रामीण बैंक द्वारा विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कितनी सहायता दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बस्ती ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में ग्रामीण बैंक की 89 शाखाओं को मिलाकर 9 बैंकों की 193 शाखायें काम कर रही हैं।

(ख) उपर्युक्त ग्रामीण बैंक की विभिन्न शाखाओं द्वारा सवितरित ऋण की राशि जो 1983-84 में 422.76 लाख रुपए थी, 1984-85 में बढ़कर 493.29 लाख रुपए की गई।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) बताया गया है कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बस्ती ग्रामीण बैंक की तिलौली शाखा द्वारा दी गई सहायता में 1983-84 की तुलना में 1984-85 में कमी आई है। इस कमी के कई कारण हैं, 1983-84 में अधिक ऋण दिया जाना, अधिक अतिदेय रकमें और वापसी अदायगी मे चूक, नई शाखाओं का खोला जाना और ऋण जमा अनुपात में कमी आदि।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों/चीनी के विलंब शुल्क/घाट शुल्क के कारण घाटा

7824. श्री राजकुमार राय : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा विलम्ब शुल्क/घाट-शुल्क की अदायगी न किए जाने के कारण रेलवे ने भारतीय खाद्य निगम के गेहूं और चीनी के स्टाक को जब्त कर लिया था और उनकी नीलामी कर दी थी;

(ख) माल शेडों में पड़े-पड़े खराब हुए खाद्यान्नों/चीनी के बोरों का ब्यौरा क्या है जिसके कारण भारतीय खाद्य निगम को भारी घाटा उठाना पड़ा;

(ग) क्या सरकार ने उक्त घाटे का अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि हाल ही में विलम्ब शुल्क/घाट शुल्क अदा न करने के कारण रेलवे द्वारा नेवी चीनी के 9 वैगनों को रोक लिया गया था। रेलवे ने इनमें से 2 वैगनों को रेलवे के केटरिंग विभाग के इस्तेमाल के लिए दे दिया था। रेलवे द्वारा गेहूं अथवा चावल के किसी वैगन को नहीं रोका गया था। भारतीय खाद्य निगम के दावे/अपील पहले ही रेलवे के पास लम्बित पड़े हुए हैं।

(ख) से (घ) यदि स्टाक की कोई क्षति/हानि होती है तो उसके बारे में तभी जानकारी मिलेगी जब उसे रेलवे द्वारा भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्द कर दिया जाता है।

लंदन स्थित कम्पनियों को कम मूल्य पर काफी की बिक्री

7825. श्री सुरेश कुरूप : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी बोर्ड ने 14 और 27 दिसम्बर, 1985 को लंदन स्थित दो कम्पनियों को अत्याधिक कम मूल्य पर काफी की बिक्री की थी जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य में तीव्र वृद्धि हो रही थी;

(ख) यदि हो, तो इस बिक्री के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

काफी बोर्ड द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, अध्यक्ष इस आधार पर काफी की मात्रा सम्बन्धी संविदा कर सकते हैं कि प्रत्येक महीने की पोत लदान कीमत वह होगी जो आयातक द्वारा दी गई काल की तारीख से पूर्ववर्ती निर्यात नीलामी में रही हो व उसके अलावा प्रशासनिक तथा एफ०ओ०बी० प्रभार भी होंगे। अध्यक्ष ने गत वर्ष की रिकार्ड फसल के परिणामस्वरूप बने असाधारण बड़े स्टाकों को देखते हुए कुछ काफी बेचने के बारे में 11 दिसम्बर, 1985 को विपणन समिति को बताया। नवम्बर, 1985 में रिलीज किए गए एक मिलियन बैग के कोटे के अलावा 10 से 13 दिसम्बर, 1985 के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन द्वारा रिलीज किए गए अतिरिक्त कोटे के 4

मिलियन बैग सम्बन्धी तथ्य भी ध्यान में रखा गया।

2. अध्यक्ष ने गत सीजन की फसल की कॉफी की बिक्री के लिए दिसम्बर, 1985 में दो संविदाएं कीं जिनमें से 750 मे०टन का पोत लदान दिसम्बर, 1985 में किया जाना था और 1950 मे०टन का पोत लदान जनवरी से अप्रैल, 1986 तक प्रतिमाह किया जाना था। जनवरी, तथा फरवरी, 1986 में निर्यात-नीलामी कीमतों में वृद्धि हुई किन्तु मार्च तथा अप्रैल में गिरावट आ गई। इस प्रकार, पोत लदान के महीने में बिक्री अलग-अलग कीमतों पर हुई। कीमतों में उतार-चढ़ाव के जोखिम को देखते हुए पोत लदान पांच महीनों में किए गए।

हस्तशिल्प वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात

7826. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हस्त शिल्प वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात के आंकड़े क्या हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य के तत्सम्बन्धी शिल्प-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या पीतल उद्योग में उत्पादन बिक्री और निर्यात बढ़ाने और रोजगार के सामान्य अवसर अधिक उत्पन्न करने के लिए जो इन दिनों कम हो रहे हैं, मुरादाबाद के पीतल उद्योग को लाभ पहुंचाने हेतु कोई डिजाइन और तकनीकी विकास केन्द्र और 'डाटावेस' स्थापित किया गया है;

(ग) क्या धातु से बनी वस्तुओं पर नक्काशी के तीव्र विकास के लिए एक केन्द्र खोले जाने की सम्भावना है और यह केन्द्र कहां खोला जाएगा; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को यह कहने का विचार है कि वे शीशे और टिन-शीट पेपर-वेट और ऐश-ट्रे आदि के स्थान पर कुछ पीतल के सामान का इस्तेमाल करें ताकि इन मदों की मांग का स्तर बढ़ाया जा सके जिससे इस उद्योग को अपने उत्पादों के विपणन में सहायता मिल सकेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) चूंकि हस्तशिल्प क्षेत्र अत्यधिक विकेन्द्रीकृत है और व्यापक रूप से फैला हुआ है इसलिए उत्पादन के राज्यवार और शिल्प-वार कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बहुत ही मोटे अनुमानों के अनुसार गत तीन वर्षों अर्थात् 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान हस्तशिल्प की वस्तुओं के जिनमें रत्न तथा आभूषण शामिल हैं, कुल उत्पादन के राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े क्रमश: 3050 करोड़ रु०, 3250 करोड़ रु० और 3500 करोड़ रु० थे। शिल्पवार निर्यातों के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। निर्यातों के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) धातु की कलात्मक वस्तुओं की सरफेस फिनिश में सुधार के लिए यू०पी० स्टेट ब्रास बेयर कारपोरेशन में एक धातु हस्तशिल्प सेवा केन्द्र स्थापित किया है। केन्द्र के 1987 में कार्य आरम्भ कर देने की सम्भावना है।

(घ) जी नहीं।

विवरण

1983-84 से 1985-86 (अप्रैल-सितम्बर, 85) वर्षों के दौरान भारत से हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात (अनन्तिम)

(मूल्य : लाख रु० में)

क्रमांक	मद	1983-84 (अनन्तिम)	1984-85 (अनन्तिम)	1984-85 (अप्रैल – दिस० 84)	1985-86 (अप्रैल—दिस० 85)
1	2	3	4	5	6
I.	रत्न और आभूषणों को छोड़कर अन्य हस्तशिल्प वस्तुएं				
1.	ऊनी कालीन, गलीचे तथा दरियां जिनमें नमदे शामिल हैं	14769.92	15759.80	10559.59	11838.58
2.	धातु की कलात्मक वस्तुएं	6722.64	8310.88	6435.98	6416.47
3.	लकड़ी की वस्तुएं	1096.15	1106.05	831.33	657.82
4.	हाथ से छपे वस्त्र तथा स्कार्फ	3337.79	2437.20	1665.79	1720.72
5.	नकली आभूषण	342.48	492.01	365.21	438.33

1	2	3	4	5	6
6.	कलात्मक वस्तुओं के रूप में शाल	362.40	615.66	426.66	429.40
7.	जरी	184.00	170.54	106.03	131.84
8.	हाथी दांत के उत्पाद	134.00	77.03	67.33	116.04
9.	सूती कालीन, गलीचे और दरियां आदि	1829.74	3191.66	2272.18	2615.31
10.	एम्ब्राइडरी किया हुआ माल	352.84	500.89	418.62	489.23
11.	विधि हस्तशिल्प की वस्तुएं	5449.66	7075.30	5132.23	5354.95
	योग (I) रत्न तथा आभूषण को छोड़कर	34581.61	39737.02	28280.95	30208.69
II.	रत्न तथा आभूषण	132396.33	130229.89	95220.86	104686.43
	योग (I) और (II)	166977.94	169966.91	123501.81	134895.12

स्रोत : सीमाशुल्क सदनों से जारी होने वाली निर्यातों की दैनिक सूचियां और रत्न तथा आभूषण के लिए 1983-84 और 1984-85 (अनन्तिम) वर्ष के लिए रत्न तथा आभूषण संवर्धन परिषद।

वर्ष 1985-86 के दौरान स्वीकृत चीनी मिलें

7827. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1985-86 के दौरान कितनी नई चीनी मिलों को स्वीकृति दी गई; और

(ख) इनमें से कितनी चीनी मिलें कर्नाटक और तमिलनाडु में हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) चीनी वर्ष 1985-86 के दौरान अब तक देश में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए कोई आशय पत्र/लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सांप की चमड़ियों के गैर-कानूनी पोत-लदान का पकड़ा जाना

7828. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष गैर-कानूनी पोत-लदान में सांप की चमड़ियों के कितने टुकड़े पकड़े गये हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : वर्ष, 1983, 1984 और 1985 के दौरान, सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन अभिगृहीत की गई सर्प-चर्म की कुल संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	अभिगृहीत की गई सर्प-चर्म की संख्या
1983	3,30,662
1984	4,13,243
1985	84,513

"शुल्क वापसी" सम्बन्धी लम्बित मामले

7829. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "शुल्क वापसी" के भुगतान न किये जाने के कितने मामले लम्बित पड़े हुए हैं;

(ख) उनमें कितनी धनराशि अन्तर्गस्त है; और

(ग) उस धनराशि की निर्यातकों को अदायगी करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 5 मुख्य सीमा शुल्क गृहों में 31-3-86 की स्थिति के अनुसार भुगतान के लिए बकाया पड़े शुल्क प्रतिअदायगी दावों की संख्या लगभग 77,175 है।

(ख) बकाया पड़े दावों में अन्तर्ग्रस्त प्रतिअदायगी की राशि का तत्काल पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि दावों को उनके वर्गीकरण लगाई गई दर के सही होने, तथा किये गये परीक्षणों जहां कहीं आवश्यक समझा गया था के परिणामों के सम्बन्ध में सत्यापन करने की जरूरत होती है। फिर भी पिछले तीन वर्षों के दौरान भुगतान की गई प्रतिअदायगी की वास्तविक राशि इस प्रकार है :—

1983-84	132 करोड़ रु०
1984-85	154 करोड़ रु०
1985-86 (फरवरी 86 तक)	156 करोड़ रु०

(ग) दिनांक 1-2-1986 से संशोधित प्रतिअदायगी भुगतान योजना लागू की गई है ताकि 24 घंटों के भीतर दावों को निपटाया जा सके। पुराने बकाया दावों को अन्तिम रूप देने के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाया गया है। अन्तर्देशीय हवाई अड्डों और आन्तरिक आधान डिपों के जरिए किये गये निर्यातों के सम्बन्ध में शीघ्र भुगतान के लिए प्रतिअदायगी भुगतान की कार्यविधि को सरल बनाया गया है।

"शुल्क वापसी प्रणाली" (ड्यूटी ड्रावैक सिस्टम) में परिवर्तन

7830. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगों द्वारा सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि "शुल्क वापसी प्रणाली (ड्यूटी ड्रावैक सिस्टम) की नए सिरे से पुनरीक्षा की जाए क्योंकि यह प्रणाली बहुत जटिल है और इसमें काफी समय लगता है बार-बार दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे वह प्रयोजन पूरा नहीं होता जिसके लिये वह प्रणाली शुरू की गई थी;

(ख) क्या दत्ता समिति ने इस प्रणाली में व्यापक परिवर्तन करने का सुझाव दिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सुझावों के कार्यान्वयन से पहले इन पर विचार करने के लिए इस व्यवसाय के प्रतिनिधियों से मिलने का है; और

(घ) इन सुझावों का कार्यान्वयन कब तक किये जाने की सम्भावना है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) व्यापारी वर्ग और उद्योगपतियों से, वर्ष 1985 की परवर्ती अवधि में, शुल्क प्रतिअदायगी प्रणाली तथा उसके सरल बनाने के लिए नए सिरे से विचार करने के सिलसिले में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। सरकार ने, शुल्क प्रतिअदायगी प्रणाली की व्यापक पुनरीक्षा करने और इसे युक्तियुक्त सरल बनाने हेतु उपाय सुझाने के लिए श्री ज्योतिभव दत्ता, अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड, के अधीन एक समिति की स्थापना की थी। सरकार को समिति की रिपोर्ट जनवरी, 1986 में प्राप्त हुई थी जिसमें विभिन्न सिफारिशें की गई थीं और प्रणाली में अनेक परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया था।

(ग) समिति ने व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए विचारों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। अत: कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्रवाई करने से पहले व्यापारी वर्ग से पूर्व परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(घ) सरकार ने समिति द्वारा कुछेक सिफारिशों पर पहले ही कार्रवाई कर दी है और अन्य सिफारिशें कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं।

गेहूं और चावल की खरीद, वितरण और उतराई चढ़ाई की लागत में वृद्धि

7831. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 फरवरी, 1986 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि गेहूं और चावल की खरीद और वितरण की कुल लागत की 93 प्रतिशत लागत भारतीय खाद्य निगम के नियन्त्रण के बाहर है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के नियन्त्रण के बाहर की बातों और खरीद तथा उतराई-चढ़ाई की लागत में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार कारणों का पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मन्त्रालय का विचार यह मामला रेलवे तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ उठाने का है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लागत में वृद्धि न हो क्योंकि अन्ततः बढ़ी हुई लागत से समाज के कमजोर वर्ग ही प्रभावित होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) वसूली प्रासंगिक खर्चों में मण्डी प्रभार और क्रय कर (सांविधिक), बोरी की लागत (आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय की दरें), ब्याज, भण्डारण, प्रशासन तथा राज्य की एजेंसियों को देय स्टाक रखने की लागत के प्रति व्यय करना अपरिहार्य होता है।

वितरण सम्बन्धी खर्चों में भाड़ा (अधिकांशतः रेल भाड़ा), भण्डारण प्रभार, ब्याज प्रभार (बैंक की दरों पर) विषयक खर्चे होना, और अनाज की सामान्य कमियां होना अपरिहार्य होता है।

(ग) और (घ) यद्यपि लागत की बढ़ोतरी को नियन्त्रित करने के लिए रेलवे और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ इस मामले को उठाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन भारतीय खाद्य निगम की परिचालन कार्यकुशलता में सुधार करके इन लागतों को कम करने के लिए सर्वदा सतत् प्रयास किए जाते हैं।

अखिल भारतीय पर्यटन निकाय के लिए प्रस्ताव

7832. श्री बनवारी लाल पुरोहित
डा० गौरी शंकर राजहंस } : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन आफ इण्डिया" ने देश में एक अखिल भारतीय पर्यटन निकाय की स्थापना का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त सुझाव पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावित अखिल भारतीय पर्यटन निकाय देश में पर्यटन उद्योग के विकास में कहां तक सहायक सिद्ध होगा ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने पहले से ही जुलाई, 1983 में एक उच्चस्तरीय पर्यटन सलाहकार बोर्ड की स्थापना कर रखी है जिसमें 14 सरकारी सदस्य और पर्यटन उद्योग के विभिन्न घटकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 गैर-सरकारी सदस्य हैं। यह बोर्ड पर्यटन के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों पर विचार करता है और सिफारिशें करता है तथा उनमें हुई प्रगति की निरन्तर समीक्षा करता है।

केरल के हथकरघा बुनकरों के लिए आवास योजना

7833. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने हथकरघा बुनकरों के लिए आवास की एक योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार ने सातवीं योजना के दौरान केवल हथकरघा बुनकरों के लिए 750 आवास-सह-वर्कशेडों एवं 4150 वर्कशेडों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। 1985-86 के दौरान हथकरघा बुनकरों के लिए वर्कशेड-सह-आवास योजना के अधीन 275 वर्कशेडों के निर्माण के लिए बराबर के अंशदान के रूप में केन्द्रीय सरकार ने 2.75 लाख रु० की राशि रिलीज की है।

केरल के अल्लेप्पी जिले में स्थित "पथीरा मनल" द्वीप के विकास की योजना

7834. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य के अल्लेप्पी जिले में "पथीरा मनल" द्वीप का पर्यटन आकर्षण के एक सुन्दर स्थल के रूप में विकास करने के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु, एक योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कितनी सहायता मांगी गई है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बैंक अधिकारियों द्वारा समय पूर्व-सेवा-निवृत्ति तथा भर्ती पर प्रतिबन्ध के विरुद्ध प्रदर्शन

7835. श्री कृष्ण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों ने 20 मार्च, 1986 को, अथवा उसके आस-पास राजधानी में समय पूर्व सेवानिवृत्ति तथा भर्ती पर निरन्तर प्रतिबन्ध के विरुद्ध प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक

और सरकारी क्षेत्र के कई बैंकों ने सूचित किया है कि उनके किसी भी कर्मचारी ने दिनांक 20 मार्च, 1986 को या इसके आसपास समयपूर्व सेवानिवृत्ति या भर्ती पर प्रतिबन्ध के खिलाफ राजधानी में प्रदर्शन नहीं किया था। अलबत्ता, देना बैंक और ओरियंटल बैंक आफ कामर्स ने सूचित किया है कि उनके कर्मचारियों ने दिनांक 20 मार्च, 1986 को समयपूर्व सेवानिवृत्ति और भर्ती पर लगाए गए लगातार प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन किया था।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन रुग्ण कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण पर खर्च की गई धनराशि

7836. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84, 1984-85 में और दिसम्बर, 85 तक राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन रुग्ण कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण पर प्रति वर्ष खर्च की गई धनराशि का ब्योरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन मिलों की उत्पादन-क्षमता का कम उपयोग किये जाने का ब्योरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान उत्पादन के मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित कर्मकारों की संख्या से कितने अधिक कर्मकार काम कर रहे थे तथा उनकी नियुक्ति का क्या औचित्य था और अतिरिक्त कर्मकारों को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(घ) गत चार वर्षों में राष्ट्रीय कपड़ा निगम को हुए घाटे का ब्योरा क्या है; और

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान (एक) खेल-कूद तथा (दो) विज्ञापनों पर राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा खर्च की गई राशि का ब्योरा क्या है तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम के घाटे में चलते रहने पर भी उपर्युक्त मदों पर खर्च की गई राशि का क्या औचित्य है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) उल्लिखित अवधि के दौरान एन० टी० सी० की 101 राष्ट्रीयकृत मिलों के आधुनिकीकरण पर खर्च की गई वर्ष वार राशि नीचे दी गई है:—

वर्ष	राशि (करोड़ रु० में)
1982-83	48.78
1983-84	23.42
1984-85	20.37
1985-86 (दिसम्बर, 85 तक)	29.63

(ख) उल्लिखित अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत एन०टी०सी० मिलों में क्षमता के उपयोग के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

उपयोग%	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86 (दिस०85 तक)
कताई	61.1	71.6	70.0	77.0
बुनाई	56.2	73.2	73.0	77.7

(ग) दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन को एन०टी०सी० मिलों में श्रमिक बल का अध्ययन करने का काम सौंपा गया था। दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन ने विद्यमान मशीनरी और मिलों को सौंपे गए कार्य के आधार पर लगभग 38000 श्रमिक बल की अधिकता का पता लगाया था।

(घ) गत चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत एन०टी०सी० मिलों की हानियां नीचे दी गई हैं:—

वर्ष	हानियां (करोड़ रु० में)
1982-83	—78.05
1983-84	—137.36
1984-85	—172.36
1985-86 (अप्रैल 85 से जन० 86 तक)	—105·68

(ङ) 1984-85 और 1985-86 (अनंतिम) वर्षों के दौरान 1.85 लाख रु० और 7.45 लाख रु० खेलों पर खर्च किए गए थे जबकि विज्ञापनों पर 63.45 लाख रु० और 145.45 लाख रु० खर्च किए गए थे।

खेलों पर खर्च कल्याण गतिविधि का एक साधन है। श्रमिक रोजगार पर विचार करते हुए 1984-85 के दौरान खर्च की गई राशि एक रुपया प्रति श्रमिक से कम आती है और 1985-86 के दौरान 3 रु० प्रति श्रमिक से कम आती है। जहां तक विज्ञापनों पर खर्च का सम्बन्ध है, यह वस्त्र जैसे उपभोक्ता अभिमुख उत्पाद के लिए अति आवश्यक है। 1985-86 के दौरान विज्ञापनों पर एन०टी०सी०का खर्चा उत्पादन मूल्य का लगभग 0.3% बैठता है।

मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) में उपभोक्ता सहकारी-समितियों की स्थापना

7837. श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता सहकारी समितियां स्थापित करेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शहरी क्षेत्रों के निवासियों को उचित मूल्य पर दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए इस जिले में कुछ ऐसे सरकारी भंडार स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों का विकास करने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, उपभोक्ता सहकारी समितियों को राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। भारत सरकार ने अब तक इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से मुरादाबाद होलसेल सेन्ट्रल कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर लि० को मुरादाबाद जिले में 14 खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए 5,03,000/—रु० की कुल धनराशि मंजूर की है, ताकि उपभोक्ताओं को दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं उचित दरों पर उपलब्ध कराई जा सकें।

भारत से परामर्शदात्री सेवा (कन्सल्टेन्स) का निर्यात

7839. श्री पी० एम०सईद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत से परामर्शदात्री सेवा (कन्सल्टेन्सी) के निर्यात के बारे में भारतीय निर्यात संगठन के परिसंघ (फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन) से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में क्या मुख्य सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी०शिव शंकर) : (क) से (ग) भारतीय निर्यात संगठनों के परिसंघ ने परामर्श संगठनों को अधिक सहायता की आवश्यकता के सम्बन्ध में हाल ही में एक टिप्पणी प्रस्तुत की है। टिप्पणी में परियोजना सहायता देने के सम्बन्ध में परियोजना निर्यात सम्बन्धी कार्यबल की सिफारिशों का जिक्र है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं, परामर्श सेवा

संगठनों द्वारा निष्फल बोलियों की आंशिक लागत की वापसी, धारा 80 (ओ) और 80(एम०एम०) के अन्तर्गत आयकर के भुगतान से पूर्ण छूट का दिया जाना और भारतीय परामर्शदाताओं के लिए राष्ट्रीय मंच बनाने की आवश्यकता कार्य बल की उपरोक्त सिफारिशों पर सरकार ने पहले विचार किया था और यह विनिश्चय किया था कि 1.4.1984 से परियोजना सहायता को समाप्त कर दिया जाए। निष्फल बोलियों की लागत को वापस करने के सम्बन्ध में सिफारिश को नहीं माना गया। धारा 80 (ओ) और 80 (एम०एम०) के अन्तर्गत आय कर के भुगतान से पूर्ण छूट देने की सिफारिशों से वित्त मंत्रालय सहमत नही हुआ। जहां तक परामर्श संगठनों के राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता का संबंध है, एफ० आई० ई० ओ० को एक नोडीय परामर्शी अभिकरण के रूप में मामले में उचित कार्यवाही करने को कहा गया।

लघु उद्योगों और मौडवेट नियमों के लिए प्रक्रियाओं का प्रकाशन करना

7840. **श्री पी०एम०सईद :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोडवेट नियमों को स्पष्ट करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लघु उद्योगपतियों के लिए विशेषरूप से और जनता के लिए सामान्य तौर पर लघु उद्योगों और मॉडवेट नियमों के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं की व्याख्या करने वाले लघु प्रकाशन प्रकाशित करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इस वर्ष के बजट में मॉडवेट योजना के लागू करने से योजना के अन्तर्गत नियमों और कार्यविधि को स्पष्ट करने की दृष्टि से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इस सम्बन्ध में अनुदेश, जहां कहीं आवश्यक थे, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के समाहर्ताओं को जारी कर दिए गए हैं। एक प्रकाशन निकालने का प्रस्ताव है जिसमें लघु उद्योगों के लिए विभिन्न कार्यविधियों को तथा मॉडवेट की मुख्य-मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट किया जाएगा।

न्यूजीलैंड से आयात की जाने वाली नई वस्तुओं का पता लगाना

7841. **श्री पी०एम०सईद :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दोनों देशों के बीच हाल में हुए समझौते के अनुसार न्यूजीलैंड से कौन-कौन सी नई वस्तुओं का आयात किया जाना है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मार्च, 1986 में अपनी भारत यात्रा के दौरान न्यूजीलैंड के विदेश व्यापार तथा विपणन मंत्री श्री माईक मूरे ने भारत को ऊन, अखबारी कागज, लकड़ी का गूदा, भेड़ों की खालें तथा चमड़ियां जैसी मदों का निर्यात करने का प्रस्ताव रखा। भारत इनमें से कुछ मदों का आयात न्यूजीलैंड से करता रहा है।

बैंकों में साप्ताहिक अवकाश

7842. श्रीमती प्रभावती गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बैंकों की विभिन्न शाखाओं में निकट के बाजार बंद होने के दिन साप्ताहिक अवकाश किया जाता है;

(ख) क्या उक्त व्यवस्था बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे अन्य महानगरों में भी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो उक्त व्यवस्था लागू करने की क्या पृष्ठभूमि है;

(घ) क्या बैंकों के ग्राहकों अथवा कर्मचारियों द्वारा बैंकों में अलग-अलग दिनों को किये जा रहे अवकाश के बारे में कोई कठिनाई बताई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। दिल्ली में बैंकों की अधिकांश शाखाओं द्वारा निकटवर्ती बाजार के बन्द होने के दिन साप्ताहिक छुट्टी की जाती है।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक ने बताया है कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में बैंक आमतौर पर रविवार को बन्द रहते हैं। लेकिन, मद्रास शहर के आवासीय क्षेत्रों में स्थित कुछ शाखाएं मुख्य रूप से वहां के स्थानीय ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए सप्ताह में किसी दिन छुट्टी करती हैं और रविवार को खुली रहती हैं।

(ग) दिल्ली के विभिन्न इलाकों के बैंकों में विभिन्न शाखाओं द्वारा बन्द होने के दिन साप्ताहिक छुट्टी करने का निर्णय बैंकों की दिल्ली स्थित कई शाखाओं में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों को देखते हुए सुरक्षा उपाय के रूप में किया गया था।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कुछ ग्राहकों ने कहा है कि दिल्ली में कार्यरत बैंकों द्वारा साप्ताहिक छुट्टी अलग होने के कारण चैकों की वसूली में एक या दो दिन की देरी हो जाती है। नई दिल्ली बैंकर समाशोधन गृह की एक उपसमिति ने दिल्ली तथा नई दिल्ली स्थित बैंकों की शाखाओं द्वारा अलग साप्ताहिक छुट्टी करने के परिणामस्वरूप लिखतों (इंस्ट्रूमेंट) के समाशोधन में देरी की समस्या का अध्ययन किया है और इस देरी को कम से कम करने के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ उपायों की सिफारिश की थी। भारतीय रिजर्व बैंक इस उप समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपाय कर रहा है।

स्वर्ण आभूषणों के अवैध सौदे रोकने के लिए कदम

7843. **डा० वी० एस० शैलेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काले धन का पता लगाने और स्वर्ण आभूषणों के अवैध सौदे रोकने के लिए उनका क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सरकार, काले धन और सोने के जेवर-जवाहिरात के व्यापार में अनधिकृत लेन-देन के खतरे से निपटने के लिए पूर्णतया वचनबद्ध है। काले धन का पता लगाने तथा सोने के जेवर-जवाहिरात के व्यापार में अनधिकृत लेन-देन को समाप्त करने के लिए समय-समय पर सभी सम्भव उपाय किये जाते हैं जिनमें प्रशासनिक, विधायी और सांस्थानिक उपाय भी शामिल हैं।

उचित दर की दुकानों द्वारा वितरित की गई चीनी और चावल की किस्म

7844. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही**
श्री आर०एम०भोये } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी और चावल के मूल्यों में वर्ष में तीन बार वृद्धि की गई है किन्तु उचित दर की दुकानों द्वारा दी जाने वाली चीनी और चावल ठीक किस्म के बिल्कुल नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि उचित दर की दुकानों से उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की चीनी और चावल दिया जाए।

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के०पांजा) : (क) इस सम्बन्ध में विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई सीमाओं के अनुरूप केवल अच्छी किस्म का चावल ही राज्य/संघ शासित प्रदेशों की एजेंसियों को उचित दर दुकानों के जरिये वितरित करने के लिए सप्लाई किया जाता है। इसी प्रकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए चीनी फैक्ट्रियों द्वारा राज्य सरकार/भारतीय खाद्य निगम के नामितों को केवल आई० एस० एस०ग्रेड की लेवी चीनी की सुपुर्दगी करना अपेक्षित होता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, सरकार ने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों पर जोर दिया है कि जब भारतीय खाद्य निगम द्वारा सुपुर्दगी की जाती है तब वे संयुक्त रूप से निरीक्षण करें, उचित दर की दुकानों पर अचानक छापे मारें और जांच करें, सतर्कता में सुधार करें और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, जैसा भी मामला हो, द्वारा स्थापित किए गए मूलभूत वितरण ढांचों में अनुशासन लाएं, आदि।

अनिवासी भारतीयों द्वारा रुग्ण एककों का प्रबन्ध ग्रहण किया जाना

7845. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनिवासी भारतीयों ने देश के रुग्ण एककों का प्रबन्ध ग्रहण करने में रुचि दर्शाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी रुचि दर्शाने वाले अनिवासी भारतीयों की संख्या तथा उनका विवरण क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सऊदी अरब के जद्दाह नगर में "भारतीय प्रवासियों के आर्थिक मंच" के नाम से स्थापित एक संगठन ने, हाल ही में, रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार के कार्य में सहयोग देने की सामान्य इच्छा व्यक्त की है। परन्तु इस सम्बन्ध में उनकी ओर से कोई विनिर्दिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इस मंच से अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से जब कभी भी कोई प्रस्ताव प्राप्त होंगे, उन पर अनिवासी भारतीयों के निवेश के लिए निर्धारित नीति और तद्विषयक दिशानिर्देशों के अनुसार विचार किया जाएगा।

एक भारतीय कम्पनी ने (जो कि एक रुग्ण एकक है) सरकार से अनुरोध किया है कि उसे निजी बिक्री व्यवस्थापन के आधार पर कुछ एक अनिवासी भारतीयों को अधिकतर शेयर जारी किये जाने की अनुमति दे दी जाए। सरकार ने इस अनुरोध की जांच की है और नीतिगत रूप में हाल ही में रुग्ण कम्पनियों के सम्बन्ध में प्रत्यावर्तन आधार पर अनिवासी भारतीय पूंजी निवेश के लिये अनुमति देने का फैसला किया है।

काली मिर्च के निर्यातकों को काली सूची में रखा जाना

7846. **श्रीमती वसवराजेश्वरी**
श्री सुरेश कुरुप } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष अमरीका को काली मिर्च की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ निर्यातकों को काली सूची में रखे जाने के कारण पिछले कुछ दिनों से भारतीय काली मिर्च का निर्यात ठप्प पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई छानबीन की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार, 85-86 के दौरान सं० रा० अमरीका को 55.68 करोड़ रु० मूल्य की 13,122 एम० टी० काली मिर्च का निर्यात किया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय काली मिर्च के निर्यात रुके नहीं हैं। तथापि, अमरीकी प्राधिकारियों ने भारत से आ रही सभी मालाबार कालीमिर्च ब्लाक सूचीबद्ध कर दी हैं क्योंकि ऐसा आरोप लगाया गया है कि कुछ खेपों में एथीलीन डाइब्रोमाइड (ई० डी० बी०) पाया गया है। अमरीका में ई० डी० बी० पर खाद्य वस्तुओं पर धूमक के रूप में रोक लगी है। भारतीय कालीमिर्च की सम्पूर्ण आवक को परीक्षण होने तक स्वत: ही रोका जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खेप ई० डी० बी० से मुक्त है।

(घ) और (ङ) प्रारम्भिक जांच के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि निर्यातक ई० डी० बी० के साथ काली मिर्च धूमित न करें।

बैंक के बिहार में उत्पाद शुल्क और आयकर अधिकारियों द्वारा जाली सौदे

7847. **डा० गौरी शंकर राजहंस**
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बड़ी संख्या में बैंक के मैनेजरों उत्पाद शुल्क और आयकर अधिकारियों को पकड़ा गया है जैसाकि 29 मार्च, 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे जाली सौदों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों का पूर्ण ब्योरा क्या है; और

(ग) ऐसे जाली सौदों में अन्तर्ग्रस्त दोषी बैंक अधिकारियों, उत्पाद शुल्क और आयकर अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बताया है कि उसकी पटना और रांची शाखाओं ने दो बैंक प्रबंधकों एक आय कर निरीक्षक और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के एक अधीक्षक तथा पांच निरीक्षकों को रिश्वत मांगते और लेते समय

पकड़ा था।

(ग) जांच पूरी हो जाने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कानून के अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी/सिफारिश की जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कम पूंजी निवेश

848. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया
श्री सोमनाथ रथ
श्रीमती माधुरी सिंह
श्री सेवा सिंह गिल } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को हाल ही में यह लिखा है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कम पूंजी निवेश के कारण सिंचाई विद्युत कृषि उद्योग, परिवहन और संचार सम्बन्धी राज्य की प्रमुख विकास परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बिहार के मुख्य मंत्री ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार को बिहार में बैंकों के कम ऋण-जमा अनुपात के बारे में पत्र लिखा था। मार्च, 1985 के अन्त में बिहार में वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 41.8 प्रतिशत था जबकि समूचे देश का यह अनुपात 69.7 प्रतिशत था। राज्य मे ऋण देने के अलावा, बैंक बिहार राज्य सरकार और/अथवा राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा जारी किए जाने वाले ऋणों में भी पूंजी लगाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों ने वर्ष 1983-84 से वर्ष 1985-86 तक के दौरान, बिहार सरकार, बिहार राज्य बिजली बोर्ड, बिहार राज्य आवास बोर्ड और बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा जारी किए गए ऋणों की कुल रकम में से औसतन लगभग 84 प्रतिशत का अभिदान किया है।

बिहार में कम ऋण जमा अनुपात के जो मुख्य कारण बताये गये हैं वे ये हैं : उपयुक्त आधारभूत सुविधाओं का अभाव, बिजली की अपर्याप्ति और अनियमित सप्लाई, निश्चित सिंचाई का अभाव आदि तथा उपयुक्त स्टाफ की अपर्याप्तता, नियन्त्रक कार्यालयों से सही मार्गदर्शन का अभाव ऋण से जुड़ी अनेक योजनाओं के प्रचार की कमी इत्यादि। बिहार में बैंकों के ऋण-जमा अनुपात और आम आर्थिक पिछड़ेपन पर राज्य स्तरीय बैंकर समिति की पहली फरवरी, 1986 को हुई बैठक में भी

विचार विमर्श किया गया था। ऋण-जमा अनुपात में सुधार की प्रगति पर नजर रखने के लिए सरकार के सचिवों और बैंकरों की एक समिति गठित की गई है।

[अनुवाद]

हीरों के निर्यात का व्यापार

7849. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हीरों के निर्यात का व्यापार चन्द हाथों में है;

(ख) इस निर्यात व्यापार के लिए पंजीकरण निर्यातकों की संख्या क्या है; और

(ग) इस व्यापार का अधिक विस्तार करने के लिए क्या सरकार का कोई कार्यक्रम है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) 31-3-1986 को रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पास पंजीकृत हीरा निर्यातकों की संख्या 1422 थी।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार भारत से हीरे निर्यात करने के इच्छुक व्यक्तियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात के लिए किसानों से तम्बाकू की सीधी खरीद

7850. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों से तम्बाकू की खरीद बिचौलियों द्वारा की जाती है जिसमें लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा उनकी जेब में जाता है;

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू की सीधी खरीद न किये जाने के क्या कारण हैं जैसाकि खाद्यान्नों के मामले से भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जा रहा है; और

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान देश-वार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का तम्बाकू निर्यात किया गया ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) वर्जीनिया तम्बाकू की खरीद, तम्बाकू के पंजीकृत निर्यातकों तथा व्यापारियों द्वारा आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में तम्बाकू बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न नीलामी मंचों पर की जा रही है।

(ख) आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियां आरम्भ किए जाने से, 1984-85 से तम्बाकू बोर्ड को नीलामियों में बचे हुए तम्बाकू की न्यूनतम समर्थन कीमत पर खरीदारी करनी पड़ी है। अतः राज्य व्यापार निगम का उपभोक्ताओं से सीधे तम्बाकू खरीदे जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1985-86 के दौरान प्रमुख गंतव्य स्थानों को निर्यात किए गए तम्बाकू की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिया गया है

मात्रा : हजार मे० टन में
(मूल्य करोड़ रु० में)

	मात्रा	मूल्य
1. सोवियत संघ	31.70	79.68
2. ब्रिटेन	9.5	24.25
3. यमन अरब रिपब्लिक	6.45	5.94
4. नेपाल	3.03	4.30
5. अल्जीरिया	1.70	4.13
6. जर्मन गणराज्य	1.62	4.12
7. आइरिश रिपब्लिक	0.74	1.92
8. जर्मन संघीय गणराज्य	0.58	1.85
9. दक्षिण अरेबिया	1.64	1.66
अन्यों सहित योग :	64.43	139.98

अनन्तिम

स्रोत : तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर

प्रति वर्ष आयात नीति घोषित करने की प्रथा समाप्त करने का निर्णय

7851. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आयात नीति घोषित करने की प्रथा समाप्त करने का निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

(ख) मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय के क्या लाभ हैं; और

(ग) क्या वर्तमान नीति में संशोधन की समय-समय पर घोषणा करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) आयात तथा निर्यात नीति में निरन्तरता तथा स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से 3 वर्ष की अवधि (31 मार्च, 1988 को समाप्त) के लिए आयात तथा निर्यात नीति, 1985-86 घोषित की गई है जिससे प्रति वर्ष अनिश्चितताएं समाप्त होगी और इस प्रकार उद्योग को दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य में अपने आर्थिक कार्यकलाप की योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

(ग) जब कभी लोक हित में आवश्यक समझा जाता है, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाओं द्वारा आयात-निर्यात नीति में संशोधन किए जाते हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को आयातित खाद्य तेल की सप्लाई

7852. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य तेल की सप्लाई पूरी करने के उद्देश्य से रिफाइन्ड अथवा रेपसीड तेल का आयात किया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान कुल कितना खाद्य तेल का आयात किया गया और उसमें से उत्तर प्रदेश को कितना खाद्य तेल दिया गया है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा): (क) केन्द्रीय सरकार, शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपभोक्ताओं, जिनमें समाज के दुर्बल तथा कमजोर वर्गों के लोग भी शामिल हैं, को वितरित करने के लिए खाद्य तेलों, जिसमें रेपसीड तेल भी शामिल है, का आयात करती है।

(ख) तेल वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान आयात की गई खाद्य तेलों की मात्रा

मात्रा इस प्रकार है :—

(मात्रा मीटरी टनों में)

तेल वर्ष 198-384	तेल वर्ष 1984-85
16,33,994	13,68,372

तेल वर्ष 1983-84 और 1984-85 (नवम्बर से अक्तूबर तक) के दौरान उत्तर प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटित की गई आयातित खाद्य तेलों की मात्रा नीचे दी गई है :—

(मात्रा मी० टनों में)

तेल वर्ष 1983-84		तेल वर्ष 1984-85	
आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा
47,980	37,066	29,000	19,278

[अनुवाद]

वर्ष 1986-87 में गेहूं का निर्यात

7853. श्री एन० टोम्बी सिंह
श्री आर० एस० माने } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व के बड़े देशों में गेहूं निर्यात में कमी आएगी;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या सूचना दी गई है;

(ग) वर्ष 1986-87 में कितने गेहूं का निर्यात करने का प्रस्ताव है; और

(घ) वर्ष 1986-87 में कितनी मात्रा में निर्यात के लिए पहले ही अनुबंध किया जा चुका है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन ने अप्रैल, 1986 के अपने "फूड आउटलुक" अंक में 1985-86 में विश्व गेहूं आयातों का 89 मिलियन मे० टन का अनुमान लगाया है जो कि 1984-85 से लगभग 15 प्रतिशत

कम तथा 1979-80 के बाद सबसे निम्न स्तर पर है।

(ख) रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, जिसके पास पर्याप्त अधिशेष पड़ा है, बड़ी मात्रा में निर्यात कर सकता है।

(ग) 1986-87 के दौरान गेहूं का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण तथा उपलब्ध घरेलू अधिशेष पर निर्भर करेगा।

(घ) राज्य व्यापार निगम ने 1986-87 के दौरान नेपाल को 5,000 मे० टन गेहूं निर्यात करने के सम्बन्ध में एक संविदा की है।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा समय पर वस्तुओं की सप्लाई करने में विलम्ब

7854. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कागजात पर कार्यवाही करने में अधिक समय लगाये जाने के कारण पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से सामग्री मांग करने वाले मंत्रालय को सामग्री प्राय: बहुत देर में मिलती है, जिसके कारण परियोजना में विलम्ब होता है और लागत बहुत अधिक बढ़ जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रीमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने इस संगठन को समाप्त करने और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अपनी खरीद स्वयं किये जाने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं। मांगकर्त्ता मंत्रालयों से प्राप्त मांगों पर, मांगपत्रों की प्राप्ति से लेकर ठेके दिए जाने तक, सम्पूर्ण कार्यवाही करने के लिए, यथार्थवादी समय-अनुसूची निर्धारित की हुई है। ठेकापूर्व स्थिति पर कम्प्यूटर की सहायता से नजर रखी जाती है, और परिहार्य विलम्बों को रोकने के लिए, उपचारात्मक कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। विलम्ब प्राय: इसलिए हो जाता है, क्योंकि मांगकर्ताओं/पूर्तिकर्ताओं को विविध समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

(ख) अधिक कुशलता पूर्वक क्रय के उद्देश्य से, समिति ने यह प्रस्ताव दिया है कि केन्द्रीय खरीदों के लिए, पूर्ति विभाग/पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की जिम्मेदारियों को क्रमश: कम किया जाए।

(ग) प्रस्ताव विचाराधीन है।

किस्म नियन्त्रण की कमी के कारण निर्यात में कम वृद्धि

7855. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के निर्यात में कम वृद्धि होने का एक प्रमुख कारण निर्यात सम्बन्धी उत्पादों के किस्म नियन्त्रण का न होना और आयातक देशों द्वारा इन उत्पादों को अस्वीकार करना है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण देश को विदेश व्यापार में और विदेशी मुद्रा का अनुमानित नुकसान कितना हुआ है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

हाल की स्वैच्छिक आय-कर प्रकट योजना पर प्रतिक्रिया

7856. **श्री सी० माधव रेड्डी**
श्री पी० आर० कुमार मंगलम
डा० बी० एल० शलेश
श्री एस० पलाकोंड्रायुडु } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल की स्वैच्छिक आय-कर प्रकटन योजना पर क्या प्रतिक्रिया हुई है;

(ख) क्या इस योजना के प्रावधानों की व्याख्या करने में कतिपय विवाद और शंकाएं उत्पन्न होने के कारण योजना पर बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं हुई है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो योजना पर और अधिक असंतोषजनक प्रतिक्रिया होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस सम्बन्ध में जारी किये गये परिपत्रों पर प्रतिक्रिया पर्याप्त उत्साहवर्धक रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश में बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

7857. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983,

1984 और 1985 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कुल कितना ऋण दिया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : दिसम्बर 1983, दिसम्बर 1984, और मार्च, 1985 के अन्त में आन्ध्र प्रदेश में सभी अधिसूचित बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों की राशि क्रमश: 2478 करोड़ रुपये, 3287 करोड़ रुपये और 3432 करोड़ रुपये थी।

जाली करैन्सी का परिचालन

7858. **श्री पी० कुलनदाईवेलु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में कुल कितनी धनराशि की जाली करैन्सी परिचालन में है;

(ख) क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और परिणामस्वरूप मुद्रा-स्फीति होगी; और

(ग) सरकार ने जाली करैन्सी के परिचालन पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाये हुए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जबकि यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि अर्थव्यवस्था में कितनी राशि के जाली करेंसी नोट परिचालन में है तथापि भारत में वर्ष 1984, 1985 और 1986 के दौरान (31-3-1986 तक) पता लगाये गये, बरामद किये गये और जब्त किये गये जाली करेंसी नोटों की कुल संख्या, और उनके मूल्य के ब्यौरे, जैसे कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी० बी० आई०) के पास उपलब्ध हैं, संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) परिचालित करेंसी नोटों के कुल मूल्य की तुलना में जो, 4 अप्रैल, 1986 को 26,100 रुपये करोड़ रुपये थी, पता लगाये गये, बरामद किये गये और जब्त किये गये करेंसी नोटों का मूल्य काफी कम है। और इस प्रकार इससे देश की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

(ग) जाली करेंसी नोटों का पता लगाने/परिचालन में होने की रिपोर्ट मिलने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इन्हें जब्त करने और जांच के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाती है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने भी करेंसी नोटों की जालसाजी पर रोक लगाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(i) कागज की कोटि में सुधार किया गया है।

(ii) करेंसी नोटों के डिजाइन में जटिल रेखाएं और रंग योजना इस ढंग की रखी गई है जिससे कि डिजाइन की आसानी से नकल न की जा सके।

(iii) मुद्रण पद्धति में सुधार किये गये हैं।

(iv) करेंसी नोट प्रेस ने भारतीय रिजर्व बैंक के सभी कार्यालयों, राजकोषों, बैंकों आदि को पुस्तिकाएं प्रदान की हैं, जिनमें जाली नोटों का पता लगाने के लिए नकदी का काम करने वाले अधिकारियों के लिए गोपनीय सूचना और मार्ग निर्देश हैं।

(v) पुलिस विभाग देश भर में संदेहास्पद जालसाजों और जाली नोट बनाने वालों के विरुद्ध छापे और विशेष अभियान गठित करता है।

(vi) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जाली करेंसी के मामलों का पता लगाने के लिए अलग कक्ष की स्थापना की है।

(vii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जालसाजी की जिन किस्मों का पता लगाया जाता है उनके सम्बन्ध में सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को तुरन्त सूचना दी जाती है।

विवरण

भारत में वर्ष 1984, 1985, 1986 के दौरान (31-3-1986 तक) परिचालन में आए हुए, पता लगाये गये, बरामद किये गये और जब्त किये गये जाली करेंसी नोटों की कुल संख्या और उनकी राशि (मूल्य वर्ग वार)

मूल्य वर्ग	1984		1985		1986 (मार्च, 1986 तक)	
	नोटों की संख्या	कुल राशि (रुपये)	नोटों की संख्या	कुल राशि (रुपये)	नोटों की संख्या	कुल राशि (रुपये)
100 रुपये	6153	6,15,300	13147	13,14,700	3466	3,46,600
50 रुपये	2971	1,48,550	2184	1,09,200	78	3,900
20 रुपये	807	16,140	3684	73,680	10137	2,02,740
10 रुपये	1968	19,680	1244	12,440	200	2,000
5 रुपये	156	780	29	145	2	10
2 रुपये	168	336	112	224	230	460
1 रुपये	6	6	—	—	1	1
जोड़ :	12229	8,00,792	20400	15,10,389	14114	5,55,711

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

7859. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए हैं;

(ख) क्या राज्य के कुछ जिलों में अभी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं और वहां कब तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के 51 जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए हैं। बुलन्दशहर, गाजियाबाद, सहारनपुर, मेरठ और मथुरा में इस प्रकार के बैंक नहीं हैं।

नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने के लिए स्थानों का पता लगाना एक निरन्तर प्रक्रिया है और इस प्रकार के स्थानों का निर्धारण क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की अपर्याप्तता, छोटे/सीमान्तक किसानों और अन्य कमजोर वर्गों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में अन्तर तथा क्षेत्र में सहकारी ऋण ढांचे की स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने बुलन्दशहर तथा गाजियाबाद जिलों में एक-एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने की सिफारिश अभी हाल ही में सरकार को भेजी हैं, प्रस्ताव की जांच की जा रही है। जहां तक सहारनपुर, मेरठ और मथुरा जिलों का सम्बन्ध है, इस समय इन जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को ऋण का वितरण

7860. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में किसानों को कितनी राशि का ऋण वितरित किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि वितरित किए ऋण की प्रतिशतता प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है; और

(ग) यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1985 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उत्तर प्रदेश राज्य समेत विभिन्न राज्यों में प्रत्यक्ष कृषि ऋणों की बकाया राशि 7360.38 करोड़ रुपये थी जो उनके कुल बैंक ऋणों का 15.3 प्रतिशत बैठती है। जून, 1985 के अन्त में उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्यक्ष कृषि ऋणों की रकम 680.14 करोड़ रुपये थी जो देश में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के कुल बकाया प्रत्यक्ष कृषि ऋणों का 11 प्रतिशत बैठती है।

विभिन्न राज्यों में कुल अग्रिमों की तुलना में कृषि ऋणों की प्रतिशतता विभिन्न कारणों से अलग-अलग होती है। जैसे क्षेत्रफल की भिन्नताएं और आबादी अलग-अलग राज्यों में भौगोलिक और कृषि जलवायु सम्बन्धी स्थितियों में भिन्नता के कारण कृषि सम्भावनाओं में अन्तर, आधारभूत ढांचे और संस्थागत व्यवस्थाओं की अपर्याप्तता आदि कृषि ऋणों के प्रवाह में क्षेत्रीय असमानताओं को कम से कम करने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि जिन राज्यों में सहकारी ऋण समितियों का ढांचा कमजोर है, वहां पर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को फसल ऋण देने में बैंकों का अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिएं। इसके अलावा, सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक विशेष धान उपज कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है ताकि पूर्वी राज्यों और असम में धान की उपज बढ़ाई जा सके और सिंचाई के विकास, जल-निकासी, भूमि की पट्टेदारी में सुधार और ऋण तथा विपणन सुविधाओं में वृद्धि करके वास्तविक और संस्थागत दोनों प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने पर जोर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह पर नजर रखने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की है। इन उपायों के परिणामस्वरूप कृषि ऋण के प्रवाह में क्षेत्रीय विषमताओं के कम हो जाने की आशा है।

उत्तर प्रदेश को वनस्पति घी तथा खाद्य तेलों की सप्लाई

7861. श्री हरीश रावत : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 में उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए उत्तर प्रदेश को कुल कितनी मात्रा में वनस्पति घी तथा खाद्य तेल आवंटित किए गए;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वार उपयुक्त वस्तुओं का आवंटन राज्य द्वारा की गई मांग के अनुरूप किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो वर्ष 1986 में अब तक उत्तर प्रदेश को उपर्युक्त मदों की कितनी मात्रा आवंटित की गई और पूरे वर्ष के दौरान उपर्युक्त मदों की कितनी मात्रा का आवंटन करने का विचार है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने इसकी मात्रा में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) वर्ष 1985 (जनवरी, 1985 से दिसम्बर, 1985 तक) के दौरान, उत्तर प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 21,600 मी० टन आयातित खाद्य तेलों का आवंटन किया गया था, जिसमें से उन्होंने 18,510 मी० टन मात्रा उठाई थी। वनस्पति घी के वितरण पर कोई केन्द्रीकृत नियन्त्रण नहीं है। तथापि, मार्च, 1984 से राज्यों/संघ क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में तैयार किये जाने वाले वनस्पति घी की 30 प्रतिशत मात्रा की अधिप्राप्ति राज्य सरकार के नामितों अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचने के लिए करें।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित खाद्य तेलों का आवंटन, खुले बाजार में देशीय खाद्य तेलों की उपलब्धता की अनुपूर्ति करने के लिए किया जाता है, न कि राज्य सरकार की पूरी मांग को पूरा करने के लिए।

(ग) 1986 (जनवरी से अप्रैल तक) के दौरान उत्तर प्रदेश को 2,800 मी० टन आयातित खाद्य तेल आवंटित किया गया है, जिसमें से उन्होंने 9-4-1986 तक 7,239 मी० टन मात्रा उठाई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आयातित खाद्य तेलों का आवंटन मास-दर-मास आधार पर किया जाता है और इसके लिए मांग के यथार्थपरक अनुमान, राज्य/क्षेत्र के भीतर देशीय खाद्य तेलों के मूल्य तथा उनकी उपलब्धता, भारतीय राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध स्टाक तथा अन्य संगत बातों जैसे पहले आवंटित की गई मात्रा को उठाने की गति, आदि को ध्यान में लिया जाता है।

(घ) और (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार से कुम्भ मेले की वजह से 500 मी० टन अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध प्राप्त हुआ था। यह स्वीकार किया गया कि 500 मी० टन आयातित ताड़ के तेल का अतिरिक्त आवंटन चार किस्तों में निम्नवत किया जाए :—

जनवरी, 1986	40 मी० टन
फरवरी, 1986	100 मी० टन
मार्च, 1986	160 मी० टन
अप्रैल, 1986	200 मी० टन
योग :	500 मी० टन

[अनुवाद]

भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए रियायती विमान भाड़ा

7862. श्री शांताराम नायक : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया द्वारा लिए जाने वाले विमान भाड़े से हमारी जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुएं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अप्रतियोगी हो जाती हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ देशों द्वारा निर्यात की जाने वाली जल्दी नष्ट वाली वस्तुओं पर हमारी एअर लाइन्स द्वारा रियायती विमान भाड़ा लिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय द्वारा जल्दी नष्ट होने वाली भारतीय वस्तुओं को अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतियोगी बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) किये गये अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) हालांकि एअर इण्डिया की दरें उचित हैं किन्तु कुछ अन्य देशों की तुलना में हमारी खराब होने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में भाड़े के मामले में घाटा है।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका से ब्रिटेन तथा यूरोप को, आस्ट्रेलिया से सिंगापुर को, आइसलैंड से जापान को, जापान से हांगकांग को और हांगकांग से जापान को खराब होने वाली वस्तुओं के यातायात के लिए आई० ए० टी० ए० द्वारा अनुमोदित विशिष्ट वस्तु दरें स्थापित की गई हैं। ये दरें आम तौर से लागू होने वाली सामान्य कार्गो दरों से कम हैं। ये दरें इन सैक्टरों में चलने वाली सभी एअर लाइनों पर लागू होती हैं। एअर इण्डिया भी आई० ए० टी० ए० के मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करता है। इसके अतिरिक्त इंडियन एअर लाइन ने अफगानिस्तान को दोनों देशों के अर्थात् भारतीय तथा अफगानिस्तानी राष्ट्रीय जहाजों पर लागू होने वाली दरों के अनुसार खराब होने वाली वस्तुओं के लिए रियायती दरें लागू की हैं।

(ग) और (घ) खाड़ी तथा मध्यपूर्व के गन्तव्य स्थान खराब होने वाली वस्तुओं के हमारे निर्यातों के लिए प्रमुख बाजार हैं। खाड़ी के क्षेत्रों और मध्य-पूर्व में विभिन्न गन्तव्य स्थानों को खराब होने वाली वस्तुओं के निर्यातों के लिए अनिवार्य हवाई भाड़ा दरें स्थापित की गई हैं। ये दरें सामान्य भाड़ा दरों से कम हैं। सरकार ने खराब होने वाली वस्तुओं के निर्यातों को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय भी किए हैं। इनमें शामिल हैं, नकद मुआवजा सहायता, पंजीकृत निर्यातकों को आयात प्रतिपूर्ति, शुल्क वापसी की सुविधा, बाजार विकास के लिए सहायता और कृषि उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श। इसके अतिरिक्त संस्थागत ढांचा

उपलब्ध कराने के लिए कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

कपास का व्यापार करने वाले सरकारी क्षेत्र के संगठनों को घाटा

7863. **श्री शांताराम नायक** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 2 अप्रैल, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की जानकारी है कि कपास का व्यापार करने वाली सरकारी क्षेत्र के संगठन— भारतीय कपास निगम और महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ को चालू वर्ष के दौरान व्यापार में 500 करोड़ रुपये का घाटा होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस घाटे को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। चालू रुई मौसम के दौरान भारतीय रुई निगम तथा महाराष्ट्र राज्य सरकारी रुई उपजकर्ता विपणन परिसंघ को हुई अनुमानित हानियां निम्नलिखित प्रकार से होने का अनुमान है :—

भारतीय रुई निगम	50 करोड़ रुपये (अनन्तिम)
महाराष्ट्र राज्य सहकारी रुई उपजकर्ता विपणन परिसंघ	170 करोड़ रुपये (अनन्तिम)

(ख) भारत सरकार ने हमारी घरेलू जरूरतों से देशी रुई का निर्यात करने का विनिश्चय किया है। चालू रुई मौसम के दौरान, निर्यात के लिए लम्बे तथा अतिरिक्त लम्बे रेशे की रुई की 10 लाख गांठें, बंगाल देशी की 52,000 गांठें तथा यलोंपिकिंग्स की 25,000 गांठें रिलीज की गईं। इसके अलावा रुई के निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से रुई के निर्यात के लिए न्यूनतम निर्यात कीमतों की शर्त को भी हटा दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भरती पर प्रतिबन्ध

7864. **श्री शांताराम नायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भरती पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है;

(ख) क्या इस प्रतिबन्ध से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नियमित पदोन्नतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लगाए गए इस प्रतिबन्ध के प्रभाव का समग्र रूप से अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकार द्वारा अपने कार्यालयों में भर्ती पर लगाया गया प्रतिबन्ध जून, 1984 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू कर दिया गया है। अलबत्ता, शाखा विस्तार से सम्बद्ध पदों के सृजन तथा भर्ती के मामले में बैंकों को प्रतिबन्ध के कार्यान्वयन में विशेष ढील दी जा रही है। प्रतिबन्ध के आदेश नई भर्ती से सम्बन्धित हैं न कि सामान्य आन्तरिक पदोन्नतियों से। सरकार ने बैंकों के कार्यकरण पर प्रतिबन्ध के प्रभाव का इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया है। अलबत्ता, विशिष्ट आकस्मिकताओं को पूरा करने के वास्ते उपलब्ध छूट और प्रदान की गई विशेष ढील से बैंक, कुल मिलाकर, सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

7865. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश में कार्य कर रहे ऐसी गैर-बैंकिंग कम्पनियों की संख्या कितनी है जो बन्दोबस्ती बीमे के रूप में कल्याण योजनाओं के नाम और पद्धति से पूंजी निवेश स्वीकार कर रही है;

(ख) ऐसी कम्पनियों का ब्योरा क्या है जिनकी पूंजी 20 करोड़ रुपये से अधिक है;

(ग) क्या सरकार का ऐसी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन कम्पनियों के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है और यदि इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो इन क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का क्या होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इनामी चिट और धन परिचालन योजनाएं (पाबंदी अधिनियम, 1978) में "लाभ" और "बचत" योजनाएं चलाने पर रोक लगाई गई है। इसलिए यदि कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऐसी योजनाएं चलाती हैं तो वह इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करती हैं और उसे अधिनियम की परिकल्पना के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने यह बताया है कि ऐसी योजनाएं चलाने वाली लगभग 38 कंपनियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं/अपील याचिकाएं दायर की हैं,

जिनमें उनकी योजनाओं पर अधिनियम के उपबंध लागू किए जाने को चुनौती दी गई है। मामला न्यायाधीन है।

(ग) से (ङ) "लाभ" और "बचत" योजनाएं चलाने वाली इन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) चूंकि "लाभ" और "बचत" योजनाएं चलाने वाली उन कंपनियों को जिन्होंने उक्त अधिनियम के परिचालन के संबंध में अदालत से स्थगनादेश प्राप्त करने के लिए याचिकाएं दायर की हैं, इसलिए उनसे भारतीय रिजर्व बैंक को कोई सूचना देने की अपेक्षा नहीं की जाती तथा उनके क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की संख्या के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को कोई जानकारी नहीं है।

अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में कमी

7866. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफ्रीकी देशों के साथ भारत के व्यापार में तेजी से कमी हुई है तथा अनेक अफ्रीकी देशों के साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार अफ्रीकी देशों के साथ भारत के व्यापार में तुलनात्मक कितनी (मूल्य में) कमी हुई; और

(ग) इन देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़ाने तथा व्यापार के लिए अन्य अफ्रीकी बाजारों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) भारत-अफ्रीकी व्यापार का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रु० में)

वर्ष	निर्यात	आयात	योग
1982-83	346.75	197.43	544.18
1983-84 (अ)	371.06	421.76	798.83
1984-85 (अ)	363.16	417.51	780.67
1985-86 (अ) (अप्रैल-सितम्बर)	173.36	267.15	460.51
1984-85 (अप्रैल-सितम्बर)			378.34

अफ्रीकी देशों में सूखा पड़ना, प्रारम्भिक कीमतों में गिरावट आना तथा विदेशी मुद्रा की कमी होना भारतीय निर्यातों में आए गतिरोध के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तथापि, अफ्रीका से किए जाने वाले आयातों में वृद्धि का रुख दिखाई दे रहा है। यह सच है कि भारत का बहुत से अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करार नहीं है।

(ग) अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रतिनिधि मण्डलों के आदान-प्रदान, मेले/प्रदर्शनियां आयोजित करने, विशेष द्विपक्षीय प्रबन्धों की व्यवस्था करने जैसे अनेक उपाय किए जा रहे हैं।

अन्तर-राज्यीय टसर रेशम परियोजना

7867. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्विटजरलैंड की सरकार की सहायता से टसर रेशम उद्योग के अन्तर-राज्यीय विकास के लिए प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त कार्यक्रम में कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ग) उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत किन-किन राज्यों को शामिल किया गया है;

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उपर्युक्त अन्तर-राज्यीय टसर रेशम परियोजना के लिए कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) 1981-82 से 1985-86 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए स्विटजरलैंड विकास निगम की सहायता से एक अन्तर-राज्य टसर परियोजना आरम्भ की गई थी। इस परियोजना के कार्यान्वयन में 10.50 करोड़ रु० की कुल राशि का निवेश किया गया है। इस परियोजना में आठ राज्य शामिल हैं यथा (1) बिहार, (2) उड़ीसा, (3) मध्य प्रदेश, (4) आंध्र प्रदेश, (5) उत्तर-प्रदेश, (6) महाराष्ट्र, (7) पश्चिम बंगाल तथा (8) राजस्थान।

(घ) और (ङ) परियोजना अवधि समाप्त होने पर, उनके सामान्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत उनके अपने-अपने राज्यों द्वारा टसर विकास कार्यक्रम जारी रखे जा रहे हैं। केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत 7वीं योजना के लिए किसी अलग आवंटन का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

लौह अयस्क का निर्यात

7868. श्रीमती जयंती पटनायक
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राजवाडियर } : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1986-87 के लिए लौह अयस्क के निर्यात लक्ष्य में संशोधन किया है;

(ख) क्या वर्ष 1985-86 में निर्यात का रिकार्ड लक्ष्य प्राप्त हुआ है; और

(ग) वर्ष 1986-87 में विभिन्न देशों को कितना लौह अयस्क निर्यात करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) सातवीं पंच-वर्षीय योजना में, योजना के अन्तिम वर्ष में 30 मिलियन मे० टन लौह अयस्क निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। लौह अयस्क के निर्यात के लिए वर्ष-वार लक्ष्य नहीं रखे गये हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) आशा है कि वर्ष 1986-87 में दौरान सभी देशों को लौह अयस्क के निर्यात लगभग 28 से 30 मिलियन मे० टन होंगे।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए वित्तीय संस्थान की स्थापना

7869. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र की उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार का लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एक वित्तीय संस्थान की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं लेकिन शीर्षस्थ स्तर पर लघु उद्योग क्षेत्र को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का समन्वय करने के लिए एक केन्द्र बिन्दु (फोकल प्वाइंट) प्रदान करने के लिए लघु उद्योग विकास निधि के नाम से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में एक अलग विशेष निधि की स्थापना की जा रही है। इस निधि को लघु क्षेत्र के उद्योगों के विकास, विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अशोध्य और संदेहास्पद ऋण

7870. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक हर वर्ष अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों की व्यवस्था करता आ रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान कितनी राशि का अशोध्य ऋण माना गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार की गई व्यवस्थाओं को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लेखा रिपोर्ट में कहीं नहीं दिखाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए अपने वार्षिक खातों में एकमुश्त व्यवस्था करता है। ये व्यवस्थाएं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रकाशित लेखाओं में अलग से नहीं दिखाई जाती है। ऐसा भारत में बैंकिंग उद्योग द्वारा अपनाई जा रही प्रथा के अनुरूप ही है।

नीलामी के बिना काफी की बिक्री

7871. श्री सुरेश कुरूप : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड द्वारा दिसम्बर, 1985 में नीलामी के बिना काफी की किसी मात्रा की बिक्री की गई थी;

(ख) यदि हां, तो काफी प्रति टन किस मूल्य पर बेची गई;

(ग) क्या यह सच है कि यह खुले बाजार में विद्यमान मूल्यों से कम मूल्य पर बेची गई थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस प्रकार के सौदे के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) काफी बोर्ड द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, अध्यक्ष इस आधार पर काफी की मात्रा सम्बन्धी

संविदा कर सकते हैं कि प्रत्येक महीने की पोत लदान कीमत वह होगी जो आयातक द्वारा दी गई काल की तारीख से पूर्ववर्ती निर्यात नीलामी में रही हो व उसके अलावा प्रशासनिक तथा एफ० ओ० बी० प्रभार भी होंगे। अध्यक्ष ने गत वर्ष की रिकार्ड फसल के परिणामस्वरूप बने असाधारण बड़े स्टाकों को देखते हुए कुछ काफी बेचने के बारे में 11 दिसम्बर, 1985 को विपणन समिति को बताया। नवम्बर, 1985 में रिलीज किए गए मिलियन बैग के कोटे के अलावा 10 से 13 दिसम्बर, 1985 के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन द्वारा रिलीज किए गए अतिरिक्त कोटे के 4 मिलियन बैग सम्बन्धी तथ्य भी ध्यान में रखा गया।

2. अध्यक्ष ने गत सीजन की फसल की काफी की बिक्री के लिए दिसम्बर, 1985 में दो संविदाएं कीं जिनमें से 750 मे० टन का पोतलदान दिसम्बर, 1985 में किया जाना था और 1950 मे० टन का पोतलदान जनवरी से अप्रैल, 1986 तक प्रतिमाह किया जाना था। जनवरी, तथा फरवरी, 1986 में निर्यात-नीलामी कीमतों में वृद्धि हुई किन्तु मार्च तथा अप्रैल में गिरावट आ गई। इस प्रकार, पोतलदान के महीने में बिक्री अलग-अलग कीमतों पर हुई। कीमतों में उतार-चढ़ाव के जोखिम को देखते हुए पोतलदान पांच महीनों में किए गए।

3. काफी बोर्ड कुछ काफी की बिक्री अपने प्रोपेगण्डा एककों तथा लाइसेंस धारकों की मार्फत एम० आर० पी० तथा घरेलू नीलामियों के आधार पर स्थापित कीमतों पर सीधे ही घरेलू बाजार में करता है।

बंधपत्र सुविधायें तथा सीमा-शुल्क तथा उत्पाद शुल्क के भुगतान को अस्थगित रखना

7872. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 के अन्तर्गत बंध-पत्र की सुविधा उपलब्ध है जिससे वस्त्र/पोलिएस्टर सिंथेटिक वस्त्र निर्माता सीमा-शुल्क तथा उत्पाद-शुल्क के भुगतान का अस्थगित रख सकते है; और

(ख) इस प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इन सुविधाओं का लाभ उठाने वाले एककों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 में यह व्यवस्था है कि भण्डागार में रखे माल के सम्बन्ध में, ऐसे माल के मालिक द्वारा, जिन में टैक्सटाइल/पालिएस्टर सिंथेटिक्स विनिर्माता भी शामिल हैं, कतिपय शर्तों के अधीन कोई निर्माण प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया कर सकते हैं। इस प्रकार बन्ध-पत्र के अधीन भाण्डागार में रखे हुए माल की निकासी या तो शुल्क का भुगतान करके की जा सकती है अथवा ऐसे माल का, माल को भाण्डागार में माल रखे जाने से सम्बन्धित उपबन्धों की व्यवस्था के अनुसार पुन: निर्यात किया जा सकता है।

(ख) भाण्डागार में निर्माण एवं अन्य प्रक्रियाएं विनियम, 1966 के तहत बन्ध-पत्र के अधीन निर्माण के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। विनियमों की एक प्रति संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०--2607/86] पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन एककों ने इन सुविधाओं का लाभ उठाया है, उनके नामों तथा संख्या के सम्बन्ध में ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और इन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

आई० ई० एल० गोमिया द्वारा कर अपवंचन

7873. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित 19 मार्च, 1986 के "पाटलीपुत्र टाइम्स" में "आई० ई० एल०, गोमिया द्वारा केन्द्रीय उत्पाद विभाग को धता बताने का प्रयास" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एम्युनिशन फैक्ट्री, गोमिया के प्रबन्धकों ने सामान्य बजट प्रस्तुत करने के दिन सीमा शुल्क अदा किए बिना ही माल भेज दिया और इस प्रकार उन्होंने भारी मात्रा में सीमा शुल्क का अपवंचन करने का प्रयास किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उनके द्वारा बरती गई विभिन्न अनियमितताओं की उच्च-स्तरीय जांच कराने का है; और

(घ) यदि कोई जांच की गई है तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 28 फरवरी, 1986 को पता लगाए गए दो मामलों में से एक मामले में, यह पाया गया था कि मैसर्स आई० ई० एल० गोमिया ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के तहत यथापेक्षित वैयक्तिक लेजर खाते में शुल्क को नामे डाले बिना और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारी से गेट पास पर प्रतिहस्ताक्षर करवाए बिना वान्डेड स्टोररूम से माल की निकासी की है। माल का अब अभिग्रहण कर लिया गया है। अन्य मामले में, स्टॉक की जांच के दौरान बिना हिसाब-किताब के उत्पादन शुल्क्य कुछ स्टाक का पता लगा था। माल का अभिग्रहण कर लिया गया था और बाद में उसे एक बंध-पत्र के निष्पादन पर अनन्तिम रूप से छोड़ दिया गया। इन मामलों का न्यायनिर्णयन यथा समय किया जाएगा।

(ग) और (घ) और आगे विभागीय जांच करने पर किसी भी अनियमितता का पता नहीं चला है।

[अनुवाद]

कपड़ा मिलों के बन्द होने के कारण श्रमिकों का बेरोजगार होना

7874. श्री राधाकांत डिगाल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में कपड़ा मिलों के बन्द होने से कितने श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे;

(ख) उन श्रमिकों की यूनिट-वार संख्या कितनी है;

(ग) ये श्रमिक कब से बेरोजगार हुए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	मिल का नाम	बंद होने की तारीख	रजिस्टर में कर्मचारी
1.	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	दीवान बहादुर राम गोपाल मिल्स लि०, एलचीगुडा, सिकन्दराबाद।	26.3.84	2586
2.	—वही—	श्री रामचन्द्र स्पिनिंग मिल्स, पांडलपाका	10.8.84	93
3.	बिहार	बिहार काटन मिल्स लि० फुलवाड़ीशेरिफ, पटना।	20 7.82	500
4.	गुजरात	दि फाइन निटिंग कं० लि०, अहमदाबाद	10.7.70	191
5.	—वही—	गुजरात स्पनिंग मिल्स, अहमदाबाद	6.4.84	600
6.	—वही—	कैलाश मिल्स प्रा० लि०, उम्बरगांव	31.1.83	72
7.	—वही—	श्री मांडवी स्पिनिंग मिल्स, मांडवी, कच्छ	2.9.83	310

1	2	3	4	5
8.	गुजरात	मानसचौक एंड अहमदाबाद मैन्यू० कं० लि० अहमदाबाद ।	14.12.76	1345
9.	—वही—	भालकिआ मिल्स कं० लि०, अहमदाबाद	12.3.82	1726
10.	—वही—	मार्सडेन स्पिनिंग एंड मैन्यू० कं० लि०, अहमदाबाद ।	19.10.82	2296
11.	—वही—	मोनोग्राम मिल्स कं० लि०, अहमदाबाद	19.10.82	2784
12.	—वही—	सिल्वर काटन मिल्स लि०, अहमदाबाद	14.6.84	1303
13.	— वही—	तरुन कमर्शियल मिल्स लि०, अहमदाबाद	7.3.84	2033
14.	—वही—	अहमदाबाद काटन मैन्यू० कं० लि० नं० 1, (बगीचा मिल्स) अहमदाबाद	1.6.84	1408
15.	—वही—	अहमदाबाद काटन मैन्यू० कं० लि०, नं० 2 (हिमाभाई मैन्यू०) अहमदाबाद ।	1.6.84	1427
16.	—वही—	सरंगपुर काटन मिल्स लि०, नं० 2, अहमदाबाद	14.4.84	2701
17.	,,	अभय मिल्स लि०, अहमदाबाद	1.4.84	1423
18.	,,	न्यू स्वदेशी मिल्स आफ अहमदाबाद लि०, अहमदाबाद	18.6.84	4274
19.	,,	मंजुश्री टैक्सटाईल्स, अहमदाबाद	18.6.84	3115
20.	,,	श्री बंसीधर स्पि० एण्ड वी० मिल्स लि०, अहमदाबाद	16.9.85	1001
21.	,,	कमर्शियल अहमदाबाद मिल्स कं० लि० अहमदाबाद ।	26.10.85	2154
2.	,,	महाराणा मिल्स प्रा० लि०, पोरबन्दर	13.2.83	2049

1	2	3	4	5
23.	गुजरात	नवज्योत मिल्स लि०, काडी	18.12.83	887
24.	हरियाणा	हिसार टैक्सटाइल मिल्स, हिसार	16.11.83	3779
25.	,,	उषा स्पि० एण्ड वी० मिल्स, फरीदाबाद	20.5.83	1513
26.	कर्नाटक	श्री कृष्णराजेन्द्र मिल्स लि० मैसूर	5.6.84	5304
27.	,,	श्री शंकर टैक्सटाइल मिल्स लि०, देवनगीर	9.10.84	624
28.	केरल	केरल स्पिनर्स लि०, एलप्पी	28.11.85	575
29.	महाराष्ट्र	मुकेश टैक्सटाइल मिल्स (प्रा०) लि०, बम्बई	18.1.82	1656
30.	,,	ब्राडबरी मिल्स लि०, बम्बई	17.8.83	3093
31.	,,	कोहीनूर मिल्स कं० लि०, नं० 3, बम्बई	अक्तूबर-नवम्बर, 83	1089
32.	,,	श्रीनिवास काटन मिल्स लि०, बम्बई	24.3.84	5322
33.	,,	खण्डेश स्पि० एण्ड वी० मिल्स प्रा० लि०, खण्डेश, जलगांव	9.8.84	2754
34.	महाराष्ट्र	राजन टैक्सटाइल मिल्स लि०, बराय	27.6.64	226
35.	,,	किरन स्पिनिंग मिल्स, थाना	6.11.83	3116
36.	,,	यशवंत सहकारी सूत गिर्नी नियामित, भोर	6.3.85	1385
37.	,,	विश्व भारती स्पिनिंग तथा वीविंग कोआपरेटिव सोसायटी लि०, शिवांदी	20.2.84	1204
38.	,,	नन्दाद उत्पादक सहकारीसूत गिर्नी कर्यादित, नन्देद	14.5.82	320
39.	राजस्थान	जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, जयपुर	16.4.82	821

1	2	3	4	5
40.	राजस्थान	सुदर्शन टैक्सटाइल, कोटा	6.3.85	1675
41.	,,	पोद्दार स्पिनिंग मिल्स, जयपुर	2.8.85	420
42.	,,	कृष्णा मिल्स लि०, ब्यावर, राजस्थान	14.8.83	1391
43.	,,	मेवाड़ टैक्सटाइल्स मिल्स, भीलवाड़ा	31.5.84	2362
44.	तमिलनाडु	वनन्थ मिल्स लि०, सिंगन्सलूर, कोयम्बटूर	13.11.84	1283
45.	,,	मोत्तूर टैक्सटाइल्स, मोत्तूर डम, (तमिलनाडु) मोत्तूर	16.8.85	2514
46.	,,	श्री पदम मिल्स, कलापट्टी, कोयम्बटूर	22.2.81	118
47.	,,	तमिलनाडु स्पिनिंग मिल्स० लि०, तिरूपुर	8.6.81	92
48.	,,	जनार्दन मिल्स लि०, कोयम्बटूर	7.8.83	746
49.	,,	भागम टैक्सटाइल्स, कोयम्बटूर	15.12.83	उपलब्ध नहीं
50.	,,	जल्लाराम स्पिनिंग मिल्स, कोयम्बटूर	8.7.83	128
51.	,,	श्री हरी मिल्स प्रा० लि०, कोयम्बटूर	9.4.84	657
52.	तमिलनाडु	विकास टैक्सटाइल्स, कोयम्बटूर	8.2.86	104
53.	—वही—	संजय स्पीपनर्स, कोयम्बटूर	24.2.86	74
54.	—वही—	सिटी महाविष्णु टैक्सटाइल्स गिल्स प्रा० लि०, कोयम्बटूर	4.2.86	शून्य
55.	—वही—	भागरी मिल्स, कोयम्बटूर	17.9.85	590
56.	—वही—	के० जी० एम० स्पीनर्स कोयम्बटूर	अप्रैल 85	168
57.	—वही—	श्री कोटाम्बरम स्पी० मिल्स, मदुराई	22.12.67	248
				221

1	2	3	4	5
58.	तमिलनाडु	श्री कृष्णास्वामी मिल्स, कुमार पल्लम	1.1.84	शून्य
59.	—वही—	मोलबालक्ष्मी मिल्स, लि०, त्रिपुर	14.4.83	शून्य
60.	—वही —	राधा स्पी० मिल्स, त्रिपुर	9.8 82	शून्य
61.	—वही—	सन्तुरन स्पी० मिल्स, पोलाचि	13.3.84	36
62.	—वही —	मोनगुथर मिल्स, प्रा०, लि०, पोलम	5.2.86	350
63.	—वही—	श्री बालकृष्ण स्पीनर्स (प्रा०) लि०, सोलम	10.12.84	33
64.	उत्तर प्रदेश	मदन इन्डस्ट्रीज लि०, हस्तिनापुर	8.8.84	1017
65.	—वही—	माडर्न स्पीनर्स लि०, (गेगी स्पीनर्स) (फारमरली गोदी मानं मिल्स "बी" यूनिट आफ गोदी स्पी० एंड वीवि० मिल्स कं० लि०)	5.8.83	2148
66.	—वही —	विशाला सामाटेक्स लि० (मोदी सामोटेक्स लि०) फारमरली मोदी यार्न मिल्स "सी" यूनिट आफ मोदी स्पी० एंड वीवि० कं० लि०	3.10.84	1059
67.	—वही—	जे० के० मैन्युफैक्चर्स लि० कानपुर	1.10.76	2276
68.	पश्चिमी बंगाल	बंगादे काटन मिल्स, पानिहरी, 24, परगनाम	21.1.84	837
69.	वैस्ट बंगाल	इंडिया लाइनलूम्स लि०, (वैक्टोरिया डिवीजन) चैरी, हावरा।	16.2.82	1136
70.	श्री हनुमान कोटन मिल्स,	श्री हनुमान कोटन मिल्स, फूलसवार, हावरा।	2.7.84	1245

1	2	3	4	5
71.	श्री हनुमान कोटन मिल्स	दी जनरल इंडस्ट्रीज सोसाइटी लि०, (कोटन मिल्स डिवीजन चम्पाडेने ।	30.10.85	2975
72.	पान्डेचेरी	अनगल फ्रन्च टैक्टाइलस लि०, पान्डेचेरी ।	4.7.83	6860

कर्नाटक में आयोजित ऋण कैम्पों पर खर्च

7875. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1985 से कर्नाटक में ऋण कैम्पों का आयोजन करने पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऋण कैम्पों पर [हुए खर्च को बैंक] व्यय खाते के नाम डाल दिया है; और

(ग) क्या ऋण कैम्प व्यय वहन कर रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से विभिन्न राज्यों में बैंकों द्वारा ऋण कैम्पों पर किए गए खर्च के संबंध में अलग से सूचना प्राप्त नहीं होती ।

मुआवजे के रूप में बैंक ऋण माफ करने के बारे में जनकपुरी दंगा पीड़ित एसोसिएशन से अभ्यावेदन

7876. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नवम्बर, 1984 की दंगा पीड़ित एसोसिएशन, जनकपुरी नई दिल्ली से मुआवजे के रूप में बैंक ऋण माफ करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) क्या सरकार उन दंगा पीड़ित छोटे व्यापारियों की कठिनाइयां दूर करने पर विचार कर रही है जिन्हें भारी वित्तीय घाटा हुआ/जो भारी कर्ज में हैं और ऋण का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सूचित किया है कि नवम्बर, 1984 की दंगा पीड़ित एसोसिएशन (दिल्ली व्यापारी)

जनकपुरी, नई दिल्ली से उसे नवम्बर 1984 के दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को बैंक सहायता से संबंधित एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक ने एसोसिएशन को सूचित किया है कि दंगा पीड़ितों को समय पर सहायता प्रदान करने के वास्ते, ताकि वे अपना पुनर्वास कर सकें, उसने बैंकों को नवम्बर, 1984 में निर्देश दे दिए थे और दिसम्बर, 1985 में यह सुनिश्चित करने के लिए अपने पूर्व निदेशों को फिर से दोहराया था कि अनावश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की ओर प्रक्रिया सम्बन्धी औपचारिकताओं को दूर कर पीड़ितों को जल्दी से जल्दी सहायता दी जाए।

सरकार ने एसोसिएशन से उन विशिष्ट मामलों को भेजने के लिए कहा है जिन्हें गुणदोषों के आधार पर विचार करने के लिए संबंधित बैंकों के साथ उठाया जा सके।

आयात-निर्यात पास-बुकें जारी करना

7877. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह घोषणा की थी कि आयात और निर्यात में भ्रष्टाचार और घोटालों को रोकने के लिए सभी सम्बन्धितों को आयात निर्यात पास-बुकें जारी की जाएंगी;

(ख) यदि हां, तो कब और क्या ये पास-बुकें जारी कर दी गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि ऐसी पास-बुकें सभी संबंधितों को शीघ्र जारी की जाएं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) प्रक्रिया संबंधी देरियों को समाप्त करके निर्यात उत्पादन के लिए प्रणाली को सरल बनाने के लिए आयात-निर्यात पास बुक योजना आरम्भ की गई थी।

(ख) आयात-निर्यात पास बुक की छपी हुई प्रतियां प्राप्त न होने के कारण 31.3.86 तक कोई पास बुक जारी नहीं की जा सकी।

(ग) जी हां। पास बुक की छपी हुई प्रतियां अब सिक्यूरिटी प्रेस नासिक से प्राप्त हो गई हैं। लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को हिदायतें दी गई हैं कि पात्र आवेदन कर्ताओं को जल्दी से जल्दी पास बुक जारी की जाएं।

सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में भारतीय फिल्म संघ से प्राप्त अभ्यावेदन

7878. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्म संघ ने सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन दिया है कि बजट में

प्रस्तावित सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से फिल्म उद्योग प्रभावित हो रहा है;

(ख) क्या भारतीय फिल्म संघ ने यह धमकी भी दी है कि यदि उनके विरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो सभी सिनेमा घरों को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इसके संबंध में सरकार के क्या विचार हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) फिल्म फैडरेशन आफ इंडिया ने दिनांक 25-3-86 के अपने अभ्यावेदन में फिल्म उद्योग पर लगाए गए सभी शुल्कों और अन्य उद्ग्रहणों को वापस लेने के लिए अनुरोध किया है और यह उल्लेख किया है कि यदि कर-भार पर्याप्त रूप से कम नहीं किया गया, तो फिल्म उद्योग बंद हो जाएगा। मामला विचाराधीन है।

व्यापार अन्तर में असमानता

7879. श्री टी० बशीर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा कितना था;

(ख) पिछले वर्षों की तुलना में विश्व व्यापार में भारत के हिस्से में गिरावट आई है या वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इन असमानताओं के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) मंथली बुलेटिन आफ स्टेटिस्टिक्स, यू० एन० (खण्ड 40 सं० 3 मार्च 1986) से उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 1983, 1984 तथा जनवरी-जून 1985 के दौरान विश्व निर्यातों में भारत का हिस्सा क्रमशः 0.48%, 0.46% तथा 0.43% बैठता है।

(ग) विश्व निर्यातों में भारत के हिस्से में अन्तर विश्व के सभी देशों की तुलना में भारत के निर्यात निष्पादन की वजह से था।

निर्यात बढ़ाने के उपाय

7880. श्री टी० बशीर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ नई मदों के निर्यात की अनुमति दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) 1985-88 अवधि के सम्बन्ध में 12-4-1985 को निर्यात नीति की घोषणा होने के बाद, नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार मदों के निर्यात के लिए अनुमति दे दी गई है। पहले सामान्यतः इन मदों के निर्यात की अनुमति नहीं थी।

(i) गेहूं तथा गेहूं के उत्पादों जैसे मैदा, सूजी तथा घोल मील आटे तथा गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति विनिर्दिष्ट न्यूनतम निर्यात कीमतों के अध्यधीन मात्रा सम्बन्धी अधिकतम सीमाओं के भीतर दी गई है।

(ii) सासूर्या लप्पा (सी० बी० सी० एव एस्ट्रासीज) (कथ की जड़ें) तथा उससे बनी हुई वस्तुओं के निर्यात की अनुमति "गुणावगुण के आधार पर" दी जाती है।

देश में पंचतारा होटल

7881. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रत्येक शहर में कितने पंचतारा होटल हैं;

(ख) ऐसे होटलों में कुल कितने "बैड्स" की व्यवस्था है;

(ग) ऐसे होटलों में "सिंगल बैडरूम" के लिए प्रतिदिन औसत किराया कितना है;

(घ) इनमें एक समय में भोजन पर औसतन कितना खर्च होता है;

(ङ) इन होटलों में रहने वालों की औसत दर क्या है; और

(च) इन होटलों में रहने वालों में विदेशी पर्यटकों की औसत संख्या कितनी है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

बैंकों द्वारा ऋण कैम्पों का आयोजन

7882. प्रो० के० वी० थामस : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी बैंक ऋण कैंप आयोजित कर रहे हैं; और

(ख) इन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो ऋण कैंपों का आयोजन नहीं करते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को अधिक ऋण देने, समूचे उपायों के अंग के रूप में और इस प्रकार की योजनाओं के पात्र हिताधिकारियों को अवगत कराने तथा बैंकों की वित्तीय सहायता से स्व-रोजगार के छोटे उत्पादक धंधे शुरू करने के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए ऋण कैंप आयोजित किये जाते हैं। इस प्रकार के कैम्पों के जरिए वितरित ऋणों पर अलग से निगरानी रखना आवश्यक नहीं समझा गया, क्योंकि ऐसी सभी मंजूरियां और संवितरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के नाम जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

7883. प्रो० के० वी० थामस
श्री एन० वेंकट रत्नम } : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(ख) क्या उठाए गए कदम सफल रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में अब तक कितना निवेश किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार ने भारतीय राष्ट्रिकता/भारतीय मूल के अनिवासियों से प्रेषण आकर्षित करने तथा उनके द्वारा निवेश के लिए विभिन्न सुविधायें प्रदान की हैं। 1982 से प्रवृत्त सभी सुविधायें अभी तक जारी हैं। इनमें नए उद्योगों की स्थापना करने, सामान्य शेयरों/ऋणपत्रों, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने तथा बैंकों में रकम जमा कराने आदि की सुविधाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस देश में अनिवासी भारतीयों को पूंजी निवेश करने की कार्यवाही को पूरा करने में जिस विलम्ब का सामना करना पड़ता था, उसको समाप्त करने के लिए भी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए हाल ही में कई एक उपाय प्रारम्भ किए गए हैं। इन सुविधाओं के प्रति अनिवासी भारतीयों की अनुक्रिया काफी सन्तोषजनक रही है जैसा कि प्रश्न के भाग (घ) में दिए गए उत्तर में सूचीबद्ध विभिन्न स्कीमों की प्रगति से देखा जा सकता है।

(घ) अनिवासी भारतीयों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1985 तक

किया गया निवेश इस प्रकार है:—

	(करोड़ रुपये) 31-12-1985
(i) प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदित प्रस्ताव)	477.23
(ii) पोर्टफोलियो निवेश (शेयरों और ऋणपत्रों की वास्तविक खरीद)	53.03(अ)
(iii) बैंक निक्षेप (एन०आर०ई०/एफ०सी०एन०आर० खातों में बकाया शेष	5027.88(अ)
(iv) भारतीय कम्पनियों द्वारा प्राप्त निक्षेप	7.62

(अ) अनन्तिम (शेष संचयी हैं)

खाद्य और पोषाहार बोर्ड योजनाओं को बन्द करना

7884. श्री सी० जंगा रेड्डी
श्री काली प्रसाद पांडेय } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ खाद्य और पोषाहार बोर्ड योजनाओं को बन्द करने की सम्भावना है या उन्हें बन्द करने के लिए कार्यवाही की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उपर्युक्त बोर्डों में अनेक तकनीकी पदों को खाली रखने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) और (ख) हाल ही में यह निर्णय किया गया है कि विभिन्न पोषाहार योजनाओं में से आहार और पोषाहार सर्वेक्षण विषयकों योजना को इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए बन्द कर दिया जाए कि इसी प्रकार के सर्वेक्षण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय पोषाहार मानीटरिंग ब्यूरो द्वारा किए जाते हैं।

(ग) कुछेक तकनीकी मुख्यालय इसलिए रिक्त पड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें फालतू पाया गया है।

रेशम के धागे के आयात पर प्रतिबन्ध

7885. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार रेशम के धागे के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में उचित दर दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड-धारियों को चावल पर दी गई राज सहायता

7886. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान प्रत्येक राज्य को उचित दर दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारियों की बिक्री हेतु दिए गए चावल पर कितनी राज-सहायता दी गई थी;

(ख) वर्ष 1983-84 और 1984-85 में आन्ध्र प्रदेश द्वारा केन्द्रीय पूल में कितनी मात्रा में चावल भेजा गया;

(ग) वर्ष 1983-84 और 1984-85 में आन्ध्र प्रदेश को राज-सहायता प्राप्त दरों पर कितनी मात्रा में चावल की अनुमति दी गई; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश में प्रत्येक कार्डधारी की वार्षिक खपत लगभग कितनी है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1983-84 और 1984-85 के दौरान केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यवार/क्षेत्रवार चावल के उठान और उस पर दी गई उपभोक्ता राजसहायता की राशि का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने आंध्र प्रदेश में विपणन मौसम 1983-84 और 1984-85 के दौरान क्रमशः 14.84 लाख मीटरी टन और 17.83 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान समेत) की वसूली की थी।

(ग) आंध्र प्रदेश को 1983-84 और 1984-85 के वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल से क्रमश: 12.47 लाख मीटरी टन और 9.76 लाख मीटरी टन चावल जारी किया गया था।

(घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल की उनकी वार्षिक आवश्यकता अनुमानत: 22 लाख मीटरी टन है।

विवरण

अखिल भारत आधार पर एकीकृत लागत पर 1983-84 और 1984-85 के लिए चावल पर राज्यवार/क्षेत्रवार उपभोक्ता राजसहायता

मात्रा लाख मीटरी टन में

(धनराशि करोड़ रुपये में)

राज्य/क्षेत्र	1983-84		1984-85	
	उठाई गई मात्रा	राजसहायता की राशि	उठाई गई मात्रा	राजसहायता की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आंध्र प्रदेश	12.47	83.06	9.76	73.49
असम और अरूणाचल प्रदेश	3.57	23.74	2 87	21.61
बिहार	1.87	12.44	0.53	3.99
गुजरात, दमन, दीव, दादर और नगर हवेली	0.96	6.38	0.95	7.15
हरियाणा	0.26	1.73	0.15	1.13
हिमाचल प्रदेश	0.30	2.00	0..6	2.71
जम्मू तथा कश्मीर	1.53	10.18	1.46	10.99
कर्नाटक	2.30	15.30	2.51	18.90
केरल, लक्षद्वीप तथा पाण्डिचेरी का भाग	13.47	89.58	13.17	99.16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मध्य प्रदेश	2.45	16.29	1.65	12.42
महाराष्ट्र और गोआ	3.54	23.41	3.43	26.20
एन० ई०एफ०, मिजोरम, त्रिपुरा मणिपुर और नागालैंड	2.49	16.56	3.02	22.74
उड़ीसा	1.31	8.72	0.59	4.44
पंजाब तथा चण्डीगढ़	0.65	4.32	0.22	1.66
राजस्थान	0.14	0.93	0.11	0.83
तमिलनाडु, पांडिचेरी का भाग और अ० तथा नि० द्वीपसमूह का भाग	4.09	27.20	3.42	25.75
उत्तर प्रदेश	3.02	20.08	2.11	15.89
पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अ० तथा नि० द्वीपसमूह का भाग और पत्तन परिचालन (कलकत्ता)	13.95	92.66	9.57	72.06
दिल्ली	1.79	11.90	1.52	11.44

आंध्र प्रदेश में मोडीफाइड एरिया डिवलपमेंट एप्रोच तथा प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के अन्तर्गत आदिवासियों को रियायती दरों पर चावल देना

7887. श्री सी०जंगा रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मोडीफाइड एरिया डिवलपमेंट एप्रोच तथा प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को रियायती दरों पर चावल देने का अनुरोध किया है; और

(ख) क्या सरकार इसके लिए सहमत हो गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के०पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं, यह योजना फिलहाल केवल समन्वित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों

और आदिवासी बहुल राज्यों/संघ शासित प्रदेशों तक सीमित है।

केवल कुछ वस्तुओं का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित करना

7888. श्री एच०एन०मन्जे गौड़ा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल हथकरघा क्षेत्र द्वारा ही उत्पादन किए जाने के लिए आरक्षण के प्रयोजन से कुछ और वस्तुओं को हाल ही में चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उद्योग बिचौलियों और ऐजेन्टों के अनेक प्रकार के हस्तक्षेप के कारण हथकरघा क्षेत्र का विकास कार्य गति नहीं पकड़ पा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) हथकरघा क्षेत्र में अनन्य उत्पादन के लिए आरक्षित अतिरिक्त वस्तुओं अथवा वस्तुओं की श्रेणी की सूची दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ की गई हथकरघा विकास योजनाओं का प्रमुख प्रयोजन बिचौलियों के हस्तक्षेप को समाप्त करने के उद्देश्य से सहकारिताओं एवं राज्य हथकरघा विकास निगमों के रूप में अलाभकारी संगठनात्मक तंत्र का सृजन करना है।

विवरण

नये हथकरघा आरक्षण अधिनियम के अधीन आरक्षित अतिरिक्त वस्तुओं अथवा वस्तुओं की श्रेणियों की सूची

1. साड़ी तथा धोती — पहले के आर्डर में दिए गए बार्डर/हेडिंग्स की चौड़ाई सम्बन्धी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। सूती धोतियों एवं साड़ियों के अतिरिक्त ऐसे सभी कपड़े जो किसी प्राकृतिक अथवा मानव-निर्मित फाइबर (संश्लिष्ट फाइबर सहित) से बने हों अथवा किसी भी सम्मिश्रण में हों, बिना बुने हुए बार्डर या हेडिंग्स के हों, आरक्षित हैं।

2. कोटा तथा डोरिया साड़ियां।

3. टाई तथा डाई साड़ी एवं लाचवती।

4. अंगवस्त्रम।

5. शर्टिंग (सूत से बनी चैक पैटर्न वाली)

6. चद्दर

7. जामाक्कलाम, दरी अथवा डयुरेट

8. बुकरम कपड़ा

9. रेशम-सभी विशुद्ध रेशम के कपड़े, सिवाय ग्रे तथा प्लेन कपड़ों, शिफान, ज्योर्जट तथा क्रेप।

10. कम्बल अथवा कम्बलियां-शोडी यार्न से बने हुओं को छोड़कर

11. बैठक ब्लैंकेट

12. शाल, लोई, आदि केवल वही जो बुने हुए बार्डर वाले हों।

13. ऊनी ट्वीड-केवल शत प्रतिशत विशुद्ध वाले।

बैंकों और जम्मू तथा कश्मीर वित्तीय निगमों द्वारा दी गई सहायता

7889. **श्री पी० नामग्याल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक जम्मू और कश्मीर की विभिन्न कम्पनियों और बड़े और छोटे उद्यमियों को जम्मू और कश्मीर में कार्य कर रहे भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं, जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड और जम्मू और कश्मीर राज्य वित्त निगमों की विभिन्न शाखाओं द्वारा वर्ष-वार अलग-अलग कितना ऋण दिया गया;

(ख) 31 मार्च, 1986 तक कुल कितनी राशि वसूल की गई, कुल कितनी राशि वसूल न करने योग्य समझा गया है; और बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त बैंकों/निगमों में जम्मू तथा कश्मीर के लोगों द्वारा कुल कितनी राशि जमा कराई गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जम्मू और कश्मीर राज्य वित्तीय निगम द्वारा लघु उद्योग एककों और अन्य एककों को 1983-84 में 788 लाख रुपये, 1984-85 में 1287 लाख रुपये और 1985-86 में 1570 लाख रुपये (अनन्तिम) की कुल सहायता का भुगतान

किया गया। जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक द्वारा औद्योगिक एककों को वर्ष 1983 में 182.89 लाख रुपये, 1984 में 433.66 लाख रुपये और 1985 में 588.97 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

(ख) जम्मू और कश्मीर राज्य वित्तीय निगम द्वारा अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च, 1986 तक मूलधन की कुल 2819 लाख रुपये की रकम वसूल की गई। जम्मू और कश्मीर वित्तीय निगम ने लगभग 56 लाख रुपये की बकाया रकम को वसूल करने के लिए मुकदमे दायर किये हैं। वर्ष 1983 से 1985 तक 3 वर्षों में जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक ने 355.52 लाख रुपये वसूल किए। 1 जनवरी, 1983 से अग्रिमों की कोई राशि वसूल न हो सकने वाली राशि घोषित नहीं की गई है।

(ग) जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक में जनता द्वारा जमा कराई गई राशियों में 19 3 में 2915.3 लाख रुपये, 1984 में 420.01 लाख रुपये और 1985 में 596.03 लाख रुपये की वृद्धि हुई। जम्मू और कश्मीर राज्य वित्तीय निगम के पास जमा के रूप में जनता की कोई राशि नहीं है।

रुपये में भुगतान स्वीकार करने वाले देशों से आयात बढ़ाने के सम्बन्ध में अनुदेश जारी करना

7890. **श्री के० वी० शंकर गौडा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 31 मार्च, 1986 को राज्य खरीद अभिकरणों तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य बड़े संगठनों को विशेष अनुदेश जारी किए हैं, जिनमें उनसे पूर्वी यूरोप के रुपये में भुगतान स्वीकार करने वाले पांच देशों से अधिकतम खरीद करने हेतु पर्याप्त मात्रा में आयात करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो अनुदेश जारी करने के प्रमुख कारण क्या हैं और जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे भारी व्यापार असंतुलन किस सीमा तक कम होगा ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) सरकार विभिन्न आयातक अभिकरणों को अपने अनुदेशों को समय-समय पर दोहराती रही है कि पूर्व यूरोप के रुपया भुगतान देशों से अधिकतम आयात किए जाए ताकि मुक्त विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके और इन देशों को भारत के निर्यात बढ़ाए जा सकें क्योंकि ऐसे आयातों से पैदा होने वाले रुपये का उपयोग केवल भारत से खरीद करने में किया जा सकता है। चूंकि ऐसे प्रयास एक सतत प्रकिया हैं, अत: देश के कुल व्यापार घाटे को कम करने में उनके प्रभावों को आंकना कठिन है।

भारत-अमरीकी द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार

7891. **श्री के०वी०शंकर गौडा :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अमरीकी संयुक्त व्यापार परिषद की 30 मार्च, को हुई बैठक में भारत अमरीकी व्यापार तथा वित्तीय और प्रौद्योगिक सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीकी व्यापार परिषद ने कहा है कि भारत में अच्छे आर्थिक वातावरण के कारण अमरीका द्वारा भारत के साथ व्यापार बढ़ाना लाभकारी होगा; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्ध किस सीमा तक सुदृढ़ बनाए जाएंगे ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी०शिव शंकर) : (क) से (ग) भारत अमरीका संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक 12-13 मार्च, 1986 को नई दिल्ली में की गई। बैठक में जिन विषयों पर विचार विमर्श किया गया उनमें शामिल हैं दोनों देशों की आर्थिक स्थिति, द्विपक्षीय व्यापार प्रौद्योगिकी का अन्तरण वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग के लिए अवसर आदि। दोनों पक्षों ने भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

यद्यपि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने आगामी तीन वर्षों में भारत-अमरीका व्यापार कारोबार को वर्तमान 4 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से बढ़ाकर 6 बिलियन अमरीकी डालर का करने को कहा, फिर भी 1986-87 के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया;

प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार पर हस्ताक्षर करने वाले देशों का कार्रवाई कार्यक्रम

7892. **श्री के०वी० शंकर गौडा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र तथा परिधान के निर्यातकर्ता विकासशील देशों के जेनेवा वार्ता के दौरान सामान्य बातचीत के विकसित देशों पर भेद-भाव न बरतने तथा अवरोधों को कम करने के लिए जोर डाला है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने सभी क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए बहुदेशीय व्यापारिक बातचीत तथा बहुदेशीय व्यापार प्रणाली को सुदृढ़ करने का एक नया कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) उक्त सम्मेलन में क्या निर्णय किए गए; और

(घ) जेनेवा वार्ता भारतीय वस्त्र व्यापार के लिए कहां तक लाभप्रद रही ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी०शिव शंकर): (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्तमान बहु-रेशा प्रबन्ध की अवधि के 31 जुलाई 1986 को समाप्त हो जाने के बाद वस्त्रों की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के आविष्ठ के बारे में इस समय गाट वस्त्र समिति में बातचीत चल रही है। विकासशील देशों के वस्त्र निर्यातकों की पिछली बैठक बिजिंग में हुई जिससे सीधे बातचीत में अपनी स्थिति समन्वित कर सके। इस बैठक में उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर जोर दिया कि संविदाकारी पक्षकारों की 1982 में हुई मंत्री स्तरीय बैठक में की गई वचन बद्धताओं सहित विकसित देशों द्वारा की गई उन वचन बद्धताओं को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है जिनमें विकासशील देशों के वस्त्रों तथा क्लोथिंग के निर्यातों पर लगे प्रतिबंधों के काफी उदारीकरण के बारे में और विकसित देशों को इन उत्पादों के उनके निर्यातों को नियंत्रित करने वाली प्रतिबन्धक तथा विभेदकारी व्यवस्था को क्रमबद्ध रूप से समाप्त करने के बारे में कहा गया था। विकासशील देशों में यह नोट किया कि गाट संविदाकारी पक्षकार इस समय बहुपक्षीय व्यापार कर्ताओं के एक नये कार्य-क्रम को तैयार करने में लगे हुए हैं जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सभी क्षेत्रों को उदार बनाया जा सके और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके तथा इस संदर्भ में इस बात पर जोर दिया गया कि वस्त्रों की वर्तमान व्यापार व्यवस्था को सुदृढ़ गांट अनुशासनों के अन्तर्गत प्रतिबंधों को हटाकर और एक स्वीकृत समय के अन्दर क्रमबद्ध रूप से समाप्त करके उदार बनाया जाता है। उन्होंने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो तरीके अपनाये जाएंगे उनमें शामिल होंगे उत्तरोत्तर ऊंची वृद्धि दरें, विकासशील देशों के लिए गैर विभेदकारी व्यवहार प्रतिबंधों और कवरेज को कम करना, प्रभावीरूप से निगरानी, क्रमबद्ध रूप से समापन आदि।

वस्त्र निर्यात देशों की बीजिंग में हुई बैठक के उपरोक्त पक्ष को गांट वस्त्र समिति की तीन चार अप्रैल, 1986 को हुई पिछली बैठक में दोहराया गया।

ये भी उल्लेखनीय है कि गांट संविदाकारी पक्षकारों के नवम्बर, 1985 में हुए पिछले सत्र में लिए गये विनिश्चय के अनुसरण में एक प्रारम्भिक समिति स्थापित की गई है जिससे कि बहुराष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं के नये दौर के लिये त्रिदेशीय, विषय वस्तु तथा तरीकों को निर्धारित किया जा सके। समिति को यह आदेश दिया गया कि वह 1986 में होने वाली मंत्री स्तरीय बैठक में पारित किये जाने के लिए मध्य जुलाई, 1986 तक अपनी सिफारिशें तैयार कर ले।

वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए विदेशी सहायता का मूल्यांकन

7893. श्री के० वी० शंकर गौड़ा : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिये विदेशी सहायता का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल ने ब्याज दरों और पुनर्भुगतान के लिए अधिक अवधि निर्धारित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यकारी दल द्वारा अन्य सुझाव दिये गये हैं;

(ग) सरकार ने इनमें से कितने सुझावों को अब तक स्वीकार किया है; और

(घ) इन सुझावों के कार्यान्वियन के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए सरकार द्वारा स्थापित कार्य समूह ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

पर्यटन के विकास के लिए ट्रेवल एजेन्ट्स एसोसिएशन आफ इण्डिया के सम्मेलन में दिए गये सुझाव

7894. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रेवल एजेन्ट्स एसोसिएशन आफ इण्डिया का सम्मेलन 25 मार्च, 1986 को दिल्ली में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें पाकिस्तान के एक शिष्टमण्डल ने भी भाग लिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या शिष्टमण्डल के नेता ने सम्मेलन में बोलते हुए सरकारी क्षेत्र की बजाए गैर-सरकारी क्षेत्र में पर्यटन के विकास पर बल दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) पाकिस्तान और भारत के बीच पर्यटक यातायात का प्रवाह इन देशों के बीच पर्यटकों के आदान-प्रदान सम्बन्धी प्रोटोकोल के अन्तर्गत आता है और इस समझौते में दोनों देशों के सरकारी निगमों, अर्थात पाकिस्तान पर्यटन विकास निगम और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटकों द्वारा समूहों में 15 दिन तक ठहरने के लिए प्रबंध-व्यवस्था करना तय किया गया है। फिलहाल इस प्रबंध में संशोधन करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

स्व-रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण देने के लिए अभ्यर्थियों का कोटा

7895. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वरोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए अभ्यर्थियों का कोटा निश्चित है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे प्रत्येक बैंक को निर्धारित कोटे से अधिक अभ्यर्थियों की सूची भेजी जाती है;

(ग) क्या निर्धारित कोटे से अधिक अभ्यर्थियों की सिफारिश करने के परिणामस्वरूप ऋण वितरण में भ्रष्टाचार बढ़ा है और यहां तक कि जरूरतमंद अभ्यर्थी बैंकों द्वारा भेदभाव और पक्षपात के शिकार हो जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) माननीय सदस्य का आशय संभवत: शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की योजना से है जो वर्ष 1983-84 में शुरू की गई थी। स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्रों में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच इस प्रयोजन के लिए गठित कृतिक बल द्वारा की जाती है और फिर ये आवेदन पत्र सिफारिश के साथ बैंकों को भेज दिए जाते हैं। जिला उद्योग केन्द्रों से यह कहा गया है कि वे बैंकों को योजना के अन्तर्गत जिलों के लिए निर्धारित लक्ष्य के 10 प्रतिशत से अधिक आवेदन पत्र न भेजें।

(ग) और (घ) जब कभी विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी उपचारात्मक कार्रवाई के वास्ते जांच की जाती है।

[अनुवाद]

बैंकों की गांवों में शाखाएं खोलने में क्षेत्रीय विषमताएं

7897. श्री यशवंतराव गडाख पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की गांवों में शाखाएं खोलने में क्षेत्रीय विषमताएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस असंतुलन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनादन पुजारी) : (क) और (ख) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक कार्यालय खोलने की नीति सारे देश में एक समान है। 1982-85 की शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य प्रत्येक जिले की ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की 17,000 की जनसंख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय खोलना था। अलबत्ता, देश के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में बैंक शाखाओं का विस्तार भौगोलिक और जनसंख्या सम्बन्धी परिस्थितियों में अन्तर, आधारभूत ढांचे के विकास की सीमा, उचित परिसरों की उपलब्धता आदि के कारण एक समान नहीं

रहा है। बैंक कार्यालयों के प्रसार में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के उद्देश्य से, 1985-90 की चालू शाखा लाइसेंसिंग नीति में, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के साथ समाप्त हो रही है, प्रत्येक विकास खण्ड के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 17,000 की जनसंख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय खोलने का लक्ष्य प्राप्त करने के अलावा प्रत्येक गांव से 10 किलोमीटर की दूरी के अन्दर-अन्दरकम से कम एक बैंक कार्यालय का लक्ष्य रखा गया है ताकि स्थानिक दूरियों को दूर किया जा सके।

बैंकों की ग्रामीण शाखाओं और शहरी शाखाओं की ऋण-जमा राशि का अनुपात

7898. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की ग्रामीण शाखाओं और शहरी शाखाओं की ऋण जमा अनुपात के बारे में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के ऋण-जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिसम्बर, 1983, दिसम्बर 1984 और मार्च 1985 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का जनसंख्या समूहवार ऋण जमा अनुपात प्रतिशत निम्नवत् है :—

	दिसम्बर, 1983	दिसम्बर, 1984	मार्च, 1985
ग्रामीण	57.5	61.1	62.3
अर्ध शहरी	50.5	53.1	54.0
शहरी	56.7	58.0	60.7
कुल	66.2	67.7	68.5

(ख) ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के विकास की गति को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गये हैं जिनमें रियायती ब्याज दर पर ऋण देना, आवेदन पत्रों को सरल बनाना, जमानत और मार्जिन राशि तथा वापसी अदायगी अवधि से संबंधित शर्तों को उदार बनाना, शाखा प्रबंधक को पर्याप्त अधिकार देना, ऋण आवेदनों को निर्धारित अवधि के अंदर निपटाना आदि शामिल हैं। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपनी ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं के लिए अलग-अलग 60 प्रतिशत का न्यूनतम ऋण जमा अनुपात बनाए रखें। आशा है कि सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं जैसे समन्वित ग्रामीण विकास योजना, विभेदी ब्याज दर योजना आदि को अमल में लाने से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ऋण का प्रवाह बढ़ जाएगा।

आयात-निर्यात पास बुक जारी करना

7899. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात-निर्यात पास बुक की योजना कार्यान्वित की गई है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1986 के अंत तक कितनी पास बुकें जारी की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो योजना लागू न करने के क्या कारण है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) आयात-निर्यात पास बुक 1 जनवरी, 1986 से लागू हुई।

(ख) 31-3-1986 तक कोई पास-बुक जारी नहीं की गई।

(ग) सिक्यूरिटी प्रेस, नासिक से पास-बुकों की मुद्रित प्रतियां प्राप्त न होने के कारण आयात-निर्यात पास-बुकें जारी नहीं की जा सकीं। अब वे प्राप्त हो गई हैं और लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को इन्हें पात्र आवेदकों को शीघ्रता से जारी करने की हिदायतें की गई हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम के लिए पुनर्वित्त पोषण सहायता बढ़ाना

7900. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने कृषि पंजीकरण कार्यक्रमों के लिए पुनर्वित्तपोषण सहायता को बढ़ाने और पुनर्वित्त पोषण सहायता को उधार बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका छोटे और मंझोले किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1985-86 के लिए कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में, ऋण सहायता के संबंध में, विभिन्न बैंकों को प्रदान की जाने वाली पुनर्वित्त सहायता की राशि जो शुरू में 150 करोड़ रुपये रखी गई थी, बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दी गई है। राष्ट्रीय बैंक ने ट्रैक्टरों की खरीद के लिए किसानों को दिये गये ऋणों के वास्ते उधार देने वाली संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने की शर्तें उदार बना दी हैं उदार ट्रैक्टर ऋण नीति की, जो 18 मार्च, 1986 से लागू हुई हैं, विशेष बातें ये हैं :—

(1) ऋण की वापसी अदायगी की अधिकतम अवधि सात वर्ष से बढ़ाकर नौ वर्ष कर दी गई है।

(2) राज्य भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित बारामासी सिंचित भूमि या तदनुरूप भूमि की 10 एकड़ की न्यूनतम जोत की शर्त में ढील देकर उसे 8 एकड़ कर दिया गया है।

(3) दूसरा ट्रैक्टर ऋण लेने के लिए न्यूनतम पात्रता अवधि को सात वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है बशर्ते कि ऋणकर्ता ने पहला ऋण पूरी तरह से चुका दिया हो।

(ग) राष्ट्रीय बैंक के अनुसार चूंकि कृषि यंत्रीकरण के लिए अतिरिक्त पुनर्वित्त की व्यवस्था छोटे और सीमांतिक किसानों को उपलब्ध ऋणों को बदल कर नहीं की जा रही है, इसलिए इसका छोटे और सीमांतिक किसानों पर कोई बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है। इसके विपरीत, नयी उदार नीति के अनुसार मध्यम दर्जे के और अधिक किसान ट्रैक्टर ऋण ले सकेंगे। कुछ छोटे किसान समूहों में ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी ऋण ले सकते हैं बशर्ते कि वे मध्यम जोत और अन्य मानकों की निर्धारित शर्तें सामूहिक रूप से पूरी करते हों।

चाय बागान

7901. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितने चाय बागान हैं और ये बागान किन-किन राज्यों में स्थित हैं तथा प्रत्येक राज्य में ये बागान कितने-कितने क्षेत्रों में हैं;

(ख) इनमें से कितने चाय बागान बड़े घरानों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हैं और इनमें कितने रुग्ण हो गए हैं; और

(ग) चाय बागानों में अधिक पौधे लगाना उनका आधुनिकीकरण करने और रुग्ण चाय बगानों को लाभप्रद बनाने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जानकारी नीचे तालिका में दी गई है :—

(1984 की स्थिति के अनुसार अनन्तिम)

राज्य	चाय एस्टेटों की संख्या	चाय के अन्तर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	2	3
आसाम	808	214741
वैस्ट बंगाल	311	97518

1	2	3
तमिलनाडु	6783	36888
केरला	4081	35003
अन्य	1498	13979

(ख) और (ग) लगभग 500 कम्पनियां हैं, जिनके पास लगभग 13.481 चाय एस्टेट हैं। इनमें से फेरा कम्पनी लगभग 151 चाय एस्टेटों की स्वामी है। कुछ गैर फेरा कंपनियां भी बड़े प्रतिष्ठानों से संबंधित हैं।

चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपायों में शामिल हैं, अन्तर्निविष्ट साधनों को अनुकूलतम बनाना, सुधरी हुई सिंचाई तथा जल-निकास सुविधाएं, चाय की झाड़ियों की भराई और नवीकरण तथा विस्तार रोपण एवं पुनर्रोपण। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृत चाय विकास लेखा योजना विकासात्मक कार्यकलापों के लिए चाय कंपनियों द्वारा कर पूर्व लाभ का पुनर्निवेश किए जाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु बनाई गई है तथा यह आधुनिकीकरण का कार्य भी हो सकेगा। दार्जिलिंग ब्याज उपदान योजना दार्जिलिंग में चाय बागानों के, जो कि मुरझा रहे थे, पुनरुद्धार के लिए स्वीकृति की गई है। कुल मिलाकर चाय उद्योग ठीक चल रहा है तथा रुग्णता का प्रकोप अब न्यूनतम रह गया है।

बैंकों में बचत खातों का न चलाया जाना

7902. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय को यह मालूम है कि जमाकर्ता की मृत्यु के बाद उचित मनोनीत व्यक्ति न होने और अन्य समस्याओं के कारण कई बचत खाते बैंकों में निष्क्रिय हो जाते हैं;

(ख) क्या ऐसे खातों का किसी वर्ष विशेष की राशि के सम्बन्ध में राज्य-वार कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) क्या ऐसा कोई कानून अधिनियम करने का विचार है जिससे ऐसी राशि का सार्वजनिक कल्याण योजनाओं के लिए उपयोग किया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास ऐसे बचत बैंक खातों की संख्या नहीं है जो मृत जमाकर्ताओं के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं। अलबत्ता, सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक को जमाकर्ताओं के निधन के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों द्वारा जमा राशियां प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी है। इस समस्या से निपटने के लिए मार्च, 1985 से जमाकर्ताओं को नामांकन की सुविधा प्रदान की गई है। नामांकन के बिना भी बैंक उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, अतिपूर्ति बांड और हलफनामा, जमानत आदि के आधार पर मृत

जमाकर्ताओं के खातों की बकाया राशि उनके उत्तराधिकारियों को देने का प्रयत्न करते हैं।

(ग) निष्क्रिय खातों की जमा राशियां बैंकों की जमाराशियों का एक हिस्सा होती हैं और इस प्रकार उनका बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति निदेशों के अनुसार प्रयोग किया जाता है।

उपलब्ध निर्यातकों को निर्यात उत्पादों की सूची सप्लाई करने की योजना को पुन: आरम्भ करना

7903. श्री वी० तुलसीराम : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकार की आयात-निर्यात नीति के भाषा के रूप में निर्यात उत्पादों की सूची सप्लाई करने का है;

(ख) यदि हां, तो निर्यातकों को ऐसी सूची कब सप्लाई की जाएगी;

(ग) इस प्रणाली को पहले समाप्त करने और इससे पुन: शुरू किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) निर्यातकों और सरकार दोनों को होने वाले लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पहले किस अवधि के लिए सूची जारी की जाएगी ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) और (ङ) सूची तैयार करने का कार्य जोकि काफी बड़ा है, आरम्भ कर दिया गया है। इसके पूरा होने में कुछ समय लगने की संभावना है जैसे ही और जब वह तैयार हो जाएगी, इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा।

(ग) 1978-79 में आयात एवं निर्यात नीति के ढांचे में परिवर्तन के कारण इसे समाप्त कर दिया गया था।

(घ) वाणिज्य मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्लू० सी० ए० सी० ओ०) के कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा लगाये गये आरोप

7904. श्री डी० नारायण स्वामी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्लू० बी० ए० बी० ओ०) लिमिटेड, कलकत्ता के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता सम्बन्धी गंभीर आरोप लगाये गये हैं;

(ख) क्या निगम द्वारा इस संबंध में कोई जांच आरम्भ की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) इस मामले में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) के कर्मचारियों के खिलाफ अनियमितताओं तथा भ्रष्ट आचरण के आरोप वाली शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तीन मामलों की जिनमें गम्भीर अनियमितताएं शामिल हैं, सी० बी० आई० जांच/विभागीय जांच की गई है ।

(घ) जांच पूरी होने तक के लिए पांच अधिकारियों को निलंबित किया गया है। बोर्ड स्तर के चार अधिकारी अब एन० टी० सी० की सेवा में नहीं हैं।

गैर-सरकारी उद्यमियों को अधिक ऊंची दरों पर लाभ पहुंचाने के लिए गेहूं और चावल की सड़क मार्ग से ढुलाई

7905. **श्री राज कुमार राय** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि नवम्बर और दिसम्बर, 1985 के दौरान दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में जब गेहूं और चावल का भण्डार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, हरियाणा के निकटवर्ती स्टेशनों से दिल्ली के लिए सड़क मार्ग से ढुलाई करने का आदेश दिया गया था जिसमें प्रति बोरे के लिए 8 रुपये से 13 रुपये के बीच अधिक ऊंची दरों पर ढुलाई की गई थी और गैर-सरकारी ट्रांसपोर्टरों को लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय राजकोष को नुकसान पहुंचाया गया था;

(ख) यदि हां, तो सड़क मार्ग से कितनी मात्रा की ढुलाई की गई थी, कितना व्यय किया गया था, रेल मार्ग की तुलना में सड़क मार्ग पर ढुलाई की दर क्या है, सड़क मार्ग से ढुलाई करने के लिए कितना अतिरिक्त व्यय किया गया है तथा दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम में कितना भण्डार है; और

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने हरियाणा से दिल्ली सड़क मार्ग द्वारा गेहूं और चावल के भण्डार की ढुलाई के लिए 8 प्रतिशत बिक्री कर का भुगतान किया है जबकि रेल मार्ग पर ढुलाई करने से इस कर में छूट दी जाती है, यदि हां, तो इसमें कितना अतिरिक्त व्यय किया गया है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) नवम्बर-दिसम्बर, 1985 के दौरान, भारतीय खाद्य निगम ने हरियाणा से दिल्ली को सड़क द्वारा खाद्यान्नों को भेजा था क्योंकि दिल्ली में स्थित उनके गोदामों में पर्याप्त स्टाक उपलब्ध नहीं थे। दिल्ली में 1-11-1985 को 63231 मीटरी टन गेहूं और 11431 मीटरी टन चावल उपलब्ध था जोकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली/रोलर फ्लोर मिलों को जारी करने और गेहूं की खुली बिक्री करने विषयक मासिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। नवम्बर-दिसम्बर, 1985 में राज्य प्राधिकारियों की स्वीकृत दरें, जोकि दूरी पर निर्भर करते हुए 3.65 रु० से 12.25 रु० प्रति क्विंटल के बीच रेंज में थीं, पर दिल्ली को कुल 760 4 मीटरी टन गेहूं और 36817 मीटरी टन चावल सड़क द्वारा भेजा गया था। यह संचलन उन मंडियों से किया गया था जहां पर सामान्यतया रेक लदान स्टेशन नहीं हैं और जो लाभकारी था।

(ग) इस तथ्य को महत्व दिये बिना कि स्टाक रेल अथवा सड़क द्वारा भेजा जाता है, हरियाणा से स्टाक भेजते समय, भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं के मामले में 4 प्रतिशत और न कि 8 प्रतिशत की दर पर क्रय कर देय होता है। हरियाणा से दिल्ली चावल भेजने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा कोई कर अदा नहीं किया जा रहा है।

डाक घर सावधि जमा योजना

7906. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 10-वर्षीय डाकघर सावधि जमा योजना बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को बन्द करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसी प्रकार की कुछ डाकघर बचत योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 10-वर्षीय डाकघर सावधि जमा योजना की घटती हुई लोकप्रियता के कारण पहली अप्रैल, 1986 से इसके नये जमा खाते खोलना बन्द कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अनिवासी भारतीय पूंजी निवेश योजना को उदार बनाना

7907. श्री के० मोहन दास : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनिवासी भारतीय पूंजी निवेश योजना को अधिक उदार बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने भारतीय राष्ट्रिकता/भारतीय मूल के अनिवासियों से देश में धन प्रेषणों को आकर्षित करने तथा उनके द्वारा निवेश के लिए कई सुविधाएं प्रदान की हैं। 1982 से प्रवृत्त सभी योजनाएं अभी जारी हैं। इनमें नये उद्योगों की स्थापना करने इक्विटी/ऋणपत्रों सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने तथा बैंकों में रकम जमा करने की सुविधाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस देश में अनिवासी भारतीयों को पूंजी निवेश करने की कार्यवाही को पूरा करने में जिस विलम्ब का सामना करना पड़ता था उसको दूर करने के लिए भी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हाल ही में कई एक उपाय प्रारम्भ किए गए हैं।

यद्यपि अनिवासी भारतीय निवेश योजना की सामुच्चयिक परिमिति वही है जो पहले थी फिर भी सरकार ने रोग निदान केन्द्रों, नौवहन उद्योग तथा रुग्ण यूनिटों में अनिवासी भारतीयों को प्रत्यावर्तन आधार पर भागीदारी की अनुमति प्रदान कर दी है।

सरकारी क्षेत्र द्वारा अतिरिक्त साधन जुटाना

7908. श्री बी० वी० देसाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों और उर्वरकों पर राजसहायता कम करने से खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि होगी और मुद्रास्फीति बढ़ेगी;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) क्या कोई उपचारात्मक उपाय किये गये हैं या किये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1986-87 के केन्द्रीय बजट में इन मदों पर दी गई राजसहायता की निरपेक्ष राशि में कोई कटौती नहीं की गई है जैसा कि नीचे देखा जा सकता है :—

(करोड़ रुपये)

इन पर दी गई राज सहायता	1985-86 (बजट अनुमान)	1985-86 (संशोधित अनुमान)	1986-87 (बजट अनुमान)
1	2	3	4
1. खाद्य	1100	1650	1750
2. उर्वरक			

1	2	3	4
(क) देशी	1200	1600	1700
(ख) आयातित	601	450	250

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान विकास केन्द्र द्वारा आरम्भ की गई अनुसंधान परियोजनाएं

7909. **डा० वी० एल० शैलेश** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान विकास केन्द्र ने भारत में अनुसंधान के लिए 8 करोड़ रुपये की लागत वाली चार नई परियोजनाएं आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये परियोजनाएं कहां-कहां शुरू की जाएंगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) कनाडा के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र ने भारत में अनुसंधान के लिए चार नई परियोजनाओं के वास्ते हाल ही में लगभग 1.26 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है। इनमें से तीन परियोजनाओं के प्रस्तावों को भारत सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	क्रियान्वित करने वाली एजेंसी का नाम/स्थान	अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र की सहायता की लगभग राशि (रुपये)	विषय/परियोजना का प्रयोजन	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	नेशनल इन्सटिट्यूट आफ इम्यूनालोजी, नई दिल्ली	56 लाख रुपये	गर्भ निरोधक टीकों का विकास जोकि सुरक्षित, प्रभावी, दीर्घकाल तक असर करने वाला प्रतिवर्ती और व्यवहार्य है।	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित
2.	भारतीय एग्रो इन्डस्ट्रीज फाउन्डेशन, पुणे	19 लाख रुपये	अनुसंधान कार्यक्रम, जिनका उद्देश्य ऐसे पेड़ों को लगाना है जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे और प्रतिकूल मृदा अवस्थाओं को बर्दाश्त कर सकें। ये पेड़ ग्रामीण गरीब लोगों के लिए जलाने की लकड़ी, चारे, रिहायशी आवश्यकता को पूरा करेंगे और साथ-साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन होने से मिट्टी पोषक आवर्तन (न्यूटरिन रिसाईकलिंग) में सुधार आएगा।	—तदैव—

1	2	3	4	5
3.	टाटा अनुसंधान विकास और डिजाइन केन्द्र, पुणे	8 लाख रुपये	अनुसंधान परियोजना जिसमें कम लागत के जल निस्पंदन (फिल्टरेशन) यंत्रों को विकसित करने के लिए चावल की भूसी का प्रयोग किया जायेगा। इसका निर्माण ग्रामीण लोगों द्वारा पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है।	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित
4.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई और दो सहयोगी कनाडी संस्थान	43 लाख रुपये	एक विकसित रिएक्टर का विकास करना जिसका कार्य औद्योगिक अपशिष्ट से बायोगैस बनाना है।	अभी अनुमोदित की जानी है।
	जोड़ :	126 लाख रुपये		

कर्नाटक में नई सहकारी चीनी मिलों को आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने में विलम्ब

7910. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में नये सहकारी चीनी कारखाने स्थापित करने के लिए सरकार के पास आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु कुल कितने आवेदन विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) ये आवेदन कितने समय से लम्बित पड़े हैं; और

(ग) लाइसेंस देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पांजा) : (क) फिलहाल कर्नाटक राज्य में नई सहकारी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु सरकार के पास कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सहकारी कताई मिलों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने में विलम्ब

7911. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सहकारी कताई मिलों की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने के लिए कुल कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं;

(ख) वे कितने समय से लम्बित पड़े हैं; और

(ग) मंजूरी देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकारी क्षेत्र में नये कताई एकक स्थापित करने के लिए आशयपत्र मंजूर करने संबंधी 5 आवेदन पत्रों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) ये आवेदन-पत्र लगभग 1 से 2 महीने पहले प्राप्त हुए।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मंडी में कपास की भरमार

7912. श्री वी० तुलसीराम : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान देश में कपास की भारी फसल होने के कारण विभिन्न राज्यों में, विशेषकर, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात में, मण्डियों में कपास की भरमार हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारी फसल को ध्यान में रखते हुए सरकार निर्धारित मूल्य पर कपास खरीदने में आनाकानी कर रही है और किसानों को अपनी उपज बेचने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश और गुजरात में कितनी और किस क्वालिटी की कपास अनबिकी पड़ी है और गरीब किसानों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कपास खरीदने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) चालू रुई मौसम अर्थात 85-86 के दौरान देश में रुई के उत्पादन का अनुमान लगभग 107.00 लाख गांठों का है जबकि गत रुई मौसम के दौरान 101.5 लाख गांठों का उत्पादन हुआ था। चालू रुई मौसम में 91.65 लाख गांठों की कुल खपत का अनुमान है जबकि गत रुई मौसम के दौरान 91.15 लाख गांठों की खपत हुई थी। अत: मांग की तुलना में बेशी होती रही है/होने की सम्भावना है।

आन्ध्र प्रदेश तथा गुजरात में रुई की फसल क्रमश: 13.25 लाख गांठों तथा 21 लाख गांठों की होने का अनुमान है। इसमें से आन्ध्र प्रदेश में लगभग 12 लाख गांठें तथा गुजरात में 16 लाख गांठें पहले ही बाजार में लाई जा चुकी हैं। भारतीय रुई निगम ने आंध्र प्रदेश और गुजरात प्रत्येक में 3 लाख गांठों से अधिक की खरीद कर ली है।

रुई उपजकर्त्ताओं की रुई की उपज उठान में मदद करने के उद्देश्य से भारतीय रुई निगम (सी० सी० आई०) को आंध्र प्रदेश तथा गुजरात सहित विभिन्न रुई उपजकर्ता राज्यों में अपने खरीद कार्यों को बढ़ाने के लिए निदेश दिये हैं। भारतीय रुई निगम को यह भी निदेश दिया गया है कि वह उस स्थिति में न्यूनतम समर्थन कीमतों पर कपास की खरीद करे जबकि कपास की बाजार कीमतें भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन कीमतों से कम हो रही हो। भारतीय रुई निगम न्यूनतम समर्थन कीमतों पर साधारण औसत क्वालिटी की कपास की खरीददारी करता रहा है तथा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर क्वालिटी अन्तर के कारण समर्थन कीमतों से उचित कटौतियों के अध्यधीन कपास की ऐसी किस्म की भी खरीद करता रहा है जोकि साधारण औसत क्वालिटी से मामूली निम्न किस्म की है।

इसके अलावा रुई उपजकर्त्ताओं को मदद करने के उद्देश्य से चालू रुई मौसम के दौरान भारत सरकार ने निर्यात के लिए लम्बे तथा अतिरिक्त लम्बे रेशे की 10.00 लाख गांठों, बंगाल देसी

की 52000 गांठों तथा यलो पिकिन्स की 25000 गांठों को रिलीज किया है। रुई के निर्यात के लिए न्यूनतम निर्यात कीमत की शर्त को भी सरकार द्वारा हटा दिया गया है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कताई मिलों को वित्तीय सहायता

7913. **श्री सुभाष यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने कर्नाटक, असम और कुछ अन्य राज्यों में अनेक कताई मिलों को मंजूरी दी है;

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी कताई मिलों की मंजूरी दी;

(ग) क्या यह भी सच है कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इन परियोजनाओं की वित्तीय सहायता देने में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या मंजूर की गई ऐसी सभी कताई मिलों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से वित्तीय सहायता कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने 16 नई मिलों की सहायता की है जिनमें 7 बुनकर क्षेत्र की और 9 उत्पादक क्षेत्र की हैं। इसके अलावा उत्पादक क्षेत्र में, एक मिल को विस्तार में सहायता दी गई थी।

(ग) और (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि वित्तीय संस्थाओं ने 1982-83 से अब तक विभिन्न राज्यों में 37 सहकारी कताई मिलों को सहायता मंजूर की है। 9 सहकारी बुनकर मिलों के प्रस्तावों को समाप्त मान लिए जाने की सूचना है। वास्तविक उपलब्ध क्षमता या कार्यान्वयनाधीन क्षमता के अधीन तकुओं की कुल आवश्यकता के संदर्भ में अगस्त, 1984 में, वित्तीय संस्थाओं ने योजना आयोग के परामर्श से विचाराधीन कुछ प्रस्तावों को छोड़कर नई कताई मिलों की वित्तीय सहायता न करने का निर्णय लिया था।

(ङ) वस्त्र मन्त्रालय में नई कताई मिलों की स्थापना की प्रगति और संभावना की समीक्षा करने के लिये एक समिति का गठन किया गया है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय संस्थाएं अपना कोई दृष्टिकोण अपनाएंगी।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। आज के "इंडियन एक्सप्रेस"···

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। आपको मुझे कुछ न कुछ लिखित में देना होगा। आप मुझे लिखित में दीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जी नहीं, विधि मंत्री ने शाहबानो केस में उच्चतम न्यायालय पर प्रहार किया है···

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दीजिए। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : एक विधि मंत्री ऐसा कैसे कर सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दीजिये। मैं इस तरह कैसे कर सकता हूं ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : आप इसे ही पूर्व-सूचना मान लें।

अध्यक्ष महोदय : सैफुद्दीन जी, आपको अच्छी तरह पता है कि यहां कुछ नियम होते हैं। आपको लिखित में देना होगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्हें स्पष्ट करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनसे पता करना है कि उन्होंने यह कहा है अथवा नहीं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ठीक है; मैं लिखकर दे दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : ऐसे विवादास्पद मामले विधि मंत्री को सभा से बाहर ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए···

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता कि उन्होने यह कहा है अथवा नहीं कहा। अब सभा-पटल पर पत्र रखे···(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह समाचारपत्र में छपा है···

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है। कोई बात नहीं।

[हिन्दी]

कौन-सा यह गोस्पेल है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

हम पता लाएंगे। हम पता करेंगे कि यह सब क्या बात है। यदि नियमों के अनुसार यह सही साबित हुआ तो मैं पता लगाऊंगा।

(व्यवधान)

डा० वेंकटेश यह क्या ?

डा० बी० वेंकटेश (कोलार) : यहां कर्नाटक से अध्यापकों तथा छात्रों के माता-पिता के प्रतिनिधि आये हैं जो दो वर्षों से लम्बित कर्नाटक शिक्षा विधेयक के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की स्वीकृति की मांग कर रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। कुछ नहीं। डा० वेंकटेश, यह ऐसे नहीं होता; बैठ जाइए। अब श्री पी० शिव शंकर। सभा-पटल पर पत्र रखे जाएं।

12.02 म०प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

इंडिया टी एण्ड रेस्टोरेंट लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक रिपोर्ट और इन पत्रों के रखे जाने में हुए विलम्ब का विवरण

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) इंडिया टी एण्ड रेस्टोरेंट, बम्बई के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डिया टी एण्ड रेस्टोरेंट, बम्बई के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०—2555/86]

धान कुटाई उद्योग (विनियमन तथा अनुज्ञापन) (संशोधन) नियम, 1986

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : मैं धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धान-कुटाई उद्योग (विनियमन तथा अनुज्ञापन) (संशोधन) नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 8 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 611(अ) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०—2556/86]

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और 1980, वित्त अधिनियम, 1979, केन्द्रीय उत्पाद नियम, 1944 तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं; आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा (6) के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) (चौथा संशोधन) योजना, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 30 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 922(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी०—/2557/86]

(2) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) (तीसरा संशोधन) योजना, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो

[श्री जनार्दन पुजारी]

30 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 923(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—2558/86]

(3) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 627(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 15 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो शिलांग में 6 से 8 मई, 1986 तक "विकास में महिलाएं" विषय पर आयोजित की जाने वाली दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) देशों के अनुसचिवीय स्तर के अधिवेशन में आने वाले प्रतिनिधियों को अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात भारत के बाहर किसी स्थान को उनकी अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के सम्बन्ध में विदेश यात्रा करके संदाय से छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—2259/86]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 645(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 17 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसका आशय 75 रुपये प्रति किलोग्राम से अनधिक मूल्य वाले पान मसाले पर 10 रुपये प्रति किलोग्राम की उत्पाद शुल्क की प्रभावी दर निश्चित करना है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—2560/86]

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 614(अ), जो 11 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 27 सितम्बर, 1984 की अधिसूचना संख्या 247/84-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि "मैसर्स इण्डियन रजिस्टर आफ शिपिंग, मुम्बई" के स्थान पर जल-भूतल परिवहन विभाग (परिवहन मन्त्रालय) में मछली पकड़ने के जल पोतों विषयक सशक्त समिति को प्रमाणकर्ता प्राधिकरण के रूप में को निर्दिष्ट किया जा सके।

(दो) सा०का०नि० 615(अ) और 616(अ), जो 11 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो सौर ऊर्जा

उपकरणों के विनिर्माण के लिए आयातित कट सम्बाइयों अथवा कायलों में ब्लैक कंटीन्युअसली प्लेटिड सोलर सिलैक्टिव कोटिंग शीटों को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल, अतिरिक्त तथा उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(तीन) सा०का०नि० 623(अ), जो 14 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 17 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या 77 सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में एककों को पुरानी पूंजी मालों को, जो कम से कम 3 वर्षों के लिए इस्तेमाल में रहे हों, उक्त क्षेत्र के बाहर देश के टैरिफ क्षेत्र में बेचने की अनुमति दी जा सके।

(चार) सा०का०नि० 631(अ) जो 15 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 197-सी०शु०, 1 मार्च, 1986 की अधिसूचनाओं संख्या 153-सी०शु० और 155-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(पांच) सा०का०नि० 632(अ), जो 15 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचनाओं संख्या 187-सी०शु०, 188-सी०शु० और 190 सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(छः) सा०का०नि० 633(अ), जो 6 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 9 जून, 1978 की अधिसूचना संख्या 117-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि निर्बाध सामान्य लाइसेंस के अधीन आयात किये जाने के लिए अनुमति प्राप्त माल, और इस प्रकार निर्बाध सामान्य लाइसेंस के अधीन आयात किये गये माल की, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के अनुसार भांडागार में रखा जाता है, उस स्थिति में भांडागार से निःशुल्क निकासी किये जाने की अनुमति दी जा सकती है यदि निर्यातकर्ता वेध अग्रिम लाइसेंस प्रस्तुत कर देता है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—2561/86]

(6) निक्षेप बीमा तथा ऋण गारन्टी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निक्षेप बीमा तथा ऋण गारन्टी निगम, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

[श्री जनार्दन पुजारी]

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—2562/86]

(7) व्यापारिक घरानों पर आय कर सम्बन्धी छापे के विरोध के बारे में सर्व श्री पी० एम० सैयद तथा संतोष मोहन के तारांकित प्रश्न संख्या 573 के 4 अप्रैल, 1986 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विवरण

दिनांक 4 अप्रैल, 1986 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 573 के उत्तर में उल्लिखित विवरणपत्र में निम्नलिखित सूचना दी गई थी :—

प्रश्न के भाग (ख) की क्रम संख्या 3 पर मैसर्स नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० के सम्बन्ध में तथाकथित कर अपवंचन/अभिग्रहण की रकम असावधानी से 5 करोड़ रुपए दिखाई गई थी। सत्यापन किए जाने पर यह पाया गया था कि अभिग्रहण/अपवंचित कर का कुल मूल्य 2.59 करोड़ रुपये था। अतः उत्तर के साथ संलग्न विवरण पत्र में निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाये।

क्र०सं०	पार्टी का नाम	अपवंचित कर/किया गया अभिग्रहण
भाग (ख) क्र०सं०	मैसर्स नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि०	2.59 करोड़ रु०

गलती के लिए खेद है।

12.03 म०प०

प्राक्कलन समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय—प्रारम्भिक शिक्षा—के बारे में प्राक्कलन समिति के दसवें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) के अध्याय एक में

अन्तर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

12.03½ म०प०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने 24 अप्रैल, 1986 को सभा में प्रस्तुत किये गये अपने चौथे प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने दिखाई गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाये : --

(1) श्री चरण सिंह	19 अप्रैल से 7 मई, 1986 तक
(2) श्री बी० वी० देसाई	19 अप्रैल से 7 मई, 1986 तक
(3) श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी	3 मार्च से 25 मार्च, 1986 तक और 31 मार्च, 1986
(4) श्रीमती इन्दुमती भट्टाचार्य	5 मार्च से 25 मार्च, 1986 तक और 31 मार्च से 23 अप्रैल, 1986 तक
(5) श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर	12 मार्च से 25 मार्च, 1986 तक और 31 मार्च से 11 अप्रैल, 1986 तक
(6) श्री लाला राम केन	21 मार्च से 25 मार्च, 1986 तक और 31 मार्च से 10 अप्रैल, 1986 तक
(7) श्री ए० सेनापति गौंडर	31 मार्च से 23 अप्रैल, 1986 तक
(8) श्री महेन्द्र सिंह	15 अप्रैल से 29 अप्रैल, 1986 तक

(9) श्री सांभाजी राव ककाड़े 8 अप्रैल से 7 मई, 1986 तक

(10) श्री एस० बी० चव्हाण 16 अप्रैल से 7 मई, 1986 तक

(11) श्री सैफुद्दीन अहमद 3 अप्रैल से 2 अप्रैल, 1986 तक

क्या सभा यह चाहती है कि समिति द्वारा सिफारिश की गई अनुमति प्रदान की जाये ?

अनेक सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

(ग्यारहवां प्रतिवेदन)

[अनुवाद]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : मैं कल्याण मंत्रालय—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार—के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.05 म०प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करना हूं कि 28 अप्रैल, 1986 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

(1) आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना

(क) चाय (संशोधन) विधेयक, 1986

(ख) स्वदेशी काटन मिल कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1986

(ग) मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक, 1986

(घ) कोयला खान श्रम कल्याण निधि (निरसन) विधेयक, 1986

(ङ) दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 1986

(3) मन्त्री (भत्ते, चिकित्सीय सुविधाएं और अन्य उपलब्धियां) संशोधन नियम, 1986 के मसौदे का अनुमोदन चाहने वाला संकल्प पर चर्चा।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने लोक सेवा आयोगों के कार्य-करण को सुचारू बनाने के लिये पांच-सूत्री कार्यवाही का सुझाव दिया है। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग की तरह से वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों का पर्याप्त रूप से प्रत्यायोजन करने आधुनिक उपस्करों का इस्तेमाल करने जिसने कम्प्यूटरीकरण भी शामिल है, की आवश्यकता है तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयोगों के सभी अनुभागों में परखी हुई ईमानदारी वाले व्यक्तियों को वहां लगाया जाए और इसमें विशेषज्ञों को पर्याप्त संख्या में शामिल कर इसे हर क्षेत्र में संगठनात्मक रूप दिया जाये। मेरा यह सुझाव है कि राज्य सरकारों से इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा जाये कि वे पहले ही रिक्त पदों की सही संख्या अधिसूचित करें और बाद में पूरक सूचियां जारी न करें। बेहतर होगा यदि आयोग अपने निजी तरीकों तथा तकनीकों की आंतरिक पुनरीक्षा करें और सम्बद्ध क्षेत्रों में विशेषज्ञों तथा सलाहकारों का निरंतर सहयोग लें ताकि उम्मीदवारों के चयन में विलम्ब न हो। आयोग की रचना ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी वर्गों तथा समुदायों का विश्वास प्राप्त हो सके।

श्री एस० जी० घोलप (ठाणे) : अगले सप्ताह की कार्य सूची के सरकारी कार्य में निम्नलिखित मामले को शामिल किया जाये।

भारत सरकार ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिकों में वितरण करने के लिए राज्य सरकार को गेहूं की मुफ्त सप्लाई करने की योजना स्वीकार की है।

महाराष्ट्र सरकार का प्रत्येक ऐसे वयस्क जिसे काम की जरूरत है और जो काम मांगता है, रोजगार देने का अपना ही रोजगार गारंटी स्कीम सम्बन्धी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। यह योजना 1972 से चल रही है और यह योजना सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दी गई है और इससे औसतन लगभग 17 से 18 करोड़ श्रमदिवस (जो कि केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत श्रमदिवसों का लगभग 5 गुना हैं) सृजित किए हैं और इसके लिए गत वर्ष 2000 करोड़ रु० खर्च किए गये थे।

यह सच है कि केन्द्र सरकार रोजगार गारन्टी स्कीम में श्रमिकों को बांटने के लिए गेहूं मुफ्त

[श्री एस० जी० घोलप]

नहीं दे रही है। इसलिए श्रमिकों में असंतोष है। महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है तथा अनुरोध किया है कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के श्रमिकों के साथ रोजगार गारन्टी स्कीम के श्रमिकों को एक कि० ग्रा० प्रतिदिन की समान दर से गेहूं की सप्लाई करे।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह रोजगार गारन्टी स्कीम के श्रमिकों के लिए मुफ्त गेहूं देने के सम्बन्ध मे शीघ्र निर्णय करे ताकि महाराष्ट्र सरकार 1986-87 के लिए मुफ्त दिए गए 1.60 लाख मीट्रिक टन गेहूं की पूरी मात्रा का उपयोग कर सके।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : मैं 28-4-86 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के कार्य में शामिल करने के लिए निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण विषयों को सभा में प्रस्तुत करना चाहूंगा।

यद्यपि केन्द्र ने 1990 तक देश के सभी गांव में पेयजल की पूर्ति करने का दृढ़ फैसला किया है लेकिन अव्यवस्था, कुप्रबन्ध, उचित ध्यान न देने और समय पर मरम्मत आदि न होने के कारण देश के विभिन्न राज्यों के हजारों गांव पेयजल प्राप्त करने से वंचित हैं जिससे लाखों ग्रामीण लोगों को, विशेषकर इस गर्मी में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अप्रैल, 1986 के तीसरे सप्ताह में भारी तूफान, ओलावृष्टि तथा बवण्डर आने से उड़ीसा राज्य के ग्यारह पुलिस थानों में उन्नत धान की बहुत सी फसल तथा विभिन्न किस्म की वनस्पति की फसल नष्ट हो गई है। सैंकड़ों सरकारी संस्थान जिनमें विभिन्न स्कूल, कालेज भी शामिल हैं या तो उड़ गये हैं अथवा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये हैं और कुछ ढह गये हैं, जिनमें हजारों मकान शामिल हैं जिससे बहुत से लोग बेघर हो गये हैं। टेलीफोन तथा टेलीग्राफ की तारें नष्ट हो गईं और टेलीफोन तथा बिजली के बहुत से खम्बे उखड़ गये हैं और वहां संचार व्यवस्था बिल्कुल ठप्प हो गई है। इससे लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।

श्री अनूपचन्द शाह (बम्बई उत्तर) : अगले सप्ताह के सरकारी कार्य में निम्नलिखित विषय शामिल किया जाये।

हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में व्याप्त वर्तमान स्थिति को देखते हुए, यह महसूस किया जाता है क्या हम एक ही देश के वासी हैं या नहीं। हर चीज को राज्य के दृष्टिकोण से लिया जाता है न कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से। जहां तक किसी विशेष राज्य में प्राप्त संसाधनों के उपयोग का सम्बन्ध है कई बार केन्द्र सरकार राष्ट्रीय हित की रक्षा करने में असहाय हो जाती है।

अत: राज्य तथा केन्द्र के सम्बन्धों के बारे में विचार-विमर्श करने की तत्काल आवश्यकता है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह के कार्य में शामिल किया जाये। "राष्ट्रीय विकास हेतु राज्य तथा केन्द्र सरकार के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध

अत्यन्त आवश्यक है।"

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : कृपया निम्नलिखित विषय को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

"कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा, मैनपुरी जिले में अनेकों हरिजनों ने धर्मांतरण करते समय कहा कि आज भी उनके अधिकारों की रक्षा नहीं की जा रही, अतः वे धर्मांतरण कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि सरकार इस संबंध में वक्तव्य दे और सदन में इस संबंध में चर्चा हो।

[अनुवाद]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : निम्नलिखित विषय को आगामी सप्ताह की सरकारी कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

बिहार इस समय बिजली के भारी तथा अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। राज्य सरकार समस्त राज्य में भारी मात्रा में बिजली की कटौती कर रही है। उत्तरी बिहार में विशेष रूप से मिथिला क्षेत्र में बिजली सप्ताह में चार से छः घंटों से ज्यादा उपलब्ध नहीं होती है। फलस्वरूप, खड़ी फसलों की सिंचाई करने में गतिरोध पैदा हो गया है। इसका शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पीने के पानी की योजना पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

बिजली की भारी कटौती के कारण लगभग सभी बड़े तथा लघु उद्योगों में कार्य बिल्कुल रुक गया है। इसके फलस्वरूप भारी संख्या में कामगारों की छंटनी कर दी गई है। बिहार में बेरोजगारी की समस्या पहले ही उग्र है। बिजली की भारी कटौती ने आग में ईंधन का काम किया है।

बिहार में तापीय विद्युत उत्पादन में भारी कमी हुई है। इसके अलावा वहां तोड़-फोड़ के भी अनेक मामले हैं। बिजली बोर्ड ऐसी घटनाओं को रोकने में असफल है। यह आशा की गई थी कि कान्ति विद्युत परियोजना से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी तथा सहरसा के लोगों को कुछ राहत मिलेगी। किन्तु वह आशा भी जाती रही।

बिहार में विद्यमान बिजली संकट मेरी याद में सबसे खराब संकट है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वे इस समस्या को सुलझाने में युद्धस्तर पर प्रभावी कदम उठाएं। बिहार में विद्यमान बिजली संकट को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार को अन्य राज्यों से बिजली प्राप्त करने में सहायता करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह सदन की होने वाली कार्यवाही

[श्री अजीत कुरेशी]

में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने की कृपा करें :

1. मध्य प्रदेश का सतना जिला धार्मिक और ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां हजारों पर्यटक आये दिन आते रहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण संचार और यातायात की दृष्टि से यह एक बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। केन्द्र सरकार का लाखों रुपया खर्च होने के बाद भी आज तक वहां एस०टी०डी०टेलीफोन की सुविधा प्राप्त नहीं हो पाई है और न ही दूरदर्शन का केन्द्र वहां खोला जा सका है। इसी प्रकार से केन्द्र सरकार का एक काफी बड़ा हवाई अड्डा होने के बाद भी वहां वायुदूत विमान सेवा अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, केवल विचाराधीन है। इसी प्रकार से बहुत सी महत्वपूर्ण रेल गाड़ियां महियर जैसे अन्तर्राष्ट्रीय, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थान पर नहीं रुक पाती हैं और न ही सतना को राजधानी भोपाल तक जाने के लिए कोई सीधी रेलगाड़ी उपलब्ध है। इन तमाम बातों के कारण सतना क्षेत्र की जनता में काफी बेचैनी है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि तुरन्त ही सतना में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने, एस०टी०डी० लाईन से सतना को सारे देश से जोड़ने और वायुदूत सेवा शीघ्र अति शीघ्र शुरू करने के आदेश दिए जाएं और साथ ही भोपाल और सतना के बीच सीधी रेलगाड़ी का प्रबन्ध करने और महियर में तमाम महत्वपूर्ण रेल गाड़ियां रोकने के आदेश देने की भी व्यवस्था की जाए।

2. मध्य प्रदेश का सतना जिला पहले बरसात की कमी के कारण सूखे से पीड़ित था जिससे कि वहां की फसलें खराब हुईं और अकाल की स्थिति फैल गयी और गरीब मजदूर तथा किसानों को भुखमरी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। यहां तक कि मवेशी के लिए भी पूरी तरह चारा उपलब्ध नहीं हो सका। अब दुर्भाग्यपूर्ण वही क्षेत्र सर्दियों में ओले का शिकार हुआ और वहां की फसलों को पाले ने मार दिया और एक बार फिर भयंकर रूप से वहां के गरीब, मजदूर और किसान भुखमरी और बेरोजगारी का शिकार हैं। केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश शासन को आदेश दे कि वे युद्धस्तर पर इस क्षेत्र की भुखमरी और बेरोजगारी को दूर करने के राहत कार्य शुरू कराए और किसानों की खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा भी प्रदान करे। जिनके मवेशी मरे हैं उनको भी विशेष सहायता की जाए। इन सब कामों के लिए मध्य प्रदेश सरकार को विशेष वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : कृपया निम्नलिखित विषय को आगामी सप्ताह की सरकारी कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

वारंगल जिले में आजमजाही कपड़ा मिल ही केवल एक बड़ा उद्योग है। पिछले पांच वर्षों से यह राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत है। जिस दिन से राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने इसका कार्यकरण अपने हाथ में लिया है तब से इसमें भारी हानियां हो रही हैं। इसका कारण पुरानी मशीनरी, पुरानी

प्रौद्योगिकी तथा मिल के अधिकारियों द्वारा कुप्रबन्ध है। यह मिल 7000 कामगारों को प्रत्यक्ष रूप से तथा 5000 कामगारों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रही है। एक साल से इस उद्योग के कामगार इसके किसी भी समय इसके बन्द हो जाने से डरे हुए हैं। हाल ही में विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई थी जो संभवतः है इसको बन्द करने की सिफारिश करेगी। वारंगल जिले में पहले ही काफी संख्या में बेरोजगार हैं और वहां कोई अन्य उद्योग लगने की कोई आशा नहीं है।

अतएव, मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वे आजम जाही मिल, वारंगल को उसकी मशीनरी तथा प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करने के लिए पर्याप्त निधि प्रदान करें।

दूसरा विषय यह है :

वाराणसी रेलवे स्टेशन के पास उत्तर रेलवे की जमीन प्लाट संख्या 366/2, 364/2, 365/1, 363 आदि मुखदुपुर परगना देहात अमानत तहसील वाराणसी, जिला वाराणसी में स्थित है। लगभग 100 एकड़ जमीन कुछ प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा जनता को बेची जा रही है। इसके कारण रेलवे विभाग को करोड़ों रुपयों की हानि हो रही है और जो लोग उस जमीन को खरीद रहे हैं उन्हें उनके द्वारा धोखा दिया जा रहा है। इस तरह से 1975 से यह गैर-कानूनी सौदा किया जा रहा है। कुछ स्थानीय लोगों ने रेलवे विभाग को स्थानीय संसद सदस्यों तथा विपक्षी दलों के जाने-माने संसद सदस्यों के माध्यम से कई शिकायतें की थी। फिर भी, इस मामले में कोई जांच शुरू नहीं की गई है। जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी ने भी जांच की थी और अपने पत्र संख्या 5696/1979/77-75, दिनांक 27-9-1973 के द्वारा प्रभागीय प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, गोरखपुर को अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

श्री एच० के० एल० भगत : मैंने माननीय सदस्यों द्वारा बताए गए विषयों को ध्यानपूर्वक सुना है। मैं निश्चित रूप से उन्हें कार्य मंत्रणा समिति के ध्यान में लाऊंगा जो विषयों पर चर्चा करने के बारे में निर्णय देती है। मैं इस सम्बन्ध में यह भी बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों को प्रस्ताव रखने का पूरा अधिकार है लेकिन मामले ऐसे हैं कि वे उनका जिक्र विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों की अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान कर सकते थे। अनेक विषय ऐसे भी हैं जिन्हें वे सम्बन्धित मंत्रियों के साथ सीधे ही उठा सकते हैं। यदि उन्हें मुझसे किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो तो मुझे उनकी यथा शक्ति मदद करने में बहुत खुशी होगी। धन्यवाद

12.16 म०प०

रेल विधेयक 1986*

[अनुवाद]

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल सम्बन्धी विधि का समेकन

*दिनांक 25-4-1986 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-दो, खण्ड 2, में प्रकाशित।

[श्री बंसी लाल]

और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेल सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बंसी लाल : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बिल मिल गया था···

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : कल शाम को मिल गया था···

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : हमें कल रात को मिला।

अध्यक्ष महोदय : इसमें भी गड़बड़ रह गई किसी को शाम को मिला और किसी को रात को मिला।

(व्यवधान)

12.17 म० प०

वित्त विधेयक

[—जारी]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा 24 अप्रैल, 1986 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा :—

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

"कि वित्तीय वर्ष 1986-87 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : इस वर्ष के बजट से सम्बन्धित इस वित्त विधेयक के संबंध में कुछ बातें कहना आवश्यक है। मैं केवल बजट कह रहा हूं चूंकि हमने बजट पूर्व-कार्यकलाप भी देखे हैं और मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं कि क्या बजट के बाद भी यह सब होता रहेगा, चूंकि केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है। मेरे ख्याल में यह किसी भी दिन प्रकाशित हो सकती है। निश्चय ही, इसमें भी काफी पैसा लगेगा जिसका भुगतान केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतनमानों, भत्तों आदि के कारण करना होगा। उस पैसे की इस बजट में व्यवस्था नहीं की गई है। जो कहीं न कहीं से आना है। और उसका अनुमान कर मंत्री जी हमें यह बताइए कि इसके बारे में उनके क्या प्रस्ताव हैं।

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : आप कुछ सुझाव दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वेतन आयोग की रिपोर्ट में से जो कुछ भी आप स्वीकार करेंगे आपको उसके लिए पैसा तो उपलब्ध कराना होगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह बात तो ठीक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, इस बार बजट में—जिसका श्रेय मंत्री जी ले रहे हैं—राजस्व आय में कम से कम नए कर दिखाए गए हैं। 406 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि सीमा शुल्क से और केवल 21 करोड़ प्रत्यक्ष कर से प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा, रेलवे बजट में, बढ़े हुए रेलवे किरायों से 600 करोड़ रु० प्राप्त होंगे और बजट पूर्व की गई मूल्य वृद्धि से सरकार को 1500 से 1600 करोड़ रु० प्राप्त होंगे। अगर हम इन सभी स्रोतों से प्राप्त कुल आय को देखें तो यह 49,212 करोड़ रु० होगी। इसमें से केवल 46 प्रतिशत, अर्थात 22,696 करोड़ रु० करों से प्राप्त हो रहे हैं, 14 प्रतिशत अर्थात 6846 करोड़ रु० करेतर राजस्व से और 40 प्रतिशत अर्थात 19,670 करोड़ रु० घरेलू और विदेशी ऋणों के जरिए, प्राप्त होंगे। अतः, मैं यह कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अप्रत्यक्ष कर लगाए जाने और कम से कम प्रत्यक्ष कर लगाए जाने का जो रवैया अपना रहे हैं यह एक ऐसी नीति है, जिससे निश्चित रूप से ऋणों पर अधिक निर्भरता आएगी और घाटे का बजट बढ़ना निश्चित है। और यहां मंत्री जी ने इस बारे में खासा प्रचार किया है कि पिछले वर्ष के मुकाबले गरीबी निवारण के कार्यक्रमों आदि के लिए काफी अधिक धन आवंटित किया गया है, लेकिन मैं यहां पर केवल तुलना की दृष्टि से कुछ कहना चाहूंगा। अगर हम लगभग बस करोड़ लोगों को लें—जो इन घरेलू ऋणों जो कि सरकार बाजार से लेना चाहती है, में अपना पैसा देंगे, उन लोगों को इन घरेलू ऋणों पर जो ब्याज दिया जाएगा वह लगभग 8750 करोड़ रु० होगा। अगर हम गांवों में रह रहे गरीब लोगों की संख्या 25 करोड़ मानें जिनके लिए गरीबी निवारण कार्यक्रमों के तहत 1629 करोड़ रु० आवंटित किए गए है; यह राशि निश्चित रूप से पिछले वर्ष से अधिक है, लेकिन अगर आप इसकी तुलना उन

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

दस करोड़ लोगों को हुए लाभ से करें जिन्हें सरकार को ऋण दिए जाने के कारण ब्याज मिला है, और जबकि अनुमानत: 25 करोड़ लोगों को गरीबी निवारण के लिए 1629 करोड़ रु० दिए गए हैं, तो यह जानना कोई मुश्किल नहीं होगा कि ज्यादा लाभ किसे हुआ है।

एक अन्य बात मैं यह कहना चाहूंगा, जिसका जिक्र वित्त मंत्री बार-बार कर रहे हैं कि वह यह है कि सातवीं योजना का भविष्य काफी मात्रा में उन संसाधनों पर निर्भर करता है जो कि हमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त होंगे। यह काफी सही है और यह अनुमान लगाया गया है कि अगर इस योजना को अपने वर्तमान स्वरूप में बना रहना है तो कम से कम 35,000 करोड़ रु० का योगदान सरकारी क्षेत्र को करना होगा।

महोदय, मैंने पहले भी इस ओर ध्यान दिलाया है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 'कुल मिलाकर असंतोषजनक कार्य प्रदर्शन' के कारणों की जांच करने के सम्बन्ध में अब तक पर्याप्त रुचि प्रदर्शित नहीं की है और न ही वह यह देखने की कोशिश कर रही है कि वहां काम कर रहे कामगारों की सक्रिय भागीदारी और मदद से सुधार के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। श्रम मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में इस सम्बन्ध में बहुत कुछ हो रहा है और हम उनमें से कुछ बैठकों में भाग लेते रहे हैं लेकिन यह सब ऊपरी है, सब बनावटी हो रहा है, कोई भी काम की बात नहीं करता। यह सब क्या है ? मुझे हैरानी है कि ऐसा क्यों है चूंकि सरकार को सरकारी क्षेत्र के भविष्य में काफी दिलचस्पी होनी चाहिए विशेषतया तब जबकि मंत्री जी का यह कहना है कि सातवीं योजना का सारा भविष्य इन्ही पर निर्भर करता है। इसलिए, मुझे हैरानी है, और इस समय मैं यही बात उठाना चाहता हूं और समाचारपत्रों में भी यह छपा है जिसका कि अब तक खंडन नहीं किया गया कि इनमें से कुछ सरकारी उपक्रमों को संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों में बदलने का प्रस्ताव है अर्थात इन सरकारी क्षेत्र के एककों में गैर-सरकारी इक्विटी साझेदारी की अनुमति देना। सरकारी क्षेत्र के 10 बड़े मुनाफे पर चलने वाले उपक्रमों के शेयरों को अन्तरित करने अर्थात उनका नियंत्रण हस्तांतरित करने के बारे में विचार किया जा रहा बताया जाता है। निश्चय ही यह सरकारी क्षेत्र के उपक्रम लाभ में चल रहे होंगे क्योंकि कोई भी व्यक्ति घाटे में जाने वाले उपक्रमों के शेयर नही खरीदता। यदि निजी क्षेत्र के लोग शेयर खरीदेंगे तो यह लोग उन्हीं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर खरीदेंगे जिन्ह लाभ हो रहा है। प्रेस में जिन 10 उपक्रमों के नाम बताए गए हैं वह उपक्रम हैं—एन० टी० पी० सी०, बी० एच० ई० एल०, ओ० एन० जी० सी०, एम० एम० टी० सी०, हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स नेशनल फर्टिलाइजर कारपोरेशन, इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन, मद्रास रिफाइनरीज लि०, फर्टिलाइजर्स एंड कैमीकल्स और इंडियन आयल कारपोरेशन। इन 10 उपक्रमों का नाम विशेष रूप से अखबारों मे छपे हैं और मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं कि जब वह उत्तर दें तो यह बताएं कि यह सच है अथवा नहीं।

12.25 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इन प्रस्तावों को हो सकता है अभी तक निश्चित रूप से अन्तिम रूप नहीं दिया गया हो पर क्या इन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है अथवा नहीं। क्योंकि यह सब कुछ संसाधनों के लिए हो रहा है और मैं यह कहूंगा कि सरकार इसका कम विरोध करेगी अर्थात् सरकार गैर सरकारी क्षेत्र को शेयरों में पैसा लगाने की अनुमति दे। और फिर उस उपक्रम के नियन्त्रण का प्रश्न उठेगा। सैद्धान्तिक रूप से हमें अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में यह पढ़ाया गया है कि लगभग 50% शेयर खरीदने पर स्वामित्व और नियन्त्रण दोनों अधिकार सुनिश्चित हो जाते हैं। एकाधिकार और निर्बन्धन कार्य व्यापार अधिनियम के अनुसार, मुझे पता चला है कि कम्पनी में 33% शेयर किसी विशिष्ट कार्य-व्यापार पर नियन्त्रण के लिए पर्याप्त है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, कम्पनी में नियन्त्रण के लिए 25% शेयर होना पर्याप्त हैं। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि लाभ में चलने वाली इन सरकारी उपक्रमों में गैर-सरकारी हिस्सेदारी किस सीमा तक होगी, यदि ऐसा शुरू किया जा रहा है और शायद मैं नहीं जानता-- मुझे आश्चर्य है---क्या यह संयुक्त क्षेत्र नीति के कारण है, जिसपर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, और यही कारण है कि सरकार सरकारी उपक्रमों के पूर्ण कार्यकलापों को नए रूप से शुरू करने में पर्याप्त रुचि नहीं ले रही है क्योंकि वह निजी क्षेत्र पर न केवल हिस्सेदारी के मामले में अपितु प्रबन्ध व्यवस्था की दृष्टि से भी अत्यधिक निर्भर कर रही हैं? यह बहुत ही गम्भीर बात है और यह मूल भूत नीति से पूर्णतः विपरीत है और मुझे विश्वास है कि इससे देश में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों सहित सभी लोगों में अत्यधिक भय और चिन्ता उत्पन्न होगी, क्योंकि यह नीति वह नहीं है जो हम इतने वर्षों से अपना रहे थे। खैर छोड़िए, कृपया स्पष्ट कीजिए कि अब आपका क्या करने का प्रस्ताव है।

महोदय, बहुत सी धनराशि बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों में पड़ी है। हमें नहीं बताया गया कि किस प्रकार यह धनराशि, यह सभी संसाधन, बैंक की सम्पत्ति का प्रयोग विकास के लिए उचित उपयोग कैसे किया जा रहा है। अब तक, राष्ट्रीय ऋण नीति की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। बैंक जो चाहते हैं वैसा ही करते हैं। निश्चय ही बहुत से बैंक पूर्ण रूप से भारतीय रिजर्व बैंक की देख रेख में कार्य करते हैं। परन्तु ठीक रूप से बैंकों को ऋण नीति निर्धारित करने तथा परिभाषित न करने के कारण हम देखते हैं कि घोटालों, वापिस न किए गए ऋण और करोड़ों रुपए बट्टे खाते डालने के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम जानते हैं कि बहुत से जालसाजी और छलकपट के मामले होते हैं। अतः मैं कहना चाहता हूं, कि गलत लोगों को ऋण मेले ही आयोजित न किए जाए अपितु ऋण देने के लिए उपयुक्त राष्ट्रीय ऋण नीति भी होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य विकास के लिए और विशेष रूप से ग्रामीण विकास के लिए बैंकों की बड़ी धनराशि का उपयुक्त रूप से उपयोग करना होना चाहिए। केवल यह कह देने मात्र से कोई बात नहीं बनती कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। परन्तु जो भी साधन उपलब्ध हों, उनका अवश्य ही उपयुक्त रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।

इसके पश्चात्, महोदय, मैं छापे मारे जाने के प्रश्न पर आता हूं। यह सही है कि इस मामले को

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

पहले ही बहुत से मित्रों ने उठाया है। मुझे हाल में की गई घोषणा से यह पता चला है कि अब यह छापे—जिसके लिए मैंने मंत्री महोदय की सराहना की थी और कहा था कि उन्हें डरना नहीं चाहिए और इन छापों के विपरीत शोर मचाने वाले लोगों से भयभीत नहीं होना चाहिए। यह छापे कार्यालयों, व्यापार क्षेत्रों तक ही सीमित होंगे···

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। जहां तक छापों तथा तलाशी लिए जाने की शक्ति का सम्बन्ध है वह पहले के समान ही है और उस शक्ति को कम नहीं किया गया है। केवल सर्वेक्षण करने की शक्ति को बढ़ाया जा रहा है। अतः भवनों अथवा आवासीय गृहों पर छापे मारने अथवा तलाशी लिए जाने की शक्ति को बिल्कुल भी कम नहीं किया गया। यह शक्ति पहले की तरह ही दी गई है और इसका प्रयोग किया जाएगा।

सर्वेक्षण, सामान्य सर्वेक्षण, किसी प्रकार की तलाशी अथवा छापा मारने की शक्तियों में और वृद्धि की जा रही थी जिसके फलस्वरूप निरीक्षकों को आवासीय मकानों के अन्दर जाने की शक्तियां प्राप्त हुई थीं। इसलिए जबकि इस समय तलाशी लेने तथा छापा मारने की शक्तियां विद्यमान हैं और उनका उपयोग किसी भी साक्ष्य, जो हम करायवंचन के बारे में पाते हैं, के विरुद्ध किया जाएगा। सर्वेक्षण के मामलों में हमारे पास अब व्यापारिक परिसरों का सामान्य सर्वेक्षण करने के लिए अतिरिक्त शक्तियां हैं। हम निरीक्षण करते हैं वहां जाते हैं और सर्वेक्षण करते हैं। इसलिए सर्वेक्षण और तलाशी तथा छापे के बीच अन्तर है। तलाशी और छापे की शक्तियां बरकरार हैं और उनका उपयोग किया जाएगा। सर्वेक्षण का अधिकार जिसका उद्देश्य आवासीय हिस्से में प्रवेश करने के लिए था, वह अधिकार बना हुआ है। तलाशी और छापे की शक्तियां आवासीय गृहों में भी बरकरार हैं। सर्वेक्षण में कोई भी निरीक्षक किसी भी समय जाकर यह कह सकता है कि "मैं सर्वेक्षण करना चाहता हूं।" यदि सही ढंग से तलाशी लेने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाती है और वह तलाशी लेने के बाद वह अधिकार बना रहता है और हम इसका उपयोग कर अपवंचकों के खिलाफ करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब तक, क्या केवल सर्वेक्षण द्वारा बनाए गए प्रथमदृष्टया मामले के आधार पर ही छापे नहीं मारे जाते रहे थे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी, नहीं। हमारे द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो जानकारी आपको प्राप्त हुई थी स्पष्ट रूप से काफी विश्वसनीय थी क्योंकि समापन करते समय ··।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उसे हम जारी रखेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 18 मार्च को राज्य सभा में वाद-विवाद के समय आपने कहा था कि कतिपय व्यापार गृहों के हाल ही में जो कर-छापे मारे गये थे वे ठोस तथ्यों और ठोस साक्ष्य के आधार

पर मारे गये थे। आपने 'ठोस तथ्यों' शब्द प्रयोग किए थे और आपने बताया था कि किरलोस्कर, वोल्टाज और बाटा इण्डिया लिमिटेड जैसे व्यापारिक गृह अपने कर सलाहकारों तथा परामर्शदाताओं द्वारा दी गई राय के विपरीत कर की चोरी में लिप्त रहे थे इसलिए, आपने कहा है, "इसे यह कहा गया नहीं माना जाना चाहिए कि यह सरकार ऐसी है जिसकी बदमाश व्यक्तियों के साथ सांठगांठ है।" मैं यह नहीं कहता कि उनकी सांठगांठ बदमाश व्यक्तियों के साथ है। लेकिन मुझे उन्हें सताकर और दबाकर ऐसी स्थिति में लाए जाने के बारे में चिन्ता है जो वास्तव में इसके अनुरूप नहीं है। आपने अन्तर-निगमित लाभांशों पर कर पहले ही छोड़ दिए हैं। इन सभी लोगों द्वारा इस बात पर बहुत बड़ा शोरगुल किया गया था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि इस बारे में गलत धारणा अधिक देर तक न बनी रहे। हमें भारतीय यूनिट ट्रस्ट के हितों को भी ध्यान रखना है। यह सरकारी क्षेत्र का एक निकाय है। हमें उसका ध्यान रखना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसलिए, किसी भी तरह मुझे यह सुनकर खुशी हुई है कि छापा मारने तथा तलाशी लेने की शक्तियों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उनका उपयोग किया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : और वे न केवल फर्मों और कम्पनियों पर ही लागू होती हैं बल्कि वे व्यक्ति विशेष पर भी लागू होती हैं। एक समाचार पत्र में छपे शीर्षक···।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वह गुमराह कर रहा था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : करों की चोरी करने वाले राजनीतिज्ञों को भी धमकी दी गई है। उन्हें धमकी दी जानी चाहिए। क्यों नहीं? सभी कर-अपवंचकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। मुझे तो केवल इस बात की चिन्ता है कि जो हुआ है वह यह है, उदाहरण के तौर पर, बाटा के मामले के परिणाम के रूप में—आप अब इसका क्या मतलब समझते हैं? —यदि कोई व्यक्ति माफी मांग लेता है, तो क्या उसे छोड़ दिया जाता है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी, नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तब और क्या होता है? आपने अपने संवाददाता सम्मेलन में यह कहा है कि एक माफी मांगने वाला अपराधी, एक व्यक्ति जो अपने अपराध के लिए माफी मांग लेता है, तो उसके खिलाफ और कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। और यह पत्र जो आपने स्वयं प्रैस को उपलब्ध कराया था बाटा के चेयरमैन श्री सबरवाल द्वारा लिखा गया था, उन्होंने कहा है, "इस बीच, हम कटौती के गलत दावे करने के लिए अपनी गलती स्वीकार करते हैं।" आपको करों का भुगतान न करके धोखा दिया है, यह कहने का एक नम्र तरीका है। कटौती के गलत दावे करके वे कहते हैं, "पिता जी, हम अनुरोध करते हैं कि हमें गल्तियों के लिए माफ कर दीजिए। जिसके लिए हम नहीं जानते कि

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

हम क्या करें।" उसके बाद आपने कहा है, 98,57,199 रुपयों को कैसे छोड़ा जाए ?" जिनका उन्होंने अब पकड़े जाने के बाद पूर्णतया भुगतान कर दिया है। और तब उन्होंने कहा है, 'कृपया माफ कर दीजिए।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मानक प्रत्येक व्यक्ति, सभी कर अपवंचकों पर लागू होता रहेगा। जब एक बार वे पकड़े जाते हैं, यदि वे माफी मांग लेते हैं और आपको माफी देने की प्रार्थना करते हैं, तो आप उनके साथ माफी मांगने वाले अपराधियों का-सा व्यवहार करने के लिए तैयार हैं और उन पर लगा अंकुश हटा लेते हैं। क्या यही स्थिति है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं स्थिति के बारे में बताऊंगा।

श्री भगवत झा आजाद : उसमें दोनों प्रकार की स्वीकारोक्तियां होनी चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सभी छः महीनों में वे यह कहते रहे थे कि सरकार कमजोर आधारों पर छापे मार रही है और यह कि वे यह कह रहे हैं और उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं हैं।

इससे बड़े निगमित क्षेत्रों का यह अपराध स्वीकार करना स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि, "हमने वैसा किया है।" इससे समस्त व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाती है और सरकारी दृष्टिकोण न्यायोचित ठहरता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : निस्सन्देह।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : यह कार्यवाही न्यायोचित है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम यह जानना चाहते हैं कि इन छापों तथा तलाशियों के बाद क्या कार्यवाही होगी। तलाशियां तथा छापे मारना बहुत अच्छी बात है इससे बहुत-सी बातें प्रमाणित हुई हैं और जैसा कि आप कहते हैं, इससे आपने बुराई पर चोट की है। लेकिन अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में जो कुछ किया जाने वाला है उसके बारे में हमें गम्भीर सन्देह हैं। कुछ लोगों को जिन्हें आपने माफ नहीं किया है उनके खिलाफ किसी प्रकार के औपचारिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं। लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। वे मामले वर्षों तक चलते रहेंगे। कानून में कई खामियां हैं। मेरा मतलब यह है कि, क्या आप कोई व्यापक कानून लाने की सोच रहे हैं जो सभी खामियों को दूर कर देगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी, हां।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन बड़ी फर्मों द्वारा लगाए गए वकील इन मामलों को वर्षों तक घसीटने

और रोकादेश लेने में समर्थ हैं।...

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जुलाई में हम एक प्रत्यक्ष कर संहिता ला रहे हैं जिसमें सभी प्रत्यक्ष कर एक संहिता में आ जाएंगे और उसके द्वारा हम सभी खामियों को समाप्त कर देंगे। श्री किर्लोस्कर ने भी यह स्वीकार किया है कि उन्होंने पूर्व स्वीकृति नहीं ली है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वास्तव में, मेरा मतलब यह नहीं है कि इन छापों के दौरान लोगों को अमानवीय ढंग से व्यवहार करना चाहिए। यही सब कहा जा रहा था और किया जा रहा था। यह ठीक है कि आप मार्गदर्शी सिद्धान्त दे रहे हैं। लोगों को सही समय पर खाना लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। वे अगर चाहते हैं तो उन्हें एक डाक्टर को बुलाना चाहिए।...(व्यवधान) बच्चों के स्कूल ले जाने वाले थैलों की तलाशी लेने के बाद उन्हें जाने दिया जाना चाहिये। यह सब मार्गदर्शन में है। मैंने उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ा है। यह ठीक है। उन सबके बारे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनुवर्ती कार्यवाही सख्त होनी चाहिए। और इन लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि जब इन लोगों को भारी मात्रा में देश के धन का गोलमाल करके बच निकलने दिया जाता है तो हम संसाधनों की कमी की इस बात को गले उतारने के लिए तैयार नहीं हैं।

अब मैं एक और दो बातें और कहूंगा। एक बात व्यापार सन्तुलन के बारे में है। यह घाटे का एक बड़ा कारण है। 1985-86 के बारे में यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष के अन्त तक व्यापार घाटा 8500 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है। यह शिकायत की गई है कि हमारी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की ऊंची लागत के कारण, हम इन बाजारों में प्रतिस्पर्धा में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं और हमें निर्यात को राज सहायता देनी पड़ती है। निर्यात सम्बन्धी राज सहायता देनी पड़ती है। इसका परिणाम यह है कि विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सरकार पर अधिक वाणिज्यिक ऋण लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं; यद्यपि मंत्री महोदय कई बार यह कह चुके हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन दबाव काफी स्पष्ट है यदि कोई व्यक्ति आर्थिक पत्रिकाओं तथा कागजातों को पढ़े तो उसमें देखेगा कि विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्राधिकारियों द्वारा हमें लगातार वाणिज्यिक ऋण लेने की सलाह दी गई है। पिछले छः वर्षों में भारत को दिए गए ऐसे ऋण यानि कि वाणिज्यिक ऋण – मैं सही-सही नहीं जानता, मेरे कथन रुपए की जांच की जाए—9000 करोड़ रुपए का था। इन ऋणों पर भारी ब्याज देना पड़ता है और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का भुगतान इस वर्ष से शुरू हो रहा है। इसलिए इन सब को एक साथ लिया जाए तो ऋणों का भार निर्यात आय के लगभग 21 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। हमें निर्यात से जो कुछ आय होती है उसका 21 प्रतिशत लिए गए ऋणों का ब्याज चुकाने में चला जाएगा। यदि यह बात सत्य है तो हम निश्चित रूप से एक गम्भीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि यह वह समस्या है जिसका सामना अधिकांश विकासशील देश कर रहे हैं। हम यह दावा करते है कि हम कई अन्य विकासशील देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में हैं तथा मजबूत हैं लेकिन यह भी काफी खराब स्थिति है। हो सकता है यह इतनी खराब न हो जितनी की कुछ लेटिन अमरीकी देशों की है। लेकिन यह काफी खराब है।

रुपए की वास्तविक विनिमय दर के लिए भी दबाव जारी है। हमने सरकार से यह आश्वासन

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

देने के लिए बार-बार कहा है कि हम रुपए का औपचारिक अवमूल्यन नहीं कर रहे हैं। पिछले पांच सालों में हम रुपए का डालर की तुलना में 39.06 प्रतिशत तक पहले ही अवमूल्यन कर चुके हैं। जापानी येन की तुलना में इसका 42.78 प्रतिशत की दर तक अवमूल्यन किया गया है। इसलिए, मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार का इस समस्या से किस प्रकार निपटने का विचार है।

मुझे खुशी है कि उन्होंने देश में आयात की जाने वाली कुछ पूंजीगत वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क में वृद्धि की है। मैं नहीं समझता कि जो वृद्धि की गयी है वह पर्याप्त है क्योंकि पिछले वर्ष के दौरान भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स, दि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, दि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन इत्यादि जैसे कुछ एककों को कुछ नुकसान पहले ही पहुंचाया जा चुका है। मशीन टूल्स तथा अन्य पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए इतनी अधिक सरकारी निधियों से स्थापित किए गए। इन बड़े संयंत्रों में उपयोग में न लाई गई क्षमता, क्षमता के बेकार होने के कारण भारी हानि उठा रहे हैं।

1,249 करोड़ रुपयों का बैंक ऋण हैं जो 75,000 एककों में बेकार पड़ा है, जिन्हें अक्षम घोषित कर दिया गया है। यह लगभग उस वसूली के बराबर ही है जिसकी हमने बजट आने से पहले की गई पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि से आशा करते हैं। लगभग उतनी ही धनराशि बैंक ऋण के 75,000 अक्षम एककों में बेकार पड़े रहने से समाप्त होने वाली है।

इस बार इस्पात, इलैक्ट्रानिकी, सरकारी उद्यमों, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, बिजली, दूर-संचार और नागर विमानन के लिए बजट सहायता को लगभग 7000 रुपए तक कम कर दिया गया है। ये सभी महत्वपूर्ण, आधारभूत, राष्ट्र-निर्माण, और अर्थव्यवस्था के निर्माण करने वाले क्षेत्र हैं।

यह वाद-विवाद समस्त बजट प्रक्रिया की मात्र समीक्षा भर है। मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि स्थिति नितांत गम्भीर है। हम सरकार की चिन्ता में उसके साथ हैं और उसे कम करके आंकने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि समग्र देश में इस समस्या का हल ढूंढने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सही कदम उठाए जाने चाहिए।

उन्होंने कुछ रियायतों की घोषणा की है। इन सब तथ्यों तथा आंकड़ों को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन, मैं यह सुझाव देते हुए अथवा यह अनुरोध करते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा कि क्या इन दो छोटी-छोटी रियायतों पर भी विचार किया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि उनसे राजस्व पर कोई बड़ा असर पड़ेगा। एक यह है कि अपरिष्कृत "काटन बैल्टिंग" पर उत्पादन शुल्क में पहले ही छूट है। मुझे बताया गया है कि परिष्कृत "कॉटन बैल्टिंग" को लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है, लेकिन इसे इस छूट का लाभ नहीं दिया गया है। इसलिए यह छूट परिष्कृत 'कॉटन बैल्टिंग' पर भी दी जानी चाहिए।

मैं नहीं जानता कि उस वस्तु के बारे में विद्यमान स्थिति क्या है जो विलासिता की वस्तु तो बिल्कुल नहीं है और जिसका हम सब यहां उपयोग कर रहे हैं, और वह हैं चश्में। यहां, लेंस और फ्रेम, दोनों ही लघु उद्योग क्षेत्र में बनाए जाते हैं। परन्तु इस पर कर, बिक्री कर इत्यादि लगाए जाते हैं। बिक्री कर के बारे में आप कह सकते हैं कि यह राज्य सरकार का मामला है। परन्तु, उदाहरण के लिए दिल्ली में, कम से कम आप कुछ कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि सामान्य चश्मों अथवा लेन्सों और इसके साथ ही साथ फ्रेम जैसी वस्तुओं, जिनकी कीमत एक निश्चित सीमा तक हो सकती है, को भी कर मुक्त क्यों नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि आजकल गरीब लोगों सहित सभी लोगों को ऐनकों, चश्मों का प्रयोग करना होता है। आपको उन लोगों की इस छोटी सी वस्तु को कर-मुक्त करने के बारे में विचार करना चाहिए। इससे आपको अधिक आय प्राप्त नहीं होगी।

यही सब मुझे कहना था। मैंने कुछ समस्याओं को उठाया है और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर अपना निर्णय देंगे ताकि देश को इस बात के संकेत मिल सकें कि अगले वर्ष हमें किस प्रकार से कार्य करना है। मैं इस समय इससे अधिक और कुछ नहीं कहता क्योंकि अब वेतन आयोग की रिपोर्ट, जो आने वाली है, सहित बहुत से प्रश्नों पर विचार करना है। यह धन राशि कहां से आएगी, मैं नहीं जानता। निश्चय ही, इसके लिए अनुदान की अनुपूरक मांगें रखी जायेंगी। उन्हें इस बारे में हमें बताना चाहिए क्योंकि उनके अपने लाखों कर्मचारी वेतन आयोग की सिफारिशों की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री विपिनपाल दास (तेजपुर) : महोदय, सर्वप्रथम मैं मंत्री महोदय को बहुत ही यथार्थवादी और दूरदृष्टि पूर्ण बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने बजट बनाने में सुसंगत नीतियां अपनायी हैं। मंत्री महोदय में पिछले वर्ष इतना अधिक आत्मविश्वास नहीं था जितना इस वर्ष है। मैं समझता हूं कि पिछले वर्ष के बजट के अच्छे परिणाम निकले हैं और उससे उनमें अधिक विश्वास आया है।

मैं उन्हें लघु उद्योग क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष रूप से प्रदान की गई बहुत सी रियायतों के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। उनके बजट की मूल विशेषता यह है कि वह सुसंगत नीतियों का पालन करते हैं। मैं उन्हें विशेष रूप से उनके द्वारा दिए गए इस आश्वासन के लिए भी बधाई देता हूं कि वह छापों और तलाशी लिए जाने के कार्य जारी रखेंगे।

राजस्व नीतियों की बात करने से पहले मैं बढ़ते हुए मूल्यों का उल्लेख करना चाहता हूं। हर क्षेत्र में इस सम्बन्ध में आलोचना हुई है और घाटे के बजट की तो विशेष रूप से आलोचना हुई है। मैं अवश्य ही यह स्वीकार करता हूं कि इस समय हुई मूल्य वृद्धि ने सभी लोगों को प्रभावित किया है और इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों में आक्रोश दिखाई देता है। परन्तु हमारे आलोचकों से केवल कुछ प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं।

सर्वप्रथम, मूल्य वृद्धि के बावजूद भी ऐसा क्यों है कि वस्तुओं की बिक्री हो रही है ? पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि के बावजूद ऐसा क्यों है कि वाहनों की संख्या प्रतिदिन और प्रत्येक माह बढ़ रही है ?

[श्री विपिनपाल दास]

बाजार को न तो क्षति हुई है और न ही बाजार मन्दा हुआ है।

मैं अपने आलोचकों से दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि विश्व में कौन सा देश आज इस समस्या का सामना नहीं कर रहा है। मूल्य वृद्धि आज सम्पूर्ण विश्व में हो रही है।

मेरा तीसरा प्रश्न यह है वित्त मंत्री के लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है. यह मूल बात है, कि क्या अर्थव्यवस्था का यह मूल तथ्य नहीं है कि अर्थव्यवस्था का विकास अथवा विकसित अर्थ-व्यवस्था हमेशा मूल्य वृद्धि के साथ जुड़ी हुई है।

मेरे विचार से एक सीमा के भीतर कुछ मुद्रा स्फीति और घाटे का बजट प्रस्तुत किए बिना किसी विकासशील देश में अर्थव्यवस्था का विकास लगभग असम्भव है। यह केवल अनिवार्य ही नहीं है अपितु यह अपरिहार्य है। यदि मुद्रा स्फीति की दर और घाटे का बजट शून्य पर आ जाता है तो मुझे डर है कि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाएगी और गतिहीन हो जाएगी।

घाटे के बजट के बारे में कुछ शब्द और कहने हैं। पहली योजना शुरू करने से पहले सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो० निकोलस कालदर को घाटे के बजट के बारे में सरकार और योजना आयोग को सलाह देने के लिए आमंत्रित किया था। हमारी पहली योजना बहुत छोटी थी यह 2000 करोड़ रुपए की योजना थी। कुछ लोगों ने इसे 'प्रथम सहायता योजना' का नाम दिया। उस समय भी, हमारी अर्थव्यवस्था की उस अवस्था में, प्रो० कालदर का यह मत था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पांच वर्षों में 800 करोड़ रुपए तक घाटे का बजट पेश किए जाने की क्षमता है। यदि ऐसा हो सकता है तो इस समय इतने रुपए घाटे के बजट से हमें बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है जबकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में केवल हमारे सरकारी क्षेत्र का पूंजी निवेश 180,000 करोड़ किए जाने का प्रस्ताव है।

हमारी अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ और लचीली हो गई है इसलिए चिन्ता की कोई बात नहीं है। मेरे विचार से, बिना जोखिम उठाए और सुदृढ़ कदम उठाए बिना आप हमारी अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से आगे बढ़ने की आशा नहीं कर सकते। बजट गृहिणी का तुलन-पत्र अथवा घर की आय और व्यय का विवरण नहीं है। यह इससे अधिक कुछ है और मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा।

मेरे विचार से, राजस्व नीति के तीन मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य विकास, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। दूसरा संसाधनों को उपलब्ध कराना और तीसरा सामाजिक और क्षेत्रीय दोनों विषमताओं को कम करना है। बहुत समय पहले से मेरा यह मत है कि केवल मात्र उत्पादन वृद्धि हमारी अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। मैं उल्लेख करना चाहता हूं और मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस बात पर ध्यान दें कि 1972 में मैंने इस विषय पर एक नोट लिखा था और तत्कालीन योजना मंत्रालय द्वारा संसद सदस्यों विशेष रूप से सलाहकार समिति के सदस्यों के बीच उस नोट को परिचालित किया गया था। उस नोट में मैंने

सारी बात स्पष्ट की इसलिए आज इसे फिर स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

विकास को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यदि हम कमजोर नींव पर विकास की गगनचुम्बी मीनार बनाना चाहें तो वह मीनार किसी भी दिन गिर सकती है। हमें अवश्य ही सुदृढ़ और व्यापक आधारशिला बनानी चाहिए और उसके बाद हमारे विकास के ढांचे को पिरामिड की तरह उस आधारशिला पर बनाना होगा। यह प्रक्रिया कुछ धीमी अवश्य हो सकती है परन्तु यह दृढ़ और स्थाई होगी। मजबूत और स्थिर सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं 1972 में दिल्ली में हुए फिक्की सम्मेलन में इन्दिरा गांधी जी द्वारा कही गई बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है अत्यधिक ध्यान और बल आम खपत की वस्तुओं पर दिया जाना चाहिए लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।

संसाधन जुटाए जाने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने कुछ कदम उठाए हैं। मैं कुछ और भी कदम उठाए जाने का सुझाव देता हूं। संसाधनों के मुख्य स्रोत के रूप में सरकारी क्षेत्र को अधिक शक्तिशाली और अधिक सक्षम बनाया जाना चाहिए। प्रबन्धकों को अवश्य ही कार्यक्षमता और उत्तरदायित्व की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए अथवा अपना पद छोड़ देना चाहिए। दूसरा आय और व्यय की सीमा निर्धारित की जाना चाहिए। तीसरा, विशिष्ट उपभोग की वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। चौथे, विलास की वस्तुएं केवल निर्यात के लिए रखी जानी चाहिए। पांचवें, खाद्य पदार्थ, सस्ता कपड़ा, सस्ता मकान बनाने की सामग्री, सामान्य दवाइयों और स्कूल शिक्षा के साधनों जैसी वस्तुओं पर न्यूनतम अथवा बिल्कुल भी कर नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा विलास की वस्तुओं का आयात नहीं किया जाना चाहिए। छापे तथा तलाशियां अवश्य जारी रहनी चाहिए और प्रशासन के समस्त अनावश्यक व्यय में कटौती की जानी चाहिए।

महोदय, समाज तथा क्षेत्रों के बीच काफी असमानता विद्यमान है। इसे कम किया जाना चाहिए। मन्त्री महोदय ने गरीबी के खिलाफ चलाए गए कार्यक्रमों में तेजी लाने की आवश्यकता के बारे में काफी जागरूकता दिखाई है। महोदय, हमारी जनसंख्या का 37 प्रतिशत भाग अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे है। हमारा देश तब तक 21वीं शदी में नहीं पहुंच सकता जब तक गरीबी, यानि कि बेरोजगारी अथवा अपूर्ण-रोजगार को पूर्णतया जड़ से समाप्त न किया जाए। यदि कार के पिछले पहियों में या तो पंक्चर हो अथवा ब्रेक लगे हों तो कार के अगले पहिए आगे नहीं चल सकते हैं। हमें न केवल गरीबी के खिलाफ चलाए गए कार्यक्रमों में ही तेजी लानी है बल्कि पूंजी-प्रधान परियोजनाओं की बजाए श्रम-प्रधान परियोजनाओं पर भी पर्याप्त बल देना है। वित्तीय तथा मुद्रा सम्बन्धी नीतियां बनाते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए।

समाज के मध्यम वर्ग तथा ऊंचे वर्ग द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जा सकता है, परन्तु जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे या गरीबी की रेखा से मामूली-से ऊपर रह रहे हैं उनके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाया जाना चाहिए। मैं एक तरफ गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों तथा दूसरी तरफ संगठित कामगार

[श्री बिपिन पाल दास]

वर्ग तथा निचले मध्यम वर्ग के बीच भी अन्तर करना चाहूंगा। इनके बीच काफी अन्तर है। वास्तव में गरीब व्यक्ति न तो बोल सकता है, न संगठन बना सकता है अथवा न हड़ताल कर सकता हैं। वे दबाव नहीं डाल सकते हैं अथवा मांग नहीं कर सकते हैं। वे विकासशील क्षेत्र में क्या हो रहा है, यहां तक कि उनके लाभ के लिए बनाई गई योजनाओं के बारे में भी बिल्कुल अनजान रहते हैं। सभी वर्गों को जिन्होंने विकास का कुछ लाभ उठा लिया है। कुछ समय के लिए और मांगें नहीं करनी चाहिए तथा गरीब लोगों को इनका लाभ उठाने देना चाहिए।

महोदय, देश में क्षेत्रीय असंतुलन के कारण कई कठिनाइयां हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इसको नोट करेंगे। हमारी सभी आर्थिक नीतियों का उद्देश्य इस असंतुलन को समाप्त करना होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, बिहार में विपुल संसाधन हैं, लेकिन वहां के लोग गरीब हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रों, जिनमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र भी शामिल है, का भी है। विकसित क्षेत्रों का और विकास होने दीजिए लेकिन उन्हें अपने विकास का लाभ पिछड़े क्षेत्रों को भी लेने देना चाहिए। कृषि, उद्योग, आधारभूत ढांचों इत्यादि के क्षेत्र में सरकारी नीति में अधिक बल पिछड़े क्षेत्रों के हक में दिया जाना चाहिए।

अब अन्त में मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से केवल पांच या छः प्रश्न, वह भी अपने क्षेत्र के बारे में पूछूंगा। महोदय, असम में हम भारत में पैदा होने वाली कुल चाय का 56 प्रतिशत उत्पादन करते है और हम चाय का उत्पादन करने में सर्वप्रथम हैं। फिर ऐसा क्यों है कि असम में पैदा की जाने वाली चाय के लिए भारत के अन्य क्षेत्रों में पैदा होने वाली चाय की तुलना में अधिक उत्पादन शुल्क का भुगतान करना पड़ता है? दूसरे, ऐसा क्यों है कि असम में पटसन की कीमत बहुत ही कम है और भारतीय पटसन निगम सीधे उत्पादकों से पटसन क्यों नहीं खरीदता है और उन्हें मानक मूल्य का भुगतान क्यों नहीं करता है? वे बिचौलियों को इस कार्य के लिए क्यों लगाते हैं जो उत्पादकों से बहुत ही कम मूल्य पर पटसन खरीदते हैं और तब इस बाजार में बहुत ही ऊंचे दामों में बेचते हैं? भारतीय पटसन निगम क्या कर रहा है? वास्तविक उत्पादकों से निर्धारित मूल्य पर पटसन खरीदने की उनकी जिम्मेदारी है।

महोदय, तेल पर लगी रायल्टी के बारे में आपका क्या विचार है? हम यह सुनते आ रहे हैं कि इसकी घोषणा की जाएगी। हम यह सुनते आ रहे है कि यह होने वाला है और सरकार शीघ्र ही तेल पर लगने वाली रायल्टी की घोषणा करने वाली है। लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय या तो खुद इसकी घोषणा कर दें अथवा सरकार से बढ़ी हुई रायल्टी की यथाशीघ्र घोषणा करने के लिए कहें। महोदय, असम के तेल क्षेत्रों में प्रतिदिन लाखों क्यूबिक मीटर गैस जल रही है। लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं किया गया है। वे इसका उपयोग बिजली उर्वरक आदि का उत्पादन करने में कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए इसे उपयोगी बनाया जा सकता है। पुनः असम समझौते में सरकार द्वारा एक नये तेल शोधक कारखाना लगाने का वचन दिया गया था। उस प्रस्ताव का क्या हुआ? मैं समझता हूं कि उस बारे में अब तक कुछ नहीं किया गया है।

मेरा माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे इसे सम्बन्धित मंत्रालय के समक्ष रखें।

अब, चाय बोर्ड के बारे में मैंने कहा था कि हम भारत में सबसे अधिक मात्रा में चाय का उत्पादन करते हैं। लेकिन चाय बोर्ड का कार्यालय कलकत्ता में स्थित है। हम यह मांग करते आ रहे हैं कि यह कार्यालय असम में होना चाहिए। उन्होंने हाल ही में गोआहाटी में चाय बोर्ड का अधीनस्थ कार्यालय खोला है। लेकिन प्रत्येक कार्य का नियंत्रण कलकत्ता से होता है। यह ठीक होगा यदि अधीनस्थ कार्यालय को कार्य करने का पूर्ण अधिकार दिया जाए। लेकिन आज प्रत्येक कार्य कलकत्ता से नियंत्रित होता है। हमारे बेरोजगार युवा लड़के चाय उत्पादक, चाय बागान मालिक, चाय के दलाल तथा वे अन्य सभी लोग इस कारण दुःख क्यों उठाएं ? मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय इस मामले को सम्बन्धित मंत्रालय के साथ उठाएं। मैं समझता हूं कि या तो चाय बोर्ड का कार्यालय असम में स्थापित किया जाना चाहिए अथवा गोआहाटी स्थित स्थानीय कार्यालय को पूर्ण प्राधिकार के साथ काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा वर्मा (खेरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया है, उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूं। मैं सदन का अधिक समय न लेकर कुछ बातें ही सदन के सामने रखूंगी।

जहां तक हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों का सवाल है, यह सही है कि बीस-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत शासन ने हमारे देश के गरीबों के लिए काफी हद तक सुविधाएं पहुंचाई हैं लेकिन कुछ मामलों में देखने में आया है कि अपनी शर्तें मनवाने के चक्कर में निर्धन लोग बैंकों का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कहीं-कहीं पर कमीशन के मामले प्रकाश में आते हैं। जब तक उनका कमीशन तय नहीं होज ाता है, बैंकों से जो कर्ज लेते हैं, पूरा कर्ज उनको नहीं मिल पाता। अगर कहीं 10 हजार का कर्ज लिया है, तो उसको केवल 8 हजार ही प्राप्त होते हैं। मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस चीज को देखा जाए और गरीबों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं पहुंचाई जाएं।

1.00 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

इसी तरीके से जो हमारा आई० आर० डी० की स्कीम है, उसमें लोगों ने कर्जे लिए हैं, पैसे लिए हैं। लेकिन लोगों को तब तक पूरा पैसा या कर्जा नहीं मिलता जब तक कि देने वालों को कमीशन नहीं मिलता। इस तरह से कर्ज की रकम में से काफी कटौती की जाती है। यहां तक देखा गया है कि महीनों तक लोग दौड़ते रहते हैं और उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिए। हालांकि कहा तो यहां तक जाता है कि शासन बहुत कुछ मदद कर रहा है लेकिन गरीबों तक वह मदद उतनी नहीं पहुंच पा रही है जितनी कि पहुंचनी चाहिए।

[श्रीमती ऊषा वर्मा]

ये शिकायतें मुझे अपने क्षेत्र में तो मिली ही हैं जब मैंने वहां का दौरा किया। उस क्षेत्र की शिकायतों के साथ-साथ बाकी प्रदेश के आम लोगों की ये शिकायतें हैं और पूरे प्रदेश से ये शिकायतें मिल रही हैं।

मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे निर्धनतम लोगों को अधिक उदार तरीके से कर्ज उपलब्ध करायें जिससे कि शासन जितना लाभ उन लोगों को देना चाहता है उसका पूरा-पूरा लाभ उनको मिल सके। यहां तक देखा गया है कि अधिकतर अधिकारी लोगों का इसमें हाथ रहता है जिससे कि निर्धन लोग पूरे लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं।

वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान मैं पे-कमीशन की रिपोर्ट की तरफ भी आकृष्ट करना चाहूंगी। समाचार पत्रों में आजकल कुछ-न-कुछ इस विषय पर टिप्पणियां आ रही हैं। कुछ समाचार पत्रों के अनुसार पे-कमीशन की रिपोर्ट सरकार को दी जा चुकी है। क्या यह सच है? और अगर नहीं तो कब तक यह रिपोर्ट सरकार को मिलने की सम्भावना है?

सरकार रेड्स करके भ्रष्ट अधिकारियों व काला बाजारियों का पर्दाफाश कर रही है। यह हर्ष का विषय है। इसके लिए मैं वित्त मन्त्री को बधाई देती हूं। लेकिन यह ध्यान देने की बात है कि निर्दोष लोग इसमें न फंसें।

मेरे संसदीय क्षेत्र लखीमपुर खीरी में एक उच्च शक्ति टी० वी० टावर की सिफारिश सूचना व प्रसारण मन्त्रालय द्वारा वित्त विभाग को भेजी गई है। मेरा वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि जनता की चिर-प्रतिक्षित इस मांग को ध्यान में रखकर वित्तीय संस्तुति प्रदान करें।

यहां पर मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र मीरा में शारदा नदी के कटान की भयावह स्थिति के बारे में भी उल्लेख करना चाहूंगी। इस क्षेत्र की लगभग 10 हजार एकड़ जमीन नदी के कटाव से इस साल कट गई है और हजारों लोगों के रिहाइशी मकान कटान के ग्रास बन चुके हैं। हर साल जान-माल का नुकसान यह नदी करती है। उत्तर प्रदेश सरकार से कई बार मौखिक रूप में और लिखित रूप में भी इस समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना की गई है। करीब तीन महीने पहले इस क्षेत्र के बहुत काफी लोग यहां आए थे। उनकी जमीनों का कटान होने के बावजूद, काफी दिनों तक वे यहां पड़े रहे। प्रधान मन्त्री जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। अभी तक शारदा नदी के कटाव से जिन लोगों की जमीनें कट गई हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारी सरकार गरीबों के लिए सब कुछ कर रही है। मैं चाहूंगी कि जिन लोगों की जमीनें कट गई हैं उनको अन्य जगह बसाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

मैंने इस सम्बन्ध में अपने प्रदेश में भी और यहां पर भी काफी प्रयास किया। मुझको शासन की तरफ से जवाब मिले कि जो इस सम्बन्ध में पहल करते हैं उनके लिए व्यवस्था की जाती है। बाकी लोग रह जाते हैं। हमारी सरकार ग्रामीण अंचलों के, ग्राम के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती

है। लेकिन जब यहां सवाल उठाया जाता है तो यहां यह कहा जाता है कि शहर के लिए कुछ कीजिए। गांवों में जो रहने वाले लोग हैं, जिनकी जमीनें कट गई हैं उनको कहां ले जाकर बसाया जाए। शहरों में तो इतनी जमीन है नहीं जहां पर कि उनको बसाया जा सके। इसलिए मेरा वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि उनके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जब हम यहां पर बात करते हैं तो कहा जाता है कि यह प्रदेश लेवल का काम है। लेकिन इस समस्या को प्रदेश वाले भी नहीं सुलझा सकते। वे कहते हैं कि हमारे यहां धन की कमी है। इसलिए वित्त मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे इस सम्बन्ध में यहां से ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध करायें जिससे कि इस समस्या का समाधान किया जा सके।

इस सम्बन्ध में पहले भी जो लोग यहां पर बसे थे, तो 1977-78 में वर्मा जी ने उन लोगों को प्रधान मन्त्री जी से मिलाया था और उनको मिलाने के बाद कुछ योजनाएं ऐसी बनाई गई थीं कि हमारे जो बांध हैं, तट हैं, नदी के किनारे और तट जो काफी कटान करते हैं वहां पर पक्के बांध बना दिए जांएं, तभी कटान रुक सकता है। मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि इस पर भी ध्यान दिया जाए और उन तटों को पक्का करवाया जाए। यह काम केन्द्र से ही हो सकता है, क्योंकि प्रदेश स्तर पर इन कामों में बहुत ढिलाई बरती जा रही है। उनसे जब कहा जाता है तो बताया जाता है कि धन नहीं है। इसलिए मेरा माननीय वित्त मन्त्री जी से अनुरोध है कि इसके लिए केन्द्र से धन दिया जाए, जिससे इस समस्या का समाधान हो सके।

इसी तरह से मेरे क्षेत्र में परिवहन की समस्या है। इसके लिए भी जब परिवहन मन्त्री जी से बात की जाती है तो धन की कमी की बात कही जाती है। कभी यह कहा जाता है कि यह प्रदेश का मामला है। आबादी काफी बढ़ गई है और इसके साथ-साथ परिवहन की समस्याएं भी बहुत बढ़ गई हैं। इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। धन की कमी की बात हर जगह बताई जाती है, लेकिन इस समस्या की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। मेरे क्षेत्र की परिवहन की समस्या चाहे सड़क सम्बन्धी हो या रेल सम्बन्धी, मन्त्री जी से निवेदन है कि वे इसकी ओर ध्यान दें। इसके लिए अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए और यह वित्त मन्त्री जी के ऊपर निर्भर करता है, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। यही निवेदन करते हुए मैं वित्त-विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा लाए गए वित्त विधेयक का मैं समर्थन करते हुए कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, बजट एक ऐसी चीज है, जिसको खूब सोच-समझकर बनाया जाना चाहिए और मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय ने काफी सोच-समझकर बजट बनाया है, लेकिन फिर भी इसके बाद भी इसकी क्यों जरूरत पड़ी कि इतने परिवर्तन इसमें करने पड़े। इन परिवर्तनों को देखते हुए यह लगता है कि पहले से इसको काफी विचार करके बनाया जाना चाहिए था। तलाशी के नियमों में परिवर्तन किया गया। आखिर इसकी आज क्यों जरूरत महसूस हुई कि यह परिवर्तन किया गया जब कई बेकसूर लोग और वे लोग जिन्होंने मेहनत से अपनी इज्जत कमाई है। ईमानदारी से पैसा कमाया है, वे भ्रष्ट अधिकारियों की नाराजगी के कारण बदनाम हुए। मैं अपने क्षेत्र के एक-दो आदमियों की बात बताना चाहता हूं, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जिनकी प्रतिष्ठा है, और जो

[श्री शांति धारीवाल]

ईमानदार हैं, उनके यहां छापा डाला गया और अखबारों में छपवाया गया कि क्या-क्या सामान मिला, इसकी लिस्ट बनवाई गई। एक लाख रुपये फिक्स्ड डिपाजिट कर रखा है, वह सर्टिफिकेट पकड़ा गया, एक लाख रुपये की लाइफ इंश्योरेंस की रसीदें पकड़ी गईं, जो उन्होंने अपने इंश्योरेंस के खाते में जमा किया था। इसी प्रकार से अधिकारी ईमानदार व्यक्तियों को तलाशी के नियमों की आड़ में बदनाम करते रहे। यह कोई छिपने वाली बात है कि उसके यहां दो स्कूटर पकड़े गए, एक कार पकड़ी गई, एक रेफ्रीजरेटर पकड़ा गया, एक देशी टेलीविजन पकड़ा गया, लेकिन इस बात का प्रचार किया गया। मेरा वित्त मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि जब इतने रेड्स हो चुके हैं, इसके बाद आपने इन नियमों में परिवर्तन किया, तो जिन लोगों की बेइज्जती हो चुकी है···।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

श्री शांति धारीवाल : नियमों में नहीं तो तरीकों में परिवर्तन किया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : तरीकों में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

श्री शांति धारीवाल : तो फिर किसमें परिवर्तन किया गया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उनको गाइडलाइंस दी गई हैं। आपको यह भ्रम है कि कानून में कोई परिवर्तन किया गया है।

श्री शांति धारीवाल : चाहे गाइडलाइन्स दी गई, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : गाइडलाइन्स इसलिए कि उनकी मांग है, इसलिए गाइडलाइन्स दी गई, नियमों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

श्री शांति धारीवाल : मैं यही कह रहा हूं कि गाइडलाइन्स में परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप उनको गाइडलाइन्स दीजिए जो ये काम कर रहे हैं, जो काला धंधा कर रहे हैं, उनको गाइडलाइन्स दीजिए।

श्री शांति धारीवाल : मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि उन लोगों को तो छोड़ दिया जाता है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप काफी पैसा टैक्स का राज्य सरकार को बांटते हैं। आप क्यों नहीं राज्य सरकारों को पाबन्द करते हैं कि एक महीने में इतने अफसरों के यहां वे रेड करवाएं। आप उनसे फीगर्स लीजिए। एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट और डी०आर०आई० एजेंसी आपके पास है इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि छोटे-छोटे व्यापारियों के यहां जाकर परेशान करना और महीना बांध लेना, ऐसी शिकायतों पर आपके मन्त्रालय ने कितनी बार अमल किया है। इसका भी मूल्यांकन करना

चाहिए। यह बात ठीक है कि जिस तरह की कर चोरी होती है और जितनी आप रेड डालते हैं उससे दुगुनी, चौगुनी डालिए। लेकिन आदमी को देखकर डालिए। जो लोग शरीफ हैं···(व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका : ···**···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। इसे सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप अपनी बारी आने पर यह बात कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल : मेरी अर्ज यह है कि अगर रेड में काला धन पकड़ा जाता है तो उसका जबर्दस्त प्रचार होना चाहिए कि अमुक व्यक्ति के यहां रेड हुई है और इतना-इतना काला धन पकड़ा गया है। एल०आई०सी० में जमा की हुई रसीदें, फिक्स डिपाजिट का सर्टिफिकेट···(व्यवधान) अफसरों के यहां छापा डलवाने की जहां तक बात है, मेरा यही निवेदन है कि राज्य सरकारों को कहा जाए कि कोई न कोई निश्चित संख्या वे तय करें कि हर महीने इतने व्यक्तियों के यहां छापे डाले जाएं ताकि काले धन का पता चल सके। रियायतों की आपने घोषणा की है, स्वागत योग्य है। लघु उद्योग-पति शुरू में बड़ी शंका से पीड़ित और परेशान रहे, लेकिन आपने बाद में उनको राहत दी। मेरी अर्ज यह है कि लघु उद्योग वालों को कम से कम शुरूआत से ही छोड़ देना चाहिए, जिससे ये हतोत्साहित न हों और बढ़ते रहें वरना हमेशा वे यही सोचते रहेंगे कि हम पर कहीं तलवार न लटक जाए। बड़े उद्योगपतियों को आपने कई रियायतें दीं, ठीक है लेकिन कम से कम यह गारन्टी होनी चाहिए कि इन रियायतों से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी। अगर वृद्धि के लिए हां करते हैं तो उसका मूल्यांकन करवा लिया जाए। औद्योगिक उत्पादन में काफी वृद्धि होगी तो जरूर रियायतें देनी चाहिए। इण्डस्ट्रीज काफी सिक होती जा रही हैं, यह भी एक चिंता का विषय है। इस पर भी आपने बहुत कुछ किया है, वह स्वागत योग्य है लेकिन इस पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। सातवीं योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए एक लाख अस्सी हजार करोड़ के संसाधन जुटाने पड़ेंगे। यह भी विचारणीय विषय है कि क्या हम जुटा पायेंगे। अगर नहीं जुटा पाए तो घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लेना पड़ेगा जिसका देश पर बुरा असर पड़ सकता है। मेरा निवेदन है कि क्षमता का उपयोग 65 प्रतिशत से अधिक नहीं है यानी 33 प्रतिशत पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं यह बेकार पड़ी है। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सीमित संसाधनों का उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए कर सकेंगे। पब्लिक सैक्टर में चालीस हजार करोड़ रुपया उलझा हुआ है, काफी स्थिति पहले से सुधरी है, संतोषजनक मामला है। फिर भी सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा क्रियान्वित करने के लिए जितना हम सोचते हैं, क्या हम वह कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक स्पेशल सैल क्रिएट करना चाहिए और विशेषतौर पर इसके मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपसे यह भी निवेदन करना

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शांति धारीवाल]

चाहता हूं कि जो अच्छे मैनेजर्स प्राइवेट सैक्टर में हैं उनको पब्लिक सैक्टर में लाने के लिए उत्साहित किया जाए। उनको बुलवाइए, इन्वीटेशन दीजिए ताकि अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट हो और ज्यादा मुनाफा कमा सकें।

सेल्फ एम्प्लाएमेंट की स्कीम चल रही है। सारे देश में इसके लिए हल्ला है कि इसके चयन की प्रक्रिया गलत है। मैं आपसे व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार कह रहा हूं जो टास्क फोर्स कमेटी बनाई गई है अक्सर उसके 10-10, 20-20, 25-25 रिश्तेदारों को बल्कि उनकी पत्नियों को सेल्फ एम्प्लाएमेंट स्कीम के अन्तर्गत लोन दिया गया है। इसके बारे में शिकायतें की गई हैं लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यही हालत सेट-अप योजना की है। सेट-अप योजना में वह लोग जो म्यूनिसिपेलिटी में काम करते हैं, चाहे वह कमिश्नर हो, चाहे सीनिटरी इंस्पेक्टर हो उनकी पत्नियां उनके बच्चे लोन लेते हैं लेकिन उनके जो वाजिब हकदार हैं उनको लोन नहीं मिल पाता है। इसके चयन की प्रक्रिया में कोई न कोई अच्छा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आई०आर०डी०पी० की बाबत प्रसिद्ध बात है, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा। पशु जो इसके अन्तर्गत दिलवाये जाते हैं उन पर कम जोर दिया जाना चाहिए और ऐसी जमीनें जो री-क्लेम की जा सकती हैं वह पैसा री-क्लेम करके जमीन उन लोगों को बांटनी चाहिए। जमीन पक्की चीज है, न इसको ट्रांसफर कर सकते हैं न बेचान किया जा सकता है, इसी से वह कमा कर खाने की कोशिश करेगा।

पशुओं के बारे में प्रसिद्ध बात है। दो पशु दिलवाते हैं। बैंक मैनेजर, बी०डी०ओ० और वहां का वेटरनेरी डाक्टर यह तीनों मिलकर कभी-कभी जन प्रतिनिधि भी इसमें मिल जाते हैं क्योंकि वह भी पर्चेजिंग कमेटी के मेम्बर होते हैं, कभी प्रधान को भी ले लेते हैं, यह चारों मिलकर इस रकम को बांट लेते हैं। दो पशुओं के या दो भैंसों के लिए दस्तखत करवाते हैं, लेकिन देते एक हैं। ऐसे पचास केसेज मिल जाएंगे जो ऐसा धंधा करते थे और हमारे देखते-देखते वह आज लखपति हो गये हैं। यह कहां से हो गये हैं, यह देखने की बात है। पशुओं के बजाए जमीनों को री-क्लेम किया जाये और उनको जमीन दिलवायें। किसानों की प्राथमिकता जमीन है, अगर उसको जमीन उपलब्ध होगी तो वह जमीन चाहेगा, पशुधन को नहीं चाहेगा।

मैं दो मिनट और लूंगा। बैंक से ऋण लेते हैं तो स्टाम्प और डाक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने पड़ते हैं जिसकी सीमा तीन साल की है और तीन साल के बाद दुबारा स्टाम्प वगैरह भरने पड़ते हैं। यह क्यों ! आपने को-आपरेटिव बैंक को इसकी लिमिटेशन से एक्जम्प्ट कर रखा है तो यहां भी लिमिटेशन एक्जम्प्ट कर दीजिए। बैंक का अनावश्यक समय खराब होता है, आदमी का भी इसमें समय खराब होता है, खामखवाह पैसा खर्च होता है और आडिट ओब्जेक्शंस जो बैंक के आते हैं वह सबसे ज्यादा इसी बात पर आते हैं। इसलिए जब को-आपरेटिव बैंक में आपने एक्जम्प्ट कर रखा है तो इसको भी करिये। (व्यवधान)

एक आखिरी और रह गया है। आप भी उसकी प्रशंसा करेंगे। सभापति महोदय, अब तक तो

मेरी बात समाप्त हो जाती, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कई माननीय सदस्यों को बोलना है। कृपया अन्य सदस्यों को भी बोलने का मौका दें। कृपया एक मिनट के अन्दर अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल : मैं वित्त मन्त्री जी से एक और निवेदन करना चाहता हूं। एक और कमी है, काले धन की बात है। पांच लाख की आबादी से कम के गांव में कोई अपना काला धन जमीन खरीदकर उस पर संयंत्र खरीदने में लगाये तो आप उससे मत पूछिए कि पैसा कहां से आया है। इससे उत्पादन ही बढ़ेगा। आप इस स्कीम को आजमा कर देखिये कि कैसी चलती है।

श्री बापूलाल मालवीय (शाजापुर) : सभापति जी, काला धन जिसके पास होता है क्या वह जमीन खरीदने में ही लगाते हैं।

श्री शांति धारीवाल : जहां तक ऋण देने की बात है। जो छोटी-छोटी बैंकों की शाखाएं हैं इनकी पावर बढ़ानी चाहिए। क्योंकि वह चला जायेगा बैंक मेनेजर के पास और बैंक मेनेजर जायेगा रीजनल आफिस और रीजनल आफिस से जायेगा सेन्ट्रल आफिस। इसलिए ऋण देने की पावर है इसको डी-सेंटरलाइजेशन होना चाहिये। आज की तारीख में ऋण लेने वाला दिल्ली, जयपुर या अपने राज्य की राजधानी में जा-जाकर परेशान हो जाता है। अन्त में मैं आपके द्वारा लाया गया वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : सभापति महोदय, मैं फाइनैंस बिल, 1986 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी का ध्यान कृषि क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछले साल जब बजट पेश हुआ था तो उस समय भी मैंने आपके सामने एक डिमाण्ड पेश की थी और आज फिर उसी को दोहराना चाहता हूं कि हमारा ध्यान अभी तक ट्रैक्टरों और एग्रीकल्चरल इम्पलीमैंट्स की ओर नहीं गया है। आज भारतवर्ष में लोग मारुति कार तो 75 हजार रु० में खरीद लेते हैं परन्तु एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए लगभग एक लाख रुपये की आवश्यकता पड़ती है। जब हम इक्कीसवीं सदी की बात करते हैं और इस सदी के अन्त में पहुंच रहे हैं तो ऐसे समय में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सघन खेती की आवश्यकता है और सघन खेती कराने में इम्पलीमैंट्स और इनपुट्स में, भारत सरकार द्वारा बहुत बड़े सहयोग की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रैक्टर्स के दामों में, इम्पलीमैंट्स तथा खेती के काम आने वाले दूसरे औजारों के दामों में गिरावट लाने की दिशा में कदम उठाएं ताकि साधारण-से-साधारण किसान भी उनको खरीद कर प्रयोग में ला सके और पैदावार बढ़ा सके। अभी तक यह काम हो नहीं पाया है और हम इसमें बहुत पीछे हैं। इस ओर हमारा ध्यान बहुत कम जा पाता है क्योंकि हम एग्रीकल्चर सैक्टर की बात आते ही आर्गेनाइज्ड सैक्टर की ओर, इंडस्ट्रियल सैक्टर की ओर झुक

[श्री मनोज पांडे]

जाते हैं। मन्त्री जी अक्सर कहते हैं कि हम फर्टिलाइजर पर हर साल इतनी राशि खर्च करते हैं, ऐडिबल आयल पर इतनी राशि खर्च करते हैं, वे सारी बातें मैं मानता हूं लेकिन देश में खेती को बढ़ावा देने के लिए यदि इम्पलीमैंट्स के दामों में कमी नहीं की गई तो हमारे देश के मध्यम वर्गीय तथा छोटे किसान बैलों से खेती करा कर अपनी प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पाएंगे और इसमें आगे चलकर भारी गिरावट आने की सम्भावना है। इसलिए सभापति महोदय, मैं इस बात की पुरजोर डिमाण्ड करना चाहता हूं कि इनपुट्स के दामों में कमी आनी चाहिए और भारी कमी आनी चाहिए।

दूसरी बात, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार द्वारा देश के 100 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाने की बात कही गई थी। कृषि विज्ञान केन्द्र का कन्सैप्ट बहुत बढ़िया है जिसमें किसानों को इनपुट्स, बैंकिंग फाइनैंस और टैक्नीकल नो-हाऊ की जानकारी दी जाएगी। हमारी भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने कहा था कि हमारी लैबोरेटरीज में जो प्रयोग किए जा रहे हैं उनका लाभ किसानों तक पहुंचाया जाना चाहिए और इसी कन्सैप्ट से ओतप्रोत होकर कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाने की बात कही गई थी। यह बहुत अच्छी स्कीम है लेकिन मैं इसमें एक नया सुझाव यह देना चाहता हूं कि हमारे देश में जहां पूरी जनसंख्या का पांचवां हिस्सा एग्रीकल्चरल लेबर है, वहां किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस न मिलने के कारण उनका बहुत बड़ा भाग हर साल एग्रीकल्चर लेबर के रूप में परिणित होता जा रहा है, जो पहले स्माल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स थे। हमारे बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम और उड़ीसा, जहां से आप आते हैं, आपने स्वयं देखा होगा कि आजकल रबी का सीजन है और इन इलाकों में छोटे किसान को गेहूं की कीमत 110 रुपये से ज्यादा नहीं मिलती जब कि भारत सरकार द्वारा इसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 157 से 162 रुपये प्रति क्विंटल एनाउंस की गई है। इस तरह से यदि हम सब्सिडी के नाम पर हजारों और करोड़ों रुपया खर्च करते चले जाएं और छोटे किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी न दिला पायें, जिसके चलते, एग्रीकल्चर लेबर की संख्या में हर साल बढ़ोत्तरी होती चली जाए तो मैं समझता हूं कि एक गांव में, आज से 20 साल पहले यदि किसानों की संख्या 40 प्रतिशत थी और एग्रीकल्चर लेबर की संख्या 60 प्रतिशत थी, जो आज के दिन बीस प्रतिशत किसानों और अस्सी प्रतिशत एग्रीकल्चर लेबर का रेश्यो हो गया है। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्य जो यहां बैठे हुए हैं उनमें से जो खेती कराते होंगे उनको इस बात की जानकारी होगी कि उनके यहां काम करने वाले एग्रीकल्चर लेबर के पास आज से दस साल पहले अवश्य ही थोड़ी जमीन थी, भले ही वह 5 या 10 कट्ठे थी, लेकिन आज वह जमीन नहीं है। हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलती है। यह बात मैं यहां पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिलाना राज्य सरकारों के स्तर की बात है, लेकिन मान्यवर, यहां पर यह कह देने से काम नहीं चलता है। आखिर हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे मिलेगी, फिर हम यहां क्यों आये हैं, हमारे यहां आने से क्या फायदा है। इसलिए मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप किसानों को जरूर मुहैय्या कराएं। अगर आप किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुहैय्या करा दें और उनकी पैदावार का उन्हें उचित मूल्य दिला दें, तो फर्टिलाइजर पर जो आप दो-ढाई हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं, उस सब्सिडी की जरूरत हमें आगे पांच-सात

साल में नहीं पड़ेगी। यदि हम दो सौ रुपए प्रति क्विंटल धान का भाव और 220 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का भाव और इसी तरह से गन्ने का जो भाव आज है, उससे दो, चार या पांच रुपए ज्यादा भाव बढ़ाकर आप किसान को दे दें, या जितना खर्च किसान को खेती करने में पड़ता है, उसके अनुरूप उसकी पैदावार का दाम आप उसको दे दें, तो मैं आपको एश्योर करा सकता हूं कि हमें फर्टिलाइजर पर सब्सिडी नहीं चाहिए।

माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के किसानों ने तीन गुना प्रोडक्शन बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भर बना दिया है और भारत के किसानों की साख पूरी दुनियां में बढ़ी है, यह बहुत अच्छी बात है। तो क्यों न हम एक ऐसी प्राइस फिक्स करें जो उनके लिए उपयोगी हो और उनकी लागत के मुताबिक उनकी पैदावार के अनुकूल हो। इससे उनको जो अभी आप इतनी भारी राशि सब्सिडी पर खर्च करते हैं, उसकी उनको जरूरत नहीं रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, आप दो हजार करोड़ रुपये की राशि एडीबल ऑयल्स मंगाने पर खर्च करते हैं। आपने मस्टर्ड ऑयल पर दामों में कमी की, ड्यूटी कम की, यह बहुत अच्छी बात है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि एडीबल ऑयल्स में मकई को भी इन्क्लूड किया जाये। मकई का तेल जो अभी हमारे यहां बहुत कम बन रहा है और मकई की पैदावार भी बहुत कम हो रही है, अगर आप मकई को एडीबल ऑयल्स में शामिल कर लेंगे, तो इससे हमारे यहां मकई की खेती बहुत बढ़ जायेगी। मकई की खेती दूसरे देशों में बहुत होती है, अगर इस ओर हमारे यहां ध्यान दिया जाए, तो हमारे देश में मकई की यील्ड दूसरे देशों की अपेक्षा चौगुनी और पांच गुनी हो सकती है। अगर आप अपने देश में मकई की खेती लार्ज स्केल पर कराएं, तो हम एडीबल ऑयल्स को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल एवं अन्य ऑयल्स के अलावा भी।

तीसरी चीज माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर लेबर की जो संख्या है, उसको कृषि विज्ञान केन्द्रों में रजिस्टर्ड जरूर कराएं। उनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत आवश्यक है। अभी तक हमारे यहां कोई ऐसा सर्वे नहीं हुआ है जिससे यह ज्ञात हो सके कि वास्तव में भारत में एग्रीकल्चर लेबरर्स की संख्या कितनी है। मान्यवर, हमारे विचार से भारत में एग्रीकल्चर लेबरर्स की संख्या लगभग 14-15 करोड़ होगी, जो कि भारत की जन-संख्या का पांचवां हिस्सा है। इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो देश के लिए यह बहुत बड़ी बात होगी और इससे हम उस सैक्टर को आर्गेनाइज कर सकेंगे। इसी के साथ-साथ माननीय मन्त्री जी से मेरा यह निवेदन भी है कि अगर उनको अगर कुछ भागीदारी दी जा सके, तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे उनकी उन्नति के साथ-साथ देश की उन्नति भी होगी। इसलिए कृषि विज्ञान केन्द्रों में एग्रीकल्चर लेबरर्स का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है।

माननीय सभापति जी, चौथी बात मैं शुगर इण्डस्ट्रीज के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां इण्डस्ट्रीयल अल्कोहल की बड़ी कमी है। इस वर्ष भी मात्र 67 लाख टन चीनी हमने पैदा की है। जबकि हमारी चीनी की खपत 80 लाख टन की है। अगर 100 लाख टन चीनी हर साल देश में हो तो हम कम्फर्टेबली रह सकते हैं। मेरा निवेदन यह होगा कि गन्ने की खेती पर हमें ज्यादा ध्यान देना

[श्री मनोज पांडे]

चाहिये और गन्ने की खेती करने वाले किसानों को उचित मूल्य हर साल, और यदि यह हो सके कि अगले 5 सालों के लिए गन्ने का मूल्य हम आज ही निधारित कर दें और उसी के अनुसार चीनी मिलों को भी आज ही आर्गेनाइज कर दें तो जो हमारी चीनी की समस्या है, जो आज हमें चीनी इम्पोर्ट करनी पड़ती है, वह हल हो जायेगी। यह एक बहुत बड़ी बात होगी।

रूरल एरिया में बिजली की बहुत आवश्यकता है, उसको चीनी मिलों से पूरा किया जा सकता है। यदि चीनी मिलों में हम हाई प्रैशर बायलर टर्बाइन लगा दें तो जहां-जहां चीनी उद्योग हैं, उस सारे के सारे रूरल इलाके में एनर्जी प्राप्त की जा सकती है जिसकी आज वहां सबसे ज्यादा जरूरत है।

भारत में सबसे ज्यादा मिनरल डिपाजिट्स बिहार में हैं, लेकिन रायल्टी बिहार को सबसे कम मिलती है जो कि बड़े पुराने रेट पर मिलती है। यह रायल्टी बढ़ाने की बात एन०डी०सी० की मीटिंग में भी चली थी, मंत्री महोदय कम-से-कम उसको पूरा कर दें।

अभरक उद्योग के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि उसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती : (कलियाबोर) : क्या मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कर सकता हूं कि इस बजट द्वारा अबकी बार उन्होंने सभी वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं, परन्तु श्रमजीवी वर्ग कृषि तथा चाय बागान श्रमिकों को कुछ नहीं दिया गया है ? उन्हें वंचित रखा गया है, लेकिन उन्हें जीवित रहने के लिए कुछ नहीं दिया गया है। जैसा कि मैंने पिछले दिन जिक्र किया था, पांच शब्द "हम भारत के लोग" का तात्पर्य धनी वर्ग अथवा पूंजीवादी समूह से नहीं है, बल्कि गरीब लोगों के लिए भी इसका उतना ही मतलब है। उन्हें समाज में रहने तथा जिन्दा रहने का अधिकार है।

देश को स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद, जहां तक श्रमजीवी वर्ग का सम्बन्ध है सरकार ने कई कानून अधिनियमित किए हैं। हाल ही में समान पारिश्रमिक अधिनियम, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम, बागान श्रम अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, ठेकाश्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, डाक कर्मकार अधिनियम बीड़ी कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1976, शिक्षु अधिनियम, 1961, आयकर अधिनियम, 1923, श्रमिक अभिवचन, अधिनियम, 1933, बालक नियोजन अधिनियम, कारखाना अधिनियम, मोटर परिवहन, कर्मकार अधिनियम, ये सभी अधिनियम अधिनियमित किए गए हैं। हम श्रमजीवी वर्ग के नाम से कानून अधिनियमित करते जा रहे हैं लेकिन सरकार कानूनों को लागू करने में बिल्कुल असफल रही

है। क्यों ? क्या मैं वित्त मंत्री से यह जान सकता हूं ?

हाल ही में मेरे चुनाव क्षेत्र बोगीधोला, असम में चाय बागान में करीब पांच श्रमिकों की मृत्यु हुई है। बोगीधोला चाय बागान में जो पिछले कई महिनों से बन्द पड़ा है, पांच श्रमिकों की भूख से मृत्यु हुई है। असम में लगभग 35 चाय बागान ही चल रहे हैं बाकी के अनिश्चित समय के लिए बन्द कर दिए गए हैं तथा मजदूर भोजन एवं आवास के अभाव में मर रहे हैं। क्या मैं वित्त मंत्री से यह जान सकता हूं कि इन श्रमजीवी वर्गों के लिए कौन से कदम उठाये गए हैं ? असम विदेशी मुद्रा का 66 प्रतिशत चाय से ही कमा रहा है। असम तेल का उत्पादन कर रहा है। यह देश में सबसे ज्यादा मात्रा में तेल का उत्पादन कर रहा है। परन्तु इसके बदले में असम को कोई भी चीज उचित तरीके से नहीं दी गई है और इसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है ; यही कारण है कि असम देश के दूसरे राज्यों की तुलना में एक पिछड़ा राज्य रहा है।

आपने तेल और पेट्रोलियम-उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की है। परन्तु आपने तेल पर रायल्टी में वृद्धि नहीं की है, क्यों ? असम समझौते के तहत इसके कार्यान्वयन के लिए आप बाध्य हैं। केन्द्र सरकार एवं सरकारी क्षेत्र के उन कर्मचारियों की क्या स्थिति है, जिन्हें सेवा से निलम्बित या पद-च्युत कर दिया गया है ? उन्हें न सेवा में लिया गया है ना बहाल किया गया है। मैं एक विशेष मामला आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। श्री हिरण्य कुमार भट्टाचार्य तत्कालीन उपमहानिरीक्षक पुलिस को विदेशी राष्ट्रीयों की समस्या से सम्बन्धित असम आंदोलन में शामिल होने का झूठा आरोप लगा कर सेवा से मुअत्तल कर दिया गया था। असम सरकार की बहुत कोशिश के बावजूद भी उनके मामले पर विचार नहीं गया। यह यह एक दुहरा मानदण्ड अपनाने का एक मामला है।

जब आंदोलन चल रहा था तो देश के विभिन्न भागों से केन्द्र सरकार के कर्मचारी असम में स्थानान्तरित किये गए थे। उन्हें दोनों स्थानों पर लाभ दिया गया। परन्तु वही सुविधा उन कर्मचारियों को नहीं दी गई जो असम से दूसरे राज्यों में स्थानान्तरित किये गए थे। क्या मैं पूछ सकता हूं यह दुहरा मानदण्ड क्यों अपनाया गया ?

असम चाय बागान के श्रमिक भारत में सबसे कम वेतन पाने वाले श्रमिक हैं। यहां लगभग 1300 चाय बागान हैं तथा इसमें 20 लाख श्रमिक कार्यरत हैं। चाय के लिए एक अलग मंत्रालय क्यों नहीं है ? जब कि एक वस्त्र मंत्रालय है एक पेट्रोलियम मंत्रालय है तो चाय के लिए अलग मंत्रालय क्यों नहीं है ? कभी यह वाणिज्य मन्त्रालय के साथ जोड़ दी जाती है और कभी किसी दूसरे मन्त्रालय के साथ। इस चाय उद्योग में 20 लाख कर्मचारी नियुक्त हैं फिर भी इसका एक अलग मन्त्रालय नहीं है।

साथ ही चाय बागान के श्रमिक बहुत सारे श्रम कानूनों जैसे कि न्यूनतम मजदूरी समान पारिश्रमिक प्रसूति-प्रसुविधा तथा अन्य बातों का लाभ नहीं पा रहे हैं। समान पारिश्रमिक की संविधान के अनुच्छेद 42 द्वारा गारंटी दी गई है। फिर भी उन्हें यह नहीं मिलता है।

संविधान की धारा 42 के अन्तर्गत कर्मचारियों की रहन-सहन की क्या स्थिति हैं ? श्रमिक को असम में 10 रु० प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है। क्या एक श्रमिक के लिए इन मंहगाई के दिनों में

[श्री भक्तेश्वर तांती)

10 रु० में गुजारा करना सम्भव है। आप मूल्यों में वृद्धि करने में प्रवीण हैं। परन्तु आपको श्रमिकों की स्थिति पर भी समान रूप से ध्यान देना चाहिए। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में बना था परन्तु आज भी असम में चाय बागान के श्रमिक समान पारिश्रमिक नहीं पा रहे हैं। क्या यह आपका कर्त्तव्य नहीं है कि आप यह देखें कि आपने जो कानून बनाया है उसका कार्यान्वयन हो ?

साथ ही प्रबन्ध में कर्मचारियों के सहयोग को लें ? संविधान की धारा 43 में इसकी व्यवस्था है। यह संविधान की एक व्यवस्था है। परन्तु कर्मचारियों के व्यवस्था में भागीदारी की गुंजाइश कहां है ? हमारे जैसे कल्याणकारी राष्ट्र में जैसा कि हमारा कल्याणकारी राष्ट्र है, आपको सिर्फ कानून बनाने में ही प्रवीण नहीं होना चाहिए बल्कि उन विधियों के कार्यान्वयन में भी समान रूप से प्रवीण होना चाहिए। इससे सबसे गरीब लोगों की रहन-सहन की स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी।

असम समझौते के तहत असम में तेल शोधन शालाएं खोली जानी हैं। यह नीति है कि जहां तेल उपलब्ध है वहां एक शोधन शाला खोली जानी चाहिए। परन्तु आपने असम में उन स्थानों में जहां तेल अधिक मात्रा में उपलब्ध है शोधन शाला खोलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

आप हमारा तेल दूसरे राज्यों में ले जा रहे हैं तथा वहां शोधन शाला स्थापित कर रहे हैं जबकि असम के लोग नौकरी तथा उससे प्राप्त होने वाले दूसरे लाभ से वंचित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त चाय बागान कम्पनियों के मुख्य कार्यालय बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता में खोले गए हैं न कि असम में। यदि ये मुख्य कार्यालय असम में खोले जाते हैं तो इससे जनता, सरकार तथा श्रमिक वर्ग लाभान्वित होंगे।

अब मैं बाल श्रमिकों के नियोजन पर आता हूं। यह प्रथा चल रही है। बच्चे उद्योग में कार्य करते हैं तथा उन्हें मात्र 2 रु० या 3 रु० प्रतिदिन भुगतान किया जाता है। कानून कहता है कि बच्चों का नियोजन बन्द किया जाना चाहिए परन्तु सरकार के इशारे पर बेइमान लोग बाल श्रमिकों के नियोजन को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

मैं विनम्रता पूर्वक यह सुझाव देता हूं कि सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह समस्त जनता के हितों को देखें ना कि सिर्फ एक वर्ग विशेष के हित को देखे। ताकि प्रगति कर सकें।

इन शब्दों के साथ में मैं वित्त विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : अध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद में भाग लेने का आपने मुझे जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में आर्थिक नीति के केवल एक या दो मुद्दों को लाने की कोशिश कर रहा हूं जिन पर गम्भीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। मैं इस बात से पूर्णतया अवगत हूं कि हमारे वित्त मंत्री इस बात को जानते हैं क्योंकि हाल ही में जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सम्मेलन में भाग लेने गए थे तो उन्होंने

पूरे तृतीय विश्व राष्ट्रों की भावना की आवाज उठाई थी, कि किस प्रकार विदेशी ऋण का भार उन पर सालों साल बढ़ता जा रहा है। तथा किस प्रकार उन विकसित राष्ट्रों के हाथ में तृतीय विश्व के राष्ट्रो अर्थात विकासशील राष्ट्रों के शोषण का यह एक साधन हो गया है। सहकारी खाते में भारत को ऋण का कुल देय ब्याज 1982-83 में 857 करोड़ रु० था। जो कि 1983-84 में बढ़कर 926 करोड़ रु० हो गया और सन 1984-85 में और बढ़कर 1025 करोड़ रु० हो गया, चालू वित्त वर्ष के अन्त तक ऋण का देय ब्याज बढ़कर 2843 करोड़ हो जाने की सम्भावना है।

जहां तक हमारे देश का सम्बन्ध है विभिन्न योजनाओं में विदेशी ऋण की बकाया देय राशि इस प्रकार है : प्रथम योजना के अन्त में यह राशि मात्र 111.07 करोड़ रु० थी द्वितीय योजना के अंत में यह बढ़कर 1142.19 करोड़ रु० हो गयी, तृतीय योजना के अन्त में यह राशि 3709.19 करोड़ रु० हो गई। चौथी योजना के अन्त में यह राशि बढ़कर 6684.37 करोड़ रु० हो गयी, पांचवीं योजना के अन्त में यह राशि बढ़कर 11657.38 करोड़ रु० हो गयी और छठी योजना के अन्त तक यह बढ़कर 24004.39 करोड़ रु० हो गयी। आप यह समझ सकते हैं कि कैसे यह ऋण 111 करोड़ रु० से बढ़कर 24004.39 करोड़ रु० हो गया है।

यहां मैं दादा भाई नौरोजी की उस महान् पुस्तक का उल्लेख करूंगा जिसने समूचे देश को और अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को भी हिला दिया था। इसका नाम था "द ड्रेन" अर्थात् विदेशी शासन के दौरान देश से मुद्रा का विदेशों में जाना।

उन दिनों देश से बाहर जाने वाली यह राशि मात्र 500 लाख पौंड थी, जिसके लिए दादा भाई नौरोजी को लगभग एक हजार पृष्ठों की एक पुस्तक लिखनी पड़ी थी। महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी एवं समूचे देश ने स्वदेशी आन्दोलन में भाग लिया जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी क्योंकि विदेशी शासन वाणिज्यिक शोषण पर ही स्थापित था। लेकिन गांधी जी उस मन्त्र को आधारभूत बात को जानते थे जिसने विदेशी शोषण की नींव को हिला दिया।

स्वदेशी आन्दोलन के उस गौरवपूर्ण सन्दर्भ में हमें इस बढ़ते हुए विदेशी ऋण को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही देखना होगा और इसे केवल प्रतिशत के रूप में नहीं देखना है। यह 9% से बढ़कर 15% हो गया है। अब हम ऋण के भुगतान की स्थिति की ओर ध्यान दे मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि माननीय वित्त मंत्री स्वयं इससे अवगत हैं और वे इसके बारे में काफी जोर से बोल रहे हैं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। हमारे मन्त्री महोदय इस समस्या की गंभीरता से पहले से ही परिचित हैं और वे न केवल इस देश में बल्कि बाहर भी इन लोगों के समक्ष इन भावनाओं को वाणी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि स्थिति कैसे गंभीर होती जा रही हैं। मैं इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि हमारी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जिससे हमें कुछ बचत हो रही थी।

मैं विश्व बैंक के आंकड़े उद्धृत कर रहा हूं। कभी-कभी विश्व बैंक के आंकड़ों का उल्लेख करना अच्छा रहता है क्योंकि हमारी जनता विश्व बैंक के आंकड़ों पर विश्वास करती है यद्यपि ऐसी खबरें भी हैं कि कभी-कभी हम देखते हैं कि किसी देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता और अखंडता अथवा आर्थिक

[श्री चिन्तामणि पाणीग्रही]

स्वतंत्रता पर भीतर से ही वर्ष-पर-वर्ष आघात किए जाते हैं परन्तु हम इस पर अभी भी विश्वास करते हैं। इसलिए उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी का उल्लेख करना बेहतर होगा। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि हमारे देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि की दर पहली जैसी नहीं होगी। दूसरा आगामी वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण और विदेशी वाणिज्यिक ऋण के भुगतान में तेजी से वृद्धि होगी। तीसरी भारतीय प्रवासी श्रमिकों द्वारा देश में भेजे जाने वाले पैसे पर, उन देशों के धीमें विकास के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चौथा, रियायती विदेशी सहायता हाल के वर्षों में प्रतिकूल रही है।

भारत को 1980 से 1982 तक मिली रियायती विदेशी सहायता 43% थी। भारत को मिलने वाली यह रियायती विदेशी सहायता 1982-84 में घटकर 27% रह गई तथा यह और गिरती जा रही है। सातवीं योजना में भी यह कम है जिससे हमारे वित्त मंत्री पहले ही अवगत हैं। इसलिए अब हमें प्रवासियों द्वारा भेजे जाने वाली धनराशि के प्रश्न पर ध्यान देना चाहिए। मैंने ऋण के बारे में चर्चा की है। हमने कितना भुगतान किया है? मैंने संवर्द्धित निधि सहायता सुविधा के 4837 करोड़ रु० को इसमें शामिल नहीं किया है जो हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त किया है। 24,400 करोड़ रु० में 4887 करोड़ रु० की राशि अवश्य जोड़ी जानी चाहिए। महोदय, इन्हीं कारणों के कारण हमारा व्यापार में घाटा 1979-80 में 2725 करोड़ रु० से बढ़कर 1980-81 में 5838 करोड़ रु० हो गया है। चालू वर्ष में यह आशा की जाती थी कि हम इसे एक सीमा में रखेंगे। अब हाल के आंकड़े आ गये हैं और व्यापार का अन्तर बढ़कर 800 करोड़ रु० हो गया है। चूंकि हमने उदार आयात नीति अपनायी है, हमें यह आशा करनी चाहिए कि सभी सम्भावनाओं से व्यापार का अन्तर और ज्यादा न बढ़े; परन्तु जिस तरीके से हमने उदार आयात की नीति अपनायी है व्यापार में घाटा और ज्यादा होगा जो हमारी अर्थ व्यवस्था के लिए अत्यन्त घातक है। विश्व बैंक ने कहा है कि सातवीं योजना में हमारा निर्यात प्रति वर्ष 9 प्रतिशत बढ़ना चाहिए।

हमने ब्याज की राशि भुगतान द्वारा कुल कितने ऋण का भुगतान किया है? 1951-52 से 1954-85 तक इन विदेशी ऋणों पर जो ब्याज हमने 1984-85 तक अदा किया है वह 4629 करोड़ रु० है। 1984-85 तक पूंजी के पुनर्भुगतान के रूप में हमने 6827 रु० का भुगतान किया है। अब स्वत्व (रायल्टी) लाभांश आदि हम बहु-राष्ट्रीय उद्योगों को भुगतान कर रहे हैं, वह भी हमारे देश से बाहर जाने वाली धनराशि है। महोदय, उसमें भी वृद्धि हो गई है। 1980-81 तक बहु-राष्ट्रिकों के लिए यह 1816 करोड़ रुपए तक आ गई थी हम जिस ढंग से इस फन्दे में रहे हैं उसे आप समझ सकते हैं। आज तक किसी भी देश का निर्माण ऋण लेकर नहीं हुआ है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब सोवियत रूस पहली बार स्थापित हुआ तो समस्त पूंजीवादी विश्व ने उनका बहिष्कार किया था। वे सोवियत रूस को किसी चीज की भी सप्लाई नहीं करना चाहते थे। क्रीपर बांध के लिए उनके पास केवल छः टरबाइनें थीं। उस थोड़े से धन से वे विश्व में सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं। इसके पीछे उनकी मेहनत है। उन्होंने अपना पूरा ध्यान देश के निर्माण में लगाया है। महात्मा गांधी काफी बुद्धिमान थे। इसलिए, वे कहते थे कि हमें अपने साधनों से ही गुजारा करना

चाहिए। उस महान स्वराज आन्दोलन ने प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और प्रेरणा दी। इसने लोगों को धूल से उभारा। इस प्रकार की प्रभावी अमर तथा अजेय भावना से ही देश बनता है। छोटे से वियतनाम का ही मामला लीजिए। यह सब से शक्तिशाली देश का भी मुकाबला कर सका। उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ने का निश्चय किया और इस प्रकार अन्ततोगत्वा, उन्होंने विदेशी ताकतों के आक्रमण में भी अपना अस्तित्व बनाए रखा। उनके नेता ने कहा जब तक एक भी वियतनामी जिन्दा है हम अपने देश की रक्षा करते रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि साम्राज्यवाद की आक्रमणकारी ताकत नष्ट हों। राष्ट्र का निर्माण ऐसे होता है, अकेले ऋण लेने से नहीं। इसलिए, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय इस धमकी से अवगत हैं, हमें यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि सातवीं योजना में हमें अपने संसाधनों की वृद्धि एक दिन का स्वैच्छिक श्रम देकर क्यों करनी चाहिए। सोवियत रूस में वे एक दिन के स्वैच्छिक श्रम का अंशदान देते हैं। इस प्रकार हम प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपए मूल्य की परिसम्पत्तियां बना सकते हैं।

अंत में, मैं उड़ीसा की समस्या के बारे में एक शब्द कहना चाहूंगा। उड़ीसा बिजली के विकट संकट का सामना कर रहा है। माननीय मंत्री महोदय को इस समस्या की जानकारी है। हम इस बात को कई बार उनकी जानकारी में लाए हैं। 870 मेगावाट की कुल उत्पादित क्षमता में से आज हम केवल 270 मेगावाट से 300 मेगावाट तक बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। केवल भगवान ने ही उड़ीसा राज्य की रक्षा की है। यह उचित समय है कि तलचेर तथा इब घाटी स्थित प्रस्तावित सुपर तापीय संयंत्रों को सातवीं योजना में शामिल किया जाए। सातवीं योजना में उड़ीसा की कुल आवश्यकता 1200 मेगावाट होगी। आज हम केवल 300 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। तलचेर के लिए विश्व बैंक की सहायता की स्वीकृति मिल गई है लेकिन यह पर्यावरण विभाग के पास रुकी पड़ी है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे। मैं इस बात के लिए उनका आभारी हूंगा कि उन्होंने हमारी सहायता करने का प्रयास किया है तथा हमारी सहायता की है। मुझे आशा है कि इस समय भी वे हमारी सहायता करेंगे।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं वित्त मंत्रालय को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि 1981 के अन्दर इन्टरैस्ट का हमारे कोष के ऊपर 40 प्रतिशत भार था, जो अब 22 प्रतिशत रह गया है। यह अच्छी शुरूआत है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि अब कोई कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में मैन-पावर बहुत है, उस मैन पावर का सही उपयोग किया जाना चाहिए। अपने ही वित्तीय साधनों से साधनों का विकास करना चाहिए, नहीं तो जितने भी हम वर्ल्ड-बैंक से पैसे लेंगे, उनके डायरेक्टिव आयेंगे। सारा का सारा पैसा बड़ी प्रोजैक्ट्स पर लग जाता है और वर्ल्ड बैंक केवल 40 से 50 पर सेन्ट ही लोन देता है और बाकी सारे का सारा पैसा हमारे यहां का खर्च होता है। यह अच्छी शुरुआत नहीं है और इसको खत्म करना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो तेल उत्पादक देश हैं, उनके तेल के भाव डाउन हुए हैं और वे बहुत ही गलत डाइरेक्टिव दे रहे हैं। मेरा कहना यह है कि हमारी जो नीति है, हमारी जो पालिसी है, हमारी जो योजनाएं बनी हैं, उन योजनाओं के तहत हमें

[श्री दिलीप सिंह भूरिया]

चलने की जरूरत है और किसी के सामने हमें झुकने की जरूरत नहीं है।

एक बात मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा। आप ने अपने बजट भाषण में पौलियेस्टर फाइबर पर ड्यूटी कम की है, उस पर जो टैक्स लगता था, उस को कम किया है लेकिन उसका नतीजा यह हुआ है कि हमारा किसान जो मेहनत कर के कपास पैदा करता है, उस की कपास कोई लेने वाला नहीं है। मैं मंत्री जी से यह कहूंगा कि हमारे देश में जो उत्पादन होता है, उस के बारे में सोच कर योजना बनानी चाहिए। खास कर मंत्री जी कपास के बारे में जरूर सोचें। आज जब हम गांवों में जाते हैं, तो यह पाते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत कर के किसान ने कपास को पैदा किया मगर कपास को कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे देश में किसान जो अनाज पैदा किए हैं, उन के विकास को देख कर योजना बननी चाहिए और उस का ध्यान रखा जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कहना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट लेविल पर बहुत सारा अनाज लिफ्ट कर देते हैं मगर उस में क्या होता है कि भारत सरकार का सुपरवाइजरी स्टाफ न होने से सारी गड़बड़ हो जाती है। आप ने सारे का सारे राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। अगर आप डिस्ट्रिब्यूटिंग एजेन्सी नहीं रख सकते, तो कम से कम सुपरवाइजरी एजेन्सी तो जरूर रखिए। जो योजना हम लोगों के लिए बनाते हैं, उस का लाभ उन लोगों को नहीं पहुंचता है जिन के लिए वह योजना बनती है। करोड़ों रुपया हम इस में खर्च कर रहे हैं मगर करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी लोगों के पास गेहूं, शक्कर और चावल जो उन को मिलना चाहिए, वह नहीं पहुंचता है। इसलिए आप को सुपरवाइजरी स्टाफ रखना चाहिए। जिस आदमी के लिए हम यह सब भेजते हैं, उस को बराबर यह मिले, ऐसी हमें कोशिश करनी चाहिए।

मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मध्य प्रदेश में गत वर्ष 23 डिस्ट्रिक्ट्स में सूखा पड़ा था और उस से वे प्रभावित हुए थे। इस साल 12 डिस्ट्रिक्ट्स सूखे से प्रभावित हैं। हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। वहां पर कहीं 5 इंच बारिश हुई और कहीं 9 इंच बारिश हुई। इस समय वहां पर अनाज तो मिल रहा है लेकिन पानी की बड़ी समस्या है। 350, 400 और 500 फीट नीचे ड्रिलिंग करने पर भी पानी नहीं मिलता है। हैंड पम्प लगाते हैं मगर कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है और सूखा पड़ा हुआ है। वहां पर बार-बार सूखा पड़ता है। आपका ड्राऊट रिलीफ प्रोग्राम है मगर उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए, वह रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वहां पर आप इर्रीगेशन के लिए अधिक से अधिक तालाब बनाएं। नर्मदा प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश की है, वह खटाई में पड़ी हुई है। माही प्रोजेक्ट, मान प्रोजेक्ट और जोबट प्रोजेक्ट जो हैं, इन को लेना चाहिए ताकि पानी को स्टोर किया जा सके। बरसात का पानी स्टोर कर लेंगे, तो बाद में लोगों को पीने के लिए वह सप्लाई किया जा सकता है। बरसात में पानी बहकर समुद्र में चला जाता है, उसको स्टोर किया जाना चाहिए ताकि बाद में लोगों को पानी मिल सके। एक सेन्ट्रल टीम वहां गई थी और उस टीम ने बहुत बारीकी से देखा है। वहां पर राहत कार्य चल रहे हैं और चार-पांच लाख आदमी उन राहत कार्यों में लगे हुए हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि यह राज्य सरकार के बस की बात नहीं है। उसके पास इतना पैसा नहीं है

कि वह इस काम को देख सके। मध्य प्रदेश में गैस ट्रेजडी हुई, उस में काफी पैसा लगा। अभी इस्केयर-सिटी के नाम पर भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को 51 करोड़ रुपये दिये हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि मध्य प्रदेश एक गरीब स्टेट है। वहां पर आदिवासी, हरिजन और बैकवर्ड लोगों की दो-तिहाई पापूलेशन है।

2.00 म०प०

तो मैं यह चाहता हूं कि उन लोगों के लिए आप अधिक से अधिक मदद करें और वहां के लोगों को रोजगार दिलायें। वहां के लोगों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था करें। वहां के मनुष्य के लिए तो आपको खाद्य की व्यवस्था करनी ही है, वहां के मवेशियों के लिए चारे की भी आपको व्यवस्था करनी है।

वित्त मंत्री जी, हमारे यहां फिर से बरसात आने वाली है। वहां पर किसानों के लिए खरीफ के बीज की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं यह चाहता हूं कि केन्द्रीय शासन को मध्य प्रदेश शासन की अधिक से अधिक मदद करनी चाहिए जिससे कि वहां के लोगों को अधिक से अधिक राहत मिले।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने बैकवर्ड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट की स्कीम बनायी है। मगर आपकी जो फाइनेंशियल एजेन्सीज है वे सारे भारत के लिए एक से रूल्स फोलो करती हैं। जिसकी वजह से हमारे झाबुआ जिले में अभी तक एक भी उद्योग नहीं लग पाया है। आपकी फाइनेंशियल एजेन्सीज को चाहिए कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए रूल्स में कुछ रिलेक्सेशन दें जिससे कि जो बकवर्ड जिले हैं उनमें अधिक से अधिक उद्योग लग सकें। हमारे जिले में काटन बेस्ड इंडस्ट्रीज लग सकती है। वहां पर लेबर बहुत हैं। उनको एम्पलाएमेंट मिल सकती है। हमारे यहां इंडस्ट्रियलिस्ट्स उद्योग इसलिए नहीं लगाते वे कहते हैं कि फाइनेंशियल एजेन्सीज हमें फाइनेंस नहीं करतीं, वे कहती हैं कि बैन लगा हुआ है। आप इन जिलों में उद्योग लगाने के सम्बन्ध में रूल्स में रिलेक्सेशन दें जिससे कि बैकवर्ड जिलों में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लग सकें। वहां पर गरीब लोगों को आप ट्रेनिंग देने का भी इंतजाम करें। तब जाकर वहां के लोगों को एम्पलाएमेंट मिल सकता है और वहां की गरीबी दूर हो सकती है।

रतलाम में एक सज्जन कपड़ा मिल है। जो दो महीने से बन्द पड़ी हुई है। उसमें साढ़े तीन-चार हजार लोग डायरेक्ट और पांच-दस हजार लोग इनडायरेक्ट काम पर लगे हुए हैं। वह दो महीने से बंद है। उसका मिल मालिक पैसा लेकर पता नहीं कहां चला गया। हम गवर्नमेंट से यह कहते हैं कि आप इस मिल को टेक ओवर करके चलाइये। इतने लोगों की रोजी का सवाल है। आज उनकी हालत बहुत खराब है। जितनी भी ये काटन बेस्ड इंडस्ट्रीज है, हमारे साथी यहां बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह मिल बन्द होने का सिलसिला बम्बई से शुरू हुआ है और अब वह सारे देश में फैल रहा है। इसके बारे में कोई ऐसी योजना बनायी जाए जिससे कि जितनी भी काटन की मिलें हैं, जिनको मिल-मालिक न चलायें, उनको टेक्सटाइल कारपोरेशन लेकर चलाये। हमारे रतलाम क्षेत्र के अन्दर हजारों लोग बेकार बैठे हुए हैं। वे इस बार होली का त्यौहार भी नहीं मना पाये। मैं आपसे कहता हूं

[श्री दिलीप सिंह भूरिया]

कि आपका टेक्सटाईल कारपोरेशन उस मिल को टेक ओवर करे। जब तक यह मिल टेक ओवर करके आप नहीं चलायेंगे तब तक उनका काम नहीं चल पायेगा।

एक बात पाणिग्रही साहब ने कही जिससे मैं भी सहमत हूं। हमारे पास इतनी मेन पावर है, हमारे पास टेक्नीशियंस हैं, अच्छी विचार-धारा के लोग हैं। हमारे देश की इकोनौमी तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक कि हमारे देश में स्वदेशी की विचार-धारा नहीं पनपती। हमारा बहुत लम्बा इतिहास है। इस इतिहास को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें अपने देश में, अपनी जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनानी चाहिएं। मैं वित्त मंत्री जी से यह कहूंगा कि जितनी भी फोरेन से इम्पोर्टिड चीजें आ रही हैं उन सब को हम अपने देश में ही बनायें। हमें अपने देश में सारी की सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। आज सोवियत यूनियन जो आगे बढ़ा है वह इसलिए बढ़ा है कि वहां का आदमी बाहर की चीजों का इस्तेमाल नहीं करता है। हमारे देश में तो यह कम्पीटीशन चला है कि जो फोरेन चीजें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। अगर हमारे देश में ऐसा होता रहेगा तो आर्थिक दृष्टि से हमारा देश कमजोर होता जाएगा। जब हम गांधी जी, नेहरू जी और दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो हमें सब से पहले अपने देशवासियों में स्वदेशी की भावना जगानी पड़ेगी। हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा कि भारत में बनी हुई चीज चाहे मंहगी हो मगर वे अपने देश की ही चीज का इस्तेमाल करें। जब तक देश के लोगों में यह भावना नहीं आयेगी तब तक देश मजबूत नहीं कर पायेंगे। जितनी भी चीजें बाहर से आती हैं—घड़ी है, टी०वी० है, रेडियो है, कपड़ा है, पोलियस्टर फाईबर है—चाहे कोई भी चीज हो अगर वे अपने देश को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें अपने देश में इन चीजों को मंहगा करना पड़ेगा। हमें काला बाजारियों और ब्लैक मार्किटियर्स पर अंकुश लगाना पड़ेगा। अभी आपने उनको कुछ कंट्रोल किया है, कुछ लोगों को पकड़ा है, मगर उन पर और सख्ती करने की जरूरत है।

चूंकि आपने घंटी बजा दी है, इसलिए मैं इतना कहता हुआ ही इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री रामप्यारे पनिका (रावर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस वित्त-विधेयक पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं कल से बहस को सुन रहा हूं और जिनको नहीं सुना था उनको पढ़ा है। मान्यवर, कल कुछ ऐसा लगा कि हमारे केवल इधर के ही नहीं, बल्कि कुछ इधर के भी माननीय सदस्य इस बजट से निराश हैं, खासकर संसाधनों को इकट्ठा करने के बारे में वे लोग निराश दिखाई दिए। मान्यवर यह सेवंथ फाइव ईयर प्लान का ड्राफ्ट है, बहुत विस्तृत है, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, नहीं तो सारा समय इसी में चला जाएगा। कहां से साधन इकट्ठे होंगे, 1लाख 80 करोड़ रुपया कहां-कहां से आएगा, यह सारा इसमें दिया हुआ है। मान्यवर, मैं आपको ले जाना चाहता हूं सन् 1980-81 की ओर, जब जनता-राज के बाद पुनः कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई थी, आपको स्मरण होगा कि देश की अर्थ-व्यवस्था इतनी जरजरित करके इन लोगों ने छोड़ी थी। कृषि का उत्पादन 1.7 प्रतिशत नीचे चला गया था और उत्पादन वृद्धि जो 10 प्रतिशत हो रही थी वह भी माइनस 1.4 परसेंट रह गई थी, यह जनता राज की व्यवस्था थी, लेकिन 1980 के बाद देश की

अर्थ-व्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार होता गया और आज मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय की दूरदर्शिता और पैनी दृष्टि के लिए उनको बधाई देना चाहता हूं, जिस प्रकार से उन्होंने बजट प्रस्तुत किया। मुझे याद है जिस रोज आप बजट पढ़ रहे थे तो इधर के किसी भी माननीय सदस्य को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं मिला, जो प्रतिक्रिया आमतौर पर विरोधी दल के लोग व्यक्त करते हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। यह जरूर है कि श्री जगजीवन बाबू ने इसके प्रति अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की, उन्होंने कहा कि यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है यह कार्यात्मक है, सृजनात्मक है, रचना करने वाला है और आत्म-निर्भरता की ओर ले जाने वाला है, उन्होंने सही बात कही थी। (व्यवधान)

ये सारे लोग तो भ्रम फैलाने का काम किया करते हैं। मैंने दण्डवते जी को सुना, उनके दल के अन्य लोगों को सुना, इस सब से स्पष्ट होता है कि माननीय मंत्री जी ने किस तरह से बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है। सदन में लोग इंतजार करते रहे कि कोई हो-हल्ला हो, कुछ टीका-टिप्पणी करें, लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिला, यह अपने आप में एक सफलता है, जिस तरह से बजट प्रस्तुत हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो बजट प्रस्तुत हुआ है वह निश्चित रूप से प्रकट करता है कि भारतवर्ष की इकानमी, अर्थ-व्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। आप इम्फ्रास्ट्रक्चर को देखें, चाहे पावर जनरेशन को आप देखें, कोल जनरेशन, सीमेंट जनरेशन, ट्रांस्पोर्टेशन को देखें, हर चीज में हम उत्तरोत्तर आगे बढ़े हैं। जो गाड़ी पटरी से उतर गई थी, उसको पटरी पर लाने का हर प्रयास किया गया और इसमें हम सफल होते गए। यह बात सही है कि हमको अभी भी उन क्षेत्रों में काफी काम करना है, जैसे कल एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि 42 हजार करोड़ पब्लिक सेक्टर में हमारा इनवेस्टमेंट है। इसमें कोई शक नहीं है कि शासन की कड़ाई के कारण बहुत से पब्लिक सेक्टर ने अच्छे रिजल्ट्स दिये हैं, यह जरूर है कि लाभ का प्रतिशत कम है, लेकिन अगर यही गति रही, सरकार का ध्यान रहा तो निश्चित रूप से इसमें और सुधार होगा। इस बारे में मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं।

पब्लिक सेक्टर में जो लाभ नहीं हो रहा है, इसके कई···

2.09 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

कारण हैं। एक कारण तो यह है कि पब्लिक सेक्टर में नेपोटिज्म बहुत बढ़ गया है, भाई-भतीजा-वाद बढ़ गया है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। इससे करप्शन बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। इसी तरह से जो ठेके दिए जाते हैं, इसमें भी काफी करप्शन होता है। यह बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं क्योंकि सौभाग्य से मेरे क्षेत्र में कई करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर्स में खर्च हो रहा है। हमारे यहां बहुत से प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, तीन सुपर थर्मल पावर स्टेशंस हैं, कोल माइन्स हैं और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, उनमें ठेके उनको दिए जाते हैं जिनको वे लोग देना चाहते हैं, चाहे कोई कम रेट दे, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। नेगोसिएशन करके और नेगोसिएशन के पूर्व ही, अवार्ड करने के पूर्व ही कुछ परसेंटेज तय हो जाता है, इस ओर बहुत ध्यान देने की जरूरत है।

[श्री राम प्यारे पनिका]

दूसरी बात जो आज हम यह प्राइवेट सेक्टर की आलोचना करते हैं, एफीसिएंसी के बारे में, अनुशासनहीनता के बारे में, इसमें भी आपको धीरे-धीरे कड़ाई करने की जरूरत है। अभी हमारे साथी लेबर-लाज के बारे में कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हू। सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना देती है, लेकिन उनका पालन नहीं होता है। जो कानून हम बना देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को उसका पालन करना होता है, लेकिन उनका पालन नहीं होता है। आज जरूरत इस बात की है जो हम लेबर-लाज बनाएं, प्राइवेट सेक्टर को छोड़िए, गवर्नमेंट सेक्टर में कंट्रोल करने का जहां तक प्रश्न है, पब्लिक सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर लोगों का शोषण हो रहा है। मजदूरों को बदली पर, मस्टर रोल पर, कैजुअल पर और कांट्रेक्ट पर रखा गया है और जो तमाम कानून हैं उनको ताक पर रखकर मजदूरी नहीं दी जा रही है। मिनिमम वेजेज कई जगह पर उनको नहीं मिल रही है, बड़ी कठिनाई हो रही है। प्राईवेट सैक्टर को कसने की जरूरत तो है ही लेकिन हमें इस क्षेत्र में भी जाना होगा जिससे कि जो उत्पादन बढ़ाने वाले लोग हैं, उनका मनोबल बढ़ सके। आज देश में पचास प्रतिशत से अधिक मैन डेज लास इसलिए नहीं है कि मजदूरों ने हड़ताल की या कोई शरारत की है बल्कि इसलिए है कि मैनेजमेंट के लोग स्वयं नहीं चाहते कि फैक्टरी में काम हो। इसलिए सिक मिल की बीमारी बढ़ती जा रही है और जो सिक मिल चलाने वाले हैं, उनकी तंदरुस्ती अच्छी होती जा रही है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हू। मंहगाई की बात इस सैशन में बहुत बार आई है। जहां तक मंहगाई का प्रश्न है, आप बहुत जल्दी सारा का सारा उत्तरदायित्व मान लेते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम पिछले दिनों रिकार्ड देख रहे थे तो देखा कि स्टेट गवर्नमेंट के सप्लाई विभाग को आपके यहां से समय पर चीनी, गेहूं और चावल या जनोपयोगी चीजों का कोटा अलाट कर दिया जाता है, लेकिन वे समय से नहीं उठाते। मिट्टी के तेल की कोई कमी नहीं है। इसको देखने के लिए आपके पास कोई मशीनरी होनी चाहिए। इसका उत्तर-दायित्व आप ही ले लेते हैं। आप वैस्ट बंगाल और कांग्रेस शासित राज्यों को भी देखें जहां पर समय से जनोपयोगी चीजें न उठाने के कारण कई परसेंट महंगाई बढ़ जाती है। उसका कारण यह है कि ऊंचे स्तर पर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनकी सांठ-गांठ बड़े पूंजीपतियों से होती है, चाहे गल्ले के व्यापारी हों। पन्द्रह तारीख से पहले कभी किसी भी कंज्यूमर को चीनी नहीं मिलती है। वह पच्चीस तारीख के बाद पहुंचती है। आधी चीनी बंटती है और कह दिया जाता है कि समाप्त हो गई है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। स्वर्गीय श्रीमती गांधी जी ने राज्यों को बारह सूत्री कार्यक्रम दिया था, उसमें यह भी था कि दो हजार यूनिट पर एक राशन की दुकान होनी चाहिए। मैं यह बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रदेश ने इसका पालन नहीं किया है। दूरदराज के इलाकों के लिए भी आपने कहा था कि दुकानें होनी चाहिए लेकिन आज राज्य सरकारें तमाम साधनों के होते हुए भी उसका क्रियान्वयन नहीं कर रही हैं। फलस्वरूप, महंगाई बढ़ जाती है तो आपको जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैं नहीं मानता कि सारा का सारा उत्तरदायित्व आपका ही है। आप देखें कि दुनिया में मुद्रास्फीति 21 प्रतिशत तक बढ़ी है। इस वर्ष काफी शोरगुल हुआ तो यह हमारे यहां 4.7 परसेंट तक आ गई है। यह तो दुनिया को चौंकाने वाला है।

2.13 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 3.6 परसेंट है।

श्री राम प्यारे पनिका : इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। हमने तो ज्यादा ही बता दिया था। हमारे यहां जो इकोनोमी आप चला रहे हैं, वह निश्चित तौर से प्रशंसनीय है। हमारे देश के जो अच्छे-अच्छे इकोनोमिस्ट्स हैं और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स को भी आप देखें तो उनका कहना है कि हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जब हम इस तरह से बढ़ रहे हैं तो जो आने वाले कांस्ट्रेन्ट्स हैं, उनको हम दूर करें। अगर वह कांस्ट्रेन्ट्स हैं तो उसके जिम्मेवार और लोग हैं। आज स्टेट और सेन्टर के संबंधों की भी बात की जाती है। जब एलोकेशन लेने की बात आती है तो आप पर आरोप लगाया जाता है कि आप नहीं देते। जब उसके सही-सही उपयोग करने की बात आती है तो कोई नहीं देखता। आज वेस्ट बंगाल में केवल 14 परसेंट डवलपमेंट पर खर्च हुआ है। पावर्टी एलीवेशन के लिए जो पैसे दिए हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनका दुरुपयोग हो रहा है। नीचे के लेवल पर आपको देखना होगा। यह नहीं कहना होगा कि स्टेट की जिम्मेदारी है बल्कि कोई मानिटरिंग सैल अपने स्तर पर बनाना होगा क्योंकि हम गाढ़ी कमाई गरीबों की देते हैं। तो गरीबों की कमाई का उपयोग जिस काम के लिए देते हैं, राज्य सरकारों को करना चाहिए। अभी मैं देख रहा था रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए जो पैसा देते हैं वह सारे इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड दूसरे कामों में लगा देते हैं। कल हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड की कैपेसिटी बहुत कम है 5। प्रतिशत है, कुछ राज्यों में 33 प्रतिशत है, कहीं 25 प्रतिशत है, बंगाल में शायद 25 प्रतिशत से भी कम है। इसको देखने के लिए क्या आपके पास सक्षम अधिकार हैं, नहीं हैं। जहां तक सेंट्रल इलेक्ट्रिकसिटी अथोरिटी बहुत से राज्यों के इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड्स को निर्देश देती है कि आप इस तरह से चलें ताकि आपका उत्पादन बढ़े, लेकिन वह उसको नहीं मानते हैं।

मैं चाहता हूं ऐसे बिजली सेक्टर या ऐसे सेक्टर जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, आपके हाथ में कुछ न कुछ इसके लिए होना चाहिए। मैं कहता हूं आज समय हो गया है सरकार को तुरन्त सरकारिया आयोग के पास जाना चाहिए। हम ही नहीं, विरोधी दल की बातों से भी यही ध्वनि निकलती है कि सेंटर और ताकतवर हो। आज इलेक्ट्रिकसिटी सप्लाई एक्ट बहुत जरूरी है। हमें इसमें परिवर्तन लाना चाहिए। इस तरह के और भी सेक्टर हैं, जैसे इरीगेशन सेक्टर है उसमें भी आप देखिए कितने झगड़े पड़े हुए हैं, उनको भी निपटाना है। एक बात और कहना चाहता हूं पंचवर्षीय योजना में देश में 6 प्रकार के पिछड़े क्षेत्र माने गए हैं। पहाड़ के क्षेत्र, सूखा क्षेत्र, बाढ़ के क्षेत्र डेजर्ट एरिया और साइक्लोनिक एरिया, इनका विकास हो, रीजनल इमबैलेंस दूर करने के लिए विशेष धनराशि खर्च करने की बात कही गई। लेकिन जहां तक पहाड़ी क्षेत्र है, डेजर्ट क्षेत्र है उसमें व्यवस्था दिखाई देती है और बाकी चारों सेक्टरों में पहाड़ के क्षेत्र हों, ट्राइबल के हों और सेक्टरों में आपने दिया है। लेकिन इनकी तरफ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत जो सूखे के लिए कार्यक्रम दिया है उसमें काफी राशि शुरू में दे दी, जो प्रोजेक्ट शुरू हो गए

[श्री राम प्यारे पनिका]

वह सारे अधूरे पड़े हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी अधूरे पड़े हैं, अन्य राज्यों में भी पड़े हैं।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में आप देश के लिए प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, हमारे पास ऐसा कानून है कि उनको समय से पूरा नहीं होने दिया जा रहा है। एक फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आ गया, हमने योजना दे दी कि यहां बांध बनाएं, यहां पुल बनाएं, लेकिन फारेस्ट एक्ट के कारण पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जिन परियोजनाओं को शुरू करना है अगर फारेस्ट विभाग दो-तीन साल उसको क्लियर करने में ही लगा दे तो योजनाएं नहीं बन पाएंगी। अभी ट्राइबल योजना में एक सड़क नहीं बन सकती, बांध नहीं बना सकते, मामूली विकास के कार्यक्रम नहीं कर सकते ; जंगल का रहना बहुत जरूरी है, हम मानते हैं। लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जितना जंगल कटेगा उससे दुगना जंगल और लगायेंगे। वरना हमारे एरिया में विकास का काम अवरुद्ध हो जायेगा और सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हम पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं मूल मूल बातें ही कहना चाहूंगा। गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है, हमारे योजना आयोग की बहुत ही भयावह रिपोर्ट है। लेकिन सही रिपोर्ट है। 40 से 60 प्रतिशत पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। हम गांव से आते हैं, पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, उन क्षेत्रों से आते हैं जो अविकसित हैं, हमारे जैसे कार्यकर्ता रहने के बावजूद हम बैंकों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, न ही ब्लाक की मशीनरी को ठीक कर पा रहे हैं, न हम कुछ दलालों को ठीक कर पा रहे हैं, न यह जो भ्रष्ट मशीनरी है इसको ठीक कर पा रहे हैं।

इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि एक काम चल पड़ा है उसमें थोड़ा-सा कार्य करने की जरूरत है। जो योजना आयोग ने रिपोर्ट दी है, आप आश्चर्य करेंगे कि गरीबी उन्मूलन का जो कार्यक्रम है अगर ब्लाक में किसी को भैंस दी जाती है तो वह उस आदमी के दरवाजे पर नहीं आती, वह भैंस गांव के ही किसी बड़े आदमी के दरवाजे में बंधती है। हम कई बार डी० एम० से भी मिले, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। ब्लाक का मैंने बताया, हमारे माननीय मंत्री जी जानते हैं एक चौपड़ ब्लाक है, वहां 22 लोगों को ऐसा अनुदान दे दिया··· (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमारा-इनका घर एक ही इलाके में है, पहाड़ी इलाका है, हम जानते हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : इसलिए जहां तक इसका सम्बन्ध है, इस सदन से पहले से मैं इनको जानता हूं। जिस समय ये हमारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे इन्होंने गरीबों के प्रति करुणा से, दया से भरकर, विनोबा भावे के साथ चल दिए। जब इन्होंने देखा कि प्रदेश में डकैत लोग अत्याचार मचाए हुए हैं तो इन्होंने अपने परिवार तक की परवाह न करते हुए कई कठोर कदम उठाए। इनके त्याग के विषय में मैं जानता हूं, इनके हृदय को पहचानता हूं। इसलिए इनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहां जब ए० आई० सी० सी० की मीटिंग हो रही थी, उसमें इन्दिरा जी भी मौजूद थीं तो इन्होंने स्कूलों, पंचायत घरों, सड़कों, बांधों और बंधियों आदि की चर्चा की, उनको बनवाने पर जोर दिया और मान्यवर, इससे ही कोई बड़ा नहीं होता। यदि आपने राम का चरित्र पढ़ा हो, उन्होंने कुछ नहीं बनवाया, सिर्फ तलवार लेकर असामाजिक तत्वों का, राक्षसों का वध किया था। मुझे पूरा

विश्वास है कि आपने जो राहू-केतु स्कीमें चलाई हैं, उनके जरिए आप राक्षस बुद्धि असामाजिक तत्वों का संहार करने में निश्चित रूप से सफल होंगे और उन तमाम तत्वों को अच्छा सबक मिलेगा जो भारतवर्ष की इकानामी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हमें आप पर पूरा विश्वास है। हम जानते हैं कि पिछले दिनों जिस तरह से हमारे देश में रेड्स हुए, उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है और जब भी हमसे कोई विरोधी व्यक्ति मिलता है, पूंजीपति मिलता है तो वह यही कहता है कि राजा साहब हमें बहुत परेशान करते हैं। आपने बहुत समयानुकूल कदम उठाया है। हम लोगों की मांग पर आपने एक मामूली-सा परिवर्तन किया है कि सुपरवाइजर के घरों में नहीं जाएगा। इसका सभी ने स्वागत किया है लेकिन कल ही हमारे माधव रेड्डी साहब बोल रहे थे कि यह आपने बहुत गलत कर दिया। लेकिन वे नहीं जानते कि इससे 36 परसेंट इन्कम राज्यों को अधिक मिली है जिससे उनका पहले से ज्यादा विकास होगा। इसकी तो उन्हें तारीफ करनी चाहिए। एक तरफ कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ कुछ और कहते हैं, चूंकि आपने समय कम दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आशा रखता हूं कि आप जिन नीतियों पर चल रहे हैं, उन्हीं पर आगे भी चलते रहेंगे, वही उत्तम रास्ता है। यहां पर जिन लोगों ने निराशा व्यक्त की है, उनकी निराशा तो रहेगी, वह स्वाभाविक है और वे यहां जो कुछ कहते हैं, हाफ-हार्टेडली कहते हैं, अपना भाषण करते हैं, उससे उन्हें स्वयं तकलीफ होती है क्योंकि वह तथ्यों पर आधारित नहीं होता। मुझे पूरा-पूरा विश्वास है कि उत्तरोत्तर हमारे भारतवर्ष की अर्थ-व्यवस्था और मजबूत होती जाएगी।

[अनुवाद]

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जब हम लोग वित्त विधेयक पर विचार-विमर्श कर रहे हैं, देश में यह अफवाह फैली है कि बहुत सारे विदेशी संस्थानों द्वारा कई प्रकार से हम पर रुपये का अवमूल्यन करने का दबाव डाला जा रहा है। जिस प्रतिकूल स्थिति में हम पड़े हैं उससे यह भय भी प्राप्त है कि हमारा देश ऋणजाल में फंसाया जा रहा है। माननीय वित्त मन्त्री ने स्वयं कहा है कि 14000 करोड़ रुपये के घाटे की पूर्ति 7वीं योजना में सरकारी क्षेत्र की आय से की जाएगी। इस स्थिति में जिसमें कि हम लोग हैं देश की अर्थव्यवस्था को तब तक उस लीक पर से हटाना बहुत मुश्किल है जब तक कि उपलब्ध साधनों—मानवीय तथा प्राकृतिक एवं दूसरे साधनों का पूर्णतया उपयोग न हो।

महोदय, मैं उन लोगों में से एक हूं जो यह विश्वास करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में एवं दूरदराज के क्षेत्रों में जहां खनिज एवं दूसरे साधन उपलब्ध हैं तथा जिनकी खोज अभी होनी है, में उत्पादक निवेश किया जाना चाहिए।

महोदय, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अकेले ऋण देने अथवा राजसहायता देने के सिद्धांत से ही यह समस्या नहीं सुलझेगी। सबसे पहले जिस व्यक्ति को यह धनराशि दी जानी है उस तक पहुंचने तक उसमें काफी कटौती हो जाती है। मैं इन विषयों को गहराई में नहीं जाना चाहता। किन्तु, ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जब इनमें से कुछ ऋणों का दुरुपयोग हुआ है और उनमें से अधिकांश को बैंक द्वारा भी बट्टेखाते डाल दिया गया है। महोदय, यह अच्छी बात नहीं है कि इस क्षेत्र को निरन्तर दिए जाने

[श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव]

वाले ऋणों को बट्टेखाते डाल दिया जाता है। इस चर्चा में कई अन्य सदस्य पहले ही बोल चुके हैं और मैं प्रत्येक की गहराई में नहीं जाना चाहता। मैं केवल कुछ एक उन विषयों पर ही बल देना चाहता हूं जिन पर माननीय वित्त मन्त्री द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

यह सरकार का कर्तव्य है कि वह अपना सामाजिक दायित्व भी निभाए। प्रत्यक्ष करों को समाप्त करके आप राजस्व में जो भी वृद्धि करना चाहते हैं वह केवल अप्रत्यक्ष करों की वसूली से ही करनी पड़ेगी। यदि इसकी एक बार वसूली अप्रत्यक्ष करों से हो जाती है तो अन्ततोगत्वा इसका प्रभाव आम आदमी एवं उपभोक्ता पर ही पड़ेगा।

इसलिए, सरकार ने दुर्भाग्यवश, पेट्रोलियम तथा अन्य उत्पादों पर मूल्य वृद्धि सहित बजट से कुछ ही पहले जो मूल्य वृद्धि की उससे अब अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आपकी जानकारी के लिए अद्यतन आंकड़े आ गए हैं तथा व्यक्तिगत आय-कर में पिछले वर्ष के मुकाबले 43% वृद्धि हुई है। इसलिए इसमें कोई कमी नहीं आई है बल्कि वृद्धि हुई है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : मुझे खुशी है कि आपने अप्रत्यक्ष कर की राजस्व वसूली से 43% ज्यादा प्राप्ति की। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपने प्रत्यक्ष कर को स्थिर कर उस विकल्प को समाप्त कर दिया है और यदि यह 43% की वृद्धि सरकार के लिए पर्याप्त राजस्व है तो मुझे इस पर आपसे कोई विवाद नहीं है। परन्तु यदि आप इस 43% अतिरिक्त राजस्व जो आपके दावे के अनुसार आपको मिल गया है, के अतिरिक्त और अधिक राजस्व चाहते हैं तो आपको पुन: अप्रत्यक्ष कर लगाने होंगे जिसका अर्थ पुन: उपभोक्ता पर भार डालना है।

दूसरी बात सरकारी क्षेत्र के कार्यकरण के बारे में है। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है और माननीय मन्त्री महोदय ने स्वयं कहा है कि सातवीं योजना के लिए 14000 करोड़ रुपये के इस घाटे की वसूली सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से की जाएगी। अब ऐसा भी सुनने में आया है कि सरकार का इनमें से इस सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को संयुक्त क्षेत्र में देने का प्रस्ताव है। यदि सरकार ऐसा करना चाहती है तो आप उन दस सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को क्यों नहीं चुनते है जिनका कार्यनिष्पादन अच्छा नहीं है और जो संकट में हैं। तब सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों में जहां कि आप लाभ कमा रहे हैं तथा अच्छा कार्य कर रहे हैं, संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा को लागू करने का क्या तात्पर्य है ? मुझे इस पर कड़ी आपत्ति है तथा मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री अपने उत्तर में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इस बात का उल्लेख करें कि क्या सरकार इस ढंग से सोच रही है। संकट ग्रस्त उन सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में आपके द्वारा यह किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जहां सरकार को घाटा हो रहा है।

महोदय, जहां तक अप्रवासी भारतीय निवेश का संबंध है, मैं ऋण-पत्रों की 'परिवर्तनशीलता

का भी उल्लेख करना चाहूंगा। इसका आशय था भारत में निवेश के प्रयोजन से अच्छी विदेशी मुद्रा प्राप्त करना था। परिवर्तनशीलता और अपरिवर्तनशीलता का निर्धारण सामान्यतः दो असाधारण बातों पर किया जाता है—पहला, ब्याज की दर तथा दूसरा है इक्विटी से सम्बद्धता। यदि ब्याज की दर 13 प्रतिशत से ज्यादा है तो सिर्फ अपरिवर्तनशील ऋणपत्र ही जारी किये जाते हैं। परिवर्तनशील ऋणपत्र तभी जारी किये जाते हैं जब ये इक्विटी से सम्बद्ध किए जाते हैं या जब इनका ब्याज 13.5 प्रतिशत से कम होता है। आपने परिवर्तनशील ऋणपत्र के संदर्भ में 40 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की है। जो आपने ठीक ही किया है। परन्तु यह नियम उस समय पूर्णतया अर्थहीन हो जाता है जब अपरिवर्तनशील ऋणपत्रों को परिवर्तनशील ऋणपत्रों में बदलने की अनुमति दी जाती है। मूलधन तथा ब्याज दोनों ही स्वदेश भेजने योग्य हो जाते हैं। परन्तु यदि आप इन अपरिवर्तनशील ऋणपत्रों को भी परिवर्तनशील ऋणपत्रों में परिवर्तित कर देते हैं तब शेयरों बढ़े हुए मूल्य की पूंजी भी स्वदेश भेजने योग्य हो जाती है। अतः इस प्रक्रिया में जो विदेशी मुद्रा देश के बाहर जाती है वह देश में आने वाली राशि की तुलना में, वास्तव में बहुत ज्यादा हो जाती है? इसलिए, मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस मुद्दे को स्पष्ट करें। सम्पूर्ण स्थिति पर यह हमारा दृष्टिकोण है और स्थिति यही है तो अन्ततोगत्वा हमारी बहुत अधिक धनराशि देश से बाहर चली जाएगी और निवेश के लिए पूंजी मिलने की बजाय विदेशी मुद्रा देश से बाहर चली जाएगी। विदेशी मुद्रा गवांने का यह निर्णय मात्र दो या चार वर्ष पहले लिया गया है। मैं इस पर वर्तमान वित्त मन्त्री का विचार जानना चाहूंगा।

मैं राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए धनराशि की मंजूरी के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। जब कोई परियोजना स्वीकृत की जाती है और तब सरकार को यथासम्भव रूप से इसे चालू करना चाहिए। और यदि आप निश्चित समयावधि के अन्दर इस प्रक्रिया को चालू नहीं कर पाते हैं तो इसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हो जाती है जो कुछेक मामलों में तीन-चारगुनी वृद्धि रही है। उदाहरण के लिए आप विशाखापत्तनम स्थित इस्पात संयंत्र को लें। इसका आरम्भिक अनुमनित लागत 2800 करोड़ रुपये थी। अब यह बढ़कर 7000 करोड़ रुपये हो गई है। और अब 400 करोड़ रुपये या 300 करोड़ रुपये देना पर्याप्त नहीं है। मैं नहीं समझता इस गति से ये सभी परियोजनाएं तैयार हो जाएंगी या नहीं। हम इस बीच इस्पात का आयात करते रहे हैं। हम चीनी तथा इस तरह की और सारी चीजों का आयात जारी रखे हुए हैं। जैसा कि मुझे कहा गया है, सरकार को चीनी नीति पर अभी निर्णय लेना है। पिछले कई सालों में गन्ने की अच्छी पैदावार हुई है। बहुत सारे किसानों को गन्ने की बिक्री में कठिनाई हो रही है। इस नीति को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

माननीय मन्त्री ने इस सदन में कई बार इस बात को दोहराया है कि मुद्रास्फीति की दर पिछले कई सालों अथवा दशकों की तुलना में काफी कम रही है। यह कम हो सकती है। मैं इस मुद्दे को चुनौती देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं उनसे कृषि क्षेत्र में अपस्फीति की दर तथा खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति की दर के बारे में जानना चाहूंगा क्योंकि अन्ततोगत्वा यही सामान्य जन को प्रभावित करती है। थोक मूल्यों की दर सिर्फ व्यापारियों या बाजारियों को प्रभावित करती है। अन्ततोगत्वा हम जिससे सम्बन्धित है वह है खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति की दर और कृषि स्तर पर अपस्फीति की दर जिसने हमारी इस अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित किया है जो कि कृषि से संबंधित है।

[श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव]

इन सभी मुद्दों पर मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा तथा मैं इस सदन का और ज्यादा समय नहीं लूंगा। जैसा कि मैंने कहा, मैंने केवल मुद्दे रखे हैं जिन्हें मैंने आवश्यक समझा और यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से हिन्दुस्तान गांवों का देश है, यहां आज भी 80 प्रतिशत के करीब आबादी गांवों में रहती है, जिनकी आजीविका का एक मात्र साधन कृषि है। उसकी तरक्की के लिए काफी कुछ किया गया है और इस बजट में भी उन गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रावधान किये गये हैं।

रिपोर्ट को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष ज्यादा होने की उम्मीद है और वह 3 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन भी 7 प्रतिशत से ऊपर बढ़ा है। कुल मिलाकर इस बात की कोशिश इस बजट में की गई है कि यह बजट बैलेंस्ड हो और गांव में रहने वाले गरीबों की तरक्की हो।

एक स्वर से यह स्वीकार किया गया है कि खेती पर रहने वाले लोगों के बोझ को आज एग्रीकल्चर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है. इसीलिए उस सरप्लस लोड को इंडस्ट्री की ओर डाइवर्ट करना पड़ेगा। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे वित्त मन्त्री ने स्माल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को काफी इन्सेंटिव्ज देकर ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया है जिससे तेजी से औद्योगीकरण हो और एग्रीकल्चर पर जो सरप्लस लोड है, शिफ्ट होकर इंडस्ट्री की ओर आये।

हमारे आधुनिक भारत के निर्माता पं० जवाहर लाल नेहरू के जमाने से ही यह फैसला लिया गया था कि भारत की अर्थ-व्यवस्था मिश्रित हो जिसमें पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर दोनों को काम करने का अवसर दिया जाये। उसी समय से निरन्तर इस बात का प्रयास किया गया कि पब्लिक सैक्टर को काफी बढ़ाया जाए और प्रसन्नता भी है कि पब्लिक सैक्टर का जाल पूरे देश में बिछा दिया गया है।

पब्लिक सैक्टर के पक्ष में सबसे बड़ी दलील यह दी जाती है कि इसमें लाभ या पूंजी का संचय एक पूंजीपति के हाथ में नहीं होगा, बल्कि जो लाभ और पूंजी इकट्ठी होगी, वह सारे देश के लाभ और विकास के लिए खर्च की जायेगी, लेकिन इसके इम्पलीमैंटेशन का जो तरीका है उसके बारे में मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा।

रेलवे पब्लिक सैक्टर का एक बहुत बड़ा आर्गेनाइजेशन है, विभाग है। उसमें अगर रेल की लाइन बिछाने की आवश्यकता पड़े तो एक-दो किलोमीटर लम्बी रेल लाइन बिछाने के लिए टेंडर काल किये जाते हैं और वह टेंडर करोड़पति पूंजीपतियों की ओर से आफर किये जाते हैं, उसे गरीब

आदमी आफर नहीं कर सकता है। इस प्रकार एक करोड़पति को करोड़ों रुपये कमाने का मौका दिया जाता है। साथ ही साथ उसमें इतना घटिया किस्म का सामान इस्तेमाल किया जाता है जिससे उस रेल लाइन की लाइफ भी कम रहती है। इस प्रकार पब्लिक फंड के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है।

सिद्धांत में प्राइवेट सेक्टर के पक्ष में बहुत अच्छी-अच्छी दलीलें दी जाती हैं जबकि व्यवहार में प्रतिकूल नीति देखने को मिलती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस दिशा में प्रयत्न करें कि पूंजी का संचय एक व्यक्ति के हाथ में न रहने पाये।

हमारे वित्त मंत्री जी ने रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिये, ऊसर जमीन के सुधार के लिए और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए काफी पैसे की व्यवस्था की है और इस बारे में काफी सजग भी रहे हैं। इसके लिये हम उनके बहुत आभारी हैं। लेकिन इसके साथ ही उत्तर भारत में करोड़ों की तादाद में लाखों-करोड़ों हेक्टेयर भूमि में पानी जमा रहता है जिसे कछार के नाम से जाना जाता है। अगर कछार निवासियों के स्टेंडर्ड आफ लीविंग का अध्ययन किया जाये तो पता चलेगा कि वह पहाड़ी और रेगिस्तानी जिलों से कहीं ज्यादा पिछड़े हैं। उनके लिये न तो रहने की व्यवस्था है और न ही खेती करने के लिए सिंचाई आदि की सुविधायें उपलब्ध हैं। यहां तक कि बाढ़ के दिनों में यहां 4-5 महीने सड़कों पर, पेड़ों के नीचे और बांधों पर सारे परिवार के साथ जिन्दगी गुजारनी पड़ती है। इस बजट के रहते और इस प्रोसीजर को एडौप करके, ऐसे करोड़ों की तादाद में जो कछार में रहने वाले गरीब लोग हैं, उनका विकास सम्भव नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जैसे हिली एरियाज के उत्थान और विकास के लिए हिल डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है वैसे ही कछार के विकास के लिये एक अलग बोर्ड बनाकर धन निश्चित किया जाना चाहिए।

मान्यवर, ग्रामीण अंचल की तरक्की के लिए जो विभिन्न ग्रामीण योजनायें जैसे आई० आर० डी० पी०, डी० आर० डी० ए० और आर० एल० ई० जी० पी० चलायी गई हैं, यह सारी स्कीमें गरीबों के जीवन स्तर को उठाने में बड़ी उपयोगी तो हैं, लेकिन उपयोगी सिद्ध नहीं हुई हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने अभी अपने निर्वाचन क्षेत्र अमेठी और सुल्तानपुर आदि क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने स्वयं देखा कि ऐसी सड़कें बनी हैं जो कि कागज में पिच रोड दिखायी गईं, लेकिन उस सड़क का कहीं नामो-निशान नहीं है। पीने के पानी के नाम पर केन्द्र राज्य सरकारों को करोड़ों रुपये का अनुदान देता है ताकि गांवों में रहने वाले लोगों को स्वच्छ और शुद्ध पानी पीने का अवसर मिले। लेकिन प्रधान मंत्री जी ने अपने क्षेत्र में देखा कि एक नल जमीन में मात्र तीन फीट नीचे गहरा था। वहां से पानी निकलने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपराधियों से सख्ती से निपटने के लिए जैसे काफेपोसा की व्यवस्था की है, वैसे ही देश को धोखा देने वाले, विकास की योजनाओं को असफल करने वाले और देश के साथ विश्वासघात करने वाले इन बेईमान और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी काफेपोसा जैसा कानून इस्तेमाल करें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो मेरे ख्याल में ऐसे कानूनों को स्टेच्यूड बुक्स से निकाला जाना चाहिए।

किसी भी देश की तरक्की के लिये हैवी इनवैस्टमेंट बेस्टड इंडस्ट्री की आवश्यकता होती है।

[डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी]

हमारे जवाहर लाल नेहरू जी के शासन काल में इस देश में हैवी इनवैस्टमेंट बेस्टड इंडस्ट्री कायम की गई, जैसे कि स्टील, कोल और एनर्जी के बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लगे। वह निश्चित रूप से देश की तरक्की के आधार थे। लेकिन उनसे जो प्रोडक्शन होता है उसका दो रूपों में इस्तेमाल होता है। वित्त मंत्री जी तवज्जह फर्माएंगे। एक तो उनसे जो प्रोडक्ट बनता है उसे सोशली इरैलिवेंट प्रोडक्ट कहते हैं और दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है उसे सोशली रेलिवेंट प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक स्टील फैक्ट्री ने अगर स्टील का प्रोडक्शन किया तो उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड स्टील से अलमिरा बन सकती है, रेफ्रिजरेटर बन सकता है, रूम कूलर बन सकता है और दूसरी ओर उसके द्वारा हल बन सकता है, कृषि के तमाम उपकरण बन सकते हैं, ट्रैक्टर बन सकता है और रेल के ट्रैक बन सकते हैं। हमारे देश में इस बात की आवश्यकता है हैवी इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंडस्ट्री से जो प्रोड्यूस हो उससे सोशली रेलिवेंट प्रोडक्ट्स तैयार किए जा सके, नेसेसरी कन्ज्यूमर्स गुड्स जिससे बनाए जा सकें बजाय इसके कि उससे ऐसा प्रोडयूस तैयार हो जिससे अननेसेसरी लग्जरी गुड्स तैयार हों। इस प्रणाली को अपनाने से गरीब तरक्की करेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा।

बैंकिंग सिस्टम के बारे में भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी 7-8 महीने पहले रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया है कि अनएम्प्लायड ग्रेज्युएट्स के लिए उद्योग चलाने के लिए 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। आज की इस बढ़ती हुई महंगाई के जमाने में 25 हजार रुपये से 20 फीट × 10 फीट का कमरा भी नहीं बन सकता, उद्योग कहां से चलेगा? उससे रा मैटीरियल कहां से आ पाएगा और कहां से कोई आदमी अपना उद्योग लगा पाएगा? रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर यह भी निकाला है कि जितना ऋण डी० आई० सी० से स्वीकृत किया जाय उसका पचास प्रतिशत उद्योग के लिए जरूर रखा जाये। ऐसी परिस्थिति में जहां 25 हजार रुपये में उद्योग लगाने की परिकल्पना की गई है वह कतई संभव नहीं हो सकती, इसलिए इस 25 हजार की सीमा को बढ़ाकर 50 हजार या 60-70 हजार रुपये किया जाना चाहिए।

अभी एक यह खबर मिली है कि अर्बन डेवलपमेंट के नाम से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए हाउसिंग स्कीम का एक्सपेंशन किया गया है जिसके लिए वित्त मंत्री जी ने तमाम पैसे का एलोकेशन किया है। मगर इसमें स्थिति क्या है कि रजिस्ट्रेशन के वक्त उस मध्यम वर्ग या निम्न आय वर्ग के व्यक्ति को एक लाख में मकान तैयार करके देने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो डिलिवरी के टाइम पर, समय के अन्दर डिलिवरी न देने के कारण वह मकान 3 लाख रुपये का हो जाता है और नतीजा यह होता है कि उसकी काशन मनी भी जब्त हो जाती है और मकान भी उसको नहीं मिलता है। डिलिवरी टाइम तक इतना महंगा हो जाने के कारण वह मकान उस अप्लीकेंट की पहुंच के बाहर हो जाता है। इसलिए सरकार का कर्त्तव्य है कि जितने रुपये में रजिस्ट्रेशन उस फ्लैट का किया गया हो, डिलिवरी उतने ही रुपये मे दी जानी चाहिए। बेईमान और भ्रष्ट अधिकारी की लापरवाही और उदासीनता की वजह से अगर उसका दाम बढ़ जाता है तो उसका दण्ड अप्लीकेंट को नहीं दिया जाना चाहिए।

अभी-अभी यह भी जानकारी मिली है कि राजधानी में जो पीने का पानी सप्लाई किया जाता

है वह बहुत गन्दा और मटमैला होता है। उसमें भी सुधार किया जाए। कहना तो बहुत कुछ था लेकिन समय नहीं है इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जबसे राजीव गांधी जी ने इस देश की बागडोर संभाली है तबसे व्यवस्था सुधरने लगी थी। चारों तरफ उनकी तारीफ होने लगी कि राजीव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विदेशों में भी बहुत तारीफ की जा रही थी। जितने सर्वे हुए वे सारे सर्वे उनके पक्ष में जा रहे थे। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी, आपने बीच में ही क्या बवाल उठा दिया ? सारा बवाल जो इस देश में आया वह सिर्फ आपकी वजह से आया। आपने जो अपनी परम्परा है इस लोक सभा की, कि बजट के प्रपोजल सारे लोक सभा के अन्दर ही आने चाहिएं, उसको आपने बाहर ही शुरू कर दिया और आपने इतने टैक्सेज लगाए पेट्रोलियम पदार्थों पर, फर्टिलाइजर और कोल पर जिससे सारी चीजों की कीमतें बढ़ गईं। विरोधी लोगों के पास राजीव गांधी के खिलाफ बोलने के लिए एक लफ्ज भी नहीं था, साल भरतक वे कहां बोले उनके खिलाफ, लेकिन आपके इस कार्यक्रम ने सारे देश में एक बवाल मचा दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि बिना सोचे समझे आपने ऐसा कर दिया। टैक्सेज लगाना कोई आवश्यक नहीं था क्योंकि आपने स्वयं कहा है कि सातवीं योजना के लिए संसाधन मौजूद हैं। यह टैक्सेज लगाने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन चूंकि गरीब लोगों की मदद अधिक करनी है इसलिए टैक्सेज लगाकर आर० एल० ई० जी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आई० आर० डी० पी० में आप ज्यादा एलोकेशन करना चाहते थे ताकि गरीब लोगों की ज्यादा मदद की जा सके। आप यह भी देखें इन कार्यक्रमों की हालत क्या है। आप जो भी सब्सीडी देते हैं वह बैंक वाले खा जाते हैं। एक ओर आप इन कार्यक्रमों को गरीबी मिटाने के लिए चला रहे हैं और दूसरी ओर जो कार्यक्रम व्यवस्थित चल रहे थे उनके सम्बन्ध में, आपने पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स लगाकर भयंकर महंगाई बढ़ा दी जिसका कि आम गरीब लोगों ने और विरोधियों ने बड़ा विरोध किया है। ऐसा वातावरण बनाने में आपको क्या लाभ मिला ? आज जिस प्रकार की हालत हो गई है उसको सुधारने की बड़ी आवश्यकता है।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जब आप एक टैक्स लगाना चाहते हैं, एक्साईज ड्यूटी या कस्टम बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उसको आप बाद में वापिस क्यों कर लेते हैं। आपने सरसों के तेल पर 1500 रुपए प्रति टन की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी लेकिन कल उसको घटाकर साढ़े सात सौ रुपए कर दिया। आपको मालूम है कि जब आपने 1500 रुपए टन बढ़ाई तो उसी हिसाब से उसके दाम बढ़ गए, हमारे सिर पर व्यापारियों के जूते पड़ने लगे और उसी हिसाब से वसूली होने लगी लेकिन अब आपने उसकी घटाकर साढ़े सात सौ कर दिया है तो इसका कोई भी लाभ गरीबों को नहीं मिलेगा। इसलिए आप सोच-समझकर टैक्स लगाइये ताकि आम जनता के ऊपर जिस प्रकार का भार आपकी गलत नीतियों की वजह से पड़ रहा है, वह भार आम जनता पर न पड़ने पाये। इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।

इसी तरह से आप फर्टिलाइजर पर 1200 करोड़ की सब्सिडी देते हैं, अनाज पर 2,000 करोड़ की सब्सिडी देते हैं लेकिन उसकी व्यवस्था क्या है ? एफ० सी० आई० में जिस प्रकार के घोटाले हो रहे

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

हैं, दो हजार करोड़ से ज्यादा के घोटाले हैं जिनके सम्बन्ध में मैंने यहां पर पहले भी कहा है तो इन घोटालों को आप क्यों नहीं देखते हैं ? सरकार का 2000 करोड़ रुपया सब्सिडी में जा रहा है, यह सारा टैक्स आम जनता को देना पड़ता है। इसी प्रकार से फर्टिलाइजर में आप 1200 करोड़ की सब्सिडी देते हैं लेकिन दिन-ब-दिन आप किसानों पर बोझ बढ़ाते जाते हैं, बिचौलिए उसका लाभ उठा रहे हैं। इसलिए इन व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश कीजिए ताकि आम वातावरण ठीक हो और दंडवते जी को यहां पर बोलने का कोई मौका ही न मिल सके। सरकार के खिलाफ जो ये भाषण देते है उसका कोई औचित्य ही नहीं रखना चाहिए। इसलिए इन व्यवस्थाओं को सुधारने की आवश्यकता है। यदि आप इनको सुधारेंगे तो निश्चित ही सारी बातें ठीक हो जायेंगी।

आपने रेड्स की व्यवस्था की। सभी लोग इसकी तारीफ करते थे। प्रोफेसर दंडवते जी ने भी उसकी तारीफ की लेकिन बीच में पता नहीं क्यों आप दूसरा कानून ले आए कि जबतक कमिश्नर आर्डर नहीं देगा तब तक किसी बड़े आदमी के यहां रेड नहीं पड़ सकेगी। जब आपको पता है कि सैकड़ों करोड़ का एक्साइज ड्यूटी और फारेन एक्सचेंज में घपला किया है तो फिर रेड करने में किस प्रकार की रुकावट है ? चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो उनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। आम जनता ने इसकी बड़ी तारीफ की थी और देश की एकोनामी पर भी इसका असर पड़ा था इसलिए इस व्यवस्था को आप माकूल तरीके से आगे भी जारी रखिए। इफ ऐंड बट लगाकर तथा कानूनी मुद्दों के तहत बड़े-बड़े आदमियों को छोड़ने की व्यवस्था आप मत करिए वरना आपकी बड़ी बदनामी होगी। आपने जो नयी कानूनी व्यवस्था की है वह ठीक नहीं है, आप माकूल व्यवस्था करके ऐसा काम कीजिए जिससे कि देश को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंच सके।

खासतौर से एक बात मैं बैंकों के विषय में कहना चाहता हूं। बैंकों की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल रही है। बैंकों में करोड़ों रुपयों के फ्राड्यूलेंड कारनामें हुए हैं। बड़े-बड़े लोगों ने बड़े-बड़े अधिकारियो से मिलकर और बैंकों को धोखाधड़ी देकर पता नहीं कितना रुपया उड़ाया है। आपने खुद इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय बैंकों के ऊपर लोक सभा का नियन्त्रण होना चाहिए, लेकिन यह व्यवस्था आज तक नहीं हो पा रही है। इस वजह से ये लोग बैंकों के जरिए खजाने को निकाल उड़ा रहे हैं और विदेशी लोगों को भी लाभ मिल रहा है। इसलिए इस व्यवस्था को···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नियंत्रण इनपर है। मंत्री महोदय आपकी बात सुन रहे हैं। इनपर सदन का नियंत्रण है। आप कैसे कह सकते हैं कि उनपर हमारा नियंत्रण नहीं है ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसलिए आप इसमें कुछ सहयोग दीजिए, ताकि यह व्यवस्था ठीक हो।

इन बैंकों के जरिए से गरीब लोगों को पैसा देने की बात की जाती है। गरीबों के साथ न्याय या अन्याय हो रहा है, इस बात को कई बार आपके ध्यान में लाया गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने पांच-पांच गुना पैसा वसूल किया है। जबकि सिविल प्रोसीजर कोड में कानून बना हुआ है दाम दुगुना वसूल नहीं किया जा सकता। लेकिन बैंक पांच पांच गुना वसूल करते हैं। पैसा यदि वसूल नहीं होता है, तो उसकी जमीन-जायदाद नीलम कर दी जाती है। आप एक तरफ गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, गरीबी मिटाने की बात है और दूसरी तरफ गरीब को मिटाने की बात है। इस तरीके से यह व्यवस्था कैसे चल पाएगी। माननीय मंत्री महोदय आप इस पर ध्यान दीजिए, वरना सारे कार्यक्रम बेकार हो जायेंगे और इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसी तरह से आपने सब्सिडी का कार्यक्रम चलाया। आपका सब्सिडी कार्यक्रम फेल हो रहा है। सब जगह बड़े-बड़े अधिकारी लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। सारी सब्सिडी बैंकों के अधिकारी, एनिमल-हसबैन्ड्री आफिसर और ब्लाक डवलपमेंट आफिसर मिलकर बांट रहे हैं। इस बारे में मैंने पहले भी आपको सुझाव दिया था कि सब्सिडी के बजाय आप इन्टरैस्ट फ्री लोन दीजिए, ताकि पैसा पूरा मिले और इन्टरैस्ट न देना पड़े। यह व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए।

मेरा ख्याल है माननीय मंत्री जी मेरी बातों को सुन भी अच्छी तरह से नहीं रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वे पहले ही आपकी बातों को ठीक से सुन रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : एक बात मैं जिंक स्मैल्टर के बारे में कहना चाहता हूं। रामपुरा अगूचा में जिंक की बहुत बड़ी खान निकली है। खान यहां निकली है और उससे एक सौ तीस किलो मीटर दूर सुपर-जिंक-स्मेल्टर-प्लान्ट लगाया जा रहा है। मैंने इस बारे में कई दफा कहा है। आपके अधिकारी लोग योजना बनाते हैं, लेकिन ऐसी योजना बनाते हैं, जिनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। 130 किलोमीटर दूर रॉ-मैटिरीयल निकाल कर ले जायेंगे, इसको लाने-ले जाने में अच्छा खर्च आएगा। पानी लेना है और बिजली की व्यवस्था करनी है, तो 17 किलोमीटर नया बांध बनाकर पाइप लाइन के जरिए से पानी ले जायेंगे, नया थर्मल प्लान्ट लगाना पड़ेगा। यदि यह व्यवस्था जहां पर खान निकली है, वहीं कर दी जाए, तो काफी सस्ता पड़ेगा। यदि यह व्यवस्था वहां पर नहीं की जाती है, तो सैंकड़ों रुपयों का नुकसान भारत सरकार को होगा। आप इस बारे में दखल दीजिए। आप माईनिंग डिपार्टमेंट को कहिए कि यह प्लान्ट, रामपुरा अगूचा जहां पर खान निकली है, वहीं पर लगाना चाहिए। ताकि व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके।

इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम है, जिनसे आपको लाभ मिलेगा और फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, लेकिन आप उन कार्यक्रमों को नहीं करते हैं। हमारे यहां माइका निकली है, बिहार और आंध्र प्रदेश में भी निकली है। लेकिन यहां पर आपने माइका पेपर प्लान्ट लगाने की स्वीकृति दे दी है, लेकिन राजस्थान जहां पर माइका निकली है, उसको आपने स्वीकृति नहीं दी है। इससे आपको सौ

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

करोड़ रुपया फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट से मिलता, उस फॉरेन एक्सचेंज से सरकार को वंचित रखा जा रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उस पिछड़े हुए प्रान्त के अन्दर यदि वह कारखाना लगाया जाए तो निश्चित तरीके से वहां के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

इसी प्रकार से सीमेंट, रॉक-फॉसफेट, पायराइट और अन्य धातुएं वहां पर निकली हैं। यदि इनपर आधारित वहां पर कारखानें स्थापित कर दिए जायें, तो उस प्रदेश की जनता को ही नहीं बल्कि देश को भी लाभ मिलेगा।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव (मछलीपतनम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। वास्तव में इन वर्षों में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अच्छे प्रयास किए गए हैं और इससे भी बढ़कर द्रुत परिवर्तन लाने के लिए गत बजट में वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री ने काफी प्रयास किए हैं। यहां तक कि बहुत तेजी से सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए वित्त मंत्री के दृढ़ निश्चय को विपक्ष भी मानता है।

महोदय, सरकार की भूमिका सदा ऐसे रास्ते, नीतियां और कार्यक्रमों का पता लगाने की होती हैं जो देश के विशाल मानव संसाधनों को कार्य करने तथा अपने लिए और देश के लिए आवश्यक सम्पदा और सभी सुविधाएं सुलभ करने के लिए प्रेरित कर सकें। यद्यपि, हम किए जा रहे प्रयासों की काफी प्रशंसा करते हैं, पर मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बात का पता लगाएं और समुचित अध्ययन करें कि जापान, पश्चिमी जर्मनी और कोरिया अपनी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार इतनी शीघ्र परिवर्तन ला सके तथा हमारे देश में इस कार्य में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है ?

महोदय, यदि नीतियां और कार्यक्रम बनाने की बजाए वे विलम्ब होने के कारणों का पता लगाने और खामियों को दूर करने के लिए निरन्तर अध्ययन करें, तो मुझे विश्वास है कि हमें लक्ष्यों की शीघ्र प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि प्रधान मन्त्री ने कहा है कि यह देश इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है जहां हम अपनी तुलना सर्वाधिक उन्नत देशों के साथ कर सकते हैं। इस बात से सभी सहमत होंगे कि न तो अपार धन और न ही चिरस्थायी गरीबी से धन कमाने की कोई आशा अथवा इच्छा पैदा हो सकती है। इसलिए, इन सभी मामलों में यथोचित कर लगाकर अथवा इन्हें कड़ाई से लागू करके तथा इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों और देश के विभिन्न भागों में वर्तमान स्थितियों से निकट से जुड़े व्यक्तियों द्वारा पर्याप्त अध्ययन कराके अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है।

महोदय, 50,000 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के अलावा बैंकों में पड़े 80,000 करोड़ रुपये के समुचित उपयोग के द्वारा कहीं अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि, गरीब लोगों के

लाभ के लिए विभिन्न कार्यों के लिए धनराशियों का आवंटन किया जा रहा है, मेरा यह मत है कि इसका निचले स्तर पर उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं और गरीबों के लिए, विशेषकर कुटीर उद्योग, पशु पालन, डेरी विकास; मछली और झींगा मछली पालन, मुर्गीपालन, बढ़ईगीरी, कृषि के आधुनिक तरीकों जैसे क्षेत्र में ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र शुरू करने के बारे में सोचें। ऐसे युवाओं की संख्या काफी है जो इन सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। इन व्यक्तियों को वित्तीय संस्थानों से भी जोड़ा जा सकता है ताकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त किया जा सके।

महोदय आजकल हम देख रहे हैं बैंकों में भर्ती के स्तर में कोई सुधार नहीं है। इन लोगों को केवल लेखा कार्य ही नहीं करना चाहिए बल्कि उनकी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। उन्हें यह अनुभव करना चाहिए कि उनका कार्य समाज और देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाना है इसके लिए सुविज्ञ व्यावसायिक प्रतिभा और वचनबद्ध व्यक्तियों की आवश्यकता है। मैं पुन: यह इच्छा व्यक्त करता हूं कि मंत्री महोदय एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार करने के बारे में सोचें जो परिवर्तन लाने के लिए वचनबद्ध, अभिलाषी और उत्साहित हों और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए भारी बलिदान देने को तैयार हों।

यहां तक कि जन प्रतिनिधियों को भी इसके लिए जवाबदेह बनाना चाहिए और उन्हें इन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में शामिल किया जाना चाहिए। विभिन्न मंत्रालयों के लिए बजट प्रावधान करते समय मैं मंत्री महोदय से इस बात पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं क्या कोयला और खान, ऊर्जा, रेलवे, जल संसाधन, दूरसंचार, नागर विमानन, वस्त्र आदि जैसे मंत्रालयों को बजट में अधिक धनराशि के प्रावधान की आवश्यकता है अथवा क्या यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि वे अपने स्वयं के आंतरिक संसाधन जुटा सकते हैं ताकि आवंटन की मांग को कम किया जा सके। वास्तव में इन सभी मंत्रालयों को अपने आप साधन जुटाने की स्थिति में होना चाहिए, क्योंकि वे भी बदले में समाज के लिए, अपनी जो कुछ भी सेवाएं आदि हैं, उनका सृजन कर, उपलब्ध कर रहे हैं। ऐसे मामले में बजट में अधिकांश धनराशि का आवंटन सामाजिक सेवाओं अथवा ऐसे क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है जहां बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है अथवा गरीबों और दलितों के बीच धन की उचित वितरण प्रणाली सुनिश्चित की जा सकती है।

व्यापार घाटे को बढ़ते जाने को देखकर मुझे डर है कि यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया और यदि इसे अनिश्चित तौर पर बढ़ने दिया गया, तो अन्ततः एक ऐसे समाज का निर्माण हो जाएगा जहां इस देश के वासियों को विकसित देशों का बंधुआ मजदूर बना दिया जाएगा। जिन वस्तुओं का उत्पादन इस देश में किया जा सकता है उनका आयात नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी वस्तुओं के आयात से सदा देश में बेरोजगारी पैदा होगी और बाद में चूंकि अन्य देशों में मूल्य बढ़ रहे हैं और रुपए का निरन्तर अवमूल्यन हो रहा है तथा ऋणग्रस्तता बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में हमारे लोग असहाय हो जाएंगे और उन्हें अपने उत्पादों को कम मूल्य पर बेचना पड़ सकता है। इसलिए मैं एक बार पुन: मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिये जाएं और ऐसी वस्तुओं के आयात से बचा जाये जिनका उत्पादन देश में हो सकता है। कुछ वस्तुओं पर अधिक नियन्त्रण के

[श्री के० एस० राव]

सम्बन्ध में पुनः विचार किया जाना चाहिए और उन क्षेत्रों का पता लगाया जाना चाहिए जहां नियंत्रण हटाने की आवश्यकता है। इस प्रकार स्थिति में सुधार कर आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाया जा सकता है। देश में कर्ज लेने में वृद्धि होने से हमारी अर्थव्यवस्था और धन अर्जन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि बाहरी कर्ज से हमारी अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि उन क्षेत्रों में पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान किए जाएं जो घरेलू आय और बचत को बढ़ावा दें। सरकार को आंतरिक रूप से कर्ज लेना बढ़ाने की दिशा में सोचना चाहिए।

आयात के सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि खाद्य तेलों, चीनी, दालों, उर्वरकों आदि पर भारी धन-राशि खर्च की जा रही है। अपने देश में ही इन वस्तुओं के भारी मात्रा में उत्पादन को प्रोत्साहन देकर इस व्यय से बचा जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो तकनीक का आयात किया जा सकता है परन्तु वस्तुओं का आयात बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए।

महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित है। गांव के लोग अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की स्थिति में नहीं हैं और इस थोड़ी सी आय में वे अपने बच्चों को सुदूर व्यावसायिक कालेजों में भेजने में सक्षम नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का मैं समर्थन करता हूं, परन्तु यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि सरकार शहरी सम्पत्ति की भी अधिक-तम सीमा क्यों नहीं निर्धारित करती। इस संदर्भ में मैं चाहता हूं कि विभिन्न वर्गों के लोगों के उत्साह और प्रोत्साहनों पर प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय सम्पदा में दो रास्तों से अधिक से अधिक वृद्धि करने के बारे में सोचना चाहिये --एक है पूर्ण स्वामित्व और दूसरा है न्यासिता। यदि कोई व्यक्ति न्यास के धन का दुरुपयोग करता पाया जाये तो न्यास के प्रबन्धग्रहण का प्रावधान किया जा सकता है, जिससे प्रोत्साहन समाप्त न हो. परन्तु उसके साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका दुरुपयोग न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का पूरा समर्थन करता हूं परन्तु इसके साथ-साथ मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि कार्य निष्पादन में ढीला सरकारी क्षेत्र राष्ट्र के संसाधनों को बर्बाद कर रहा है और मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा कर रहा है और अर्थ-व्यवस्था को चौपट कर रहा है। इसलिए बिना और समय गंवाए सरकारी क्षेत्र के इन अक्षम उपक्रमों को ठीक करने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए और तुरन्त उपाय किये जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि केवल उन्हीं लोगों को, जो जेल में गये हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान किया है, जो सक्षम हैं, जिनके पास ज्ञान तथा व्यावसायिक कुशलता है संगठनों को प्रमुख बनाया जाए और केवल नौकरशाहों को ही इन संगठनों का प्रमुख नहीं होना चाहिए। जब तक इन संगठनों के अध्यक्ष नौकरशाह रहेंगे तब तक वे सरकारी क्षेत्र की तकनीकी समस्याओं के सभी पहलुओं की जानकारी न रखते हुए अपना ध्यान प्रशासन पर केन्द्रित करते रहेंगे, सरकारी क्षेत्र के संगठन अकुशल ढंग से काम करने के लिए बाध्य हैं। अतएव, इस दिशा में अविलम्ब आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।

अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव संसाधनों का बड़े पैमाने पर पता लगाया जाना चाहिए; वे इस देश में भारी मात्रा में उपलब्ध हैं। नई शिक्षा नीति के बावजूद इस पर क्रान्तिकारी ढंग से विचार नहीं किया जा रहा है। जब तक यह कार्य नहीं किया जाता है तब तक विभिन्न दिशाओं में किये गये भारी प्रयासों अथवा विभिन्न मंत्रालयों के लिए अधिक निधियों का आवंटन करने के लिए माथापच्ची करने से कोई मदद नहीं मिलेगी।

अब मैं आन्ध्र प्रदेश के बारे में जिक्र करूंगा, यहां खेती करने वाला एक अच्छा समुदाय है जो आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रति काफी संग्रहणशील हैं और काफी प्रगतिशील दिमाग वाले हैं। यदि आन्ध्र प्रदेश के खेती करने वाले समुदाय को उचित प्रोत्साहन, उनके उत्पादों के लिये लाभप्रद तथा उच्च प्रौद्योगिकी हेतु समर्थन देकर सहायता की जाती है तो वे अपने स्वयं के धन में वृद्धि के साथ-साथ राष्ट्रीय धन में भी वृद्धि करने की स्थिति में हो जाएंगे।

इसी प्रकार, आन्ध्र प्रदेश का विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का बेरोजगार गरीब युवक अधिक कुशलताएं हासिल करने, अधिक धन कमाने तथा स्वयं के साथ-साथ राष्ट्र की भी सहायता करने के लिए काफी संग्रहणशील तथा उत्सुक हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस दिशा में भी सोचें।

जहां तक निर्यात संवर्द्धन का सम्बन्ध है, आन्ध्र प्रदेश में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। सरकार द्वारा राज्य सरकार को एक निर्यात व्यापार निगम का गठन करके निर्यात को अपने हाथ में लेने की अनुमति देने पर विचार किया जाना चाहिए। वित्तीय परियोजनाओं को न सही, कम से कम तकनीकी परियोजनाओं को तो बिना किसी विलम्ब के स्वीकृति दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और इस वित्त-विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं। इसके अंतर्गत उन्होंने उत्पादन एवं आयात शुल्क में 82 करोड़ रुपये की रियायतें दी हैं। सरसों का तेल, रेपसीड आयल, शोधित तेल के उत्पादन शुल्क में 50 परसेंट की रियायतों की घोषणा की गई है, ट्रक-बसेस की बाडियों के निर्माण, बांस की लकड़ी का फर्नीचर, लालटेनों एवं उसके उपकरणों और तार-पीन के तेल पर करों में रियायत दी गई है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। माचिस के कागज, मछली पकड़ने वाले जाल, पटसन की बोरियां, लालटेन, इन पर छूट देकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने छोटे वर्ग को जो रियायतें प्रदान की हैं, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। पटसन की बोरियों के उत्पादन शुल्क में छूट देने से किसानों को काफी मदद मिलेगी और मछली पकड़ने के जालों में जो छूट दी गई है उससे छोटा वर्ग जो मछेरों का है, उनको प्रोत्साहन मिलेगा और इससे उनको काफी सुविधा प्रदान होगी। उद्योगों में जो लाइसेंस सीमा बढ़ाई गई है, छोटे उद्योगों की सीमा 5 लाख से 10 लाख की गई है, इससे मैं समझता हूं कि छोटे उद्योग लगाने वालों को जो असुविधा हो रही थी, वह दूर होगी और वे आसानी से, सरलता से उद्योगों की तरफ अग्रसर होंगे। इसके साथ-साथ जो शिक्षित बेरोजगार नवयुवक हैं, जो

[श्री मानवेन्द्र सिंह]

उद्योगों की तरफ प्रोत्साहित हो रहे हैं, उनको भी मैं समझता हूं कि इससे प्रोत्साहन मिलेगा और वे छोटी इंडस्ट्रीज में तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। पिछली बार माननीय मंत्री जी ने विशेषकर चर्म उद्योग में जो छूट दी थी, उससे उस उद्योग में लगे हुए हरिजन और पिछड़ी जाति के लोगों को राहत मिली है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। माननीय मन्त्री जी ने यह भी प्रावधान रखा है जिसमें व्यावसायियों के घरों पर जाकर छापे मारने में कुछ रोक लगाई गई है। उनके कार्यालयों में छापा मारने वाले छानबीन करेंगे। मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि क्या उससे काले धन को पकड़ने में कुछ अड़चनें नहीं आएंगी। इन व्यावसायियों के घर और बैंकों को छोड़ा गया है इसके लिए कोई न कोई नीति अवश्य रखनी चाहिए क्योंकि इससे आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ा सकती है और काले धन को पकड़े जाने में दिक्कतें आ सकती हैं। ग्रामीण विकास की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। यहां पर काश्तकार द्वारा गेहूं और गन्ने की फसल अधिक उगाई जाती है। इसके जो मूल्य हैं, उनका निर्धारण उचित रूप से सर्वेक्षण करके किया जाना चाहिए क्योंकि कृषि के उपयोग में आने वाली हर वस्तु जैसे खाद, बीज, सिंचाई के साधन, लगान, मजदूरी, ट्रैक्टर या खेती में काम आने वाले जो इम्पलीमेंट्स हैं, उनके दाम बढ़े हैं। इससे किसानों का जो रुपया उत्पादन में लगता है, उसकी सीमा बढ़ी है जिसकी वजह से किसान को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ता वस्तु जो किसान बाजार में खरीदने आता है, उसकी भी कीमतें बढ़ने की वजह से किसान की आर्थिक स्थिति कुछ लड़खड़ाई है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि उसके उत्पादन के रेट पर पुनर्विचार किया जाए। उसकी दरों को बढ़ाना अतिआवश्यक है। आज किसान कर्जे से काफी लदा हुआ है। अगर उसको उचित मूल्य न दिया गया, और सारी चीजों की कीमतें बढ़ती गई तो किसान संकट में आ सकता है। इसके साथ-साथ सिंचाई के साधन, ट्यूबवैल और विद्युतिकरण की जो योजनाएं हैं, उनको अधिक मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। ग्रामीण मार्ग और अस्पतालों के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा आयोग का एक अलग से गठन किया जाना चाहिए। यह देखने में आया है कि जिन डाक्टरों की पोस्टिंग ग्रामीण इलाकों में, हिल्स पर या इंटीरियर में होती है, वहां पर वे लोग पहुंच ही नहीं पाते जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को पूरी नहीं मिल पातीं। अस्पतालों के साथ-साथ आवागमन के साधन भी बहुत कम हैं। स्कूलों में प्राईमरी पाठशाला और शिक्षा की अत्यन्त दयनीय दशा है। इसके साथ-साथ टेक्नीकल एजुकेशन और कृषि शिक्षा की भी बहुत कमी है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कृषि विद्यालयों का गठन अधिक से अधिक जिलों में किया जाना चाहिए। उद्योगों की दृष्टि से हर ब्लाक में उद्योगों की इकाइयों का गठन किया जाना चाहिए जिससे रोजगार मिले और गांवों का विकास हो सके। पेयजल योजना का भी प्रावधान हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने रखा है, एन०आर०ई०पी० और आर०एल०ई०जी०पी० जैसी योजनाएं भी हैं। इसके साथ ही हरिजनों की आवासीय योजना में कुछ कमी रह गई है, उसको भी आपको देखना होगा। बैंकों के माध्यम से जो ऋण दिए जाते हैं, उनमें जो बैंक मैनेजर और कर्मचारी हैं वे किसानों से कमीशन लेते हैं, उसके लिए सख्त आदेश देने पड़ेंगे। मैं मथुरा से आता हूं इसलिए दो तीन बातें वहां की रखना चाहूंगा। वहां पर वृन्दावन और छेरगढ़ के दो यमुना पुलों के निर्माण की पुरानी समस्या चली आ रही है। ब्रज विकास की योजना विचाराधीन है। यह तीर्थ स्थल

है और भगवान कृष्ण की बृज भूमि है। मथुरा, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, और गोकुल के लिए परिक्रमा मार्ग और सौन्दर्यकरण की आवश्यकता है। दर्शनीय स्थानों का नवीनीकरण होना अतिआवश्यक है। इसके लिए भी आप भारतवर्ष में जितने तीर्थस्थल हैं वहां के लिए बजट का प्रावधान अवश्य रखिए। इसके साथ-साथ चीनी मिल के लिए भी स्थान रखें। इसके साथ मैं माननीय उपाध्यक्ष का हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपके बाद दो और वक्ताओं को बोलना है।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय (घोसी) : मैं आपका हृदय से आभार मानता हूं कि आपने मुझे इस वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इससे पहले भी लगभग सारे सदन ने पक्ष और विपक्ष दोनों के लोगों ने एक स्वर से इस बजट को सराहा था कि यह बजट इस देश के सर्वांगीण विकास का बजट हैं। इससे देश बहुत तेजी से प्रगति करेगा। मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। इस बजट को पेश करते हुए हमारे वित्त मंत्री जी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने और माननीय जनार्दन पुजारी ने इस बात का ख्याल रखा है कि देश में जो सबसे गरीब तबका है उसको खासतौर से लाभ पहुंचे। किसी भी देश के बजट में अगर उस देश के गरीब के विषय में नहीं सोचा जाता है तो उसको अच्छा बजट नहीं कहा जा सकता है। बजट की आलोचनायें दो-तीन बातों पर हुई हैं। उन आलोचनाओं से डर कर हमारे वित्त मन्त्री जी को कुछ अपनी रेड्सम, जो छापे पड़ रहे है जो सर्वे हो रहे हैं जो घोसी जर हो रहे हैं इसमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब भी रेड्स होंगी, तो बड़े लोगों पर होंगी जिनके पास अपार सम्पत्ति है, जो सरकार को और इस देश को चलाने के लिए अपनी उस आमदनी का हिस्सा नहीं देना चाहते। उनकावेस्टेड इंटरेस्ट है, उनके अच्छे वकील हैं, उनके अच्छे लोग हैं उनके अपने अखबार हैं। इसलिए वह किसी भी बात की आलोचना इस तरह से करेंगे कि बजट बनाने वाले वित्त मंत्री का मनोबल गिर जाएऔर देश के लिए गरीब के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है वह समाप्त हो जाए। चाहे जो भी परिणाम भुगतने पड़ें यह साबित हो गया है कि आप लोग इनके सामने झुकने वाले नहीं हैं, यह साबित हो गया है कि राजीव गांधी के नेतृत्व में आप इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। आप जिस तरह से बजट बना रहे हैं, जिस तरह की रूपरेखा देश के विकास की रख रहे हैं उसके होते हुए देश का गरीब बहुत जल्दी प्रगति की सीढ़ी पा सकेगा। इसलिए इससे भयभीत नहीं होकर जो आपने सिलसिला चालू किया है उसको और तेज करने की जरूरत है। रेड्स जितनी होंगी लोगों के मन में भय होगा। माननीय पालकीवाला या माननीय बहुगुणा जैसे लोग इस किस्म का प्रयास करें, आलोचना करें कि यह दिखाने में राजा जी और पुजारी जी साधु लगते हैं, लेकिन इनका दिल बड़ा काला है और यह रेड्स खास वजह से डाल रहे हैं। मैं उनके वक्तव्य पत्र-पत्रिकाओं में पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि किसी व्यक्ति को डिस्करेज करने का और दूसरा तरीका नहीं हो सकता। इसलिए मैं सबसे पहले बजट का समर्थन करता हूं।

[श्री राज कुमार राय]

[अनुवाद]

मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

बहुगुणा जी ने कहा है, मैं पढ़ रहा था कि बजट बड़ा खराब है, भ्रांति वाला है इससे बड़ा नुकसान होगा, देखने में यह सीधा लगता है। उन्होंने सीधे अपने इंटरव्यू में कहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि बहुगुणा जी राजा साहेब से चिढ़े हुए हैं कि इलाहाबाद की लोक सभा की सीट हारकर यह मोर्चा बनाकर अमिताभ जी को बिठाया हुआ है श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह जी ने। इसलिए उनके सही कदमों को गलत करने का उन्होंने ठेका लिया है।

दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं इस बजट में जिन लोगों ने रेड्स वगैरह को क्रिटिसाइज किया है उन लोगों ने इसकी सराहना भी की है। मैं इसलिए नहीं कहता कि उन लोगों ने सराहना की है, इसको सही मानते हैं, हमारे जैसे आदमी को जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता नहीं है जिनको इन चीजों में टेक्नीकल जानकारी नहीं है। मैं मिस्टर पालकीवाला कोट कर रहा हूं···

[अनुवाद]

"···इसमें पिछले बजट की मुख्य बात गुप्तता इस बार नदारद थी। पिछले वर्ष दिये गये स्थायित्व के वचन को भी पूर्णतया निभाया गया था। व्यक्तिगत तथा निगमित कर की कम दरों को जारी रखा गया था। मध्यम वर्ग तथा गरीब वर्ग को दी जाने वाली अत्यावश्यक राहतों का भी स्वागत किया गया था।"

उनका स्वागत किया जाना चाहिए था। श्री नानी पालकीवाला ने यही बात कही है।

[हिन्दी]

इसलिये इसमें ऐसी चीजें हैं। हमारी सरकार एन्टी पावर्टी प्रोग्राम और नेशनल इंटीग्रेशन—ये दो ऐसे विषय हैं जिनके लिए हमारी भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा जी जिन्दा रहीं और मर गईं और इसके लिए वे सदा-सदा याद की जाएंगी। कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनके बारे में मैं कई बार इस सदन में ध्यान आकृष्ट कर चुका हूं। उदाहरण के लिए एन०आर०ई०पी० है, मिनिमम गारंटी प्रोग्राम है, आर०एल०ई०जी०पी० है, इनके लिए बजट बनाते समय, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए करोड़ों रुपये का प्रावधान किया है और एक तरह से इन योजनाओं के अन्दर रुपया उड़ेल दिया गया है। मान्यवर आप यह मानकर चलते हैं कि इस पैसे से राज्य सरकारें कुछ ऐसा काम करेंगी जिससे इस देश के श्रमिकों की स्थिति, गरीबों की स्थिति इस हद तक सुधर जाये ताकि उनको थोड़ा-बहुत काम भी मिल सके और दिन-भर काम करने के बाद, शाम को वे इतना पैसा पा सकें कि जो उनको दो रोटियों के लिए, एक गिलास पानी के लिए, और नमक के टुकड़े के लिए मोहताज न

रहने दे। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुःख इस बात का है कि राज्य सरकारें उस पैसे का दुरुपयोग कर रही हैं। एन०आर०ई०पी० के अन्तर्गत राज्य सरकारों को जितना पैसा दिया जाता है, वह निश्चित रूप से ठेकेदारों और अधिकारियों के हाथों में, नीचे से चला जा रहा है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं और उसके साथ-साथ पश्चिमी बिहार की स्थिति से अवगत हूं। वह इलाका सारे हिन्दुस्तान का सबसे घनी आबादी वाला इलाका है, और अपनी गरीबी तथा पिछड़ेपन के लिए प्रसिद्ध है। आप पूरा बजट उठाकर देख लीजिए, यदि आपको एन०आर०ई०पी० की एक भी स्कीम ऐसी मिल जाए जिसमें कि ठेकेदारों के जरिए काम न कराया गया हो तो मैं माननीय मंत्री जी की तरफ से या चेयर की तरफ से जो भी शर्त हो, उसे मानने के लिए तैयार हूं। सारा काम ठेकेदारों से कराया जाता है और इस कार्यक्रम के तहत जितना 4-5 करोड़ रुपया वहां जा रहा है, उस सब का दुरुपयोग होकर, वह पैसा ठेकेदारों के पास जा रहा है और उनसे जो कुछ बचता है वह कमीशन के रूप में सरकारी अधिकारियों के पास चला जाता है।

मान्यवर, यदि आप समय दें तो मैं एक-दो महत्वपूर्ण बातें और कहना चाहूंगा। आज बैंकों में सीक्योरिटी की बहुत आवश्यकता है क्योंकि मुझे लगता है कि जिस बैंक पर चोर और डाकुओं की कृपा हो जाए वह तो ठीक चलता है, और जिस पर वह कृपा नहीं करते या कृपा न करना चाहें तो आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं। इसी सदन में मैंने अपने अतारांकित प्रश्न संख्या 6376 के द्वारा सरकार से पूछा था कि इलाहाबाद और कानपुर में पड़ी डकैती से क्या यह सिद्ध हो गया है कि बैंक डाकुओं की कृपा से ही काम करने में समर्थ हैं न कि सुधरी हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति से, तो उसके उत्तर में दिनांक 11 अप्रैल, 1986 को सरकार की ओर से मुझे उत्तर दिया गया कि "जी नहीं"। उसी प्रश्न में जब मैंने उत्तर प्रदेश में वर्ष 1985 के दौरान बैंक डकैतियों की स्थिति की जानकारी चाही तो मुझे बताया गया कि उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में डकैती और लूटपाट की 8 घटनाएं हुई जिनमें 26.39 लाख रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त थी और 15 व्यक्तियों के गिरफ्तार किए जाने की सूचना मिली है। जहां तक बैंक धोखाधड़ियों का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान आंकड़ा प्रणाली से राज्यवार सूचना प्राप्त नहीं होती अलबत्ता 1985 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा देश भर में धोखाधड़ियों के मामलों की कुल संख्या के संबंध में अद्यतन समेकित सूचना के अनुसार 2157 धोखाधड़ी की घटनाओं और कुल 53.49 करोड़ रुपये के अन्तर्ग्रस्त होने की जानकारी है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जहां धोखाधड़ी और डकैती करने वालों ने चाहा, वहां बैंक या सरकार कुछ नहीं कर सकी और वहां जो कुछ हो रहा है, वह उनकी कृपा से ही हो रहा है। इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि बैंकों में स्पेशल सीक्योरिटी की व्यवस्था की जाए ताकि जनता का रुपया इधर-उधर न जा सके। अन्त में, यह कहते हुए मैं फाइनैंस बिल का समर्थन करता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में हटाई गई पेय-जल की टंकियों की व्यवस्था के सम्बन्ध में भी आप देख लें। धन्यवाद।

श्रीमती ऊषा चौधरी (अमरावती) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो फाइनैंस बिल सदन के सामने लाया गया है, वह कई मायनों से समाधानकारक है। मैं उसका समर्थन करते हुए कुछ शब्द उसके बारे में बोलना चाहती हूं। हमें मालूम है कि सरकार को आर्थिक सफलता मिलनी जितनी आवश्यक है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो आर्थिक नीति बनाने जा रहे हैं, वह समाज

[श्रीमती ऊषा चौधरी]

के लिए घातक न हो। इसलिए इस बिल में लॉटरी, जुआ और रेस पर जो आपने टैक्स बढ़ाया है, उसका समर्थन करने की हिम्मत तो मेरे में नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि लॉटरी जैसी चीजों से गवर्नमेंट को कितना फायदा है, यह बात वे कृपा करके सदन में अपने जवाब में अवश्य बताएंगे। और यदि फायदा हो या न हो, फिर भी ऐसी जो घातक प्रवृत्ति है, ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके लिए हम आर्थिक नीति बनाने जा रहे हैं, उनके बारे में हम उनको पूछें। चाहे हमें लिकर से एक्साइज-ड्यूटी मिलती हो, चाहे लॉटरी से हमें फायदा मिलता हो। तो इसके लिए आम लोग और महिलाएं यह बोलेंगी कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम में एक कार्यक्रम कम आया, थोड़ी-सी आर्थिक मदद कम होगी, तो चलेगा, लेकिन जिससे हमारे जीवन की आशा और शांति खत्म होती हो, वह चीज हमें नहीं चाहिए। यह आम लोगों की और खासकर महिलाओं की धारणा है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इससे कितने गरीब लोगों का फायदा हुआ है, बल्कि मैं तो यह कहना चाहती हूं कि जिसके पास ब्लैक मनी है वह जिसका नम्बर निकलता है उससे ब्लैक में खरीद लेता है और अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट बनाता है। इसलिए हमें चाहते हैं कि हमें फाइनैंस मिले, लेकिन ऐसे माध्यम से फाइनैंस मिलना चाहिए जिससे गरीब के ऊपर उसका बुरा असर न पड़े और अमीर से पैसा ले सकें।

इस बिल का समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव यहां देना चाहती हूं। जब एक तरफ हम दरिद्र रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर लाना चाहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ अमीर लोगों की अमीरी रेखा भी बढ़ती जा रही है। उनकी आशाएं और आकांक्षाएं और बढ़ती जा रही हैं। उसके ऊपर रोक लगाना भी आवश्यक है। गरीबों को हम ऊपर लाएं, किन्तु इसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि अमीर को कितना और ऊपर जाना है, इसके ऊपर भी कुछ पाबंदी लगाइए।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने यहां पर हाउसिंग के बारे में कहा कि शहर में एक नई और अच्छी हाउसिंग की स्कीम बनाने के बारे में विचार चल रहा है। यह अच्छी बात है, शासन इस बारे में विचार करे, लेकिन इसके साथ ही मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि गांवों व देहातों के बारे में भी शासन को सोचना चाहिए। शहरों में तो आप कई कमरों के फ्लैट बनाकर लोगों को दे देते हैं, लेकिन गांवों मे साफ-सुथरे छोटे फ्लैट देने के बारे में भी शासन को विचार करना चाहिए। देहातों के रहने वाले गरीबों और आम लोगों तथा किसानों को और कर्मचारियों को छोटे मकान देने के बारे में सरकार को एक योजना बनानी चाहिए। चाहे इसके लिए केन्द्रीय सरकार को एल०आई०सी० से लोन लेना पड़े। किसी भी तरह से केन्द्र सरकार को इस प्रकार की योजना बनाकर हाउसिंग स्कीम बनानी चाहिए और उन लोगों को मदद देनी चाहिए।

तीसरा सुझाव मैं यह देना चाहती हूं कि देहातों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए हास्पिटल नहीं हैं, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं हैं। इनको बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट उतना फण्ड भी नहीं दे सकती हैं। इनको बनाने के लिए भी केन्द्र सरकार को कोई योजना बनानी चाहिए। इसके लिए भी भले ही केन्द्र सरकार को लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन से लोन लेना पड़े, किन्तु हास्पिटल और स्कूलों को बनाने के बारे में भी पैसा कहीं न कहीं से प्राप्त करके इस कार्य को पूर्ण करना चाहिए जिससे देहातों

में रहने वाले लोगों को कुछ सुविधाएं मिल सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर किसानों के बारे में भी काफी चर्चा हुई है। मैं किसानों के बारे में ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि अभी-अभी सरकार ने कुछ हद तक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फलों एवं कुछ फसलों के लिए लागू की है। हम चाहते हैं कि यह स्कीम सारे देश में सभी फसलों और फलों की फसलों पर लागू होनी चाहिए जिससे किसानों को कुछ राहत मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव यह है कि लैंडलैस लेबरर्स के लिए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम बनाई जाये।

मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि हमारे बीस-सूत्री कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत जब गरीब आदमी बैंक से कर्जा मांगने जाता है तो बैंक बोलता है कि हम नहीं दे सकते, लेकिन पिछले 2 साल में काफी जो घपला हुआ, करोड़ों रुपये का उसमें घपला हुआ है, उसके लिए भी शासन का क्या धोखा है, शासन इसकी जांच करके उसमें कड़ी कार्यवाही करें और बैंक की कार्य प्रणाली में सुधार लाएं और क्या शासन इसकी इंक्वायरी करेगा कि ऐसा क्यों हुआ ? एक तरफ पैसे का गलत उपयोग किया जाता है और दूसरी तरफ गरीबों को राहत देने के लिए बैंक इन्कार करता है, इसके लिये भी शासन को कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

सरकार ने जो खासकर लांग टर्म फिजकल पालिसी लागू की है, उसका मैं समर्थन करते हुए यही चाहती हूं कि आर्थिक विषमता दूर करने के लिये जब हम 21वीं शताब्दी में पदार्पण कर रहे हैं तो उसका डिजाइन, बैंकों का काम हमारी सरकार की आर्थिक नीतियां कर रही हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

3.31 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

18वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 24 अप्रैल, 1986 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 18वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

[श्री राम प्यारे सुमन]

"कि यह सभा 24 अप्रैल, 1986 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 18वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.32 म० प०

चुनाव सुधारों सम्बन्धी संकल्प

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पिछली बार जब श्री डी० एन० रेड्डी द्वारा रखे गये संकल्प पर चर्चा की जा रही थी उस समय गणपूर्ति के अभाव में सभा को स्थगित कर दिया गया था। मैं सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि इस पर 8 घंटे और 11 मिनट पहले ही लिए जा चुके हैं।

संसदीय कार्य तथा पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि 1½ घंटे का समय बढ़ा दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा इस बात पर सहमति व्यक्त करती है कि श्री डी० एन० रेड्डी द्वारा 28 फरवरी, 1986 को प्रस्तावित संकल्प पर 1½ घंटे का समय बढ़ा दिया जाए ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : मुझे वास्तव में याद नहीं है कि मैंने उस दिन क्या कहा था। अच्छा होगा मैं सारी बात दुबारा शुरू करूं।

जैसा कि मैंने उस दिन जिक्र किया था, चुनाव सम्बन्धी सुधारों पर वाद-विवाद के स्तर को दलगत भेद-भावों से ऊपर उठकर ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। यह बड़ी खुशी की बात है कि भारत ने प्रजातांत्रिक प्रणाली को कायम रखा है यद्यपि यह अभी अपने विकास की ओर ही अग्रसर है। आर्थिक दिशा में अनवरत रूप से ढांचेगत गम्भीर असफलता के बावजूद हमारे देश में प्रजातंत्र न केवल अपना अस्तित्व ही बनाए हुए है बल्कि यहां की जमीन में गहरी जड़ें जमा चुका है।

3.35 म० प०

(श्री बक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए)

परन्तु हमें इस तथ्य की जानकारी रखनी होगी कि भारतीय राजनीति की इस एकमात्र उप-

लब्धि को भी चुनाव सम्बन्धी प्रक्रिया में दोष को बढ़ावा देकर खतरा पैदा किया जा रहा है। समूचा चुनाव तंत्र पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया है जिसका हमारे लोकतंत्र पर बुरा असर पड़ रहा है। चुनाव सुधार अब कोई अकादमिक मुद्दा नहीं रह गया है जिस पर समारोहों तथा संगोष्ठियों में वाद-विवाद किया जाता हो, परन्तु, वास्तव में एक ज्वलन्त समस्या है जिस पर लगातार कार्यवाही की जानी है। चुनाव आयोग ने इस वर्ष के अपने प्रतिवेदन में तीन प्रकार के बलों अर्थात धन (मनी) बल, बाहुबल (मसल) तथा प्रचार-माध्यम (मीडिया) बल द्वारा पैदा किए गए खतरे की बात की थी। मुझे इस सूची में दो किस्म के बलों अर्थात शासकीय (मजिस्ट्रेलियल) बल तथा तंत्र (मशीनरी) बल को भी और जोड़ देना चाहिए। वास्तव में संक्षेप में इन पांचों के बल को "एम" कह सकते हैं। यदि इन पांच बुरे बलों पर रोक लगा दी जाती है तो मेरे विचार में, सुधार की कोई भी बात स्वयं चुनाव आयोग से ही शुरू की जानी चाहिए।

चुनाव आयोग को, इसके गठन, इसके तंत्र, इसके अधिकार क्षेत्र और इसकी स्वायत्तता की दृष्टि से सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। इसका प्रारम्भ इसके गठन से ही किया जाना चाहिए। मेरे विचार में, इसका प्रमुख एक व्यक्ति न होकर तीन व्यक्ति होने चाहिए और इस चुनाव आयोग का प्रबन्ध चलाने के लिए व्यक्तियों का चयन अकेली सरकार की इच्छा पर ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। मेरा विचार यह है कि वास्तव में इनकी नियुक्ति करने से पहले विपक्ष तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश और सरकार सभी की राय पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसके पास स्वयं का एक स्वतंत्र तंत्र होना चाहिए, नहीं तो इसे पुनः राज्य सरकार के स्तर के तंत्र के माध्यम से कार्य करना पड़ेगा।

निर्वाचन आयोग को किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, जहां वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि दस से अधिक मतदान केन्द्रों पर कब्जा किया गया है, पुनः मतदान कराने का आदेश देने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

इसके बाद, मैं आचार संहिता की चर्चा करूंगा। आचार संहिता का पालन की बजाए उल्लंघन अधिक किया जाता है। इसलिए इस बात की बहुत आवश्यकता है कि आचार संहिता को कानूनी अधिकार दिए जाएं। निर्वाचन आयोग द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए नहीं तो ये बिल्कुल व्यर्थ सिद्ध होंगे। मैं उम्मीदवारों के नामों की ओर ध्यान आकर्षित करना नहीं चाहता परन्तु मैं यहां बांका उप-चुनाव का हवाला दूंगा। वहां एक जिला मजिस्ट्रेट को मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करना था। उन्हें वहां मतदान की अधिसूचना जारी किये जाने से दो दिन पूर्व नियुक्त किया गया। और जब मैं अपने दल के एक साथी के साथ तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त से अभ्यावेदन करने गया तो उन्होंने कहा कि वे असहाय हैं क्योंकि उनकी नियुक्ति अधिसूचना से दो दिन पूर्व ही हुई थी। मैं इस बारे में यह भी बता दूं कि इस जिला मजिस्ट्रेट ने गत लोक सभा चुनावों में भी इसी निर्वाचन क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया था तथा उसके विरुद्ध बहुत सी शिकायतें की गई थीं और इन शिकायतों को देखते हुए उसे स्थानांतरित किया जाना चाहिए था परन्तु उप-चुनाव की अधिसूचना से पूर्व उसे फिर यहां नियुक्त कर दिया गया। इसलिए मैं यह सुझाव देता हूं कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट की बजाए जिला जजों को चुनाव अधिकारी बनाया जाना चाहिए और उन्हें

[श्री एस० जयपाल रेड्डी]

चुनाव अभियान की अवधि के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। मैं एक बार फिर आपका ध्यान उसी बांका उप-चुनाव की ओर दिलाता हूं। चुनाव से केवल 10 दिन पहले एक महानिरीक्षक को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया। हम निर्वाचन आयुक्त से जाकर मिले तो उन्होंने कहा "मैं कानून और व्यवस्था का प्रभारी नहीं हूं।" मैं यह बात भी आपके ध्यान में लाता हूं कि इस विशिष्ट मामले में निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का उल्लंघन किया गया। उन्होंने लिखित में निर्देश दिया था कि चुनाव कार्य पर केन्द्रीय उपक्रमों के कर्मचारियों को लगाया जाना चाहिए। निर्वाचन आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को गश्त लगाने के लिए कहा जाना चाहिए। परन्तु इन सभी निर्देशों का खुला उल्लंघन किया गया और निर्वाचन आयुक्त असहाय थे। हम जानते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट क्या कुछ कर सकते हैं। अकेले बिहार राज्य में ही मैं आपका ध्यान एक अन्य मामले की ओर आकर्षित कर सकता हूं। विधान सभा चुनावों में पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया और 24 घन्टे के भीतर ही उसी चुनाव अधिकारी द्वारा कांग्रेस (आई) के उम्मीदवार को प्रमाणपत्र दे दिया गया। मैं आशा करता हूं कि आप चुनाव अधिकारी के रूप में जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में किए गए भारी पक्षपात को समझेंगे।

महोदय, मुझे दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे प्रचार माध्यमों को दी गई और उनके द्वारा प्रयोग की जा रही अनिश्चित, लगभग असीम शक्तियों का हवाला देने की आवश्यकता नहीं है। हमें पर्याप्त कानूनी प्राधिकार के साथ एक ऐसी आचार संहिता तैयार करनी चाहिए जिससे यह देख सकें कि सरकार के इन प्रचार माध्यमों का संकीर्ण और घृणित पक्षपातपूर्ण प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग न किया जाए।

अब मैं कम्पनियों को राजनीतिक दलों को चन्दा देने की अनुमति देने के बारे में हाल ही में किए गए संशोधन की चर्चा करूंगा। सरकार कम्पनियों से उप-कर के रूप में चन्दा प्राप्त कर सकती है। उस धन को एकत्र करके निर्धारित मानदंडों के अनुसार विभिन्न दलों में बांटा जा सकता है। यदि कम्पनियों को विशेषाधिकार दिया जाता है तो कम्पनियां दलों के सैद्धांतिक दृष्टिकोण तथा दल की संरक्षक शक्ति के आधार पर चन्दा देंगी। इसलिए यह संशोधन केवल उस भ्रष्टाचार को नियमित करने के लिए है जो हमारे चुनाव तंत्र को खा रहा है।

अब मैं अपने राजनीतिक दलों के कार्यकरण की चर्चा करूंगा। महोदय, मैं किन्हीं विशेष राजनीतिक दलों का विरोध नहीं कर रहा हूं। मेरे विचार से हमारे राजनीतिक दलों का ढांचा आंतरिक कार्यकरण के मामले में पर्याप्त रूप से लोकतांत्रिक नहीं है। इसलिए एक व्यापक विधान के माध्यम से राजनीतिक दलों के कार्यकरण को नियमित करने तथा राजनीतिक दलों की अनिवार्य लेखा परीक्षा शुरू करने की आवश्यकता है।

अब मैं खर्चे की सीमा के संबंध में चर्चा करूंगा। हमें 1974 से पूर्व किये गये उस संशोधन की

जानकारी है जिसके द्वारा किसी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवारों के मित्रों द्वारा किये गये खर्च को सीमा से बाहर रखा गया। इससे स्वयं सीमा उपबन्ध ही यदि बेतुका नहीं, तो पूर्णतया अप्रभावी बन गया।

महोदय, हल्के और सतही उम्मीदवारों से भी बचने की आवश्यकता है। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि जमानत राशि को कम से कम 10 गुना बढ़ा दिया जाए।

चुनाव अवधि के दौरान भारत के प्रधान मन्त्री भारतीय वायुसेना के हेलीकाप्टरों और वायुयानों से प्रचार के लिए जा सकते हैं। मेरा यह कहना है कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को भी यह सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। (व्यवधान) क्यों नहीं ? चुनाव के दौरान आप कहते हैं कि वह प्रधान मन्त्री के रूप में जा रहे हैं। क्या इसमें मुझे शिक्षा देनी पड़ेगी ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : कुमारी ममता, कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसे मैं देखूंगा। आप चिन्ता मत करिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसलिए, श्रीमान मेरा यह मत है कि जिस किसी भी मतदान केन्द्र में 80 प्रतिशत से अधिक मतदान रिकार्ड किया जाता है, तो, उस मतदान केन्द्र में मतदान रद्द होना चाहिए।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : क्यों ?

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : किसी मतदान केन्द्र में मतदान के प्रतिशत की पहले ही सीमा है। यह सीमा अब 90 प्रतिशत है। मेरा केवल यह कहना है कि इसे 10 प्रतिशत घटा दिया जाए। (व्यवधान) वे मेरे बिल्कुल अविवादास्पद भाषण को विवादास्पद बना देना चाहते हैं। (व्यवधान)

डा० डी० एन० रेड्डी (कडप्पा) : यदि दस मतदान केन्द्रों में अनियमितताएं हों तो विधान सभा खंड में मतदान रद्द किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मेरी अन्तिम बात निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा निर्धारण के बारे में है। किसी राज्य में स्थानों (सीट्स) की सीमा का निर्धारण 2000 ई० तक के हिसाब से कर दिया जाए। अब पुनः सीमा निर्धारण की आवश्यकता है और यह देखने की भी आवश्यकता है कि आरक्षण उपबन्ध के अन्तर्गत एक के बाद दूसरे निर्वाचन क्षेत्र बारी-बारी से आने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बाला साहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया। हमारी चुनाव नीति और इलेक्शन कमीशन में पूरा परिवर्तन करने के संबंध में इस सदन के सामने संकल्प प्रस्तुत किया गया है। हमारे देश में प्रजातंत्र है इसलिए सभी राजनीतिक दल ठीक तरह से काम करें, चुनावों में करप्शन न हो तथा गरीब से गरीब आदमी को भी चुनाव में खड़े होने का अवसर प्राप्त हो सके और चुनाव जीत सके इसका होना आवश्यक है। इस संबंध में मेरे दो-तीन सुझाव हैं जो मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

आजकल सभी पार्टीज काला धन के बारे में काफी कहती रहती हैं। इलेक्शन फंड, पार्टी फंड के बारे में आडिट कराने के पक्ष में भी सभी हैं। मैं भी उसके पक्ष में हूं। लेकिन पार्टी फंड के अलावा भी मैं कहना चाहूंगा और मेरा यह सुझाव है कि सभी पार्टीज मिलकर ऐसा सुझाव क्यों नहीं देती हैं कि जब हम देश में प्रजातंत्र चला रहे हैं तो सरकार ही चुनाव का सारा खर्चा वहन करे ताकि किसी दोस्त या किसी कंपनी का कोई आब्लीगेशन हमारे ऊपर न हो। आप जानते हैं कि चन्दे के आब्लीगेशन के कारण ही करप्शन होता है और कई गैर-कानूनी काम होते हैं। कोई कम्पनी जब डोनेशन देती है, कानूनी या गैर-कानूनी उसके लिए तो कम्पनी ला दुरुस्त हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि जब हम अपने देश में समाजवाद की नीतियां लाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चुनावों में गरीब से गरीब व्यक्ति भी खड़ा हो सके और चुनाव लड़ें तब काफी लोग चुनाव में चन्दा या पैसा लगाते हैं उससे गरीब के लिए चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वह कैसे चुनाव लड़े। पार्टी कुछ फंड देती है उसके साथ अच्छे काम करने वाले भी हों फिर भी गरीब आदमी के लिए चुनाव में रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और खर्चा कहां से करे— उनको चन्दा कौन देगा— उसके पास काला धन कहां होगा — और कौन देगा? जब फंड और मेम्बरशिप पार्टी की तरफ से रहती है तब हम चुनाव का खर्चा प्रतिनिधि के प्रभाव में सरकार से क्यों न करावें और बाकी लोगों पर खर्चा करने की पाबंदी लगा दें, मैं समझता हूं ऐसा करने से हमारी इमेज भी क्लीन हो सकती है और करप्शन भी कम हो सकता है। आज बड़ी-बड़ी कम्पनियां जो फायदा उठाना चाहती हैं वह भी फायदा नहीं उठा सकेंगी और हमारी समाजवाद की नीति आगे बढ़ेगी।

इसके अतिरिक्त आजकल दिनोदिन रीजनल पार्टीज बनती जा रही हैं। हम नेशनल इंटिग्रेशन की बात करते हैं इसलिए यह सुझाव भी देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के सामने इस बात को रखना चाहिए, आजकल हमारी लोक सभा में एक रीजनल पार्टी विरोध पक्ष के नेता के रूप में बैठी हुई है। ऐसी स्थिति में यह जो रीजनल पार्टीज हैं उनके बारे में हमें गहराई से सोचना होगा। जब रीजनल पार्टी ही प्रमुख बनेगी तो नेशनल पार्टीज का क्या महत्व रह जायेगा? वे रीजनल पार्टीज लोकल इश्युज पर चुनाव लड़ती हैं और देश का हित भूल जाती हैं तो इससे भी देश के लिए खतरा हो सकता है देश की कौन सोचेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि एक रीजनल पार्टी को हम कैसे समझ लें कि वह एक बड़ी पार्टी है। वह नेशनल पार्टी

हो तो हम समझ सकते हैं। इतनी छोटी-छोटी पार्टियां बन रही हैं और इसके अलावा जातीय पार्टियां बन रही हैं। मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को खुद ही जातीय पार्टियों को बन्द कर देना चाहिए। उनके ऊपर बैन लगाये बिना हिन्दुस्तान आगे नहीं जा सकता है। नेशनल इन्टीग्रिटी, सामाजिक राष्ट्रीय एकता नहीं कर सकते हैं। रीजनल पार्टियां, छोटी-छोटी पार्टियां देश के हित के लिये ठीक नहीं हैं। जैसे आन्ध्र प्रदेश में, मद्रास में और दूसरे क्षेत्रों में भी इस तरह की पार्टियां हैं। इलेक्शन कमीशन को इस बारे में सोचना चाहिए···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, कांग्रेस (आई) तमिलनाडु और केरल में क्षेत्रीय दलों और साम्प्रदायिक दलों का सहायक दल है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : क्या राष्ट्रीयता पर कांग्रेस दल का ही एकाधिकार है?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : कांग्रेस वहां रीजनल पार्टी नहीं है।

आपने चुनाव परिणाम देखा है। ···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपनी बात जारी रखिये।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : महोदय मैं जारी रख रहा हूं। (व्यवधान)

हम चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार और राज्यों में, कर्नाटक में जनता पार्टी की सरकार है। बंगाल में मार्कसिस्ट की सरकार है। ऐसा कहां हो रहा है कि सब जगह हमारी यानि सत्तारूढ़ पार्टी का प्रभाव होता है। जुदा राज्यों से अलग पार्टियां चुनाव पर आई हैं—यह हमारा प्रजातंत्र है। मेरे कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय पार्टी होना जरूरी है। राष्ट्रीय पार्टी न होने के कारण हमारा प्रजातंत्र खतरे में है।

एक बात मैं डिलिमिटेशन के बारे में कहना चाहता हूं। चुनाव सुधार में डिलिमिटेशन की

[श्री बालासाहिब विखे पाटिल]

बात करना जरूरी है। क्योंकि दो हजार सन् तक हमने वायदा किया है, संविधान में संशोधन करके, कि हम सीटें नहीं बढ़ाएंगे। सीटें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जब आबादी बढ़ रही है, तो इसके बारे में सोच क्या रहे हैं? हिन्दुस्तान की आबादी बढ़ती जाये और सन् 2000 तक हम सीटें बढ़ाते जाएं। जब हमने सन् 2000 तक पाबन्दी लगाई है, तो उसी हिसाब से डिलिमिटेशन कमेटी बनाकर इस बारे में सोचना चाहिए। फेमिली प्लानिंग के प्रभाव से चुनाव का सम्बन्ध जोड़ दें। नहीं तो जनमानस में शंका पैदा हो रही है कि फेमिली प्लानिंग कुछ नहीं कर रहा है। मैं चाहूंगा कि इस बारे में कहीं-न-कहीं ध्यान देने की जरूरत है।

आखिर में, मैं यह कहना चाहूंगा कि काले धन से निपटने के लिए, चुनाव में गरीब को खड़ा करने के लिए सरकार को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस बारे में सभी पक्षों के लोगों से मैं अपील करूंगा कि सभी लोग इस बारे में सहमत हो जाएं, ताकि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सुधार हो सके।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय, श्री डी० एन० रेड्डी द्वारा जो बिल सदन में लाया गया है, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकती हूं। सदन में मैंने श्री डी० एन० रेड्डी और श्री जयपाल रेड्डी का भाषण सुना है। उन्होंने यह कहा है, यदि यह बिल लीगलाइज हो गया, तब देश में डेमोक्रेसी आएगा, अभी तक ऐसा नहीं है। जब डेमोक्रेसी नहीं है, तो डी० एन० रेड्डी जी इधर कैसे आए और 'जयपाल रेड्डी' जी भी इधर कैसे आए। हम लोग जो इधर आया है, डेमोक्रेसी के लिए आया है। यदि आप सारे देश की स्थिति देखें, तो आन्ध्र प्रदेश में तेलगू देशम का राज है, कर्नाटक में हेगड़े जी का राज है पंजाब में अकाली का राज है, वहां बरनाला जी हैं, असम में ए० जी० पी० का राज है और त्रिपुरा में नितेन चक्रवर्ती, सी० पी० एम० का राज है। हमारा स्टेट पश्चिम बंगाल में मार्कसिस्ट कैपेटलिस्ट सी० पी० एम० का राज है। फिर भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, क्लीन डेमोक्रेसी नहीं है, इलैक्शन रूल्स ठीक नहीं हैं, तो भारतवर्ष में अपोजीशन कैसे आ रही है। इसलिए इस बारे में इनको सोचना चाहिये और रीयलाइज करना चाहिए कि जो बिल वे लेकर आए हैं, वह किस मकसद से लेकर आए हैं। हम स्टेट्स के बारे में जरूर बोलेंगे। स्टेट्स में इलेक्टोरल रोल्स में रिफार्म बहुत ही जरूरी है। हमने पार्लियामेंटरी प्रोसीडिंग्स को देखा है कि मार्कसिस्ट फ्रंड ने क्या बोला है। आन्ध्र में क्या होता है, पंजाब में क्या हो रहा है और असम में क्या हो रहा है, उसके बारे में जरूर बोलेंगे। मार्कसिस्ट का गणतंत्र को खत्म करने का जो षड़यंत्र है, इसको अगर देखना है, तो पश्चिम बंगाल में आकर देखिये। पश्चिम बंगाल में जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, उनको टोटली चेन्ज करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में वोटर्स के नाम वोटर्स लिस्ट से काट दिये जाते हैं और वोटर्स लिस्ट्स को मैनीपुलेट किया जाता है। वहां पर भारतवर्ष के ला मिनिस्टर श्री अशोक सेन का नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर श्री प्रफुल्ल चन्द्र सेन का नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं है। हजारों नाम वोटर्स लिस्ट से काट दिये गये हैं और मैं तो यह कहूंगी कि ये अगर कुछ दिन और कन्टीन्यू कर जाते हैं, तो वोटर्स लिस्ट में मार्कसिस्ट कामरेड का नाम ही आएगा और दूसरे किसी आदमी का नाम नहीं आएगा। यह कितने शर्म की बात है कि ला मिनिस्टर का नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं है। जो देश

के लिए कानून बनाता है, उसका नाम वोटर्स लिस्ट से काट दिया। यह कितने शर्म की बात है और यह लोग हाऊस में हम लोगों के खिलाफ बोलते हैं।

मेरा कहना यह भी है कि आप आइडेंटीटी कार्ड वोटर्स के लिये दीजिये। पश्चिम बंगाल में जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, उनमें छोटे-छोटे बच्चों का नाम है और किसी मार्कसिस्ट का पिता अगर मर गया, तो उसका नाम भी वोटर्स लिस्ट में है। जब इलेक्शन होता है, तो उसके नाम पर भी वोट पड़ जाता है। यह कैसे होता है। वोटर्स लिस्टों में फाल्स वोटर्स के नाम भी होते हैं और वोट के टाइम पर उनका वोट पड़ जाता है। इसलिये मैं यह चाहूंगी कि सब वोटर्स के लिये आइडेंटीटी कार्ड दिया जाये। अगर ऐसा किया गया तो इससे सिचुएशन टेकिल हो जायेगी क्योंकि अभी तो हमारे यहां यह होता है कि छोटे-छोटे बच्चों का नाम वोटर्स लिस्ट्स में लिखा हुआ है जो और मार्कसिस्ट कामरेड का पिता मर गया, उसका नाम भी उसमें रहता है और उसके नाम पर वोट पड़ जाता है। जब आइडेंटीटी कार्ड होगा, तो इसको चैक किया जा सकता है।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि चुनाव से पहले ये लोग गांव में जाते हैं और रास्ते में रोड बनाने के लिए ईंटें फेंकते हैं और गांव वालों को गेहूं देते हैं, चावल देते हैं और साड़ियां देते हैं और उनसे यह कहते हैं कि हम लोगों को वोट दीजिये और हम गरीबों के दोस्त हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट जो रुपया देती है बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत और आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० के अन्तर्गत जो पैसा दिया जाता है, वह रुपया स्टेट की सरकार खर्च नहीं करती है और वोट के टाइम पर उसको खर्च किया जाता है। गांव-गांव में जाकर बोलते हैं कि हमको वोट दीजिये, हम गरीबों के दोस्त हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में मोनोपली करके ये अपने लोगों को वोट के काम में लगाते हैं। जो वोटर्स लिस्ट बनाता है, जो इन्यूमीरेटर होता है, उसको बी० डी० ओ० के नाम पर नियुक्त करते हैं लेकिन बी० डी० ओ० उसमें क्या कर सकता है। प्रेसर देकर खुद सी० पी० एम० कामरेड को सुपरवाइजर बना देते हैं और जो सेंसस का काम करता है, उसको भी स्टेट से एपाइंटमेंट देते हैं। बी० डी० ओ० न्यूट्रल नहीं रह सकता है। सी० पी० एम० केडर का सुपरवाइजर घर-घर में जाता है और कांग्रेस के वोट काट देता है और सी० पी० एम० के वोट रख देता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रही हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : आपकी समझ में नहीं आएगा, आप बैठे रहिये। मैंने पार्लियामेंटरी प्रोसीडिंग्स को देखा है। उसमें सी० पी० एम० के मेम्बर ने बोला है कि हमारी पार्टी में कोई ट्रेजरर नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी का ट्रेजरर है श्री सीता राम केसरी। ही इज डीलिंग विद ट्रेजरी। वह सारा एकाउण्ट मैन्टेन कर रहा है लेकिन इनके यहां क्या हो रहा है।

4.00 प० प०

मार्किस्ट्स पार्टी में ट्रेजरर क्यों नहीं होता ? क्योंकि ट्रेजरर रहने से सबको मालूम हो जायेगा कि आपके पास कितना रुपया है और वह रुपया आपके पास कहां से आता है। इसीलिए आप लोग अपनी पार्टी में ट्रेजरर नहीं रखते हैं। पहले आपकी पार्टी का आफिस मिट्टी के मकान में था। लेकिन

[कुमारी ममता बनर्जी]

आठ वर्ष पहले जब से आप पावर में आये हैं उसके बाद से आपकी पार्टी के पास बहुत बड़ी बिल्डिंग हो गयी है। फाईव स्टोरी बिल्डिंग में आपकी पार्टी का आफिस है। यह रुपया आपके पास कहां से आया ? यह सारा रुपया, करोड़ों, करोड़ों रुपया आपने पावर में आने के बाद पार्टी के लिए इकट्ठा किया। अगर आपकी पार्टी में ट्रेजरर होगा तो यह सारा सबको मालूम हो जायेगा। इसीलिए आप अपनी पार्टी में ट्रेजरर नहीं रखते हैं।

वेस्ट बंगाल में बूथ केपचरिंग होता है, बोगस वोटिंग होता है। वहां की पुलिस के पास न ढाल है, न तलवार है, न कोई आर्म्स है। बूथों पर पुलिस के लोगों को लाठी लेकर खड़ा कर दिया जाता है। इससे पुलिस के लोग कैसे बूथ केपचरिंग को और बोगस वोटिंग को रोक सकते हैं। यह सब जो वहां चल रहा है इसको रोका जाना चाहिए।

सभापति महोदय, आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : श्री डी०एन० रेड्डी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार यद्यपि हमें कुछ चुनाव सुधारों की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरीके से यह प्रस्ताव रखा गया है, अस्तित्व ही कुछ बातों को स्वीकार करते हैं। मैं समझता हूं यह प्रस्ताव कोई ठोस बात नहीं पेश करता है यद्यपि हम में से अधिकांश इस बात से सहमत हैं कि हमारे देश में चुनाव सुधारों की आवश्यकता है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे चुनाव सुधार कौन से हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। यदि हम चुनाव कानून पर ध्यान दें तो यह पायेंगे कि सरकार ने इस चुनाव-नियमावली को इसलिए प्रकाशित किया है ताकि वह सभी कानूनों को एक छोटी पुस्तिका में ला सकें। परन्तु यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये हमारे ये सारे कानून हर जगह बिखरे हुए हैं इस दृष्टि से कि हमारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में चुनावों के कुछ पहलू शामिल हैं। इसके अलावा हमारे यहां लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भी है। किसी भी तर्कसंगत दृष्टि से विभिन्न पहलुओं पर विचार के लिए समान नामों के मात्र एक साल के अन्तर के साथ दो विधानों की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। हम चुनावों के सम्बन्ध में समेकित कानून बना सकते थे। मैं समझता हूं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की अलग-अलग कोई आवश्यकता नहीं है।

इसी तरह चुनाव से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध भी हुए हैं। हमारे चुनाव सम्बन्धी कानून दंड संहिता, संघ शासी क्षेत्र अधिनियम तथा समसामायिक सदस्यता निषेध नियमों में बिखरे हुए हैं। हमारे यहां समसामयिक सदस्यता निषेध नियम 1950 अलग से है। हमारे यहां परिसीमन अधिनियम

मतदाता सूचियों का पंजीकरण 1960 तथा निर्वाचनों के संचालन नियम भी हैं। चूंकि निर्वाचन नियम जनसामान्य से सम्बन्धित है यदि कोई सामान्य व्यक्ति इन्हें अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ना चाहे जहां कहीं भी इनका संचालन हो अथवा नहीं उसे कानून के आधारभूत उपबंधों को जानने के लिए व्यक्तिगत रूप से इन सब कानूनों को पढ़ना होगा। यद्यपि सरकार ने सुविधा की दृष्टि से इस नियमावली को प्रकाशित किया है ? लेकिन सारे कानून बिखरे हुए हैं। इसलिए हमें निर्वाचन सम्बन्धी एक समेकित विधि के लिए कानूनों का संपूर्ण अध्ययन करना होगा क्योंकि वे सभी बिखरे हुए हैं।

दूसरी, बात जिसकी ओर मैं जोर देना चाहूंगा यह है कि कौन सी बातें हैं चुनाव चिह्नों के आरक्षण आदेश के पैरा 15 के अन्तर्गत लाई गयी हैं। जब किसी राजनीतिक दल में विभाजन होता है तब निर्वाचन आयोग यह फैसला करता है कि इनमें असली दल कौन सा है। यह निर्वाचन विधि की एक सामान्य प्रक्रिया है। परन्तु किसी राजनीतिक दल के विभाजन के पहलू के बारे में किसी निर्वाचन विधि में कुछ भी उपबंध नहीं किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 या 1951 या दूसरे किसी नियम में इसके लिए व्यवस्था नहीं की गई है बल्कि विधि के अंतर्गत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्ति चुनाव चिह्नों के आरक्षण आदेश के पैरा 15 में इसे मात्र शामिल किया गया है। यह एक आदेश है न कि कोई कानून, इस मायने में कि यह संसद द्वारा पारित अधिनियम नहीं है। राजनीतिक दल में विभाजन के मूलभूत पहलू का उल्लेख निर्वाचन आयोग के आदेश में नहीं होना चाहिए बल्कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में या 1951 जैसे सारगर्भित कानून में शामिल किया जाना चाहिए था। दूसरे किसी राजनीतिक दल में विभाजन के बारे में निर्धारण किस तरह किया जाए, इस सम्बन्ध में एक सुनिर्धारित प्रक्रिया उस कानून में होनी चाहिए।

उदाहरण के लिए, यदि किसी राजनीतिक दल का दो भागों में विभाजन हो जाता है तो इस सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही कैसे हो—इस बारे में सुनिर्धारित प्रक्रिया होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि एक ग्रुप निर्वाचन आयोग के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं ही वह राजनीतिक दल हूं मेरा ग्रुप ही असली दल है तब इसके निर्णय के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया होनी चाहिए। वह प्रक्रिया कहां है ? यदि आप चुनाव चिह्न आदेश पैरा 15 को देखें तो इसमें कहा गया है :

जब आयोग अपने पास उपलब्ध सूचनाओं से संतुष्ट होती है किसी किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में प्रतिद्वन्द्वी भाग या गुट है, जिनमें से हर अपने को वही पार्टी होने का दावा करता है तब आयोग, सभी उपलब्ध तथ्यों तथा मामले की स्थितियों पर विचार करते हुए तथा इस संबंध में कुछ कहने के इच्छुक भागों या गुटों के प्रतिनिधियों तथा अन्य व्यक्तियों की बातें सुनकर यह निर्णय ले सकता है कि कोई एक प्रतिद्वन्द्वी भाग या गुट वह राजनीतिक दल है या उन प्रतिद्वन्द्वी भागों या गुटों में कोई भी, वह राजनीतिक दल नहीं है तथा आयोग का यह निर्णय उन प्रतिद्वन्द्वी भागों या गुटों को मान्य होगा।

दूसरी बात मैं राजनीतिक दलों के पंजीकरण के बारे में कहना चाहूंगा। यह भी निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 में दिया गया है। यह मुख्य विधि में अन्तर्विष्ट नहीं है। जब कुछ व्यक्तियों का एक दल निर्वाचन आयोग से मिलता है तो आयोग बिना किसी समस्या के उसे मान्यता देता है। नियम यह कहता है···कि कोई भी संस्था अथवा भारतीय

[श्री शान्ताराम नायक]

नागरिकों का कोई अलग संगठन यदि स्वयं में एक राजनीतिक दल होने का दावा करता है तो वह पंजीकरण के लिए स्वतंत्र है।

इस देश के इस मुख्य विधि के बारे में मात्र यही कहा गया है। जो अपने आप को राजनीतिक दल होने का दावा कर रहे हैं, पैरा 3 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग से सम्पर्क कर अपने को पंजीकृत करा सकते हैं। वास्तव में, यह उपबंध है कि राजनीतिक दलों को यह बताना होता है कि किन सिद्धान्तों, उदाहरणतया, राजनीतिक सिद्धान्तों पर वह आधारित है। उन्हें इस का उल्लेख करना होता है। लेकिन कितनी बार, कितने अवसरों पर, निर्वाचन आयोग इस पहलू की जांच करता है? यह दल किन सिद्धांतों पर चल रहा है?

कांग्रेस दल को, जो कि देश की सत्ताधारी पार्टी है, देश में सभी जानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कल मैं एक चुनाव चिह्न लेकर निर्वाचन आयोग के पास दर्ज कराने के लिए जाऊं तो मेरे लिए इसमें कोई रोक नहीं है। मैं भी कांग्रेस के समान अपना नाम रजिस्टर करा सकता हूं। लेकिन इस में भी पेटेंट ट्रेड मार्क के समान ही थोड़ी रोक होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल पर, एक मान्यता प्राप्त दल के समान नाम रखने पर रोक होनी चाहिए जिससे कि अन्य राजनीतिक दलों को नुकसान न हो। यही कुछ बातें मैं प्रस्तुत करना चाहता था। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इन सभी मुद्दों पर विचार करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जी०एम० बनातवाला (पौन्नानी) : सभापति महोदय, चुनाव संबंधी सुधार लाए जाने के सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं है। तथापि मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि चुनाव सम्बन्धी सुधारों का प्रश्न एक निरन्तर प्रक्रिया है और इसे एक बार में ही हासिल नहीं किया जा सकता। जैसे-जैसे चुनाव होते हैं, हमें ज्यादा तजुरबा होता जाता है और भविष्य में समय समय पर चुनावों संबंधी सुधार की संभावनाओं से हम इंकार नहीं कर सकते। चूंकि चुनाव सम्बन्धी सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है, मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि इस समय जिन-जिन सुधारों के लाए जाने की आवश्यकता है, उनके संबंध में अपनी राय बताने में वह अनावश्यक विलंब न करे। कम से कम उन विषयों को, जिनके सम्बन्ध में सरकार ने अपनी राय बना ली है, संसद के समक्ष लाया जाना चाहिए ताकि हम उन्हें देख सकें। जैसे-जैसे चुनाव होते जाते हैं समय के साथ-साथ हमें ज्यादा से ज्यादा अनुभव होता है। इस प्रकार जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, चुनाव सम्बन्धी सुधारों की प्रक्रिया एक निरन्तर प्रक्रिया है।

सभापति महोदय, हमें चुनाव सुधारों सम्बन्धी सभी पहलुओं अर्थात चुनाव तंत्र, चुनाव प्रक्रिया और चुनाव प्रणाली की ओर ध्यान देना चाहिए। जहां तक चुनाव तंत्र का संबंध है, समय की कमी के कारण मैं उनके इतने विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा जितना कि जाना चाहिए। तथापि, मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक चुनाव तंत्र का सम्बन्ध है, इस तंत्र को राज्य से बिल्कुल स्वतंत्र किए जाने की अत्यधिक

आवश्यकता है। राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा जिन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, वे उत्तरदायी होते हैं, वे उस सरकार की सेवा में होते हैं और उस सरकार की सेवा में वापिस चले जाते हैं। जब इस प्रकार के अधिकारियो की नियुक्ति की जाती है तो स्थिति इतनी अभीष्ट नहीं होती। इसलिए, यह आवश्यक है कि चुनाव तंत्र को सरकार से अलग रखा जाए।

इसके अलावा, चुनाव आयोग में कई सदस्य होने चाहिए। अनुच्छेद 324 में पहले ही इस प्रकार के बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग का प्रावधान है और मुझे आशा है कि सरकार अनुच्छेद 324 के उपबंधों को उपयोग में लाएगी और बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग स्थापित करेगी।

मैं आगे इस बात पर बल देना चाहूंगा कि सेवा निवृत्त हो रहे अथवा सेवा निवृत्त निर्वाचन आयुक्त को सेवा निवृत्ति अथवा पद छोड़ने के पश्चात सरकारी नौकरियां प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की जरूरत है। हम यह देखते हैं कि संविधान में इस प्रकार का प्रतिबन्ध संघ लोक, सेवा आयोग के चेयरमैनों और सरपंचों, तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पर लगाया गया है। तथापि, संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों, क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों पर उस पद के छोड़ने पर किसी अन्य पद को ग्रहण करने अथवा, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार में पद ग्रहण करने के बारे में कोई रोक नहीं लगाई गई है। इससे कई बार सेवा निवृत्त चुनाव आयुक्त को राज्यपाल, नियुक्त किए जाने जैसी गलत परम्पराएं बनी हैं, जो वास्तव में ठीक नहीं है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की निष्ठा पर शक नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरे विचार में सही यही होगा कि अगर चुनाव आयुक्त अपना पद छोड़ते हैं तो सरकार के अधीन किसी अन्य पद के ग्रहण के बारे में उन पर रोक लगनी चाहिए।

चुनाव प्रक्रिया के संबंध में मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि हमारे उन सभी भारतीय नागरिकों को जो देश से बाहर रह रहे हैं, मत देने का हक दिया जाना चाहिए। ऐसे लाखों लोग बाहर हैं और मैं नहीं समझता कि उन्हें मत देने के अधिकार से केवल इस कारण वंचित रखा गया है, कि वे अस्थाई रूप से कार्य करने के लिए बाहर रह रहे हैं। अतः इस सम्बन्ध में एक समुचित प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए जिससे कि जो लोग बाहर रह रहे हैं अथवा बाहर काम कर रहे है और जो भारतीय नागरिक है वे मत दान कर सकें और चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकें।

मतदान की आयु भी कम करके 18 वर्ष करनी होगी। यह समय के अनुरूप ही होगा। महोदय, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इन में से प्रत्येक मद पर विस्तार से बोल सकता हूं लेकिन, समय की कमी के कारण मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं केवल अपने मुद्दे का ही उल्लेख कर रहा हूं और अगले मुद्दे को ले रहा हूं। मतदान में इलेक्ट्रानिक उपकरणों के इस्तेमाल की जरूरत पर भी मैं बल देना चाहता हूं।

मतदाता सूचियां तैयार करने में विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से असम में जो हुआ है, उस से हमें सीखना चाहिए। असम में जिस प्रकार से मत सूचियां तैयार की गईं उससे लाखों लोगों को मतदान से वंचित रहना पड़ा। मतसूचियां तैयार करने की स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन कर उन के नाम काट दिए गए। चुनाव आयोग की ऐसी रिपोर्टें हैं और मेरे पास उन रिपोर्टों के उद्धरण हैं। मैं

[श्री जी० एस० बनातवाला]

असम विधान सभा को 1983 के आम चुनाव सम्बन्धी निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें पृष्ठ 4 और 5 में इस सम्बन्ध में बार-बार यह कहा गया है कि चुनाव आयोग का यह कार्य नहीं है कि वह मनमर्जी से कोई भी नाम मतदाता सूची से, जोकि उसमें एक बार आ चुके हैं, निकाल दे। उन रिपोर्टों में, चुनाव आयोग का कहना यह है कि, अगर मतदाता सूची में किसी का नाम है तो यह एक स्पष्ट प्रमाण है कि मतदान के अधिकार के लिए आवश्यक सभी शर्तें पूरी हुई हैं। लेकिन हुआ क्या ? नवीनतम मतदाता सूची की प्रविष्टियों को 1971 की मतदाता सूचियों से मिलाने की कोशिश की गई और फिर दो सूचियां तैयार की गईं—सूची संख्या 1 और सूची संख्या 2. जिन व्यक्तियों के नाम 1971 की मतदाता सूची में नहीं जोड़े जा सके उन्हें सूची संख्या में 2 डाल दिया गया जिससे अत्यधिक असुविधा हुई। मैं इस सब के विस्तार में समयाभाव के कारण नहीं जा सकता लेकिन ये सूचियां जिस ढंग से तैयार की गईं, मैं उसका विरोध करता हूं।

अंत में, मैं कहूंगा कि निर्वाचन प्रणाली को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बनाया जाए। हम देखते हैं कि वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत 49 प्रतिशत शून्य के बराबर है और 51 प्रतिशत सौ के बराबर है गंवाया हुआ प्रत्येक मत संसदीय लोकतंत्र को कमजोर बनाने वाला मत होता है। हमारी संसद में हमारा राष्ट्र वास्तविक रूप में प्रतिबिम्बित होना चाहिए और प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

हमें इस बात का दुःख है कि इस संख्या में मुसलमानों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इस सदन में प्रत्येक वर्ग का पूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली पर बल देता हूं।

मैं यह कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा कि किसी निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अन्य वर्गों के सम्बन्ध में निर्वाचन क्षेत्रों का गोलमाल न हो जाए। इस समय ऐसे आरक्षित क्षेत्र हैं जिनमें मुसलमानों की संख्या काफी अधिक है। इसके कारण वे अपने उचित प्रतिनिधि अपनी पसंद के प्रतिनिधि भेजने से वंचित हो गए हैं। मैं इन आरक्षणों के पक्ष में हूं परन्तु किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि निर्वाचन क्षेत्र में किन-किन वर्गों के कितने लोग रहते हैं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : सभापति महोदय, सर्व प्रथम मैं, यह कहूंगा कि इस सभा के सामने अभी प्रस्तुत किए गए संकल्प के भाव और विषय से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। महोदय देश में चुनाव सुधारों की आवश्यकता पर कोई आपत्ति नहीं उठाएगा, परन्तु जिस ढंग से संकल्प का प्रारूप तैयार किया गया है, उससे ऐसा आभास होता है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं और पूरी निर्वाचन प्रक्रिया ही अव्यवस्थित है। यह बात वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत है।

हमारे पिछले अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस क्षेत्र में हमारा ही ऐसा देश है जिसमें लोकतंत्र ने गहरी जड़ें पकड़ ली हैं। इस महान देश को यह श्रेय है कि लोगों ने अपने मत का बहुत स्वतन्त्र और निष्पक्ष ढंग से प्रयोग किया है। यह ठीक ही है कि हमारे जैसे देश में, जोकि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों का बहुत महत्व है।

भारत के संविधान के निर्माता निष्पक्ष चुनावों के महत्व से पूरी तरह अवगत थे तथा संविधान का प्रारूप तैयार करते समय इस प्रकार के निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरा ध्यान रखा गया था।

संविधान के भाग पंद्रह में चुनाव कराने के सम्बन्ध में मार्गनिर्देश दिये गये हैं और उसके अनुसार सभी चुनावों अर्थात संसद, राज्य विधान मण्डलों के लिए चुनाव, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव आदि के निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है, जिसकी स्वायत्तता की पूरी रक्षा की गई है।

हमारे पिछले अनुभवों से यह सिद्ध हो गया है कि यह व्यवस्था समय की कसौटी पर खरी उतरी है तथा जटिल समस्याओं के बावजूद इस महान देश में लोकतंत्र ने जड़ें पकड़ ली हैं। तथापि, पिछले कुछ समय से यह मानना पड़ेगा कि देश की राजनीति में मूल्यों का धीरे-धीरे ह्रास हुआ है और अब इस स्थिति से निपटने तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, जोकि वास्तविक लोकतंत्र की असली आधारशिला है उपयुक्त विधान बनाने के बारे में सोचने का समय आ गया है।

भारत के संविधान की प्रस्तावना में यह बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि भारत एक प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। इस समय पूरा राष्ट्र जिस महान कार्य में लगा हुआ है वह, देश के सभी नागरिकों को भारत के संविधान में बताये गये ये उच्च आदर्श सुनिश्चित करना है। केवल एक ईमानदार और अभ्रष्ट सरकार ही, जो एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक भारत का निर्माण करने के महान कार्य के प्रति वचनबद्ध हो, लाखों लोगों के महान सपनों और आकांक्षाओं को पूरा कर सकेगी और ऐसी सरकार तभी बनेगी जब लोगों को किसी बाहरी प्रभाव के बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से अपना मतदान करने की अनुमति दी जाये। इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग की महान भूमिका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का दर्जा भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर है। यद्यपि, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वायत्तता की रक्षा की गई है परन्तु पिछले अनुभवों से यह पता चलता है कि सौंपे गए कार्य का उचित ढंग से कराने के लिए उन्हें और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। ऐसा करने के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 324, उप-खंड (2) और (5) के अन्तर्गत किए गए उपबन्ध के अनुसार आवश्यक विधान बनाना होगा। इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या इस उच्च पद पर भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालयों के किसी उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक विधान बनाना सम्भव होगा। इस प्रकार के परिवर्तन से मुख्य निर्वाचन अधिकारी का दर्जा और प्रतिष्ठा में निश्चित रूप से वृद्धि होगी और वह निश्चित रूप से अपना कार्य बिना किसी डर अथवा पक्षपात के कर सकेगा। निर्वाचन आयोग को चुनाव याचिकाएं निपटाने का भी अधिकार दिया जाना चाहिए।

[श्री ए० चार्ल्स]

चुनाव प्रणाली में एक अन्य बड़ी बुराई जो आ गई है वह है, चुनाव अभियान के लिए धन का अधिक प्रयोग और प्रायः काले धन का प्रयोग। लोक सभा और राज्य विधान मंडलों के चुनाव बहुत मंहगे हो गये हैं और औसत आय वाला कोई व्यक्ति बाहरी सहायता के बिना चुनाव लड़ने की बात स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। चुनाव खर्चे को प्रतिबंधित करने के लिए पहले से ही कानून बने हुए हैं परन्तु व्यवहार में वास्तव में खर्च की गई धनराशि और इस हेतु निर्धारित सीमा के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये अब समय आ गया है जब चुनाव खर्चे को प्रतिबंधित करने के लिए कड़े उपाय किए जाएं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो चुनाव प्रक्रिया का महत्व और पवित्रता पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेगी और लोकतंत्र एक मजाक बनकर रह जायेगा।

चुनावों में अब एक अन्य बुराई जो देखने में आ रही है वह है जाली व्यक्तियों द्वारा मतदान किया जाना। यह एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है जो व्यापक स्तर पर फैल गई है और अनेक बार तो यह कार्रवाई चुनाव परिणामों में निर्णायक सिद्ध होती है। केरल के बारे में, मैं विशेष रूप से जानता हूं कि वहां गत चुनावों के दौरान एक विशेष दल ने अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को ऐसे गुप्त निर्देश दिये थे कि मतदान शुरू होने के दो घंटे के भीतर 10 वोट जाली व्यक्तियों द्वारा डाले जाएंगे। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1200 मतदान केन्द्र हैं।

इस प्रकार यदि औसतन दस मत जाली रूप से डाले जाएं तो यह 10,000 मत बैठते हैं। तो इस प्रकार बहुत से मामलों में यह जाली मत ही निर्णायक साबित हो जाते हैं।

अब मैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में कुछ कहूंगा। ब्रिटेन में पिछले चुनावों के बाद एक समिति गठित की गई है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में सम्पूर्ण अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन से पता चलता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में भी अन्तर्निहित दोष हैं। छोटे-छोटे दलों को अतिरिक्त सीटें मिल जाएंगी और इसके फलस्वरूप किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होगा। इसलिये इन दोनों के बीच किसी अन्य उपाय पर विचार किया जा सकता है।

कुछ मित्रों ने इलैक्ट्रोनिक मतदान प्रणाली का सुझाव दिया है। इसे आजमाया जा सकता है। हाल में चुनाव अभियान के दौरान धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा भाषाई भावनाएं भड़काने की प्रवृत्ति शुरू हो गई है मैं महसूस करता हूं कि कोई विधान बनाया जाना चाहिये जिससे धार्मिक तथा साम्प्रदायिक दलों को चुनावों में भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : सभापति महोदय, मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगा। पहली बात यह है कि यदि आप चुनावों को निष्पक्ष बनाने के साथ-साथ देश का विकास जारी रखना चाहते हैं तो माननीय मंत्री जी आज मेरा पहला अनुरोध यह है कि जैसाकि आपने कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया है, कृपया आप यह ध्यान रखें कि चुनाव अधिकारी एक स्वतंत्र अधि-

जारी हो और रोजमर्रा के प्रशासनिक अधिकारी को चुनाव कार्य न सौंपा जाये। जिला मजिस्ट्रेट अथवा मंडलीय अधिकारी को जिले में विभिन्न विकास कार्यों के साथ-साथ कानून और व्यवस्था सम्बन्धी प्रशासनिक मामले भी देखता है। यदि उनसे पंचायतों, नगर पालिकाओं, विधान सभाओं तथा संसद और उप-चुनावों के चुनाव सम्बन्धी कार्य को बार-बार देखने के लिए कहा जाता है, और यदि आप किसी जिले के किसी विशेष अधिकारी का सालभर का पूरा समय इसी में लगा दें तो यह उनके साथ विश्वासघात होगा और देश के साथ भी धोखा होगा क्योंकि वे अपना पूरा समय विकास कार्यों पर लगाते हैं और तब देश धीरे-धीरे हर क्षेत्र में पिछड़ता जायेगा। इसलिये किसी जिला मजिस्ट्रेट अथवा विकास अधिकारी को चुनाव सम्बन्धी कार्य बिल्कुल नहीं सौंपा जाना चाहिये। यदि आप देश का आर्थिक विकास जारी रखना चाहते हैं तो चुनाव तथा उससे सम्बन्धित सभी कार्यों के लिये एक स्वतंत्र अधिकारी होना चाहिये।

मेरी दूसरी बात यह है कि चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों पर जबर्दस्ती कब्जा करने तथा अन्य कदाचारों को रोकने तथा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए नागरिक को सम्मान प्रदान करने के लिये चाहे कुछ भी हो जाये, देश के सभी मतदाताओं को वीसा या पारपत्र की तरह उन्हें पहचान पत्र दिये जाने चाहिएं जिनमें उनका नाम, इनका धर्म, क्षेत्र लिखा हो और प्रत्येक चुनाव में वे पासपोर्ट की तरह उन पहचान पत्रों पर मोहर लगवाएंगे जैसे कि विदेश में जाने वाले व्यक्ति जब भी विदेश जाते हैं पासपोर्ट के पृष्ठों पर हर बार मोहर लगवाते हैं। इसी प्रकार पहचान के लिए प्रत्येक मतदाता को पास बुक जारी की जानी चाहिये और एक चुनाव के दौरान एक बार उसके मतदान करने पर उसकी पहचान स्पष्ट रूप से हो जायेगी और फिर चुनाव में हेरा-फेरी या कदाचार का प्रश्न ही नहीं उठेगा। इसके लिए यदि आपको हजार करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है तो आप खर्च कीजिये और देश को बचाइये। हमें यह बात ईमानदारी से स्वीकार करनी चाहिये और इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की बेईमानी नहीं होनी चाहिये।

महोदय, तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि थोड़े से समय में चुनाव लड़ना बहुत कठिन है। यहां तक कि किसी मंत्री को अन्य सदस्यों की तरह अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा। इस स्थिति में, हम वस्तुतः मतदाताओं को धोखा देते हैं। चुनाव लड़ने के लिए आप हमें 21 दिन का समय देते हैं और मेरे लिये 9 लाख या इससे अधिक लोगों से सम्पर्क करना असम्भव है। क्या यह धोखाधड़ी नहीं है ? हमें प्रचार माध्यमों तथा मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है और हमें बहुत से अन्य खर्चे भी करने पड़ते हैं आप मतदाताओं से मिलने और हमारी योजना तथा कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए स्पष्ट रूप से 60 दिन का समय क्यों नहीं देते ? किन्तु आप केवल 21 दिन का समय देते हैं और हम तीन सप्ताह में कुछ नहीं कर सकते।

चौथी बात यह है किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिये संसदीय स्थान (सीट) के लिये मतदाताओं की अधिकतम संख्या 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये। यदि आप मतदाताओं की संख्या 5 लाख से अधिक रखते हैं और उन्हें 5 लाख से अधिक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने देते हैं तो हम सेवाओं, विकास कार्यों तथा अन्य कार्य के सम्बन्ध में मतदाता के साथ न्याय नहीं कर सकते। इसके लिए यदि आपको संविधान में वैकल्पिक उपबन्ध करना पड़े, यदि आपको संविधान में कोई अन्य

[श्री प्रिय रंजन दास मुंशी]

व्यवस्था करनी पड़े तो कीजिए। किन्तु 9 लाख या 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करना सम्भव नहीं है और हम उनके साथ न्याय नहीं कर सकते। इसी प्रकार, यहां विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हैं।

महोदय, आखिरी बात और, मैंने कई बार यह प्रश्न उठाया है और मुझे माननीय मंत्री जी से कभी जवाब नहीं मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव वाले दिन पुलिस अधीक्षक अथवा सम्बद्ध पुलिस अधिकारी को उस दिन मुख्य मंत्री के अथवा निर्वाचन आयोग के चुनाव अधिकारी के निदेश मानने होते हैं। मैं बताऊंगा कि मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के दौरान क्या हुआ। मतदान वाले दिन मतदाताओं का पुलिस अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। किन्तु मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पुलिस अधिकारी मतदाताओं को, जब वे अपना वोट डालने के लिए लाइन में खड़े थे तो, पीट रहे थे। पर्यवेक्षकों ने इसका विरोध किया उन्होंने कहा 'नहीं, हमें सचिवालय से अनुदेश मिले हैं।' इसलिये, मैं यह जानना चाहता हूं कि चुनाव के मामले में किसे निर्णय लेना है—चुनाव अधिकारी को या रोजमर्रा के सरकारी अधिकारियों को? तो इस मामले में यह लोकतंत्र का मजाक हुआ। इसलिये, इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिये। महोदय, चुनाव याचिका के बारे में मैं यह कहूंगा कि हम बहुत लम्बी प्रक्रिया से चुनाव याचिका दायर करते हैं। यह लोकतंत्र का एक और मजाक है। संक्षिप्त मुकदमे (समरी ट्रायल) की तरह चुनाव याचिका का भी 30 दिन में फैसला किया जाना चाहिए। आप ऐसा उपबन्ध कर सकते हैं कि प्रत्येक राज्य में चुनाव याचिकाओं की सुनवाई उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। यह अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए कि चुनावों के बाद प्रत्येक राज्य में चुनाव याचिकाओं की सुनवाई हेतु उच्च न्यायालयों की विशेष पीठें होंगी। इन मामलों को तत्काल निपटाने के लिए इन पीठों को एक मास तक कार्य करना चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त न्यायाधीश होने चाहिए। उनको इन मामलों का तत्काल निपटान करना चाहिए। अन्यथा यह प्रक्रिया बहुत जटिल है और इसमें काफी समय लगता है।

सभापति महोदय (श्री वक्कम पुरुषोत्तमन) : कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : जैसे हम कई बार मतदाताओं को बोलने नहीं देते वैसे ही आज आप भी मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं और बहुत सी बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। किन्तु मैं यहां इसे गैर-कानूनी नहीं मानता।

श्री टी० बशीर (चिरायिकिल) : सभापति महोदय, श्री डी० एन० रेड्डी द्वारा पेश किये गये संकल्प से हमें चुनाव सुधारों के बारे में अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला है। समय बहुत सीमित है और मैं नहीं जानता कि इस सीमित समय में मैं क्या कह सकता हूं। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जब हमने व्यापक मताधिकार की बात स्वीकार की थी तो इस देश में तथा विदेशों में ऐसे लोग थे जो यह सोचते थे कि भारत जैसे देश में व्यापक मताधिकार प्रणाली सन्तोषजनक ढंग से काम नहीं करेगी क्योंकि हमारी अधिकांश जनता इतनी शिक्षित नहीं थी। वह पिछड़ी हुई थी। किन्तु गत तीन दशकों के हमारे अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत के लोग अपने

अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक हैं, वे अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं और अपने देश की लोकतांत्रिक प्रणाली तथा उसके मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं। संविधान निर्माताओं ने लोगों पर अपना यह भरोसा किया था और अनुभव से हमने यही देखा है कि उन्होंने लोगों पर भरोसा ठीक ही किया था। सदन में तथा सदन के बाहर काफी लम्बे समय से चुनाव सुधारों के बारे में कई बार चर्चा होती रही है किन्तु सच्चाई यह है कि इस संबंध में ठोस रूप से कुछ नहीं किया गया। सरकार के लिए यह उपयुक्त समय है कि वह हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए इस संबंध में कुछ ठोस उपाय करे।

मेरे साथी ने बहुत सी बातें कही हैं, मैं उनको नहीं दोहराऊंगा। जहां तक चुनावों का संबंध है इस मामले में हमारे देश में पैसा इस गड़बड़ी का मुख्य कारण है। हमारे लिए यह उचित समय है कि हम इस समस्या के समाधान के लिए कोई हल निकालें। चुनाव सुधारों का संबंध राजनीतिक दलों के विनियमन तथा उनकी गतिविधियों से होता है। हमारे देश में बहुत से दलों का होना हमारे लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत खराब है। चुनावों में न केवल बहुत दल होते हैं बल्कि उम्मीदवारों की संख्या भी बहुत होती है। जहां तक चुनावों का संबंध है यह एक अस्वस्थ प्रथा है। मुझे याद है कि कर्नाटक में गत विधान सभा चुनावों के दौरान एक ही विधान सभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले से भी अधिक उम्मीदवार थे। इसलिए, इससे चुनाव मजाक बन जाता है। कितने उम्मीदवारों को अपनी जमानत की राशि वापस मिलेगी ? इस तरह की खामियों के कारण चुनावों संबंधी गम्भीरता समाप्त हो जाती है। इसलिए सरकार को इस पहलू पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

अन्य बात जो कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कही है वह पहचान पत्रों के बारे में है। चुनाव के समय होने वाली बहुत सी गलत बातों को देखते हुए यह बहुत अच्छा विचार है। मेरा विचार है कि सरकार को इसे यथा शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए आगे आना चाहिए।

मैं श्री बनातवाला के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि मतदान की आयु कम कर दी जाये। अब मतदान की आयु 21 वर्ष है। किन्तु जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्यों के बहुत से स्थानीय निकायों में मतदान की आयु 18 वर्ष है। कानूनी प्रयोजनों के लिए भी यह आयु 18 वर्ष है। हम दावा करते हैं कि हमारे यहां व्यापक मताधिकार हैं। जब तक हम इस आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष नहीं करते तब तक व्यस्क मताधिकार लागू करना बेकार है। इसलिए, मैं समझता हूं कि जहां तक चुनाव प्रक्रिया का संबंध है, मताधिकार के लिए आयु को कम करके 18 वर्ष करना भी महत्वपूर्ण है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री रामूवालिया। आप कृपया केवल तीन मिनट लीजिएगा।

विधि तथा न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : महोदय, आखिर-कार उत्तर देने के लिए मुझे भी कुछ समय मिलना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि मुझे एक महत्वपूर्ण मामले में मंत्रिमण्डल की बैठक में शामिल होना है।

सभापति महोदय : जवाब देने के बाद आप जा सकते हैं। इन्हें केवल तीन मिनट का समय

दिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : इस दौरान मैं वास्तव में अपनी बात समाप्त भी कर चुका होता । मैं ढाई मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा । शायद मन्त्री महोदय मेरी आदत से वाकिफ नहीं हैं ।

चुनाव सुधारों के विषय पर चर्चा करते हुए जोकि सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं केवल $2\frac{1}{2}$ मिनट का समय लूंगा ।

पहली बात, मेरी यह राय है कि उम्मीदवारों की संख्या की कोई सीमा होनी चाहिए, ताकि मतपत्र में बहुत अधिक नाम न हों । कुछ ऐसे उपाय किए जाएं ताकि चुनावों के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की सूची लम्बी न हो ।

दूसरे, मैं माननीय मन्त्री जी से यह आग्रह करता हूं कि फर्जी मतदाता बनाने की प्रथा को रोका जाये । इस संबंध में कुछ उपाय किये जाने चाहिएं ताकि फर्जी मतदाता न बनें ।

कभी-कभी पैसे के जोर पर मतदाता दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों से लाए जाते हैं । जो लोग पैसे के जोर पर जाली मतदान बनाने में सफल होते हैं उन्हें चुनाव परिणामों में सफल घोषित कर दिया जाता है ।

अन्त में, मैं यह सुझाव दूंगा कि आरक्षित स्थानों को बारी-बारी से बदलने की प्रणाली होनी चाहिए । आरक्षण नीति का विचार बहुत अच्छा है और मेरा दल स्थानों के आरक्षण के अधिकार का पूरी तरह समर्थन करता है ताकि, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों का भी कुछ प्रतिनिधित्व हो सके। किन्तु महोदय, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र को दो अवधियों से अधिक आरक्षित न रखा जाये । हम देखते हैं कि बहुत से निर्वाचन क्षेत्र 1952 से आरक्षित चले आ रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्री बापू लाल मालवीय : सभापति जी, जो कांस्टीट्यूंसी बनती हैं, वह ए० सी० एस० टी० की मैंजोरिटी से ही बनती हैं ।

[अनुवाद]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : किन्तु आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में बारी-बारी से परिवर्तन होता रहना चाहिए । इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय अब तो खुश होंगे ।

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

महोदय, प्रारम्भ में मैं यह संकल्प पेश करने के लिए श्री रेड्डी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इसका संबंध लोकतंत्र की मूलभूत बातों, अर्थात चुनाव प्रक्रिया से है। और मैं उनके विचारों से सहमत हूं कि भारत जैसे लोकतंत्र में जोकि बहुत विशाल तथा सफल लोकतंत्र है, चुनाव प्रक्रिया साफ-सुथरी तथा कदाचार रहित होनी चाहिए। इसलिए उनके द्वारा सभा में पेश किये गये संकल्प के इस पहलू के बारे में पूर्णतया कोई विवाद नहीं है। किन्तु मैं उनके इस विचार से निश्चित रूप से सहमत नहीं हूं, जो सम्भवत: उनके संकल्प के मध्य में तीसरी पंक्ति में ही इस प्रकार है :—

"जो कि अब ताकत, पैसा, जाति, धर्म के भ्रष्ट तथा गलत प्रभाव तथा अन्य प्रकार के भ्रष्ट तरीकों से दूषित हो गये हैं।"

महोदय, जहां तक मेरी बात है, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि सम्पूर्ण चुनाव इस प्रकार की बीमारी जैसा कि यहां कहा गया है, से ग्रस्त है। ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर स्थिति इसके उलट है, अधिकांश इलाकों में, अधिकांश स्थानों पर तथा अधिकतर अवसरों पर चुनाव निष्पक्ष हुए हैं। और यही लोकतंत्र की सफलता है। यहां तक कि विदेशों में भी किसी ने यह शिकायत नहीं की है कि भारत में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं, इसका श्रेय हमें, जो इस सभा में बैठे हैं, नहीं जाता, क्योंकि हमने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं। किन्तु यह भारत के महान लोगों, जिनमें इस देश के निर्माताओं ने अपना विश्वास प्रकट किया था, की बुद्धिमत्ता है और इसलिए उन्होंने संविधान में कहा है "हम भारत के लोग।" यह उनकी सफलता है। हम में व्यक्तिगत रूप से कुछ कमियां हैं और इसके लिए हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हम अपने-आपको कहां तक सुधार सकते हैं ? हमारी जनता राजनीतिक रूप से बहुत संतुष्ट है किन्तु जो लोग वास्तव में चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें अपना शुद्धिकरण करना चाहिए। प्रश्न यह है कि हमें देश में समस्त चुनाव तंत्र पर नजर मारनी है। मेरे सामने चुनाव मैनुअल रखना है। मैं निर्वाचन विधि की विभिन्न बातों का निरीक्षण कर रहा था। निर्वाचन विधि बहुत पूर्ण है। संविधान में यह कहा गया है कि एक बार आप निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर देते हैं तो समग्र शक्तियां निर्वाचन आयोग के पास आ जाती हैं और उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगे। निर्वाचन आयोग पूरी तरह से स्वतन्त्र है। इस बारे में कतई शक नहीं है। हमें, एक के बाद दूसरे अपने निर्वाचन आयोगों पर गर्व है। इन आयोगों ने सभी चुनावों में सफलतापूर्वक कार्य किया है। हमारे यहां सरकारें बदली हैं हमारे यहां विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें बदली हैं। क्या यह हमारी चुनाव प्रणाली की, तथा चुनावों में काम करने वाले लोगों की सफलता नहीं है ?

यहां-वहां कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें राजनीतिक व्यक्तियों ने अथवा कुछ नौकरशाही या कुछ सरकारी कर्मचारियों, पदाधिकारियों ने गलत आचरण किया है।परन्तु ज्यादातर हम यह पाते हैं कि चुनावों के समय हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का बहुत ही अनुशासित ढंग से निर्वाह करता है।

इन सभी आधारों पर अब हम यह नहीं कह सकते हैं कि चुनाव प्रणाली दूषित है अथवा भ्रष्ट आचरण के कारण दूषित है। मैं इस शब्द भ्रष्ट आचरण को वस्तुत: निर्वाचन निधि में रखने का पक्षधर नहीं हूं। आप भ्रष्ट आचरण के अलावा कोई दूसरा शब्द रख सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस प्रणाली में हर व्यक्ति भ्रष्ट आचरण कर रहा है, और इसीलिए निर्वाचन प्रणाली खराब है।

[श्री एच० आर० भारद्वाज]

ऐसा नहीं है। भ्रष्ट आचरण को लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम में परिभाषित किया गया है। वैसे आप इसे जो नाम चाहें दे सकते हैं। लेकिन यदि हम राजनीतिक लोग यह कहते हैं कि हम सभी भ्रष्ट हैं तो इससे सदन की कोई सम्मानित छवि नहीं बनती है। यह सच नहीं है। सच यह है कि हम सभी एक निष्पक्ष चुनाव जीत कर यहां आये हैं। छुट-पुट मामलों में एक या दो व्यक्ति वास्तव में किसी भी कीमत पर सफल होने के लिए ऐसा करते हैं। वे ऐसा कर सकते हैं।

सैयद शाहबुद्दीन : हम सभी सज्जन हैं, जब तक इसके विपरीत सिद्ध न हों।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मानव प्राणी के बारे में एक आधारभूत धारणा है। जब तक कि हम उसका खंडन नहीं करते हैं— मनुष्य उसका खंडन नहीं करता है। इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को यह बात अपने मन में अवश्य रखनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को स्वयं अपनी निंदा नहीं करनी चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : भ्रष्ट अथवा अनियमित अथवा दोनों ही।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि हमारे मित्र श्री दिनेश गोस्वामी, भारी मतों से जीतकर आये हैं। हम यह कैसे कह सकते हैं कि वे भ्रष्ट आचरण के जरिए आए हैं? मेरी दृष्टि में यह जनादेश है। इसी तरह रामूवालिया जी तथा अन्य व्यक्ति जनादेश से यहां आए हैं। यही एक देश है जहां जनता ने यह दिखा दिया था कि किसी समय विशेष में देश का रुझान क्या था। उन्होंने इसका उत्तर दिया है। हम लोग इसका जवाब नहीं दे सकते थे लेकिन उन्होंने दिया। समय ने यही प्रदर्शित किया है। अतः हमें बुनियादी तौर पर यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि जनता अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को तथा अपने मत की शक्तियों को जानती है। अतः पैसा उन्हें गुमराह नहीं कर सकता है। अन्यथा ये सभी बड़े उद्योगपति इस सदन में बैठे होते। ये हरिजन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा गरीब लोगों के प्रतिनिधि यहां नहीं होते।

यह हमारे देश की जनता की सफलता है यहां और वही वास्तविक शासक हैं। वे चाहते हैं कि समाज के साथ न्याय किया जाए। इसीलिए हम पैसे के प्रभाव में आए बिना आम चुनावों में एक सरकार को चुनते हैं। हर कोई मतदाताओं को रिश्वत देने की कोशिश कर सकता है लेकिन वे रिश्वत से प्रभावित नहीं होंगे। इसे मैं जानता हूं, आप जानते हैं तथा हरेक व्यक्ति जानता है कि जनता ने पैसे को ठुकरा दिया है। बाहुबल से भी जनता ने नकार दिया है। आप देश में कितनी भी तादाद में पुलिस बल तैनात कर सकते हैं। कोई भी सरकार ऐसा कर सकती है। आप पायेंगे कि पुलिस भी इसे रोक नहीं सकेगी। शक्ति प्रयोग कहीं एक या दो अवसरों पर प्रभाव डाल सकता है। लेकिन आम धारणा यह है कि न तो भय, न पक्षपात, न -दुरुपयोग, भारत की जनता को सफलतापूर्वक अपना मत देने से रोक सकता है। यह हमारे प्रजातंत्र की सफलता है। मैं अपने निवेदन को यहां तक सीमित रखूंगा···

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : उग्रवादी भी पंजाब में ऐसा नहीं कर सके।

श्री एच० आर० भारद्वाज : जी, हां। रामूवालिया जी, ऐसा कहने के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। सारे देश की वही प्रतिक्रिया है जैसा आपने कहा है। पंजाब की जनता शांतिप्रिय है। यह उन्होंने सिद्ध कर दिया है। वे लोग जो पंजाब में शांति भंग करना चाहते थे, वे जानेंगे कि पंजाब का अर्थ है व्यापार। यह वह महान् प्रान्त है जहां मैंने अपने जिंदगी के 25 वर्ष गुजारे हैं। मैं स्वयं एक पंजाबी हूं। मैं आपको बताता हूं : पंजाब भारत का कैलिफोर्निया है। पंजाब यह दिखाएगा अर्थात् हर प्रान्त पर किसी न किसी विषय पर खराब समय आता है। परन्तु वस्तुतः यह मुद्दा नहीं है।

आज हम लोग इस बात पर विचार-विमर्श कर रहे हैं कि किस तरह हम अपने कानूनों में सुधार ला सकते हैं ताकि उनको शुद्ध किया जा सके। ठीक उसी तरह से जैसे हम गंगा को शुद्ध कर रहे हैं। गंगा आज सबसे पवित्र नदी है। यह पवित्र थी, यह पवित्र है और यह पवित्र रहेगी। परन्तु कुछ नाले आदि के गंगा में गिरने के कारण इसमें कुछ प्रदूषण है। हमें उन्हें रोकना चाहिए। हमें गंगा चुनाव-गंगा को शुद्ध करना चाहिए। अतः हम साथ बैठकर विचार करें।

हमें निर्वाचन आयोग से कुछ सुझाव मिले थे उनमें से एक दल बदल विरोध के संबंध में था। दल बदल विरोधी कानून बन गया है। लोग राजनीतिक कारणों से इन बातों पर प्रतिकूल टिप्पणी कर सकते हैं। परन्तु यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपलब्धि है। आज हम दल बदल की इस भयंकर बीमारी से मुक्त हैं। यह प्रजातंत्र की सफलता है।

तत्पश्चात निर्वाचन आयोग ने यह सुझाव दिया था, हमें दलों के खाते की लेखा-परीक्षा करनी चाहिए इस विषय पर भी अध्ययन किया जा रहा है। हमारे यहां मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने की समस्या है। इसका भी अध्ययन किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने कुछ तरीकों का सुझाव दिया है। हम उन पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

[अनुवाद]

हल्के उम्मीदवारों के संबंध में भी हमारे पास कुछ सुझाव हैं। इस बार एक अजीब बात हुई ? अर्थात एक विधान सभा या एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 100 या 200 उम्मीदवार थे, जिनके कारण मतपत्र बहुत बड़ा बनाया गया था। यह नई बात 1984 के चुनाव में हुई। इस पर भी विचार किया जाना है। माननीय सदस्यों की ओर से बहुत से सुझाव आये हैं और हम उन पर विचार करेंगे।

मैं आपका ध्यान राष्ट्रपति के भाषण की मद संख्या 54 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसके बारे में इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है। मैं सदन को सिर्फ यह याद दिलाना चाहूंगा कि यह बात राष्ट्रपति के भाषण में कही गई है।

डा० डी० एन० रेड्डी : राष्ट्रपति का वह भाषण 1985 का था। उसके बाद एक वर्ष से अधिक समय निकल गया है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : क्या आपको 1989 के चुनावों की ज्यादा जल्दी है। मि० रेड्डी

[श्री एच० आर० भारद्वाज]

कृपया मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कृपया बैठ जाएं। हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। (व्यवधान) इस संबंध में मै आपको सही स्थिति बताना चाहूंगा। यदि आप लोगो पास कोई विचार है तो वह आप हमें बता सकते हैं। उन पर हमें आपके साथ चर्चा करनी है। जब कभी भी राष्ट्रीय महत्व के मामले आये हैं, लगभग सभी मामलों में हम विपक्षी दलों के पास गए हैं तथा सभी दलों को इन पर चर्चा करनी होती है। यह मात्र जोरदार शब्दों में उन विषयों को सदन में रखने का सवाल नहीं है। यह आने वाले कल की तात्कालिक आवश्यकता नहीं है। आपको आपस में इस पर चर्चा करनी है। आपके विचार बहुमूल्य होंगे।

डा० डी० एन० रेड्डी : इसने बहुत ज्यादा समय लिया है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : आप कैसे कह सकते हैं कि इसने ज्यादा समय लिया है? आपको भ्रम है। शायद आपके विचार हमारे विचार से नहीं मिलते हैं। मैं कहता हूं कि बुनियादी तौर पर कानून बहुत अच्छा है। परन्तु आप कहते हैं कि हमने सारी प्रणाली को भ्रष्ट कर दिया है। मैं आपकी उस मूल अवधारणा का खंडन करता हू कि हम सभी ने इसे भ्रष्ट किया है और कि हम सभी भ्रष्ट हैं।

डा० डी० एन० रेड्डी : यह मेरा विचार नही हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : इस विचार को स्वीकार नही किया जा सकता। मेरा इशारा आपके संकल्प में दिए आपके वाक्य की ओर है। आप इस सम्बन्ध मे कुछ और भी कह सकते है, मेरी दृष्टि मे इस प्रस्ताव के अलावा जो माननीय सदस्यों द्वारा इस सभा मे रखा गया है, आपको कुछ और भी कहना है तो वह कृपया कहें। मैं अनेक बातें बता रहा हू।

चुनावों के लिए धन की व्यवस्था के बारे में भी एक सुझाव है। हम इस पर चर्चा करें। निर्वाचन आयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया है; उसने इसे एक सीमित रूप में स्वीकार किया है; वह इस व्यवस्था को पैसे के रूप मे नही चाहता है, उसके अनुसार अन्य सहयोग के रूप मे यह व्यवस्था की जा सकती है क्योंकि स्वतन्त्र उम्मीदवारों की समस्या है, हमारे यहां सैकड़ों स्वतन्त्र उम्मीदवार होते हैं और प्रत्येक उम्मीदवार को आप कितना पैसा दे सकते हैं; तब हर कोई उम्मीदवार हो जाएगा, इस आधार पर राजनीतिक दलो को कहां तक राजकीय आर्थिक सहायता दी जा सकती है, यह भी एक राष्ट्रीय मसला है : करदाताओं का एक-एक पाई जब हम खर्च करते हैं वह हमारा होती है और वह हमे वैसे ही खर्च करनी होती है जैसा आप चाहते हैं। इसलिए हमें यह विचार करना होगा कि राजनीतिक दलो को चुनावों के समय कहां तक धन अथवा समान दिया जा सकता है। यह हमारे पास विचाराधीन पड़े सुझावों में से एक है।

इसके बाद सीमा निर्धारण का एक प्रश्न आता है। मैंने इसका उत्तर इस सदन में तथा दूसरे

सदन में भी दिया था कि यह विषय 1984 में चुनाव से पहले ही छोड़ दिया गया था। सर्व सम्मति से ऐसा किया गया था। हमें संविधान में संशोधन करना चाहिए। तब सभी दलों की सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि हम लोग चुनावों के बाद इस पर फिर से विचार करेंगे। हमारे यहां 1984 में चुनाव हुए। इन चुनावों से हमें कुछ अनुभव हुए है। और हम उन अनुभवों का उपयोग करेंगे और इसका हमने वायदा किया था। 1985 में राष्ट्रपति ने संयुक्त सत्र को सम्बोधित करते हुए न्यायिक सुधार की बात कही थी। हमने उसे भी शामिल किया है। अब चुनाव सुधारों की बात हो रही है। इनके बारे में मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट है। कि इन विषयों पर हम लोग आपके साथ तुरन्त विचार विमर्श करेंगे तथा इससे आप आश्वस्त रहें कि जो भी राष्ट्रीय सर्वसम्मति होगी, इसका सम्मान किया जाएगा तथा उसको कार्यान्वित किया जाएगा। फिर हम उसे स्थगित क्यों रखें ? तत्पश्चात दूसरा मसला निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता के बारे में उठाया गया था यह एक स्वायत्त निकाय है। निर्वाचन आयोग को यह सुझाव देना चाहिए कि उसे और कितनी और शक्तियों की आवश्यकता है, और उसे मजबूत बनाने के लिए कौन सी प्रणाली अपेक्षित है और इस पर पुनः चर्चा की जा सकती है इन सभी मुद्दों पर पुनः चर्चा की जा सकती है। परन्तु प्रश्न यह है कि चुनावों की समस्त प्रकिया, उनकी प्रमुख समस्या धन बल को, बाहुबल को समाप्त किया जाए तथा उम्मीदवारों की भारी संख्या में कमी की जाए तथा केवल वास्तविक उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकें ताकि इस कारण से अन्य लोगों को परेशान न किया जा सके और बड़ी संख्या में लोग अपने मत का प्रयोग कर सकें। इसके अलावा, यदि आपके पास मुद्दे हैं, वे राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं, परन्तु वे वस्तुतः राष्ट्रीय हित के उपयुक्त मुद्दे नहीं हो सकते। लोगों को आपके दल से कुछ समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि यह तेलुगु देशम दल है जो एकभाषा अथवा जाति पर आधारित है। आप इस पर गम्भीरता से विचार कर सकते हैं और यदि आप धारा 123 पढ़ें तब आपकी समस्यायें एक बड़े परिप्रेक्ष्य में हो सकती हैं। मैं यह बात नहीं कह सकता क्योंकि आखिरकार इस बल का लोगों द्वारा आदर किया गया है और अपना मत देकर उसे सत्तारूढ़ किया है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से, एक वकील होने के नाते यह महसूस करता हूं कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति को इस मुद्दे पर अयोग्य ठहराया जा सकता है, क्योंकि आपने एक भाषा अथवा एक जाति का उपयोग किया है। अतएव, आपको अयोग्य ठहराया जा सकता है क्योंकि आपका दल पूर्णतया उस धारणा पर आधारित है जिसे चुनाव प्रणाली के अन्तर्गत अनुमति नहीं दी गई है। (व्यवधान)

आप कृपया मेरे सुझाव पर विचार करें और अपने नेता को परामर्श दें।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : यह जो करने जा रहे हैं वह एक्सरसाइज कब पूरा होगा।

[अनुवाद]

श्री एच०आर०भारद्वाज : आप जब चाहें हमें लिख भेजें।

श्री नारायण चौबे : कई राज्यों में 1987 के प्रारम्भ में और कुछ राज्यों में 1986 के अन्त

[श्री नारायण चौबे]

में चुनाव हो सकते हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : उन्हें पहले करवा लीजिए। आप संसदीय कार्य मंत्री महोदय से बात कीजिए। वे इसकी तारीख निश्चित कर देंगे।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : आपने जिक्र किया है कि 1984 में सीमा निर्धारण के बारे में मतैक्य हुआ था लेकिन इसे इसलिए स्थगित कर दिया गया था कि सीमा निर्धारण का कार्य 1984 के बाद किया जा सकता है। अब आगामी विधान सभा चुनाव 1987 में अनेक राज्यों में होने जा रहे हैं और सीमा निर्धारण की प्रकिया में लगभग एक वर्ष लग जाएगा। क्या आप इसे शुरू करेंगे ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : आप इस काम को इतने जल्दी नहीं कर सकते। इस कार्य में एक या दो वर्ष लगते हैं।

डा० डी० एन०रेड्डी : आपने 1980 में एक संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की थी। उसका कुछ नहीं हुआ !

श्री एच० आर० भारद्वाज : यदि आप 1970 अथवा 1980 की बात करते हैं तो उसका कोई उत्तर नहीं है। आपने इस सभा में जो कुछ कहा है मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं और उसका उत्तर दे रहा हूं, गोस्वामी जी मैं आपको और प्रत्येक व्यक्ति को आमन्त्रित करता हूं कि आप संसदीय कार्य मंत्री महोदय से संपर्क करें और जो कुछ आप चर्चा करना चाहते हैं उसके लिए एक बैठक निश्चित करें। हम उससे बचना नहीं चाहते। हमने राष्ट्रपति के भाषण में इस संदर्भ में वचन दिया है।

एक माननीय सदस्य : आप हमें कब आमन्त्रित करेंगे।

श्री एच०आर०भारद्वाज : किसी भी दिन मैं आपके साथ बात करने के लिए तारीख निश्चित कर सकता हूं और तब हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जहां तक सरकार का सम्बन्ध है निमन्त्रण नेताओं को भेजे जाएंगे जैसा कि पहले होता आ रहा है। कभी-कभी आप उन निमन्त्रणों से भी बचना चाहते हैं। इसलिए, मैं सादर पूर्वक यह कहूंगा कि चुनाव सुधार का यह मामला एक राष्ट्रीय महत्व का मामला है। हम सब इस पर विचार करते हैं, सरकार इस विचार में इसलिए हिस्सा लेती है कि हमारा प्रजातन्त्र विश्व में एक बेजोड़ प्रजातन्त्र रहना चाहिए। हमारी जनता गरीब है लेकिन मूर्ख नहीं हैं। उनकी बुद्धिमता की कई बार चुनावों में परीक्षा की गई है जिस पर सन्देह नहीं किया जा सकता है।

श्री नारायण चौबे : आप 'बेजोड़ प्रजातंत्र' की व्याख्या किस तरह करते हैं ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : यह इस अर्थ में बेजोड़ है कि आपके नोट और प्रचार माध्यमों के बारे में आपका झूठा प्रचार उन्हें रास्ते से नहीं भटकाता।

श्री नारायण चौबे : क्या यह 1977 में भी बेजोड़ था ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : जी हां, यह बेजोड़ था।

श्री नारायण चौबे : इसलिए, वे उस समय झूठा प्रचार कर रहे थे।

श्री एच० आर० भारद्वाज : यदि आप लोगों की बुद्धिमता को विवादास्पद बनाते हैं तो आप कलकत्ता से आगे यात्रा नहीं कर सकते हैं।

डा० डी० एन० रेड्डी : कम से कम हमें समय-सीमा तो बता दीजिए ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं आपको तारीख नहीं बता सकता। लेकिन जब हमने राष्ट्रपति के भाषण में यह वचन दिया है कि हम व्यापक चुनाव सुधार लागू करने जा रहे हैं, अब प्रश्न केवल यह है कि आप इसे कब चाहते हैं। जब आप सुधार की बात करते हैं तो आपके दल सहित हर जगह सुधार होना चाहिए। हम सबको शुद्ध हो जाना चाहिए।

डा० डी० एन० रेड्डी : पहले आप अपने आपको सुधारें।

श्री एच० आर० भारद्वाज : हम आपकी सलाह से अपने आपको नहीं सुधार सकते हैं। आपकी सलाह काफी खतरनाक है।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं नहीं समझता कि हम सब खराब हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक को वापस ले लें और हमें एक साथ बैठकर इस मामले में निर्णय लेना चाहिए।

डा० डी० एन० रेड्डी (कड़प्पा) : मैं वास्तव में इसके लिए आभारी हूं कि इस विषय ने सभा के दोनों ओर के माननीय सदस्यों का ध्यान खींचा है। उनमें से कई मुझसे वरिष्ठ हैं और काफी अनुभवी हैं। मैं वास्तव में उनके द्वारा दिए गए सुझावों के लिए उनका आभारी हूं। मैं आशा करता हूं कि सरकार भी उनके सुझावों को नोट करेगी और तदनुसार कार्य करेगी।

मैं इस बात से बहुत निराश हूं कि माननीय विधि मंत्री महोदय ने हमें यह नहीं बताया कि ये सुधार कब लागू होंगे। हाल ही में हमें 'राजाजी फाऊंडेशन' द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में भाग लेने का एक अच्छा अवसर मिला था जिसमें सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय तथा विधि मंत्री महोदय ने भी भाग लिया था।

4.59 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

जो सदस्य इस समय अध्यक्षता कर रहे हैं उनके विचार सुनने का भी हमें अवसर मिला था

[डा० डी० एन० रेड्डी]

और हमने सुस्पष्ट विचार-विमर्श किया और उस बैठक के कुछ निष्कर्ष भी निकले थे। मैं समझता हूं कि इस बात पर सर्वसम्मति रही है कि जितना शीघ्र हो सके निर्वाचन पद्धति में सुधार किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस बारे में कोई दो राय नहीं होंगी।

5.00 म० प०

दूसरी बात, जिस पर हम सब सहमत हैं, यह है कि निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र होना चाहिए — राज्यों से स्वतन्त्र, केन्द्र से स्वतन्त्र। मैं समझता हूं कि सभा के दोनों पक्षों के सदस्य इन दोनो मुद्दों पर सहमत हैं।

मैं केवल कुछ बातों का उल्लेख करूंगा। मैं अधिक समय नहीं लेना क्योंकि इन सभी बातों को मैं तथा और भी अनेक सदस्य पहले ही बता चुके हैं। तीन कारणों का पता लगाया गया है, जो वर्तमान निर्वाचन पद्धति को विकृत कर रहे हैं, जैसा कि अनेक सदस्यों ने बताया है, यह धन की शक्ति और आदमियों की शक्ति आदि हैं। अत: सरकार को कुछ सुधार लागू करके कमियों को ठीक करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

सत्ताधारी दल के सदस्यों द्वारा बहुत सी टिप्पणियां की गई हैं कि मोटे तौर पर वे संकल्प की विषय-वस्तु से सहमत हैं परन्तु संकल्प में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वे उसके विरुद्ध हैं। मेरा कहने का यह अर्थ नहीं था कि सम्पूर्ण निर्वाचन पद्धति दूषित है और हम सब अनुचित चुनाव के आधार पर यहां आए हैं। जब इस सभा में यह संकल्प प्रस्तुत किया गया था तब मेरा यह आशय कदापि नहीं था।

एक माननीय सदस्य ने बताया है कि निर्वाचन पद्धति में खराबी आ गई है। इस तर्क से सभी सदस्य सहमत होंगे कि जब फलों में सड़न शुरू हो जाती है तो शीघ्र ही अगले दो अथवा तीन दिनों में फल सड़ जाते हैं। अत: जब आप इस बात से सहमत हैं और आपने पता लगा लिया है कि निर्वाचन पद्धति खराब हो रही है, तो हमें उस खराबी को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि निर्वाचन पूर्ण रूप से ठीक और निष्पक्ष हों। केवल निर्वाचन पद्धति में सुधार करने से चुनाव पूर्ण रूप से निष्पक्ष नहीं हो सकते, यह हम लोगों पर भी निर्भर करता है।

मैं माननीय विधि राज्य मंत्री जी से पूर्णतया: सहमत हूं कि इस महान लोकतांत्रिक राष्ट्र में, लोगों ने अपने को उच्च प्रजातांत्रिक, अत्यधिक बुद्धिमान सिद्ध किया है और हम उनके बहुत आभारी हैं। परन्तु सभा से मेरा अनुरोध यह है कि राजनीतिज्ञों ने लोगों को धोखा दिया है। निर्वाचन प्रक्रिया की सभी त्रुटियों के लिए राजनीतिज्ञों ने — चाहे वे इस पक्ष के हों अथवा विपक्ष के न केवल राजनैतिक क्षेत्र अपितु प्रत्येक क्षेत्र को भ्रष्ट किया है और इसलिए राजनीतिज्ञों को यह देखना होगा कि ये कमियां ठीक की जाएं, देश में जो भी गलत हो रहा है उसमें जितना शीघ्र सम्भव हो, सुधार किया जाए। इस सम्बन्ध में, मुझे उच्चतम न्यायालय के एक प्रसिद्ध न्यायाधीश द्वारा कही गई बात का उल्लेख करने की

अनुमति दी जाए :—

"चुनावों में पैसा देने और लेने की हमेशा निन्दा की जाती है परन्तु इसके साथ ही साथ यह चलता रहता है— (आरोप लगाया जाना तो आम बात है लेकिन इसका पता कभी-कभार ही लगता है) इसको रोकने के लिए राजनैतिक दलों तथा सदस्यों के बीच बहुत विचार-विमर्श और वाद-विवाद रहा है। यद्यपि इस पद्धति में राजनीति और कानून दोनों शामिल हैं परन्तु यह राजनीति अधिक और कानून कम है। राजनीतिज्ञ शक्ति प्राप्त करते हैं और कानून बनाते हैं।"

अत: राजनीतिज्ञों को यह देखना होगा कि धन की शक्ति आगे न आए क्योंकि बाकी सब कुछ पैसे के कारण होता है। पैसे की शक्ति से ही आदमियों की शक्ति प्राप्त की जा सकती है। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि माननीय विधि मंत्री ने, सेमिनार में भाषण देते समय, कुछ बातों से सहमति व्यक्त की थी। दुर्भाग्यवश मंत्री महोदय ठीक वही शब्द यहां नहीं कह सकते परन्तु मुझे बहुत प्रसन्नता होती यदि वह वही बात यहां दोहराते जो उन्होंने सेमिनार में कही थी। उन्होंने दो-तीन उपयुक्त मुद्दों से सहमति व्यक्त की थी, जो इस सारे मसले से सम्बन्धित है। उन्होंने कहा था कि वह मतदान प्रक्रिया में इलेक्ट्रोनिक मशीनों के प्रयोग के पक्ष में हैं। उन्होंने इससे सहमति व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि पहचान-पत्र आवश्यक है और उन्होंने यह भी कहा था कि निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र होना चाहिए। आखिरकार, इन सब की व्यवस्था द्वारा अधिकतर बुराइयों को दूर कर दिया जाएगा। मैं केवल यह चाहता हूं कि सरकार यह वायदा करे कि कम से कम कितने समय में सरकार निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार कर पाएगी और यह देखे कि आगामी चुनाव पिछले चुनाव और उससे पहले चुनावों की अपेक्षा स्पष्ट और अपेक्षाकृत अधिक निष्पक्ष हों।

निर्वाचन आयोग ने भी सहमति व्यक्त की है कि 4-5 वर्ष पहले पैसे की शक्ति कोई बड़ी शक्ति नहीं थी, परन्तु पिछले चुनावों में निर्वाचन आयोग ने बताया कि उचित निर्वाचन प्रक्रिया में पैसे की शक्ति एक बहुत बड़ी बाधा है। राजा जी और जय प्रकाश नारायण ने 15 वर्ष पहले इस ओर ध्यान दिलाया था —"प्रजातन्त्र को धन की शक्ति से बचाइए।" अत: ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों अथवा हमारे संविधान निर्माताओं ने यह नहीं सोचा कि निर्वाचन प्रक्रिया इस स्तर तक आ जाएगी। उन्होंने हमें संविधान, उच्च स्तर का संविधान प्रदान किया, परन्तु इसमें अनेक बार संशोधन किया गया है। उन्होंने हमें बहुत अच्छी निर्वाचन प्रक्रिया दी और यह शुरू के 10-15 वर्षों तक ठीक ढंग से चलती रही। अब चुनाव-दर-चुनाव अनियमितताएं बढ़ रही हैं। हम सबके समक्ष यह प्रश्न है कि निर्वाचन प्रक्रिया को शुद्ध किया जाए और जितना शीघ्र सम्भव हो निर्वाचक कानून में संशोधन किया जाए।

महोदय, इस मामले पर इस सभा में और सभा के बाहर भी अनेक बार चर्चा की गई है। 1980 में संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की गई। परन्तु वास्तव में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस मामले पर इस सभा में और सभा के बाहर भी काफी लम्बी चर्चा हुई और सिफारिशें सरकार को भेजी गई परन्तु कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकले। सम्पूर्ण प्रक्रिया पहले की तरह ही चलती रही है। जैसाकि

[डा० डी० एन० रेड्डी]

निर्वाचन आयोग ने बताया है चुनाव-दर-चुनाव अनियमितताएं अधिक संख्या में और अपेक्षाकृत अधिक गम्भीर हो रही हैं और हमें इस टिप्पणी पर उचित ध्यान देना चाहिए तथा चुनाव स्वतन्त्र और निष्पक्ष करवाने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया मे सुधार करके पूर्वोपाय करने चाहिए। विपक्ष के एक सदस्य ने दो बातें कही हैं। जब मैंने उनका भाषण सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने दो प्रश्न उठाए। एक तो उन्होंने विपक्ष के दलों को नाम लेकर बुरा-भला कहा। मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। मैं अन्य सदस्यों के भाषणों में बाधा डालने में विश्वास नहीं रखता। मैं केवल विधि मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय सदस्य ने विपक्षी दलों को गालियां दी। दूसरे, सदस्य ने सभी भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों की सराहना करते रहे। इस चर्चा में उनका इतना ही योगदान रहा। मैं उनके भाषण में व्यवधान नहीं डालना चाहता था। मुझे इस प्रकार का भाषण सुनकर बहुत दुःख हुआ।

अभी एक अन्य माननीय सदस्य ने क्षेत्रीय दलों के विरुद्ध बहुत कुछ कहा। यह क्षेत्रीय दलों के विरुद्ध दिया गया उत्तेजनापूर्ण भाषण था। महोदय क्षेत्रीय दल यहां आपकी मर्जी से नहीं अपितु इसलिए कि उन राज्यों के लोगों ने उन्हें चुना है, क्षेत्रीय दल यहां टिके रहने के लिए आए हैं। चाहे सत्तारूढ़ दल चाहे अथवा न चाहे क्षेत्रीय दल यहां रहेंगे। ऐसे अन्य राज्य भी हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रीय दलों को चुना है। माननीय सदस्य ने कहा है कि क्षेत्रीय दलों के सदस्य राष्ट्रीय स्तर पर चुनावों पर टिप्पणी नहीं कर सकते। यह बेतुकी बात है। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है।

एक अन्य सदस्य ने कहा कि यदि चुनाव प्रक्रिया गलत है तो श्री जयपाल रेड्डी और श्री डी० एन० रेड्डी कैसे विजयी घोषित हुए। महोदय, खराब चुनाव प्रणाली के बावजूद ऐसा हुआ है। मुझे 65,000 मतों का बहुमत मिला हुआ है। यदि निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण स्वतन्त्र और निष्पक्ष होती तो मुझे 1,66,000 का बहुमत मिलता। हम सब इस बात से सहमत हैं कि चुनाव सुधार कार्यान्वित किए जाने चाहिए। हम सब इस बात से सहमत हैं।

हमें कम-से-कम उन बातों को कार्यान्वित करना चाहिए जिसपर हम सभी सहमत हैं। इसलिए मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाए जिसमें चुनाव सुधारों, जिनपर हम सभी सहमत हैं, पर विचार-विमर्श किया जा सके और उनको कार्यान्वित किया जा सके क्योंकि यह विचार-विमर्श बहुत दिनों से चल रहा है। हमें पता नहीं, आप यह कब करेंगे। इसमें सन्देह नहीं कि बहुत सारी बातों पर हम दोनों सहमत हैं। कम से कम माननीय मंत्री को स्वयं इस सदन में वादा करना चाहिए कि इन सुधारों का कार्यान्वयन वास्तव में कब किया जाएगा।

इसके बाद तब सरकार द्वारा चुनावों के लिए धन की व्यवस्था करने के सन्दर्भ में मैं एक बात कहना चाहूंगा। यह सच है कि यदि आप धन की शक्ति पर नियन्त्रण रखना चाहते हैं तो सरकार द्वारा चुनावों के लिए धन की व्यवस्था प्रारम्भ की जानी चाहिए। परन्तु मुझे यह स्वीकार करना चाहिए, मैं यह नहीं जानता कि इसे बेहतर ढंग से कैसे किया जा सकता है लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे बहुत सारे माननीय सहयोगी इसके कार्यान्वयन के तरीके के बारे में भ्रमित है। यह एक विचार-

विमर्श का विषय है। इसलिए इस पर विचार किया जा सकता है। परन्तु कुछ मुद्दे ऐसे हैं, उदाहरण के लिए, जैसा मैंने कहा जिन्हें माननीय विधि मंत्री को जबतक कि सरकार अनुमोदित न करें, यदि सदन में घोषित नहीं किया तो सार्वजनिक सेमिनार में घोषित नहीं करना चाहिए था, कि वे चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक मशीन तथा परिचयपत्र को प्रारम्भ करने पर सहमत हैं ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि क्यों माननीय मंत्री ने सदन में यह घोषणा नहीं की कि ये सुधार आगामी चुनावों में कार्यान्वित किये जाएंगे। माननीय विधि मंत्री के उत्तर के बावजूद वे एक तारीख तय नहीं कर पाये तथा न ही इस सदन में कुछ वचन दे सके। यही बात मैं माननीय महोदय से कह रहा हूं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि यदि आवश्यक हो तो एक समिति गठित की जा सकती है। समिति अपनी बैठक करे तथा सुधारों की सिफारिश करे और तब आप हमें बताएं कि किन मुद्दों पर आप सहमत हैं और उनकी सदन में घोषणा करें। यह मेरे संकल्प का अभिप्राय है और मेरा यह आशय कदापि नहीं रहा कि सभी चुनाव सही नहीं हैं तथा हरएक व्यक्ति जनमत चुनाव के आधार पर निर्वाचित होकर आया है। ऐसी बात नहीं है। मतदाता निश्चितः समझदार हैं। जैसा मैंने पहले कहा, वे लोकतांत्रिक हैं। उन्होंने बार-बार यही प्रदर्शित किया है। यदि यह चुनाव प्रणाली स्वतन्त्र और निष्पक्ष नहीं बनायी जाती तो वे पुनः हमें सीख देंगे। न सिर्फ चुनाव प्रणाली अपितु अन्य मुद्दों पर भी जनता सजग दृष्टि रखे हुए है। आम आदमी सदैव हमारा नियामक होता है। इसके अलावा आम आदमी अब बहुत ही चतुर हो गया है। हम कुछ करते हैं जो कुछ आदेश देते हैं वह इसलिए कि सारा राष्ट्र एक बहुत ही संकटकालीन अवस्था में है और बहुत सारे राज्यों में समस्याएं गंभीर हो रही हैं। हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बिना किसी राजनीतिक दल का पक्ष लिए चुनावों को स्वच्छ होने दे तथा इस राष्ट्र को सबसे बड़ा प्रजातन्त्र रहने दें जैसा कि यह इन वर्षों में रहा है और हम यह सिद्ध करें कि हमारी चुनाव प्रणाली बहुत ही स्वच्छ है और सर्वोत्तम उम्मीदवार चुने जाते हैं और इस प्रतिष्ठित सदन में देश के हितों की रक्षा के लिए भेजे जाते हैं।

संसदीय कार्य एवं पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

महोदय मैं यह स्पष्ट करूंगा कि हम लोग यह नहीं समझते हैं कि माननीय सदस्य किसी भी गलत विचार से प्रेरित हैं। यह संकल्प लाने के लिए वे अच्छे उद्देश्य और विचार से प्रेरित हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने यह संकल्प रखा तथा इस सदन में इस विषय पर चर्चा की गयी जिसमें कि बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया। मैं उनसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि किसी भी सरकार के लिए इस तरह के मामलों में इस प्रकार एक तारीख तय करना बहुत ही कठिन है। इस प्रकार के मामले में अत्यधिक विचार-विमर्श, परामर्श इत्यादि की आवश्यकता होती। सरकार चुनाव सुधार लाने के लिए बहुत ही उत्सुक है। यही विधि मंत्री ने बताया और मैं इसे सिर्फ दोहरा रहा हूं, राष्ट्रपति के भाषण में भी यही बात थी। यह इस सरकार की वचनबद्धता है, हम लोगों द्वारा किया हुआ एक औपचारिक वादा। कोई एक तारीख तय करना वास्तव में हमारे लिए कठिन है। मुझे आशा है कि इस कारण को माननीय सदस्य समझेंगे। मैं इसे समझता हूं और मुझे विश्वास नहीं है कि चुनाव प्रणाली में सुगंध पैदा हो गयी है। मैं समझता हूं कि हमें चुनाव सुधारों की आवश्यकता है और हमें यह यथा शीघ्र

[श्री एच० के० एल०भगत]

सुधार लाने चाहिए। निसन्देह हमें चुनाव सुधारों की आवश्यकता है। दूसरी ओर मेरा विश्वास है कि यह चुनाव प्रणाली इस देश में हर संकट के समय सफल हुई है और इस देश में हम तमाम बातों के बावजूद प्रजातन्त्र सुस्थापित रहा है और सुदृढ़ रहा है। अतः मैं इस पर विश्वास नहीं करता कि इसमें विकृति बहुत अधिक हो गई है परन्तु यह निश्चित है कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, यही मैं कहना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय दलों की सभी सरकारें, जो निर्वाचित हैं, भली प्रकार चलती रहें, वे लोगों द्वारा निर्वाचित हैं, हम जनादेश का आदर करते हैं और इस तथ्य को हम सदैव स्वीकार करते हैं। सदस्यों को क्षेत्रीय दलों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है वे उनका विरोध या समर्थन करने के लिए स्वतंत्र हैं परन्तु जहां तक सरकार का संबंध है हम जनादेश का आदर करते हैं और माननीय सदस्य को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम निश्चित रूप से चुनाव संबंधी सुधार करना चाहते हैं। उठाए गए कुछ मुद्दे भी संगत हैं। अतः इन परिस्थितियों में मेरा अनुरोध है कि हमें इसे दलगत मामला नहीं बनाना चाहिए। वह निष्पक्ष और सही चुनाव चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं लम्बे अर्से से चुनाव देख रहा हूं और चुनाव लड़ रहा हूं। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि हमने कभी मत खरीदे हैं, हमने ऐसा कभी नहीं किया। परन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम सब इस बात के इच्छुक हैं और इस भावना से मेरा उनसे अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें और हम चुनाव संबंधी सुधार करेंगे।

सभापति महोदय : क्या आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

डॉ० डी० एन० रेड्डी : महोदय, मैं प्रधान मंत्री द्वारा हालही में दिए गए एक भाषण से उद्धरण प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। वह इस प्रकार है :—

> "देश को निर्धनों की सेवा की राजनीति की आवश्यकता है। देश को ऐसी राजनीति की जरूरत है जो सिद्धान्त और कार्यक्रमों पर आधारित हो। ऐसा करने के लिए हमें राजनैतिक दलों और निहित स्वार्थों के बीच संबंध को समाप्त करना होगा। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हम चुनाव संबंधी नियमों में परिवर्तन करेंगे। राजनैतिक दलों को उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि का हिसाब देना होगा। हम उन लोगों के विरुद्ध सैद्धान्तिक युद्ध छेड़ेंगे जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं।"

यह उद्धरण मैंने प्रधान मंत्री के भाषण से प्रस्तुत किया है।

श्री एच० के० एल० भगत : प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है हमें उससे सहमत होना चाहिए।

डॉ० डा० एन० रेड्डी : मैं इसे वापस लेने के लिए तैयार हूं बशर्ते कि मंत्री महोदय सदन में यह आश्वासन दें कि अगले चुनाव से पहले चुनाव संबंधी सुधार कर दिए जाएंगे।

श्री एच० के० एल० भगत : जहां तक मेरा संबंध है मैं प्रधान मंत्री की बात से सहमत हूं। हम

सबको इससे सहमत हो जाना चाहिए और चुनाव संबंधी सुधारों के लिए अपना दिमाग लगाना चाहिए। माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वे इस संकल्प को वापस ले लें।

डॉ० डी० एम० रेड्डी : यदि मंत्री महोदय आश्वासन दें तो संकल्प को वापस लेने में मुझे प्रसन्नता होगी।

सभापति महोदय : उन्होंने सरकार की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। अब आप क्या चाहते हैं ?

डॉ० डी० एम० रेड्डी : मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि वे एक निश्चित तारीख तक चुनाव संबंधी सुधार कर देंगे। यह कार्य 1990 में होने वाले चुनाव से पहले हो जाना चाहिए।

सभापति महोदय : क्या आप चाहते हैं कि संकल्प को मतदान के लिए रखा जाए या आप संकल्प को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहते हैं ?

डॉ० डी० एम० रेड्डी : मैं संकल्प को वापस ले लूंगा बशर्ते कि मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि अगले चुनाव तक चुनाव सुधार लागू कर दिए जाएंगे।

सभापति महोदय : अतः मैं यह समझता हूं कि आप संकल्प पर बल दे रहे हैं। अतः सबसे पहले मैं श्री मूलचन्द डागा द्वारा रखे गए संशोधनों को निपटाता हूं।

मैं अब श्री मूलचन्द डागा द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 3, 4 और 5 को सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 3, 4 और 5 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय। अब मैं डॉ० डी० एन० रेड्डी द्वारा रखे गए संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"इस सभा की राय है कि चुनाव सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि लोक जीवन को परिमार्जित किया जा सके तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किये जा सकें, जो इस समय शक्ति, धन, जाति, धर्म तथा अन्य प्रकार के भ्रष्ट तरीकों के गन्दे तथा अस्वस्थ प्रभाव से दूषित हो गये हैं और सरकार से सिफारिश करती है कि वह सभी राजनैतिक दलों के साथ व्यापक रूप से विचार-विमर्श आरम्भ करे, ताकि चुनाव सुधारों के तत्काल कार्यान्वयन के लिए मतैक्य हो सके और जनता की सामान्य भावना सच्चे लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिबिम्बित हो सके।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

———

5.17 म० प०

विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकों द्वारा उपभोग्य सभी अधिकार प्रदान करने के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया के संकल्प पर विचार करेंगे।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों, भले ही उन्होंने उस देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो जहां वे निवास करते हैं, को भारत के लोगों तथा उनकी संस्कृति के साथ जोड़ने वाली भावात्मक शक्ति को सुदृढ़ करने की दृष्टि से यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उनको मताधिकार तथा संसद् और राज्य विधान मंडलों के लिये चुनाव लड़ने के अधिकार सहित वे सभी अधिकार, जो भारतीय नागरिकों द्वारा उपभोग्य हैं, प्रदान करने के लिये उपयुक्त विधान और/अथवा संविधान में संशोधन लाये।"

महोदय, मेरे द्वारा रखे गए संकल्प का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारतीय मूल के उन लोगों के यद्यपि वे विदेशों में रहते हैं—जिनके माता-पिता या पूरा परिवार विदेश में रहता है, इस देश रहने वाले अपने संबंधियों के साथ भावनात्मक संबंध हैं। महोदय इन भावनाओं का विदेशों में रहने वाले लोगों पर गहरा प्रभाव है यद्यपि उनके पूर्वज या वे स्वयं यह देश छोड़कर चले गए हैं। जब भी इस देश के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने किसी देश का दौरा किया है—यहां तक कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय के दौरान उनके दौरों में भी—भारतीय मूल के लोगों ने कतारों में खड़े होकर घंटों उनकी प्रतीक्षा की है यद्यपि वे संबंधित देश के नागरिक हैं। अन्य देश का पासपोर्ट और नागरिकता रखने वाले लोग इसे अपना गौरव मानते हैं और बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि हमारा नेता इस देश में आ रहा है। हम अपने देश के नेता का स्वागत करने आए हैं। महोदय इन बन्धनों और संबंधों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

अब क्या हो रहा है ? अन्य देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को किसी न किसी बहाने उस देश की नागरिकता ग्रहण करने के लिए मजबूर किया गया था।

परन्तु कई बार स्थिति ऐसी होती है कि परिवारों का विभाजन हो जाता है। परन्तु हमारे देश के नियम उनकी भावनाओं के साथ न्याय नहीं करते हैं। मान लो एक व्यक्ति विदेश चला गया है और वह इस देश में व्यापार करना चाहता है तो उसे अनिवासी भारतीय श्रेणी के अन्तर्गत किसी भी सीमा तक पूंजी निवेश करने की अनुमति है, वह विदेश में रहता है और इस देश में वह असीमित व्यापार कर सकता है। परन्तु यह प्रतिबंध लगाया गया है कि वह इस देश में कृषि भूमि न तो खरीद सकता और न

ही बेच सकता है। वह कृषि क्षेत्र में व्यापार नहीं कर सकता। विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के साथ यह भेदभाव है।

अन्य देशों का पासपोर्ट रखने वाले भारतीय मूल के लोगों के निकट संबंधी, यहां तक कि माता-पिता या भाई भी अनिवासी भारतीय की ओर से कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति न तो बेच सकते हैं और न ही खरीद सकते हैं।

हाल में सरकार ने यह निर्णय किया है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों, अथवा उनके सम्बन्धियों अथवा पिता अथवा माता द्वारा 1 जनवरी, 1974 से पूर्व खरीदी गई कृषि सम्पत्ति को वैध सम्पत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। परन्तु कुछ पुनरीक्षण के बाद यह निर्णय किया गया कि 30 जून, 1980 तक खरीदी गई सम्पत्ति वैध सम्पत्ति होगी। इसके बाद की गई किसी भी खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह भेद-भाव पूर्ण है। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी सरकार द्वारा ऐसे किसी कार्य की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिससे भारतीय मूल के व्यक्तियों को मुख्य भूमि, उनकी मातृभूमि और अपने देश से अलग करता है। यद्यपि, भारी संख्या में लोग विदेशों में रह रहे हैं, जिनके बच्चे वहां पैदा हुए हैं। परन्तु वे अपने बच्चों को शिक्षा के लिए इस देश में भेज रहे हैं और जब कभी भी हम विदेशों में जाते हैं तो वहां प्रत्येक परिवार में एक बात पर मुख्य बल दिया जाता है और वह यह कि वे भारतीय परम्पराओं, भारतीय संस्कृति, अपने जीवन के मूल ढंग मूल प्रणाली से पूर्णतया अलग-थलग नहीं होना चाहते और मैं जानता हूं कि अनेक परिवारों में, चाहे वे गुजराती हैं, पंजाबी हैं अथवा बंगाली हैं, चाहे वे अमरीका में रहते हों कनाडा अथवा ब्रिटेन में रहते हों, उन्होंने अपने बच्चों को उनकी मातृभाषा बंगाली, गुजराती, मराठी अथवा पंजाबी सिखाने के विशेष प्रबंध किए हैं। इस बात से हम उनकी भावनाओं का भली-भांति अंदाजा लगा सकते हैं कि उनमें अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सभ्यता और भारत के साथ जोड़े रखने की कितनी प्रबल इच्छा है।

विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा अपने देश में भारी रकम भेजी जाती है। भेजी गई रकम की कुछ स्तर तक जांच की जाती है कि यह राशि कहां से आई, कितनी राशि आई है, ड्राफ्ट की संख्या कितनी है और भेजने वाले का पता क्या है।

धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को निरीक्षकों द्वारा किसी न किसी प्रकार से तंग किया जाता है। आखिरकार वे विदेशों में रहने वाले अपने सम्बन्धी से चैक अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से केवल वैध धन ही तो प्राप्त करते हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें अपने दरवाजे बन्द नहीं करने चाहिए, हमें, इस देश के नागरिकों को, यहां रहने वाले व्यक्तियों और विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के बीच सम्बन्ध के क्षेत्र को कम नहीं करना चाहिए। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि उसे विदेशों में

[श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया]

रहने वाले भारतीय लोगों को भी नागरिकता का अधिकार देना चाहिए चाहे भले ही उन्होंने किसी भी देश की नागरिकता अथवा पासपोर्ट प्राप्त कर लिया हो।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या दोहरी नागरिकता का कोई पूर्वोदाहरण है ?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : जी हां, मैं बताऊंगा। बंगलादेश और पाकिस्तान, इन दो देशों ने पहले ही इस प्रकार की सुविधा दे रखी है। मेरा अनुरोध केवल विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को यह सुविधा देने का है ताकि वे हमारे देश के विकास में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकें। यह पहली बात है। दूसरी बात यह है कि ऐसा होने से वे इस देश के साथ अपने सांस्कृतिक संबंध बराबर बनाए रख सकेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ी अपने भारतीय होने पर गर्व का अनुभव करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसे इस संकल्प को स्वीकार कर लेना चाहिए जिससे विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार तथा वे सभी अधिकार प्राप्त हो जाएं जो सम्पत्ति, अन्य सुविधाओं तथा अन्य अधिकारों के मामले में सामान्यत: यहां रहने वाले नागरिकों को प्राप्त हैं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : यह शब्द 'भारतीय मूल' बहुत अस्पष्ट है। क्या हम उनसे इसकी परिभाषा जान सकते हैं ?

सभापति महोदय : आप अपनी बारी आने पर बोलिए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों, भले ही उन्होंने उस देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो जहां वे निवास करते हैं, को भारत के लोगों तथा उनकी संस्कृति के साथ जोड़ने वाली भावात्मक शक्ति को सुदृढ़ करने की दृष्टि से यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उनको मताधिकार तथा संसद और विधान मंडलों के लिए चुनाव लड़ने के अधिकार सहित वे सभी अधिकार, जो भारतीय नागरिकों द्वारा उपभोग्य हैं, प्रदान करने के लिए उपयुक्त विधान और/अथवा संविधान में संशोधन लाए।"

श्री मूलचन्द डागा द्वारा संशोधनों की सूचना दी गई है। वे उपस्थित नहीं हैं। इसलिए मैं उन्हें पेश किया नहीं मानता।

श्री विजय एन० पाटिल।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : श्री रामूवालिया ने काफी अच्छा विचार पेश किया है, परन्तु यह व्यवहारिक नहीं है।...

प्रो० एन० जी० रंगा : सो तो है।

श्री विजय एन० पाटिल : यदि आप विश्व का इतिहास पढ़ें तो पाएंगे कि विभिन्न महाद्वीपों में विभिन्न देशों ने अपनी पहचान मुख्यत: राजनीतिक शक्ति के माध्यम से रखी है और फिर भौगोलिक अस्तित्व और सांस्कृतिक मतभेद तथा अन्य प्रकार के मतभेदों के माध्यम से कायम रखी हैं। हमने देखा है कि विश्व में न्यू वानवातू जैसा एक लाख की जनसंख्या वाला देश भी है जो हमारे राष्ट्रमंडल का भाग है और चीन जितना बड़ा देश भी है। दोनों अलग-अलग देश हैं। जब किसी देश की जनसंख्या चीन अथवा भारत की तरह अधिक होती है तो यह स्वाभाविक है कि लोग व्यवसाय अथवा बेहतर अवसर प्राप्त करने के लिए और किन्ही अन्य कारणों से भी अन्य देशों में जाने का प्रयास करेंगे।

हमारा स्वर्णिम अतीत रहा है, एक लम्बी विरासत और इतिहास रहा है तथा शताब्दियों पहले हमारे लोगों ने यूरोपीय देशों तथा अन्य विकसित देशों के लोगों से पहले हजारों मील की यात्रा की है। वे वहां जाकर बस गये हैं। वे भी भारतीय मूल के लोग हैं। इसलिये मुझे नहीं पता कि श्री रामूवालिया के दिमाग में भारतीय मूल के लोगों से क्या अभिप्राय है। क्या वे लोग, जो 2000 वर्ष पहले भारत से चले गए और इंडोनेशिया तथा अन्य देशों में जाकर बस गए अथवा क्या वे लोग जो 20 वर्ष पूर्व अन्य देशों में चले गए हैं और उनके बच्चों का जन्म वहां हुआ है और वे उन देशों के मतदाता बन गये हैं, यदि उन्हें नागरिकता प्रदान की जाये और अधिकार दिया जाये, तो भारत में मतदान कर सकते हैं। विश्व बहुत छोटा हो गया है। रामूवालिया जी, आप नाश्ता चण्डीगढ़ में ले सकते हैं और दोपहर के भोजन के लिए सिंगापुर जा सकते हैं। इसलिये, जब विश्व इतना छोटा हो गया है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राजनीतिक दृष्टि से हम अपनी पहचान खो रहे हैं। हम आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से निकट आते जा रहे हैं। प्रत्येक राष्ट्र को अपनी राजनीतिक पहचान, अपनी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता पर गर्व है। इस मामले में यदि कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून में भी इसका कोई अर्थ नहीं होगा। उन्होंने पाकिस्तान और बंगलादेश जैसे देशों का हवाला दिया है। मुझे दोहरी नागरिकता के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। किन्तु जैसा कि हम अन्तर्राष्ट्रीय कानून और हमारे कानून में भी देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम के बारे में हम हमेशा ब्रिटिश नागरिकता अधिनियम का हवाला देते हैं। हम उसमें इस तरह के उपबन्ध नहीं पाते।

आजकल, आप देख सकते हैं कि व्यापार बढ़ रहा है और हमारे देश के लोग बहुत से अन्य देशों में रह रहे हैं। मैंने तंजानिया में एक ऐसा परिवार देखा जिसमें अलग-अलग देशों के नागरिक हैं। बहन अमरीका की नागरिक है। भाई ब्रिटेन में बस गया है। वह वहां का नागरिक बन गया है। माता-पिता अफ्रीका महाद्वीप के देश तंजानिया के नागरिक हैं। उनके भारत के साथ अभी भी भावात्मक सम्बन्ध हैं। वहां इण्डिया क्लब बना हुआ है। कभी-कभी वे राज्यों के नाम पर भी क्लब बनाने का प्रयास करते हैं। गुजरात के बहुत से लोग वहां हैं। मैं गुजरात के एक गांव का नाम बताता हूं। यह

[श्री विजय एन० पाटिल]

गांव धर्मास है। यहां के प्रत्येक परिवार का एक व्यक्ति विदेश में रह रहा है जैसा कि पंजाब में है। वे व्यापार के लिये विदेश जाते हैं। गुजरात के लोग भी बड़ी संख्या में व्यापार के लिए विदेश जाते हैं। किन्तु हमने उनसे यह नहीं सुना कि संबंध बनाये रखने के लिए "हमें नागरिकता चाहिए; हमें प्रतिनिधित्व चाहिए; हमें भारत में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।" ऐसी भावना उनमें नहीं है। निस्संदेह कभी-कभी, लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भी भारत भेजना चाहेंगे यदि वे ऐसे अविकसित देशों में व्यापार कर रहे हैं जहां शिक्षा की उचित सुविधाएं नहीं हैं। किन्तु अन्य देशों में ऐसी स्थिति नहीं है। मुझे इंडोनेशिया जाने का अवसर मिला है। वहां मैंने गांधी मेमोरियल स्कूल देखा है। वे हमारी विरासत को बनाए हुए हैं। वे हमारी संस्कृति अपनाये हुए हैं। वे आदतों से बिल्कुल भारतीय हैं। किन्तु वे इण्डोनेशिया की नागरिकता लेकर पूरी तरह से खुश हैं। सच यह है कि जब कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, यदि उसको वहां अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं तो वह वहीं बसने का प्रयास करता है। यहां तक कि भारत में भी, जो लोग गांव से शहरों में आ जाते हैं और वे वहीं बस जाते हैं। उनके बच्चे भी 20 या 30 मील दूर गांव नहीं जाना चाहेंगे जहां कि कभी उनके माता-पिता रहते थे। इस मामले में, वे लोग जो हजारों मील दूर चले गये हैं क्या वे केवल चुनाव लड़ने तथा भावात्मक बंधनों को कायम रखने के लिए वापस आना चाहेंगे ? चुनाव लड़ने से या प्रतिनिधित्व प्राप्त करने अथवा दोहरी नागरिकता प्राप्त करने से भावात्मक संबंध विकसित नहीं हो पाएंगे। विदेशों में रह रहे अपने भारतीय भाइयों के संबंध रखने के हमारे पास विभिन्न तरीके हैं। हम विदेशों में अपने व्यापार मेलों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक समृद्धि दर्शा कर अपनी संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं हाल ही में हमने पेरिस में ऐसा ही एक मेला लगाया था। इसलिये जो लोग अपनी इच्छा से पहले ही विभिन्न देशों में बस गये हैं उनको दोहरी नागरिकता देने के लिए इस प्रकार का संकल्प लाना आवश्यक नहीं है। पहले, हमारे लोग, विशेषकर वैज्ञानिक बेहतर अवसरों के लिए विदेशों में जाया करते थे। अब हमने उनको अपने देश में ही बेहतर अवसर देना शुरू कर दिया है ताकि वे भारत में ही रहें। जैसा कि आपको ज्ञात है, प्रारम्भ में जब हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने मानव संसाधन मंत्रालय नाम का एक नया मंत्रालय बनाया था तो लोगों को शंका थी और कुछ लोगों ने तो आलोचना भी की थी कि यह कोई बहुत महत्वपूर्ण विभाग नहीं है। अब हम देखते हैं कि हम अपने बेरोजगार स्नातकों, युवा प्रतिभाशाली लोगों को बेकार नहीं रहने देते। हमने उनकी प्रतिभा तथा प्रशिक्षण का अपने ही देश में उचित उपयोग करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों, विशेषकर श्रीलंका में बसे भारतीय किन-किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हजारों वर्ष पूर्व वे वहां गये थे। वे अब श्रीलंका के नागरिक हैं। फिर भी वहां जातीय समस्या शुरू हो गई है और यह दुर्भाग्य की बात है कि यह जातीय समस्या अभी समाप्त नहीं हुई है। हमारी सहानुभूति ऐसे लोगों के साथ है। किन्तु यह नहीं कह सकते कि हम उनको यहां लायेंगे और हम उनको नागरिकता देंगे। जो लोग भारत में आश्रय लेना चाहते हैं हम उनको अस्थाई तौर पर आश्रय दे सकते हैं किन्तु हमें यह देखना होगा कि वे अपने देश लौट जाएं जहां वे पैदा हुए थे और जहां के वे नागरिक हैं। यदि आप इतिहास पर दृष्टिपात करें तो आप पायेंगे कि हजार वर्ष पहले मंगोल लोग भारतीय उपमहाद्वीप में आये तो वे पंजाब तथा सिंध

में बस गये थे। क्या आज हमारे लिये यह कहना सम्भव होगा कि वे पंजाबी जिनके पूर्वज मंगोल थे उनको मंगोलिया की नागरिकता दी जाए और उनको चुनाव आदि लड़ने का भी अधिकार दिया जाये ? कुछ आर्य लोग कुछ ऐसे इलाकों से आये थे जो अब रूस में हैं और आर्य लोग उत्तरी भारत में बस गये अब हम यह कहें कि उनको रूस की नागरिकता दी जानी चाहिए और यदि वे चाहें तो उनको वहां चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए ? ऐसा करना सम्भव नहीं होगा। इसलिए इस तरह के संकल्प पेश करने का अभिप्राय केवल यह है कि हमें भारतीय मूल के लोगों के साथ अपने सम्बन्ध और सुदृढ़ करने के अन्य उपाय ढूंढने चाहिएं जिससे भारत को लाभ हो सके और जो लोग भारत से प्यार करते हैं तथा भारतीय मूल के हैं उनको भी कुछ लाभ मिल सके। इसके लिए हम अपने विदेश मंत्रालय की सहायता ले सकते हैं। हम सरकार से उन देशों में और अधिक भारतीयों को नियुक्त करने का अनुरोध कर सकते हैं जहां हमारे भारतीय भाई अधिक संख्या में रहते हैं जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, अफ्रीकी देश तथा हमारे पड़ौसी देशों के भारतीय दूतावासों में हमारे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जो लोग भारत से सम्पर्क रखना चाहते हैं उन्हें यहां और अधिक आजादी निर्बाध रूप से आने की अनुमति दी जा सकती है। यदि वे व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिए, जैसा कि हमने अन्य देशों के साथ प्रौद्योगिकी अन्तरण की व्यवस्था है, और कभी-कभी हम विदेशी इक्विटी शेयरों से उद्योग लगाने की अनुमति देते हैं।

यदि विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय लोग भारत में कोई उद्योग लगाने अथवा पूंजी निवेश करने के लिए आना चाहते हैं तो उस स्थिति में हम सरकार से उन्हें और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए आग्रह कर सकते हैं, उन्हें नागरिकता प्रदान करने अथवा प्रतिनिधित्व तथा मतदान का अधिकार देने की मांग करने की बजाए उन्हें विशेष रियायतें देने के लिए कह सकते हैं।

मैं भी बनातवाला द्वारा दिये गये इस सुझाव से तो सहमत नहीं हूं कि जो लोग विदेशों में गये हैं और वहां रह रहे हैं, जब भारत में लोक सभा अथवा राज्य विधान सभाओं के चुनाव हों तो उन्हें उनमें वोट देने की अनुमति दी जाये। वर्तमान संदर्भ में वर्तमान स्थिति में जो बातें व्यवहारिक तथा वांछनीय नहीं हैं उनकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वास्तव में, उन देशों के साथ भी, जहां भारतीय लोग अधिक संख्या में नहीं हैं, जब आर्थिक सहयोग, सामान्य संसाधनों की भागीदारी और सामान्य विकास का मामला आया है हमने नए दृष्टिकोण अपनाए हैं। कुछ दशक पहले विकसित देशों ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के नाम से संगठन शुरू किया था।

हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने 'सार्क' (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग समिति) शुरू किया है और शुरू में ही सात देश इसके सदस्य बन गये हैं और इस उप-महाद्वीप में, इस क्षेत्र में हम कई मामलों में साझीदार बन सकते हैं। हमारे सभी पड़ोसी देश हिमालय से बहने वाली नदियों से पन बिजली उत्पादन, समुद्री तूफान की जानकारी के लिए 'रिमोटसेंसिंग' के माध्यम से उपग्रह द्वारा दी गई सूचना वर्षा आने या न आने की अग्रिम सूचना के मामलों में भागीदार बन सकते हैं। एक या दो उपग्रहों के माध्यम से हम संचार व्यवस्था में भागीदार बन सकते हैं और समान रूप में प्रयोग में लाई जा सकने वाली इस प्रकार की सुविधाओं पर होने वाले खर्च को कम कर सकते हैं।

[श्री विजय एम० पाटिल]

अतः, इस प्रयोजन के लिए बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान से किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है या इस कार्य के लिए अफगानिस्तान और किसी अन्य देश के किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कभी भारतीय था, भारतीय नागरिकता, यदि वह इच्छुक है ग्रहण कर लेनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है।

एक व्यक्ति आरामदायक जिंदगी चाहता है। वह रहने के लिए एक अच्छा मकान और यदि संभव हो तो आधुनिक जीवन की अधिक से अधिक सुख साधन की वस्तुएं चाहता है। ये सब वस्तुएं आर्थिक सहयोग से प्राप्त की जा सकती हैं। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे राजनैतिक सत्ता में हिस्सेदारी से प्राप्त किया जाए। हम राजनैतिक शक्ति को और अधिक जटिल नहीं बनाना चाहते।

विभिन्न देशों में, हमारे पड़ोसी देशों में भी, विभिन्न प्रकार के प्रजातंत्र हैं और विभिन्न प्रकार की सरकारें हैं और हम उन्हें सहन करते हैं परन्तु इस प्रकार की पद्धति से हम सहमत नहीं हैं। परन्तु हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आए और चुनाव लड़े और इसके साथ ही उन्हें नागरिकता दी जा सकती है।

यदि मेरा चचेरा भाई केन्या में रहता है और यहां आकर चुनाव लड़ लेता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा और जब संसद का होना हो तो उसे वहां से आना पड़ेगा। यदि वह नागरिकता ग्रहण कर लेता है और वहां भी वह सदस्य बन जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ? इस देश में भी कोई भी व्यक्ति एक समय में दो सदनों का सदस्य नहीं बन सकता। वह या तो संसद का सदस्य बन सकता है या राज्य विधान सभा का सदस्य बन सकता है। अतः ऐसी स्थिति में क्या होगा जब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिक है, वहां का राजनैतिक प्रतिनिधि है और यहां आकर चुनाव लड़ लेता है और सौभाग्यवश वह जीत जाता है। इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। हमारी अपनी समस्याएं हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है और इसकी जनसंख्या बहुत अधिक है और सरकार का संघीय ढांचा है। यहां ऐसे लोग हैं, विशेषकर आपके दल में, जो इस बात का प्रचार करना चाहते हैं कि राज्यों को अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान की जाएं। राज्यों को पहले ही बहुत शक्तियां दी गई हैं। जो शक्ति केन्द्र के पास होनी चाहिए वह केन्द्र के पास है परन्तु इसके बावजूद जब किसी राज्य में उस दल की सरकार नहीं होती जिसकी केन्द्र में है तो कुछ गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं और लोग यह कहना शुरू कर देते हैं कि राज्य सरकार को अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

हमारा देश प्रभुता सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। यदि आप अन्य देशों के लोगों को इस बहाने यहां की नागरिकता दिलाना चाहते हैं कि वे भारतीय मूल के हैं और उनके पूर्वज भारत में रहते थे, तो आपका यह विचार उचित नहीं होगा। आपका यह विचार प्रशंसनीय है परन्तु व्यवहार्य नहीं है और जब कोई कार्य व्यवहार्य नहीं है तो उस पर अधिक बल देना उचित नहीं है। जैसाकि मैंने पहले कहा था कि हमें अपने भाइयों को भारतीय संस्कृति के निकट

लाने के लिए विभिन्न तरीके निकालने चाहिएं। उन्हें भारत पर गर्व करना चाहिए। यह नहीं समझना चाहिए—जैसाकि कुछ देशों में समझा जाता है—कि भारतीय केवल दुकानदार हैं। मैंने सुना है कि लोग भारत को दुकानदारों के देश के रूप में जानते हैं। हमारे पाटिल, शाह और मेहताओं ने विदेशों में बड़े शहरों में केन्द्रीय स्थानों में दुकानें प्राप्त की हैं। अत: उस देश के लोग भारतीयों को केवल दुकानदार समझते हैं। भारतीय केवल दुकानदार ही नहीं हैं बल्कि वे वैज्ञानिक, लड़ाकू, साहसी आदि भी हैं। हमारे लोग अंटार्कटिका पर गए हैं। अंटार्कटिका अभियान सफल रहा है। हमने अपना आधार वहां बनाया है। अत: हमें भारत की सही तस्वीर प्रस्तुत करनी चाहिए और हमें अपने भाइयों का उपयोग उस देश के लोगों को भारत के बारे में सही सूचना देने के लिए करना चाहिए। हमें अपने भारतीय भाइयों की सहायता से कुछ ऐसे लोगों द्वारा फैलाई गई गलत जानकारी का मुकाबला करना चाहिए जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से भारत के लोगों का विकास नहीं देखना चाहते और जो सुदृढ़ प्रचार माध्यम से भारतीयों को बदनाम करना चाहते हैं। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक यह है कि केन्द्रीय सरकार और अन्य स्वैच्छिक एजेन्सियों का उपयोग किया जा सकता है बजाय इसके कि उन भाइयों को यहां बुलाने और चुनाव लड़ने के लिए कहा जाये या ऐसा करने की अनुमति दी जाये। हमारे यहां चुनाव लड़ने वाले पहले ही बहुत हैं। इस देश में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में दो-तीन दल चुनाव लड़ते हैं परन्तु पचास या सौ व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर चुनाव लड़ते हैं। क्या आप ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं? यदि महाराष्ट्र में एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से श्री रथ जैसा बड़ा व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो यह ठीक है। परन्तु यदि श्री विजय एन० पाटिल उड़ीसा जाकर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें अपना मत कौन देगा? देश के किसी भी भाग में रहने वाले लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या उम्मीदवार उस निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कार्य कर रहा है जिससे वह चुनाव लड़ रहा है। अत: उस निर्वाचन क्षेत्र में लोग पूछेंगे कि गत 10 या 15 वर्ष से वह क्या कार्य कर रहा है और अगले पांच वर्ष में वह क्या कार्य करेगा। यदि कोई व्यक्ति अफ्रीका या संयुक्त अरब अमीरात से चुनाव लड़ता है और वास्तव में भारत का नागरिक है और एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता है तब क्या होगा? लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? यह व्यक्ति हजारों मील दूर से चुनाव लड़ रहा है। भोजपुरी लोग मारीशस में गये हुए हैं और 300 वर्ष बाद यदि उनमें से कोई व्यक्ति भारत वापस आ जाता है और किसी निर्वाचन क्षेत्र में लोगों से उसे अपना मत देने के लिए कहता है तो लोग कहेंगे कि वह चुनाव के बाद मारीशस वापस चला जाएगा। अत: क्या यह व्यावहारिक या संभव है। यह संभव नहीं है। अत: मैं समझता हूं कि आपका विचार अच्छा है परन्तु यह व्यावहारिक नहीं है। इन शब्दों के साथ इस विषय पर बोलने की अनुमति देनेके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सैयद शाहबुद्दीन (किशन गंज) : सभापति महोदय, मेरे मित्र श्री रामूवालिया ने एक ऐसा संकल्प रखा है जिसका अर्थ एक विवाह प्रथा कोयुग में बहु-विवाह का उपदेश देना है कि मुझे इसकी कुछ जानकारी है। विदेशी सरकारों या आधुनिक राज्य नागरिकता प्रदान करने के संबंध में किस तरह से कार्य करते हैं वे नागरिकता संबंधी अधिकार के प्रति बहुत ही ईर्ष्यालु है। यह आसानी से उन लोगों को नहीं प्रदान की जानी है जो विदेशी मूल के हैं। बहुत से राज्यों में वे कतिपय शर्तें रखते हैं कभी-कभी

[सैयद शाहबुद्दीन]

बहुत ही असम्भव होती हैं। मुझे किसी ऐसे देश के बारे में जानकारी नहीं है। कम से कम आज के विश्व में जो दोहरी नागरिकता या दोहरी राष्ट्रीयता के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। महोदय, जहां तक भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले लोगों जोकि भारतीय राष्ट्रिक हैं, के मतदान के अधिकार का सम्बन्ध है, उन्हें पूर्णतया दूसरे आधार पर लिया जाना है। मैंने निर्वाचन आयोग के साथ इस विषय पर एक लम्बा विचार-विमर्श किया है और उन्होंने विदेश में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को मताधिकार की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां बतायीं। मुझे अपने पिछले कार्यकाल में मताधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सभा में एक गैर-सरकारी सदस्य विधेयक लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और अपने उन भारतीय राष्ट्रिकों के लिए जो विदेश में रहते हैं एक तरीका अथवा चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का सुझाव दिया है। उदाहरण के लिए यदि खाड़ी देशों या पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीय नागरिकों की कुल संख्या भारत में किसी एक चुनाव क्षेत्र के आकार की तुलना में अधिक या कम है तो उन भारतीय राष्ट्रिकों का संसद में प्रतिनिधि के लिए एक चुनाव क्षेत्र बनाया जा सकता है अर्थात् विदेशों में किसी एक स्थान में रहने वाले के भारतीय राष्ट्रिक संसद के लिए अपना एक प्रतिनिधि चुन सकते हैं। यह एक दूसरी बात है। महोदय यहां हम उन सभी अधिकारों समान अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और जो उन भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले उन लोगों को जो विदेशी नागरिक हैं। को भी दिए जाने की बात कर रहे हैं। वास्तव में मैं समझता हूं कि इस विचार को स्वीकार करना या इसकी सराहना करना भी कठिन है और मैं नहीं समझता हूं कि यह उन देशों को भी स्वीकार होगा जो उन भारतीय मूल के लोगों के मेजबान देश हैं साथ ही और कई व्यावहारिक समस्याएं हो सकती हैं। इससे कभी-कभी हितों में टकराव भी हो सकता है इससे कभी-कभी क्षेत्राधिकार में टकराव हो सकता है, इससे कानून में विवाद उत्पन्न हो सकता है। वास्तव में किसी व्यक्ति को दो नावों में एक साथ सवार होकर तैरने का तरीका अपनाने के लिए कहना कठिन होगा। इसलिए मैं इस विधेयक में सिद्धान्त से ही सहमत नहीं हूं इसका अर्थ यह नहीं कि मैं भारतीय मूल के व्यक्तियों का अपने मातृदेश के प्रति भावनात्मक लगाव का अवमूल्यन कर रहा हूं जोकि कम से कम पहली कुछ पीढ़ियों में रहता ही है। जहां तक मैं ठीक समझता हूं। जब हम भारतीय मूल के व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं तो हम उन लोगों के बारे में कहते हैं जो स्वयं या उनके माता-पिता या दादा-दादी— मैं नहीं समझता हूं वे इससे भी पहले के लोगों, के साथ विदेशों में बस गये थे। यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि सामान्य परिस्थितियों में सगोत्रता का बंधन बना रहता है, सांस्कृतिक बंधन भी अपनी भूमिका निभाते हैं और व्यक्तियों में अपने मातृ-देश के प्रति भावना अवश्य रहती है। परन्तु इसके बाद लोग अपने दैनिक परिवेश में, अपने वातावरण में अपनी अर्थव्यवस्था में खो जाते हैं जिसके कि वे अभिन्न अंग हो जाते हैं और धीरे-धीरे वह सुस्पष्ट बंधन या अपने मातृदेश के प्रति वह रुचि, नहीं रखते हैं। यह सिर्फ भारत में ही नहीं है। यह स्थिति विश्व के सभी लोगों के बारे में है और लोग पूरे विश्व में एक भाग से दूसरे भाग में जाते रहते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। कोई यह तर्क दे सकता है कि वर्तमान युग में देश की सीमाएं अब ज्यादा दुर्गम्य हो गई है जबकि प्राचीन काल में वे इतनी दुर्गम्य तथा ठोस रूप से परिभाषित नहीं थी। यह तर्क दिया

जा सकता है किन्तु सब मिलाकर लोग मेजवान परिवेश में खो जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह जिन्दगी का एक सत्य है जोकि मनुष्य की प्रवृत्ति का एक सत्य है।

जब हम समान अधिकारों की बात करते हैं तो इसमें मौलिक अधिकार को भी सम्मिलित किया जाता है। मेरे मस्तिष्क में तत्काल यह प्रश्न आता है कि किस न्यायालय में आप मौलिक अधिकारों को लागू करते हैं? किस देश में? आप किस तरह इसे लागू करते हैं? आपके क्षेत्राधिकार क्या हैं? आपके पास उपकरण क्या हैं? साधारण-सी बात है कि आपके पास कुछ नहीं है। यदि आप किसी भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करते भी हैं जो कि विदेशी नागरिक भी है, और माना ये अधिकार तोड़े जाते हैं और उन अधिकारियों द्वारा जहां वह व्यक्ति रहता है, बेशक ये भारत में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा नहीं तोड़े जाते, तब आपके पास उन मौलिक अधिकारों को बचाने का क्षेत्राधिकार नहीं रह जाता है। तब यह सोचना कि सरकार उन भारतीय नागरिकों के जो कि विदेशी नागरिक भी है और विदेश में रह रहे हैं तथा विदेशी राज्य द्वारा सताये जा रहे हैं, के मौलिक अधिकार को बचा सकती है बेतुकी बात होगी। यह एक असम्भव स्थिति हो जाती है।

इसी प्रकार हम आर्थिक स्थिति की बात करते। बेशक यहां निवेश करने का अधिकार है परन्तु यहां निवेश का कर्तव्य भी है और कर भुगतान करने का कर्तव्य भी है। मैं यह जानना चाहूंगा कि भारतीय मूल के लोग, जो विदेशी हैं और जिन्हें यदि भारतीय नागरिकता प्रदान की गई तथा उन पर भारतीय कर प्रणाली लागू की जाए जिससे श्री पुजारी जी को जो मेरे सामने बैठे हैं, देश के गरीबों के लिए ज्यादा राजस्व मिले, तो क्या वे स्वेच्छा से अपने आपको भारतीय कर प्राधिकारियों को समर्पित करेंगे? कोई भी व्यक्ति इस दुहरे कराधान को स्वीकार नहीं करेगा मेजबान देश अपना कर उन पर नहीं छोड़ेगी और भारतीय सरकार यदि कर लगा सकी, तो वह उसे वसूल नहीं कर पायेगी। इसलिए मैं इसमें भी भारी कठिनाई देखता हूं।

अब हम राजनीतिक पक्ष पर बात करें। मुझे एक स्थिति याद आती है जिसमें सेना में अनिवार्य भर्ती की बात है। किसी देश में आपातकालीन स्थिति आती है और वहां सेना में अनिवार्य भर्ती शुरू होती है। मैं ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकता हूं जिसमें कि सेना में अनिवार्य भर्ती का प्रतिकूल प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जायेगा तथा भारतीय नागरिकों को विदेशी राष्ट्रों की ओर से ही विदेशी युद्ध लड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी हम एक राष्ट्र के रूप में निन्दा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका ने लीबिया पर आक्रमण किया माना अमरीकी भारतीय मूल के अमरीकी नागरिकों का उपयोग लीबिया के खिलाफ आक्रमण करते हैं तो यही एक ओर भारत इस आक्रमण की निन्दा करता है और दूसरी ओर भारतीय जो कि अमेरिका के नागरिक हैं, अमेरिका की ओर से लीबिया के खिलाफ युद्ध करते हैं।

6.00 अ०प०

हम पुनः एक बिल्कुल बेतुकी स्थिति में हो गये हैं। इसका दूसरा पहलू भी है। नागरिकता का

[सैयद शाहबुद्दीन]

अर्थ हथियार उठाना भी है। क्या हमें एक राष्ट्र होने के नाते अपने उन नागरिकों को जो अन्य देशों के भी नागरिक हैं, मेजबान देश की इच्छा के विरुद्ध, संकट के समय अपने देश के लिए हथियार उठाने का आह्वान करने की अनुमति मिल सकती है।

महोदय, अन्त में जहां तक सांस्कृतिक पहलू का सम्बन्ध है मेल-मिलाप भी अत्यधिक कठिन हो जायेगा क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी भारतीय मूल का जो व्यक्ति विदेशी नागरिकता के सभी लाभ प्राप्त कर रहा है और उसे यदि साथ-साथ भारतीय नागरिकता भी दे दी जाये तो विदेश की संस्कृति के साथ मेल-मिलाप और उसे अपनाने की ओर उसका झुकाव कम होगा और इस प्रकार उसे उस देश में कम स्वीकार किया जायेगा।

सभापति महोदय, मैं ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता दिये जाने के मामले में अपने मित्र रामूवालिया की तरह इतना उदार नहीं हूं, जिन्होंने सोच-समझकर, स्वेच्छा से और जान बूझकर तथा लाभ-हानि का हिसाब लगाकर अपना भाग्य अपनी पसन्द के देश के साथ जोड़ने का निर्णय किया है। मैं उनकी खुशहाली की कामना करता हूं। मेरे मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मैं उन्हें देश-विरोधी नहीं समझता। ऐसी स्थिति में रहने में मुझे प्रसन्नता है। परन्तु मैं उन्हें दोहरी नागरिकता की अथवा जैसा कि मैंने कहा कि एक समय में दो नावों पर सवार होने के प्रयास की अनुमति नहीं दे सकता।

मेरी पुत्री का जन्म अमेरिका में हुआ था। मैंने उसे भारतीय नागरिकता और भारतीय पासपोर्ट दिलाने का निर्णय किया। जब वह 18 वर्ष की हो गई तो मैंने उससे कह दिया कि "बेटी अब तुम स्वतंत्र हो। यदि तुम चाहो तो अमरीकी नागरिकता ले सकती हो क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना और बाद में विवाह करना भी ज्यादा आसान हो जायेगा।" उसने इंकार कर दिया।

सभापति महोदय : अब श्री पुजारी।

6.02 अ०प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 258/86-सी०शु० और 259/86-सी०शु० की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 25 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं

तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कूड ताड़ की गिरी के तेल को उस स्थिति में मूल्यानुसार 30 प्रतिशत से अधिक मूल्य सीमाशुल्क से छूट दी गई है, जब उसका आयात वसायुक्त अल्कोहल का विनिर्माण करने के लिए किया जाए, तथा उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उपसंगी सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में है, सभा पटल पर रखता हूं।

[पंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी०--2565-ए/86]

कार्य मंत्रणा समिति

तेईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं

6.03 म०प०

विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के निवासियों को भारतीय नागरिकों द्वारा उपभोग्य सभी अधिकार प्रदान करने के बारे में संकल्प

[—जारी]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री हरीश रावत।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा): अधिष्ठाता महोदय, माननीय रामूवालिया साहब ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, वह शब्दों में तो मासूम लगता है लेकिन इसके जो प्रभाव होंगे वे उतने सरल नहीं होंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं। सभा अब सोमवार, 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

6.04 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 28 अप्रैल, 1986/8 वैशाख, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिये स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, सीलमपुर, दिल्ली-110053